वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

विषय सूची

अध्याय–1 गृह मंत्रालय का कार्य क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा	1-5
अध्याय – 2 आंतरिक सुरक्षा	6-26
अध्याय – 3 सीमा प्रबंधन	27-47
अध्याय – 4 देश में अपराध का परिदृश्य	48-55
अध्याय – 5 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग	56-66
अध्याय – 6 संघ राज्य क्षेत्र	67-88
अध्याय–7 पुलिस बल	89-124
अध्याय–8 अन्य पुलिस संगठन एवं संस्थान	125-176
अध्याय–9 आपदा प्रबंधन	177-204
अध्याय–10 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	205-212
अध्याय–11 प्रमुख पहलें और स्कीमें	213-225
अध्याय–12 विदेशी राष्ट्रिक, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और पुनर्वास	226-239
अध्याय–13 साइबर और सूचना सुरक्षा	240-254
अध्याय–14 महिला सुरक्षा	255-267
अध्याय–15 जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख मामले विभाग	268-290
अध्याय–16 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त (आर जी एवं सीसी आई)	291-305
अध्याय–17 केंद्र–राज्य संबंध और अन्य विविध विषय	306-328
अनुलग्नक (I-XXIV)	329-368

अध्याय–1

गृह मंत्रालय का कार्य क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा

1.1 गृह मंत्रालय विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करता है, जिनमें देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र–राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) का प्रशासन, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II–"राज्य सूची" की प्रविष्टि 1 और 2 के अनुसार, "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्यों के उत्तरदायित्व हैं, तथापि संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के संबंध में संरक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जा रहा है। इन दायित्वों के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा किए बिना, राज्यों में सुरक्षा, शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए उनकी आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की लगातार निगरानी करता है, राज्य सरकारों को उपयुक्त एडवाइजरी जारी करता है, आसूचना संबंधी जानकारी को साझा करता है तथा जनशक्ति एवं वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और सुविज्ञ राय प्रदान करता है।

1.2 वर्ष के दौरान गृह मंत्रालय में मंत्रियों, गृह सचिव, सचिवों, विशेष सचिवों, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के पद पर रहे/पदासीन अधिकारियों से संबंधित सूचना **अनुलग्नक**–I में दी गई है। संगठनात्मक चार्ट भी **अनुलग्नक**–II में दिया गया है।

1.3 गृह मंत्रालय के विद्यमान प्रभागों और उनके मुख्य दायित्वों को दर्शाने वाली सूची निम्नानुसार हैः

प्रशासन प्रभाग

1.4 प्रशासन प्रभाग का दायित्व सभी प्रशासनिक मामलों को देखना तथा मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के मध्य कार्य का आवंटन करना है। प्रशासन प्रभाग, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामलों के लिए नोडल प्रभाग भी है। यह प्रभाग सचिवालय सुरक्षा संगठन के प्रशासनिक मामलों को भी देखता है।

सीमा प्रबंधन–I (बीएम–I) प्रभाग

1.5 बीएम–I प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय भू–सीमाओं के सशक्तिकरण, वहां पर पुलिस व्यवस्था और चौकसी करने से संबंधित मामलों को देखता है, जिनमें भारत–पाकिस्तान, भारत–बांग्लादेश, भारत–चीन, भारत–नेपाल, भारत–भूटान और भारत–म्यांमार की सीमाओं पर सीमा बाड़, सीमा सड़क, सीमा फ्लडलाइट तथा सीमा रक्षक बलों की सीमा चौकियों इत्यादि से जुड़े अवसंरचनागत कार्य करने और इनमें सुधार करने के द्वारा भू–सीमाओं का प्रबंधन करना सम्मिलित है। यह प्रभाग "सीमा अवसंरचना संबंधी अधिकार प्राप्त समिति (ईसीबीआई)" से संबंधित मामलों को भी देखता है।

सीमा प्रबंधन–II (बीएम–II) प्रभाग

1.6 बीएम–II प्रभाग सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी), तटीय सुरक्षा स्कीम (सीएसएस) और भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) से संबंधित मामलों को देखता है। बीएडीपी केंद्र प्रायोजित एक मुख्य स्कीम है, जिसका क्रियान्वयन सीमा प्रबंधन

के व्यापक दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में राज्य सरकारों के माध्यम से किया जा रहा है। तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में तटीय सुरक्षा से संबंधित अवसंरचना निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु तटीय सुरक्षा स्कीम का क्रियान्वयन विविध चरणों में किया जाता है। यह प्रभाग एलपीएआई के स्थापना संबंधी मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। इसे देश की भू–सीमाओं पर एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपीएस) का निर्माण, विकास और अनुरक्षण करने तथा साथ ही आईसीपी के विकास हेतु विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है।

समन्वय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (सीआईसी) प्रभाग

1.7 सीआईसी प्रभाग (समन्वय विंग) मंत्रालय के अंदर समन्वय संबंधी कार्य, संसदीय मामलों, लोक शिकायतों (पीजी), सतर्कता, अदालती मामलों की निगरानी, राजभाषा, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन, वेबसाइट प्रबंधन, रिकार्ड प्रतिधारण समय–सूची, मंत्रालय के वर्गीकृत और गैर–वर्गीकृत रिकार्डों के अभिरक्षण, ई–समीक्षा से संबंधित मामले, अनुसूचित जातियों (एससी)/अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार संबंधी विभिन्न रिपोर्टें प्रस्तुत करने/प्रकाशित करने, मंत्रालय की उपलब्धियों इत्यादि से संबंधित कार्यों को देखता है।

1.8 इस प्रभाग का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) विंग सुरक्षा सहयोग से संबंधित करारों/संधियों को अंतिम रूप प्रदान करने/उन पर वार्ता करने, स्वापक पदार्थों के अवैध व्यापार और द्विपक्षीय पारस्परिक विधिक सहायता संधियों (एमएलएटी) इत्यादि से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल प्रभाग है। यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), बंगाल की खाड़ी बहु–क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक), दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान), शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) आदि से जुड़े कार्यों को देखने के लिए गृह मंत्रालय में एक केंद्र बिंदु है। यह प्रभाग दूसरे देशों के साथ हस्ताक्षरित सभी समझौता ज्ञापनों (एमओयू)/करारों के संबंध में सुरक्षा स्वीकृतियों तथा गृह मंत्री और गृह सचिव स्तर पर अन्य द्विपक्षीय वार्ताओं/बैठकों के लिए समन्वय कार्य भी करता है।

केंद्र– राज्य (सीएस) प्रभाग

1.9 सीएस प्रभाग केन्द्र–राज्य संबंधों का कार्य देखता है, जिनमें इस प्रकार के संबंधों को शासित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की कार्यशीलता, राज्यपालों की नियुक्ति, नए राज्यों के सृजन, राज्य सभा/लोक सभा के लिए नामांकन, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, राज्यों में अपराध की स्थिति पर नजर रखना, राष्ट्रपति शासन लगाना इत्यादि शामिल है।

1.10 सीएस प्रभाग का पब्लिक सेक्शन भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, पूर्वता अधिपत्र, वीरता पुरस्कारों की अशोक चक्र श्रृंखला, जीवन रक्षा पदक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय सम्प्रतीक इत्यादि से जुड़े कार्यों को देखता है।

साइबर और सूचना सुरक्षा (सीआईएस) प्रभाग

1.11 साइबर और सूचना सुरक्षा (सीआईएस) प्रभाग की स्थापना दिनांक 13.11.2017 को हुई थी। यह प्रभाग देश में साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की बढ़ती चिंताओं के मुद्दे से संबंधित मामलों को देखता है। सीआईएस प्रभाग सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति और दिशानिर्देशों (एनआईएसपीजी) का क्रियान्वयन करने, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/ संगठनों की आईटी अवसंरचना की साइबर सुरक्षा और जोखिम मूल्यांकन, देश में साइबर अपराधों से निपटने हेतु समन्वय स्थापित करने, महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध को रोकने से संबंधित स्कीम, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) स्कीम, नियमित सूचना सुरक्षा ऑडिट, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, विधिसम्मत इंटरसेप्शन और नेशनल

इंटेलिजेंस ग्रिड (एनएटीजीआरआईडी) आदि से संबंधित मामलों/कार्यों को देखता है।

आतंकवाद–रोधी एवं कट्टरवाद–रोधी (सीटीसीआर) प्रभाग

1.12 आतंकवाद – रोधी एवं कट्टरवाद – रोधी (सीटीसीआर) प्रभाग आतंकवाद से संबंधित नीतिगत एवं ऑपरेशनल मुद्दों, कट्टरवाद को रोकने/कट्टरवाद को समाप्त करने, आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने तथा साथ ही राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के प्रशासनिक, वित्तीय और सांविधिक मामलों को देखता है।

आपदा प्रबंधन (डीएम) प्रभाग

1.13 डीएम प्रभाग का दायित्व प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं (सूखा, ओलावृष्टि, कीट हमला, शीत लहर/पाला और महामारी को छोड़कर) से निपटने के लिए विधायन, नीति निर्माण, क्षमता निर्माण, रोकथाम, शमन, कार्रवाई, राहत कार्य तथा तैयारी के कार्य करना है।

वित्त प्रभाग

1.14 वित्त प्रभाग का दायित्व मंत्रालय का बजट तैयार करना, उसको संचालित और नियंत्रित करना है तथा व्यय नियंत्रण एवं निगरानी और वित्तीय सलाह आदि से संबंधित अन्य मामलों को देखना है।

विदेशी विषयक प्रभाग

1.15 विदेशी विषयक प्रभाग वीजा, संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) प्रणाली, आप्रवासन, नागरिकता, प्रवासी भारतीय नागरिकता, विदेशी अभिदाय की प्राप्ति तथा अतिथि सत्कार से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास (एफएफआर) प्रभाग

1.16 एफएफआर प्रभाग, "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम" और पूर्ववर्ती पश्चिमी पाकिस्तान/पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए स्कीमों को बनाता है और इन्हें कार्यान्वित करता है तथा श्रीलंकाई और तिब्बती शरणार्थियों को राहत देने की व्यवस्था करता है। यह प्रभाग शत्रु संपत्ति से संबंधित मामलों को भी देखता है।

आंतरिक सुरक्षा–I (आईएस–I) प्रभाग

1.17 आंतरिक सुरक्षा–I प्रभाग आंतरिक सुरक्षा, कानून–व्यवस्था, पंजाब से जुड़े मामलों; राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने; हथियार एवं विस्फोटक पदार्थ; व्यक्तियों और महत्वपूर्ण स्थापनाओं की सुरक्षा, परियोजनाओं एवं प्रस्तावों को स्वीकृति देने, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरएंडडी) और "राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय" की स्थापना से संबंधित मामलों को देखता है।

आंतरिक सुरक्षा–II (आईएस–II प्रभाग

1.18 आंतरिक सुरक्षा–II प्रभाग प्रत्यर्पण, पारस्परिक कानूनी सहायता, इंटरपोल, मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, मानव अधिकारों के संरक्षण तथा आतंकवाद/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवाद की हिंसा और सीमा–पार गोलीबारी एवं भारतीय क्षेत्र में माइन/इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) विस्फोट से पीड़ित हुए आम नागरिक/उनके परिवारों हेतु केंद्रीय सहायता स्कीम से संबंधित मामलों को भी देखता है।

जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामले विभाग

1.19 जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामले विभाग जम्मू और कश्मीर के भीतर आतंकवाद से निपटने सहित जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) एवं लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) तथा अयोध्या से संबंधित सभी मामलों और साथ ही भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को विशेष रूप से आवंटित विषयों/मामलों के संबंध में समन्वय के कार्य को देखता है। यह विभाग जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में भारत

सत्यमेव जयते

सरकार की प्रमुख स्कीमों और व्यक्तिगत लाभार्थी केंद्रित स्कीमों तथा प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) सहित आर्थिक महत्व की प्रमुख परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन तथा अयोध्या से संबंधित मामलों के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय भी करता है।

न्यायिक विंग

1.20 न्यायिक विंग भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और जांच आयोग अधिनियम के विधायी पहलुओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। यह संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति की अपेक्षा वाले राज्य विधायनों, स्वतंत्रता से पहले के तत्कालीन शासकों को राजनयिक पेंशन देने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिकाओं से संबंधित मामलों को भी देखता है।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभाग

1.21 एलडब्ल्यूई प्रभाग वामपंथी उग्रवाद की स्थिति और प्रभावित राज्यों द्वारा किए जा रहे उपायों पर नजर रखता है, जिसका उद्देश्य बुनियादी स्तर पर पुलिस व्यवस्था में सुधार करना और प्रभावित राज्यों द्वारा तैयार की गई स्थान–विशिष्ट कार्य योजनाओं के अनुरूप विकास संबंधी कार्रवाई करना है। यह प्रभाग वामपंथी उग्रवाद(एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के उचित कार्यान्वयन तथा ऐसी योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियों के इष्टतम उपयोग की समीक्षा भी करता है।

पूर्वोत्तर (एनई) प्रभाग

1.22 एनई प्रभाग पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखता है, जिसमें उस क्षेत्र में विद्रोह से संबंधित मामले और वहां पर सक्रिय विभिन्न उग्रवादी समूहों के साथ बातचीत करना शामिल है।

पुलिस–I (पी–I) प्रभाग

1.23 पुलिस–I प्रभाग भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के संबंध में संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है और साथ–साथ पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण, सराहनीय/विशिष्ट सेवा तथा वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक आदि से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

पुलिस–II (पी–II) प्रभाग

1.24 पुलिस– II प्रभाग केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) तथा उनकी तैनाती से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

पुलिस आधुनिकीकरण (पीएम) प्रभाग

1.25 पीएम प्रभाग राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न मदों की व्यवस्था, पुलिस संचार, पुलिस सुधार और निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महत्वपूर्ण खरीद तथा समन्वय पुलिस वायरलेस निदेशालय (डीसीपीडब्ल्यू) जो इस प्रभाग के अन्तर्गत एक अधीनस्थ संगठन है, से संबंधित मामले देखता है।

संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रभाग

1.26 यूटी प्रभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सहित सभी संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सभी विधायी और संवैधानिक मामलों को देखता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस)/भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के "अरुणाचल प्रदेश–गोवा–मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र (एजीएमयूटी) संवर्ग" तथा साथ ही "दिल्ली–अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा (दानिक्स)"/दिल्ली–अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा (दानिप्स) के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करता है। यह संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में अपराध तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की निगरानी करने के लिए भी उत्तरदायी है।

महिला सुरक्षा प्रभाग

1.27 महिला सुरक्षा प्रभाग देश के भीतर महिला सुरक्षा के लिए उपाय करने और न्याय का समग्र रूप से त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन करके और साथ ही महिलाओं हेतु एक सुरक्षित वातावरण तैयार करके उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करने संबंधी मामलों को देखता है। यह प्रभाग कारागार सुधार और संबंधित विषयों समेत उद्देश्यों की प्राप्ति में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से नीति निर्माण करने, आयोजना करने, समन्वय करने और परियोजनाओं/स्कीमों को तैयार कर उनका क्रियान्वयन करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ–साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में आईटी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना तथा साथ ही फॉरेंसिक विज्ञान और अपराध एवं आपराधिक रिकॉर्डों के लिए एक सहायक ईको–सिस्टम तैयार करना शामिल है।

*****

अध्याय – 2
आंतरिक सुरक्षा

2.1 देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का वर्गीकरण व्यापक तौर पर निम्नानुसार किया जा सकता है :–

(क) देश के भीतरी भाग में आतंकवाद

(ख) कतिपय क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई)

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह

(घ) जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद

2.2 वर्ष 2023 के दौरान देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में रही। भारत सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने को उचित प्राथमिकता दी है। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर मुख्य फोकस जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) में आतंकवाद का मुकाबला करने, पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में सुधार करने, वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने और देश के भीतरी भाग में शांति बनाए रखने पर रहा। यद्यपि जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) के संबंध में ब्यौरा अध्याय–XV में दिया गया है, तथापि (क), (ख) और (ग) क्षेत्रों के संबंध में सुरक्षा स्थिति निम्नानुसार है :

2.3 **आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु क्षमता निर्माण**

(क) चूंकि, किसी भी आतंकवादी घटना की स्थिति में राज्य सुरक्षा बल सबसे पहले कार्रवाई करने वाले संगठन होते हैं; इसलिए केंद्र सरकार द्वारा आसूचना जुटाने, आतंकवादी घटनाओं पर कार्रवाई करने और जांच करने के क्षेत्र में नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से इन राज्य पुलिस बलों का क्षमता संवर्धन किया जाता है।

(ख) आतंकवादी गतिविधियों में शामिल 'आतंकवादी संगठनों' अथवा 'व्यक्तियों' के नाम विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की क्रमशः पहली और चौथी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। केंद्र सरकार ने अभी तक 44 संगठनों को आतंकवादी संगठनों और 57 व्यक्तियों को आतंकवादी व्यक्तियों के रूप में घोषित किया है।

ग) गृह मंत्रालय ने विदेशी राष्ट्रों के साथ "आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह" की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

(घ) विधि प्रवर्तन एजेंसियां (एलईए) देश की सुरक्षा, शांति और लोक शांति पर प्रभाव डालने वाले कट्टरपंथी संगठनों और समूहों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती हैं और आवश्यकतानुसार, कानून के विद्यमान प्रावधानों के तहत कार्रवाई करती हैं।

आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु संस्थाएं

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए)

2.4 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) का गठन एनआईए अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों की जांच करने और अभियोजन चलाने के लिए एक विशेष एजेंसी के रूप में एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) आतंकवाद के वित्तपोषण संबंधी मामलों सहित आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक प्रमुख जांच एजेंसी है।

एनआईए ने अपने गठन से लेकर दिनांक 31.03.2024 तक, 598 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 461 मामलों में आरोप पत्र सौंपे गए हैं। 135 मामलों में विचारण पूरा हो गया है, जिनमें से 128 मामलों में दोषसिद्धि हो चुकी है।

राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड)

2.5 नेटग्रिड की परिकल्पना एक ऐसी अवसंरचना (फ्रेमवर्क) के रूप में की गई है, जो देश की आतंकवाद–रोधी क्षमता में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से अनुमोदित प्रयोक्ता एजेंसियों (सुरक्षा/ विधि प्रवर्तन) को नामित डाटा प्रदाताओं के साथ जोड़ने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में वृद्धि करेगी। नेटग्रिड समाधान (साल्यूशन) 11 केंद्रीय उपयोगकर्ता एजेंसियों को 10 प्रदाता संगठनों से जोड़ता है।

आतंकवाद वित्तपोषण रोकथाम सेल (सीएफटी सेल)

2.6 गृह मंत्रालय में आतंकवाद वित्तपोषण रोकथाम सेल (सीएफटी सेल), आतंकवाद के वित्तपोषण और जाली भारतीय करेंसी नोट (एफआईसीएन) की रोकथाम से संबंधित नीतिगत मामलों को देखता है।

2.7 जाली करेंसी नोटों के प्रचलन की समस्या से निपटने के लिए केंद्र/राज्यों की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना/सूचना का आदान–प्रदान करने हेतु, गृह मंत्रालय में एक एफआईसीएन समन्वय समूह (एफसीओआरडी) कार्य कर रहा है।

2.8 आतंक के वित्तपोषण तथा जाली करेंसी नोटों के मामलों पर केंद्रित जांच करने के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के तहत एक "आतंक का वित्तपोषण एवं जाली करेंसी (टीएफएफसी) सेल" कार्य कर रहा है।

2.9 जाली करेंसी नोटों की तस्करी और प्रचलन को रोकने के लिए, भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रभाव में है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि उन्हें भारतीय करेंसी की तस्करी/जालसाजी के बारे में जागरूक बनाया जा सके। आतंक के वित्तपोषण की गतिविधियों में शामिल तत्वों पर कड़ी नजर रखने के लिए, केंद्र और राज्यों की आसूचना और सुरक्षा एजेंसियां साथ मिलकर कार्य करती हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई करती हैं।

2.10 भारत दिनांक 25.06.2010 से वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ), जो एक अंतर–सरकारी निकाय है, का एक सदस्य है। यह निकाय धनशोधन के विरुद्ध (एएमएल) तथा आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम (सीएफटी) के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करता है। भारत, एएमएल तथा सीएफटी पर बने एफएटीएफ के क्षेत्रीय निकायों (एफएसआरबी) जैसे कि यूरेशियन ग्रुप (ईएजी) तथा एशिया पैसेफिक ग्रुप (एपीजी), का भी सदस्य है। भारत "आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम पर बिम्स्टेक उप समूह" की बैठकों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है।

उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों की सुरक्षा

2.11 आतंकवादी और उग्रवादी समूहों से खतरे के कारण उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराना अनिवार्य हो जाता है। चूंकि ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरा एक परिवर्तनशील स्थिति है, इसलिए गृह मंत्रालय द्वारा समय–समय पर उनकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाता है। आतंकवादियों और उग्रवादियों के मंसूबों का प्रभावी तरीके से मुकाबला करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि देश में सुरक्षा, लोक व्यवस्था और शांति को बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके।

2.12 गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों की सुरक्षा और उनके

आवागमन के बारे में भी लगातार सचेत किया जाता है। इस संबंध में, उन्हें आवश्यकतानुसार, नियमित रूप से एडवायजरी भेजी जाती हैं। राज्यों के सुरक्षा बलों को ऐसी सुरक्षा ड्यूटियों के लिए सुसज्जित करने हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के प्रशिक्षण संस्थानों में पुलिस कमाण्डो के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

विमानपत्तन सुरक्षा/दिल्ली मेट्रो सुरक्षा

2.13 विमानन क्षेत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए, आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का अधिग्रहण, विमानपत्तनों में बेहतर सुरक्षा प्रक्रियाओं तथा सुरक्षा कार्मिकों की पर्याप्त तैनाती पर ध्यान दिया गया है। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नागर विमानन मंत्रालय, आसूचना ब्यूरो (आईबी), सीआईएसएफ और अन्य संगठनों के साथ परामर्श करके एक प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया गया है। हवाईअड्डों के लिए आतंकवाद–रोधी आकस्मिक योजना (सीटीसीपी) तैयार की गई है तथा इसे क्रियान्वयन हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है। हवाईअड्डों की सुरक्षा के संबंध में खतरे की प्राप्त सूचनाओं को तुरंत ही नागर विमानन मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार के साथ साझा किया जाता है।

2.14 सीआईएसएफ द्वारा दिल्ली मेट्रो के लिए सुरक्षा एक मजबूत सुरक्षा ढांचे के तहत प्रदान की जाती है। देश में चल रही अन्य 08 मेट्रो प्रणालियों (रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम, बैंगलोर मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, मुंबई मेट्रो, जयपुर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, लखनऊ मेट्रो और कोलकाता मेट्रो) का सुरक्षा समन्वय भी सीआईएसएफ द्वारा किया जाता है।

महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा

2.15 देश में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्रालय/विभाग अथवा संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा के आधार पर, गृह मंत्रालय उन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के सुरक्षा मानकों और आवश्यकता के बारे में आवधिक रूप से परामर्श प्रदान करता है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के बारे में प्राप्त खतरे की सूचनाएं, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/मंत्रालयों के साथ तत्काल साझा की जाती हैं। संगठनों/मंत्रालयों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, कतिपय महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को तैनात किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के सुरक्षा वर्गीकरण की समीक्षा की गई है तथा उनके खतरे की संभावना को देखते हुए और अधिक संख्या में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को शामिल करने के लिए उन्हें ए, बी, सी, डी एवं ई के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की संख्या 766 है।

धार्मिक पीठों/स्थलों की सुरक्षा

2.16 देश में धार्मिक पीठों/स्थलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। तथापि, किसी विशिष्ट खतरे की सूचना प्राप्त होने पर अथवा सुरक्षा को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता होने पर, गृह मंत्रालय द्वारा ऐसी धार्मिक पीठों/स्थलों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक एडवाइजरी और चेतावनियां जारी की जाती हैं।

सुरक्षा मंजूरी

2.17 प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कंपनियों, बोलीदाताओं और व्यक्तियों को लाइसेंस, परमिट, अनुमति, संविदा आदि जारी करने से पहले संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) नोडल मंत्रालय है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी का उद्देश्य आर्थिक खतरों सहित संभावित सुरक्षा के खतरों का मूल्यांकन करना है तथा प्रमुख, संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश और

परियोजना संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले वहां जोखिम का मूल्यांकन करना है। इसका उद्देश्य जहां एक ओर राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं के बीच एक संतुलन बनाना है, वहीं दूसरी ओर देश में व्यापार को सुगम बनाना एवं निवेश को बढ़ावा देना है। दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान, सुरक्षा मंजूरी के 1,199 प्रस्तावों का निपटान किया गया।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए सरकार का दृष्टिकोण एवं कार्य योजना

2.18 भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों के प्रयासों को सम्पूरित कर रही है। भारत सरकार ने सुरक्षा एवं विकास के क्षेत्रों में समस्याओं का समाधान करके तथा इसके साथ ही सुशासन को बढ़ावा देकर वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए एक एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। इसे हासिल करने के लिए, 'वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए एक 'राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने आदि के क्षेत्रों में बहु–आयामी रणनीति अपनाई गई है। इसके पीछे यह विचारधारा है कि वामपंथी उग्रवाद के खतरे से ठोस ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकारों की क्षमता में वृद्धि की जाए।

2.19 सुरक्षा संबंधी उपायों में, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) प्रदान करना, भारतीय रिजर्व (आईआर) बटालियनों की मंजूरी, राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण एवं स्तरोन्नयन, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम के तहत सुरक्षा संबंधी खर्चों की प्रतिपूर्ति, विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस) के तहत राज्यों की विशेष आसूचना शाखाओं (एसआईबी) और विशेष बलों को सुदृढ़ बनाना तथा पुलिस स्टेशनों को सुरक्षित बनाना, एलडब्ल्यूई–रोधी ऑपरेशनों के लिए हेलीकॉप्टर प्रदान करना, राज्य पुलिस को प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करना, आसूचना साझा करना, अंतर–राज्यीय समन्वय को सुकर बनाना और नागरिक कार्रवाई आदि शामिल हैं।

2.20 इसके साथ ही, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है। भारत सरकार ने सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी जैसी अवसंरचना में सुधार और स्थानीय लोगों के कौशल उन्नयन के लिए विशेष स्कीमें शुरू की हैं। इस संबंध में और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से सार्वजनिक अवसंरचनाओं और तत्काल प्रकृति की सेवाओं में महत्वपूर्ण कमी को दूर करने के लिए एलडब्ल्यूई से सर्वाधिक प्रभावित जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) के तहत निधियां प्रदान की जाती हैं।

2.21 भारत सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) का मुकाबला करने के लिए 'राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' के ठोस कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, देश भर में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के परिदृश्य में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। बदलते परिदृश्य के अनुसार गतिशील अनुकूलन के साथ स्थिति और प्रगति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। राज्यों, केंद्रीय बलों और एजेंसियों के साथ और उनके भीतर प्रभावी समन्वय, तेजी से सुरक्षा शिविर लगाकर सुरक्षा में कमी को दूर करने, संसाधनों की केंद्रित तैनाती द्वारा ईष्टतमीकरण, ज्यादा आवंटन, माओवादियों पर वित्तीय प्रतिबंध लगाकर, गुणवत्तापूर्ण अभियोजन के लिए एनआईए में एलडब्ल्यूई से संबंधित मामलों के लिए अलग वर्टिकल के सृजन तथा शीर्ष वामपंथी उग्रवादी नेतृत्व को बेअसर करने आदि पर विशेष ध्यान देने से वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से संबंधित हिंसा की घटनाओं में तेजी से कमी लाने और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के भौगोलिक प्रसार को कम करने, दोनों संदर्भ में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल

हुई हैं। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2023 में हिंसक घटनाओं में कुल 48% की कमी (1,136 से घटकर 594) आई है और वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में होने वाली मौतों (आम नागरिकों और सुरक्षा बलों) में 65% की कमी (397 से घटकर 138) आई है।

2.22 वर्ष 2022 की समान अवधि की तुलना में वर्ष 2023 में सुरक्षा बलों की परिणामी मौतों और हताहतों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण कोर माओवादी क्षेत्रों में व्यापक ऑपरेशन हैं। इस अवधि के दौरान, सरकारों द्वारा अपनाए गए विभिन्न उपायों और भारत सरकार द्वारा विकासात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में वामपंथी उग्रवादी कैडर हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं। वर्ष 2023 में, छत्तीसगढ़ सर्वाधिक प्रभावित राज्य बना रहा और वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की कुल घटनाओं में से 63% घटनाएं और इसके परिणामस्वरूप होने वाली मौतों में से 66% मौतें यहां हुई। दूसरा सबसे प्रभावित राज्य झारखंड था, जहां वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की 27% घटनाएं और इसके परिणामस्वरूप होने वाली मौतों में से 23% मौतें हुईं। हिंसा की शेष घटनाएं और इसके परिणामस्वरूप होने वाली मौतें महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और केरल से सूचित की गई हैं।

2.23 वर्ष 2023 की समान अवधि की तुलना में वर्ष 2024 की पहली छमाही में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशनों में अत्यधिक सकारात्मक वृद्धि (1.7 गुणा) (59 से बढ़कर 103) हुई है, जिसके परिणामस्वरूप माओवादियों के खात्मे में पांच गुणा (30 से बढ़कर 159) से ज्यादा की वृद्धि हुई है।

2.24 वामपंथी उग्रवाद के परिदृश्य में समग्र सुधार का श्रेय वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी और उनकी क्षमता में वृद्धि, प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर अभियान की रणनीति तथा विकास योजनाओं की बेहतर निगरानी को दिया जा सकता है।

2.25 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) संबंधी हिंसा के भौगोलिक प्रसार में भी काफी कमी आ रही है। वर्ष 2013 में 76 जिलों के 328 पुलिस स्टेशनों से वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की रिपोर्ट की तुलना में वर्ष 2023 में, 42 जिलों के 171 पुलिस स्टेशनों (पीएस) से वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। हिंसा को उल्लेखनीय रूप से सीमित कर दिया गया है तथा 25 जिले ही 91% वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) संबंधी हिंसा के लिए उत्तरदायी हैं। देश में विभिन्न वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) संगठनों में सीपीआई (माओवादी) सर्वाधिक प्रभावी बना हुआ है और हिंसा की कुल घटनाओं के 90% से अधिक के लिए तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाली 95% मौतों के लिए जिम्मेदार है। बढ़ती हुई विपरीत परिस्थितियों के बीच, सीपीआई (माओवादी) अंतर–राज्यीय सीमाओं के साथ–साथ नए क्षेत्र में, हालांकि बिना किसी उल्लेखनीय सफलता के अपना विस्तार करने का प्रयास कर रहा है।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए विशेष उपाय

2.26 **सीपीआई (माओवादी) पर प्रतिबंधः** सीपीआई (माओवादी), जो कि वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा/हताहत होने की अधिकांश घटनाओं के लिए जिम्मेदार प्रमुख वामपंथी उग्रवादी संगठन है, को इसके सभी गुटों और अग्रणी संगठनों के साथ विद्यमान विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी संगठनों की अनुसूची में शामिल किया गया है।

2.27 **आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करनाः** वामपंथी उग्रवाद संबंधी गतिविधियों की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए, केन्द्र और राज्य स्तर पर आसूचना एजेंसियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने और उसका उन्नयन करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इसमें केन्द्रीय स्तर पर मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) और राज्य स्तर पर राज्य मल्टी एजेंसी सेंटर (एसएमएसी) के माध्यम से चौबीसों घंटे आसूचना साझा

करना, जगदलपुर एवं गया में "संयुक्त कमांड और नियंत्रण केन्द्र" की स्थापना करना, तकनीकी और मानवीय आसूचना को सुदृढ़ करना, सुरक्षा बलों (एसएफ), जिला पुलिस और आसूचना एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, वास्तविक समय पर आसूचना के सृजन पर बल देना और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में राज्य आसूचना ब्यूरो (एसआईबी) का सृजन तथा साथ ही साथ सुदृढ़ीकरण करना इत्यादि शामिल है, जिसके लिए विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

2.28 **बेहतर अंतर–राज्यीय समन्वयः** सीपीआई (माओवादी) कैडरों की गतिविधियों का क्षेत्र केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनेक राज्यों में फैला हुआ है। इसलिए, अंतर–राज्यीय समन्वय आवश्यक है। भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के सीमावर्ती जिलों के बीच अंतर–राज्यीय बैठकों और पारस्परिक बातचीत में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

2.29 **इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज (आईईडी) की समस्या से निपटनाः** वामपंथी उग्रवाद–रोधी ऑपरेशनों में सुरक्षा बलों के हताहत होने का कारण ज्यादातर आईईडी है। गृह मंत्रालय, सीएपीएफ एवं राज्य पुलिस बलों को उनकी आईईडी–रोधी क्षमता का निर्माण करने में लगातार सहायता प्रदान करता है। आईईडी के प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने 'वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में विस्फोटकों/आईईडी/बारूदी सुरंगों से संबंधित मुद्दों' पर एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की है।

2.30 **इंडिया रिजर्व (आईआर)/स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी):** वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों को मुख्यतः उनके स्तर पर सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने और साथ ही राज्यों को विशेष रूप से एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को लाभपूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने में समर्थ बनाने के लिए भी इंडिया रिजर्व (आईआर) बटालियनें मंजूर की गई हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों को 67 इंडिया रिजर्व (आईआर) बटालियनें/स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियनें (एसआईआरबी) स्वीकृत की गईं थीं, जिनमें से 53 का गठन कर लिया गया है।

2.31 **वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में गृह मंत्रालय की स्कीमें:** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में एलडब्ल्यूई प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं:

(क) **सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीमः** भारत सरकार, वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) हिंसा में जान गंवाने वाले आम नागरिकों/सुरक्षा बलों के परिवारों को अनुग्रह–भुगतान, सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों के पुनर्वास, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, संपत्ति की क्षति के लिए मुआवजे, ग्राम रक्षा समितियों आदि पर होने वाले सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति प्रदान करती है। परिव्यय में वृद्धि के साथ स्कीम को और सुदृढ़ किया गया है। इसके अलावा, स्थाई रूप से दिव्यांग हुए सुरक्षा कार्मिकों तथा संपत्ति की क्षति के लिए मुआवजा जैसी नई मदों को वर्ष 2017 में स्कीम में शामिल किया गया है। इस एसआरई स्कीम से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों की वामपंथी उग्रवाद से निपटने की क्षमता में वृद्धि होगी। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 400 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ख) **वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों में 250 सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के**

निर्माण सहित विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस): वर्ष 2017 में अनुमोदित इस स्कीम को राज्यों की राज्य आसूचना शाखाओं (एसआईबी) और विशेष बलों के सशक्तिकरण के लिए तथा प्रति पुलिस स्टेशन 2.5 करोड़ रुपये की दर से 250 पुलिस स्टेशनों (पीएस) को सुरक्षित बनाने के कार्य के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। सरकार ने 991 करोड़ रुपये (10 राज्यों में 371 करोड़ रुपये से विशेष बल (एसएफ)/विशेष आसूचना शाखाएं (एसआईबी) तथा 07 राज्यों में 620 करोड़ रुपये से 250 सुरक्षित पुलिस स्टेशन (एफपीएस)) मंजूर किए हैं। वर्ष 2017–18 से इस स्कीम के तहत, राज्यों को 364.60 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और 206 एफपीएस का निर्माण (दिनांक 31.03.2024 तक) पूरा हो गया है। इस स्कीम को 1160 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ दिनांक 31.03.2026 तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) **नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम (सीएपी):** इस स्कीम के तहत, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाता है। अब इस स्कीम को 'पुलिस बलों का आधुनिकीकरण' की अंब्रेला स्कीम की एक उप–स्कीम के रूप में वर्ष 2025–26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सीएपीएफ द्वारा अपनी तैनाती के इलाकों में स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए नागरिक कार्य जैसे कि स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, मानव संसाधन विकास–व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल प्रशिक्षण, आदि किए जाते हैं।

(घ) **वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से सर्वाधिक प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए):** सरकार ने इस स्कीम को 'पुलिस बलों का आधुनिकीकरण' की अंब्रेला स्कीम की एक उप–स्कीम के रूप में दिनांक 27.09.2017 को अनुमोदित किया है। इस स्कीम के तहत, वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं। वर्तमान में, 08 राज्यों में 25 जिले वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित हैं। स्कीम को दिनांक 31.03.2026 तक बढ़ा दिया गया है। अभी तक इस स्कीम के तहत 3,450 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ङ) **वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता की स्कीम (एसीएएलडब्ल्यूईएमएस):** इस स्कीम के तहत सीआरपीएफ द्वारा हेलीकॉप्टर किराए पर लेने, वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए भारतीय वायु सेना द्वारा प्रदान की गई एयर–लिफ्ट से संबंधित बिलों के भुगतान और सीएपीएफ को अवसंरचना सहायता के लिए सीएपीएफ/केंद्रीय एजेंसियों को निधियां प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम को दिनांक 31.03.2026 तक बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2023–24 में 100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(च) **वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मीडिया प्लान स्कीम:** इस स्कीम को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में वर्ष 2009–10 से कार्यान्वित किया जा रहा है। स्कीम को 'पुलिस बलों का आधुनिकीकरण' की अंब्रेला स्कीम की एक उप–स्कीम के रूप में वर्ष 2025–26 तक बढ़ा दिया गया है।

गृह मंत्रालय द्वारा पिछले 15 वर्षों से नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस), युवा मामले और खेल मंत्रालय के माध्यम से आदिवासी युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम (टीवाईईपी) का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष

2006–07 और 2022–23 के बीच आयोजित 14 टीवाईईपी में 25,880 आदिवासी युवाओं ने भाग लिया। पिछले 09 वर्षों (वर्ष 2014–15 से 2022–23) में 23,900 युवाओं ने इनमें भाग लिया। पिछले 04 वर्षों में भागीदारी में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जो 10 स्थानों पर 200 युवाओं की वार्षिक भागीदारी से बढ़कर 26 स्थानों पर 5,200 युवाओं तक पहुँच गई है।

कार्यक्रम का उद्देश्य इस प्रकार है :–

(i) सीपीआई (माओवादी) द्वारा सरकार के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का मुकाबला करना।

(ii) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं की आकांक्षाओं को बढ़ाना तथा उन्हें विकासात्मक गतिविधियों, औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक करना।

(iii) उन्हें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूक करना और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी आस्था को गहरा करना। साथ ही इन युवाओं के देश के अन्य समूहों के साथ भावनात्मक जुड़ाव को विकसित करना।

गतिविधियों में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम, भाषण प्रतियोगिता, कौशल विकास, कैरियर मार्गदर्शन, उद्योग संबंधी ज्ञान, सुरक्षा बलों के शिविर, सांस्कृतिक प्रदर्शन आदि शामिल हैं।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासी युवाओं को प्रेरित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इस वर्ष कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रमुख लोगों में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह शामिल थे।

निगरानी तंत्र

2.32 गृह मंत्रालय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, गृह सचिव एवं विशेष सचिव/अपर सचिव के स्तर पर वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की स्थिति की नियमित आधार पर मानीटरिंग करता है।

2.33 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमें/पहलें:

(क) **सड़क आवश्यकता योजना–I (आरआरपी–I)**: सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए दिनांक 26.02.2009 को इस योजना को अनुमोदित किया था। इस योजना के तहत 5,361 किमी. सड़कें और 08 महत्वपूर्ण पुल स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 5,148 किमी. सड़कों और 08 पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ख) **वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क कनेक्टिविटी परियोजना**: सरकार ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए दिनांक 28.12.2016 को यह केंद्र प्रायोजित स्कीम अनुमोदित की थी। इस परियोजना का प्रायोजक/कार्यान्वित करने वाला मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। अब तक, 12,166 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 12,163 किमी. सड़कों (1345 सड़कों और 705 पुलों) की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से कुल 8,904 किमी. लंबाई की सड़कों (826 सड़कों और 393 पुलों) का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

(ग) **वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार परियोजनाएं**: वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार/मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजना चरण–I और चरण–II, आकांक्षी जिलों के कवर न किए गए

गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवाओं के प्रावधान और कवर न किए गए गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति जैसी स्कीमों के तहत 13,412 मोबाइल टावरों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 4,293 से अधिक टावर चालू कर दिए गए हैं।

(घ) **वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित 10 राज्यों, नामतः** आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में व्यक्तियों और समुदाय को 'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' के प्रावधान के तहत स्वामित्व विलेख प्रदान किए जाते हैं, ताकि उनकी आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और वन भूमि पर उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। 39,62,781 दावे प्राप्त हुए थे और व्यक्तियों तथा समुदायों को 21,11,321 स्वामित्व विलेख प्रदान किए गए।

(ङ) **वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 48 जिलों में कौशल विकास स्कीमः** वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में अवसंरचना का सृजन करने और युवाओं को रोजगार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस स्कीम की कार्यान्वयन एजेंसी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है। प्रारंभ में, 34 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) (एक आईटीआई प्रति जिला) और 38 कौशल विकास केंद्रों (एसडीसी) (2 एसडीसी प्रति जिला) के साथ 34 जिलों को कवर किया गया था। वर्ष 2016 में उस समय के सर्वाधिक प्रभावित सभी जिलों को कवर करने के लिए 13 नए जिलों में 13 आईटीआई जोड़े गए, एसडीसी की संख्या समान रही। गृह मंत्रालय की पहल पर, अप्रैल, 2021 में, मांडला, मध्य प्रदेश के लिए 01 नए आईटीआई को मंजूरी दी गई है। आईटीआई की कुल संख्या 48 हो गई है तथा 68 एसडीसी संस्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 36 आईटीआई और 59 एसडीसी का निर्माण कर लिया गया है।

(च) स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय ने सर्वाधिक प्रभावित सभी पूर्ववर्ती जिलों में कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 11 नए केंद्रीय विद्यालयों (केवी) और 06 नवोदय विद्यालयों को मंजूरी दी है। ये सभी 11 केंद्रीय विद्यालय (केवी) और नवोदय विद्यालय खोल दिए गए हैं।

(छ) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से सर्वाधिक प्रभावित 25 जिलों में स्थानीय आबादी के वित्तीय समावेशन के लिए, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) और डाक विभाग (डीओपी) द्वारा बैंक शाखाएं, एटीएम, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट (बीसी) और डाकघर खोले जा रहे हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने मार्च, 2024 तक वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से सर्वाधिक प्रभावित 25 जिलों में 2,796 बैंक शाखाएं, 2,061 एटीएम खोले हैं तथा 32,294 बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट (बीसी) नियुक्त किए हैं। डाक विभाग (डीओपी) ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों में 4,903 नए डाकघर खोले हैं।

(ज) जनजातीय क्षेत्रों में छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) "एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (ईएमआरएस)" खोल रहा है। पिछले 05 वर्षों के दौरान गृह मंत्रालय ने इस स्कीम पर विशेष ध्यान दिया है और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में इस योजना के

शीघ्र कार्यान्वयन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) के साथ मिलकर कार्य किया है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मई, 2019 के बाद 165 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए हैं, जबकि उससे पहले 22 साल की अवधि के दौरान 89 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए थे। अब तक, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 254 मंजूर किए गए हैं, जिनमें से ईएमआरएस 130 कार्यात्मक हो गए हैं।

2.34 भारत सरकार बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए, खतरे का समाधान समग्र रूप से करती रहती है और इसके परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। पिछले 06 वर्षों में एलडब्ल्यूई प्रभाव वाले क्षेत्रों में हिंसा में लगातार गिरावट आई है और इसके भौगोलिक फैलाव में काफी कमी देखी गई है। तथापि, यह स्पष्ट है कि माओवादी, विकास की कमी जैसे मूल कारणों का सार्थक हल नहीं होने देना चाहते, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर स्कूल भवनों, सड़कों, रेल, पुलों, स्वास्थ्य सुविधाओं, संचार सुविधाओं आदि को अपना निशाना बनाते हैं। वे अपनी पुरानी विचारधारा को कायम रखने के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हाशिए पर रखना चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप, देश के एलडब्ल्यूई प्रभाव वाले अनेक भागों में दशकों से विकास की प्रक्रिया थम गई है। सभ्य समाज और मीडिया द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किये जाने की आवश्यकता है कि माओवादियों पर हिंसा का रास्ता छोड़ने और मुख्यधारा से जुड़ने का दबाव बनाया जाना चाहिए तथा साथ ही उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि 21वीं सदी के भारत की सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा तथा आकांक्षाएं माओवादी विचारधारा से काफी अलग हैं। भारत सरकार ऊपर बताए गए रणनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से एलडब्ल्यूई की समस्या को समाप्त करने के प्रति आशावान है।

पूर्वोत्तरः

प्रस्तावना

2.35 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में आठ राज्य, अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। यह क्षेत्र सांस्कृतिक एवं जातीय रूप से विविधतापूर्ण है, जिसमें पृथक भाषा, बोली और सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान वाले 200 से अधिक जातीय समूह निवास करते हैं। यह क्षेत्र देश के 7.97% भू–भाग में फैला है और इसमें देश की आबादी की लगभग 3.78% आबादी निवास करती है। इसकी 5,484 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यथा, बांग्लादेश (1,880 किमी), म्यांमार (1,643 किमी), चीन (1,346 किमी), भूटान (516 किमी) और नेपाल (99 किमी)। भू–भाग, सामाजिक–आर्थिक विकास की स्थिति, ऐतिहासिक घटकों यथा भाषागत/जातिगत, जनजातीय झगड़े, प्रवासन, स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण और लंबी एवं सुभेद्य सीमाओं आदि के कारण पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में सुरक्षा की स्थिति कमजोर हुई है। इसने विभिन्न भारतीय विद्रोही समूहों (आईआईजी), जो पड़ोसी देशों में सुरक्षित ठिकाने/शिविर बनाए हुए हैं, द्वारा हिंसा, जबरन वसूली और विविध मांगों को जन्म दिया है। पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्रफल और जनसंख्या के संबंध में मूलभूत आंकड़े निम्नानुसार हैं–

राज्य	क्षेत्रफल (वर्ग किमी. में)	जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार)	जनसंख्या का घनत्व (प्रतिवर्ग किमी.)
अरुणाचल प्रदेश	83,743	13,83,727	17
असम	78,438	3,12,05,576	398

मणिपुर	22,327	28,55,794	115
मेघालय	22,429	29,66,889	132
मिजोरम	21,081	10,97,206	52
नागालैंड	16,579	19,78,502	119
सिक्किम	7,096	6,10,577	86
त्रिपुरा	10,486	36,73,917	350
कुल पूर्वोत्तर	**2,62,179**	**4,57,72,188**	**173**
अखिल भारत	**32,87,263**	**1,21,08,54,977**	**382**

विद्रोह से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

2.36 यद्यपि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, फिर भी केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही समूहों की अवैध एवं गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद कर रही है। इन उपायों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम के तहत राज्य सरकारों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता, इंडिया रिज़र्व बटालियनों की मंजूरी, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय विधिविरूद्ध संगम पर प्रतिबंध तथा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (एएफएसपीए) के तहत कुछ विशिष्ट क्षेत्रों/राज्यों को "अशांत क्षेत्र" घोषित करना आदि शामिल हैं।

2.37 पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने के कारण, वर्ष 2023 में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (एएफएसपीए) को असम के 04 जिलों को छोड़कर सभी जिलों से, मणिपुर के 07 जिलों के 19 पुलिस थाना क्षेत्रों से और नागालैंड के 08 जिलों के 18 पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर बाकी स्थानों से पूर्णतया हटा दिया गया है। अरूणाचल प्रदेश में एएफएसपीए को तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के अलावा, नामसाई जिले के 03 पुलिस थाना क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया है।

2.38 पूर्वोत्तर राज्यों के विद्रोही समूहों द्वारा अवैध और गैर–कानूनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के कुल 16 विद्रोही संगठनों (असम–3, मणिपुर–8, मेघालय–2, त्रिपुरा–2 और नागालैंड–1) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत "विधिविरुद्ध संगम" और/अथवा "आतंकवादी संगठन" घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय की दिनांक 03.10.2023 और दिनांक 13.11.2023 की अधिसूचनाओं के माध्यम से त्रिपुरा के एटीटीएफ और एनएलएफटी समूहों तथा मणिपुर के मैतेई विद्रोही संगठनों पर "विधिविरुद्ध संगम " के रूप में प्रतिबंध को 05 और वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः दिनांक 02.10.2028 और दिनांक 12.11.2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की विधिविरूद्ध संगम /आतंकवादी संगठनों की सूची अनुलग्नक–III में दी गई है।

2.39 केन्द्र सरकार ने विद्रोह–रोधी अभियानों और असुरक्षित संस्थाओं एवं संस्थापनाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने में राज्य प्राधिकारियों की मदद के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) तैनात किए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सीमा चौकसी के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की 344 कंपनियां तैनात की गई हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और विद्रोह–रोधी अभियानों के लिए सीएपीएफ की 684 कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार विद्रोह से निपटने के लिए राज्य

सरकारों के पुलिस बलों का संवर्धन और उन्नयन करने के लिए उनकी मदद कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 62 इंडिया रिजर्व बटालियनों (आई आर बटालियनों) की मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें असम, मणिपुर और त्रिपुरा में प्रत्येक के लिए 11 बटालियनें, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में प्रत्येक के लिए 07, मेघालय के लिए 06, मिजोरम के लिए 05 और सिक्किम के लिए 04 बटालियनें शामिल हैं।

2.40 केन्द्र सरकार ऐसे विद्रोही समूहों के साथ वार्ता/बातचीत की नीति अपना रही है, जो हिंसा छोड़ने, हथियार त्यागने को तैयार हैं और भारत के संविधान के ढांचे के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप, अनेक समूह सरकार से वार्ता करने के लिए आगे आए हैं और उन्होंने कार्रवाई निलंबन (एसओओ) समझौते किए हैं तथा उनमें से अधिकतर ने समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए हैं और स्वयं का विघटन कर लिया है। जो समूह वार्ता में नहीं हैं, उन पर विद्रोह–रोधी अभियानों के माध्यम से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), सैन्य बलों और राज्य पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

2.41 केन्द्र सरकार वर्ष 1995 से विद्रोह से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) की प्रतिपूर्ति के लिए एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम को मिजोरम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत सुरक्षा संबंधी निम्नलिखित मदों पर होने वाले व्यय को केंद्र और संबंधित राज्य के बीच वहन किया जाता है:

क. इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन,

ख. राज्य में तैनात सीएपीएफ/सेना को प्रदान किया गया संभार तंत्र (लॉजिस्टिक),

ग. उग्रवादी हिंसा के पीड़ितों को अनुग्रह अनुदान एवं निःशुल्क राहत,

घ. सुरक्षा के उद्देश्य के लिए तैनात ग्रामीण रक्षकों/ग्राम रक्षा समितियों/होम गाड्र्स को प्रदान किया गया मानदेय,

ङ. ऐसे समूहों, जिनके साथ केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों ने कार्रवाई निलंबन समझौता किया है, के लिए स्थापित किए गए निर्दिष्ट शिविरों का अनुरक्षण,

च. आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोही एवं उनका पुनर्वास और

छ. अभियानों में पीओएल (पेट्रोल, तेल और ल्यूब्रीकेन्ट) पर किए गए व्यय।

वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2023–24 के दौरान, एसआरई स्कीम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को प्रतिपूर्ति की गई राशि **अनुलग्नक–IV** में दी गई है।

2.42 गृह मंत्रालय उन भ्रमित युवाओं, जो विद्रोह में भटक गए हैं और बाद में स्वयं को उसमें फंसा हुआ पा रहे हैं, को उससे छुटकारा दिलाने के लिए दिनांक 01.01.1998 से पूर्वोत्तर में विद्रोहियों के लिए आत्मसमर्पण–सह–पुनर्वास की एक नीति को कार्यान्वित कर रहा है। इस नीति में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोही दोबारा विद्रोह में शामिल होने के लिए आकृष्ट न हों। इस योजना को छः पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम और मिजोरम को छोड़कर) के लिए दिनांक 01.04.2018 से संशोधित किया गया है। नीति के अंतर्गत, आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:–

क. प्रत्येक आत्मसमर्पण करने वाले को 04 लाख रूपये का तत्काल अनुदान, जिसे 03 वर्षों की अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में आत्मसमर्पण करने वालों के नाम से बैंक में

रखा जाएगा। इस धनराशि का प्रयोग आत्मसमर्पण करने वालों द्वारा स्वरोजगार हेतु बैंक से ऋण हासिल करते समय कोलेटरल सिक्योरिटी/मार्जिन मनी के रूप में किया जा सकता है;

ख. तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक आत्मसमर्पण करने वाले को प्रतिमाह 6,000/– रुपये वजीफे का भुगतान;

ग. विद्रोहियों द्वारा आत्मसमर्पण किए गए हथियारों/गोलाबारूद के लिए उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन;

घ. आत्मसमर्पण करने वालों को स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण;

ङ. पुनर्वास कैंपों के निर्माण के लिए निधियां;

च. एसआरई स्कीम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास पर हुए कुल व्यय के 90% की प्रतिपूर्ति की जाती है।

सरकार की इस नीति के अनुसरण में, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न विद्रोही समूहों के कई कैडर आत्मसमर्पण करके समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।

2.43 स्थानीय जनता का दिल जीतने और आम लोगों के बीच सशस्त्र बलों की छवि सुधारने के लिए, सेना और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत, चिकित्सा शिविरों के आयोजन, स्वच्छता अभियान, खेल कार्यक्रम, बच्चों को अध्ययन सामग्री के वितरण, विद्यालय भवनों, सड़कों, पुलों आदि की छोटी–मोटी मरम्मत और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने आदि जैसी अनेक कल्याणकारी/विकास संबंधी गतिविधियां की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2023–24 के दौरान, सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत सीएपीएफ/सेना को जारी की गई निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक**–V में दिया गया है।

2.44 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के दूरदराज के क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकॉप्टर सब्सिडी स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर में सस्ता यात्री परिवहन, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान निकासी और आवश्यक चिकित्सा सामग्रियों की निकासी आदि प्रदान करना भी है। गृह मंत्रालय यात्री परिवहन से होने वाली वसूली अथवा वास्तविक परिचालन लागत का 20%, जो भी अधिक हो, की कटौती के बाद कुल परिचालन लागत का 75% वहन करता है। मणिपुर में मौजूदा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, फरवरी, 2024 में राज्य के लिए 430 घंटे की वार्षिक सीमा वाला एक अतिरिक्त हेलीकॉप्टर स्वीकृत किया गया है। सब्सिडी सीमित रखने के प्रयोजनार्थ, इन राज्यों में संचालित की जा रही हेलीकॉप्टर सेवाओं के संबंध में उड़ान के घंटों की वार्षिक सीमा निम्न तालिकानुसार निर्धारित की गई है:

पूर्वोत्तर राज्य	**हेलीकॉप्टर का प्रकार**	**प्रति वर्ष स्वीकृत उड़ान घंटों की संख्या**
त्रिपुरा	डॉफिन	480
अरुणाचल प्रदेश	एमआई-172 (पहला) एमआई-172 (दूसरा) बेल 412	960 1200 1300
सिक्किम	बेल-407	1200
मेघालय	डॉफिन	1000

नागालैंड	बेल 412 (पहला) बेल 412 (दूसरा)	1200
मिजोरम	डॉफिन	1200
मणिपुर	बेल 412 (पहला) बेल 412 (दूसरा)	1180

वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2023–24 के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाओं पर हुए व्यय/ जारी की गई निधियों का वर्ष–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–VI** में दिया गया है।

पूर्वोत्तर में सुरक्षा की स्थिति

2.45 वर्ष 2014 से पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2014 की तुलना में, वर्ष 2023 में विद्रोह की घटनाओं में 71%, सुरक्षा बल कार्मिकों की मृत्यु में 60% और आम नागरिकों की मृत्यु में 82% की कमी आई है।

2.46 वर्ष 2023 में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह से संबंधित कुल 243 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 38 आम नागरिकों और 08 सुरक्षा बल कार्मिकों की जान गई। इस क्षेत्र में विद्रोह–रोधी अभियानों में 40 विद्रोही मारे गए, 407 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया और 147 हथियार बरामद किए गए। पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न विद्रोही समूहों के कुल 1,595 कैडरों ने 459 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया और वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए।

2.47 वर्ष 2014 से संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा की स्थिति निम्नानुसार है

वर्ष	घटनाएं	मारे गए विद्रोही	गिरफ्तार किए गए विद्रोही	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोही	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	824	181	1,934	20	212	291	151	1,104	369
2015	574	149	1,900	46	46	143	69	828	267
2016	484	87	1,202	17	48	267	93	605	168
2017	308	57	995	12	37	130	27	405	102
2018	252	34	804	14	23	161	58	420	117
2019	223	12	936	4	21	158	67	312	108
2020	163	21	646	5	3	2,696	445	466	69
2021	209	40	686	8	23	1,473	471	368	94
2022	201	6	563	2	7	2,023	394	279	103
2023*	243	40	407	8	38	1,595	459	147	99
2024 (दिनांक 31.03.24 तक)	77	4	125	-	9	25	7	51	53

* वर्ष 2023 में विद्रोह संबंधी हिंसा में वृद्धि मुख्य रूप से मणिपुर में जातीय संघर्ष के कारण हुई।

2.48 मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में सामान्यतः शांति रही। इस क्षेत्र के अन्य राज्यों में सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2014 से पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा की स्थिति का राज्य–वार विवरण **अनुलग्नक–VII** में दिया गया है।

असम

2.49 वर्तमान में असम के कुछ हिस्सों में सक्रिय प्रमुख विद्रोही समूह, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (इंडीपेंडेंट) (उल्फा/आई) है।

2.50 यूपीडीएस (यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सोलिडेरिटी) ने दिनांक 25.11.2011 को समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए और तत्पश्चात स्वयं को विघटित कर दिया। डीएचडी (दिमा हलम दओगाह) ने दिनांक 08.10.2012 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और तत्पश्चात स्वयं को विघटित कर दिया।

2.51 लंबे समय से लंबित बोडो मुद्दे को हल करने के लिए दिनांक 27.01.2020 को भारत सरकार, असम सरकार और बोडो समूहों, जिनमें नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड/प्रोग्रेसिव (एनडीएफबी/पी), एनडीएफबी/रंजन डायमरी, एनडीएफबी/ सावरैगवरा, यूनाइटेड बोडो पीपल्स आर्गनाइजेशन (यूबीपीओ) और ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू) शामिल हैं, के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए। बोडो समूहों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात कुल 1,615 कैडरों, जिसमें एनडीएफबी (पी) के 836 कैडर, एनडीएफबी (आरडी) के 579 कैडर और एनडीएफबी (एस) के 200 कैडर शामिल हैं, ने दिनांक 30.01.2020 को गुवाहाटी में आयोजित आत्मसमर्पण समारोह में भारी मात्रा में हथियारों और गोला बारूद के साथ आत्मसमर्पण किया। एनडीएफबी समूहों ने दिनांक 09–10 मार्च, 2020 को स्वयं का विघटन कर लिया। असम के बोडो क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु 1,500 करोड़ रुपये (भारत सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपये और असम सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपये) का एक विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) प्रदान किया जा रहा है।

2.52 असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्रों में दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए दिनांक 04.09.2021 को भारत सरकार, असम सरकार और कार्बी समूहों (केएलएनएलएफ, पीडीसीके, यूपीएलए, केपीएलटी) के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए। इस ऐतिहासिक समझौते के साथ ही, 1,000 से अधिक सशस्त्र कैडर हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए। असम के कार्बी क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाएं शुरू करने हेतु 1,000 करोड़ रुपये (भारत सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये और असम सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये) का एक विशेष विकास पैकेज प्रदान किया जा रहा है।

2.53 असम में आदिवासियों और चाय बागान कामगारों के दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए भारत सरकार, असम सरकार और 08 आदिवासी समूहों (बीसीएफ, एसीएमए, एएएनएलए, एपीए, एसटीएफ, एएएनएलए/एफजी, बीसीएफ/ बीटी और एसीएमए/एफजी) के प्रतिनिधियों के बीच दिनांक 15.09.2022 को एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए। इस ऐतिहासिक समझौते के साथ ही, असम के जनजातीय समूहों के 1,182 कैडर हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गए। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, असम के आदिवासी आबादी वाले गांवों/क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास हेतु पांच वर्ष के लिए 1,000 करोड़ रुपये (भारत सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये और असम सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये) का एक विशेष विकास पैकेज प्रदान किया जा रहा है।

2.54 असम के दीमा हसाओ जिले में विद्रोह समाप्त करने के लिए भारत सरकार, असम सरकार और असम

की दीमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी/दीमासा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल (डीएनएलए/डीपीएससी) के प्रतिनिधियों के बीच दिनांक 27.04.2023 को एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए। इसके परिणामस्वरूप, दिनांक 28.10.2023 को डीएनएलए के 181 कैडर अपने हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हो गए। एनसीएचएसी के साथ–साथ राज्य के अन्य हिस्सों में रहने वाले दीमासा लोगों के समग्र विकास के लिए पांच वर्षों के लिए 1,000 करोड़ रुपये (भारत सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये और असम सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये) का एक विशेष विकास पैकेज प्रदान किया जाएगा।

2.55 भारत सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के प्रतिनिधियों के बीच दिनांक 29.12.2023 को एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार, उल्फा हिंसा का रास्ता छोड़ने, सभी हथियारों/गोला–बारूद का समर्पण करने, अपने सशस्त्र संगठन को भंग करने और कानून द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने और देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए तैयार हो गया है। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, उल्फा समूह ने दिनांक 23.01.2024 को खुद को भंग कर लिया। असम राज्य में विभिन्न विकासात्मक पहलों/परियोजनाओं हेतु पांच वर्षों के लिए 5,000 करोड़ रुपये (भारत सरकार द्वारा 3,000 करोड़ रुपये और असम सरकार द्वारा 2,000 करोड़ रुपये) का एक विशेष विकास पैकेज प्रदान किया जाएगा।

2.56 असम और मेघालय राज्यों के बीच अंतर–राज्यीय सीमा की दशकों पुरानी समस्या को हल करने के लिए सीमा मतभेद वाले बारह क्षेत्रों में से छह क्षेत्रों के संबंध में असम के मुख्यमंत्री और मेघालय के मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 29.03.2022 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभ होगा और दीर्घकालिक शांति सुनिश्चित होगी तथा विकास को बढ़ावा मिलेगा। मतभेद वाले शेष 06 क्षेत्रों के संबंध में समझौते को अंतिम रूप देने के लिए दोनों राज्यों ने क्षेत्रीय समितियां गठित की हैं। एमओयू के अनुसार दोनों राज्यों के परामर्श से भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सीमा का सीमांकन किया जा रहा है।

2.57 असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 123 गांवों के संबंध में लंबे समय से लंबित अंतर–राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए असम के मुख्यमंत्री और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 20.04.2023 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति में किए गए। दोनों राज्य इस बात पर सहमत हुए हैं कि 123 विवादित गांवों के संबंध में यह समझौता अंतिम होगा और दोनों में से कोई भी राज्य भविष्य में किसी भी क्षेत्र या गांव से संबंधित कोई नया दावा नहीं करेगा। एमओयू के अनुसार दोनों राज्यों के परामर्श से भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सीमा का सीमांकन किया जा रहा है।

2.58 वर्ष 2023 में, राज्य में विद्रोह संबंधी 08 घटनाएं दर्ज की गई थीं। इन विद्रोही घटनाओं में किसी भी नागरिक/सुरक्षा बल कार्मिक की मृत्यु नहीं हुई। विद्रोह–रोधी अभियानों में 04 विद्रोहियों को मार गिराया गया, 21 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया और 11 हथियार बरामद किए गए। असम के विद्रोही समूहों के कुल 1,445 कैडरों ने 397 हथियारों सहित अत्मसमर्पण किया और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए।

त्रिपुरा

2.59 त्रिपुरा राज्य सामान्यतः शांतिपूर्ण रहा। भूमिगत समूह, "नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्विपरा/बिश्वमोहन (एनएलएफटी/बी)" की गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया गया है।

2.60 भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और श्री साबिर

कुमार देबबर्मा के नेतृत्व वाले नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्विपरा (एनएलएफटी/एसडी) के बीच दिनांक 10.08.2019 को एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए थे। परिणामस्वरूप, दिनांक 13.08.2019 को 88 कैडरों ने 44 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। उक्त समझौते के तहत 100 करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक विकास पैकेज (एसईडीपी) के तहत अब तक त्रिपुरा सरकार को 80 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

2.61 त्रिपुरा में ब्रू (रियांग) प्रवासियों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार, मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार और ब्रू प्रतिनिधि संगठनों के बीच दिनांक 16.01.2020 को एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार, प्रत्येक पुनर्वासित ब्रू परिवार को सावधि जमा के रूप में 04 लाख रुपये की वित्तीय सहायता, 02 वर्षों के लिए मुफ्त राशन, 02 वर्षों के लिए 5,000/– रुपये प्रति माह, 1.50 लाख रुपये की दर से आवास सहायता और 30x40 वर्ग फुट आकार का भूखंड प्रदान किया जाएगा। त्रिपुरा में ब्रू के पुनर्वास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दिनांक 31.03.2024 तक सभी चिन्हित 6,935 ब्रू परिवारों को 12 पुनर्वास स्थानों पर भेज दिया गया है और 6,206 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। ब्रू समझौते की समय सीमा दिनांक 29.08.2024 तक बढ़ा दी गई है। ब्रू पुनर्वास के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 से त्रिपुरा सरकार को निम्नलिखित अनुदान प्रदान किए गए हैं:–

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
राशि (करोड़ रुपये में)	140.00	130.12	158.84	252.92	681.88

2.62 भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और 'द इंडीजनस प्रोग्रेसिव रिजनल एलाइंस'/टीआईपीआरए, जो त्रिप्रा मोथा के नाम से प्रसिद्ध है, के बीच दिनांक 02.03.2024 को नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत, त्रिपुरा के मूल निवासियों के इतिहास, भूमि और राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक विकास, पहचान, संस्कृति और भाषा से संबंधित सभी मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने पर सहमति हुई। इसके अलावा, सम्मानजनक समाधान सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध तरीके से उपर्युक्त सभी मुद्दों पर आपसी सहमति वाले बिंदुओं को निर्धारित और कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह/ समिति का गठन करने पर भी सहमति हुई।

मेघालय

2.63 मेघालय राज्य सामान्यतः शांतिपूर्ण रहा। विद्रोही समूह 'हयनीवट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी)' राज्य में आंशिक रूप से सक्रिय है।

2.64 भारत सरकार, मेघालय राज्य सरकार और एएनवीसी (अचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल) एवं एएनवीसी/बी के बीच दिनांक 24.09.2014 को एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए। एएनवीसी और एएनवीसी/बी दिनांक 15.12.2014 को विघटित हो गए।

नागालैंड

2.65 नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) वर्ष 1988 में इसाक सी स्वू और टी. मुइवा के नेतृत्व वाले एनएससीएन (आईएम) और एक म्यांमारी नागा एस.एस. खापलांग के नेतृत्व वाले एनएससीएन (के) समूहों में विभाजित हो गई। भारत सरकार ने वर्ष 1997 में एनएससीएन के इसाक–मुइवा समूह के साथ एक औपचारिक संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसे वर्ष 2007 से अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया। भारत

सरकार और एनएससीएन (आईएम) ने दिनांक 03.08.2015 को एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान में एनएससीएन के विभिन्न गुट यथा, एनएससीएन (एनके), एनएससीएन (आर), एनएससीएन (के–खांगो) और एनएससीएन (के) निकि समूह भारत सरकार के साथ संघर्ष विराम के अधीन हैं। वर्तमान में युंग औंग और अंगमाई के नेतृत्व वाले एनएससीएन(के) के गुट, जो मुख्यतः म्यांमार में हैं, सक्रिय हैं।

2.66 वर्ष 2023 में, राज्य में विद्रोह संबंधी 35 घटनाएं हुईं, जिनमें 01 नागरिक की मृत्यु हुई। विद्रोह की घटनाओं में किसी भी सुरक्षा बल कार्मिक की मृत्यु नहीं हुई। इसके अलावा, 01 विद्रोही मारा गया, 161 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 68 हथियार बरामद किए गए।

अरुणाचल प्रदेश

2.67 अरुणाचल प्रदेश राज्य में कोई स्वदेशी विद्रोही समूह सक्रिय नहीं है। यह राज्य तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में एनएससीएन और उल्फा (इंडीपेंडेंट) गुटों की छिट–पुट (स्पिल ओवर) विद्रोही गतिविधियों से प्रभावित है।

2.68 वर्ष 2023 में, राज्य में विद्रोह की 13 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 02 आम नागरिकों और 01 सुरक्षा बल कार्मिक की मृत्यु हुई। विद्रोह–रोधी अभियानों में 02 विद्रोही मारे गए, 25 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया और 18 हथियार बरामद किए गए। इसके अलावा, विद्रोही समूहों के 42 कैडरों ने 26 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया।

मणिपुर

2.69 मणिपुर राज्य मैतेई, नागा, कुकी, जोमी, हमार विद्रोही समूहों की गतिविधियों से प्रभावित है।

2.70 दिनांक 29.11.2023 को भारत सरकार, मणिपुर सरकार और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के बीच सहमत ग्राउण्ड रूल्स पर एक महत्वपूर्ण शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो राजनीतिक संवाद के माध्यम से मणिपुर में शांति कायम करने में एक महत्वपूर्ण अवसर था। इस ऐतिहासिक समझौते में मणिपुर में सबसे पुराने घाटी–आधारित सशस्त्र समूह यूएनएलएफ ने हिंसा को त्यागने और भारत के संविधान और विधि सम्मत शासन को अपनाने की प्रतिबद्धता दिखाई। यह पहली बार था कि घाटी–आधारित मणिपुरी सशस्त्र समूह मुख्यधारा में लौटने के लिए सहमत हुआ।

2.71 मणिपुर राज्य में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच व्याप्त जातीय संघर्ष के कारण वर्ष 2023 में मणिपुर राज्य में हिंसक घटनाओं में वृद्धि देखी गई और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2022 की तुलना में आम नागरिकों और सुरक्षा बल कार्मिकों के हताहत होने की संख्या में वृद्धि हुई। वर्ष 2023 में पूर्वोत्तर में कुल हिंसक घटनाओं में से लगभग 77% घटनाएं मणिपुर राज्य में हुई (मणिपुरः 187, संपूर्ण पूर्वोत्तरः 243)। विद्रोह रोधी अभियानों के परिणामस्वरूप 33 विद्रोही मारे गए और 184 विद्रोहियों को 49 हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, विद्रोही समूहों के 80 कैडरों ने 31 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया।

मणिपुर में जातीय संघर्ष

(i) दिनांक 03.05.2023 को मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा भड़क उठी। हिंसा के परिणामस्वरूप कई लोग हताहत हुए, घायल हुए और आगजनी की घटनाएं हुईं। यद्यपि हिंसा का मुद्दा मुख्य रूप से लोक व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित है, जो कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है, तथापि राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार केंद्र सरकार लगातार अपनी सहायता दे रही है। केंद्र

सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए तत्काल और निरंतर अनेक कार्रवाई कीं। मणिपुर राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श करके, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की अतिरिक्त कंपनियों और सेना/असम राइफल्स की टुकड़ियों को तैनात करके, हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात करके तथा एकीकृत कमांड प्रणाली को लागू करके तत्काल कार्रवाई शुरू की गई। छात्रों और निवासियों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने और प्रभावित छात्रों के लिए वैकल्पिक कक्षाएं संचालित करने के प्रयास किए गए।

(ii) माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 29.05.2023 से 01.06.2023 के दौरान हिंसा प्रभावित क्षेत्रों और पुनर्वास केंद्रों का दौरा किया तथा स्थिति की समीक्षा करने के बाद राज्य में शांति और सुरक्षा बहाल करने के लिए कई फैसलों की घोषणा की। इस अवधि के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री ने सरकारी अधिकारियों, सुरक्षा बलों के अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं और सिविल सोसायटी संगठनों के 100 से अधिक सदस्यों के साथ 15 से अधिक बैठकें कीं। इसके अलावा, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशानुसार, माननीय राज्य मंत्री (गृह), श्री नित्यानंद राय ने 25 मई से 17 जून, 2023 तक मणिपुर में रहकर इस संबंध में कार्यवाही की निगरानी की।

(iii) भारत सरकार ने, अन्य बातों के साथ–साथ, हिंसा के कारणों और फैलने की जांच करने के लिए दिनांक 04.06.2023 को उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया। इस जांच के माध्यम से, हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के अलावा, इस तरह की बड़े पैमाने पर हिंसा का कारण बनने वाली घटनाओं के अनुक्रम और इससे जुड़े सभी तथ्यों को सामने लाया जाएगा।

(iv) मणिपुर में जातीय संघर्ष के कारण मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को निम्नलिखित विशेष सहायता प्रदान की हैः–

क्र. सं.	**मणिपुर सरकार का प्रस्ताव/स्कीमें**	**स्वीकृत राशि**	**मणिपुर को जारी की गई राशि (दिनांक 31.03.2024 तक)**
1	मणिपुर में हिंसा के कारण विस्थापित लोगों के लिए राहत शिविरों के संचालन हेतु विशेष सहायता	एसएफसी द्वारा दिनांक 02.06.2023 को 101.75 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए	83.58 करोड़ रुपये
2	"राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए पूरक पोषण और व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता स्कीम" के कार्यान्वयन के लिए विशेष पैकेज	व्यय विभाग के दिनांक 19.10.2023 के नोट के माध्यम से 89.22 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए	44.60 करोड़ रुपये
3	मणिपुर में मौजूदा कानून और व्यवस्था के संकट से प्रभावित पीड़ितों/व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास के पांच घटकों के संचालन के लिए विशेष पैकेज	एसएफसी द्वारा दिनांक 27.07.2023 को 209.45 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए	119.08 करोड़ रुपये
	कुल		**247.26 करोड़ रुपये**

(v) शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आवश्यक एवं ठोस प्रयास जारी हैं।

सिक्किम और मिजोरम

2.72 सिक्किम और मिजोरम राज्य विद्रोह से मुक्त हैं।

वीटीवी अनुभाग

2.73 **आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) हिंसा और सीमा पार से फायरिंग तथा भारतीय भू–भाग पर बारूदी सुरंग/आईईडी के धमाकों के सिविलियन पीड़ितों/पीड़ितों के परिवार के लिए केंद्रीय सहायता स्कीम (सीएसएसीवी)**

1. गृह मंत्रालय "आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) हिंसा और सीमा पार से फायरिंग तथा भारतीय भू–भाग पर बारूदी सुरंग/आईईडी के धमाकों के सिविलियन पीड़ितों/पीड़ितों के परिवारों के लिए केंद्रीय सहायता स्कीम (सीएसएसीवी)" नामक एक केंद्रीय स्कीम संचालित कर रहा है, जिसका उद्देश्य प्रभावित सिविलियन पीड़ितों/पीड़ितों के परिवारों को तुरंत मदद के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम दिनांक 01.04.2008 से प्रभाव में है।

2. इस स्कीम के तहत, दिनांक 24.08.2016 से पूर्व घटित घटनाओं हेतु 03 लाख रुपये तथा दिनांक 24.08.2016 को अथवा उसके पश्चात घटित घटनाओं हेतु 05 लाख रुपये की वित्तीय सहायता पीड़ित सिविलियन व्यक्तियों/पीड़ित सिविलियन व्यक्तियों के आश्रित को प्रदान की जाती है। इसमें से 50% बचत खाते में और 50% तीन साल की लॉक–इन अवधि के साथ सावधि जमा खाते में जमा की जाती है। लॉक–इन–पीरियड की शर्त को तीन परिस्थितियों में हटाया जा सकता है – (क) उच्च अध्ययन (ख) प्रथम गृह संपत्ति का निर्माण और (ग) महंगा मेडिकल उपचार। इसके लिए पहले जिला प्राधिकारी भुगतान करते हैं और तत्पश्चात गृह मंत्रालय द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. सीएसएसीवी स्कीम को सरल तथा लाभार्थी अनुकूल बनाने के लिए, दिनांक 01.08.2022 से सीएसएसीवी पोर्टल शुरू किया गया है। राज्य सरकारें इस पोर्टल पर गृह मंत्रालय को प्रतिपूर्ति के लिए अपने प्रस्ताव भेज सकती हैं। एक सक्रिय उपाय के रूप में, अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस) पोर्टल को सीएसएसीवी पोर्टल में एकीकृत किया गया है ताकि इस योजना के दायरे में आने वाली घटनाओं की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध हो। सीएसएसीवी पोर्टल पर उपलब्ध डेटा को राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान (एनएफसीएच) के साथ भी साझा किया जाता है ताकि "एएसएसआईएसटी" परियोजना के कार्यान्वयन को सुगम बनाया जा सके, जिसके तहत पात्र बच्चों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

4. दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान, सीएसएसीवी स्कीम के तहत 13.381 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

2.74 **हथियारों और गोला–बारूद का विनियमन**

i. हथियारों और/अथवा गोला–बारूद के विनिर्माण और/अथवा प्रूफ–टेस्ट के लिए दिनांक 01.03.2023 से 31.03.2024 तक 21 लाइसेंस जारी किए गए हैं।

ii. शस्त्र अनुभाग ने व्यक्तिगत श्रेणी के आग्नेयास्त्र रखने के लिए प्रतिबंधित श्रेणी हेतु दिनांक 01.03.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान 69 लाइसेंस जारी किए हैं।

iii. शस्त्र अनुभाग वर्तमान में 41 (दिनांक 31.03.2024 तक) अदालती मामलों को देख रहा है, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय में 05 एसएलपी शामिल हैं। उपरोक्त सभी मामलों में जवाबी हलफनामे दाखिल किए जा चुके हैं।

iv. शस्त्र अनुभाग एनडीएएल–एएलआईएस पोर्टल का रखरखाव करता है। यह पोर्टल शस्त्र और गोला–बारूद के लाइसेंस से संबंधित 29 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है। शस्त्र और गोला–बारूद के विनिर्माण लाइसेंस प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया अब एक ऑनलाइन कागज–रहित प्रक्रिया है। व्यक्तिगत शस्त्र और गोला–बारूद लाइसेंस प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने/स्वीकार करने की प्रक्रिया परीक्षण चरण में है।

v. शस्त्र अनुभाग ने आयुध (संशोधन) अधिनियम , 2019 के माध्यम से अवैंध हथियारों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े नियम बनाए हैं, इसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं:

(क) पुलिस या सशस्त्र बलों से आग्नेयास्त्र छीनने, संगठित अपराध सिंडिकेट में शामिल होने, विदेशी आग्नेयास्त्रों या प्रतिबंधित हथियारों और प्रतिबंधित गोला–बारूद की तस्करी सहित अवैध तस्करी, मानव जीवन को खतरे में डालते हुए आग्नेयास्त्रों का उतावलेपन और लापरवाही से इस्तेमाल करने अथवा जश्न मनाने हेतु गोलीबारी करने जैसे नए अपराधों को शामिल करना तथा उनके लिए दंड निर्धारित करना।

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा रखे जा सकने वाले हथियारों की संख्या की सीमा तीन से घटाकर दो हथियार (किसी भी कैलिबर या बोर) कर दी गई है।

(ग) आग्नेयास्त्र के लाइसेंस के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) अनिवार्य कर दी गई है।

2.75 सिख जत्थों द्वारा पाकिस्तान की यात्रा

भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1974 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय प्रोटोकॉल के तहत, इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023–24 के दौरान बैसाखी (अप्रैल, 2023), महाराजा रणजीत सिंह जी की बरसी (जून, 2023) और श्री गुरु नानक देव जी की जयंती (नवंबर, 2023) के अवसर पर 4,117 तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान में गुरुद्वारों की यात्रा करने की सुविधा प्रदान की गई।

*****

अध्याय – 3

सीमा प्रबंधन

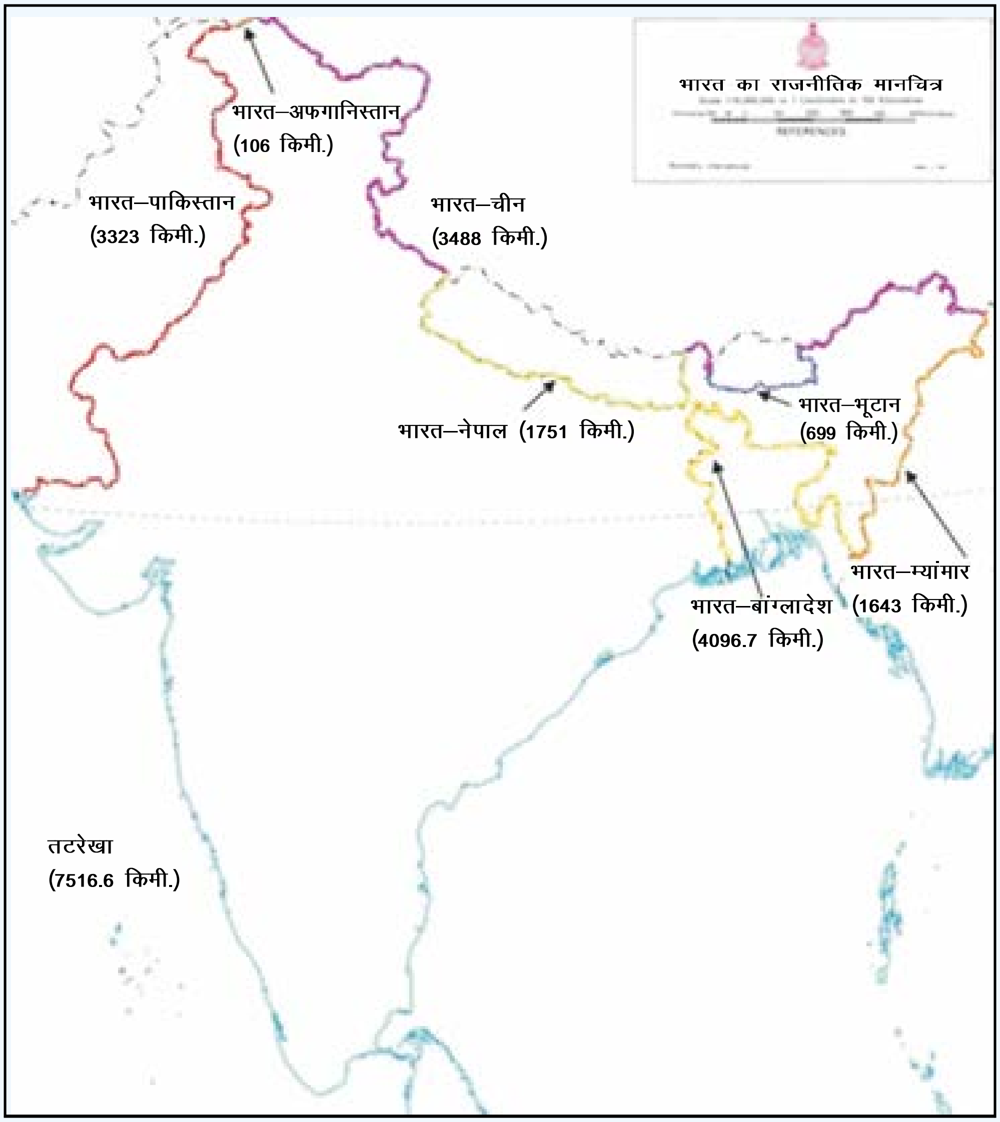

अंतर्राष्ट्रीय भू– सीमा

(स्रोतः भारतीय सर्वेक्षण)

पृष्ठभूमि

3.1 भारत की भू–सीमा 15,106.7 किमी. और द्वीप क्षेत्रों सहित समुद्र तटीय सीमा 7,516.6 किमी. है।

पड़ोसी देशों के साथ हमारी भू–सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार हैः–

सीमा का नाम	**सीमा की लंबाई (किमी. में)**
भारत-बांग्लादेश सीमा	4,096.7
भारत-चीन सीमा	3,488.0
भारत-पाकिस्तान सीमा	3,323.0
भारत-नेपाल सीमा	1,751.0
भारत-म्यांमार सीमा	1,643.0
भारत-भूटान सीमा	699.0
भारत-अफगानिस्तान सीमा	106.0
भू-सीमाओ की कुल लंबाई	**15,106.7**

3.2 जनवरी, 2004 में गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग को अंतर्राष्ट्रीय भू–सीमा और तटीय सीमाओं के प्रबंधन, सीमावर्ती पुलिस व्यवस्था और चौकसी को सुदृढ़ करने, सीमाओं पर सड़क बनाने, बाड़ लगाने, तेज रोशनी की व्यवस्था करने तथा सीमा चौकियों (बीओपी)/कंपनी ऑपरेटिंग बेस (सीओबी) जैसी अवसंरचना के सृजन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का कार्यान्वयन करने के लिए बनाया गया था।

सीमा प्रबंधन का उद्देश्य

3.3 देश–विरोधी तत्वों से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना और ऐसी प्रणालियों की व्यवस्था करना जो विधिसम्मत व्यापार और वाणिज्य को सुचारू बनाते हुए ऐसे तत्वों को रोकने में सक्षम हों, सीमा प्रबंधन के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं। सीमाओं का उचित प्रबंधन जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिसके अंतर्गत सीमाओं की सुरक्षा करने तथा इसके सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिए देश की प्रशासनिक, राजनयिक, सुरक्षा, आसूचना, कानूनी, विनियामक एव आर्थिक एजेंसियों द्वारा समन्वय और ठोस कार्रवाई किया जाना शामिल है।

3.4 देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने की रणनीति के एक भाग के रूप में जैसे कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना का सृजन करने जैसे कई पहल, सीमा प्रबंधन विभाग द्वारा की गई हैं। इनमें भारत–पाकिस्तान, भारत–बांग्लादेश, भारत–चीन, भारत–नेपाल, भारत–भूटान और भारत–म्यांमार सीमाओं पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना, सीमा चौकियों (बीओपी)/कंपनी ऑपरेटिंग बेस (सीओबी) तथा सड़कों का निर्माण करना, देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के विभिन्न स्थानों पर एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) का विकास करना और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उपाय करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सीमा प्रबंधन के व्यापक दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में विभाग द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में कई विकास कार्य शुरू किए गए हैं।

3.5 सीमाओं पर बलों की तैनाती "एक सीमा, एक सीमा–रक्षक बल (ओबीओबीजीएफ)" के सिद्धांत पर आधारित है।

तदनुसार, प्रत्येक सीमा की जिम्मेदारी निम्नानुसार एक विशेष सीमा रक्षक बल (बीजीएफ) को सौंपी गई है:–

सीमा का नाम	सीमा-रक्षक बल का नाम
भारत-बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान सीमा	सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)
भारत-चीन सीमा	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी)
भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा	सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)
भारत-म्यांमार सीमा	असम राइफल्स

3.6 इसके अतिरिक्त, भारतीय सेना, बी.एस.एफ. के साथ पाकिस्तान सीमा पर नियंत्रण रेखा (एलओसी) तथा आईटीबीपी के साथ चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से लगी भू–सीमाओं की रक्षा करती है। भारतीय नौ सेना समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है, जिसमें तटीय और अपतटीय सुरक्षा शामिल है। "भारतीय तट रक्षक" को तटीय पुलिस द्वारा गश्त लगाए जाने वाले क्षेत्रों सहित भारत के सीमांतर्गत जलक्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेवार प्राधिकरण के रूप में अतिरिक्त रूप से नामित किया गया है।

3.7 सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) द्वारा दिनांक 19.01.2022 को लिए गए निर्णय के तहत "सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (बीआईएम)" की अंब्रेला योजना को 13,020 करोड़ रुपये की लागत से दिनांक 31.03.2026 तक अथवा आगे इसकी समीक्षा किए जाने तक जारी रखने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। बीआईएम योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें वे परियोजनाएं शामिल की गई हैं, जिनका उद्देश्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बुनियादी ढांचे का विकास करना है।

3.8 सीमा प्रबंधन संबंधी दृष्टिकोण और पद्धतियां एक सीमा से दूसरी सीमा के लिए अलग–अलग हैं, जो सुरक्षा अनुमानों तथा पड़ोसी देशों के साथ संबंध पर आधारित हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का प्रबंधन

भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी)

3.9 भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पश्चिम बंगाल (2216.7 किमी.), असम (263 किमी.), मेघालय (443 किमी.), त्रिपुरा (856 किमी.) और मिजोरम (318 किमी.) के साथ भारत की तरफ लगती है। संपूर्ण सीमा क्षेत्र में मैदानी, नदी तटीय, पर्वतीय और जंगल के क्षेत्र शामिल हैं। इस सीमा क्षेत्र की जनसंख्या काफी सघन है और सीमा तक खेती की जाती है।

सीमा चौकियां

3.10 सीमाओं पर सीमा चौकियां (बीओपी) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का मुख्य कार्य स्थल हैं। ये सभी सुविधाओं से युक्त विशेष दायित्व वाली रक्षा चौकियां हैं, जो समस्त भू–सीमाओं पर अविच्छिन्न रूप से स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, सीमा चौकियों का उद्देश्य सीमा पार अपराधियों, घुसपैठियों और शत्रुतापूर्ण तत्वों को घुसपैठ/अतिक्रमण और सीमा उल्लंघन की गतिविधियों में लिप्त होने से रोकने के लिए उचित बल प्रदर्शित करना है। प्रत्येक सीमा चौकी को आवास की सुविधा, संभार तंत्र संबंधी सहायता तथा युद्ध संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराई जाती है। वर्तमान में, भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 1,113 सीमा चौकियां (बीओपी) हैं।

3.11 भारत सरकार ने भारत–पाकिस्तान और भारत–बांग्लादेश सीमाओं पर 509 कम्पोजिट बीओपी के निर्माण हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। इन 509 कम्पोजिट बीओपी में से, 383 कम्पोजिट बीओपी का निर्माण भारत–बांग्लादेश सीमा पर किया जाना है।

बाड़ लगाना

3.12 भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पार से होने

वाली घुसपैठ, तस्करी और अन्य राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, सरकार ने इस सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य शुरू किया है।

3.13 भारत–बांग्लादेश सीमा पर पहाड़ियों, नदियों और घाटियों जैसे कठिन भूभाग है, तथापि बीएसएफ सीमा पार अवैध गतिविधियों और बांग्लादेश से भारत में अवैध प्रवासन को रोकने के लिए चौबीसों घंटे अपना कर्तव्य निभा रही है, जो प्रमुख चुनौतियां हैं। सीमा पार से राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों सहित अवैध प्रवासन और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत सरकार ने चरणबद्ध रूप से सीमा पर तेज रोशनी (फ्लडलाइट्स) के साथ बाड़ का निर्माण करने की मंजूरी प्रदान की थी। भारत–बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 4096.7 किमी. है, जिसमें से 3196.705 किमी. सीमा भौतिक बाड़ से कवर की गई है। गैर–भौतिक अवरोध प्रौद्योगिकीय समाधान के रूप में होंगे। पुरानी डिजाइन की बाड़ को नई डिजाइन की बाड़ से बदला जा रहा है। नदी तटीय/निचले क्षेत्र होने, सीमा के पास बसावट होने, भूमि अधिग्रहण के मामले लंबित होने और सीमावर्ती आबादी द्वारा विरोध के कारण इस सीमा के कुछ हिस्सों में बाड़ का निर्माण करने में कुछ समस्याएं आती रही हैं, जिससे परियोजना का कार्य धीमा हो गया है।

सड़कें

3.14 सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर संचार और ऑपरेशनल आवाजाही के लिए, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण किया गया है। अब तक, 4223.04 किमी. की स्वीकृत लंबाई में से 3785.30 किमी. सीमावर्ती सड़कों का निर्माण किया गया है।

तेज रोशनी (फ्लडलाइट) की व्यवस्था

3.15 भारत सरकार ने भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पर पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में तेज रोशनी (फ्लडलाइट) की व्यवस्था संबंधी कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। सीमा पर कुल 3077.549 किमी. की लंबाई में तेज रोशनी की व्यवस्था करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 2729.236 किमी. में यह कार्य पूरा हो गया है।

भारत–पाकिस्तान सीमा (आईपीबी)

3.16 भारत की पाकिस्तान के साथ 3323 किमी. भू–सीमा है। यह सीमा गुजरात, राजस्थान और पंजाब राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के साथ लगी हुई है। भारत–पाकिस्तान सीमा पर विविध भूभाग और विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं मौजूद हैं। इस सीमा को आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के प्रयास किए जाने वाले तथा शस्त्र, गोलाबारुद और निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी करने का प्रयास किए जाने वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

सीमा चौकियां (बीओपी)

3.17 भारत–पाकिस्तान सीमा पर 736 बीओपी के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 687 बीओपी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

तेज रोशनी (फ्लडलाइट) की व्यवस्था

3.18 घुसपैठ तथा सीमा–पार अपराधों के प्रयासों को रोकने के लिए, भारत सरकार ने 2107.40 किमी. क्षेत्र में तेज रोशनी (फ्लडलाइट) की व्यवस्था करने की मंजूरी प्रदान की है, जिसमें से 2078.80 किमी. क्षेत्र में यह कार्य पूरा हो गया है।

बाड़

3.19 सीमा पार से घुसपैठ, तस्करी और अन्य राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, सरकार ने 2097.646 किमी. में बाड़ लगाने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से 2068.406 किमी. में बाड़ लगाने संबंधी कार्य पूरा हो गया है।

भारत–पाकिस्तान सीमा (आईपीबी) और भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) के साथ व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली

3.20 व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली

(सीआईबीएमएस) की अवधारणा के अनुसार, जनशक्ति, सेंसर, नेटवर्क, आसूचना और कमान नियंत्रण के समाधान का एकीकरण किया जाना शामिल है, ताकि पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों के बीच स्थितिजन्य जानकारी प्रदान करने में सुधार हो सके और सम्मुख आने वाली परिस्थितियों के अनुरूप शीघ्र एवं त्वरित कार्रवाई की जा सके। भारत–पाकिस्तान एवं भारत–बांग्लादेश सीमाओं की सुभेद्यता, भू–भाग की स्थिति, अपराध के पैटर्न तथा क्षेत्र की विशेषताओं के आधार पर, सीमाओं को प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से कवर करने के लिए विभिन्न हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है।

3.21 भारत–पाकिस्तान सीमा (आईपीबी) के साथ जम्मू में प्रत्येक 5 किमी. की लम्बाई वाली दो पॉयलट परियोजनाएं तथा भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) के साथ धुबरी, असम में 61 किमी. की लम्बाई वाली एक परियोजना लागू की गई हैं।

भारत–म्यांमार सीमा (आईएमबी)

3.22 भारत, म्यांमार के साथ 1,643 किमी. लम्बी सीमा साझा करता है, जो अरुणाचल प्रदेश (520 किमी.), नागालैंड (215 किमी.), मणिपुर (398 किमी.) और मिजोरम (510 किमी.) से गुजरती है। कुल 1,643 किमी. सीमा में से 1,472 किमी. सीमा का सीमांकन कार्य पूर्ण हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में 1–1 किमी. की हाईब्रिड निगरानी प्रणाली की दो पायलट परियोजनाओं का निर्माण कार्य असम राइफल्स को सौंपा गया है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3.23 मोरेह, मणिपुर में 9.214 किमी. लम्बी सीमा पर बाड़ के निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को सौंपा गया था, जिसे पूरा किया जा चुका है और बाड़ के साथ सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

3.24 फरवरी, 2024 में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को, 20.862 किमी. बाड़ और सड़क के निर्माण का कार्य सौंपा गया था, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

भारत–चीन सीमा (आईसीबी)

3.25 भारत–चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार ने लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्यों में, सीमा संबंधी विभिन्न बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं शुरू की हैं जिसमें सीमा सड़कों, पैदल मार्ग, हेलीपैड और अनुकूलन केंद्रों के निर्माण तथा सीमा चौकियों (बीओपी) की स्थापना आदि शामिल है।

भारत–नेपाल सीमा

3.26 भारत और नेपाल 1,751 किमी. की सीमा साझा करते हैं, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों से गुजरती है। इस सीमा पर आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा अवैध एवं राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों के लिए खुली सीमा के दुरुपयोग को रोकना मुख्य चुनौतियाँ है।

3.27 भारत सरकार ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में भारत–नेपाल सीमा पर 1,299.80 किमी. सड़क के निर्माण/उन्नयन का अनुमोदन प्रदान किया है। भारत नेपाल सीमा पर 539 सीमा चौकियों (बीओपी) की स्थापना की गई है।

भारत–भूटान सीमा

3.28 भारत और भूटान 699 किमी. की सीमा साझा करते हैं, जो असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों से गुजरती है। इस सीमा पर आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा अवैध एवं राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों के लिए खुली सीमा के दुरूपयोग को रोकना मुख्य चुनौतियाँ है। भारत–भूटान सीमा पर 195 सीमा चौकियों (बीओपी) की स्थापना की गई है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)

3.29 सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से सटे हुए 16 राज्यों और 2 संघ राज्य

क्षेत्रों (यूटी) के 117 सीमावर्ती जिलों के 460 सीमावर्ती ब्लॉकों में सीमा प्रबंधन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण के भाग के रूप में एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस), सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है।

3.30 बीएडीपी का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप रह रहे लोगों की विकास संबंधी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना और उन्हें खुशहाल बनाना तथा केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/बीएडीपी/स्थानीय स्कीमों के संयोजन तथा सहभागिता के दृष्टिकोण के माध्यम से आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराना है।

3.31 बीएडीपी की वित्तपोषण पद्धति 08 पूर्वोत्तर राज्यों (अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा), 02 हिमालयी राज्यों (अर्थात् हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) तथा 01 संघ राज्य क्षेत्र अर्थात जम्मू एवं कश्मीर के लिए 90:10 (केंद्र का हिस्सा: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा) के अनुपात में है। 06 अन्य राज्यों (अर्थात् बिहार, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) के लिए 60:40 (केंद्र का हिस्सा: राज्य का हिस्सा) के अनुपात में है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधान मंडल वाला संघ राज्य क्षेत्र) के मामले में केंद्र का हिस्सा 100% है।

3.32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर पहली बस्ती से 0–10 किमी. की दूरी (क्रो–फ्लाई/हवाई दूरी) के भीतर स्थित जनगणना वाले सभी गांवों/कस्बों, अर्ध–शहरी और शहरी क्षेत्रों में सड़कों तथा पुलों के निर्माण, पेय जल की आपूर्ति, स्वास्थ्य, कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों तथा कुछ सामाजिक अवसंरचनाओं के सृजन के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

ब्लॉक–बाघमारा, जिला – साउथ गारो हिल्स (मेघालय) में रोम्पा नदी के ऊपर गिटिंगरे में, सस्पेंशन फुट ब्रिज का निर्माण। निर्माण कार्य पूरा होने का वर्ष: 2023–24

(स्रोत– मेघालय सरकार)

बीएडीपी के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों के आवंटन के लिए मानदंड

3.33 बीएडीपी के दिशानिर्देश, 2020 और अक्टूबर, 2021 में जारी किए गए संशोधन के अनुसार, कुल वार्षिक आवंटन के 10% तक की धनराशि प्रशासनिक व्यय और आरक्षित निधि के लिए निर्धारित है।

3.34 इसके अतिरिक्त, कुल आवंटित निधि की 10% राशि भारत–चीन सीमा से सटे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और उत्तराखंड) को भारत–चीन सीमा से सटे सीमावर्ती जिलों में कार्य/परियोजनाएं शुरू करने के लिए अतिरिक्त रूप से आवंटित की जाती है।

3.35 शेष 80% निधियों को 40:60 के अनुपात में बांटा जाता है और 40% निधियां आठ पूर्वोत्तर राज्यों को आवंटित की जाती हैं तथा 60% निधियां शेष आठ सीमावर्ती राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मानदंडों के अनुसार आवंटित की जाती हैं।

3.36 इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आवंटन तीन मापदंडों पर भी आधारित है, अर्थात (i) अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई (33% वेटेज), (ii) सीमावर्ती क्षेत्र, जिनमें 0–10 किमी. के भीतर स्थित जनगणना वाले गांव, अर्ध–शहरी और शहरी क्षेत्र शामिल हैं (33% वेटेज) और (iii) अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) के 0–10 किमी. के भीतर स्थित जनगणना वाले गांवों, अर्ध–शहरी और शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या (33% वेटेज)।

चुशुल, ब्लॉक– चुशुल, जिला– दुरबुक (संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख) में मुख्य पुल से बुक चुशुल लेह तक लिंक रोड का निर्माण। निर्माण कार्य पूरा होने का वर्ष – 2023–24

(स्रोत– संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख प्रशासन)

गांव–टुथेज, ब्लॉक–पुंगरो, जिला–किफिरे (नागालैंड) में जुंगकी नदी पर बेली ब्रिज का निर्माण। निर्माण कार्य पूरा होने का वर्ष – 2023–24

(स्रोत– नागालैंड सरकार)

बीएडीपी के अंतर्गत निधि का प्रवाह

3.37 पिछले सात वित्तीय वर्षों (वर्ष 2017–18 से 2023–24) के दौरान बीएडीपी के अंतर्गत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष (2017–18 से 2023–24) के दौरान बीएडीपी के अंतर्गत निधियों के प्रवाह को दर्शाने वाला ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	2017-18 (केन्द्रीय हिस्सा)	2018-19 (केन्द्रीय हिस्सा)	2019-20 (केन्द्रीय हिस्सा)	2020-21 (केन्द्रीय हिस्सा)	2021-22 (केन्द्रीय हिस्सा)	2022-23 (केन्द्रीय हिस्सा)	2023-24 (केन्द्रीय हिस्सा)
1	अरुणाचल प्रदेश	154.14	80.87	42.15	24.50	30.92	9.11	13.537
2	असम	56.00	49.50	63.30	0.00	6.26	5.08	0.00
3	बिहार	46.00	32.20	51.09	0.00	6.26	0.00	0.00
4	गुजरात	31.72	56.23	14.00	0.00	6.26	0.00	0.00
5	हिमाचल प्रदेश	35.00	25.95	27.49	0.00	2.79	18.59	0.00
6	जम्मू और कश्मीर	198.89	84.00	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00
7	लद्दाख			0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
8	मणिपुर	27.56	20.34	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
9	मेघालय	36.56	22.69	45.36	0.00	5.85	7.42	0.028
10	मिजोरम	46.00	32.20	55.93	12.29	0.00	12.56	1.494

11	नागालैंड	40.04	33.96	24.85	5.07	16.10	0.00	1.377
12	पंजाब	28.00	33.08	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
13	राजस्थान	116.00	81.20	38.53	0.00	19.39	0.00	0.00
14	सिक्किम	28.01	27.50	53.01	14.97	32.43	59.16	12.183
15	त्रिपुरा	65.07	49.70	44.64	0.00	6.04	2.05	2.891
16	उत्तर प्रदेश	38.00	26.60	51.41	0.00	6.26	0.00	0.00
17	उत्तराखंड	31.00	29.20	43.60	7.14	30.25	0.00	0.00
18	पश्चिम बंगाल	122.00	85.40	115.21	0.00	31.21	0.00	0.00
	कुल योग	**1100.00**	**770.62**	**824.59**	**63.97**	**216.00**	**129.97**	**31.51**

हरलाखी, ब्लॉक– हरलाखी, जिला– मधुबनी (बिहार) में इनडोर स्टेडियम/ऑडिटोरियम का निर्माण।

(स्रोत– बिहार सरकार)

ब्लॉक–कालीचर, जिला – दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स (मेघालय) में सस्पेंशन ब्रिज के निकट सीसी जीपेबल रोड का निर्माण।

(स्रोत– मेघालय सरकार)

सत्यमेव जयते

भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई)

3.38 सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) की स्थापना की सिफारिश की थी, जिसका उद्देश्य सीमा चौकियों पर बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना, सभी नियामक एजेंसियों को एक परिसर में रखना तथा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यात्रियों एवं माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना था। आखिरकार वर्ष 2012 में, एलपीएआई की औपचारिक स्थापना संसद के एक अधिनियम (31.08.2010) के तहत की गई।

3.39 एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) का विकास

1. आईसीपी द्वारा प्रदान की गई ढांचागत सुविधाएं निम्नानुसार हैं:

(क) व्यापार सुविधाएं:

(i) वेयरहाउस/रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज स्पेस

(ii) ड्यूटी फ्री शॉप, विदेशी मुद्रा सेवाएँ, कैफेटेरिया, पार्किंग आदि।

(iii) कार्गो कॉम्प्लेक्स

(iv) चालक विश्राम क्षेत्र

(v) इलेक्ट्रॉनिक तुला

(vi) निरीक्षण शेड

(vii) सीसीटीवी

(viii) जब्त किए गए सामान के लिए शेड

(ix) सीमा–शुल्क

(ख) यात्री सुविधाएं:

(i) बस सेवा

(ii) प्रतीक्षा सलि

(iii) एटीएम

(iv) स्वास्थ्य जांच

(v) ट्रॉली, व्हीलचेयर, गोल्फ कार्टस

(vi) वॉशरूम

(vii) पार्किंग और टैक्सी

(viii) कैफेटिरिया

(xi) बाल देखभाल कक्ष

(x) आप्रवासन

2. उद्घाटन/ संचालन की गई आईसीपी –12:

क्र.सं.	स्थान	राज्य	अंतर्राष्ट्रीय सीमा	उद्घाटन/ संचालन की तारीख
1	अटारी	पंजाब	भारत-पाकिस्तान	13.04.2012
2	अगरतला	त्रिपुरा	भारत-बांग्लादेश	17.11.2013
3	पेट्रापोल	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	12.02.2016
4	रक्सौल	बिहार	भारत-नेपाल	03.06.2016
5	जोगबनी	बिहार	भारत-नेपाल	15.11.2016
6	मोरेह	मणिपुर	भारत-म्यांमार	15.03.2018
7	श्रीमंतपुर	त्रिपुरा	भारत-बांग्लादेश	05.09.2020
8	पीटीबी डेरा बाबा नानक	पंजाब	भारत-पाकिस्तान	09.11.2019
9	सुतारकंडी	असम	भारत-बांग्लादेश	07.09.2019
10	दवकी	मेघालय	भारत-बांग्लादेश	04.05.2023
11	रुपैडिहा	उत्तर प्रदेश	भारत-नेपाल	01.06.2023
12	सबरूम	असम	भारत-बांग्लादेश	09.03.2024

3. **अतिरिक्त आईसीपी का विकास:** सीमा पर सुरक्षा में और अधिक सुधार करने तथा साथ ही पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और

संबंधों में सुधार करने हेतु एकीकृत जांच चौकियों के विकास के लिए निम्नलिखित 11 स्थानों की पहचान की गई है:

क्र. सं.	आईसीपी	राज्य	सीमा	स्थिति
1	सुनौली	उत्तर प्रदेश	नेपाल	विकसित की जा रही है
2	बनबासा	उत्तराखंड	नेपाल	विकसित की जा रही है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है
3	भीठामोड़	बिहार	नेपाल	विकसित की जा रही है
4	कवरपुइछुआ	मिजोरम	बांग्लादेश	विकसित की जा रही है
5	फुलबाड़ी	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश	भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। नवंबर, 2023 में पश्चिम बंगाल सरकार ने इन स्थानों पर आईसीपी के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है।
6	पानीटंकी	पश्चिम बंगाल	नेपाल	
7	जयगांव	पश्चिम बंगाल	भूटान	
8	महादीपुर	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश	
9	घोजाडंगा	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश	
10	हिली	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश	
11	चंग्रबंधा	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश	

4. अतिरिक्त कार्य / उन्नयनः

(i) आईसीपी सुतारकंडीः यह आईसीपी दिनांक 07.09.2019 से बॉर्डर ट्रेड सेंटर (बीटीसी–I और II) के साथ कार्यात्मक है। दिसंबर 2018 में सीसीएस द्वारा लैंड पोर्ट सुतारकंडी के विकास को मंजूरी दी गई। मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा चुका है। बाउंड्री वॉल तथा मिट्टी भरने का काम प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा, पीटीबी, कार्गो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, वेयरहाउस तथा अन्य विविध कार्यों के विकास के लिए निविदा के माध्यम से ठेकेदार का चयन प्रक्रियाधीन है।

मास्टर प्लान – आईसीपी सुतारकंडी

गृह मंत्रालय

सत्यमेव जयते

प्रस्तावित पीटीबी– आईसीपी सुतारकंडी

(ii) यात्री टर्मिनल भवन (पीटीबी), पेट्रापोल: पीटीबी पेट्रापोल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पीटीबी का कुल 70% कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना कार्य के पूरा होने की संभावित तिथि अगस्त 2024 है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 09.05.2023 को पेट्रापोल में पुलिस स्टेशन तथा छात्रावास भवन का उद्घाटन किया गया।

(iii) आईसीपी में रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट (आरडीई) की संस्थापना: 08 आईसीपी पर आरडीई की संस्थापना का कार्य प्रगति पर है।

(iv) नई एकीकृत चेक पोस्टों का उद्घाटन / संचालन :

क) माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय द्वारा मेघालय राज्य में, भारत–बांग्लादेश सीमा पर आईसीपी दावकी का दिनांक 04.05.2023 को उद्घाटन के साथ संचालन किया गया।

ख) भारत के माननीय प्रधानमंत्री और नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में आईसीपी रुपैडिहा का उद्घाटन / संचालन दिनांक 01.06.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। साथ ही, इसी दिन दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा सुनौली (भारत)–भैरहवा (नेपाल) में आईसीपी सुनौली का भूमिपूजन समारोह भी संपन्न किया गया।

ग) भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा त्रिपुरा राज्य में आईसीपी सबरूम का दिनांक 09.03.2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया ।

(v) सीमा रक्षक बल (बीजीएफ) आवास: दिनांक 16.09.2023 को, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा भारत–नेपाल सीमा पर बिहार राज्य में एकीकृत चेक पोस्ट जोगबनी में सीमा रक्षक बल (बीजीएफ) आवास का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा अन्य पाँच एकीकृत चेक पोस्टों पर बीजीएफ आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

सत्यमेव जयते

तटीय सुरक्षा

भारत की तटरेखा

3.40 भारत की तटरेखा 7516.6 किमी. (11,000 किमी से अधिक समीक्षाधीन) है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिन्द महासागर और पश्चिम में अरब महासागर सहित मुख्यभूमि और द्वीपों से घिरी है। तट पर नौ राज्य अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तथा चार संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) अर्थात् दमण एवं दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह स्थित हैं। समुद्र तट की लंबाई में संशोधन का कारण तटरेखा को मापने के लिए एनएमएससी द्वारा स्थापित भारत के समुद्री पैरामीटर की गणना के लिए नए विचारार्थ विषयों का प्रयोग किया जाना है।

क्र.सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	एनएचओ एवं एसओआई (1970) आंकड़े	तटरेखा की पुनः सत्यापित लंबाई
1	गुजरात	1214.70	2340.62
2	महाराष्ट्र	652.60	877.97
3	गोवा	101.00	193.95

4	कर्नाटक	280.00	343.3
5	केरल	569.70	600.15
6	तमिलनाडु	906.90	1068.69
7	आंध्र प्रदेश	973.70	1053.07
8	ओडिशा	476.40	574.71
9	पश्चिम बंगाल	157.50	721.02
10	दमण और दीव	42.50	54.38
11	पुदुचेरी, कराईकल, यनम एवं माहे	47.60	42.65
12	लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपसमूह	132.00	144.80
13	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1962.00	3083.50
कुल (किमी)		**7516.60**	**11098.81**

समुद्री एवं तटीय सुरक्षा ढांचा

3.41 भारतीय नौसेना को समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है, जिसमें तटीय और अपतटीय सुरक्षा शामिल है। भारतीय नौसेना की सहायता भारतीय तटरक्षक (आईसीजी), तटीय पुलिस और अन्य केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। आईसीजी को भी तटीय पुलिस द्वारा गश्त लगाए जाने वाले क्षेत्रों सहित सीमान्तर्गत जलक्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण के रूप में अतिरिक्त रूप से नामित किया गया है। आईसीजी के महानिदेशक को कमांडर तटीय कमांड के रूप में पदनामित किया गया है और वे तटीय सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय के लिए उत्तरदायी हैं।

तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस)

3.42 सीमा प्रबंधन विभाग तटीय क्षेत्रों, विशेष रुप से तट के निकटवर्ती सतही जल–क्षेत्र में गश्त लगाने और निगरानी करने के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पुलिस बल की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस) को चरणों में कार्यान्वित कर रहा है।

3.43 तटीय सुरक्षा योजना (चरण–I) 6 वर्षों की अवधि में 646 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2005–06 से कार्यान्वित की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को 73 तटीय पुलिस स्टेशन (सीपीएस), 97 जांच चौकियां, 58 आउटपोस्ट, 30 बैरक, 204 इन्टरसेप्टर नौकाएं, 153 जीपें, 312 मोटर साइकिलें और 10 रिजिड इनफ्लेटेबल नौकाएं (आरआईबी) उपलब्ध कराई गई थीं।

3.44 तटीय सुरक्षा योजना (चरण–II) दिनांक 26.11.2008 को मुम्बई में हुई घटनाओं के पश्चात तेजी से बदलते हुए तटीय सुरक्षा परिदृश्य एवं उसके बाद तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किए गए संवेदनशीलता/कमी संबंधी विश्लेषण के संदर्भ में तैयार की गई है, जिसमें तटीय सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) द्वारा कुल 1579.91 करोड़ रुपये के परिव्यय से अनुमोदित की गई तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस) (चरण–II) दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान कार्यान्वित की गई है। चरण–II के अन्तर्गत, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को

131 सीपीएस, 60 जेटी तथा 10 समुद्री परिचालन केन्द्रों के निर्माण और 131 चार पहिया वाले वाहनों तथा 242 मोटर साइकिलों की खरीद के लिए निधियां उपलब्ध कराई गई हैं।

3.45 तटीय सुरक्षा योजना चरण–।। के तहत, सभी स्वीकृत 131 तटीय पुलिस स्टेशन (सीपीएस) कार्यशील कर दिए गए हैं, 37 जेटी का निर्माण किया गया है, 06 समुद्री परिचालन केन्द्रों को कार्यात्मक बनाया गया है, 131 चार पहिया वाहन और 242 मोटर साइकिलें खरीदी गई हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तटीय पुलिस स्टेशन (सीपीएस)					जेटी		चार पहिया वाले वाहन		दो पहिया वाले वाहन		समुद्री परिचालन केंद्र		
	स्वीकृत	कार्यशील	निर्मित	निर्माण जारी	निर्माण किया जाना है	स्वीकृत	निर्मित/स्तरोन्नत की गई	स्वीकृत	खरीदे गए	स्वीकृत	खरीदे गए	स्वीकृत	कार्यशील	निर्मित
गुजरात	12	12	11	0	1	5	1	12	12	24	24	0	0	0
महाराष्ट्र	7	7	5	0	2	3	14*	7	7	14	14	0	0	0
गोवा	4	4	1	1	2	2	2	4	4	8	8	0	0	0
कर्नाटक	4	4	4	0	0	2	2	4	4	8	8	0	0	0
केरल	10	10	10	0	0	4	2	10	10	20	20	0	0	0
तमिलनाडु	30	30	30	0	0	12	7	30	30	60	60	0	0	0
आंध्र प्रदेश	15	15	15	0	0	7	0	15	15	30	30	0	0	0
ओडिशा	13	13	12	1	0	5	4	13	13	26	26	0	0	0
पश्चिम बंगाल	8	8	7	0	1	4	0	8	8	16	16	0	0	0
दमण एवं दीव	2	2	2	0	0	2	2	2	2	4	4	0	0	0
पुदुचेरी	3	3	2	0	1	2	2	3	3	6	6	0	0	0
लक्षद्वीप	3	3	1	0	2	2	1	3	3	6	6	0	0	0
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	20	20	20	0	0	10	0	20	20	20	20	10	10	06
कुल	**131**	**131**	**120**	**2**	**9**	**60**	**37***	**131**	**131**	**242**	**242**	**10**	**10**	**06**

(*) – महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नई जेटी का निर्माण करने के बजाय इंजन कक्षों तथा नौकाओं के कार्मिकों के लिए परिचालन कक्षों का निर्माण करके महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड (एमएमबी) की 14 जेटी का स्तरोन्नयन किया है।

तटीय सुरक्षा संबंधी अन्य पहल

सामुदायिक सम्पर्क कार्यक्रम (सीआईपी)

3.47 भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) समुद्र में सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में जागरुकता लाने हेतु मछुआरों के लिए सामुदायिक सम्पर्क कार्यक्रम (सीआईपी) आयोजित करता रहा है। सामुदायिक विचार–विमर्श कार्यक्रम (सीआईपी) मछुआरा समुदाय को विद्यमान सुरक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने और सूचना के संग्रहण हेतु उन्हें "आंख एवं कान" के रुप में विकसित करने के लिए भी आयोजित किए जाते हैं।

मछुआरा बायोमेट्रिक पहचान पत्र

3.48 केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय,मत्स्य पालन विभाग द्वारा मछुआरों को मछुआरा बायोमेट्रिक पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 22.08.2019 को हुई पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया था कि समुद्र (सीमान्तर्गत जल क्षेत्र, विशेष आर्थिक जोन और खुले समुद्र) में जाने वाले सभी समुद्री मछुआरों को दिनांक 13.03.2019 को अथवा उसके पश्चात मुद्रित किये गये क्यूआर समर्थित स्पष्ट फोटोयुक्त आधार कार्ड साथ में रखना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय के अनुरोध पर, मत्स्य पालन विभाग ने सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं कि समुद्र में जाने वाले सभी मछुआरे समुद्री सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन करने के लिए क्यूआर समर्थित आधार कार्ड के साथ मूल बायोमेट्रिक पहचान पत्र अपने साथ लेकर जाएं। अब तक लगभग 18.69 लाख बायोमेट्रिक पहचान पत्र और 13 लाख क्यूआर कोड वाले आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

जलयानों/नौकाओं हेतु ट्रैकिंग डिवाइस

3.49 मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली ''समुद्र से होने वाले खतरे के प्रति राष्ट्रीय समुद्री और तटीय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण समिति (एनसीएसएमसीएस)'' ने दिनांक 04.09.2009 को हुई अपनी पहली बैठक के दौरान एक समिति के गठन का निर्णय लिया था, जो 20 मीटर से कम लम्बाई वाली छोटी नौकाओं के पंजीकरण और उन पर ट्रांसपोंडर लगाने के मुद्दे पर विचार–विमर्श करेगी। विभिन्न मंचों पर सभी स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श के बाद, समस्त तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सभी यांत्रिक (मैकेनाइज्ड) जलयानों में इसरो द्वारा विकसित ट्रैकिंग डिवाइस लगाने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है। इसे पीएमएमएसवाई के तहत मत्स्य पालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। मोटर–युक्त/गैर–मोटर युक्त मत्स्यन नौकाओं में फिट करने के लिए ये ट्रैकिंग डिवाइस श्रम–दक्षता की दृष्टि से उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए होने चाहिए। 'राष्ट्रीय रोल आउट योजना' के तहत स्वीकृत ट्रांसपोंडरों की संस्थापना सक्रिय रूप से कार्यान्वित की जा रही है तथा इसकी प्रगति की निगरानी मत्स्य पालन विभाग द्वारा शीर्ष स्तर पर नियमित रूप से की जा रही है। मछुआरों की अधिक से अधिक स्वीकारोक्ति प्राप्त करने के लिए, अन्य उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाएँ जैसे कि मछली पकड़ने वाले संभावित क्षेत्रों पर डेटा, जियो फेंसिंग, मौसम की जानकारी एवं सलाह, ध्वनि अलर्ट आदि को भी ट्रांसपोंडर में शामिल करने की योजना है, जैसा कि मत्स्य पालन विभाग द्वारा सूचित किया गया है।

गैर–प्रमुख /लघु बंदरगाहों की सुरक्षा

3.50 तटीय राज्यों/ केंद्र शासित राज्यों में 239 गैर–प्रमुख बंदरगाह हैं। सभी स्टेकहोल्डरों को गैर–प्रमुख बंदरगाहों की सुरक्षा के संबंध में दिनांक 11.03.2016 को 'दिशानिर्देशों का सार संग्रह' जारी किया गया था। इसमें विभिन्न सुरक्षा संबंधी चिंताओं का निराकरण करने के लिए लघु बंदरगाहों पर आवश्यक समझी गई आधारभूत सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों से केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने संबंधित गैर–प्रमुख /लघु बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस) के अनुरूप बनाने का अनुरोध भी किया है। गैर–प्रमुख बंदरगाहों के लिए संशोधित सुरक्षा दिशानिर्देश दिनांक 15.03.2023 को संबंधित हितधारकों को प्रख्यापित कर दिए गए हैं।

सिंगल प्वाइंट मूरिंग की सुरक्षा

3.51 सिंगल प्वाइंट मूरिंग (एसपीएम) तट से दूर

स्थित एक लोडिंग स्थान है, जो गैस अथवा तरल उत्पादों को चढ़ाने या उतारने वाले टैंकरों के लिए मूरिंग प्वाइंट और अन्तर–संपर्क के रूप में कार्य करता है। तट से विभिन्न दूरियों पर 26 एसपीएम कार्यशील हैं। एसपीएम की सुरक्षा के लिए, गृह मंत्रालय ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित की है, जिसे सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को अनुपालन के लिए परिचालित किया गया है।

तटीय मानचित्रण

3.52 तटीय डिजिटल मानचित्रण, तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तटीय मानचित्रण सूचना को मानचित्र में रखने की एक प्रक्रिया है, जिसमें तटीय पुलिस स्टेशनों, स्थानीय पुलिस स्टेशनों, आसूचना ढांचे, मछली उतारने के स्थानों, मछली पकड़ने वाले गांवों, बंदरगाहों, सीमा–शुल्क जांच चौकियों, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बम निष्क्रियकरण सुविधाओं आदि का महत्वपूर्ण ब्यौरा और लोकेशन शामिल है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दमण एवं दीव, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने तटीय मानचित्रण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। देश की संपूर्ण तटरेखा के तटीय मानचित्रण की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का निर्णय लिया गया है। भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो–इन्फोर्मेटिक्स (बीआईएसएजी–एन), गांधीनगर, गुजरात को तटीय मानचित्रण के डिजिटाइजेशन को पूरा करने का कार्य सौंपा गया है।परियोजना पूर्ण होने के अंतिम चरण मे है।

अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुए सभी अपराधों से निपटने के लिए तटीय पुलिस स्टेशनों को अधिसूचित किया जाना

3.53 गृह मंत्रालय ने दिनांक 13.06.2016 की अधिसूचना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र अर्थात सीमान्तर्गत जलक्षेत्र के आगे और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (ईईजेड) तक के क्षेत्र में हुए अपराधों से निपटने के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में 10 तटीय पुलिस स्टेशनों नामतः नवीबंदर तटीय पुलिस स्टेशन, जिला पोरबंदर (गुजरात), येलो गेट पुलिस स्टेशन, मुम्बई (महाराष्ट्र तथा दमण एवं दीव), हार्बर तटीय सुरक्षा पुलिस स्टेशन, हार्बर, मोर्मुगांव, जिला साउथ गोवा (गोवा), मंगलौर तटीय सुरक्षा पुलिस स्टेशन, जिला दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक), फोर्ट कोच्चि तटीय पुलिस स्टेशन, कोच्चि (केरल और लक्षद्वीप), बी5 हार्बर पुलिस स्टेशन, चेन्नई (तमिलनाडु और पुदुचेरी), गिलाकलाडिंडी, मछलीपट्टनम, जिला कृष्णा (आंध्र प्रदेश), पारादीप मरीन पुलिस स्टेशन, जिला जगतसिंहपुर (ओडिशा), नयाचार तटीय पुलिस स्टेशन, जिला पूर्व मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल) और सेन्ट्रल क्राइम स्टेशन, पोर्ट ब्लेयर (अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) को अधिसूचित किया है।

नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग (एनएसीपी)

3.54 भारत सरकार ने देवभूमि द्वारका, गुजरात में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग (एनएसीपी) की स्थापना करने का अनुमोदन प्रदान किया है। अंतरिम व्यवस्था के रूप में, एकेडमी ने एक अस्थायी कैम्पस से दिनांक 29.10.2018 से कार्य करना शुरू कर दिया है। अभी तक, तटीय पुलिस/सीमा शुल्क कर्मियों के 13 बैचों ने मरीन पुलिस फाउंडेशन कोर्स पूरा कर लिया है तथा 1059 कोस्टल पुलिस कार्मिकों ने अपना प्रशिक्षण पूरा लिया है। गृह मंत्रालय में प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड ने दिनांक 27.07.2022 को हुई अपनी बैठक के दौरान गांवः मोजप, जिलाः देवभूमि द्वारका, गुजरात में जनवरी, 2023 से दिसंबर, 2027 तक पांच वर्षों की अवधि में 441.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग (एनएसीपी) की स्थापना की मंजूरी प्रदान की।

आज की स्थिति के अनुसार, एनएसीपी में निर्माण कार्य की प्रगति इस प्रकार है:

क्र.सं.	कार्य/भवन का नाम	नवीनतम प्रगति	टिप्पणियाँ
(क)	अर्थ फिलिंग	90 एकड़ क्षेत्र में 1 मीटर तक मिट्टी भराई का कार्य किया जा चुका है।	100% कार्य पूरा हो चुका है।
(ख)	चाहरदीवारी	अब तक 2.25 किलोमीटर की चाहरदीवारी का निर्माण हो चुका है और कार्य प्रगति पर है।	कुल कार्य का लगभग 70% कार्य पूरा हो गया है।
(ग)	120 पुरुष बैरक	नींव कार्य पूरा हो चुका है और कार्य प्रगति पर है।	कुल कार्य का लगभग 35% कार्य पूरा हो गया।
(घ)	टाइप IV/V क्वाटर	संरचना पूरी हो चुकी है तथा फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है।	95% कार्य पूरा हो चुका है।
(ड़)	टाइप III क्वाटर	ब्लॉक का नींव कार्य पूरा हो गया है और कार्य प्रगति पर है।	कुल कार्य का लगभग 35% कार्य पूरा हो गया।
(च)	टाइप II क्वाटर	3 ब्लॉकों का नींव कार्य पूरा हो चुका है और तीसरे ब्लॉक का नींव कार्य चल रहा है। सभी 3 ब्लॉकों में कार्य प्रगति पर है।	कुल कार्य का लगभग 35% कार्य पूरा हो गया।

संयुक्त तटीय गश्त (जेसीपी)

3.55 वर्ष 2019–2024 की अवधि के लिए गृह मंत्रालय के विजन दस्तावेज़ में कहा गया है कि तटीय जल क्षेत्र और तटरेखा को प्रभावी ढंग से सुरक्षित करने के लिए दिनांक 31.12.2020 तक "नए तटीय गश्ती एसओपी/पैटर्न/प्रोटोकॉल" लागू होंगे। तदनुसार, कोविड–19 की वजह से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, स्थानीय तटीय पुलिस कर्मियों और आईसीजी इकाइयों के बीच उन्नत समन्वय और तालमेल के जरिए भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) और तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संबंधित तटीय पुलिस द्वारा संयुक्त तटीय गश्त (जेसीपी) दिनांक 31.12.2020 की समय सीमा से काफी पहले दिनांक 15.08.2020 से ही शुरू हो गई है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	क्लासरूम प्रशिक्षण	भाग लेने वाले कार्मिक	समुद्री फेरे (सी सार्टीज)	जहाज पर चढ़ने वाले कार्मिक
15.08.2020 से 31.12.2023 तक	1584	5216	2368	6072

3.56 वाइब्रेन्ट विलेज कार्यक्रम

- वाइब्रेन्ट विलेज कार्यक्रम (वीवीपी) की परिकल्पना वाइब्रेन्सी बढ़ाने, पलायन को रोकने तथा लोगों को वहीं निवास करने हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 15.02.2023 को उत्तरी सीमा से सटे राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के 19 सीमावर्ती जिलों के 46 ब्लाकों के चयनित गांवों के व्यापक विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वाईब्रेंट विलेजिज प्रोग्राम (वीवीपी) का अनुमोदन किया गया।
- माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री द्वारा दिनांक दिनांक 10.04.2023 को अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले के किबिथू गांव में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

इसके शुरू होने के बाद से ही कई गतिविधियाँ शुरू की गई, जिसमें राज्य/जिला अधिकारियों की क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन शामिल है ताकि गाँव के लिए कार्य योजनाएं बनाने में सहायता मिल सके। इसके उपरांत, संबंधित स्टेकहोल्डर मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कई बैठकें और चर्चाएं की गई।

इसके अलावा, चयनित गांवों में वाइब्रेन्सी लाने के लिए, अब तक 17 केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों ने इन गांवों में केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति को समझने तथा ग्रामीणों से उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं संबंधित प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए इनमें से कुछ गांवों का दौरा किया है और वहाँ रात्रि प्रवास किया है।

उत्तरी सिक्किम के लाचेन में केंद्रीय वित्त मंत्री

- इस वर्ष वाइब्रेंट विलेजिस में मेले, त्यौहार, स्थानीय सांस्कृतिक विरासत का प्रचार–प्रसार, जागरूकता शिविर, खेलकूद प्रतियोगिताएं, स्वास्थ्य जांच शिविर, पशु चिकित्सा शिविर आदि सहित लगभग 6000 गतिविधियां आयोजित की गई हैं।

Promotion of local culture heritage, cuisine

स्थानीय संस्कृति विरासत, व्यंजनों को बढ़ावा देना

- केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 45 वरिष्ठ अधिकारियों ने इन वाइब्रेन्ट विलेजिस का दौरा किया है।
- चूंकि इस कार्यक्रम में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव/ग्राम कार्य योजनाएं (वीवीएपी)/ग्राम अभिसरण योजनाएं, साझेदार मंत्रालयों के साथ सहयोग तथा परामर्श और जारी की जाने वाली स्वीकृतियां शामिल हैं, इसलिए इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक डिजिटल वर्कफ़्लो का सृजन किया गया।
- गृह मंत्रालय ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के तहत 114 करोड़ रुपये (लगभग) के वित्तीय परिव्यय के साथ 203 कार्य/परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें गांव अवसंरचना के लिए बहुउद्देश्यीय सामुदायिक हॉल, पर्यटन को बढ़ावा देने वाली बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क किनारे सुविधाएं, पर्यटक सूचना केंद्र, दृश्य बिंदु, पर्यटन पारगमन शिविर, आदि तथा जल संचयन और संरक्षण संरचनाएं जैसे ब्रश वुड चेक डैम, आदि शामिल हैं।
- इसके अलावा, अभिसरण के तहत, विद्युत, स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 501.47 करोड़ रुपये (लगभग) के वित्तीय परिव्यय के साथ 803 कार्य/परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है, इसलिए वीवीपी के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में 2420.97 करोड़ रुपये की 113 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

*****

अध्याय – 4
देश में अपराध का परिदृश्य

4.1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के वार्षिक आंकड़े, "क्राइम इन इंडिया" में प्रकाशन के लिए 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। यह ब्यूरो पुलिस द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक मामलों से संबंधित आंकड़ों को वार्षिक आधार पर एकत्रित, मिलान, संकलित और प्रकाशित करता है। ये आंकड़े, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की पुलिस द्वारा पुलिस स्टेशन/जिला स्तर पर दर्ज किए जाते हैं। ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार अपराध के आंकड़ों की गणना के लिए "प्रिंसिपल ऑफेंस रूल" का अनुसरण करता है। इस प्रकार, एक एफआईआर मामले में दर्ज किए गए अनेक अपराधों में से केवल सबसे जघन्य अपराध (जिसमें कठोरतम दंड मिले) को ही गणना की एक इकाई के रूप में लिया जाता है।

क. अपराध की प्रवृत्ति का विश्लेषण

क) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा विशेष एवं स्थानीय कानूनों (एसएलएल) से संबंधित अपराध

अपराध	अपराध की घटना			अपराध दर		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
आईपीसी	42,54,356	36,63,360	35,61,379	314.3	268.0	258.1
एसएलएल	23,46,929	24,32,950	22,63,567	173.4	178.0	164.1
कुल	66,01,285	60,96,310	58,24,946	487.8	445.9	422.2

(स्रोत: एनसीआरबी)

4.2 वर्ष 2022 में कुल 58,24,946 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए थे, जिनमें 35,61,379 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) अपराध और 22,63,567 विशेष एवं स्थानीय कानून (एसएलएल) अपराध शामिल हैं। ये आंकड़े वर्ष 2021 की तुलना में 4.5% की कमी को दर्शाते हैं। वर्ष 2022 के दौरान, आईपीसी अपराधों में वर्ष 2021 की तुलना में 2.8% की कमी और एसएलएल अपराधों में 7.0%की कमी हुई है। वर्ष 2022 के दौरान, कुल संज्ञेय अपराधों में आईपीसी अपराधों का प्रतिशत हिस्सा 61.1% था, जबकि एसएलएल मामलों का प्रतिशत हिस्सा 38.9% था।

ख) मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

4.3 मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के कुल 11,58,815 मामले दर्ज हुए थे, जो वर्ष 2022 के दौरान कुल आईपीसी अपराधों का 32.5% है। इनमें से, अधिकतर मामलों के कारण चोट लगना (11,58,815 मामलों में से 6,27,676 मामले) रहा अर्थात 54.2% तथा इसके बाद लापरवाही से मौत होना (11,58,815 मामलों में से 1,59,096 मामले) और महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए हमले के मामलों (11,58,815 मामलों में से 83,344 मामले) का होना रहा है, जिनका प्रतिशत क्रमशः 13.7% और 7.2% रहा।

ग) लोक शांति के विरुद्ध अपराध

4.4 वर्ष 2022 के दौरान, आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत लोक शांति के विरुद्ध अपराधों के कुल 57,082 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से दंगों के मामलों का प्रतिशत ऐसे कुल मामलों का 66.2% रहा।

घ) हिंसक अपराध

अपराध शीर्ष	अपराध की घटना			अपराध दर*		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
हत्या	29,193	29,272	28,522	2.2	2.1	2.1
अपहरण एवं व्यपहरण	84,805	1,01,707	1,07,588	6.3	7.4	7.8
कुल हिंसक अपराध	4,00,006	4,13,497	4,34,108	29.6	30.2	31.5

* अपराध दर: अपराध दर की गणना प्रति एक लाख जनसंख्या पर अपराध की घटनाओं के आधार पर की जाती है।

(स्रोत: एनसीआरबी)

ङ) हिंसक अपराध – हत्या

4.5 वर्ष 2022 के दौरान, हत्या के कुल 28,522 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें वर्ष 2021 (29,272 मामलों) की तुलना में 2.6% की कमी देखी गई है। हत्या के सबसे अधिक मामलों का मकसद "विवाद" (9,962 मामले) था और तत्पश्चात "व्यक्तिगत प्रतिशोध या दुश्मनी" (3,761 मामले) और "लाभ अर्जन" (1,884 मामले) था।

च) हिंसक अपराध – अपहरण और व्यपहरण

4.6 वर्ष 2022 के दौरान, अपहरण और व्यपहरण के कुल 1,07,588 मामले दर्ज किए गए थे। कुल 1,10,140 (21,278 पुरुष, 88,861 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर) व्यक्तियों का अपहरण या व्यपहरण किया गया। वर्ष 2022 के दौरान, 49,941 पीड़ितों को अपहृत की श्रेणी के तहत रिपोर्ट किया गया था। इसके अलावा, कुल 1,17,083 अपहृत या व्यपहृत व्यक्तियों (21,199 पुरुष, 95,883 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर) को बरामद किया गया, जिनमें से 1,16,109 व्यक्ति जीवित और 974 व्यक्ति मृत पाए गए।

छ) पुलिस और न्यायालय द्वारा आईपीसी मामलों का निपटान

क्र. सं.	आईपीसी के तहत अपराध शीर्ष	जांच के लिए कुल मामले	चार्ज-शीटिंग दर	विचारण हेतु कुल मामले	दोषसिद्ध हुए कुल मामले	दोषसिद्धि की दर
1	हत्या	49,220	81.5	2,63,960	6,904	43.8
2	बलात्कार	44,785	77.9	1,98,285	5,067	27.4
3	अपहरण और व्यपहरण	1,81,240	36.4	3,24,480	5,167	33.9
4	दंगे	67,739	86.6	5,63,696	5,939	24.9
5	चोट (मामूली और गंभीर चोट)	8,58,817	89.9	36,51,991	79,644	35.9
6.	**कुल आईपीसी अपराध**	**56,59,787**	**71.3**	**1,70,52,367**	**8,14,669**	**54.2**

(स्रोत: एनसीआरबी)

4.7 देश में कुल 56,59,787 मामले (20,41,140 पुराने + 35,61,379 नए + 57,268 पुनः खोले गए) जांच के लिए रिपोर्ट किए गए थे। वर्ष 2022 के दौरान, 71.3% की चार्ज–शीटिंग दर के साथ 26,11,526 मामलों में आरोप पत्र सौंपे गए थे। वर्ष के अंत तक, पुलिस द्वारा कुल 36,60,786 मामलों का निपटान किया गया और 15,84,913 मामले जांच के लिए लंबित थे। देश में वर्ष के दौरान, कुल 1,70,52,367 मामले (1,44,40,841 पुराने और 26,11,526 नए) विचारण (ट्रायल) के लिए रिपोर्ट किए गए थे। वर्ष 2022 के दौरान, 15,03,410 मामलों में विचारण (ट्रायल) पूरा कर लिया गया था और 8,14,669 मामलों में दोषसिद्धि हुई, जिनमें दोषसिद्धि की दर 54.2% थी और शेष मामलों में दोषमुक्त किया गया अथवा बरी किया गया।

ज) पुलिस और न्यायालय द्वारा एसएलएल मामलों का निपटान

क्र.सं.	एसएलएल के तहत अपराध शीर्ष	जांच के लिए कुल मामले	चार्ज-शीटिंग दर	विचारण (ट्रायल) हेतु कुल मामले	दोषसिद्ध कुल मामले	दोषसिद्धि की दर
1.	आबकारी अधिनियम	4,04,555	99.2	13,14,502	2,02,311	85.3
2.	स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम -1985	1,58,267	98.3	4,04,461	35,879	82.2
3.	आयुध अधिनियम	96,432	98.5	5,42,535	20,408	65.5
4.	**कुल एसएलएल अपराध**	**30,86,200**	**92.9**	**1,09,63,213**	**11,49,634**	**77.3**

(स्रोत: एनसीआरबी)

4.8 जांच के लिए कुल 30,86,200 मामले (8,06,783 पुराने + 22,63,567 नए + 15,850 पुनः खोले गए) रिपोर्ट किए गए थे। वर्ष 2022 के दौरान, 92.9% की चार्ज–शीटिंग दर के साथ 20,60,603 मामलों में आरोप–पत्र सौंपे गए थे। पुलिस द्वारा 22,18,318 मामलों का निपटान किया गया और वर्ष के अंत तक 7,89,611 मामले जांच के लिए लंबित थे। देश में वर्ष के दौरान, विचारण हेतु कुल 1,09,63,213 मामले (89,02,610 पुराने + 20,60,603 नए) रिपोर्ट किए गए थे। वर्ष 2022 के दौरान, 14,87,832 मामलों में विचारण (ट्रायल) पूरा हो गया था और 77.3% की दोषसिद्धि दर के साथ 11,49,634 मामलों में दोषसिद्धि हुई तथा शेष मामलों में दोषमुक्त किया गया अथवा बरी किया गया।

झ) गिरफ्तारी, दोषसिद्धि और दोषमुक्ति

4.9 वर्ष 2022 के दौरान, आईपीसी अपराधों के तहत कुल 32,28,322 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। कुल 43,67,588 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किए गए, 10,55,181 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और 11,33,981 व्यक्तियों को दोषमुक्त किया गया अथवा उन्हें बरी किया गया। वर्ष 2022 के दौरान, एसएलएल अपराधों के तहत कुल 21,61,911 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। कुल 27,04,985 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किए गए, 14,16,858 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और 4,26,976 व्यक्तियों को दोषमुक्त किया गया अथवा उन्हें बरी किया गया।

ख. समाज के कमजोर वर्ग

क) महिलाओं के प्रति अपराध

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020-2021	2021-2022
3,71,503	4,28,278	4,45,256	56.5	64.5	66.4	15.3	4.0

(स्रोत: एनसीआरबी)

निम्नलिखित शीर्षों के तहत अपराध की ज्यादा घटनाएं रिपोर्ट की गईं:

अपराध शीर्ष	रिपोर्ट किए गए कुल मामले
पति अथवा उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	1,40,019
महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से उन पर हमला करना	83,344
अपहरण एवं व्यपहरण	85,310
बलात्कार	31,516

(स्रोत: एनसीआरबी)

4.10 महिलाएँ भी कई सामान्य अपराधों जैसे कि हत्या, डकैती, धोखाधड़ी आदि की शिकार होती हैं। विशेष रूप से केवल महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को ही "महिलाओं के विरुद्ध अपराध" के रूप में जाना जाता है। तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2022 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग में वर्ष 2021 की तुलना में 4.0% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के फलस्वरूप हो सकती है, जैसे कि पुलिस द्वारा अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करना, गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को एडवाइजरी जारी करके पुलिस को संवेदनशील बनाया जाना और जनता के बीच जागरूकता बढ़ाया जाना आदि। वर्ष 2022 के दौरान रिपोर्ट किए गए कुल आईपीसी अपराधों में महिलाओं के खिलाफ किए गए आईपीसी अपराधों का अनुपात 10.3 है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर वर्ष 2022 में प्रति एक लाख महिला जनसंख्या पर 66.4 थी।

4.11 महिलाओं के प्रति अपराध में सबसे अधिक मामले "पति अथवा उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता" (31.4%) के तहत रिपोर्ट किए गए थे, इसके बाद "महिलाओं का अपहरण एवं व्यपहरण" (19.2%), "महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से उन पर हमला करने" (18.7%), और "बलात्कार" (7.1%) के तहत रिपोर्ट किए गए।

ख) बच्चों के प्रति अपराध

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020-2021	2021-2022
1,28,531	1,49,404	1,62,449	28.9	33.6	36.6	16.2%	8.7%

(स्रोत:एनसीआरबी)

निम्नलिखित शीर्षों के तहत अपराध की ज्यादा घटनाएं रिपोर्ट की गईं:

अपराध शीर्ष	रिपोर्ट किए गए कुल मामले
अपहरण एवं व्यपहरण	74,284
पॉक्सो अधिनियम, 2012	63,414

(स्रोत:एनसीआरबी)

4.12 तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2022 के दौरान, देश में बच्चों के प्रति अपराध के कुल 1,62,449 मामले दर्ज किए गए थे। प्रतिशत के संदर्भ में, वर्ष 2022 के दौरान "बच्चों के प्रति अपराध" के तहत प्रमुख अपराध शीर्ष "अपहरण एवं व्यपहरण" (45.7%) तथा बच्चों के बलात्कार सहित "यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012" (39.7%) के रूप में थे। वर्ष 2022 के दौरान, बच्चों के प्रति अपराध की दर प्रति एक लाख बच्चों पर 36.6 देखी गई।

ग) कानून के विरुद्ध चलने वाले किशोर

अपराध की घटना			प्रतिशत भिन्नता	
2020	2021	2022	2020-2021	2021-2022
29,768	31,170	30,555	4.7%	-2.0%

(स्रोत:एनसीआरबी)

निम्नलिखित शीर्षों के तहत अपराध की ज्यादा घटनाएं रिपोर्ट की गईं:

अपराध शीर्ष	रिपोर्ट किए गए कुल मामले
चोरी	6,495
चोट पहुँचाना	6,023
सेंधमारी	2,030
हत्या करने का प्रयास	1,292

(स्रोत:एनसीआरबी)

4.13 वर्ष 2022 के दौरान, 30,555 मामलों में कुल 37,780 किशोरों को पकड़ा गया, जिनमें से 33,261 किशोर आईपीसी के मामलों के तहत पकड़े गए और 4,519 किशोरों को एसएलएल के मामलों में गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2022 के दौरान, कानून के विरुद्ध चलने वाले अधिकांश किशोर, जिन्हें आईपीसी और एसएलएल अपराधों के तहत गिरफ्तार किया गया था, 16–18 वर्ष (78.6%) (37,780 में से 29,690) के बीच के आयु वर्ग के थे।

घ) अनुसूचित जातियों (एससी) के प्रति अपराध/अत्याचार

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020-2021	2021-2022
50,291	50,900	57,582	25.0	25.3	28.6	1.2%	13.1%

(स्रोत: एनसीआरबी)

4.14 अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध की दर अनुसूचित जाति की प्रति एक लाख जनसंख्या पर 28.6 देखी गई थी।

ङ) अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रति अपराध/अत्याचार

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020-2021	2021-2022
8,272	8,802	10,064	7.9	8.4	9.6	6.4%	14.3%

(स्रोत: एनसीआरबी)

4.15 ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2022 के दौरान, देश में अनुसूचित जनजातियों के प्रति कुल 10,064 मामले/अत्याचार रिपोर्ट किए गए। अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध की दर अनुसूचित जनजाति की प्रति एक लाख जनसंख्या पर 9.6 देखी गई।

च) वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020-2021	2021-2022
24,794	26,110	28,545	23.9	25.1	27.5	5.3%	9.3%

(स्रोत: एनसीआरबी)

निम्नलिखित शीर्षों के तहत अपराध की ज्यादा घटनाएं रिपोर्ट की गईं:

अपराध शीर्ष	रिपोर्ट किए गए कुल मामले
मामूली चोट	7,805
चोरी	3,944
जालसाजी, ठगी एवं धोखाधड़ी	3,201

(स्रोत: एनसीआरबी)

4.16 वर्ष 2022 के दौरान, देश में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराधों के कुल 28,545 मामले रिपोर्ट किए गए थे। वर्ष 2022 के दौरान, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति किए गए प्रमुख अपराधों में मामूली चोट, चोरी और जालसाजी, ठगी एवं धोखाधड़ी शामिल थे।

ग. आर्थिक अपराध

अपराध की घटना			प्रतिशत भिन्नता	
2020	2021	2022	2020-2021	2021-2022
1,45,754	1,74,013	1,93,385	19.4%	11.1%

(स्रोत:एनसीआरबी)

4.17 वर्ष 2022 के दौरान, आर्थिक अपराधों की तीन निर्दिष्ट श्रेणी अर्थात आपराधिक विश्वास भंग, नकल और जालसाजी, ठगी एवं धोखाधड़ी में से जालसाजी और ठगी एवं धोखाधड़ी श्रेणी में अधिकतम 1,70,901 मामले रिपोर्ट किए गए, जिसके बाद आपराधिक विश्वास भंग (21,814 मामले) और नकल (670 मामले) के अंतर्गत मामले रिपोर्ट हुए थे।

घ. साइबर अपराध

अपराध की घटना			प्रतिशत भिन्नता	
2020	2021	2022	2020-2021	2021-2022
50,035	52,974	65,893	5.9%	24.4%

(स्रोत:एनसीआरबी)

4.18 वर्ष 2022 के दौरान, साइबर संबंधी अपराध के 36.3% मामले कंप्यूटर से संबंधित अपराधों (65,893 मामलों में से 23,894) के अंतर्गत दर्ज किए गए, उसके बाद 26.5% मामले (17,470) धोखाधड़ी और 10.5% मामले (6,896) इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लीलता/ कामुकता दर्शाने वाले कृत्य के प्रकाशन/प्रसारण से संबंधित थे।

ङ. संपत्ति के लिए अपराध

4.19 वर्ष 2022 के दौरान, संपत्ति के लिए किए गए अपराधों के तहत कुल 8,39,252 मामले (कुल आईपीसी अपराधों का 23.6%) रिपोर्ट किए गए, जिनमें से चोरी (6,52,731 मामले) और सेंधमारी (1,07,222 मामले) में क्रमशः 18.3% और 3.0% मामले रिपोर्ट किए गए।

वर्ष	2020	2021	2022
चोरी की गई संपत्ति का मूल्य (करोड़ रु. में)	3,678.1	5,173.2	5,223.3
बरामद की गई संपत्ति का मूल्य (करोड रु. में)	1,185.0	1,561.0	1,882.5
चोरी की गई संपत्ति की प्रतिशत बरामदगी	32.2%	30.2%	36.0%

(स्रोत:एनसीआरबी)

4.20 वर्ष 2022 के दौरान, 5,223.3 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की चोरी हुई और 1,882.5 करोड़ रूपये मूल्य की संपत्तियां बरामद की गईं, जो चोरी की गई कुल संपत्ति का 36.0% है। वर्ष 2022 के दौरान, चोरी के कुल मामलों (6,52,731 मामले) में से, 2,52,569 मामले (38.7%) ऑटो/मोटर वाहन चोरी से संबंधित थे। वर्ष 2022 के दौरान, संपत्ति से संबंधित अपराधों के 2,79,185 मामले आवासीय परिसरों में हुए थे। तथापि, 16,014 मामलों के साथ लूटपाट के अधिकतर मामले सड़क मार्गों पर हुए।

च. लापता व्यक्ति

4.21 वर्ष 2022 में, कुल 7,85,052 व्यक्ति (2,87,576—पुरुष; 4,97,393—महिलाएं और 83— ट्रांसजेंडर) लापता हुए थे (पिछले वर्षों से लापता सहित)। वर्ष 2022 के दौरान, वर्ष के अंत तक कुल 4,01,077 व्यक्तियों (1,34,765—पुरुष; 2,66,250—महिलाएं और 62—ट्रांसजेंडर) का पता लगाया गया था।

4.22 वर्ष 2022 में, कुल 1,27,874 बच्चे (33,759—पुरुष; 94,079—महिलाएं और 36—ट्रांसजेंडर) लापता हुए थे (पिछले वर्षों से लापता सहित)। वर्ष 2022 के दौरान, वर्ष के अंत तक कुल 80,561 बच्चों (20,254—पुरुष; 60,281—महिलाएं और 26—ट्रांसजेंडर) का पता लगाया गया था।

*****

आयुध अधिनियम के तहत जब्ती

4.23 आयुध अधिनियम, 1959 के तहत, कुल 80,118 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 1,04,390 हथियार जब्त किए गए। इन हथियारों में से 1,00,781 हथियार बिना लाइसेंस के थे और 3,609 हथियार लाइसेंस युक्त थे। वर्ष 2022 के दौरान, कुल 1,10,928 गोला—बारूद जब्त किए गए थे।

ज. मादक पदार्थों की जब्ती

4.24 देश में वर्ष 2022 के दौरान, स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत कुल 1,15,236 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 1,44,812 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

अध्याय – 5

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी)

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी)

5.1 भारत सरकार ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य मानव अधिकार आयोगों (एसएचआरसी) का गठन करके मानव अधिकारों के उल्लंघनों से निपटने के लिए एक मंच प्रदान किया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) अथवा उच्चतम न्यायालय का कोई एक न्यायाधीश राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं और इसमें 05 अन्य सदस्य होते हैं। एनएचआरसी का एक मुख्य कार्य शिकायतें प्राप्त करना और लोक सेवकों द्वारा जानबूझकर/भूल–चूक अथवा लापरवाही से किए गए मानव अधिकारों के उल्लंघनों की जांच–पड़ताल शुरू करना है, और मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकना है।

5.2 मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के मानद सदस्य निम्नानुसार हैं:–

(क) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

(ख) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(ग) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

(घ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग

(ङ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

(च) अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(छ) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त

5.3 वर्ष 2023–24 के लिए एनएचआरसी का बजटीय अनुमान 67.31 करोड़ रुपये है।

शिकायतों का निपटान

5.4 दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान, कुल 95,401 मामले दर्ज किए गए थे और इस अवधि के दौरान एनएचआरसी ने 1,01,159 मामलों का निपटान किया, जिसमें पूर्व वर्ष से अग्रेषित किये गये मामले भी सम्मिलित हैं। मामलों के निपटान में 7,931 मामलों को राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) को उनके स्तर पर निपटान के लिए अंतरित करना भी शामिल है। उपर्युक्त अवधि के दौरान, एनएचआरसी ने 474 मामलों में 22,47,82,500/– रुपये की आर्थिक राहत का भुगतान करने की सिफारिश की है।

मामलों की जांच–पड़ताल

5.5 दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान, एनएचआरसी ने कुल मिलाकर 4,467 मामलों का निपटान किया, जिनमें न्यायिक हिरासत में मौतों के 3,148 मामले, पुलिस हिरासत में मौतों के 563 मामले और तथ्य का पता लगाने वाले 386 मामले शामिल हैं। एनएचआरसी ने पुलिस मुठभेड़ में हुई मौतों के 370 मामलों का भी निपटान किया तथा मानव–अधिकारों के कथित गंभीर उल्लंघनों के 37 मामलों की मौके पर जांच की।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

5.6 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों मंचों सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक प्रमुख स्थान है। यह राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन (जीएएनएचआरआई) का एक सक्रिय सदस्य रहा है, जो 110 से अधिक

एनएचआरआईएस का प्रतिनिधित्व करने वाला दुनिया के सबसे बड़े मानव अधिकार नेटवर्क में से एक है। एनएचआरसी को पेरिस सिद्धांतों के पूर्ण अनुपालन के लिए जीएएनएचआरआई की प्रत्यायन संबंधी उप–समिति (एससीए) द्वारा "क" दर्जे के लिए प्रमाणित किया गया है। एनएचआरसी एशिया पैसिफिक फोरम (एपीएफ), जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में एनएचआरआईएस का एक क्षेत्रीय गठबंधन है, के संस्थापक सदस्यों में से एक है और एपीएफ को प्रति वर्ष 1,50,000 अमेरिकी डॉलर की राशि का योगदान देता है। एनएचआरसी का अध्यक्ष, एपीएफ गवर्नेंस समिति का सदस्य होता है, जो एशिया पैसिफिक फोरम की निर्णय लेने वाली समिति है।

5.7 एनएचआरसी ने माले (मालदीव), नाडी (फिजी), दोहा (कतर), नेपाल, बैंकॉक (थाईलैंड), न्यूयॉर्क, जिनेवा (स्विट्जरलैंड), दावोस (स्विट्जरलैंड) और मनीला (फिलीपींस) में आयोजित 15 बैठकों/कार्यशालाओं/सेमिनारों में भाग लिया। एनएचआरसी ने यूरोपीय संसद, कतर के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीदरलैंड के साम्राज्य, इथियोपियाई मानवाधिकार आयोग, कनाडा के उच्चायुक्त, इराकी अधिकारियों के साथ–साथ आईआईएम, इंदौर के अधिकारियों, मधेशी आयोग, नेपाल, विकास के अधिकार पर विशेष दूत, मानवाधिकार परिषद की संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रक्रिया, जीएएनएचआरआई के सचिव और जीएएनएचआरआई जिनेवा के प्रतिनिधि, रॉयल नॉर्वेजियन दूतावास और रॉयल डेनिश दूतावास के प्रतिनिधियों, न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर) के कार्यालय के मानवाधिकार अधिकारी के साथ भी बातचीत की।

अंतर्राष्ट्रीय निकायों को लिखित प्रस्तुति

5.8 एनएचआरसी ने दिनांक 01.03.2023 को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) के मानव अधिकार परिषद के 52वें सत्र के प्रतिलेखों सहित निम्नलिखित वीडियो वक्तव्य प्रस्तुत किएः

(i) एनएचआरसी के अध्यक्ष द्वारा पर्यावरण पर विशेष दूत के साथ संवादात्मक वार्ता।

(ii) एनएचआरसी के सदस्य द्वारा विशेष खाद्य दूत के साथ संवादात्मक वार्ता।

(iii) एनएचआरसी के सदस्य द्वारा कोविड–19 टीकों तक पहुंच पर एचसी रिपोर्ट पर संवादात्मक वार्ता और

(iv) एनएचआरसी के महासचिव द्वारा आवास पर विशेष दूत के साथ संवादात्मक वार्ता।

5.9 एनएचआरसी ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) के लिए **54वीं मानव अधिकार परिषद** को निम्नलिखित वीडियो वक्तव्य प्रस्तुत किएः

(i) दिनांक 15.09.2023 को वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित स्वतंत्र विशेषज्ञ के साथ संवादात्मक वार्ता विषय पर एनएचआरसी के सदस्य द्वारा वीडियो वक्तव्य।

(ii) दिनांक 14.09.2023 को जल एवं स्वच्छता पर विशेष दूत के साथ संवादात्मक वार्ता विषय पर एनएचआरसी के महासचिव द्वारा वीडियो वक्तव्य।

एनएचआरसी द्वारा नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैठकें

5.10 एनएचआरसी ने नई दिल्ली में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय बैठकें आयोजित कीं:

(i) दिनांक 19.09.2023 को आयोजित एपीएफ गवर्नेंस समिति की बैठक

(ii) विज्ञान भवन में दिनांक 20.09.2023 को आयोजित 28वीं एशिया पैसिफिक फोरम (एपीएफ) की वार्षिक आम बैठक और

सत्यमेव जयते

द्विवार्षिक सम्मेलन

(iii) विज्ञान भवन में दिनांक 21.09.2023 को आयोजित राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया पैसिफिक फोरम का सम्मेलन

(iv) दिनांक 16.10.2023 से 20.10.2023 तक, मालदीव के मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एनएचआरसी में 5 दिवसीय क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण कार्यक्रम।

राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया पैसिफिक फोरम का सम्मेलन और दिल्ली घोषणापत्र का अंगीकरण

5.11 "दिल्ली घोषणापत्र" को अपनाने के साथ 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन का समापन हुआ। इस घोषणापत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख है, जिसमें मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के 75 वर्ष, पेरिस सिद्धांतों के 30 वर्ष और मानव अधिकार रक्षकों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के 25 वर्ष शामिल हैं।

5.12 दिल्ली घोषणापत्र में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण, बढ़ते संघर्षों, प्राकृतिक एवं मानव–जनित आपदाओं तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार एवं मानव अधिकारों के अंतर्संबंधों के कारण मानव अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

कोर परामर्शदात्री समूह

5.13 एनएचआरसी के पास 12 कोर सलाहकार समूह हैं, जिनमें प्रतिष्ठित व्यक्ति अथवा विभिन्न मानवाधिकार मुद्दों पर काम करने वाले निकायों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो स्वेच्छा से, मानद क्षमता में, उन समूहों के सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए सहमत हैं, जो एनएचआरसी को विशेषज्ञ सलाह देते हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, गैर सरकारी संगठनों और मानव अधिकार रक्षकों (एचआरडी) से संबंधित कोर समूह को पुनर्गठित (रिवाइव) किया गया और भोजन तथा पोषण के अधिकार पर कोर समूह का पुनर्गठन किया गया।

5.14 **कोर सलाहकार समूह की बैठकें**

(i) बच्चों पर कोर समूह

बाल यौन अपराध संरक्षण (पीओसीएसओ) अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन संबंधी चिंताओं को दूर करने के एक महत्वपूर्ण प्रयास में, एनएचआरसी ने दिनांक 31.01.2023 को कोर समूह की एक बैठक बुलाई। एनएचआरसी के सदस्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने और पोक्सो अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन को मजबूत करने के उपायों का प्रस्ताव करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया।

बैठक में जागरूकता और शिक्षा, प्रौद्योगिकी की भूमिका, समस्या की गंभीरता, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरसी) का वैकल्पिक प्रोटोकॉल, कानूनी प्रक्रिया और न्याय, पीड़ितों पर प्रभाव और सहायता तथा कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन सहित कई विषयों को शामिल किया गया।

(ii) गैर सरकारी संगठनों और मानव अधिकार रक्षकों पर कोर ग्रुप

मानव अधिकार रक्षकों और गैर सरकारी संगठनों पर कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 22.08.2023 को आयोजित की गई। बैठक का एजेंडा "विशिष्ट कार्य के क्षेत्रों की पहचान करना जहां एनएचआरसी और एचआरडी सभी के मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सहयोग कर सकते हैं" था।

(iii) पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कोर ग्रुप

एनएचआरसी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 'जलवायु परिवर्तन का रोजगार पर प्रभाव' विषय पर कोर ग्रुप

की बैठक मानव अधिकार भवन, नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में दिनांक 26.10.2023 को आयोजित की गई। इस बैठक की चर्चा के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित थेः

क) संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और जलवायु परिवर्तन के रोजगार पर प्रभाव का आकलन;

ख) रोजगार पर शमन एवं अनुकूलन का प्रभाव;

ग) जलवायु प्रतिरोधी अर्थव्यवस्था के लिए उपाय; और

घ) अंतर्राष्ट्रीय स्थापित पद्धतियां

(iv) एलजीबीटीक्यूआई+ समुदाय के व्यक्तियों पर कोर ग्रुप

एनएचआरसी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एलजीबीटीआई के शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर कोर ग्रुप की बैठक हाइब्रिड मोड में दिनांक 28.02.2024 को आयोजित की गई थी। उक्त बैठक की कार्यसूची की मदें इस प्रकार थीं:

क) ट्रांसजेंडर शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत बाधाओं की पहचान करना और उनका समाधान करना।

ख) ट्रांसजेंडर–समावेशी शिक्षा नीतियों का निर्माण करना।

ग) ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र प्राप्त करने में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करना।

(v) वृद्ध व्यक्तियों पर कोर ग्रुप

भारत में बुजुर्गों के अधिकारों के सामाजिक–कानूनी संदर्भ में संस्थागत सहायता तंत्र का विश्लेषण' एजेंडा के साथ वृद्ध व्यक्तियों पर कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 12.03.2024 को मानव अधिकार भवन, नई दिल्ली में एनएचआरसी के सदस्य की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गईः

क) बुजुर्गों के लिए उपलब्ध मौजूदा संस्थागत प्रतिक्रियाओं और सहायता का आकलन करना।

ख) बच्चों पर बोझ के सामाजिक–कानूनी पहलू और उससे जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण करना।

ग) संस्थागत देखभाल तंत्र को मजबूत करने के लिए आगे की राह।

(vi) महिलाओं और आश्रय गृहों पर कोर ग्रुप

महिलाओं पर कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 14.03.2024 को मानव अधिकार भवन में "भारत में लापता महिलाओं और लड़कियों" के एजेंडे पर आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता एनएचआरसी के सदस्य ने की। बैठक के एजेंडा बिंदुओं में भारत में लापता महिलाओं और लड़कियों की उच्च संख्या में योगदान देने वाले कारक, मौजूदा कानूनी तंत्र और चुनौतियां तथा आगे की राह शामिल था।

(vii) भोजन के अधिकार पर कोर ग्रुप

'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' पर जोर देने के साथ भोजन के अधिकार पर कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 19.03.2024 को मानव अधिकार भवन, नई दिल्ली में एनएचआरसी के सदस्य की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी। इस बैठक में निम्नलिखित एजेंडे पर चर्चा की गईः

क) विशिष्ट कमजोर समूहों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और पोषण के दोहरे बोझ (यानी गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों) की समस्या से निपटने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की प्रभावशीलता।

ख) खाद्यान्नों संबंधी भ्रष्टाचार और चोरी–कार्यान्वयन, मुद्दे और चुनौतियां।

ग) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना (ओएनओआरसी): कार्यान्वयन, चुनौतियां और समाधान

(viii) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कोर ग्रुप

दिव्यांग व्यक्तियों पर कोर ग्रुप की एक बैठक, जिसका एजेंडा 'भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के दृष्टिकोण से समावेशिता का मानचित्रण' था, दिनांक 20.03.2024 को मानव अधिकार भवन, नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में, एनएचआरसी के सदस्य की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित एजेंडे पर चर्चा की गई:

क) समावेशी शिक्षा में कमियों को दूर करना।

ख) दिव्यांगों के रोजगार में कार्यान्वयन संबंधी अवरोधों को दूर करना।

ग) सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण के साथ समावेशी राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना।

5.15 ओपन हाउस चर्चा/सम्मेलन/सेमिनार/ कार्यशालाएं

(i) एनएचआरसी ने नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग, मेघालय के सहयोग से 'साहित्य और समाज में मानव अधिकारों के विविध परिप्रेक्ष्य' विषय पर दिनांक 31.03.2023 से 01.04.2023 तक हिंदी में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

(ii) एनएचआरसी ने दिनांक 23.06.2023 को 'अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के विरूद्ध हो रहे अत्याचार और अन्य प्रकार के भेदभाव की रोकथामः चुनौतियां, संरक्षण और आगे की राह' विषय पर एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की। यह चर्चा अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रभाव के मूल्यांकन पर केंद्रित थी और इसके कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए।

(iii) भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की पद्धति और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के कार्यान्वयन से संबंधित वर्तमान मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 26.07.2023 को 'मानसिक स्वास्थ्य को संस्थानों से आगे बढ़ाना' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता एनएचआरसी के अध्यक्ष ने की तथा सम्मेलन का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक के बारे में सभी हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना और साथ ही कलंक को मिटाने के लिए जवाबदेही और प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित लोगों को अच्छी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना था।

(iv) एनएचआरसी, भारत द्वारा 'दिव्यांगता, समानता, न्याय' (डीईजे) कार्य समूह के सहयोग से "सी20 के लिए दिव्यांगता समावेशन पर नीतिगत संवाद" विषय पर एक परामर्श दिनांक 27.07.2023 को आयोजित किया गया था। बैठक के दौरान, दिव्यांगजनों के लिए वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के एजेंडे पर चर्चा की गई।

(v) एनएचआरसी ने दिनांक 18.08.2023 को संयुक्त सचिव, एनएचआरसी के साथ स्थानीय स्वशासन के विशेषज्ञों/हितधारकों की प्रारंभिक बैठक आयोजित की, जिसमें इस विषय पर पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने के लिए चर्चा की गई।

(vi) एनएचआरसी द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी)

के स्वास्थ्य बीमा विषय पर दिनांक 25.08.2023 को मुंबई में ओपन हाउस परामर्श का आयोजन किया गया। इसे दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय केंद्र और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित किया गया था।

(vii) एनएचआरसी ने एशिया पैसिफिक फोरम के तत्वावधान में एनएचआरआई की वार्षिक आम बैठक के अवसर पर दिनांक 20.09.2023 को व्यापार और मानव अधिकार विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें दो महत्वपूर्ण विषयों नामतः 'जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार और व्यापार में सामंजस्य' तथा 'व्यापार और उद्योग में मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना' पर ध्यान केंद्रित किया गया।

(viii) एनएचआरसी ने दिनांक 16.10.2023 को भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एसएआई, एनएसएनआईएस) के सहयोग से पटियाला में 'खेल और मानव अधिकार' विषय पर एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की। विचार–विमर्श के दौरान, दो एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई। पहला एजेंडा खेलों में यौन उत्पीड़न का मुद्दा और खेल महासंघों की निवारक की भूमिका के संबंध में था। दूसरा एजेंडा खेलों में निष्पक्ष चयन; चयन प्रक्रिया में सभी के शामिल होने का अधिकार से संबंधित था, जो सुशासन के सिद्धांत का एक हिस्सा होने के नाते निष्पक्ष चयन, पात्रता मानदंडों में पारदर्शिता की आवश्यकता आदि पर केंद्रित था।

(ix) आयोग ने दिनांक 16.11.2023 को प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, गुवाहाटी, असम में 'स्थानीय स्वशासन के माध्यम से मानव अधिकारों को बढ़ावा देने' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। आयोग द्वारा सम्मेलन में भाग लिया गया, जिसमें एनएचआरसी के अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों और इसके संबंधित पहलुओं को बढ़ावा देने में स्थानीय स्वशासन की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना था।

(x) आयोग ने दिनांक 19.01.2024 को एनएचआरसी में "भारत में खानाबदोश, अर्ध–खानाबदोश और विमुक्त जनजातियों (एनटी, एसएनटी और डीएनटी) का संरक्षण और आगे की राह" विषय पर एक ओपन हाउस चर्चा का आयोजन किया। एनएचआरसी के सदस्य ने आयोग के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में चर्चा का उद्घाटन किया। चर्चा के दौरान, आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1872 और बाद में आदतन अपराधी अधिनियम, 1952 के अधिनियमन द्वारा लगाए गए कलंक के कारण खानाबदोश जनजातियों (एनटी), अर्ध–खानाबदोश जनजातियों (एसएनटी) और विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान की गई।

(xi) एनएचआरसी द्वारा दिनांक 02.02.2024 को "भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी के आयाम" विषय पर टीआईएसएस हैदराबाद के सहयोग से एक–दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य श्रम बल में भारतीय महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों और उनकी भागीदारी में सुधार के लिए नीतिगत बदलावों की आवश्यकता की जांच करना था, जिसमें उनके सामने आने वाली चुनौतियां भी शामिल थीं।

5.16 एनएचआरसी द्वारा जारी एडवाइजरी

(i) कैदियों द्वारा जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाने और आत्महत्या के प्रयासों को कम

करने के लिए दिनांक 20.06.2023 को एक एडवाइजरी जारी की गई।

(ii) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 15.09.2023 को एक एडवाइजरी जारी की गई।

(iii) 'मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में एडवाइजरी', दिनांक 10.10.2023 को जारी की गई।

(iv) 'बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) के उत्पादन, वितरण और उपयोग के खिलाफ बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एडवाइजरी' दिनांक 27.10.2023 को जारी की गई।

5.17 मानव अधिकार के मुद्दों पर पुस्तकों/पुस्तिकाओं का प्रकाशन

एनएचआरसी ने दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान निम्नलिखित पुस्तकों का मुद्रण किया है:

- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के कार्यान्वयन की स्थिति पर रिपोर्ट
- एनएचआरसी, इसके कार्यों और विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन
- मानसिक स्वास्थ्य – सभी के लिए चिंता
- अंग्रेजी जर्नल, खंड 22, वर्ष 2023
- मानव अधिकार नई दिशाएं, खंड 20, वर्ष 2023
- फोरेंसिक विज्ञान और मानवाधिकार
- ठेका मजदूर, अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक और घरेलू कामगार
- महिलाओं के यौन और प्रजनन अधिकार
- अपहरण/व्यपहरण/अनैतिक तस्करी/गलत कारावास
- मातृत्व लाभ, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और समान पारिश्रमिक

विशेष दूत और विशेष मॉनीटर

5.18 एनएचआरसी ने देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचने के लिए विशेष दूत और मॉनीटर नियुक्त किए हैं। विशेष दूत और मॉनीटर एनएचआरसी की ओर से क्षेत्र विशिष्ट अधिदेश अथवा मानव अधिकारों से संबंधित विषयगत मुद्दों के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के दायरे में काम कर रहे हैं। वर्तमान में, एनएचआरसी ने 15 विशेष दूत और 18 विशेष मॉनीटर नियुक्त किए हैं, जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (पीएचआर अधिनियम) की धारा 12 में परिकल्पित दायित्वों के निर्वहन में एनएचआरसी की सहायता करते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.19 एनएचआरसी ने मानवाधिकार और संबंधित मुद्दों पर एक–दिवसीय/दो–दिवसीय/तीन–दिवसीय 88 सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम को मंजूरी दी और वित्तीय सहायता प्रदान की। ये कार्यक्रम केंद्रीय विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई), पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों (पीटीआई), न्यायिक प्रशिक्षण संस्थानों (जेटीआई) सहित 80 विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित किए गए थे। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 8,500 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

5.20 व्यक्तिगत इंटर्नशिप कार्यक्रम:

(i) ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम (एसआईपी) – एसआईपी–2023 दिनांक 05.06.2023 से 30.06.2023 तक भौतिक मोड में आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 68 छात्र प्रशिक्षुओं ने भाग लिया और एनएचआरसी के साथ सफलतापूर्वक अपनी इंटर्नशिप पूरी की। समूह अनुसंधान परियोजना प्रस्तुति, पुस्तक समीक्षा और भाषण प्रतियोगिता जैसी व्यावहारिक

गतिविधियां आयोजित की गईं और विजेताओं को नकद पुरस्कार/पुस्तकें और प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए। छात्रों को एनजीओ आशा किरण, तिहाड़ जेल, एनसीडब्ल्यू, एनसीडीआरसी और डिफेंस कॉलोनी तथा हौज खास, नई दिल्ली के पुलिस स्टेशनों का दौरा कराया गया।

(ii) शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम (डब्ल्यूआईपी) – डब्ल्यूआईपी– 2023 दिनांक 18.12.2023 से 16.01.2024 तक भौतिक मोड में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 79 छात्र प्रशिक्षुओं ने भाग लिया और एनएचआरसी के साथ अपनी इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी की। समूह अनुसंधान परियोजना प्रस्तुति, पुस्तक समीक्षा और भाषण प्रतियोगिता जैसी व्यावहारिक गतिविधियां आयोजित की गईं और विजेताओं को नकद पुरस्कार/पुस्तकें और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। छात्रों को एनजीओ आशा किरण, तिहाड़ जेल, एनसीडब्ल्यू, एनसीडीआरसी और डिफेंस कॉलोनी तथा हौज खास, नई दिल्ली के पुलिस स्टेशनों का दौरा कराया गया।

5.21 ऑनलाइन शॉर्ट–टर्म इंटर्नशिप (ओएसटीआई) – एनएचआरसी ने मार्च, मई, अगस्त और अक्टूबर, 2023 तथा फरवरी, 2024 के महीनों में 05 ऑनलाइन शॉर्ट–टर्म इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें कुल 380 छात्र प्रशिक्षुओं ने भाग लिया और एनएचआरसी के साथ अपनी इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी की।

5.22 **आयोग के इन–हाउस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रम:** एनएचआरसी ने दिनांक 17.08.2023 और 06.12.2023 को इन–हाउस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 02 जेंडर संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें लगभग 80 अधिकारियों ने भाग लिया।

5.23 **विभिन्न कॉलेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों और अधिकारियों द्वारा एनएचआरसी का दौरा**– दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान, एनएचआरसी ने विभिन्न स्कूलों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों के छात्रों और संकाय सदस्यों के लिए 51 अर्द्ध–दिवसीय दौरे आयोजित किए ताकि उन्हें अधिकारियों से बातचीत करने और आयोग के कामकाज के बारे में अधिक जानने का अवसर प्रदान किया जा सके। इन दौरों के हिस्से के रूप में लगभग 2,036 छात्रों/शिक्षकों/अधिकारियों को मानवाधिकार जागरूकता पर उन्मुखीकरण दिया गया।

5.24 **सहयोगात्मक मूट कोर्ट प्रतियोगिता** – जनवरी, 2023 से मार्च, 2024 तक के दौरान एनएचआरसी द्वारा 10 मूट कोर्ट प्रतियोगिताओं को मंजूरी दी गई और उनका आयोजन किया गया।

एनएचआरसी स्थापना दिवस

5.25 एनएचआरसी हर साल 12 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। वर्ष 2023 में भी एनएचआरसी ने अपना 31वां स्थापना दिवस दिनांक 12.10.2023 को भीम ऑडिटोरियम, डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में मनाया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री राम नाथ कोविंद उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर उपस्थित थे।

एनएचआरसी–एसएचआरसी का एक–दिवसीय सम्मेलन

5.26 मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने पर एनएचआरसी का राज्य मानव अधिकार आयोगों, विशेष दूतों और विशेष मॉनिटरों का एक–दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 13.10.2023 को गरवी गुजरात में आयोजित किया गया, जिसमें सभी एसएचआरसी के अध्यक्षों, सदस्यों और सचिवों, एनएचआरसी के विशेष दूतों और विशेष मॉनिटरों ने भाग लिया।

शिविर बैठकें/खुली सुनवाई

5.27 स्थानीय स्वशासन के माध्यम से मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने पर एक–दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 16.11.2023 को प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया, जिसके बाद दिनांक 17.11.2023 को आयोग की शिविर बैठक/खुली सुनवाई हुई।

5.28 एनएचआरसी की एक–दिवसीय शिविर बैठक/खुली सुनवाई दिनांक 06.03.2024 को आंध्र प्रदेश राज्य के विजयवाड़ा में आयोजित की गई।

मानवाधिकार दिवस

5.29 एनएचआरसी प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाता है। वर्ष 2023 में, मानवाधिकार दिवस दिनांक 10.12.2023 को भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में मनाया गया। इस अवसर पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि थे।

सांप्रदायिक सौहार्द

5.30 केंद्र सरकार द्वारा जारी सांप्रदायिक सद्भाव दिशानिर्देशों के तहत अन्य बातों के साथ–साथ, सांप्रदायिक हिंसा से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य संभावित साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने और समय से पहले कार्रवाई करने के लिए उचित सतर्कता बरतना, सुविचारित योजना बनाना और तैयारी के उपाय करना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सजग बनाने के लिए इन दिशानिर्देशों को समय–समय पर दोहराया जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को उनके अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में सहायता के लिए, केंद्र सरकार साम्प्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले मामलों के बारे में समय–समय पर आसूचना साझा करने, चेतावनी संदेश भेजने, एडवाइजरी जारी करने जैसे विभिन्न उपाय समय–समय पर करती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर, विशेष तौर पर ऐसे हालात से निपटने के लिए गठित की गई कंपोजिट रेपिड एक्शन फोर्स सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात करती है।

5.31 सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को दिनांक 31.10.2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए निर्देश जारी किए गए। पूरे देश में शपथ ग्रहण समारोह, राज्य पुलिस और अन्य वर्दीधारी बलों द्वारा मार्च पास्ट एवं एकता दौड़ जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश भर की जेलों में राष्ट्रीय एकता पर केंद्रित विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

5.32 माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन से गृह मंत्रालय ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती अर्थात 31 अक्टूबर को हर वर्ष "राष्ट्रीय एकता दिवस" के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिनांक 31.10.2023 को गुजरात के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय स्तर का एक समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य पुलिस बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और एनसीसी कैडेटों की भागीदारी के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगर पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन किया गया। 'मेरी माटी मेरा देश' अभियान के तहत 25 से 31 अक्टूबर, 2023 तक पूरे देश में राष्ट्रीय एकता सप्ताह मनाया गया।

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन

5.33 गृह मंत्रालय के तहत "राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन (एनएफसीएच)" एक स्वायत्तशासी संगठन है। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से साम्प्रदायिक सौहार्द और

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के अतिरिक्त साम्प्रदायिकता, जातिवादी, नस्लीय या आतंकी हिंसा के कारण अनाथ/निराश्रित हुए बच्चों/युवाओं के पुनर्वास हेतु सहायता प्रदान करना है।

5.34 **फाउंडेशन ने दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों का संचालन किया :**

(क) **प्रोजेक्ट 'असिस्ट':** यह फाउंडेशन की प्रमुख योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश में सांप्रदायिक, जातिवादी, नस्लीय या आतंकी हिंसा से पीड़ित बच्चों और युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस परियोजना में 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 164 जिलों को कवर किया गया है। दिनांक 31.03.2023 तक, प्रोजेक्ट 'असिस्ट' के तहत कुल 14,077 बच्चों को लाभ पहुँचाया गया है और वर्ष 1992 से अब तक 104.83 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान, इस परियोजना के तहत सहायता प्रदान करने के लिए 155 नए और 4,462 नवीनीकरण मामलों सहित कुल 4,617 मामलों को मंजूरी दी गई, जिसकी लागत दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार 7.42 करोड़ रुपये थी।

(ख) **विस्तार गतिविधियां:** विस्तार गतिविधियों के तहत, फाउंडेशन ने या तो स्वतंत्र रूप से या केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वैच्छिक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सहयोग से प्रोजेक्ट 'रीच', प्रोजेक्ट 'इंटरफेथ-इंट्रेक्शन', प्रोजेक्ट 'पार्टनरशिप' और प्रोजेक्ट 'कॉज-पार्टनरशिप' के अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित किए। ऐसे कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:-

(i) एनएफसीएच ने दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया, बिहार के सहयोग से गया स्थित अपने परिसर में 11 से 12 जनवरी 2023 तक दो-दिवसीय 'संगीत से सद्भाव-सद्भाव के लिए संगीत', 'आरोहण-2023' कार्यक्रम का आयोजन किया।

(ii) एनएफसीएच ने गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधी नगर, गुजरात के सहयोग से अपने गांधीनगर परिसर में 19 से 20 जनवरी, 2023 तक दो-दिवसीय 'संगीत से सद्भाव-सद्भाव के लिए संगीत' कार्यक्रम का आयोजन किया।

(iii) एनएफसीएच के अधिकारियों ने असम राज्य में 02 से 04 फरवरी, 2023 तक प्रोजेक्ट 'असिस्ट' के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों और जिला प्रशासन से मिलने के लिए असम का दौरा किया।

(iv) एनएफसीएच ने गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के सहयोग से बिलासपुर परिसर में 22 से 23 फरवरी, 2023 तक 'संगीत से सद्भाव-सद्भाव के लिए संगीत' कार्यक्रम का आयोजन किया।

(v) एनएफसीएच ने पूर्वोत्तर हिल विश्वविद्यालय, शिलांग, मेघालय के सहयोग से शिलांग स्थित अपने परिसर में दिनांक 09.03.2023 को एक-दिवसीय 'संगीत से सद्भाव- सद्भाव के लिए संगीत' कार्यक्रम का आयोजन किया।

(vi) एनएफसीएच के अधिकारियों ने 5 से 7 अक्टूबर 2023 तक छत्तीसगढ़ के सुकमा, दंतेवाड़ा जिलों का दौरा किया। अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट "असिस्ट" के कार्यान्वयन के संबंध में जिला प्रशासन, सहायता प्राप्त बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ बैठकें कीं।

(vii) एनएफसीएच के सचिव ने जम्मू एवं कश्मीर में प्रोजेक्ट "असिस्ट" के कार्यान्वयन के संबंध में श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने दिनांक 27.10.2023 को प्रोजेक्ट 'असिस्ट' से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की।

(viii) एनएफसीएच के अधिकारियों ने 02 से 04 नवम्बर, 2023 तक बिहार में प्रोजेक्ट "असिस्ट" के कार्यान्वयन के संबंध में पटना, बिहार का दौरा किया।

(xi) एनएफसीएच के अधिकारियों ने 23 से 27 नवंबर, 2023 तक असम के कोकराझार और दीमा हसाओ जिलों में प्रोजेक्ट 'असिस्ट' के तहत बाल पीड़ितों के पुनर्वास के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

(x) एनएफसीएच ने 11 से 15 मार्च, 2024 तक कृष्णा विश्व विद्यापीठ, कराड, महाराष्ट्र के सहयोग से "नो माई इंडिया प्रोग्राम 2023" का आयोजन किया।

(xi) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन ने वर्ष 2023–24 के दौरान असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ में परियोजना 'असिस्ट' के तहत 1,911 लाभार्थी बच्चों को 3,02,10,000/– रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सीएसआर पहल के तहत विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ दिनांक 15.02.2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

*****

अध्याय – 6

संघ राज्य क्षेत्र

प्रस्तावना

6.1 संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या आठ है, जिनके नाम अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी हैं। इन आठ संघ राज्य क्षेत्रों में से, तीन संघ राज्य क्षेत्र यथा जम्मू एवं कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी में विधानमंडल हैं और शेष पांच संघ राज्य क्षेत्र बिना विधानमंडल वाले हैं।

6.2 जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अध्याय–15 में विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। यहां इस अध्याय में, शेष छह संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में नीचे बताया गया है।

6.3 छह संघ राज्य क्षेत्रों का क्षेत्रफल और जनसंख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग किमी. में)	जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना)
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	8,249	3,79,944
2.	चंडीगढ़	114	10,54,686
3.	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	603	5,86,956
4.	लक्षद्वीप	32	64,429
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,483	1,67,53,235
6.	पुदुचेरी	479	12,44,464
	कुल	**10,960**	**2,00,83,714**

6.4 **वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए छह संघ राज्य क्षेत्रों के वित्तीय विवरण निम्नानुसार हैं:**

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	संघ राज्य क्षेत्र	बजट अनुमान 2022-23	संशोधित अनुमान 2022-23	बजट अनुमान 2023-24	संशोधित अनुमान 2023-24	दिनांक 31.03.2024 तक व्यय
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	5763.65	5568.05	6047.14	5997.42	5927.57
2.	चंडीगढ़	5382.79	5779.12	6087.10	6678.45	6643.88
3.	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	3781.10	2507.00	2482.00	2543.61	2527.15

4.	लक्षद्वीप	1421.50	1349.18	1421.50	1602.63	1579.12
5.	*राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1168.00	977.02	1168.01	1168.01	951.00
6.	**पुदुचेरी	1729.79	3129.79	3117.77	3388.77	3388.76

* दिल्ली को अंतरित

** पुदुचेरी को अंतरित

(स्रोत: *संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन*)

संवैधानिक स्थिति

6.5 संघ राज्य क्षेत्र भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग–II में विनिर्दिष्ट हैं। इन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 से 241 के प्रावधानों के तहत चलाया जाता है। भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अधीन, गृह मंत्रालय (एमएचए) विधायन, वित्त और बजट, सेवाओं तथा उप–राज्यपालों (एलजी) और प्रशासकों की नियुक्ति से संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है।

6.6 प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा चलाया जाता है। अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी में, प्रशासकों को उप–राज्यपालों (एलजी) के रूप में पदनामित किया गया है।

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

6.7 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा द्वीपसमूह है, जिसमें लगभग 836 द्वीप, चट्टानें तथा टापू हैं और उनमें से केवल 31 द्वीप बसावट वाले हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में छह अनुसूचित जनजातियां हैं, यथा ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटीनेली, शोम्पेंन तथा निकोबारी। निकोबारी को छोड़कर अन्य जनजातियों को विशेष संरक्षण योग्य जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

6.8 **वर्ष 2023–24 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां:**

(क) द्वीपों में जलयान की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, संघ राज्य क्षेत्र पुराने बेड़े को बदलने और विभिन्न श्रेणियों के 30 जलयानों का अधिग्रहण करके बेड़े का अत्यधिक विस्तार करने की योजना बना रहा है। संघ राज्य क्षेत्र ने बड़े जलयानों को समायोजित करने के लिए 123.90 करोड़ रुपये की लागत से मौजूदा ड्राई–डॉक का 90 मीटर और विस्तार किया है। मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में 1,200 यात्री–सह–1000–टन क्षमता वाले 2 जलयानों के निर्माण का 65% कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ख) चेन्नई – अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (सीएएनआइ) सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। सीएएनआई परियोजना के चालू होने से, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, लिटिल अंडमान, उत्तर और मध्य अंडमान जिले सहित दक्षिण अंडमान जिले में बीएसएनएल द्वारा दी जाने वाली घरेलू सेवाओं में काफी सुधार हुआ है। यह परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की लगभग 85% आबादी को कवर करती है। द्वीपों में बैंडविड्थ का उपयोग 4.1 जीबीपीएस से बढ़कर 70.31 जीबीपीएस हो गया है। संघ राज्य क्षेत्र में फाइबर–टू–द–होम (एफटीटीएच) सेवाएं बढ़कर लगभग 34,500 हो गई हैं और इंटरनेट स्पीड 100 केबीपीएस से बढ़कर 300 एमबीपीएस हो गई है। कुल मोबाइल कनेक्शन लगभग 4.7 लाख से बढ़कर लगभग 07 लाख हो गए हैं। 07 ब्लॉक, 70 ग्राम पंचायतों और 04 जनजातीय परिषदों को ओएफसी/वीएसएटी के माध्यम से ब्लॉक मुख्यालयों के साथ जोड़ा गया है। द्वीपों में 5जी सेवा को भी लॉन्च किया गया है और वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र में 5जी के 112 बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) हैं। ज्यादा ऑनलाइन सुलभता के परिणामस्वरूप, सरकार से नागरिक (जी2सी) सेवाओं, टेली–मेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा, पर्यटन के विकास, ई–कॉमर्स से डिजिटल अर्थव्यवस्था

में सार्वजनिक भागीदारी में वृद्धि देखी गई है।

(ग) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास 280 साधारण बसें, 22 वातानुकूलित बसें और 40 इलेक्ट्रिक बसें हैं जो 260 से अधिक मार्गों पर चलती हैं। संघ राज्य क्षेत्र में 14 राज्य परिवहन सेवा केंद्र (एसटीएस) हैं, जिनका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में है। चुन्नाबट्टा–फेरारगंज बम्बूफ्लैट को जोड़ने वाली एक नई इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बस सेवा को नौका सेवा के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाने और द्वीपों के दूरदराज के क्षेत्रों में यात्रियों को बेहतर परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए, नई खरीदी गई एसटीएस की बीएस–VI अनुपालक 14 बसों को बेड़े में शामिल किया गया है, जिन्हें दिनांक 22.09.2023 को माननीय उप–राज्यपाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

(घ) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सभी उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति कर रहा है। 63 मेगावाट की अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए 51 बिजली घर स्थापित किए गए हैं, जिनमें 47 डीजल बिजली घर, 03 सौर ऊर्जा संयंत्र और 01 पनबिजली संयंत्र शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 127 मेगावाट है। 15 किलोवोल्ट–एम्पीयार (केवीए) डीजी सेट के चालू होने से डुगोंग क्रीक बिजली घर की बिजली आपूर्ति 12 घंटे से बढ़कर 24 घंटे हो गई है। 2x50 केवीए डीजी सेट के चालू होने से स्ट्रेट द्वीप में भी बिजली आपूर्ति बढ़ गई है। साथ ही, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत बिजली विकास स्कीम (आईपीडीएस) के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 76,000 स्मार्ट मीटर (शहरी– 36,800 और ग्रामीण– 39,200) लगाए गए हैं।

(ङ) माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 18.07.2023 को 707.73 करोड़ रुपये की लागत से वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया था। यह भवन सालाना 50 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम है। 1,200 यात्री प्रति घंटे की क्षमता के साथ यह दिनांक 21.08.2023 से परिचालन में है।

(च) संघ राज्य क्षेत्र में 02 जिला अस्पताल, 01 रेफरल अस्पताल, 129 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, 04 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 24 उप–केंद्र और 01 एकीकृत आयुष अस्पताल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। संघ राज्य क्षेत्र ने आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी–पीएमजेएवाई) के तहत 100% कवरेज हासिल कर ली है। कुल 71,097 पीएमजेएवाई ई–कार्ड जारी किए गए हैं। 07 अस्पतालों और 04 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पैनलीकृत किया गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत कुल 4,41,765 स्वास्थ्य आईडी सृजित की गई हैं।

(छ) संघ राज्य क्षेत्र में 05 माध्यमों अर्थात हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और बंगाली में 414 स्कूल चल रहे हैं, जिनमें से 329 स्कूल संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा चलाए जाते हैं। 02 स्कूल संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से सहायता प्राप्त हैं, 05 स्कूल केंद्र सरकार के अधीन हैं, 08 स्कूल स्थानीय निकायों के अधीन हैं, और 70 स्कूल प्राईवेट गैर–सहायता प्राप्त हैं। कुल 333 स्कूल प्रधानमंत्री (पीएम) पोषण के तहत कवर किए गए हैं। माननीय उप–राज्यपाल द्वारा मासिक आधार पर लर्निंग आउटकम के आकलन के लिए दिनांक 24.07.2023 को पहल+ नामक एक पहल की शुरुआत की गई।

(ज) संघ राज्य क्षेत्र का 86.93% हिस्सा वन क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज किया गया है। अधिसूचित वन भूमि के भीतर कुल 2,457.53 हेक्टेयर क्षेत्र को विकसित किया गया है। अधिसूचित वन भूमि के भीतर दिनांक 31.03.2024 तक कुल 20 किलोमीटर एवेन्यू वृक्षारोपण,13 हेक्टेयर

मैंग्रोव वृक्षारोपण और 12 हेक्टेयर कोस्टल बेल्ट वृक्षारोपण किया गया था।

(झ) वर्ष 2023–24 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र का कुल मछली उत्पादन 50,450 मीट्रिक टन है, जिसमें समुद्री सेक्टर का योगदान 50,000 मीट्रिक टन और इनलैंड सेक्टर का योगदान 450 मीट्रिक टन है। 721 मछली पालकों को मीठे पानी की मछली के 10.52 लाख बीज वितरित किए गए।

(ञ) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत, मछली उत्पादन बढ़ाने और द्वीप समूह के मछुआरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए 41 लाभार्थियों को 1.69 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। पीएमएमएसवाई की समूह दुर्घटना बीमा योजना के तहत कुल 14,391 मछुआरों का बीमा किया गया है।

(ट) 108.884 किलोमीटर सड़क का काम पूरा हो गया है। अंडमान ट्रंक रोड (एटीआर) में ब्लैक टॉपिंग के साथ 33 किमी. की डबल लेनिंग और 64.4 किमी. की सिंगल लेनिंग का कार्य पूरा हो गया है। ब्लैक टॉपिंग के साथ 193.1 किमी. इंटरमीडिएट लेनिंग का कार्य पूरा हो गया है।

(ठ) कुल 62,037 घरेलू कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, 63,207.00 मीटर नई जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाई गई है और 35,490.00 मीटर मौजूदा पाइपलाइन को बदला गया है/सुधारा गया है।

(ड) संघ राज्य क्षेत्र 413 उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को कार्यान्वित कर रहा है, जिससे कुल जनसंख्या के 90% से अधिक लोगों की कवरेज के साथ 3.7 लाख से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

(ढ) प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (पहल) प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (एलपीजी) के अंतर्गत, कुल 1,24,030 घरेलू एलपीजी उपभोक्ता पंजीकृत हैं, जिनमें से 1,04,511 को एलपीजी डाटाबेस में आधार सीडिंग के माध्यम से पहले ही डीबीटी के अंतर्गत लाया जा चुका है।

(ण) "एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड" स्कीम के अंतर्गत, उचित मूल्य की सभी दुकानों (एफपीएस) में बायोमेट्रिक–समर्थित ईपीओएस उपकरण लगाए गए हैं। दिनांक 31.03.2024 तक कुल 33,775 (राज्य के भीतर–33,109 और अंतर्राज्यीय–666) पोर्टेबल लेनदेन (ट्रांजेक्शन) किए गए हैं।

(त) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत, पात्र एनएफएसए लाभार्थियों (पीएचएच और एएवाई) को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जाता है।

(थ) संघ राज्य क्षेत्र में आधार संतृप्ति 107.22% है।

(द) उर्वरकों के डिजिटल भुगतान के लिए, कृषि विभाग के सभी उप–डिपो में क्यूआर कोड और कॉर्डलेस स्वाइप मशीनें लगाई गई हैं, जिससे नकदी रहित लेनदेन सुनिश्चित हो सके। 1,733 किसानों को कैशलेस प्रणाली के माध्यम से 196.255 मीट्रिक टन उर्वरक बेचा गया।

(ध) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) के अंतर्गत, 17,723 किसान पंजीकृत हैं और इस स्कीम के अंतर्गत 15,291 पात्र किसानों को 42.51 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।

(न) प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम–आशा) के अंतर्गत, खोपरे के लिए मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) लागू की गई है। किसानों से 32.480 मीट्रिक टन एफएक्यू खोपरा खरीदा गया और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) को इसकी आपूर्ति की गई।

(प) भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 56 स्टार्टअपों को मान्यता दी गई है। विभिन्न ट्रेडों में 143 अभ्यर्थियों को नामांकित किया गया है।

(फ) प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के अंतर्गत, बीआईएसएजी–एन, गुजरात के साथ सहयोग से 04 सड़क एलाइनमेंट परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

(ब) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह लॉजिस्टिक्स नीति 2023 तैयार और अधिसूचित की गई है।

(भ) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0) के अंतर्गत, कौशल विकास और उधमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार ने सरकारी आईटीआई डॉलीगंज को "कौशल केंद्र" के रूप में नामित किया है। इस स्कीम के अंतर्गत, 240 अभ्यर्थियों का नामांकन किया गया है, जिनमें से 114 अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया जा चुका है और 95 अभ्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(म) संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में 01 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक, 09 पशु चिकित्सा अस्पताल, 12 पशु चिकित्सा औषधालय, 48 पशु चिकित्सा उप–औषधालय और 15 मोबाइल पशु चिकित्सा औषधालय कार्यरत हैं।

(य) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 35 सुनामी सायरन (मैन्युअल रूप से संचालित) और इसरो के 12 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए हैं। भारत सरकार की आपदा मित्र स्कीम के अंतर्गत, संघ राज्य क्षेत्र के 300 आपदा मित्र सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है।

(कक) संघ राज्य क्षेत्र ने 79 वर्ष से कम आयु के 13,908 वरिष्ठ नागरिकों को 2,500 रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु के 1,472 वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की है। साथ ही, वृद्धावस्था पेंशन (आदिवासी उप योजना) स्कीम के तहत, 731 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(खख) निकोबार जिले के 12 द्वीपों में रहने वाली निकोबारी जनजातियां, जनजातियों में सबसे बड़ा समूह है। इस जनजाति की साक्षरता दर तेजी से बढ़ रही है; इसमें से कुछ लोग विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्रों में जिम्मेदारी वाली नौकरियां कर रहे हैं। ओंगे जनजातियों की संख्या धीरे–धीरे बढ़ रही है, जनजाति की वर्तमान जनसंख्या 135 है, जो डुगोंग क्रीक, लिटिल अंडमान में बसी हुई है। जारवा जनजाति की वर्तमान जनसंख्या 624 है, जो जारवा जनजातीय रिजर्व (जेटीआर) में रहती है जो कि दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीपों में आता है।

निकोबारी जनजातियां

ओंगे जनजातियां

जारवा जनजातियां

स्रोतः (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन)

(गग) पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों पर 11,248 बच्चों, 1,110 गर्भवती महिलाओं और 1,254 स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण प्रदान किया गया है। 29 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण/नवीनीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है। सभी 31 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों में स्तरोन्नत किया गया है। कुल 466 पोषण वाटिकाएं विकसित की गई हैं।

(घघ) दीनदयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई) स्कीम के अंतर्गत 757 अभ्यर्थियों को विभिन्न शिल्पों (ट्रेड्स) में नामांकित किया गया था। 582 अभ्यर्थियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जिनमें से 473 अभ्यर्थियों को मूल्यांकन के बाद प्रमाणित किया जा चुका है।

(ङङ) 13.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वराज द्वीप पर कार्गो की आवाजाही के लिए जेटी का निर्माण पूरा कर लिया गया है। स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप पर भूमि की तरफ (लैंडसाइड) अवसंरचना का भी विकास किया जा रहा है।

स्वराज द्वीप पर जेटी

(चच) 123.95 करोड़ रुपये की लागत से पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान में मरीन डॉकयार्ड में ड्राई डॉक–II के विस्तार का 90% कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष कार्य के जून 2024 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

(छछ) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत, 23 लाभार्थी पूर्ण हो चुके मकानों में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) के अंतर्गत, 24 नए पक्के मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

(जज) प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के तहत, वर्ष 2023–24 के दौरान 51 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत, 1,224 लाभार्थियों को नामांकित किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत, 13,308 लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत, 35.14 लाख रुपये की मार्जिन मनी के साथ 54 व्यक्तियों को रोजगार देने वाली 27 इकाइयों को सहायता प्रदान की गई है।

(झझ) दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई – एनयूएलएम) के अंतर्गत, सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास (एसएमआईडी) के तहत शहरी गरीबों के 20 सदस्यों को शामिल करके 02 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाए गए। स्वरोजगार कार्यक्रम (एसईपी) के अंतर्गत 16 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किया गया तथा कुल 104 स्ट्रीट वेंडर्स को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग (सीओवी) और पहचान पत्र जारी किए गए।

(ञञ) तटीय सुरक्षा स्कीम चरण–II के अंतर्गत, चैथम, कैंपबेल बे, एरियल बे और डिगलीपुर में समुद्री पुलिस परिचालन केंद्रों (एमपीओसी) का निर्माण पूरा हो चुका है, और इनका उद्घाटन किया जा चुका है।

(टट) ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए पांच समुद्र तटों : अर्थात डिगलीपुर में राम नगर, मायाबंदर में करमाटांग, रंगत में रमन बगीचा, लॉन्ग आइलैंड में लालाजी बे और लिटिल अंडमान में बटलर बे की पहचान की गई है। दिवस (डे) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 21 द्वीपों की भी पहचान की गई है।

(ठठ) 657.27 मीट्रिक टन प्लास्टिक, 1,647.32 मीट्रिक टन कांच, 432.18 मीट्रिक टन कार्ड बोर्ड, 760.17 मीट्रिक टन अपशिष्ट टायर और 4.205 मीट्रिक टन टेट्रा पैक अपशिष्ट को पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) के लिए मुख्य भूमि पर ले जाया गया।

(डड) मिशन भर्ती – रोजगार मेला के तहत, संघ राज्य क्षेत्र ने दिनांक 31.03.2024 तक कुल 3,884 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए हैं।

चंडीगढ़

6.9 चंडीगढ़, "द सिटी ब्यूटीफुल" को देश के सबसे अधिक हरे–भरे, सुरक्षित और सर्वोत्तम योजनाबद्ध शहर के रूप में जाना जाता है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अपने नागरिकों को प्रदान की जा रही सुविधाओं/सेवाओं के उन्नयन के लिए कई गतिविधियाँ/ परियोजनाएँ शुरू की हैं।

6.10 **वर्ष 2023–24 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां:**

(क) चंडीगढ़ में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा के साथ तीन स्तरीय स्वास्थ्य अवसंरचना प्रणाली की व्यवस्था है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रधानमंत्री–आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए) के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम), शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (यूएएएम) और सिविल औषधालयों द्वारा प्रदान की जाती है। द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा जिला अस्पताल–सरकारी मल्टी–स्पेशलिटी अस्पताल (जीएमएसएच), सेक्टर 16, उप–जिला अस्पताल (एसडीएच) मनीमाजरा, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (यूसीएचसी), सेक्टर 22 और 45 तथा ईएसआई अस्पताल रामदरबार द्वारा प्रदान की जाती है, और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर), सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच), सेक्टर 32, चंडीगढ़ द्वारा प्रदान की जाती है।

(ख) दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान, 7.008 एमडब्ल्यूपी का सोलर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) पावर संयंत्र संस्थापित किया गया, जिससे कुल उर्जा क्षमता 62.605 एमडब्ल्यूपी हो गई है। इसके अलावा, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र ने सरकारी भवनों में संस्थापित सौर सेलों से (दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक) 21.44 मिलियन यूनिट (एमयू) सौर ऊर्जा सृजित की, जिससे कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में

14,793.6 मीट्रिक टन की कमी आई।

(ग) चंडीगढ़ पुलिस की मानव तस्करी रोधी यूनिट ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए दिनांक 01.04.2023 से 30.04.2023 तक ऑपरेशन मुस्कान–VIII चलाया और इस ऑपरेशन के तहत 21 बच्चों को भीख मांगने/मजदूरी करने से छुड़ाया गया था और 04 बच्चों को उनके परिवार से मिलाया गया था।

(घ) नागरिकों को त्वरित, सुविधाजनक और पारदर्शी तरीके से पासपोर्ट संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए, चंडीगढ़ पुलिस ने 'एमपासपोर्ट पुलिस ऐप' को अपनाया है, जो ऑनलाइन मोड के माध्यम से सभी पासपोर्ट सत्यापनों के लिए एक एकीकृत मंच है, जिससे पासपोर्ट सत्यापन का समय घटकर 3 दिन रह गया है।

(ङ) पुलिस बल को लोक हितैषी बनाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने एक वृहत प्रशिक्षण कार्यक्रम "कर्मयोगी पुलिस– समाज के संरक्षक" शुरू किया है। चंडीगढ़ पुलिस पूरे भारत में इस वेब एप्लीकेशन को लागू करने वाली पहली पुलिस है। दिनांक 31.03.2024 तक, 42 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और 1,322 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

(च) दिव्यांग व्यक्तियों, जिनके पास मोटर चालित वाहन है, को पेट्रोल सब्सिडी प्रदान की जा रही है, और ये व्यक्ति पेट्रोल/डीजल की खरीद पर 40 लीटर प्रति माह तक के वास्तविक खर्च पर 50% सब्सिडी के पात्र हैं। शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को दिन प्रतिदिन के कार्य हेतु उनकी गतिशीलता बढ़ाने के लिए सहायक उपस्कर/उपकरण खरीदने के लिए 40,000/– रुपये तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, 5,092 दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांग पेंशन दी जा रही है। अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों की उन विधवा/निराश्रित महिलाओं की बेटियों को 20,000/– रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिनकी परिवारिक आय 24,000/– रुपये प्रति वर्ष तक है। 12,286 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन और 9,911 लाभार्थियों को विधवा पेंशन दी जा रही है।

(छ) महिला–पुरुष अनुपात में सुधार के लिए ''अपनी बेटी अपना धन'' स्कीम लागू की गई है। इस स्कीम के अनुसार बालिकाओं के नाम पर 5000/– रुपये की राशि का चिल्ड्रन करियर प्लान में निवेश किया जाता है। इस स्कीम के तहत दिनांक 31.03.2024 तक 71 लाभार्थियों को लाभ मिला है। संघ राज्य क्षेत्र हमारी बेटी स्कीम को भी कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के तहत, किसी भी निर्धारित बैंक में बालिका और कार्यक्रम अधिकारी के नाम से संयुक्त खाते में 18 वर्ष की रिटेंशन अवधि के लिए 40,000/– रुपये की राशि सावधी जमा (एफडी) के रूप में रखी जाती है तथा मैच्युरिटी के समय धनराशि जारी की जाती है।

(ज) एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम के अंतर्गत, 450 आंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे हैं और दिनांक 31.03.2024 तक 06 माह से लेकर 06 वर्ष आयु वर्ग के 37,053 बच्चों, 6,429 गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को नामांकित किया गया है।

(झ) दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान, चंडीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम लिमिटेड ने प्रत्यक्ष ऋण योजना के तहत 42 लाभार्थियों के लिए ऋण स्वीकृत किया है तथा राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) स्कीम के तहत समाज की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 14 महिला लाभार्थियों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ऋण स्वीकृत किया है।

(ञ) कच्चे खाद्यान्न के बदले राशि स्कीम के तहत,

खाद्य सब्सिडी राशि ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम'' के अंतर्गत पात्रता के अनुसार डीबीटी के माध्यम से पंजीकृत लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में अंतरित की जा रही है। वर्तमान में प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लिए 167.52 रुपये प्रति सदस्य प्रति माह और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लिए 1,172.64 रुपये प्रति परिवार प्रति माह की दर से 71,544 परिवार, 3,09,940 सदस्य योजना का लाभ उठा रहे हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम के तहत, 286 परिवारों को नामांकित किया गया था।

(ट) डीबीटी के अंतर्गत 63 स्कीमें (28 राज्य प्रायोजित स्कीमें (एसएसएस) + 35 केंद्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)) हैं। विभिन्न डीबीटी स्कीमों के अंतर्गत, 3.48 लाख लाभार्थियों को 89.72 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है (दिनांक 31.03.2024 तक)।

(ठ) माननीय प्रशासक ने नागरिकों को एक डेस्क पर गैर–अपराध पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए दिनांक 09.10.2023 को 'समावेश' लॉन्च किया। ये समावेश केंद्र संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के सभी 16 पुलिस स्टेशनों में स्थापित किए गए हैं और इन्हें ई–साथी चंडीगढ़ पुलिस ऐप के साथ एकीकृत किया गया है। समावेश केंद्र जनता को 14 प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें विभिन्न विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान और महिलाओं, बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित वर्तमान मुद्दों पर नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना शामिल है।

(ड) "ऊर्जाः एक नई किरण" परियोजना के अंतर्गत, माननीय गृह मंत्री जी ने दिनांक 30.07.2023 को चंडीगढ़ के चिन्हित इलाकों अर्थात दादूमाजरा, मलोया बढेरी, सेक्टर 25, सेक्टर 54, सेक्टर 55 और सेक्टर 56, चंडीगढ़ में मादक पदार्थों से प्रभावित हो सकने वाले बच्चों के लिए "बाल अनुकूल और नशा मुक्त समुदाय" कार्यक्रम की शुरुआत की। इस परियोजना के अंतर्गत अब तक 1,329 बच्चों को नामांकित किया गया है।

(ढ) माननीय रक्षा मंत्री जी ने दिनांक 08.05.2023 को भारतीय वायु सेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया।

(ण) प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के तहत, गर्भवती महिलाओं को व्यापक और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं को ट्रैक किया जा सके। दिनांक 31.03.2024 तक, 2,514 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का इलाज किया गया है।

(त) समग्र शिक्षा चंडीगढ़ के तहत 158 जेबीटी और 90 टीजीटी की भर्ती की गई है। इसके अलावा, संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के सरकारी स्कूलों में लेक्चरर, टीजीटी, जेबीटी के 903 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

(थ) सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 106 सरकारी स्कूलों में 205 स्मार्ट क्लास रूम बनाए गए हैं।

(द) अध्ययन संबंधी परिणामों में सुधार लाने के लिए डाटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य स्तर पर एक केन्द्रीय प्रणाली (विद्या समीक्षा केंद्र) की स्थापना के लिए 2.00 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है।

(ध) डीएवी कॉलेज, सेक्टर–10, चंडीगढ़ के निम्नलिखित छात्रों ने दिनांक 23.09.2023 से 08.10.2023 तक हांग्जो, चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में पदक जीतेः–

(i) पलक ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक और टीम रजत पदक जीता।

(ii) मनु भाकर ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में निशानेबाजी में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में टीम स्वर्ण पदक जीता और विश्व विश्वविद्यालय खेलों में एयर पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत और टीम स्वर्ण पदक भी जीता।

(iii) सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में टीम स्वर्ण पदक और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में टीम रजत पदक जीता।

(iv) आदर्श सिंह और विजयवीर सिद्धू ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में टीम कांस्य पदक जीता।

(न) चंडीगढ़ इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के तहत, चंडीगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी संवर्धन सोसायटी (सीआरईएसटी) द्वारा चंडीगढ़ ईवी नीति पहल में भाग लेने वाले 3,001 लाभार्थियों को 18.66 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई।

(प) संघ राज्य क्षेत्र में कुल 37,940 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकृत हैं, जिनमें से 36,053 सूक्ष्म उद्यम, 1,704 लघु उद्यम और 163 मध्यम उद्यम हैं।

(फ) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी–ई–पोर्टल) स्कीम के अंतर्गत, दिनांक 1.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान बैंकों द्वारा 4 मामले स्वीकृत एवं संवितरित किए गए।

(ब) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने निम्नलिखित निर्माण कार्य पूरे कर लिए हैं: –

(i) 1.90 करोड़ रुपये की लागत से सुखना झील, चंडीगढ़ के पास सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक का निर्माण।

(ii) 17.70 करोड़ रुपये की लागत से पीईसी, सेक्टर 12 में हिमालया बॉयज हॉस्टल (जी+2) का विस्तार।

(iii) 9.95 करोड़ रुपये की लागत से सीसीईटी–26 में केन्द्रीय पॉलिटेक्निक में वर्कशॉप ब्लॉक का विस्तार।

(iv) 4.82 करोड़ रुपये की लागत से सेक्टर 45 में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण।

(v) 4.00 करोड़ रुपये की लागत से *विकास मार्ग* पर जंक्शन 60 और 62 का सुधार।

(vi) 9.00 करोड़ रुपये की लागत से खेल परिसर, सेक्टर 7 में सब–बेस सहित 400 मीटर के 8 लेन सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण।

(vii) 2.44 करोड़ रुपये की लागत से 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन, हल्लोमाजरा से 66 केवी के 02 सर्किट उपलब्ध कराना।

(viii) 3.06 करोड़ रुपये की लागत से सेक्टर–39, 40, 41, 42, 31, 32, 33, 34, 44, 45, 46 और 47 की ओर *शांति पथ* पर, सेक्टर–39 और 40 की ओर *पश्चिम मार्ग* पर और *विद्या पथ* पर साइकिल ट्रैक की री–कार्पेटिंग।

(ix) 8.00 करोड़ रुपये की लागत से *नीलम सिनेमा* और शहरी पार्क के बीच टेबल टॉप का निर्माण तथा अन्य संबंधित कार्य, उत्तरी प्लाजा में एम्फीथियेटर का निर्माण तथा सेक्टर 17 में दक्षिण प्लाजा का पुनर्विकास।

(x) 22.93 करोड़ रुपये की लागत से सीसीईटी–26 में प्रशासनिक ब्लॉक–सी का निर्माण।

(भ) 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार, संघ राज्य क्षेत्र में पशुओं की संख्या 25,000 है। बड़े पशुओं के लिए चार पशु चिकित्सालय, पालतू पशुओं के लिए एक पशु चिकित्सालय और एक कृत्रिम गर्भाधान केंद्र के साथ–साथ नौ पशु चिकित्सा

उप–केंद्र हैं, जो पशुओं को आसानी से पहुंच योग्य दूरी पर प्रभावी स्वास्थ्य कवर प्रदान करने और संक्रामक रोगों के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए कार्य कर रहे हैं।

(म) मिशन भर्ती–रोजगार मेला के अंतर्गत, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ ने दिनांक 31.03.2024 तक कुल 1,578 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

6.11 अनुच्छेद 239कक को शामिल करके 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के पारित होने से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली अस्तित्व में आया। इसकी सत्तर सदस्यों वाली एक विधान सभा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1,483 वर्ग किलोमीटर है तथा इसमें कुल ग्यारह राजस्व जिले हैं।

दिल्ली पुलिस

6.12 दिल्ली पुलिस के स्वीकृत कर्मियों की कुल संख्या 94,249 है और इसके प्रमुख पुलिस आयुक्त होते हैं, जिनकी सहायता 12 विशेष पुलिस आयुक्त, 20 संयुक्त पुलिस आयुक्त, 20 अपर पुलिस आयुक्त और 107 पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त करते हैं। दिल्ली पुलिस को 6 रेंज, 15 जिलों और 225 पुलिस स्टेशनों में विभाजित किया गया है, जिसमें हाल ही में स्वीकृत/अधिसूचित 15 साइबर पुलिस स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा, यातायात प्रबंधन, आसूचना जुटाने तथा आतंकवाद से निपटने, वीआईपी सुरक्षा, सशस्त्र रिजर्व और पुलिस प्रशिक्षण जैसी अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए विशेष इकाइयां भी मौजूद हैं।

बजट

6.13 पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बजट आवंटन और व्यय निम्नानुसार हैः –

(रुपये करोड़ में)

लेखा शीर्ष	अंतिम आवंटन वर्ष 2023-24	दिनांक 31.03.2024 तक वास्तविक व्यय वर्ष 2023-24
राजस्व	11,191.36	11,123.96
पूंजी	1,105.41	1,102.46
कुल	**12,296.77**	**12,226.42**

6.14 **वर्ष 2023–24 के दौरान प्रमुख उपलब्धियांः**

(क) कुल आईपीसी अपराधों के प्रतिशत के रूप में, कुल जघन्य अपराध वर्ष 2015 में 5.85% से घटकर वर्ष 2021 में 1.96%, वर्ष 2022 में 1.75%, वर्ष 2023 में 1.58% और वर्ष 2024 में 1.87% हो गए (दिनांक 31.03.2024 तक)। *'ऑपरेशन मिलाप'* के अंतर्गत (दिनांक 31.03.2024 तक) कुल 7,511 लापता बच्चों का पता लगाया गया और उन्हें फिर से उनके परिवार से मिलाया गया।

(ख) गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के वाहनों की प्राधिकृत संख्या 6,535 से बढ़ाकर 10,997 कर दी है, जिसमें से 3,327 वाहनों की खरीद की मंजूरी दे दी गई है। वाहनों की संख्या में वृद्धि के चलते दिल्ली पुलिस की गतिशीलता में सुधार हुआ है, जिससे कानून–व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है।

(ग) दिल्ली पुलिस कार्मिकों की आवास संबंधी संतुष्टि के स्तर को बेहतर बनाने और मनोबल को बढ़ाने के लिए, सरकारी आवास के लिए दिल्ली पुलिस के 83,484 पात्र कर्मचारियों हेतु कुल 16,344 क्वार्टर उपलब्ध हैं, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली पुलिस कार्मिकों की आवास संबंधी संतुष्टि का स्तर 19.57% तक बढ़ गया है। इससे अन्य राज्यों से सेवा में शामिल होने वाले कार्मिकों को भी दिल्ली में आवास प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

(घ) दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 2012 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 16,972 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें 50 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में अपराध मानचित्रण अध्ययन के आधार पर संवेदनशील स्थानों पर लगाए गए 6,630 सीसीटीवी कैमरे शामिल हैं। 197 पुलिस स्टेशनों में संस्थापित मौजूदा 1,941 सीसीटीवी कैमरों के उन्नयन और 208 पुलिस स्टेशनों में अतिरिक्त 2,175 सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, रोहिणी जिले के अमन विहार और प्रेम नगर में पुलिस स्टेशन के इलाके में 650 सीसीटीवी लगाने का टेंडर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरों की संस्थापना और रिमोट मॉनिटरिंग से, 24/7 निगरानी हासिल की गई है, जिससे अपराध की रोकथाम, विभिन्न परिस्थितियों में सुरक्षा, किसी घटना की स्थिति में त्वरित कार्रवाई और यातायात प्रबंधन सुनिश्चित हुआ है।

(ङ) अंतर–प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) को लागू किया गया है, जो कि आपराधिक न्याय के विभिन्न स्तंभों यथा पुलिस, न्यायालयों, कारागारों, अभियोजन, एफएसएल आदि के बीच डेटा साझा करने के लिए एक साझा मंच है। इस पोर्टल ने एक ही मंच पर विभिन्न स्टेकहोल्डरों से डेटा की अखिल भारतीय स्तर की खोज की सुविधा प्रदान की है।

(च) दैनिक डायरी का मैन्युअली रखरखाव सीसीटीएनएस में स्थानांतरित कर दिया गया है और एक अलग मॉड्यूल के माध्यम से अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क (सीसीटीएनएस) में इसका रख–रखाव किया जा रहा है। एफआईआर को डिजिटल रूप से सीसीटीएनएस में दर्ज किया जा रहा है। अपराध संबंधी विवरणों, गिरफ्तारी संबंधी विवरणों और अन्य पुलिस रिकॉर्डों का रख–रखाव सीसीटीएनएस पर किया जा रहा हैं। फाइनल फॉर्मों/आरोपपत्रों को सीसीटीएनएस के माध्यम से न्यायालय प्रबंधन प्रणाली में डिजिटल रूप से भेजा जा रहा है और मसौदा आरोपपत्र को भी जांच के लिए अभियोजन पक्ष को सीसीटीएनएस के माध्यम से डिजिटल रूप से भेजा जा रहा है।

(छ) पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) यूनिट को नया स्वरुप दिया गया है और इसे दिनांक 01.04.2023 से पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है तथा यह जरूरतमंद/संकटग्रस्त लोगों को न्यूनतम संभव समय में सहायता प्रदान करती है और सड़कों पर अपराध करने वाले अपराधियों को पकड़ती है। पीसीआर यूनिट में 802 मोबाइल गश्ती वैन (एमपीवी) और केंद्रीय पुलिस नियंत्रण कक्ष (सीपीसीआर) शामिल हैं। पीसीआर बेड़े में पीसीआर नेट पर मोबाइल पेट्रोल मोटरसाइकिल (एमपीएम), 'पराक्रम' वैन (पीकेवी), 'प्रखर' (स्ट्रीट क्राइम पेट्रोल वैन), समस्त महिला पीसीआर (एडब्ल्यूपीसीआर) और पर्यटक पुलिस वैन भी शामिल हैं। केंद्रीय पुलिस नियंत्रण कक्ष (सीपीसीआर) में कमांड रूम और एक कॉल सेंटर शामिल है।

(ज) दिल्ली पुलिस ने ई–बीट बुक परियोजना शुरू की है। ई–बीट बुक में महत्वपूर्ण स्थानों को जियो मैप किया गया है जिससे किसी भी आपात स्थिति में समय की बचत होगी। ई–बीट बुक में चेहरे की पहचान करने वाला सॉफ्टवेयर और अपराधियों के डोजियर हैं। इसके अलावा, चोरी किए गए अथवा लूटे गए के रूप में दर्ज वाहनों को ई–बीट बुक में अपडेट किया जा रहा है और इसे सभी बीट कांस्टेबलों को फ्लैश किया जाता है जिससे बैरिकेड चेकिंग करने वाला बीट कांस्टेबल किसी भी वाहन का मौके पर ही सत्यापन कर सकता है। ई–बीट बुक में जेल/जमानत सत्यापन, किरायेदार सत्यापन, नौकर सत्यापन, दुश्चरित्र व्यक्ति जांच, जियो टैगिंग

और पिकेट चेकिंग जैसी सुविधाएं हैं। दिल्ली पुलिस के समस्त जिलों में कुल 2,27,565 किरायेदार सत्यापन, 2,28,694 नौकर सत्यापन, 5,08,226 जेल/जमानत सत्यापन, 12,987 दुश्चरित्र व्यक्ति जांच, 1,15,724 जियो टैगिंग और 28,81,895 पिकेट जांच की गई हैं।

(झ) सार्वजानिक शिकायतों के निवारण को सुदृढ़ बनाने के लिए, दिल्ली पुलिस ने दिनांक 08.11.2020 से एकीकृत शिकायत निगरानी प्रणाली (आईसीएमएस) शुरू की है। आईसीएमएस के शुरू होने के बाद से, दिल्ली के विभिन्न कार्यालयों/पुलिस स्टेशनों में आईसीएमएस में कुल 17,16,242 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 5,72,112 शिकायतों का निपटान किया जा चुका है (दिनांक 31.03.2024 तक)।

(ञ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिनांक 09–10 सितंबर, 2023 को देश ने अपने पहले प्रतिष्ठित जी–20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। दिल्ली पुलिस ने यातायात के सुचारू प्रवाह और निर्बाध यात्रा अनुभव को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जी–20 शिखर सम्मेलन के दौरान यात्रियों को रियल टाइम यातायात अपडेट देने के लिए अपना जी–20 वर्चुअल हेल्प डेस्क लॉन्च किया। शिखर सम्मेलन के लिए उच्चतम मानक स्तर की यातायात व्यवस्था की गई। दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए ठोस प्रयासों से कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ।

(ट) बापू धाम, पुलिस पोस्ट सावदा घेवरा में सुरक्षा पुलिस लाइन और सेक्टर 21 तथा 23, रोहिणी में पुलिस चौकी का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ठ) मिशन भर्ती के तहत, दिल्ली पुलिस द्वारा 15,633 नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं और 4,424 कर्मचारियों को कांस्टेबल से इंस्पेक्टर स्तर पर पदोन्नत किया गया है। इस भर्ती से दिल्ली पुलिस में जनशक्ति की कमी दूर हुई है और इससे दिल्ली पुलिस के कामकाज को सुदृढ़ बनाने और दिल्ली के नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने में मदद मिलेगी।

दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव

6.15 दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है तथा गुजरात के *वलसाड* जिले और *महाराष्ट्र* के पालघर जिले से घिरा हुआ है।

6.16 **वर्ष 2023–24 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां:**

(क) माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 25.04.2023 को संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव का दौरा किया। यात्रा के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4,850 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली निम्नलिखित विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और लोगों को समर्पित किया:

(i) *सिलवासा* में नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान।

(ii) 96 परियोजनाएं, जैसे कि *दमण* में सरकारी स्कूल, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज आदि।

(iii) विभिन्न सड़कों का सौन्दर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण।

(iv) मछली बाज़ार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स।

(v) जलापूर्ति योजना का विस्तार।

(vi) बांडोदकर खेल परिसर।

(vii) *छपली शेरी* से *देवका* बीच से प्रिंसेस पार्क तक समुद्र तट सड़क को बढ़ाना और इसका विस्तार।

(viii) *प्रधानमंत्री आवास योजना* (शहरी) के लाभार्थियों को नवनिर्मित मकानों की चाबियां सौंपी गईं।

(ix) दमण में 5.45 किलोमीटर लंबे देवका समुद्र तट का नाम *नमो* पथ रखा गया।

(माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे की झलक)

स्रोत (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन)

(ख) इस अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनाएं पूरी की गईः

(i) दमण जिले में सब्जी मंडी का निर्माण।

(ii) *सिलवासा* में नए कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण (चरण–II)।

(iii) एनएच 848 रिंग रोड जंक्शनों के लिए प्वाइंट ए (*यात्री निवास के पास*), जी (समरवरनी जंक्शन) और बी (*पिपारिया जंक्शन पर*) के लिए प्रमुख जंक्शनों हेतु फलाईओवर पुलों का निर्माण।

(iv) दादरा और नगर हवेली जिले में दमण गंगा पर दुधनी और कौंचा को जोड़ने वाले हाई–लेवल पुल का निर्माण।

(v) *सिलवासा*, दादरा और नगर हवेली जिले में कला केन्द्र का निर्माण।

(vi) *दीव* जिले में शिक्षा हब के लिए छात्रावास भवनों, संकाय भवन के इंटीरियर और साज–सज्जा संबंधी कार्य आदि।

(vii) दीव फोर्ट का सौंदर्यीकरण तथा लैंडस्केपिंग।

(ग) नवीकरणीय ऊर्जा नीति के अंतर्गत, कुल 14.3 मेगावाट क्षमता वाले 03 ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी संयंत्र संस्थापित किए गए हैं। 1,552 निजी भवनों में कुल 83.22 मेगावाट क्षमता वाले सोलर रूफ टॉप संयंत्र संस्थापित किए गए हैं तथा 402 सरकारी स्वामित्व वाले भवनों में कुल 5.98 मेगावाट क्षमता वाले रूफ टॉप सोलर पीवी संयंत्र संस्थापित किए गए हैं।

(घ) निवेश प्रोत्साहन स्कीम के अंतर्गत, दादरा और नगर हवेली जिले में 161 लाभार्थियों को कुल 34.17 करोड़ रुपये की राशि (पूंजी एवं ब्याज सब्सिडी) तथा दमण; दीव जिलों में 38 लाभार्थियों को 4.00 करोड़ रुपये की राशि (पूंजी एवं ब्याज सब्सिडी) संवितरित की गई है। ईज–ऑफ–डूइंग–बिजनेस के अंतर्गत, वर्ष 2023–24 में 352 सुधारों में से 315 सुधारों को मंजूरी दी गई।

(ङ) वर्ष 2023–24 के दौरान 100% संस्थागत प्रसव

हुए। बच्चों के टीकाकरण के तहत 103% कवरेज हासिल की गई। सभी 94 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को उन्नत किया गया है तथा 100% संतृप्ति हासिल की गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई 14 सुविधाओं के लक्ष्य की तुलना में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवाओं के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों सहित 69 स्वास्थ्य सुविधाओं को सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (एसयूएमएएन) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। 02 लाख से अधिक परिवारों और 07 लाख नागरिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नामांकित किया गया है। सभी घरों के लिए जियो–टैगिंग और क्यूआर कोड स्टिकर सुनिश्चित किए गए हैं।

(च) डिकरी विकास स्कीम के तहत, 861 बालिकाओं के लिए 42,372 रुपये की एलआईसी पॉलिसी की गई है। एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के तहत, 15,374 बच्चों (06 महीने से 03 वर्ष), 7,686 बच्चों (03 वर्ष से 06 वर्ष) और 7,625 गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण प्रदान किया गया। मिशन वात्सल्य के तहत, देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले 519 बच्चों (प्रत्येक को मासिक 4,000 रुपये) के लिए 1.83 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। डीएनएच जिले में 25 लड़कों के लिए एक नया बाल गृह स्थापित किया गया है।

(छ) 93,685 विद्यार्थियों को स्कूली स्टेशनरी, नोटबुक, जूते एवं मोजे, स्कूल बैग और पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गईं हैं। 1,077 क्लास रूमों को स्मार्ट क्लास रूम में परिवर्तित किया गया है। सभी स्कूलों में लाइब्रेरी, रीडिंग कॉर्नर और आईसीटी लैब स्थापित की गई हैं।

(ज) संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) पेंशन स्कीम, जो कि वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, से कुल 29,901 लाभार्थी लाभान्वित हुए।

(झ) अन्य राज्यों से आये कुल 73,532 प्रवासी लाभार्थियों ने आधार/बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रबंधन (आईएम–पीडीएस) के तहत "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" स्कीम के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त किया। एनएफएसए खाद्य सुरक्षा के तहत, 2.69 लाख लाभार्थियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया और 98% की औसत वितरण दर के साथ 58,243 परिवारों को कवर किया गया।

(ञ) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम के अंतर्गत, 16,168 लाभार्थियों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 2.3 लाख खाते; प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 1,29,051 खाते तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2,30,220 खाते खोले गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3,777 मकान बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत 285 किसान, तथा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत 2,205 किसान शामिल किए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) के तहत, 15,540 लाभार्थियों को विभिन्न किस्तों में भुगतान प्राप्त हुआ है। "प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" के तहत, संघ राज्य क्षेत्र ने 100% एसईसीसी परिवारों तक स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार किया है। 100% सार्वजनिक सुविधाएं और 100% सरकारी और निजी डॉक्टर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत पंजीकृत हैं। संघ राज्य क्षेत्र के सभी तीनों जिले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।

(ट) प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत, दादरा और नगर हवेली जिले के बलदेवी क्षेत्र में 64.13 करोड़ रुपये की लागत से कुल 704 घर बनाए गए और लाभार्थियों को सौंप दिए

गए। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत, स्वीकृत 9,970 घरों में से 9,098 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

(ठ) एकीकृत कृषि विकास स्कीम के अंतर्गत, 968 किसानों को धान/दलहन बीज, जीवाणु संवर्धन, हैंड/फुट स्प्रे पंप, फ्रूट फ्लाई ल्यूर, भंडारण डिब्बे आदि उपलब्ध कराए गए।

(ड) लकड़ी और फल देने वाली प्रजातियों के मिश्रित पौधों का रोपण करके क्षीण वनक्षेत्र में 510 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। बांस के 23.43 लाख पौधे लगाकर 335 किलोमीटर की वन सीमा पर बांस का वृक्षारोपण भी किया गया। संघ राज्य क्षेत्र के 2,199 लाभार्थी आदिवासी ग्रामीणों को 49,383 ग्रीन किट पौधे वितरित किए गए।

(ढ) सतत ब्लू अर्थव्यवस्था हेतु वैज्ञानिक चुनौतियां तथा अवसर पर प्रतिष्ठित जी–20, का 5वां अनुसंधान और नवाचार पहल सभा (आरआईआईजी) सम्मेलन दिनांक 18–19 मई तक दीव जिले में आयोजित किया गया, जिसका उद्‌घाटन दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के माननीय प्रशासक और जी–20 इंडिया के शेरपा द्वारा किया गया।

(ण) संघ राज्य क्षेत्र के सभी तीनों जिलों दादरा और नगर हवेली; दमण; व दीव में 356 परिवारों को तत्काल राहत सहायता प्रदान की गई है, जो दिनांक 30.03.2024 को हुई भारी वर्षा/ आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित हुए थे।

(त) महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की जांच और रोकथाम में संघ राज्य क्षेत्र ने पहला स्थान हासिल किया है।

(थ) दिनांक 25.09.2023 से 26.09.2023 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2023 शिखर सम्मेलन के दौरान दादरा और नगर हवेली जिले को (संघ राज्य क्षेत्र श्रेणी) में दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा आभा (एबीएचए) से जुड़े डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड संख्या के लिए आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया।

(द) निम्नलिखित ग्राम पंचायतों को मूल्यांकन वर्ष 2022–23 के लिए सतत विकास लक्ष्य विषयों के स्थानीयकरण के लिए उनके प्रदर्शन हेतु सम्मानित किया गया और उन्होंने "राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार" स्कीम के तहत संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर रैंक हासिल की:

क्र.सं.	विषय का नाम	पहली रैंक	दूसरी रैंक	तीसरी रैंक
1	गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका पंचायत	कौंचा	किलवानी	रंधा
2	स्वस्थ पंचायत	सोमनाथ	बुछारवाड़ा	खानवेल
3	बाल हितैषी पंचायत	रंधा	अंबोली	वनकबारा
4	जल प्रचुर पंचायत	दपाड़ा	कचीगाम	वनकबारा
5	स्वच्छ एवं हरित पंचायत	दपाड़ा	सुरंगी	बुछारवाड़ा
6	पंचायत में आत्मनिर्भर अवसंरचना	दुनेठा	मगरवाड़ा	मसाट
7	सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत	कचीगाम	कडैया	वरकुंड

8	सुशासन वाली पंचायत	भीमपुर	दुनेठा	वरकुंड
9	महिला-हितैषी पंचायत	दमणवाड़ा	घेलवाड	सुरंगी

स्रोत (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन)

(ध) मिशन भर्ती – रोजगार मेला के तहत, संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) ने दिनांक 31.03.2024 तक कुल 318 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए हैं।

लक्षद्वीप

6.17 लक्षद्वीप, प्रवाल द्वीपसमूह और चट्टानों से युक्त एक द्वीप पुंज है, जो भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है। यहां कुल 36 द्वीप, चट्टानें/जलमग्न तट हैं, जिनमें से 10 बसावट वाले हैं तथा केरल के पश्चिमी तट से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी तक अरब सागर में फैले हुए हैं। संघ राज्य क्षेत्र की समस्त देशी (स्थानीय) आबादी को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना और नारियल की खेती है। संघ राज्य क्षेत्र में पर्यटन एक उभरता हुआ उद्योग है।

6.18 **वर्ष 2023–24 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां:**

(क) रियल क्राफ्ट पंजीकरण के तहत पंजीकृत मछली पकड़ने वाली 30 बड़ी नौकाओं को ताजा ट्यूना इकट्ठा करने और विभिन्न द्वीपों से ठंडी मछलियों को मुख्य भूमि तक ले जाने के लिए तैनात किया गया है। मछुआरों को 150 लीटर क्षमता वाले 300 इंसुलेटेड आइसबॉक्स निःशुल्क वितरित किए गए। इसके अलावा, मछली पकड़ने में बढ़ोत्तरी के लिए, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने वर्ष 2023–24 के दौरान 07 स्थानों पर फिश एग्रीगेटिंग डिवाइस (एफएडी) लगाए हैं और निकट भविष्य में 13 और लगाने की योजना है।

(ख) लगभग 1,072 करोड़ रुपये की लागत वाली "कोच्चि लक्षद्वीप द्वीपसमूह सबमरीन" ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना (केएलआई परियोजना) ने संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के सभी बसावट वाले द्वीपों को सबमरीन केबल के माध्यम से मुख्य भूमि (कोच्चि) से जोड़ा है। केएलआई परियोजना को 100 जीबीपीएस तक की गति प्रदान करने और 4जी और 5जी नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस परियोजना का उद्घाटन और शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 03.01.2024 को की गई थी। केएलआई परियोजना शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई–कॉमर्स, डिजिटल गवर्नेंस, पर्यटन आदि के क्षेत्रों में बेहद लाभकारी है।

(ग) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) स्कीम के अंतर्गत 13 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा 38 नई परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) संघ राज्य क्षेत्र ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए *मिशन लाइफ 2023* के 500 कार्यक्रमों का लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारत की जी–20 अध्यक्षता के तहत दिनांक 21.05.2023 को मेगा बीच और लैगून सफाई कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(ङ) खादी और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, लक्षद्वीप खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता अनुदान के रूप में 60 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है।

(च) संघ राज्य क्षेत्र में 54 शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो स्कूल, डिग्री, स्नातक स्तर की शिक्षा और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा को कवर करती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 91.85% है। स्मार्ट क्लास रूमों के साथ–साथ सभी क्लास रूमों में स्मार्ट लर्निंग डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं। सभी स्कूलों में प्रवेशोत्सवम का भी आयोजन किया गया था।

कक्षा 03 से 12 तक के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर छात्रों के लिए ''एकलव्य'' टॉप स्कोरर पुरस्कार के तहत एक नई स्कीम लागू की गई है।

(छ) प्रधानमंत्री की समग्र पोषक परियोजना के लिए व्यापक स्कीम के तहत प्रशासन आठवीं कक्षा तक मिड–डे–मील (एमडीएम) उपलब्ध करा रहा है। दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार 8,943 छात्र एमडीएम का लाभ उठा रहे हैं। स्कूली शिक्षा अर्थात पूर्व–प्राथमिक से माध्यमिक स्तर की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों के तहत वर्ष 2023–24 के लिए लक्षद्वीप में समग्र शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए 719.94 लाख रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई।

(ज) कवरत्ती, मिनिकॉय, एंड्रोथ और कल्पेनी द्वीपों पर पेट्रोलियम तेल और लुब्रीकेंट (पीओएल) आउटलेटों ने सेवाएं शुरू कर दी हैं। लक्षद्वीप प्रशासन ने शेष द्वीपों में पीओएल स्टेशन खोलने के लिए भी कदम उठाए हैं। पांच द्वीपों में एलपीजी गोदाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) को सौंप दिए गए हैं और शेष पांच द्वीपों में भी एलपीजी ऑपरेशन शुरू करने की पहल की गई है।

(झ) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने एक वर्ष की अवधि के लिए सभी एनएफएसए लाभार्थियों (प्राथमिकता वाले परिवार और अंत्योदय अन्न योजना) हेतु प्राथमिकता वाले परिवार कार्ड धारकों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम और *अंत्योदय अन्न योजना* कार्ड धारकों के लिए प्रति परिवार 35 किलोग्राम चावल निःशुल्क वितरित करने के लिए 1528.14 मीट्रिक टन चावल आवंटित किया है।

(ञ) राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अंतर्गत *ई–डाक* पोर्टल संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में चालू हो गया है।

(ट) संघ राज्य क्षेत्र पेंशन स्कीम के तहत, 3,354 लाभार्थियों जिनमें, वृद्ध, विधवाएं, परित्यक्त महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं, को 5.89 करोड़ की राशि संवितरित की गई है ।

(ठ) संघ राज्य क्षेत्र ने स्वयं सहायता समूह/द्वीप श्री और पड़ोस (नेबरहुड) समूहों सहित 465 महिला किसानों को 10,188 कड़कनाथ/कावेरी/कलिंग पक्षी निःशुल्क वितरित किए हैं।

(ड) वर्ष 2023–24 में 2,998 किसानों ने 27 करोड़ रुपये मूल्य के किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाया।

(ढ) पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के अंतर्गत, 6–36 महीने की आयु वर्ग के बच्चों और गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रति लाभार्थी क्रमशः 8.00/– रुपये और 9.50/– रुपये प्रति दिन की दर से "टेक होम राशन" प्रदान किया जाता है। 3–6 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रति लाभार्थी 8.00/– रुपये प्रति दिन की दर से सुबह का नाश्ता/पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। पोषण अभियान के अंतर्गत, कुल 5,343 लाभार्थी हैं, जिनमें 06 महीने से 03 वर्ष; 03–06 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे और गर्भवती महिलाएं तथा स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल हैं। सभी लाभार्थी पोषण ट्रैकर में सक्रिय हैं। संघ राज्य क्षेत्र ने सभी द्वीपों में *"पोषण माह –2023"* मनाया। सभी 59 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट फोन और ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस प्रदान किए गए।

(ण) प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत, संघ राज्य क्षेत्र ने ग्रामीण आवास में 100% संतृप्ति हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) के अंतर्गत, 2,452 लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया और 16 किस्तों में सम्मान निधि का भुगतान किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत, 22.66 लाख रुपये के व्यय

से 4,394 कार्य–दिवस सृजित किए गए। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत, 368 द्वीपश्री और पड़ोस (नेबरहुड) समूह बनाए गए।

(त) वाहन लाइसेंस के पंजीकरण एवं उसे जारी करने के लिए 'परिवहन सारथी 4.0' सॉफ्टवेयर तैयार किया गया।

(थ) लक्षद्वीप में ई–रिक्शा सेवा शुरू की गई है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, लक्षद्वीप के निवासियों को नए ई–रिक्शा खरीदने के लिए 50% (50,000/– रुपये तक सीमित) की सब्सिडी प्रदान कर रहा है।

(द) भारत की जी–20 अध्यक्षता के अंतर्गत दिनांक 01–02 मई, 2023 को बंगाराम द्वीप पर सार्वभौमिक समग्र स्वास्थ्य पर विज्ञान 20 सहभागिता समूह की बैठक आयोजित की गई।

(ध) संघ राज्य क्षेत्र ने द्वीपों में पर्यटन के समग्र विकास की परियोजना शुरू की है। कादमत द्वीप (75 बीच विला और 35 वॉटर विला) और सुहेली द्वीप (60 बीच विला और 50 वॉटर विला) में इको–टूरिज्म रिसॉर्ट्स का कार्य सौंपा गया है। मिनिकॉय (110 बीच और 40 वॉटर विला) में इको–टूरिज्म परियोजना भी विकसित करने का प्रस्ताव है।

(न) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, द्वीपों में क्रूज पर्यटन का विकास कर रहा है। कॉर्डेलिया और कोस्टा सेरेना क्रूज से कुल 45,503 पर्यटकों ने लक्षद्वीप की यात्रा की; समुद्रम पैकेज के माध्यम से 3,212 पर्यटक आए। पर्यटन मंत्रालय ने लक्षद्वीप के कल्पेनी द्वीप को सिल्वर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव– 2023 का पुरस्कार प्रदान किया है।

(प) संघ राज्य क्षेत्र ने न्यूट्री–गार्डन परियोजना के तहत 1,353 किसानों और 06 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 1,18,070 सब्जी के पौधे निःशुल्क वितरित किए। 2,750 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए हैं, जिनकी कीमत 24.58 करोड़ रुपये है।

(फ) श्रीमती के. हिन्दुम्बी, नर्सिंग अधिकारी (सेवानिवृत्त) को 50 वर्षों से अधिक की सेवा के दौरान उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत की माननीय राष्ट्रपति द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लक्षद्वीप को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ दावा निपटान प्रदर्शन के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार 2022–23 से सम्मानित किया गया। लक्षद्वीप के कवरत्ती में रहने वाली, श्रीमती हुमैरथ कदपुराथाबा, को राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई) के तहत सर्वश्रेष्ठ देखभालकर्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

(ब) लक्षद्वीप की मुबस्सिना मोहम्मद ने अप्रैल, 2023 में उज्बेकिस्तान में आयोजित 5वीं एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद और हेप्टाथलॉन में कांस्य पदक जीते।

(भ) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निम्नलिखित कार्य पूरे कर लिए गए हैं:

(क) मिनिकॉय में इनडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य।

(ख) बंगाराम द्वीप पर पर्यावरण–अनुकूल लकड़ी की झोपड़ी की संकल्पना, डिजाइन और निर्माण।

(ग) अमिनी द्वीप पर आयुर्वेद अस्पताल में अर्ध–स्थायी पंचकर्म यूनिट।

(घ) कल्पेनी द्वीप पर यात्री हॉल।

(ङ) कदमत द्वीप पर कम तापमान थर्मल विलवणीकरण संयंत्र तक सड़क।

(च) कल्पेनी द्वीप पर खुले मंच के पास स्केटिंग ट्रैक।

(छ) अमिनी द्वीप पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट क्वार्टर।

(ज) जल शक्ति अभियान – "कैच द रेन" अभियान के तहत, बित्रा द्वीप पर 60 और चेतलात द्वीप पर 158 वर्षा जल संचयन टैंक।

(झ) किल्टन द्वीप पर भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण (रिचार्ज) के लिए 44 कुओं में वर्षा जल फिल्टर उपलब्ध कराए गए।

(ञ) कल्पेनी, अमिनी और कदमत द्वीपों में 1.5 लाख लीटर/प्रतिदिन क्षमता वाले तीन एलटीटीडी संयंत्र चालू किए गए।

(ट) जल जीवन मिशन के अंतर्गत, 77% परिवारों को चालू घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए।

(ठ) कवरत्ती में 1.4 एमडब्ल्यूएच बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 1.4 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र तथा अगाती में 0.30 मेगावाट क्षमता का सौर संयंत्र चालू किया गया।

(म) मिशन भर्ती – रोजगार मेला के तहत, संघ राज्य क्षेत्र ने दिनांक 31.03.2024 तक कुल 63 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए।

पुदुचेरी

6.19 पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में चार क्षेत्र नामतः पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यानम शामिल हैं, जो भौगोलिक रूप से एक–दूसरे से पृथक हैं।

6.20 **वर्ष 2023–24 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां:**

(क) 5 मेगावाट के रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए गए और उन्हें ग्रिड से जोड़ा गया। विभिन्न क्षमताओं के 29 नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों को एनर्जाइज किया गया और उनकी क्षमता बढ़ाई गई। 40 किलोमीटर हाई टेंशन (एचटी)/लो टेंशन (एलटी) लाइनों, 4 नई एचटी औद्योगिक और 18 एलटी औद्योगिक सेवाओं को एनर्जाइज किया गया। केबल कनवर्जन स्कीम के तहत, 242 एलटी ओवरहेड सेवाओं को भूमिगत केबल प्रणाली में परिवर्तित किया गया। इसके अलावा, संघ राज्य क्षेत्र पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन के बजाय ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू) के माध्यम से 132 किलोवोल्ट (केवी) और उससे ऊपर के सबस्टेशनों पर विश्वसनीय संचार प्रदान करने के लिए पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के तहत, पुदुचेरी क्षेत्र में रिमोट टर्मिनल यूनिट (आरटीयू) पैनल और ऑप्टिकल ग्राउंड वायर केबल की संस्थापना की गई है।

(ख) किसानों को चावल इंटेंसीफिकेशन की प्रणाली अपनाने और धान की उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, पुदुचेरी जिले में 28,463 सामान्य किसानों को कुल 24.08 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग के 2,266 किसानों को 1.52 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। दलहन, तिलहन, बाजरा और चावल फैलो कपास के लिए उत्पादन प्रोत्साहन के रूप में पुदुचेरी जिले में 5,929 सामान्य किसानों को 2.18 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति के 208 किसानों को 0.85 करोड़ रुपये तथा कराईकल जिले के 4,336 सामान्य किसानों को 3.83 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग के 578 किसानों को 0.49 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया।

(ग) पीएम–किसान स्कीम के तहत, 25 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई जिससे 9,514 किसानों को लाभ हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत, 2,002 मछुआरों को 4.62 करोड़ रुपये का बैंक ऋण दिया गया।

(घ) 61 दिनों की प्रतिबंध अवधि के दौरान पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यानम क्षेत्रों में 18,590 परिवारों को 12.02 करोड़ रुपये की प्रतिबंध राहत सहायता प्रदान की गई। 9,202 वृद्ध मछुआरों को 29.77 करोड़ रुपये की वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की गई। 196 पंजीकृत यांत्रिक नौका संचालकों द्वारा अपनी नौकाओं का बीमा करवाने हेतु भुगतान किए गए वार्षिक प्रीमियम के लिए 10.12 लाख रुपये की 90% सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की गई। 614 पंजीकृत मछली पकड़ने वाली नावों को 11.39 करोड़ रुपये की डीजल स्पॉट सब्सिडी सह कर छूट जारी की गई।

(ङ) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 23,801

लाभार्थियों को 7.14 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम–एसवाईएम) पेंशन स्कीम के अंतर्गत, 2,349 असंगठित श्रमिकों को नामांकित किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत, 4,85,680 लाल कार्ड धारक व्यक्तियों को मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2.00 लाख रुपये और दुर्घटना के कारण आंशिक विकलांगता के लिए 1.00 लाख रुपये की बीमा राशि हेतु शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी–पीएमजेएवाई) के अंतर्गत, संघ राज्य क्षेत्र ने 1,96,359 परिवारों के लक्ष्य के मुकाबले 2,20,402 परिवारों को नामांकित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, लाभार्थी–आधारित निर्माण घटक के तहत 6,984 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, और 4,481 घरों के निर्माण का कार्य विभिन्न चरणों में हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कीम के अंतर्गत, 12,28,082 के लक्ष्य की तुलना में 11,08,935 स्वास्थ्य पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत, दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान, 46.80 लाख रुपये की लागत से 234 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, 70.27 लाख रुपये की लागत से 44 सामुदायिक सोक पिट और 3.00 लाख रुपये की लागत से एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया गया।

(च) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत, दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान, परिवारों को 76,127 जॉब कार्ड जारी किए गए और 21.86 लाख कार्य दिवस सृजित किए गए, जिनमें से 19.11 लाख (87.30%) कार्य दिवस महिलाओं द्वारा सृजित किए गए। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (एएमआरयूटी 2.0) परियोजना के तहत, पंपिंग स्टेशनों के साथ पुदुचेरी के दुबरायापेट में 15 एमएलडी एसटीपी क्षमता के अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण उपचार संयंत्र, विल्लियानूर में 03 मिनिमल लिक्विड डिस्चार्ज (एमएलडी) सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) और कराईकल में 11 एमएलडी एसटीपी की स्थापना के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। जल निकायों का पुनरुद्धार परियोजना के तहत पुदुचेरी और ओउलगरेट क्षेत्र में तीन जल निकायों के पुनरुद्धार की परियोजना पूरी कर ली गई है। पुदुचेरी, ओउलगरेट, कराईकल और माहे क्षेत्रों में छह जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए परियोजना कार्य शुरू हो चुका है, जिसकी अनुमानित लागत 5.5 करोड़ रुपये है।

(छ) विल्लियानूर में 9 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का निर्माण दिनांक 21.04.2023 को पूरा हो गया।

आयुष अस्पताल, विल्लियानूर, पुदुचेरी

स्रोतः (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन)

(ज) 15.69 करोड़ रुपये की लागत से पुदुचेरी के जोन–VII (मुथिरापालायम) में डॉ. धनाबालन नगर, गांधी थिरुनल्लूर और आसपास के क्षेत्रों के लिए व्यापक जलापूर्ति योजना पूरी कर ली गई है।

(झ) 25.84 लाख रुपये की लागत से आरसी–13 सेलीपेट रोड, पुदुचेरी में सेलीपेट गांव में वर्षा जल ड्रेन का निर्माण कार्य और 1.31 करोड़ रुपये की लागत से कालीतीर्थलकुप्पम गांव में वर्षा जल ड्रेन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ञ) रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, माननीय उप–राज्यपाल ने पुदुचेरी में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया।

(ट) अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के 95 परिवारों की वधुओं के माता–पिता को अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए 75,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है, जिस पर 71.25 लाख रुपये खर्च हुए। अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय की 752 गरीब गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 1.12 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। विभिन्न लंबी बीमारियों से पीड़ित अनुसूचित जाति (एससी) के 2,197 लाभार्थियों को 3000 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की गई। मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए अनुसूचित जाति के 580 गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के 307 परिवारों को 3.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता संवितरित की गई। इसके अलावा, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की वधुओं, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों आदि, की बेटियों को भी विवाह करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ठ) संघ राज्य क्षेत्र ने नवजात बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए "सीएम देखभाल स्कीम" शुरू की है, जिसमें दिनांक 17.03.2023 और उसके बाद जन्मी बालिकाओं के नाम सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 50,000 रुपये जमा किए जाते हैं। इस स्कीम के तहत, 500 बालिकाओं को लाभ मिला है, जिसमें कुल 2.5 करोड़ रुपये का उपयोग हुआ है।

(ड) ''एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम' के अंतर्गत, 855 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 4,507 गर्भवती महिलाओं, 4,682 स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 27,792 बच्चों (6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग) को पूरक पोषाहार प्रदान किया गया।

(ढ) "पुदुचेरी वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित पेंशन" स्कीम के तहत, 1,81,616 वृद्धों, विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं, अविवाहित महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नियमित रूप से मासिक सहायता मिल रही है।

(ण) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की महिला मुखियाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की मासिक वित्तीय सहायता देने की स्कीम शुरू की गई दिनांक 31.03.2024 तक इस स्कीम के तहत, 70,000 पात्र निर्धारित लाभार्थियों में से 44,000 लाभार्थियों को भुगतान प्राप्त हुआ है।

*****

अध्याय–7

पुलिस बल

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस)

7.1 भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत गठित तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, राज्यों और केंद्र दोनों में पुलिस बलों को वरिष्ठ स्तर पर नेतृत्व प्रदान करते हैं। सेवा का अखिल भारतीय स्वरूप, इस सेवा के सदस्यों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के समग्र परिप्रेक्ष्य में राज्यों की विशेष समस्याओं को हल करने में विशिष्ट सहायता प्रदान करता है। गृह मंत्रालय भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संदर्भ में संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के रुप में कार्य करता है और वह संवर्ग संरचना, प्रशिक्षण, संवर्ग के आवंटन, सेवा में स्थायीकरण, सूचीबद्ध करने पैनल में शामिल करने, प्रतिनियुक्ति, वेतन और भत्ते, अनुशासनात्मक मामलों आदि सहित इस सेवा से संबंधित सभी नीतिगत निर्णयों के लिए जिम्मेदार है।

7.2 यह सेवा 25 राज्य संवर्गों/संयुक्त संवर्गों में संगठित की गई है। संघ सरकार के लिए कोई पृथक संवर्ग नहीं है। प्रत्येक संवर्ग में, अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए एक 'केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व' बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष के बाद प्रत्येक संवर्ग के अधिकारियों की संख्या की संयुक्त रूप से समीक्षा की जाती है।

7.3 दिनांक 01.01.2023 की स्थिति के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों की अधिकृत संख्या 5,047 है और आईपीएस अधिकारियों की अधिकृत संख्या का राज्य–वार विभाजन **अनुलग्नक–VIII** के अनुसार है।

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपी एनपीए), हैदराबाद, तेलंगाना

7.4 सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपी एनपीए), देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। इसे भारतीय पुलिस के लिए नेतृत्व प्रदान करने वाले अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ–साथ पुलिस संबंधी विषयों पर अनुसंधान करने का कार्य सौंपा गया है।

बेसिक कोर्स

7.5 (i) भारतीय पुलिस सेवा की नियमित भर्ती (आरआर) के 76वें बैच के कुल 201 आईपीएस प्रोबेशनर्स अकादमी में दिनांक 13.11.2023 से शुरू 49 हफ्तों की अवधि वाले चरण–I के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। मित्र देशों यथा नेपाल, भूटान, मालदीव और मॉरीशस के कुल 19 प्रशिक्षु अधिकारी भी नियमित भर्ती (आरआर) के 76वें बैच के साथ चरण–I के लिए प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। अपराध के स्थान की जांच, एफआईआर का रजिस्ट्रेशन, सीसीटीएनएस, साइबर अपराध जांच, पूछताछ, पब्लिक स्पीकिंग, साक्षात्कार एवं पूछताछ, अपराध के होने के स्थान का पंचनामा एवं लेखन, खोज एवं जब्ती–रेड, गिरफ्तारी, भौतिक साक्ष्य/संचालन, लिफ्टिंग एवं पैकिंग की तकनीक, बायो–मेट्रिक, अपराध स्थल प्रबंधन आदि से संबंधित मुद्दों के बारे में कौशल मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षुओं को जानकारी प्रदान करने के लिए मॉड्यूल संचालित किए गए।

(ii) भारतीय पुलिस सेवा की नियमित भर्ती (आरआर) के 75वें बैच के कुल 155 आईपीएस प्रोबेशनर्स अकादमी में दिनांक 19.12.2022 से शुरू 49 हफ्तों की अवधि वाले चरण–I के लिए प्रशिक्षण ले चुके हैं। मित्र देशों यथा नेपाल, भूटान, मालदीव और मॉरीशस के कुल 20 प्रशिक्षु अधिकारियों ने भी

नियमित भर्ती (आरआर) के 75वें बैच के साथ चरण–। के लिए प्रशिक्षण में भाग लिया था। जेंडर, बच्चों, उपेक्षित समुदायों, समाज के कमजोर वर्गों और सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित मुद्दों के बारे में प्रशिक्षुओं को जानकारी प्रदान करने के लिए मॉड्यूल संचालित किए गए। क्लास रूम की जानकारी को फील्ड की वास्तविकताओं से जोड़ने के लिए हैदराबाद शहर में ग्रामीण और शहरी पुलिस स्टेशनों के नियमित दौरे के माध्यम से जमीनी स्तर पर पुलिस व्यवस्था संबंधी प्रशिक्षण को भी शामिल किया गया। उन्हें विधान सभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव संबंधी सुरक्षा व्यवस्था, बल की लामबंदी और तैनाती का निरीक्षण करने तथा राज्य के विभिन्न विभागों की तैयारियों, अंतरविभागीय समन्वय, प्रशासनिक प्रक्रियाओं, सुरक्षा चिंताओं को समझने और चुनावों को सुचारू तरीके से संपन्न कराने के लिए बड़े पैमाने पर रसद व्यवस्था की देखरेख के लिए कर्नाटक राज्य में भी भेजा गया था। नियमित भर्ती (आरआर) के 75वें बैच का चरण–I प्रशिक्षण दिनांक 27.10.2023 को पासिंग आउट परेड के साथ समाप्त हुआ और उन्होंने 29 सप्ताह यानी दिनांक 04.12.2023 से 21.06.2024 तक जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण (डीपीटी) में शामिल होने के लिए अपने संबंधित कैडर को रिपोर्ट किया है, जिसके बाद उन्हे दिनांक 01.07.2024 से 30.08.2024 (09 सप्ताह) की अवधि तक चरण– II प्रशिक्षण के लिए अकादमी में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया।

(iii) भारतीय पुलिस सेवा की नियमित भर्ती (आरआर) का 74वां बैच दिनांक 03.10.2023 को चरण– II प्रशिक्षण के लिए अकादमी में आया और दिनांक 08.12.2023 को अपना प्रशिक्षण पूरा किया। 166 आईपीएस प्रोबेशनर्स वाले नियमित भर्ती (आरआर) के 74वें बैच ने 10 सप्ताह की अवधि वाले चरण–II प्रशिक्षण में भाग लिया। अपने चरण– II प्रशिक्षण के भाग के रूप में, उन्हें 05 दिनों के लिए रणनीतिक नेतृत्व मॉड्यूल के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के साथ अटैच रखा गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईपीएस अधिकारी प्रशिक्षुओं की नेतृत्व एवं टीम बिल्डिंग और प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाना है। उन्हे फोरेंसिक विज्ञान में विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर के साथ भी अटैच किया गया। चरण–II प्रशिक्षण के दौरान, प्रोबेशनर्स को साइबर सुरक्षा, वीआईपी सुरक्षा, सिविल डिस्प्यूट, गंभीर अपराधों का पर्यवेक्षण, सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी, प्रेस नोट तैयार करना, मीडिया प्रबंधन, जांच, कार्यालय प्रबंधन, वन्यजीव अपराध, पुलिस रणनीति जैसे मॉड्यूल के माध्यम से विभिन्न पहलुओं के संबंध में जानकारी दी गई। प्रोबेशनर्स को हवाई अड्डे और एनजीओ के फील्ड दौरे पर भी ले जाया गया ताकि उन्हें हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने का मौका दिया जा सके और पीड़ितों तथा समाज के कमजोर वर्गों के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाया जा सके। डीपीटी की सीख के आधार पर, प्रोबेशनर्स के समक्ष आने वाली नैतिक दुविधाओं पर भी चर्चा की गई और उन्हें सेवा में उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने के महत्व के बारे में समझाने पर जोर दिया गया।

वरिष्ठ पाठ्यक्रम

7.6 (I) वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 39 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 1,494 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। अकादमी भारत तथा विदेशों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए संकाय सदस्यों एवं अन्य अधिकारियों को नामांकित करने के लिए भी उत्तरदायी है। कुल 20 अधिकारियों ने दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक भारत तथा विदेश में विभिन्न ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया और एक महिला अधिकारी ने ब्रिंडिसि, इटली में यूएनपीओएल–2023 महिला कमान विकास पाठ्यक्रम में भाग लिया।

(II) सेवा का अनुभव अर्जित करने वाले वरिष्ठ

अधिकारियों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 50 वर्ष के रीयूनियन सेमिनार नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। इन सेमिनारों के दौरान, समसामयिक पुलिसिंग मुद्दों के विषय पर विचार–मंथन किया जाता है और साथ ही एक ही बैच के अधिकारियों को मिलने तथा उनके विविध क्षेत्र के अनुभवों का आदान–प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

7.7 अकादमी ने अन्य सेवाओं और विदेशी पुलिस अधिकारियों के लिए भी पाठ्यक्रम आयोजित किए:

(क) अकादमी ने अन्य सेवाओं के अधिकारियों अर्थात केंद्रीय सतर्कता अधिकारियों, भारतीय वन सेवा, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर), आईआरएस (आय कर), भारतीय सांख्यिकी सेवा, भारतीय खेल प्राधिकरण, न्यायिक अधिकारियों, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), गृह मंत्रालय आदि के लिए भी पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं।

(ख) विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर, अकादमी साइबर अपराध जांच, आतंकवाद विरोधी, डार्क वेब एवं क्रिप्टो करन्सी, रणनीति, मोबाइल फोरेंसिक, आर्थिक अपराध, विस्फोटक, इम्प्रोवाइज्ड इक्स्प्लोसिव डिवाइस तथा पोस्ट ब्लास्ट प्रक्रियाएं, शहरी संचालन और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एवं सोशल मीडिया विश्लेषण आदि जैसे विभिन्न विषयों पर विदेशी पुलिस अधिकारियों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती रही है। दिनांक 01.01.2023 से 04.03.2024 तक, 33 देशों के कुल 126 अधिकारी अकादमी के विभिन्न पाठ्यक्रमों से लाभान्वित हुए। दिनांक 18.03.2024 से 22.03.2024 तक काउंटर टेररिज्म पर एक पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

(ग) एसवीपी एनपीए और एनसीपीएलई, अड्डू, मालदीव के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, वर्ष 2023–2024 में "सुविधा प्रबंधन" (04 प्रतिभागी), "शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सहायता (10 प्रतिभागी) तथा "आउटडोर इंस्ट्रक्शनल टीओटी" (10 प्रतिभागी) और "बेसिक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन" (04 प्रतिभागी) हेतु एक सप्ताह के 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और कुल 28 अधिकारियों ने उक्त पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। दिनांक 15.01.2024 से 19.01.2024 तक, एक उप निदेशक सहित 05 आउटडोर कर्मचारियों की एक टीम ने मालदीव पुलिस (एनसीपीएलई, अड्डू) को "फिटनेस प्रबंधन" पर प्रशिक्षण प्रदान किया है।

इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम

7.8 भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के अनुसार, पदोन्नति द्वारा भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती किए गए प्रत्येक अधिकारी को अपनी परिवीक्षा की अवधि के भीतर सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपी एनपीए), हैदराबाद में प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। अकादमी इन अधिकारियों को इंडक्शन प्रशिक्षण कोर्स (आईटीसी) नामक छह सप्ताह का कोर्स कराती है। अकादमी द्वारा अब तक 45 इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें 2,110 एसपीएस अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया है।

मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

7.9 भारतीय पुलिस (वेतन) नियम, 2007 में यह निर्धारित किया गया है कि आईपीएस अधिकारियों को चरण–।।। के मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्त किया जाएगा और चरण–IV के मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात इन अधिकारियों को द्वितीय सुपर टाइम स्केल (पुलिस महानिरीक्षक रैंक) में नियुक्त किया जाएगा। 28 वर्ष की सेवा और उसके पश्चात अगली वार्षिक वेतन–वृद्धि प्राप्त करने के लिए चरण–V के प्रशिक्षण को पूरा करना अनिवार्य है। अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) डा. त्रिनाथ मिश्र की अध्यक्षता वाली समिति (2008) द्वारा सुझाए गए

और गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित किए जा रहे हैं।

7.10 दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक आयोजित एमसीटीपी के विभिन्न चरणों का ब्यौरा निम्नानुसार है;

(क) एमसीटीपी चरण – III

मसीटीपी चरण–III / 21वां कार्यक्रम दिनांक 10.04.2023 से 04.05.2023 तक आयोजित किया गया। कुल **95** अधिकारियों ने इसमें भाग लिया और सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया।

एमसीटीपी चरण–III / 22वां कार्यक्रम दिनांक 04.09.2023 से 29.09.2023 तक आयोजित किया गया। कुल **92** अधिकारियों ने इसमें भाग लिया और सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया।

एमसीटीपी चरण–III / 23वां कार्यक्रम दिनांक 12.02.2024 से 08.03.2024 तक आयोजित किया गया। वर्तमान मे स्थिति के अनुसार, **70** अधिकारी पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

(ख) एमसीटीपी चरण – IV

एमसीटीपी चरण–IV / 15वां कार्यक्रम दिनांक 15.05.2023 से 09.06.2023 तक आयोजित किया गया। कुल **98** अधिकारियों ने इसमें भाग लिया और सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया।

(ग) एमसीटीपी चरण – V

एमसीटीपी चरण–V / 15वां कार्यक्रम दिनांक 26.06.2023 से 07.07.2023 तक आयोजित किया गया। कुल **53** अधिकारियों ने इसमें भाग लिया और सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया।

सूचना प्रौद्योगिकी

7.11 अकादमी अपने "राष्ट्रीय डिजिटल अपराध संसाधन प्रशिक्षण केन्द्र (एनडीसीआरटीसी)" के माध्यम से डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर अपराधों की जांच, मोबाइल फॉरेंसिक तथा सोशल मीडिया के विश्लेषण, डार्क वेब एवं क्रिप्टो करन्सी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड (आईपीडीआर) विश्लेषण और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस आदि में क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। इस केंद्र ने 53 पाठ्यक्रम संचालित किए और विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) तथा स्टेकहोल्डरों के 2,264 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया और उन्हें साइबर अपराधों की जांच तथा डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

7.12 सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी–डैक) द्वारा विकसित साइबर अपराध जांच उत्पादों को अकादमी में प्रदर्शित करने के लिए एसवीपी एनपीए तथा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी–डैक), तिरुवनंतपुरम के बीच सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

स्पेशल टैक्टिक्स विंग (एसटीडब्ल्यू)

7.13 अवधि के दौरान स्पेशल टैक्टिक्स विंग द्वारा राज्य पुलिस / केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कुल 201 पुलिस अधिकारियों को स्पेशल टैक्टिक्स में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, स्पेशल टैक्टिक्स विंग ने नियमित भर्ती (आरआर) के 75वें बैच के 155 आईपीएस प्रोबेशनर्स को विभिन्न टैक्टिकल विषयों अर्थात सैंड मॉडल / ऑप्स ब्रीफिंग, शहरी परिचालनों, पुलिस रणनीति, विस्फोटक मॉड्यूल, जंगल मॉड्यूल में प्रशिक्षित किया गया तथा 15 किमी., 25 किमी. (सड़क पर), 25 किमी. (नेविगेशनल एक्सर्साइज़) और 40 किमी. के रूट मार्चों सहित विभिन्न रूट मार्चों का भी आयोजन किया गया। 74 नियमित भर्ती (आरआर) के 166 आईपीएस प्रोबेशनर्स को चरण–।। के प्रशिक्षण के दौरान जंगल और शहरी फायरिंग मॉड्यूल का भी अनुभव कराया गया।

एसटीडब्ल्यू ने 76 नियमित भर्ती (आरआर) के 220 प्रोबेशनरों को विभिन्न रणनीतिक विषयों अर्थात मैप रीडिंग सत्र तथा विस्फोटक एवं इम्प्रोवाइज्ड एक्स्प्लोसिव डिवाइस में प्रशिक्षित किया और 15 किलोमीटर तथा 25 किलोमीटर (सड़क पर) रूट मार्च भी आयोजित किए।

उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी (नेपा), शिलांग, मेघालय

7.14 **उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी (नेपा)** की

स्थापना जुलाई 1978 में मेघालय के री–भोई जिले के उमसाव गाँव में डॉ. एम.एस. गोरे की अध्यक्षता वाली पुलिस प्रशिक्षण राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर उत्तर पूर्वी राज्यों की पुलिस प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी। शुरुआत में इसे उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के तहत क्षेत्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था, परन्तु उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग (डोनर) के निर्माण के परिणामस्वरूप इसे डोनर के अधीन लाया गया। मई 1980 में अकादमी का नाम बदलकर उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी कर दिया गया एवं 01.04.2007 को इसे गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया। नीतिगत निर्णय लेने के लिए अकादमी में एक परामर्शी बोर्ड है जिसके अध्यक्ष सचिव (सीमा प्रबंधन) हैं।

प्रशिक्षण

7.15 उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी (नेपा) को आठ पूर्वोत्तर राज्यों के सीधी भर्ती वाले पुलिस उपाधीक्षकों और उप पुलिस निरीक्षकों के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम (बेसिक इंडक्शन कोर्स) संचालित करने और पूरे देश के पुलिस कार्मिकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम तैयार एवं संचालित करने का अधिदेश दिया गया है।

बेसिक कोर्स

7.16 52वें बेसिक कोर्स, जिसका आयोजन दिनांक 15.11.2022 से प्रारंभ होकर दिनांक 21.11.2023 को समाप्त हुआ, में नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के 377 प्रशिक्षुओं (82 पुलिस उपाधीक्षक (पी) तथा 295 कैडेट उप–निरीक्षक) द्वारा भाग लिया गया । उनकी पासिंग आउट परेड दिनांक 21.11.2023 को आयोजित की गई थी। वर्तमान में, 53वां बेसिक कोर्स जो 50 हफ्तों की अवधि के लिए दिनांक 04.12.2023 से संचालित है, जिसमें मेघालय, मणिपुर, असम और नागालैंड राज्य के 91 प्रशिक्षु (27 पुलिस उपाधीक्षक (पी), 2 निरीक्षक, 57 कैडेट उप–निरीक्षक और 5 सहायक उप–निरीक्षक) शामिल हैं दिनांक 04.12.2023 से 50 सप्ताह की अवधि के लिए चल रहा है ।

संकाय सहायता

7.17 विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों जैसेकि सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), केंद्रीय पुलिस संगठन (सीपीओ), राज्य पुलिस, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल), राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एसएफएसएल), सीमा शुल्क, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय और कई अन्य संगठनों के अनेक अतिथि संकायों को आधारभूत पाठ्यक्रम के प्रशिक्षुओं के लिए सत्र लेने हेतु आमंत्रित किया जा रहा है।

सेवाकालीन / ऑनलाइन पाठ्यक्रम / वेबिनार

7.18 उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी (नेपा) द्वारा दिनांक 31.01.2024 तक, 42 ऑफ़लाइन सेवाकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें विभिन्न राज्यों से विभिन्न रैंकों के 1346 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा 20 ऑनलाइन सेवाकालीन पाठ्यक्रम संचालित किए गए हैं जिनमें विभिन्न राज्यों के विभिन्न रैंकों के 1449 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी (नेपा) कार्मिक का क्षमता निर्माण

7.19 12 नए अधिकारियों को दिनांक 17.04.2023 से एसएसबी, सपरी, हिमाचल प्रदेश में 44 सप्ताह के आधारभूत प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था एवं 6 नए अधिकारियों को दिनांक 10.06.2023 से शोखुवी, नागालैंड में असम राइफल्स प्रशिक्षण केंद्र में भेजा गया था । मई, 2023 माह में कर्मचारियों के लिए ई–ऑफिस पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अकादमी द्वारा दिनांक 18.08.2023 को साइबर स्वच्छता पर एक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। आईएनएसएएस और 9 मिमी पिस्तौल की मरम्मत एवं समस्या निवारण, प्रथम हथियार प्रशिक्षक पाठ्यक्रम, ड्रोन पायलट प्रशिक्षण तथा विशेष टीओटी पाठ्यक्रमों जैसे विभिन्न विषयों में अकादमी द्वारा 20 से अधिक आउटडोर कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए बाहर भेजा गया था। संकाय अधिकारियों और कार्यालय कर्मचारियों को भी विभिन्न संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए भेजा गया था। संकाय सदस्यों को आईजीओटी प्लेटफॉर्म

परपाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

उपलब्धियां

7.20 राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड ('नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग') (एनएबीईटी) द्वारा व्यापक मूल्यांकन के पश्चात उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी को क्षमता निर्माण आयोग द्वारा **'उत्कृष्ट'** संस्थान की मान्यता से सम्मानित किया गया है।

पुरस्कार एवं पुलिस पदक

7.21 दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 की अवधि के दौरान निम्नलिखित पदक प्रदान किए गए:

(क) "वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक" (पीपीएमजी)'' जीवन तथा संपत्ति बचाने में अदम्य वीरता दर्शाने या अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में, दायित्वों को ध्यान में रखते हुए होने वाले जोखिमों का अनुमान लगाने और संबंधित अधिकारी के कर्तव्यों के पालन के लिए प्रदान किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस– 2023 के अवसर पर राज्य पुलिस/सीएपीएफ/सीपीओ के कार्मिकों को कुल **01 पदक** प्रदान किया गया।

(ख) "वीरता के लिए पुलिस पदक (पीएमजी)" अदम्य वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। गणतंत्र दिवस – 2023 और स्वतंत्रता दिवस– 2023 के अवसर पर राज्य पुलिस/सीएपीएफ/सीपीओ के कार्मिकों को क्रमशः कुल **140 पदक और 229 पदक** प्रदान किए गए।

(ग) "विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पीपीएम)" पुलिस सेवा में अथवा केंद्रीय पुलिस/सुरक्षा संगठनों में विशेष असाधारण रिकॉर्ड अथवा विशेष रूप से कठिन स्थिति में पुलिस सेवा या केंद्रीय पुलिस/सुरक्षा संगठन की यूनिटों को संगठित करने अथवा संगठनों के अनुरक्षण में सफलता के लिए प्रदान किया जाता है। गणतंत्र दिवस – 2023 और स्वतंत्रता दिवस– 2023 के अवसर पर राज्य पुलिस/सीएपीएफ/सीपीओ के कार्मिकों को क्रमशः कुल **96 पदक और 82 पदक** प्रदान किए गए।

(घ) "सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (पीएम)" लम्बी सेवा अथवा सक्षमता एवं मेरिट सहित कर्तव्य निर्वहन के लिए समर्पण भावना से प्रमाणित बहुमूल्य सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गणतंत्र दिवस – 2023 और स्वतंत्रता दिवस– 2023 के अवसर पर राज्य पुलिस/सीएपीएफ/सीपीओ के कार्मिकों को क्रमशः कुल **670 पदक** और **644 पदक** प्रदान किए गए।

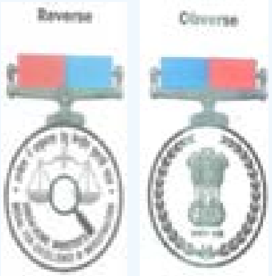

(ङ) "अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक" अन्वेषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2023 के लिए राज्य/केंद्रीय आसूचना एजेंसियों के कुल **139 अधिकारियों को "अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक"** प्रदान किया गया।

(च) 15 पराक्रम पदक जम्मू–कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के निर्दिष्ट क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा / विद्रोह विरोधी कर्तव्यों में घायल होने वाले राज्य पुलिस/सीएपीएफ के कार्मिकों को प्रदान किए गए हैं।

(छ) "केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक" उन ऑपरेशनों के लिए प्रदान किया जाता है, जिनकी योजना उच्चकोटि की होती है, जो देश/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं और जिनका समाज के एक बड़े वर्ग की सुरक्षा पर काफी अधिक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023 के लिए विभिन्न राज्य पुलिस/सीएपीएफ/सीपीओ के कुल **387 अधिकारियों** को दिनांक 31.10.2023 को **"केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक"** प्रदान किया गया।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों तथा सीएपीएफ/सीपीओ के **180 कार्मिकों** को वर्ष 2023 के लिए **"असाधारण आसूचना कुशलता पदक"** प्रदान किया गया।

पुरस्कारों/पदकों का रूपांतरण/यौक्तिकीकरण

7.22 पुरस्कारों/पदकों के पारिस्थितिकी तंत्र में रूपांतरण के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित मौजूदा पुलिस पदकों को युक्तिसंगत बनाया गया है और निम्नानुसार नए पदकों में बदल दिया गया है:

	क्रमांक	पहले के पदकों के नाम	एक पदक में विलयन के बाद पदक का नाम
(क)	(i)	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पदक (पीएमजी)
	(ii)	वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक	
	(iii)	वीरता के लिए राष्ट्रपति का होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक	
	(iv)	वीरता के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक	
(ख)	(i)	वीरता के लिए पुलिस पदक	वीरता पदक (जीएम)
	(ii)	वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक	
	(iii)	वीरता के लिए होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक	
	(iv)	वीरता के लिए सुधारात्मक सेवा पदक	
(ग)	(i)	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पदक (पीएसएम)
	(ii)	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक	
	(iii)	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक	
	(iv)	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक	
(घ)	(i)	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक	सराहनीय सेवा के लिए पदक (एमएसएम)
	(ii)	सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक	
	(iii)	सराहनीय सेवा के लिए होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक	
	(iv)	सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक	
(ङ)	(i)	केंद्रीय गृह मंत्री का विशेष ऑपरेशन पदक	केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक
	(ii)	जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का पदक	
	(iii)	असाधारण आसूचना कुशलता पदक	
	(iv)	फोरेंसिक विज्ञान में सराहनीय सेवा के लिए गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित केंद्रीय गृह मंत्री पुरस्कार	

7.23 नामांकन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, सरकार ने **राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल** (URL:awards.gov.in) नामक समर्पित एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। यह एकीकृत प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा स्थापित सभी पुरस्कारों/पदकों के ऑनलाइन पुरस्कार नामांकन तथा पुरस्कार संबंधी जानकारी की सुविधा प्रदान करता है। राष्ट्रपति के वीरता पदक (पीएमजी)/वीरता पदक (जीएम)/विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक (पीएसएम)/सराहनीय सेवा पदक (एमएसएम) के लिए सिफारिशें भी उक्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त की जा रही हैं।

7.24 हाल ही में पदकों के पुनर्गठन के बाद, पुलिस, अग्निशमन सेवा, होम गार्ड एवं नागरिक सुरक्षा तथा सुधारात्मक सेवा के कुल 1,134 कर्मियों को गणतंत्र दिवस, 2024 के अवसर पर वीरता/सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार हैः–

क्रं.सं.	पदक का नाम	प्रदान किए गए पदकों की संख्या
(i)	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पदक (पीएमजी)	02
(ii)	वीरता के लिए पदक (जीएम)	275
(iii)	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पदक (पीएसएम)	102
(iv)	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (एमएसएम)	755

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ)

7.25 गृह मंत्रालय के अधीन पांच केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) अर्थात् सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), भारत – तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और एक केन्द्रीय अर्धसैनिक बल (सीपीएमएफ) नामतः असम राइफल्स (एआर) हैं। इनमें से, असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल "सीमा रक्षक बल (बीजीएफ)'' हैं, जबकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को लोक व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा एवं विद्रोह–रोधी मामलों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के अधीन सिविल प्रशासन की सहायता हेतु तैनात किया जाता है। रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और दृढ़ता से कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियन (कोबरा) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशिष्ट विंग हैं, जो क्रमशः दंगों और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई)/विद्रोह से निपटते हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल राष्ट्रीय/रणनीतिक महत्व वाले महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) आतंकवाद का मुकाबला करने और विमान अपहरण–रोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षित एक विशेषज्ञता प्राप्त प्रहार बल है। इसे अधिक जोखिम वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) की सुरक्षा का कार्य भी सौंपा जाता है और यह घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सुरक्षा के लिए स्काई मार्शल के रूप में भी कार्य करता है।

असम राइफल्स (एआर)

7.26 "पूर्वोत्तर के प्रहरी" के रूप में सम्मानित, असम राइफल्स (एआर) का गठन वर्ष 1835 में "कछार लेवी" के रूप में किया गया था और यह देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसका मुख्यालय शिलांग में है और इस बल को 1,643 किमी. लंबी भारत–म्यांमार सीमा (आईएमबी) की रक्षा करने की अनिवार्य भूमिका के साथ पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्र में विद्रोह रोकने के लिए तैनात किया गया है। इस बल में एक महानिदेशालय मुख्यालय, तीन महानिरीक्षक मुख्यालय, 12 सेक्टर मुख्यालय, 47 बटालियनें (एक एनडीआरएफ बटालियन सहित), एक प्रशिक्षण केन्द्र, एक श्वान प्रशिक्षण केंद्र और प्रशासनिक

सत्यमेव जयते

घटक शामिल हैं तथा इसके कार्मिकों की कुल प्राधिकृत संख्या 66,411 है। विद्रोह–रोधी/आतंकवाद–रोधी (सीआई/सीटी) ऑपरेशन के लिए दिनांक 20.05.2021 से जम्मू एवं कश्मीर में असम राइफल्स की दो बटालियनें तैनात की गई हैं।

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

7.27 पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर में उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई में दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान असम राइफल्स की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	कार्रवाई	संख्या/राशि	राशि, जहां लागू हो (करोड़ रुपये में)
विद्रोही			
(क)	मारे गए	04	-
(ख)	गिरफ्तार किए गए	476	-
(ग)	आत्मसमर्पण करने वाले	257	-
गिरफ्तार किए गए अन्य व्यक्ति			
(घ)	तस्कर	1,276	-
(ङ)	हथियारों के डीलर और मादक पदार्थों के तस्कर	370	-
(च)	म्यांमार के नागरिक	404	-
युद्धक भंडारों की बरामदगी			
(छ)	मिश्रित हथियार	1,209	-
(ज)	मिश्रित गोलाबारूद	44,193	-
(झ)	मिश्रित मैगजीन	915	-
(ञ)	हैंड ग्रेनेड/चाइनीज हैंड ग्रेनेड	571	-
(ट)	परिष्कृत विस्फोटक उपकरण (आईईडी)	119	-
(ठ)	डेटोनेटर	1,165	-
(ड)	जिलेटिन की छड़	760	-
निषिद्ध वस्तुओं की बरामदगी			
(ढ)	गांजा (किग्रा.)	2608.000	8.613
(ण)	ब्राउन शुगर (किग्रा.)	67.456	113.893
(त)	हेरोइन (किग्रा.)	143.567	350.908
(थ)	अफीम (किग्रा.)	74.925	4.639
(द)	प्रतिबंधित मादक पदार्थ (टेबलेट)	68,81,210	933.897
(ध)	प्रतिबंधित मादक पदार्थ (किग्रा.)	750.157	75.353
(न)	अफीम के बीज (किग्रा.)	71,948.26	2.965
(प)	मारिजुआना (किग्रा.)	5,638.572	25.522
(फ)	अवैध शराब (आईएमएफएल) (बोतल)	1,07,423	5.943
(ब)	भारतीय करेंसी (करोड़ रुपये में)	4,33,53,987	4.314
(भ)	लकड़ी (सीएफटी)	1,72,165	54.094
(म)	काली मिर्च (किग्रा.)	17,523	10.513
(कक)	सुपारी (किग्रा.)	78,74,257	884.773
(कख)	विदेशी सिगरेट (डिब्बियां)	6,886	69.952
(कग)	विविध	17,538	3.23
कुल		**2548.609**	

(बरामद किए गए निषिद्ध पदार्थों तथा तस्करी किए गए सोने और करेंसी की कीमत लगभग 2548.609 करोड़ रुपये है)

7.28 इस अवधि के दौरान असम राइफल्स के एक कार्मिक ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गवांई तथा असम राइफल्स के आठ कार्मिक ड्यूटी के दौरान घायल हो गए।

वीरता और अन्य पुरस्कार

7.29 दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान बल के कार्मिकों को निम्नलिखित वीरता और विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किए गए:

क्र. सं.	पदक/पुरस्कार	संख्या
(क)	शौर्य चक्र	02
(ख)	युद्ध सेवा पदक	01
(ग)	अति विशिष्ट सेवा पदक	02
(घ)	सेना पदक (वीरता)	08
(ङ)	पुलिस पदक (वीरता)	03
(च)	परम विशिष्ट सेवा पदक	01
(छ)	विशिष्ट सेवा पदक	02
(ज)	राष्ट्रपति का पुलिस पदक (विशिष्ट)	03
(झ)	पुलिस पदक (सराहनीय)	38
(ञ)	राज्यपाल का स्वर्ण पदक	173
(ट)	राज्यपाल का रजत पदक	195

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)

7.30 सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का गठन 25 बटालियनों तथा 03 कंपनियों के साथ वर्ष 1965 में किया गया था। कालान्तर में, बल के आकार में वृद्धि हुई है और इस समय 04 एनडीआरएफ बटालियनों सहित इसकी 193 बटालियनें हैं, जिन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगी पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा नियंत्रण रेखा पर और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा राज्यों में नक्सल–रोधी ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया है। बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी फील्ड रचना में 03 कमान मुख्यालय अर्थात् विशेष महानिदेशक/अपर महानिदेशक की कमान में विशेष महानिदेशालय (पूर्वी कमान) और विशेष महानिदेशालय (पश्चिमी कमान) तथा कमान मुख्यालय (विशेष ऑपरेशन) रायपुर, 13 फ्रंटियर्स और 46 सेक्टर्स, वाटर विंग, एयर विंग तथा अन्य सहायक इकाइयां शामिल हैं। दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, बीएसएफ की कुल स्वीकृत पद संख्या 2,65,808 है।

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

7.31 आतंकवाद/वामपंथी उग्रवाद के विरूद्ध सतत लड़ाई में, बीएसएफ ने दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान **24** आतंकवादियों/माओवादियों को गिरफ्तार किया, **13** माओवादियों को मार गिराया तथा **19** आतंकवादियों/माओवादियों का आत्मसमर्पण करवाया और इसके अलावा, इस बल ने **316** हथियारों, मिश्रित गोला–बारूद के **5,474** राउण्ड, **30** बम (देश निर्मित बम), **100** इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरणों (आईईडी) और **8.285** किग्रा. विस्फोटक सामग्री की जब्ती की कार्रवाई भी की। सीमा–पार के अपराधों की रोकथाम करने के अपने सतत प्रयास में, बीएसएफ ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर **3,669.24** करोड़ रुपये मूल्य की वर्जित सामग्रियां भी जब्त कीं, **7,295** घुसपैठियों/भगोड़ों को गिरफ्तार किया और **24** तस्करों/ घुसपैठियों/भगोड़ों को मार गिराया।

रूपरेखा

क्रमांक	ब्यौरा	संख्या
1	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी/माओवादी (सं. में)	24
2	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी/माओवादी (सं. में)	19

3	मारे गए घुसपैठिए/भगौड़े/तस्कर (सं. में)	51
4	मारे गए नक्सली/उग्रवादी (सं. में)	13
5	गिरफ्तार किए गए घुसपैठिए/भगौड़े (सं. में)	7,295

हथियारों की जब्ती

1.	मिश्रित हथियार	316

गोला बारूद की जब्ती

1	मिश्रित गोला बारूद	5,474
2	रॉकेट/बम (देश में बना बम) (सं. में)	30

विस्फोटक / सहायक उपकरण / विविध वस्तुओं की जब्ती

1	आईईडी (सं. में)	100
2	विस्फोटक (कि. ग्रा में)	8.285
3	निषिद्ध वस्तुएं (मूल्य करोड़ में)	3,669.24

7.32 दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, इस अवधि के दौरान, विभिन्न ऑपरेशनों में बीएसएफ के 18 कार्मिकों ने शहादत प्राप्त की और 393 कार्मिक घायल हुए।

7.33 वर्ष 2023 (दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक) के दौरान, बल के सदस्यों को निम्नलिखित शौर्य एवं अन्य पदक प्रदान किए गए:

क्रमांक	पदक/पुरस्कार	संख्या
1.	संयुक्त राष्ट्र पदक	02
2.	राष्ट्रपति का वीरता के लिए पदक (पीएमजी)	02
3.	वीरता के लिए पदक	11
4.	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	15
5.	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक	139

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)

7.34 वर्ष 1969 में गठित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) 358 इकाइयों को सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है, जिनमें 68 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा 114 औद्योगिक उपक्रमों को अग्नि–सुरक्षा कवर शामिल हैं। पांच दशकों की अवधि में, बल की नफरी में कई गुना वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के साथ, सीआईएसएफ अब सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) केंद्रित संगठन नहीं रह गया है। इसके बजाय, यह देश की एक प्रमुख बहु–कौशल सम्पन्न सुरक्षा एजेन्सी बन गई है, जिसे आतंकवाद और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रमुख संवेदनशील आधारभूत संस्थापनाओं को सुरक्षा प्रदान करने का अधिदेश दिया गया है। सीआईएसएफ वर्तमान में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, अन्तरिक्ष संस्थापनाओं, रक्षा उत्पादन इकाइयों, खानों, आयल फील्ड और रिफाइनरी, प्रमुख बंदरगाहों, हैवी इंजीनियरिंग, स्टील संयंत्रों, उर्वरक इकाइयों, हवाई अड्डों, जल विद्युत / थर्मल विद्युत संयंत्रों, संवेदनशील सरकारी भवनों, विरासती स्मारकों (ताजमहल, लाल किला और स्टैचू ऑफ यूनिटी (एसओयू) सहित तथा निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण इकाइयों) को सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है। सीआईएसएफ को समूचे देश में विभिन्न श्रेणियों के सुरक्षा प्राप्त अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) को सुरक्षा प्रदान करने का अधिदेश भी दिया गया है। पीएसयू में सीआईएसएफ की नवीनतम तैनाती में दिनांक 13.04.2023 को एनएमडीसी आयरन एंड स्टील प्लांट (एनआईएसपी)

नगरनार (छत्तीसगढ़), दिनांक 05.10.2023 को एनएफसी कोटा, रावतभाटा (राजस्थान), दिनांक 31.10.2023 को मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी), कंचनबाग (तेलंगाना) और दिनांक 10.01.2024 को आईसीएमआर–एनआईवी पुणे (महाराष्ट्र) शामिल हैं।

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

7.35 सीआईएसएफ देश में सबसे बड़े अग्नि संरक्षण सेवा प्रदाताओं में से एक है। यह 9,003 कार्मिकों की स्वीकृत नफरी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के 114 उपक्रमों (पीएसयू) को अग्नि से संरक्षण और अग्नि–सुरक्षा कवर प्रदान करता है। वर्ष 2023–24 में (दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक), आग लगने से संबंधित कुल 4,036 घटनाओं की कॉल (जिनमें आग की 20 बड़ी घटनाएं शामिल हैं) पर कार्रवाई की गई और कुल 64.84 करोड़ रुपये की संपत्ति को बचाया गया। अवधि (दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक) के दौरान सीआईएसएफ ने आंतरिक सुरक्षा संबंधी ड्यूटी के लिए 145 कंपनियां और चुनाव ड्यूटी के लिए 540 कंपनियां भी तैनात कीं।

7.36 इंडियन एयरलाइंस के विमान आईसी–814 का अपहरण करके कंधार ले जाने की घटना के बाद हवाई अड्डों की सुरक्षा का विशिष्ट कार्य वर्ष 2000 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सौंपा गया था। इस बल को तभी से संपूर्ण देश में 68 हवाई अड्डों (अयोध्या हवाई अड्डे समेत) पर तैनात किया गया है, जिनमें सभी प्रमुख हवाई अड्डे यथा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु आदि शामिल हैं। नवीनतम इंडक्शन दिनांक 09.01.2024, को अयोध्या हवाई अड्डे (आईएस ड्यूटी) पर किया गया था। वर्ष 2023–24 (दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक) के दौरान, सीआईएसएफ ने हवाई अड्डों पर 93.30 करोड़ रुपये की खोया–पाया संपत्ति बरामद की, जिसमें से 14.05 करोड़ रुपये की संपत्ति यात्रियों को सौंप दी गई, जबकि 79.25 करोड़ रुपये की संपत्ति हवाई अड्डा संचालकों को सौंप दी गई। सीआईएसएफ कार्मिकों ने विभिन्न हवाई अड्डों पर हथियार और गोला–बारुद ले जाने के 371 मामलों, जाली ई–टिकट पर एंट्री के 77 मामलों एवं निषिद्ध सामग्रियों (मादक पदार्थों) के 08 मामलों का भी पता लगाया। हवाई अड्डों पर तैनात सीआईएसएफ कर्मचारियों ने दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के बीच 191.481 किग्रा. सोना और 72.87 करोड़ रुपये की नकदी का भी पता लगाया।

(दिनांक 22.07.2023 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सीआईएसएफ परिसर महिपालपुर का दौरा किया और विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया)

(स्रोत – सीआईएसएफ)

7.37 सीआईएसएफ का वीआईपी सुरक्षा विंग, जिसे विशेष सुरक्षा ग्रुप (एसएसजी) कहा जाता है, वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान में, देश के विभिन्न भागों में 153 वीआईपी को विभिन्न श्रेणियों में एसएसजी/सीआईएसएफ द्वारा सुरक्षा कवर प्रदान किया जा रहा है। सीआईएसएफ, नई दिल्ली में 55 संवदेनशील और अति–संवेदनशील सरकारी भवनों की सुरक्षा भी करता है। वर्ष 1999 में, सीआईएसएफ को निजी क्षेत्र के उन प्रतिष्ठानों, जहां सीआईएसएफ की तैनाती नहीं की जाती है, को भी भुगतान के आधार पर तकनीकी और अग्निशमन परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है। सीआईएसएफ ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक 229 ग्राहकों को परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई हैं और कुल 16.15 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। सीआईएसएफ अधिनियम में संशोधन किया गया था, ताकि यह बल देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण निजी/संयुक्त उद्यम वाले औद्योगिक उपक्रमों को भुगतान के आधार पर सुरक्षा प्रदान कर सके।

7.38 केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को दिनांक 15.04.2007 को दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की सेवा में लगाया गया था। वर्तमान में, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) 250 मेट्रो स्टेशनों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके दैनिक यात्रियों की संख्या लगभग 65 लाख है। वर्ष 2023–24 (दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक) के दौरान, सीआईएसएफ ने दिल्ली मेट्रो में 67.92 लाख रुपये की नकद खोया–पाया संपत्ति बरामद की, जिसमें से 52.71लाख रुपये उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए, जबकि 15.21 लाख रुपये डीएमआरसी को सौंप दिए गए। दिल्ली मेट्रो में 11.53 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा, 13.90 लाख रुपये (लगभग) के सोने के आभूषण, 2.6 लाख रुपये (लगभग) के चांदी के आभूषण, 182 लैपटॉप, 72 कलाई घड़ियां, 07 कैमरे और 310 मोबाइल फोन भी पाए गए, जिन्हें उनके वास्तविक मालिकों/डीएमआरसी को सौंप दिया गया। इसके अलावा, जब्त की गई 2.43 करोड़ रुपये की नकदी डीएमआरपी जनकपुरी को सौंप दी गई। इस अवधि के दौरान, गुमशुदा बच्चों के 320 मामले रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 192 गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार के सदस्यों से पुनः मिलवा दिया गया और शेष मामलों को दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस (डीएमआरपी) को सौंप दिया गया। सीआईएसएफ के कार्मिकों ने 08 यात्रियों को आत्महत्या करने से भी बचाया।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)

7.39 शुरू में दिनांक 27.07.1939 को 'क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव पुलिस' के नाम से नीमच (मध्य प्रदेश) में गठित किए गए इस बल का नाम स्वतंत्रता के बाद बदलकर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कर दिया गया था। तब से, बल की नफरी और क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में, इसकी क्षमता 248 बटालियनों की है (239 जीडी बटालियन, 07 सिग्नल बटालियन (स्थापनाधीन 02 सिग्नल बटालियन सहित) 01 पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप (पीडीजी) और 01 स्पेशल ड्यूटी ग्रुप (एसडीजी)), 43 ग्रुप सेन्टर, 22 प्रशिक्षण संस्थान, 07 शस्त्र कार्यशालाएं तथा 03 केन्द्रीय शस्त्रागार हैं। इस बल में, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थित बल मुख्यालय अर्थात महानिदेशालय के अलावा, 04 विशेष महानिदेशक जोन (केंद्रीय, पूर्वोत्तर, दक्षिणी और जम्मू एवं कश्मीर), 21 महानिरीक्षक प्रशासनिक सेक्टर, 02 महानिरीक्षक ऑपरेशन सेक्टर, 39 प्रशासनिक रेंज मुख्यालय, 17 ऑपरेशन रेंज मुख्यालय के रूप में सीनियर कमांड/पर्यवेक्षकीय संगठन और 04 कम्पोजिट अस्पताल (100 बेड वाले), 18 कम्पोजिट अस्पताल (50 बेड वाले) और 06 फील्ड अस्पताल भी हैं। यह बल इस समय कानून एवं व्यवस्था, विद्रोह–रोधी, उग्रवाद–रोधी, नक्सल–रोधी अभियानों और वीआईपी सुरक्षा सहित विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। यह बल लोक व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों की सहायता करने और नक्सलियों/उग्रवादी समूहों एवं विद्रोहियों की विध्वंसात्मक गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बल की 06 महिला बटालियनें और 15 आरएएफ बटालियनों में प्रत्येक में 106 महिला कार्मिक वाली 01 महिला टुकड़ी भी है तथा नक्सलवाद से लड़ने के लिए गठित बस्तरिया बटालियन में विभिन्न रैंकों में 242 महिला कार्मिक भी तैनात हैं। आतंकवाद, उग्रवाद, विद्रोह और नक्सलवाद से निपटने के साथ–साथ कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे देश में कुल 248 बटालियनें (202 जीडी बटालियन, 06

महिला, 06 वीआईपी सुरक्षा, 10 कोबरा 15 रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ), 07 सिग्नल बटालियन (स्थापनाधीन 02 सिग्नल बटालियन सहित) 01 पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप (पीडीजी) और 01 स्पेशल ड्यूटी ग्रुप (एसडीजी) सहित) तैनात हैं। इस बल के कार्मिकों की संख्या 3,30,851 है। बल को सौंपी गई प्राथमिक भूमिका राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना है।

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

7.40 दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान सीआरपीएफ की ऑपरेशन संबंधी प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:–

1	मारे गए माओवादी/उग्रवादी	70
2	गिरफ्तार किए गए माओवादी/उग्रवादी	1,986
3	आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी/उग्रवादी	728
4	बरामद किए गए हथियार	620
5	बरामद किए गए गोला-बारूद	21,354
6	बरामद की गई विस्फोटक सामग्री (किग्रा. में)	544.35
7	बरामद किए गए ग्रेनेड (सं. में)	491
8	बरामद किए गए बम	374
9	बरामद किए गए रॉकेट	0
10	बरामद की गई आईईडी	1,573
11	बरामद किए गए डेटोनेटर	34,604
12	बरामद की गई जिलेटिन स्टिक	1,610
13	बरामद की गई नकदी (भारतीय रुपए)	5,98,59,386 रुपये
14	बरामद किए गए स्वापक पदार्थ (किग्रा. में)	19,423.54 किग्रा.

7.41 सीआरपीएफ के अधिकारियों/कार्मिकों को अवधि (दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक) निम्नलिखित वीरता/सेवा पदक प्रदान किए गए हैं:

क्र.सं.	पदकों/ पुरस्कारों के प्रकार	गणतंत्र दिवस 2023	स्वतंत्रता दिवस 2023	गणतंत्र दिवस 2024
01	कीर्ति चक्र	---	04	---
02	शौर्य चक्र	03	01	01
03	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पीपीएमजी)	---	01	---
04	वीरता के लिए पुलिस पदक (पीएमजी)	48	27	---
05	वीरता पदक (एमजी)	---	---	65
06	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पीपीएम)	05	05	---
07	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (पीएम)	58	56	---
08	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पदक (पीएसएम)	---	---	05

09	सराहनीय सेवा के लिए पदक (एमएसएम)	---	---	57
10	केंद्रीय गृह मंत्री का विशेष ऑपरेशन पदक	---	51	---
11	सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक	---	---	01
	कुल	**114**	**145**	**129**

सीआरपीएफ में रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ)

7.42 वर्ष 1991 में, सीआरपीएफ की 10 बटालियनों को रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की प्रत्येक 4 कंपनियों वाली 10 बटालियनों में परिवर्तित किया गया था। आरएएफ के कार्मिकों को सांप्रदायिक दंगों और समान परिस्थिति में एक प्रभावशाली हमलावर बल के रूप में प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। ये बटालियनें इस प्रकार की किसी घटना के मामले में तुरंत कार्रवाई करने के लिए देश भर में सांप्रदायिक रूप से अति संवेदनशील 10 स्थानों पर अवस्थित हैं। आरएएफ बटालियनों की बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर, भारत सरकार ने वर्ष 2018 में सीआरपीएफ की 05 और कार्यकारी बटालियनों को आरएएफ बटालियनों में परिवर्तित करने का अनुमोदन प्रदान किया है। इन सभी बटालियनों का गठन एक स्वतंत्र पद्धति से किया गया है और ये एक महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य कर रही हैं।

सीआरपीएफ में कठोर कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियनें (कोबरा)

7.43 कोबरा – कठोर कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियन एक विशेषज्ञता प्राप्त बल है, जिसका गठन वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में माओवादियों और विद्रोहियों से लड़ने के लिए किया गया है। इनका चयन आयु और अन्य शारीरिक विशेषताओं के आधार पर सीआरपीएफ के कार्मिकों में से ही किया जाता है, जिसे जंगल वारियर्स के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 2008–11 के दौरान 10 कोबरा बटालियनों का गठन किया गया था और उन्हें प्रशिक्षित, सुसज्जित करने के बाद छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम में तैनात किया गया है। जंगलों में रहने, लड़ने और जीतने के लिए प्रशिक्षित देश की यह एक श्रेष्ठ कमांडो यूनिट है। जंगल युद्ध कौशल एवं टैक्टिक्स में विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2014 में बेलगाम (कर्नाटक) में एक कोबरा स्कूल भी स्थापित किया गया था, जो विशिष्ट बल के श्रेष्ठ कमांडो के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करता है।

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी)

7.44 आईटीबीपी का गठन वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के पश्चात 04 बटालियनों की मामूली संख्या के साथ किया गया था। इस बल का गठन मूलतः आपूर्ति, संचार और आसूचना संग्रहण के मामले में आत्मनिर्भर, एक एकीकृत **"गुरिल्ला–सह–आसूचना– सह–लड़ाकू बल"** के रूप में किया गया था। समय बीतने के साथ–साथ यह एक परंपरागत सीमा रक्षक बल (बीजीएफ) के रूप में विकसित हो गया है। आज, आईटीबीपी 3,488 किमी. लम्बी भारत–चीन सीमा की रक्षा करती है और लद्दाख में "कराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में "जाचेप–ला" तक भारत–चीन सीमा के पश्चिमी, मध्यवर्ती एवं पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में 9,000 फीट से लेकर 18,750 फीट की ऊंचाई वाले हिस्सों में 197 सीमा चौकियों (बीओपी) का संचालन कर रही है। सबसे ऊंची चौकी ओपी दोर्जिला है, जो उत्तरी सिक्किम में 18,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आईटीबीपी की आठ (08) बटालियनें छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं और आईटीबीपी की ग्यारह (11) बटालियन पूरे देश में राष्ट्रीय महत्त्व के विभिन्न प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। आईटीबीपी 02 कमान मुख्यालयों अर्थात् पश्चिमी कमान और पूर्वी कमान के माध्यम से संचालित होता है, जिसका नेतृत्व अपर महानिदेशक रैंक के अधिकारी करते हैं, जिसमें महानिदेशालय, केंद्रीय रिकॉर्ड अधिकारी (सीआरओ) और 04 एनडीआरएफ बटालियन सहित 05 फ्रंटियर मुख्यालय, 17 प्रशिक्षण केंद्र, 16 सेक्टर मुख्यालय (एसएचक्यू), 60 सेवा बटालियन, 04 विशेष बटालियन, 01

डिपो, 10 अन्य संरचनाएं हैं और इसकी कुल स्वीकृत नफरी 96,222 कार्मिक हैं।

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

7.45 दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान आईटीबीपी की ऑपरेशन संबंधी प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

(i) आईटीबीपी ने सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित की और भारत–चीन सीमा पर गहन सुरक्षा परिदृश्य के दौरान सतर्कता बनाए रखी।

(ii) कड़ी निगरानी रखने के लिए, आईटीबीपी ने भारत–चीन सीमा पर 6,561 गश्तें लगाईं और छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र से माओवादियों की गिरफ़्तारी और हथियार/आईईडी की बरामदगी की गई है, जो निम्नानुसार है:–

1.	गिरफ्तार किए गए माओवादी/उग्रवादी	20
2.	बरामद किए गए हथियार	14
3.	बरामद की गई आईईडी	25

पदक: वर्ष 2023 (दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक) के दौरान, बल के सदस्यों को निम्नलिखित वीरता और अन्य पदक प्रदान किए गए:

1.	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	09
2.	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक	35

राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी)

7.46 राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) का गठन सभी प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए वर्ष 1984 में किया गया था। यह हमलावर बल सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और राज्य पुलिस बलों के चुनिंदा कार्मिकों का एक विशिष्ट संगठन है। दिनांक 26.11.2008 के मुम्बई आतंकी हमले के पश्चात, कार्रवाई में लगने वाले समय को कम करने और पूरे भारत में मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए चार क्षेत्रीय हब (मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता) स्थापित किए गए थे। वर्ष 2016 में, गांधीनगर (गुजरात) में पांचवां हब अस्तित्व में आया।

7.47 फेडरल कंटिंजेंसी फोर्स के रूप में, एनएसजी को अपनी श्रेष्ठता की परिपाटी के साथ कई सफल आतंकवाद–रोधी अभियानों का श्रेय प्राप्त है। विगत कुछ वर्षों में, एनएसजी ने अपनी प्रशिक्षण एवं ऑपरेशनल कार्यक्षमता के उच्च मानदण्डों की वजह से 'सर्वोत्कृष्ट' होने की अप्रतिम प्रतिष्ठा प्राप्त की है। अपने समर्पण, साहस और सर्जिकल ऑपरेशन संबंधी क्षमताओं की वजह से इस विशिष्ट बल के कमांडो 'ब्लैक कैट' के रूप में जाने जाते हैं।

ऑपरेशन

7.48 **सतर्क बल**– एनएसजी कार्य बलों (टीएफ) तथा त्वरित कार्रवाई दलों (क्यूआरटी) को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अत्यंत कम समय में प्रस्थान करने के लिए दिल्ली तथा सभी पांच क्षेत्रीय हबों पर चौकस (24x7) रखा जाता है। राष्ट्रीय संकट के दौरान एनएसजी कार्य बलों को गृह मंत्रालय के अनुमोदन से कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।

(क) तत्काल सहायता सुरक्षा (आईबीयूएस) ऑपरेशन – एनएसजी कार्य बलों (टीएफ) को स्वतंत्रता दिवस, जी–20 और पी–20 समिट, 2023 समेत राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भाग के रूप में तत्काल सहायता सुरक्षा (आईबीयूएस) ऑपरेशनों के लिए तैनात किया जाता है। दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक एनससजी द्वारा देश भर में वीवीआईपी के दौरों सहित इस प्रकार के 262 आयोजनों को कवर किया गया।

(ख) **संवेदनशील स्थानों/प्रतिष्ठानों/हवाई अड्डों की टोह लेना–** एनएसजी पूरे देश में संवेदनशील स्थानों/प्रतिष्ठानों/हवाई अड्डों की नियमित रूप से टोह लेता है। स्वयं अपने ऑपरेशनों की योजना बनाने के लिए टोह लेने के दौरान संवेदनशील स्थानों और प्रतिष्ठानों की जानकारी प्राप्त की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान ली गई टोह का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) संवेदनशील स्थान/प्रतिष्ठान – 194

(ii) हवाई अड्डे – 32

(iii) एयरोड्रोन समिति की बैठक (एसीएम)/अपहरण–रोधी मॉक अभ्यास (एएचएमई) – 110

प्रशिक्षण

7.49 **एनएसजी का (इंडक्शन) पाठ्यक्रम**

(क) एनएसजी कमांडो की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, प्रवेश मानकों को और अधिक कठोर बनाया गया है। सीएपीएफ के सभी महानिदेशकों से भी एनएसजी के लिए स्वयंसेवकों की स्क्रीनिंग करने और न्यूनतम शारीरिक तथा फायरिंग मानकों को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को और अधिक परिष्कृत एवं संकेंद्रित बनाने हेतु इसमें सुधार किया गया है।

(ख) दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक एनएसजी में सीएपीएफ के 866 कार्मिकों तथा सेना के 980 कार्मिकों को शामिल किया गया।

7.50 **एनएसजी का क्षमता निर्माण पाठ्यक्रम**

(क) एनएसजी ने राज्य स्तर पर सर्वप्रथम कार्रवाई करने वालों के प्रशिक्षण में काफी प्रगति की है और दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान निम्नलिखित क्षमता निर्माण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं:

क्र.सं	संचालित पाठ्यक्रम	भाग लेने वाले राज्य/सीएपीएफ	संख्या
1.	दो निजी सुरक्षा अधिकारियों का पाठ्यक्रम - 76 और 77	19 राज्य पुलिस और 09 सीएपीएफ/डिफेंस सर्विसेज (नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के पांच कार्मिकों सहित) को प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी मानेसर में प्रशिक्षित किया गया।	176
2.	तीन पुलिस कमांडो (क्षमता निर्माण) पाठ्यक्रम (पीसीसीसी) - 09,10 और 11	14 राज्य पुलिस और 08 सीएपीएफ/डिफेंस सर्विसेज (नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के पांच कार्मिकों और 08 मंगोलिया अधिकारियों सहित) को प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी मानेसर में प्रशिक्षित किया गया।	190
3.	04 बम निष्क्रियकरण संबंधी बुनियादी पाठ्यक्रम संचालित किए गए (बीडी बुनियादी सं. 06,07,08 और 09)	26 राज्य पुलिस और 10 सीएपीएफ/डिफेंस सर्विसेज तथा नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के पांच कार्मिकों को प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी मानेसर में प्रशिक्षित किया गया।	380
4.	एक बम निष्क्रियकरण संबंधी (एडवांस) पाठ्यक्रम -03	18 राज्यों और 08 सीएपीएफ कार्मिकों को प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी मानेसर में प्रशिक्षित किया गया।	65
5.	तीन टैक्टिकल ड्राइविंग कोर्स - क्र.सं. 81,82 और 83	15 राज्य पुलिस और 10 सीएपीएफ/डिफेंस सर्विसेज कार्मिकों को प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी मानेसर में प्रशिक्षित किया गया।	105
6.	दो क्लस्टराइज्ड संयुक्त आतंकवाद-रोधी प्रशिक्षण अभ्यास- क्र.सं. 43 और 44	03 राज्य पुलिस और 03 सीएपीएफ/ डिफेंस सर्विसेज कार्मिकों को प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी मानेसर में प्रशिक्षित किया गया।	159

7.	यूनिट प्रशिक्षण दल (यूटीटी) के लिए बम निष्क्रियकरण एवं काउंटर-इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (सी-आईईडी) कैडर	9 कुमाऊं रेजिमेंट के कार्मिकों को प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी मानेसर में प्रशिक्षण दिया गया।	15
8.	बुनियादी स्नाइपर पाठ्यक्रम-क्र.सं.3	50 (आई) पैरा ब्रिगेड के कार्मिकों को, प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी मानेसर में प्रशिक्षण दिया गया।	12
9.	दिल्ली पुलिस कार्मिकों के लिए पुलिस स्टेशन बाराखंभा रोड, नई दिल्ली में ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम पर विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया	दिल्ली पुलिस के कार्मिकों को, प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी मानेसर में प्रशिक्षण दिया गया।	200
10.	राज्यों/सीएपीएफ/डिफेन्स के लिए निजी सुरक्षा अधिकारियों हेतु दो सप्ताह के तीन विशेष [illegible]	02 राज्यों और 01 सेना टुकड़ी के कार्मिकों को प्रशिक्षण केन्द्र, एनएसजी मानेसर में प्रशिक्षण दिया गया।	189
11.	05 सेना टुकड़ियों को आतंकवाद-रोधी विशेष प्रशिक्षण	50 (आई) पैरा ब्रिगेड, 15 राजपूत, 19 गढ़वाल राइफल्स और 1 जैक ली तथा 02 जाट रेजिमेंट के कार्मिकों को प्रशिक्षण केन्द्र, एनएसजी मानेसर में प्रशिक्षण दिया गया।	190
12.	06 टैक्टिकल ड्राइविंग कैप्सूल कोर्स	जी-20 सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस कार्मिकों को 6 बैचों में प्रशिक्षण केन्द्र, एनएसजी मानेसर में प्रशिक्षण दिया गया।	311
13.	आतंकवाद-रोधी पर राज्य क्षमता निर्माण प्रशिक्षण	08 राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण केन्द्र, एनएसजी मानेसर में प्रशिक्षण दिया गया।	83
14.	राज्य पुलिस/सीएपीएफ (विशेष आतंकवाद-रोधी बल) के साथ 9वां राष्ट्रीय संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास- 2023 (अग्नि [illegible]	08 राज्य पुलिस और 03 सीएपीएफ के कार्मिकों ने प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी मानेसर में आयोजित अभ्यास में भाग लिया।	194
15.	राज्य पुलिस/सीएपीएफ के साथ 7वां राष्ट्रीय संयुक्त-इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी)-रोधी अभ्यास (विस्फोट कवच-	06 राज्य पुलिस और 02 सीएपीएफ के कार्मिकों ने प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी मानेसर में आयोजित अभ्यास में भाग लिया।	136
16.	राज्य पुलिस/सीएपीएफ के साथ यूनिट प्रशिक्षण टीम (यूटीटी) VII को विशेष प्रशिक्षण।	24 मराठा सेना और 03/03 गोरखा राइफल्स के कार्मिकों को प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी मानेसर में प्रशिक्षित किया गया।	40
17.	कस्टमाइज्ड काउंटर टेररिज्म ट्रैनिंग कैप्सूल पाठ्यक्रम	उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्मिकों को प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी मानेसर में प्रशिक्षित किया गया।	91
		कुल	**2670**

(ख) **राज्य/सीएपीएफ स्तरीय बम निष्क्रियकरण प्रशिक्षण**– दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित राज्यों और सीएपीएफ के लिए राज्य/सीएपीएफ स्तरीय बम निष्क्रियकरण प्रशिक्षण संचालित किया गया:

क्र.सं.	राज्य/एजेंसी/सीएपीएफ	भाग लेने वालों की संख्या			कुल
		अधिकारी	जेसीओ	अन्य रैंक	
(क)	आंध्र प्रदेश	0	3	14	17
(ख)	दिल्ली	0	0	200	200
(ग)	गुजरात	2	0	78	80
(घ)	हिमाचल प्रदेश	0	0	20	20
(ङ)	मध्य प्रदेश	0	0	4	4
(च)	राजस्थान	0	0	10	10
(छ)	महाराष्ट्र	0	0	32	32
(ज)	सीआईएसएफ	0	0	4	4
(झ)	छत्तीसगढ़	0	0	26	26
	कुल	**2**	**3**	**388**	**393**

(ग) **ड्रोन और एंटी ड्रोन प्रशिक्षणः** राज्य पुलिस/सीएपीएफ की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, गृह मंत्रालय ने एनएसजी को ड्रोन/एंटी–ड्रोन ऑपरेशन के क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण आयोजित करने का निर्देश दिया है। एनएसजी ने दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान 05 पाठ्यक्रम आयोजित किए: –

क्र.सं	प्रशिक्षण	राज्य/सीएपीएफ	भाग लेने वालों की संख्या			कुल
			अधिकारी	जेसीओ	अन्य रैंक	
(i)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस/सीएपीएफ के क्षमता निर्माण के रूप में ड्रोन/ड्रोन रोधी प्रशिक्षण पर छठा पाठ्यक्रम।	चंडीगढ़	0	0	3	3
		दिल्ली	0	0	2	2
		आईटीबीपी	0	0	5	5
		कुल	**0**	**0**	**10**	**10**
(ii)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस/सीएपीएफ के क्षमता निर्माण के रूप में ड्रोन/ड्रोन रोधी प्रशिक्षण पर 7वां पाठ्यक्रम।	एम पी	0	0	4	4
		बीएसएफ	0	0	6	6
		कुल	**0**	**0**	**10**	**10**
(iii)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस/सीएपीएफ के क्षमता निर्माण के रूप में ड्रोन/ड्रोन रोधी प्रशिक्षण पर 8वां पाठ्यक्रम।	अरुणाचल प्रदेश	0	0	2	2
		मिजोरम	0	0	1	1
		सीआरपीएफ	0	0	5	5
		कुल	**0**	**0**	**8**	**8**
(iv)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस/सीएपीएफ के क्षमता निर्माण के रूप में ड्रोन/ड्रोन रोधी प्रशिक्षण पर 9वां पाठ्यक्रम।	तेलंगाना	1	0	1	2
		मेघालय	0	0	4	4
		असम राइफल्स	1	0	1	2
		कुल	**2**	**0**	**6**	**8**
(v)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस/सीएपीएफ के क्षमता निर्माण के रूप में ड्रोन/ड्रोन रोधी प्रशिक्षण पर 10वां पाठ्यक्रम।	केरल	0	1	3	4
		राजस्थान	1	3	0	4
		तेलंगाना	0	1	1	2
		सीआईएसएफ	2	2	0	4
		एनएसजी	2	3	2	7
		कुल	**5**	**10**	**6**	**21**
		कुल योग	**7**	**10**	**40**	**57**

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)

7.51 वर्ष 1962 में भारत–चीन संघर्ष के पश्चात "विशेष सेवा ब्यूरो" का गठन वर्ष 1963 के प्रारंभ में सीमा–पार से विध्वंस, घुसपैठ और तोड़–फोड़ के खतरे के प्रति सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों का मनोबल बढ़ाने और उनमें क्षमता का निर्माण करने के लिए मौजूदा "सशस्त्र सीमा बल" के पूर्ववर्ती बल के रूप में किया गया था। गृह मंत्रालय के अधीन यह बल वर्ष 2001 में "सीमा रक्षक बल (बीजीएफ)" बन गया और इसके कर्तव्यों के चार्टर में संशोधन करके इसका नाम बदलकर 'सशस्त्र सीमा बल' रखा गया। इसे भारत–नेपाल तथा भारत–भूटान सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

7.52 सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की तैनाती 1,751 किमी. लंबे क्षेत्र में भारत–नेपाल सीमा पर और 699 किमी. लंबी भारत–भूटान सीमा पर की गई है। वर्तमान में, बल के कार्मिकों की संख्या **92,541** है। इस बल में 01 बल मुख्यालय, 06 फ्रंटियर, 18 सेक्टर, 73 बटालियनें, 04 आरटीसी (रिक्रूट प्रशिक्षण केन्द्र), 02 केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, 01 एसएसबी अकादमी, 01 वायरलेस और दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, 01 डॉग प्रशिक्षण एवं ब्रीडिंग केन्द्र (डीटीएंडबीसी), 03 कम्पोजिट अस्पताल, 01 केन्द्रीय भंडार डिपो एवं कार्यशाला (सीएसडीएंडडब्ल्यू), 03 सब–सीएसडी, 01 चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र और 01 काउंटर इंसरजेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल (सीआईएंडजेडब्ल्यूएस) और 01 "जी" स्कूल शामिल हैं। एसएसबी आतंरिक सुरक्षा और विद्रोह–रोधी कर्तव्य का निर्वहन भी करता है। एसएसबी ने अपने कार्मिकों की तैनाती विद्रोह प्रभावित जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और असम तथा छत्तीसगढ़, झारखण्ड और बिहार के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में भी की है। दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, बल की कुल संख्या 92,541 है।

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

7.53 दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान एसएसबी की प्रमुख ऑपरेशनल उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	विवरण	मामले	गिरफ्तारी	जब्ती (वस्तुएं)
1.	स्वापक पदार्थ	1059	573	क) 29,007.8685 किग्रा. ख) 5875.8843 एकड़ (भांग की अवैध खेती को नष्ट करना)
2.	एफआईसीएन	11	20	3,83,500/- रुपये
3.	भारतीय मुद्रा	471	614	10,34,03,860/- रुपये
4.	अन्य मुद्रा	197	316	4,00,29,910/- रुपये
5.	प्रतिबंधित/निषिद्ध सामग्री	5993	6209	क) 39,698.3083 घन फुट ख)23,02,827.6350 किग्रा. ग) 1,74,604.932 लीटर घ) 98,230.69 मीटर ड़) 39,429 जोड़ी
6.	वन उत्पाद	398	353	क) 3,71,837.6086 घन फुट ख) 23,916.993 किग्रा.
7.	वन्यजीव उत्पाद	78	101	1,508.711 किग्रा.
8.	मवेशी	432	293	5,895

9.	सोना	38	63	20.6436 किग्रा.
10.	चांदी	33	43	62.3841 किग्रा.
11.	प्राचीन मूर्तियां	01	-	03 (मूर्ति)
12.	मनःप्रभावी सिंथेटिक ड्रग	157	171	4,55,250
13.	स्वदेशी/फैक्ट्री निर्मित हथियार	101	122	218
14.	गोलाबारूद कार्ट्रिज/विस्फोटक	108	108	3237 और 266.9761 किग्रा.
15.	माओवादी/माओवादी लिंकमैन	55	59	-
16.	तीसरा देश (विदेशी)	44	58	-
17.	अन्य अपराधी/असामाजिक तत्व	25	41	-
18.	पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई)	01	01	-
19.	आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी/माओवादी लिंकमैन	04	10	-
20.	मारे गए उग्रवादी/आतंकवादी	01	02	-
21.	मानव तस्करी	316	274(तस्कर)	इस अवधि के दौरान, कुल 531 पीड़ितों को बचाया गया (248 पुरुष और 283 महिलाएं)

सीएपीएफ में कांस्टेबलों की भर्ती योजना

7.54 वर्ष 2011–12 से, भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, सक्षम, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सीएपीएफ में कांस्टेबल (जीडी) और असम राइफल्स में राइफलमैन (जीडी) की भर्ती योजना को संशोधित किया गया है, ताकि प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाते हुए भर्ती प्रक्रिया में व्यक्तिपरकता की गुंजाइश को कम किया जा सके। सीएपीएफ में कांस्टेबल (जीडी) और असम राइफल्स में राइफलमैन (जीडी) की भर्ती की संशोधित भर्ती योजना निम्नानुसार है:

(क) सभी सीएपीएफ और असम राइफल्स के लिए भर्ती कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से एक "एकल संयुक्त परीक्षा" आयोजित करके केन्द्रीय स्तर पर की जा रही है।

(ख) गृह मंत्रालय और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा 05 वर्षों (2022–2026) के लिए हस्ताक्षरित कांस्टेबल (जीडी) परीक्षा के संशोधित समझौता ज्ञापन के अनुसार, पूरे देश के अभ्यर्थियों से केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन मंगाने तथा आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में कराने का निर्णय लिया गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में छांटे गए अभ्यर्थियों के संबंध में अन्य सीएपीएफ के समन्वय से नोडल बल द्वारा शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी)/शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) आयोजित किया जाएगा और पीएसटी/पीईटी में सफल हुए अभ्यर्थियों के संबंध में परिणाम घोषित होने के पश्चात, अभ्यर्थियों को विस्तृत चिकित्सा जांच (डीएमई) के लिए बुलाया जाएगा। मौजूदा पद्धति के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों को डीएमई की प्रक्रिया के दौरान चिकित्सा की दृष्टि से अयोग्य घोषित किया जाता है, उनके पास भर्तीकर्ता चिकित्सा अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का विकल्प होता है और इस प्रकार उन्हें रिव्यू

चिकित्सा जांच (आरएमई) के लिए रिव्यू चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। कांस्टेबल (जीडी) भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब से बचने के लिए, वर्ष 2021 में एक संशोधन अपनाया गया है जो वरीयतन विस्तृत चिकित्सा जांच (डीएमई) के अगले दिन रिव्यू चिकित्सा जांच (आरएमई) कराने की अनुमति देता है।

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) केवल अर्हक प्रकृति का है और इसमें कोई अंक नहीं दिया जाता है। साथ ही, साक्षात्कार को भी समाप्त कर दिया गया है।

(घ) भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सभी भर्तियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की गई हैं।

(ङ) रिक्त पदों को भरने के लिए, कांस्टेबल (जीडी) परीक्षा, 2021 और भविष्य की कांस्टेबल (जीडी) परीक्षाओं में शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी)/शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कट ऑफ अंक कम कर दिए थे। संशोधित आदेश के अनुसार, सामान्य, ओबीसी/ईडब्ल्यूएस और एससी/एसटी/ईएसएम के लिए न्यूनतम कट ऑफ क्रमशः 30%, 25% और 20% होगी।

(च) वर्ष 2024 से कांस्टेबल (जीडी) परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से सीएपीएफ में स्थानीय युवाओं की भागीदारी तथा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा।

7.55 सीमावर्ती और उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, अब रिक्तियों का आवंटन निम्नलिखित तरीके से किया जाता है:

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच सीएपीएफ और असम राइफल्स की 50% रिक्तियों का आवंटन, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

(ख) 25% रिक्तियों का आवंटन सीमावर्ती जिलों को किया जाता है (सीमा रक्षक बलों नामतः असम राइफल्स (एआर), बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में, रिक्तियों का आवंटन उन जिलों को किया जाता है, जो संबंधित सीमा रक्षक बल की जिम्मेदारी के अंतर्गत आते हैं। तथापि, गैर–सीमा रक्षक बलों अर्थात सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में रिक्तियों का आवंटन सभी सीमावर्ती जिलों के लिए किया जाएगा)।

(ग) 25% रिक्तियों का आवंटन आतंकवाद/एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों के लिए किया जाता है।

सीएपीएफ में भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण:

7.56 गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स (सीएपीएफ और एआर) में कांस्टेबल/राइफलमैन (जनरल ड्यूटी) के पद पर भर्ती में भूतपूर्व अग्निवीरों की नई श्रेणी के सृजन को मंजूरी दी है, जिसमें उनके लिए क्रमशः निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं: (क) रिक्तियों के 10% का आरक्षण, (ख) निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट और अग्निपथ योजना के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए आयु में 05 वर्ष की छूट और (ग) शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) से छूट।

भर्ती में आरएफआईडी का प्रयोग:

7.57 गृह मंत्रालय ने दिनांक 01.01.2024 से कांस्टेबल (जीडी) के साथ–साथ सीएपीएफ और एआर में अन्य सभी सीधी भर्ती परीक्षाओं के लिए, जहां पीएसटी/पीईटी चयन प्रक्रिया का एक हिस्सा है, पीएसटी/पीईटी के संचालन के दौरान रेडियो–फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) का प्रयोग करने का निर्णय लिया।

वैश्विक शांति स्थापना

7.58 गृह मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में वैश्विक शांति स्थापना पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुरोध किए जाने पर विभिन्न रैंकों के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर फॉर्म्ड पुलिस यूनिटों (एफपीयू)

की तैनाती भी की जाती है। दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान, विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी), केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कुल 42 योग्य सिविलियन पुलिस (सीआईवीपीओएल) अधिकारियों ने दक्षिणी सूडान और अबेई में यूएन शांति स्थापना संबंधी मिशनों में सेवा प्रदान की है।

(i) इसके अतिरिक्त, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब कैडर के तीन भारतीय पुलिस अधिकारियों ने पुलिस प्रभाग, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयार्क में पी–IV स्तर पर, स्थायी पुलिस क्षमता लॉजिस्टिक बेस, ब्रिंडिसि, इटली में और यूएनएमआईएसएस में डी–1/डी–2 स्तर पर प्रतिनियुक्ति पद पर सेवा प्रदान की है।

(ii) इसके अलावा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स द्वारा संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में योगदान दिया गया, जिसका विवरण निम्ननुसार है:

क. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की एक गठित पुलिस इकाई को डीआर कांगो (एमओएनयूएससीओ) में तैनात किया गया है।

ख. असम राइफल्स की 75 महिला कार्मिकों को सेना/रक्षा मंत्रालय के साथ डीआर कांगो, दक्षिण सूडान और अबेई में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में महिला सहभागिता टीमों के रूप में तैनात किया गया।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिए विमान सहायता

7.59 गृह मंत्रालय के संरक्षण में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का एयरविंग हताहतों को निकालने के लिए सीएपीएफ को विमान सहायता उपलब्ध कराने, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित सीमा चौकियों (बीओपी) के हवाई अनुरक्षण, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल–रोधी अभियानों में तैनात टुकड़ियों के लिए पर्याप्त विमान सहायता का प्रावधान करने, ऑपरेशन के प्रयोजन से टुकड़ियों को लाने–ले–जाने, प्राकृतिक आपदा और राष्ट्रीय संकट के दौरान सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए दिनांक 01.05.1969 को अस्तित्व में आया। इसमें दो विंग अर्थात स्थायी विंग और रोटरी विंग हैं। रोटरी विंग का विगत कुछ वर्षों में विस्तार किया गया है। इस समय, इसके बेड़े में 01 इम्ब्रेयर–135 बीजे एक्ज़ीक्यूटिव जेट, 06 एमआई–17 1वी, 08 एमआई–17 वी5, 06 एएलएच/ध्रुव और 01 चीता हेलीकॉप्टर शामिल हैं।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) का आधुनिकीकरण

7.60 सीएपीएफ को सामान्य प्रावधान शीर्षों (अर्थात हथियार एवं गोला–बारूद, हथियार और गोला–बारूद (पूंजीगत), सामग्री और आपूर्ति, डिजिटल उपकरण, आईसीटी उपकरण, मशीनरी एवं उपकरण तथा मोटर वाहन) के अंतर्गत अपनी ऑपरेशनल आवश्यकता वाली मदों जैसे कि हथियार और गोला–बारूद, निगरानी उपकरण, प्रशिक्षण उपकरण, संचार उपकरण, आईटी उपकरण, विशेष वाहन, रक्षात्मक उपकरण, दंगा–रोधी उपकरण, अत्यधिक प्रतिकूल मौसम वाली वर्दी आदि के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि प्राधिकार के अनुसार कमी पूरी की जा सके और मौजूदा इनवेन्ट्री को बनाए रखने के लिए ठीक न हो सकने वाली मदों को बदला जा सके। दिनांक 31.03.2024 तक आवंटित और खर्च की गई निधियों का बल–वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	सीएपीएफ	वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान	वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार व्यय	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार बजट अनुमान के संदर्भ में % व्यय
1.	बीएसएफ	1054.31	1105.61	990.62	89.60
2.	सीआरपीएफ	1054.00	1411.90	1395.71	98.85

3.	आईटीबीपी	443.45	327.34	236.53	72.26
4.	एआर	352.62	401.00	414.91	103.47
5.	सीआईएसएफ	230.50	198.50	175.38	88.35
6.	एसएसबी	183.00	167.42	167.21	99.87
7.	एनएसजी	131.85	126.48	94.04	74.38
	कुल	**3449.73**	**3738.25**	**3474.44**	**92.94**

7.61 सामान्य प्रावधान के अलावा, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कुल 1,523 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ दिनांक 31.03.2026 तक सभी सीएपीएफ (अर्थात असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद और सशस्त्र सीमा बल) के लिए आधुनिकीकरण योजना–IV को अनुमोदन प्रदान किया है, ताकि सीएपीएफ को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस किया जा सके तथा आंतरिक सुरक्षा के प्रति बढ़ती हुई चुनौतियों से पर्याप्त रूप से निपटा जा सके। आधुनिकीकरण योजना–IV के तहत बल–वार स्वीकृत परिव्यय, आवंटित निधियां निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**सीएपीएफ**	**परिव्यय**	**बजट अनुमान 2023-24**
1.	बीएसएफ	484.58	58.55
2.	सीआरपीएफ	355.66	55.00
3.	आईटीबीपी	157.05	5.30
4.	एआर	166.00	28.11
5.	सीआईएसएफ	148.88	18.00
6.	एसएसबी	122.21	21.31
7.	एनएसजी	88.62	16.00
	कुल	**1,523**	**202.27**

7.62 इस योजना के माध्यम से, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को अत्याधुनिक हथियारों, निगरानी और दूरसंचार उपकरण, विशिष्ट वाहनों, सुरक्षा उपकरण आदि से भी सुसज्जित किया जाएगा ताकि उन्हें सीमाओं की रक्षा करने और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु सक्षम बनाया जा सके। इस योजना से पूरे देश में वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य के मद्देनजर, सीएपीएफ के पास उपलब्ध मौजूदा इन्वेन्ट्री/प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक उपयुक्त प्रौद्योगिकी के बीच की कमियों को दूर किया जाएगा।

7.63 आधुनिकीकरण योजना IV के तहत सीएपीएफ द्वारा खरीदे जाने के लिए प्रस्तावित प्रमुख हथियारों, उपकरणों और वाहनों में मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर, अंडर बैरेल ग्रेनेड लॉन्चर (यूबीजीएल), असॉल्ट राइफल, बम डिटेक्शन और डिस्पोजल उपकरण, माइन प्रोटेक्टेड वाहन, मध्यम बुलेटप्रूफ वाहन, हल्के बुलेटप्रूफ वाहन, मिनी रिमोट चालित वाहन (आरओवी), मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), विशेष रूप से हल्के रकसैक, हल्के स्लीपिंग बैग, दो इंजन वाली एफआरपी स्पीड बोट, एएलएस एंबुलेंस, हैंड हेल्ड सैटेलाइट ट्रैकर, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर और सैटेलाइट फोन शामिल हैं।

स्वदेशी और खादी को बढ़ावा

सरसों का तेल

7.64 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, केवीआईसी के माध्यम से 4,89,20,400/– रुपये की लागत पर सरसों का तेल खरीदा गया है।

सूती बिस्तर की दरी

7.65 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, केवीआईसी के माध्यम से प्रति यूनिट 535/– रुपये की दर से 1,47,22,665/– रुपये की लागत पर कुल 27,519 दरी खरीदी गई हैं।

बेड सीट और तकिए का कवर

7.66 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, सीएपीएफ द्वारा केवीआईसी के माध्यम से प्रति यूनिट 680/– + जीएसटी की लागत पर कुल 4695 बेडशीट और प्रति यूनिट 170/– + जीएसटी की लागत पर 3446 तकिया कवर खरीदे गए हैं। इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष के लिए सीएपीएफ द्वारा पुरानी दरों यानी 680 रुपये + जीएसटी पर बेड शीट और 170 रुपये + जीएसटी पर तकिया कवर की खरीद के लिए एक समझौता ज्ञापन पर केवीआईसी और कार्यालय एडीजी (मेड), सीएपीएफ द्वारा दिनांक 22.03.2024 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

सीएपीएफ में स्वदेशी प्रौद्योगिकी/उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय और डीआरडीओ के बीच सहयोग

7.67 सीएपीएफ में स्वदेशी प्रौद्योगिकी/उत्पादों को अपनाए जाने पर बल देने और डीआरडीओ की क्षमताओं का प्रभावकारी ढंग से उपयोग करने के लिए, गृह मंत्रालय के दिनांक 15.07.2020 और 17.06.2021 के कार्यालय ज्ञापन के तहत डीआरडीओ द्वारा विकसित उत्पादों को सीएपीएफ में शीघ्र शामिल करने के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र की स्थापना की गई है। दिनांक 27.02.2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से इसे सुव्यवस्थित/सरलीकृत कर दिया गया है।

वाहन स्क्रैपिंग नीति

7.68 गृह मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को भारत सरकार की 'वाहन स्क्रैपिंग नीति' के अनुसार नष्ट कर दिया जाए। इस संबंध में, दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक सीएपीएफ एवं आईबी के 15 वर्ष से अधिक पुराने कुल 6026 वाहनों को बेचा/स्क्रैप किया जा चुका है। इसी प्रकार, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अनुरोध किया गया है कि वे राज्य पुलिस संगठनों के पुराने ऑपरेशनल वाहनों को नष्ट करने और उनके स्थान पर बेहतर प्रौद्योगिकी तथा कम ईंधन की खपत वाले वाहनों का उपयोग करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

पुलिस सेवा के9 (पीएसके)

7.69 'पुलिस के9 सेल' की स्थापना 'देश में पुलिस सेवा के9 (पीएसके) की टीमों को मुख्यधारा में लाने और उसका संवर्धन करने के अधिदेश के साथ दिनांक 01.11.2019 से पीएम प्रभाग के तहत की गई थी। दुनिया भर में प्रचलित समकालीन श्वान प्रशिक्षण तकनीकों के अनुसार वर्तमान के9 पद्धतियों का सफलतापूर्वक आधुनिकीकरण करके कम समय के भीतर पर्याप्त प्रगति की गई है। विभिन्न सीएपीएफ के बीच पीएसके से संबंधित सर्वोत्तम पद्धतियों में एकरूपता लाने और साथ ही विभिन्न पुलिस बलों तथा विधि प्रवर्तन संगठनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर–संचालनीयता प्राप्त करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में एसओपी और नीतिगत निर्देश तैयार करके जारी किए गए हैं। इस संदर्भ में, वर्ष 2023–2024 के दौरान निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

(क) क्यूआर/टीडी

कैनाइन रिमोट डिप्लॉयमेंट सिस्टम (सीआरडीएस) और के9 विजन सिस्टम के क्यूआर/टीडी को मई 2023 में अंतिम रूप दे दिया गया है तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी सम्बंधितों के बीच परिचालित कर दिया गया है। इसे गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर एक विशेष श्रेणी " श्वान और संबंधित स्टोर" के तहत भी अपलोड किया गया है।

(ख) पुलिस ड्यूटी के लिए भारतीय श्वान नस्लों का परीक्षण:

(i) भारतीय श्वान की 'मुढोल हाउंड' नस्ल का परीक्षण सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और आईटीबीपी द्वारा पहले ही किया जा चुका है। कुछ अन्य भारतीय श्वान नस्लों जैसेकि बीएसएफ में 'रामपुर हाउंड' और सीआरपीएफ में 'कोम्बई' का भी परीक्षण चल रहा है। इसके अलावा, मंत्रालय ने हिमालयन माउंटेन डॉग (जैसेकि

हिमाचली शेफर्ड/गद्दी/बखरवाल/ तिब्बती मास्टिफ) का भी बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी द्वारा एक साथ परीक्षण करने का आदेश दिया है। वर्तमान में, ये परीक्षण किए जा रहे हैं।

(ii) इस संदर्भ में, फरवरी 2024 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट (एआईपीडीएम) के दौरान, बीएसएफ के9 ने रिया नामक स्वदेशी श्वान नस्ल मुढोल हाउंड के साथ पहला स्थान हासिल किया, जिसके लिए प्रशिक्षण/देखरेख सिपाही (जीडी) अशोक कुमार कुमावत द्वारा की गई। इस जीत के साथ एक इतिहास रचा गया क्योंकि यह पहली बार था कि किसी भारतीय नस्ल को किसी प्रतियोगिता में शामिल किया गया और उसने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में विभिन्न विदेशी नस्लों सहित 116 श्वानों की कुल 43 टीमों ने भाग लिया।

(ग) पुलिस सेवा के9 (पीएसके) संबंधी संस्कृति और पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनानाः

मंत्रालय ने "पीएसके" के विषय पर सीएपीएफ और अन्य पुलिस/विधि प्रवर्तन संगठनों के बीच एक दूसरे से सीखने और सहयोग करने की संस्कृति और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस संबंध में, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

(i) **विगत वर्ष का राष्ट्रीय पुलिस के9 सेमिनार–** वार्षिक राष्ट्रीय पुलिस के9 सेमिनार एक दूसरे के अनुभवों से सीखने की सुविधा के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में, सीआरपीएफ द्वारा दिनांक 23–24 फरवरी 2023 को चौथा राष्ट्रीय पुलिस के9 सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय/राज्य पुलिस, विधि प्रवर्तन और रक्षा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न सुरक्षा संगठनों के 162 सदस्यों ने भाग लिया। तदनुसार, बीएसएफ द्वारा दिनांक 28–29 फरवरी, 2024 को बीएसएफ अकादमी टाकेनपुर में पांचवां राष्ट्रीय पुलिस के9 सेमिनार आयोजित किया गया है।

(ii) **इस वर्ष की राष्ट्रीय पुलिस के9 पत्रिका–** इसके अलावा, मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष अर्ध–वार्षिक 'राष्ट्रीय पुलिस के9 पत्रिका' का प्रकाशन भी शुरू किया है। यह पत्रिका "पीएसके" के क्षेत्र में एक–दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, अनुभवों और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने की सुविधा के लिए पीएम प्रभाग के "पुलिस के 9 सेल" द्वारा प्रकाशित की जाती है। आरंभिक अंक का प्रकाशन किया गया तथा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा दिनांक 02.01.2021 को औपचारिक रूप से इसे जारी किया गया। इसका (खंड–IV, अंक–I) मई 2023 में और (खंड–IV, अंक–II) दिसंबर 2023 में प्रकाशित हुआ था और पत्रिका की प्रतियां जनवरी 2024 में सभी हितधारकों को भी साझा की गई हैं।

(iii) **पुलिस सेवा के9 (पीएसके) के प्राधिकार में वृद्धि;** बीएसएफ में प्रति बटालियन 04 श्वानों की दर से इन्फैंट्री गश्ती सह आक्रमण श्वानों के प्राधिकार के लिए महानिदेशक, बीएसएफ को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी संसूचित कर दी गई है।

(iv) **वैश्विक निविदा पूछताछ में छूटः** सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 161 (iv) के संबंध में प्रासंगिक डीओई/एमओएफ आदेशों के अनुसार वैश्विक निविदा पूछताछ में छूट के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी महानिदेशक, सीआरपीएफ को संसूचित कर दी गई है, जिसमें **"सामग्री एवं आपूर्ति"** शीर्ष के तहत वित्तीय वर्ष 2023–2024 और उसके बाद के वर्षों के लिए अनुमानित लागत 11,20,00,000/– रुपये (ग्यारह करोड़ बीस लाख रुपये मात्र) के साथ 115 श्वानों की खरीद की जाएगी।

(v) सक्षम प्राधिकारी ने डॉग ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग सेंटर, एसएसबी डेरा, अलवर (राजस्थान) से

03 महीने की उम्र के 19 पिल्ले (बीएसडी –11 और लैब्राडोर – 08) की खरीद के लिए दिनांक 12.03.2024 को डीजी, असम राइफल्स को मंजूरी एवं छूट प्रदान कर दी है।

(vi) सक्षम प्राधिकारी ने 28 पशु चिकित्सा (अस्पताल) उपकरणों के क्यूआर के संशोधन/अद्यतन के लिए समूह बनाने की मंजूरी दी है।

7.70 पीएम डिवीजन, गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा संचालित निर्धारित बजट शीर्षों (1) हथियार एवं गोला–बारूद (2) मोटर वाहन (3) मशीनरी एवं उपकरण (4) सूचना कम्प्युटर, दूरसंचार (आई.सी.टी) उपकरण तथा (5) सामग्री एवं आपूर्ति (कपड़े और टेंटेज) के तहत सीएपीएफ को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए दिनांक 31.03.2024 तक 692,34,26,783/– रुपये की व्यय स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

सीएपीएफ के आधुनिकीकरण पर व्यय

7.71 आतंरिक सुरक्षा को कायम रखने और देश की सीमाओं की रक्षा करने में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) द्वारा निभाई जा रही अत्यधिक महत्वपूर्ण और उच्च जोखिम वाली भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए, बजट प्रावधानों में तदनुरूपी वृद्धि की जाती रही है, जैसा कि **अनुलग्नक–IX** में दिए गए पिछले 05 वित्तीय वर्षों के वास्तविक व्यय के आंकड़ों से देखा जा सकता है।

अवसंरचना का विकास

7.72 वर्ष 2023–24 (दिनांक 31.03.2024 तक) के दौरान, सीएपीएफ हेतु अवसंरचना के निर्माण के लिए 3,999.21 करोड़ रुपये और भूमि के अधिग्रहण के लिए 75.11 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

सीएपीएफ की आवास परियोजना

7.73 सरकार ने दिनांक 10.11.2015 के आदेश के तहत, 3,090.98 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के लिए 13,072 घरों और 113 बैरकों के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया था। जिसमें से दिनांक **31.03.2024** तक **11,276** घरों और 111 बैरकों का निर्माण किया जा चुका है। 1,687 घर तथा 01 बैरक निर्माणाधीन हैं तथा शेष 97 घरों की निविदा प्रक्रिया चल रही है और निर्माण हेतु स्थल की अनुपयुक्तता के कारण एसएचक्यू (जीटीके) के 01 बैरक का निर्माण नहीं किया जा सका।

कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी)

7.74 सीएपीएफ के कार्मिकों के कल्याण और पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 17.05.2007 को एक "कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी)" की स्थापना की गई थी। डब्ल्यूएआरबी का प्रारंभिक कार्य ड्यूटी के दौरान मरने वाले कार्मिकों के आश्रितों और अशक्त होने वाले कार्मिकों को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, भूमि/सम्पत्ति संबंधी मुद्दों, गंभीर चिकित्सा समस्याओं आदि से निपटने में तत्काल सहायता प्रदान करना है। वर्तमान में, सीएपीएफ के कार्मिकों के कल्याण हेतु संपूर्ण देश में 06 केन्द्रीय कल्याण अधिकारी (सीडब्ल्यूओ), 30 राज्य कल्याण अधिकारी (एसडब्ल्यूओ) और 156 जिला कल्याण अधिकारी (डीडब्ल्यूओ) कार्यरत हैं। सीएपीएफ और असम राइफल्स के पूर्व कार्मिकों के कल्याण और शिकायत के निवारण हेतु, डब्ल्यूएआरबी कार्यालय, नई दिल्ली में एक हेल्पलाइन नंबर 011–23063111 कार्यशील है। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से सीएपीएफ और असम राइफल्स के पूर्व कार्मिकों के पेंशन संबंधी लाभ, पुनर्वास, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के भुगतान से संबंधित शिकायतों और अन्य मुद्दों का निपटान किया जाता है। पीएसएआरए की वेबसाइट को पुनर्रोजगार कॉलम के तहत डब्ल्यूएआरबी की वेबसाइट से जोड़ा गया है तथा सीएपीएफ/एआर के सेवानिवृत्त और इच्छुक कर्मियों के डेटा को पीएसएआरए की वेबसाइट से जोड़ा गया है। पीएसएआरए की वेबसाइट का एक लिंक डब्ल्यूएआरबी की वेबसाइट पर भी दिया गया है। सभी सीडब्ल्यूओ/एसडब्ल्यूओ/डीडब्ल्यूओ और पूर्व– सीएपीएफ संघों को भी उपर्युक्त विषय के बारे में सूचित किया गया है तथा सीएपीएफ और एआर के पूर्व कर्मियों के बीच भी इसका प्रचार–प्रसार किया गया है। उपर्युक्त गतिविधि डब्ल्यूएआरबी की वेबसाइट पर "सीएपीएफ पुनर्वास" कॉलम के अंतर्गत उपलब्ध है।

7.75 सीएपीएफ के कार्मिक आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने और अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने में मूल्यवान सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कभी–कभी, किसी आतंकवाद– रोधी/नक्सली संघर्ष अथवा किसी अन्य आंतरिक सुरक्षा संबंधी कार्रवाई में भाग लेने पर उनका कोई अंग–भंग हो जाता है या वे अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं। इन कटु वास्तविकताओं पर विचार करते हुए, सीएपीएफ ने सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त स्वयं अपनी अंशदायी कल्याणकारी योजनाएं शुरु की हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, कल्याण निधि, राहत निधि, बीमा निधि और शिक्षा निधि सृजित की गई हैं। इन सबके अलावा, दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के दिवंगत कार्मिकों के निकटतम संबंधी (एनओके) को एकमुश्त अनुग्रह मुआवजे के भुगतान के लिए 44.57 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है।

केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी)

7.76 गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना, उचित दरों पर और सुविधाजनक स्थानों पर पूर्व–कार्मिकों एवं उनके परिवारों सहित सीएपीएफ और पुलिस बलों के कार्मिकों को उपभोक्ता वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा सितंबर, 2006 में "केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी)" की शुरूआत की गई थी, जिसे पहले केंद्रीय पुलिस बल कैंटीन प्रणाली (सीपीएफसीएस) कहा जाता था। आज की तारीख में, 119 मास्टर कैंटीनें और 1,784 सहायक कैंटीनें चल रही हैं। दिनांक 11.03.2024 के गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, केपीकेबी को बजटीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, ताकि केपीकेबी से सामान खरीदने पर सीएपीएफ और उनके परिवार को 50% जीएसटी रियायत का लाभ मिल सके। यह निर्णय दिनांक 01.04.2024 से प्रभावी होगा।

केपीकेबी में स्वदेशी

7.77 मंत्रालय ने दिनांक 01.06.2020 से "केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी)" और इसके स्टोर्स के माध्यम से केवल स्वदेशी उत्पादों की बिक्री करने के बारे में निर्देश जारी किए हैं। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए, यह भी निर्णय लिया गया है कि केपीकेबी के माध्यम से "खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)" के उत्पादों की भी बिक्री की जाएगी। इस समय, इसके आउटलेट्स के माध्यम से बिक्री के लिए बत्तीस (32) केवीआईसी उत्पादों जैसे कि खादी राष्ट्रीय ध्वज, अचार, सरसों का तेल, धूपबत्ती, अगरबत्ती, दलिया, शहद और तौलिया को केपीकेबी में पंजीकृत किया गया है। दिनांक 28.02.2024 तक, केपीकेबी के माध्यम से 70,49,182 रुपये के केवीआईसी उत्पादों की बिक्री की गई।

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना

7.78 सीएपीएफ के कार्मिक अपनी अत्यन्त कठिन ड्यूटी के दौरान वर्षों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं और वे अपनी प्रतिबद्धताओं को समुचित रूप से पूरा करने की स्थिति में नहीं होते हैं। उनके बच्चे माता–पिता की अपेक्षित सहायता से वंचित रह जाते हैं। इस पर विचार करते हुए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के कार्मिकों के आश्रित बच्चों एवं विधवाओं को उच्चतर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री 'मेरिट छात्रवृत्ति योजना' शुरू की गई है। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2019–20 से लड़कों के लिए छात्रवृत्ति की 2000/– रुपये प्रतिमाह की मौजूदा दर को बढ़ाकर 2500/– रुपये प्रतिमाह कर दिया है और लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति की 2250/– रुपये प्रतिमाह की मौजूदा दर को बढ़ाकर 3000/– रुपये प्रतिमाह कर दिया है। यह योजना आतंकी/नक्सली हमले में शहीद होने वाले विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पुलिस कार्मिकों के आश्रित बच्चों के लिए भी लागू कर दी गई है। उपर्युक्त के अलावा, शैक्षणिक वर्ष 2020–21 से, मौजूदा 42 पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, 80 नए व्यावसायिक/ तकनीकी डिग्री पाठ्यक्रमों, प्रबंधन और अन्य पाठ्यक्रमों को भी पात्र बनाया गया है।

सीएपीएफ कार्मिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

7.79 सीएपीएफ के कार्मिक अपनी ड्यूटी कठिन

परिस्थितियों के अधीन असुविधाजनक वातावरण में निष्पादित करते हैं और उन्हें सीमाओं पर ऊँचाई वाले स्थानों पर अथवा नक्सलियों एवं आतंकवादियों से प्रभावित क्षेत्रों में शत्रुतापूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, सीएपीएफ के कार्मिकों को मानसिक रूप से अत्यधिक सजग और शारीरिक रूप से चुस्त–दुरुस्त रहना होता है। सीएपीएफ के कार्मिकों का उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों के मद्देनजर, लगातार तनाव एवं दबाव से मुक्त रखने हेतु, विभिन्न प्रकार की निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं:

क. सीएपीएफ कार्मिकों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य की देखभाल का लाभ प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा एक संयुक्त पहल की गई है, जिसके तहत सभी सात बलों अर्थात असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी तथा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के सेवारत सीएपीएफ कार्मिकों और उनके आश्रितों को आयुष्मान सीएपीएफ योजना के माध्यम से कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यह योजना दिनांक 23.01.2021 को असम में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी और वर्तमान में पूरे भारत में लागू की जा चुकी है। आयुष्मान भारत और सीएपीएफ का परस्पर संयोजन आवश्यकतानुसार शुरू की गई अपनी तरह की पहली पहल है, जिससे मौजूदा मजबूत आईटी ढांचे की क्षमता और अधिक बढ़ी है तथा एबी–पीएमजेएवाई के तहत पैनल में शामिल 30,007 और सीजीएचएस के तहत पैनल में शामिल 1,829 अस्पतालों के नेटवर्क तक पहुंच का लाभ मिला है। इस योजना के तहत देश भर के उपर्युक्त अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की गई है। अब तक, 41 लाख से अधिक आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य कार्ड पहले ही सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को वितरित किए जा चुके हैं और इन लाभार्थियों ने इस कैशलेस योजना का लाभ उठाना शुरू कर दिया है।

ख. पूरे देश में 50 बेड वाले कम्पोजिट अस्पताल तथा 100 बेड वाले कम्पोजिट अस्पताल और ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में 200 बेड वाले रेफरल अस्पताल की स्थापना करके सीएपीएफ के लिए चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया गया है।

ग. जहां एक ही स्थान पर 2 या 2 से अधिक सीएपीएफ हों, वहां बुनियादी ढांचे का उपयोग साझा रूप से किया जाता है और वहां एक ही अस्पताल होता है और उसे "सेक्टर/संयुक्त अस्पताल" कहा जाता है।

घ. इन कम्पोजिट अस्पतालों तथा रेफरल अस्पतालों के माध्यम से, कार्मिकों को विशेष उपचार प्रदान किया जा रहा है। इन अस्पतालों में फिजियोथेरेपी, प्रयोगशालाओं जैसी सहायक और आनुषंगिक इकाइयां मौजूद हैं।

ङ. सभी सीएपीएफ कार्मिक, चाहे वे किसी भी बल के साथ संबद्ध हों, देश भर में स्थित किसी भी सीएपीएफ कम्पोजिट अस्पताल में मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं।

च. 200 बिस्तरों वाला रेफरल अस्पताल, सीएपीएफ का एक तृतीयक देखभाल वाला सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल है, जिसने 15.10.2015 से ग्रेटर नोएडा में काम करना शुरू कर दिया है। यह अस्पताल सीएपीएफ कार्मिकों एवं उनके परिवारों को तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है, जिसमें सभी विशेषज्ञ तथा आधुनिक उच्च स्तरीय उपकरण जैसे सीटी स्कैन मशीन, ब्लड बैंक सिस्टम मौजूद हैं।

छ. एबी–पीएमजेएवाई लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए, देश भर में सीएपीएफ, एनएसजी और एआर के 652 अस्पतालों को पहले ही एबी–पीएमजेएवाई योजना के तहत सूचीबद्ध किया जा चुका है।

ज. निवारक पहलू के एक भाग के रूप में, सेवारत कार्मिकों के लिए नियमित वार्षिक चिकित्सा जांच आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य बीमारियों का जल्दी पता लगाना और उनकी जटिलताओं को नियंत्रित करना है। सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य सेवा के निवारक और संवर्द्धक पहलुओं पर नियमित स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न संरचनाओं में कैंसर, स्त्री रोग संबंधी विकारों जैसी बीमारियों के लिए नियमित जांच की जाती है और नियमित रूप से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

झ. पहुंच से बाहर के क्षेत्रों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमित नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम और चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते हैं, जहां ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा लाभ प्रदान किया जाता है।

सीएपीएफ और असम राइफल्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

7.80 महिला पुलिस अधिकारियों को पुलिस व्यवस्था की मुख्यधारा में लाने हेतु जेंडर सेंसिटाइजेशन, लड़ाई का प्रशिक्षण जैसे विषयों को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनर्विन्यास करने, सिलेबस का पुनर्विन्यास करने, अधिकाधिक महिलाओं को ऑपरेशनल ड्यूटी सौंपने जैसे अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

क. सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कर रहे हैं और उन्होंने शिकायत समितियां गठित की हैं। इन समितियों की अध्यक्ष पर्याप्त रूप से वरिष्ठ रैंक की महिला अधिकारी होती हैं। कथित रूप से अपराधकर्ता अधिकारी से वरिष्ठ महिला अधिकारी के उपलब्ध न होने पर, संबंधित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल दूसरे संगठन से अध्यक्ष की तैनाती कराने के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क करता है।

ख. सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच–पड़ताल करने के लिए शिकायत समितियों में गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को पहले ही शामिल कर लिया है। उन्हें यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत की जांच में शामिल किया जाता है। अर्ध–सैनिक बलों में यौन उत्पीड़न से संबंधित अनुशासनिक मामलों के साथ–साथ अन्य अनुशासनात्मक मामलों की मानीटरिंग आवधिक विवरणियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीएपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों के माध्यम से की जा रही है, ताकि उनका जल्द से जल्द निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

ग. जेंडर सेंसिटाइजेशन और सरकारी सेवाओं में इसके प्रभाव के बारे में सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा अपने कार्मिकों को शिक्षित करने के कार्यक्रम पहले ही संचालित किए जा चुके हैं और इसे विभिन्न रैंकों के बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सभी सेवाकालीन पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाया गया है। जेंडर सेंसिटाइजेशन के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुदेशकों का एक प्रशिक्षित पूल तैयार करने के उद्देश्य से, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी संचालित किया जाता है।

घ. सभी बलों द्वारा अपने स्थायी स्थानों/परिसरों में आवश्यकता के आधार पर महिला कर्मचारियों के लिए पृथक शौचालय पहले ही बनाए जा चुके हैं। अन्य क्षेत्रों में, जहां उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हैं, महिला कर्मचारियों के उपयोग के लिए छोटे तंबू के भीतर कमोड लगाकर उन्हें शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। चूंकि वाहनों में परिवर्तन करना संबंधित महानिदेशकों की वित्तीय शक्तियों के भीतर शामिल है, इसलिए जरूरत के आधार पर पर्याप्त संख्या में वाहनों में तदनुसार बदलाव किया गया है, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही और पिकेट की ड्यूटी के दौरान विशेष रूप से महिला कार्मिकों की जरूरत को पूरा करने के लिए मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराए जा सकें।

ङ. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) द्वारा आवश्यकता के आधार पर महिला कर्मचारियों के लिए 'क्रेच' और 'डे केयर सेंटर्स' की सुविधा प्रदान की गई है। क्रेच सुविधाओं की स्थापना से संबंधित जरूरतों को पूरा करने हेतु केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिए नियमित आधार पर पृथक बजटीय आवंटन का प्रावधान किया गया है।

च. कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के मामले में महिला पुलिस की बढ़ती हुई मांग पर विचार करते हुए और साथ ही बलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के स्तर को बढ़ाने के लिए, सरकार ने वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान सीआरपीएफ में 02 पुरुष बटालियनों की बजाय 02 महिला बटालियनों के गठन का अनुमोदन प्रदान किया है।

7.81 सीएपीएफ में महिला कार्मिकों की भर्ती को प्रोत्साहित करने और सीएपीएफ में महिला कार्मिकों के प्रतिनिधित्व में सुधार हेतु भी निम्नलिखित कदम उठाए गए हैंः–

क. प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार करके भर्ती की जा रही है। सभी महिला अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

ख. सीएपीएफ में भर्ती के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की तुलना में सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण (पीईटी) में छूट है।

ग. केंद्र सरकार के तहत पहले से उपलब्ध सुविधाएं जैसे कि मातृत्व अवकाश, चाइल्ड केयर लीव सीएपीएफ की महिला कार्मिकों के लिए भी लागू हैं।

घ. महिला कार्मिकों की भर्ती करने के लिए एक महिला सदस्य को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है।

ङ महिला कार्मिकों को उनके कैरियर में प्रगति अर्थात पदोन्नति/वरिष्ठता में भर्ती नियमों के अनुसार उनके समकक्ष पुरुष कार्मिकों के समान अवसर प्रदान किया जाता है।

च. 12 सप्ताह या उससे अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और प्रसव पूरा होने तक उसकी नियुक्ति स्थगित कर दी जाती है। प्रसव की तिथि के छह सप्ताह बाद उसे शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण (पीईटी) के लिए फिर से जांचा जाता है। यदि वह स्वस्थ पाई जाती है, तो उसे आरक्षित पद पर नियुक्त किया जाता है और मानदंडों के अनुसार वरिष्ठता का लाभ दिया जाता है।

छ. दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में महिलाओं की वर्तमान संख्या निम्नानुसार हैः

बल	**कुल स्वीकृत संख्या**	**कुल तैनाती की संख्या**	**महिलाओं की संख्या**	**प्रतिशत**
सीआरपीएफ	3,25,182	2,98,921	9,806	3.28
बीएसएफ	2,65,808	2,56,864	11,091	4.31
सीआईएसएफ	1,77,325	1,51,080	10,554	6.98
आईटीबीपी	96,222	90,491	3,778	4.17
एसएसबी	97,774	92,658	4,068	4.39
असम राइफल्स (एआर)	66,411	63,817	2,478	3.88
कुल	**10,28,722**	**9,53,831**	**41,775**	**4.37**

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती

7.82 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के अनुरोध पर लोक व्यवस्था बनाए रखने में उनकी सहायता करने के लिए तैनात किया जाता है। इन बलों की तैनाती समग्र सुरक्षा स्थिति और बलों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ये बल देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति के समग्र प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। उन्होंने आम संसदीय चुनावों, विभिन्न राज्यों में विधान सभा चुनावों और उप–चुनावों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजन में भी सहायता प्रदान की है।

7.83 वर्ष 2023 के दौरान, विभिन्न राज्यों (अर्थात अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मेघालय, केरल, त्रिपुरा, उत्तराखंड और नागालैंड) में उप–चुनावों के लिए सीएपीएफ को मोबिलाइज करके तैनात किया गया। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव– 2023 हेतु बड़ी संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/राज्य सशस्त्र पुलिस/इंडिया रिजर्व बटालियन को भी मोबिलाइज करके तैनात किया गया।

7.84 वर्ष 2023 के दौरान, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, पश्चिम बंगाल में पंचायत आम चुनाव–2023 के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल/राज्य सशस्त्र पुलिस/इंडिया रिजर्व बटालियन को भी मोबिलाइज करके तैनात किया गया।

7.85 वर्ष 2023 के दौरान, सीएपीएफ ने आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर को सहायता प्रदान करना जारी रखा। आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए जम्मू और कश्मीर में अतिरिक्त सीएपीएफ भी तैनात किए गए। जम्मू और कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान तथा मणिपुर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सीएपीएफ भी तैनात किए गए थे।

7.86 फरवरी, 2024 के दौरान, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के अनुरोध पर, देश में क्षेत्र प्रभुत्व और आम संसदीय चुनाव–2024 से संबंधित कर्तव्यों के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को भी मोबिलाइज करके तैनात किया गया है।

7.87 विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के अनुरोध पर, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के साथ–साथ कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अल्पावधि के लिए कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष रूप से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दादरा और नगर हेवली, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, हरियाणा, लद्दाख, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, ओडिशा और पंजाब राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भी सीएपीएफ/त्वरित कार्रवाई बल तैनात किए गए।

अन्य उपलब्धियां

(i) समयोचित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ–साथ कानून एवं व्यवस्था/उपचुनाव के दौरान तैनाती के लिए बल कार्मिकों को उनके आवागमन के दौरान आईआरसीटीसी/रेलवे बोर्ड के माध्यम से पैक किया हुआ भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

(ii) आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक, प्राकृतिक आपदाओं, कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटियों तथा विभिन्न चुनावों के संबंध में सीएपीएफ की तैनाती के मद्देनजर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा मोटर वाहन और चालक उपलब्ध कराने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित की गई है।

राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियनों (आईआर बटालियनों) का गठन

7.88 विभिन्न प्रकार की कानून और व्यवस्था तथा

आंतरिक सुरक्षा की स्थितियों से निपटने हेतु राज्यों की क्षमता को सुदृढ़ करने और सीएपीएफ पर उनकी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से वर्ष 1971 में राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियनें (आईआर बटालियनें) गठित किए जाने की एक योजना शुरू की गई थी। अब तक (दिनांक 31.03.2024), 196 इंडिया रिजर्व बटालियनें स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 01 इंडिया रिजर्व बटालियन को स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी) में परिवर्तित किया गया था। अब तक स्वीकृत कुल 195 आईआर बटालियनों में से, 162 आईआर बटालियनों का गठन किया जा चुका है।

7.89 आईआर बटालियनों के लिए वर्तमान वित्तपोषण की पद्धति निम्नानुसार है:

क. एक आईआर बटालियन के गठन की मानक लागत 50 करोड़ रुपये है, जिसकी भारत सरकार द्वारा तीन किस्तों में (पहली किस्त में 20 करोड़ रुपये तथा दूसरी और तीसरी किस्त में 15 करोड़ रुपये) राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी।

ख. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार अवसंरचना लागत के रूप में वास्तविक व्यय के आधार पर 30 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति करेगी। अवसंरचना ढांचे के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जानी है।

ग. वर्ष 2023–24 में, आईआर बटालियन के लिए अनुदान सहायता के तहत 26.19 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और राज्यों को निधियों की प्रतिपूर्ति कर दी गई है।

घ. वर्ष 2023–24 में, विशेषीकृत भारतीय रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी) के लिए अनुदान सहायता के तहत 4.70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राज्यों को अभी तक किसी निधि की प्रतिपूर्ति नहीं की गई है।

7.90 सरकार द्वारा वर्ष 2011 में इंजीनियरिंग के घटक के साथ "स्पेशलाज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी)" की एक योजना इस लक्ष्य के साथ अनुमोदित की गई थी कि ये एसआईआरबी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में ग्रामीण सड़कों, स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्रामीण जल आपूर्ति आदि जैसे छोटे विकास कार्यों को निष्पादित करेंगी। शुरू में, 10 एसआईआरबी की मंजूरी दी गई थी और 01 आईआर बटालियन को एसआईआरबी में परिवर्तित किया गया था। कुल मिलाकर, इनकी संख्या 11 थी। प्रति एसआईआरबी प्रतिपूर्ति की जाने वाली कुल लागत 161 करोड़ रुपये है। इनमें से, केवल 03 बटालियनों का ही एसआईआरबी के रूप में गठन किया गया है। शेष 08 एसआईआरबी के लिए, राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर, गृह मंत्रालय ने संबंधित राज्यों से कहा है कि वे इन एसआईआरबी को इस शर्त के साथ सुरक्षा कम्पनियों के रूप में परिवर्तित करें कि एसआईआरबी के लिए प्रतिपूर्ति की लागत गृह मंत्रालय के दिनांक 27.08.2018 के पत्र के तहत प्रति आईआर बटालियन के अनुसार (अर्थात 51.19 करोड़ रुपये प्रति बटालियन) होगी। बजट अनुमान 2023–24 में, एसआईआरबी के गठन के लिए सहायता अनुदान के अंतर्गत 4.70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार से 71,20,26,268/– रुपये का दावा प्राप्त हुआ था, तथापि, उसके लिए आवश्यक दस्तावेज अर्थात उपयोग प्रमाण–पत्र (यूसी) और व्यय संबंधी ब्यौरे संलग्न नहीं किए गए थे, इसलिए राज्य सरकार को यूसी और व्यय के विस्तृत ब्यौरे के साथ अपने दावे को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

भारत के वीर

7.91 केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 09.04.2017 को भारत के वीर पोर्टल को लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य कार्रवाई में मारे गए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कार्मिकों के निकटतम संबंधियों (एनओके) को अंशदान करने हेतु लोगों को सुविधा प्रदान करना था। इसके परिणामस्वरूप, दान देने वाले लोग इसका उपयोग करके सीधे एनओकेएस के खाते में अथवा "भारत के वीर" नामक कॉर्पस में अंशदान कर सकते हैं। जुलाई, 2018 में "भारत के वीर" ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव सेटलर के रूप में और सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम

राइफल्स के महानिदेशक और सीएपीएफ से एडीजी/आईजी रैंक की एक महिला अफसर, सदस्य ट्रस्टी के रूप में शामिल हैं। "भारत के वीर" पोर्टल एवं ट्रस्ट के माध्यम से किए गए सभी अंशदान को धारा 80 जी और 12ए के तहत आयकर से छूट प्राप्त है। इस पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के क्लाउड सर्वर में होस्ट किया गया है और इस मामले में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) भुगतान गेटवे के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। दान देने वाले लोग डेबिट/क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके, यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से और साथ ही "भारत के वीर" के नाम चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अंशदान कर सकते हैं। इस मिशन में सहायता करने और निजी कम्पनियों से अंशदान प्राप्त करने हेतु, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों के लिए "भारत के वीर" ट्रस्ट में अंशदान को "कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)" संबंधी गतिविधियों के भाग के रूप में शामिल किया है।

7.92 इसके अंतर्गत, दान देने वाले लोग कार्रवाई में मारे गए कार्मिकों के निकटतम संबंधियों के खाते में सीधे 25 लाख रुपये तक का अंशदान कर सकते हैं। यदि पोर्टल पर खाते को अपलोड करने के बाद तीन महीने का समय बीत जाने के बावजूद 25 लाख रुपये की राशि का अंशदान नहीं किया जाता है, तो इस कमी को भारत के वीर (बीकेवी) कॉर्पस से प्रदान करके पूरा किया जाता है। इसी प्रकार, यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुग्रह राशि एवं अन्य परिलब्धियों सहित कुल अंशदान 01 करोड़ रुपये से कम है, तो इस कमी को भारत के वीर (बीकेवी) कॉर्पस से प्रदान करके पूरा किया जा रहा है। सीएपीएफ के उन कार्मिकों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जो ड्यूटी के दौरान घायल हो जाते हैं और चोट के कारण सेवा से बाहर हो जाते हैं। कार्रवाई में मारे गए सीएपीएफ के विवाहित कार्मिकों के माता–पिता को अतिरिक्त 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। अब तक, कार्रवाई में मारे गए 611 सीएपीएफ कर्मियों/कोरोना योद्धाओं, सेवा से हटाए गए/बाहर किए गए 22 कार्मिकों, कार्रवाई में मारे गए 61 विवाहित सीएपीएफ कार्मिकों के माता–पिता और कार्रवाई में मारे गए सीएपीएफ कार्मिकों के 205 एनओकेएस को भारत के वीर पोर्टल/कॉर्पस से शार्टफाल राशि का भुगतान किया गया है।

आजादी का अमृत महोत्सव

7.93 स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में "आजादी का अमृत महोत्सव" मनाने के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरुआत करने के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव को हर घर और हर भारतीय तक पहुंचाने के उद्देश्य से, सीएपीएफ, एनएसजी और असम राइफल्स द्वारा पूरे देश में 64,46,228 तिरंगे फहराए गए। जब केंद्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, तो उनमें क्षितिज को केसरिया, सफेद और हरे रंग से रंगने का उत्साह देखा गया। जब सभी सीएपीएफ के कर्मियों ने अपने परिवारों के साथ हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया, तो यह शीघ्र ही एक बड़े आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। बलों ने न केवल अपनी भागीदारी करने, बल्कि बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रमों, व्यापक रैलियों, तिरंगा प्रस्तुतियों, बैंड डिस्प्ले और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस आंदोलन को नागरिकों तक ले जाने के अपने प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित किया। देश भर के नागरिकों का जबरदस्त उत्साह इस बात का प्रमाण है कि तिरंगा, भारत और इसके लोगों के दिल में बसा हुआ है।

मेरी माटी मेरा देश – अमृत कलश यात्रा

7.94 मेरी माटी मेरा देश – अमृत कलश यात्रा आज़ादी का अमृत महोत्सव स्मरणोत्सव का अंतिम कार्यक्रम था। इस चरण में, दिल्ली में अमृत वाटिका बनाने की दिशा में प्रतीकात्मक योगदान और लोगों की भागीदारी की अभिव्यक्ति के रूप में भारत के प्रत्येक घर से मिट्टी एकत्र की गई। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, असम राइफल्स और एनएसजी ने सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया और अमृत कलश यात्रा आयोजन को सफल बनाया।

आयोजनों का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

दिनांक 01 से 30 सितंबर, 2023 तक	इस चरण के दौरान गांवों तथा वार्डों से मिट्टी एकत्र की गई।
दिनांक 01 से 13 अक्टूबर, 2023 तक	ब्लॉकों एवं नगर निगम, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों आदि में आयोजित किया गया। गांवों/वार्डों से मिट्टी लाकर यहां मिलाई गई।
दिनांक 22 से 27 अक्टूबर, 2023 तक	ब्लॉकों और शहरी स्थानीय निकायों से राज्य की राजधानी तक कलशों को लाया गया। समारोहपूर्वक विदाई कार्यक्रम आयोजित किए गए।
दिनांक 30 और 31 अक्टूबर, 2023 को	दिनांक 30 और 31 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर "मेरी माटी मेरा देश" का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें देश के सभी गांवों, ब्लॉकों और शहरी स्थानीय निकायों से मिट्टी से भरे हुए अमृत कलश कर्तव्य पथ, दिल्ली लाए गए और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय स्तर के कलश में इन कलशों की मिट्टी को मिलाया गया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे।

विशेष स्वच्छता पखवाड़ा

7.95 दिनांक 15.09.2023 से 02.10.2023 तक सभी बलों अर्थात असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी द्वारा देश भर में स्थित सभी क्षेत्रीय संरचनाओं सहित अपने–अपने प्रतिष्ठानों में स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) अभियान का आयोजन किया गया और दिनांक 02.10.2023 को महात्मा गांधी को उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर श्रद्धांजलि के रूप में दिनांक 01.10.2023 को "एक तारीख–एक घंटा" अभियान का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

7.96 इस स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) अभियान के दौरान, बलों द्वारा अन्य सरकारी संगठनों, स्थानीय निकायों और आम जनता के साथ मिलकर बस स्टैंड, सड़कों, रेलवे स्टेशनों, रेलवे ट्रैकों, पर्यटक स्थलों, सामुदायिक पार्कों, झीलों, पुलों के नीचे, घाटों, स्कूलों, बाजारों, कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, चिकित्सा संस्थानों, वाईब्रेंट विलेज आदि में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। अभियान के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं:–

(क) इस अभियान के दौरान 9000 से अधिक गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें सीएपीएफ, एनएसजी और एआर के लगभग 4,00,000 कार्मिकों और लगभग 3,00,000 नागरिकों/स्वयंसेवकों ने भाग लिया।

(ख) लगभग 1.49 करोड़ वर्गमीटर क्षेत्र तथा 1600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक/सड़कों की सफाई की गई।

(ग) अभियान की उपलब्धियों को आलेखबद्ध तथा साझा करने के लिए, लगभग 19,000 तस्वीरें और 650 वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं एसएचएस पोर्टल पर अपलोड किए गए। इन दृश्य प्रस्तुतियों ने अभियान के दौरान प्रतिभागियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत और समर्पण को दर्शाया। ये तस्वीरें डीडीडब्लूएस पोर्टल https://swachhatahiseva.com पर, आधिकारिक हैशटैगः #SwachhBharat, #GarbageFreeIndia, #SHS2023 तथा आधिकारिक हैंडलः @SwachhBharatGov,@Swachhbharat, @PMOIndia के साथ अपलोड की गईं।

(घ) यह कार्यक्रम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्कूलों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों, रेलवे प्राधिकरणों, आरपीएफ, जीआरपी, मंदिर प्रबंधन समितियों, आरडब्ल्यूए, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, पर्यटन स्थल प्रबंधन समितियों, स्वास्थ्य संस्थानों, वन विभाग, मुन्सिपल कोऑपरेशन, नगर निगम, बस डिपो प्रबंधन समितियों, बाजार एसोसिएशन समितियों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेहरू युवा केंद्र, ब्लू प्लैनेट, कैच

फाउंडेशन तथा भूमि जैसे गैर सरकारी संगठनों, प्रमुख नेता, विधायकों/सांसदों सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/विभागों/संगठनों के सहयोग से आयोजित किया गया।

(ङ) "एक तारीख एक घंटा" अभियान के अंतर्गत बलों द्वारा 2216 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(च) उपरोक्त के अलावा, दिनांक 02.10.2023 से 31.03.2024 तक विशेष अभियान 3.0 में सीएपीएफ, एनएसजी और असम राइफल्स द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां भी की गईं:

- 1,72,125 भौतिक फाइलों की छंटनी की गईं।
- बंद की गई ई–फाइल की संख्या: 78,527
- चलाए गए अभियान: 8,582
- खाली की गई कुल जगह: 2,25,913 वर्ग फीट
- स्क्रैप निपटान के माध्यम से सृजित राजस्व: 8,51,49,343/– रुपये

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा वृक्षारोपण अभियान – 2023

7.97 सीएपीएफ, असम राइफल्स और एनएसजी पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए आह्वान पर, बलों ने जनवरी, 2023 से 31.03.2024 तक, बड़े पैमाने पर एक संगठित वृक्षारोपण अभियान चलाया है और 28 राज्यों तथा 06 संघ राज्य क्षेत्रों में अपने परिसरों एवं तैनाती स्थलों पर **1,54,20,567** पौधे लगाए हैं। सीएपीएफ द्वारा वृक्षारोपण अभियान के दौरान, 2,443 नर्सरियां विकसित की गईं तथा सीएपीएफ, असम राइफल्स और एनएसजी के शहीदों के नाम पर 1,447 वाटिकाएं समर्पित की गईं। सीएपीएफ, असम राइफल्स और एनएसजी की यह उपलब्धि न केवल पर्यावरण के प्रति उनकी चिंता को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

*****

अध्याय–8

अन्य पुलिस संगठन एवं संस्थान

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो

8.1 पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) की स्थापना दिनांक 28.08.1970 को गृह मंत्रालय के एक सम्बद्ध कार्यालय के रूप में की गई थी। यह राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था, कारागारों और सुधारात्मक प्रशासन में उत्कृष्टता और सर्वोत्तम मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष निकाय है। वर्ष 2021 में, बीपीआरएंडडी के चार्टर में आंतरिक सुरक्षा, भूमि और समुद्री सीमा प्रबंधन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और उनकी विशेष इकाइयों का क्षमता निर्माण, पुलिस की छवि में सुधार और पुलिस–समुदाय इंटरफेस, किशोर न्याय, महिला सुरक्षा और अभियोजन के सभी पहलुओं को भी शामिल किया गया है।

8.2 नई दिल्ली में स्थित बीपीआरएंडडी मुख्यालय में 6 प्रभाग हैं– प्रशिक्षण, अनुसंधान और सुधारात्मक प्रशासन, आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय पुलिस मिशन, विशेष पुलिस प्रभाग और प्रशासन प्रभाग। बीपीआरएंडडी के पांच केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (सीटीडीआई) हैं, जो कोलकाता, हैदराबाद, चंडीगढ़, गाजियाबाद और जयपुर में स्थित हैं, और ये संस्थान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीएपीएफ/सीपीओ तथा न्यायिक, अभियोजन, वन और कारागार सेवाओं के पुलिस अधिकारियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के प्रशिक्षण के लिए समर्पित हैं। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी), भोपाल की स्थापना समूह 'क' पुलिस अधिकारियों को बेसिक प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ–साथ सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई है।

अनुसंधान परियोजनाएं

8.3 वर्ष 1970 से, बीपीआरएंडडी ने 219 अनुसंधान अध्ययन और 82 डॉक्टोरल थिसिस पूरी की हैं। वर्तमान में, सात अनुसंधान अध्ययनों का कार्य चल रहा है। वर्ष के दौरान "कैदियों के पुनर्वास पर खुली कारागारों (ओपन प्रिजन) का कार्यकरण और प्रभाव" तथा "पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक के सम्मेलनों की सिफारिशों के प्रभाव मूल्यांकन का बुनियादी अध्ययन" नामक विषयों पर दो अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की गईं।

8.4 बीपीआरएंडडी ने विभिन्न विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों के छात्रों को अपने कार्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करने के लिए शुल्कयुक्त इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया। वर्ष 2023–24 के दौरान, विभिन्न विश्वविद्यालयों के 60 छात्रों ने बीपीआरएंडडी में अपना शुल्कयुक्त इंटर्नशिप प्रोग्राम पूरा किया।

8.5 बीपीआरएंडडी ने आदर्श कारागार और सुधारात्मक सेवाएं अधिनियम, 2023 तैयार किया है जिसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है।

8.6 वर्ष के दौरान राष्ट्रीय पुलिस मिशन के तहत निम्नलिखित परियोजनाएं पूरी की गईं:–

i. **मलहमः तेजाब हमले के पीड़ितों पर एक अध्ययन**– यह अध्ययन हमलावर और पीड़ितों के सामाजिक–आर्थिक स्तर को समझने, विधिक प्रावधानों, स्थिति संबंधी आकलन एवं समस्या के विवरण, कार्यान्वयन एवं पुनर्वास संबंधी रणनीति और संकट से निपटने के लिए तेजाब हमले के मामलों की जांच हेतु एसओपी पर बल देता है। उक्त रिपोर्ट में व्यक्तिगत पीड़िताओं को कुछ व्यवसायिक/शैक्षणिक

कौशलों का अवसर प्रदान करके सहायता करने की सलाह भी दी गई है, ताकि उनको एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

ii. **युवाओं के लिए सामुदायिक पुलिस व्यवस्था**– इस परियोजना का लक्ष्य युवाओं को विकृत व्यवहार और समाज–विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से रोकना और उनको मुख्यधारा में शामिल करना, उन्हें जीवन कौशल, उपयुक्त सहायता और ज्ञान से सुसज्जित करना एवं सक्षम बनाना है, ताकि वे समाज के उपयोगी सदस्य बन सकें। इस परियोजना से पुलिस और देश के युवाओं के बीच एक रचनात्मक सहयोग उत्पन्न होने की प्रत्याशा है, जिससे युवाओं का जिम्मेवार एवं सक्षम नेता के रूप में विकास होगा।

iii. **पुलिस स्टेशनों की जियो–कोडिंग**– अपराध स्थल (एसओसी) अथवा घटनास्थल के अक्षांश–देशांतर की जानकारी प्रदान करने की मूलभूत समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से भारत में पुलिस स्टेशनों की जियो–एनकोडिंग।

क्षमता निर्माण

8.7 वर्ष 2023–24 में 38 कारागार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 864 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

8.8 नए दांडिक कानून (एनसीएल)

क) नए दांडिक कानून दिनांक 25.12.2023 को अधिसूचित किए गए। बीपीआरएंडडी की बाह्य इकाइयों ने दिनांक 27.12.2023 को एनसीएल में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए।

ख) पुलिस, कारागार, अभियोजक, अधीनस्थ न्यायपालिका और फॉरेंसिक विशेषज्ञों नामक पांच स्तम्भों के लिए बेस्पोक कोर्स पाठ्यक्रम तैयार किए गए।

ग) दिनांक 31.03.2024 तक, 112 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 12,959 पुलिस कार्मिकों, 1,060 कारागार अधिकारियों, 1,077 अभियोजकों, 436 न्यायिक अधिकारियों, 46 फॉरेंसिक विशेषज्ञों और 1,095 सीएपीएफ अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

8.9 प्रशिक्षण संबंधी पहलें

भारत और विदेश दोनों के पुलिस, कारागार, अभियोजन, न्यायिक और अन्य अधिकारियों एवं हितधारकों के लिए कई प्रशिक्षण मॉड्यूल संचालित किए गए। वर्ष के दौरान 362 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 28,754 अधिकारियों को सॉफ्ट स्किल्स, साइबर अपराध की जांच, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध, आर्थिक अपराधों की जांच, साइबर फॉरेंसिक, डिस्क फॉरेंसिक, साइबर युग में महत्वपूर्ण अवसंरचना की सूचना सुरक्षा एवं संरक्षा, डिजिटल साक्ष्य का संग्रहण एवं संरक्षण, आईपीआर के उल्लंघन के मामलों की जांच, किशोर न्याय और महिलाओं के प्रति अपराध की जांच, सोशल मीडिया और ओएसआईएनटी (ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इश्यू एंड इंवेस्टिगेशन) एटीएम एवं डिजिटल भुगतान संबंधी धोखाधड़ियों, संगठित आतंकवाद संबंधी अपराध की जांच, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के संबंध में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, आतंकवादियों का वितपोषण, आतंकवादी एवं वीआईपी की सुरक्षा, सीमापार से आतंकवाद, साइबर आतंकवाद से निपटना, एनडीपीएस संबंधी मामलों की जांच, हत्या/मानव हत्या के मामलों की जांच, न्यायिक अधिकारियों एवं अभियोजकों के लिए साइबर अपराध एवं साइबर कानून संबंधी जागरूकता, साइबर अपराध के मामलों की जांच और डार्क वेब एवं क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग, संगठित वित्तीय अपराधों और धन–शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) संबंधी अपराधों की जांच, मोबाइल फॉरेंसिक, क्रिप्टोकरेंसी एवं डार्क वेब संबंधी मामलों की जांच, मानव तस्करी

के मामलों की जांच, यौन हमले के मामलों की जांच, कारागार प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का उपयोग और जांच हेतु सहायता, न्यायालयिक विज्ञान में उभरती हुई प्रवृतिः एसओसी–वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, सीसीटीवी, यातायात दुर्घटना संबंधी मामलों की जांच, ड्रोन फॉरेंसिक, मशीन लर्निंग और संबंधित जांच, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध पर कार्यशाला–हितधारकों की भूमिका आदि जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न व्यवसायिक पहलुओं के संबंध में 127 पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें 3,418 कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, 10 कारागार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 225 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

8.10 बीपीआरएंडडी ने विभिन्न विषयों अर्थात् राष्ट्रीय पुलिस संदर्श प्रबंधन (एनपीपीएम), राष्ट्रीय सुरक्षा मॉड्यूल, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन–आधारित पाठ्यक्रम (एसटीएसी) और नेशनल पुलिस टेक्नोलॉजी लीडरशिप (एनपीटीएल) में पृथक रूप से 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 156 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

8.11 बीपीआरएंडडी ने मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए 'जी–20 बैठकों की सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी)' हेतु एक 4 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 'जी–20 बैठकों की सुरक्षा से जुड़े मामलों के संबंध में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण' हेतु एक–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। बीपीआरएंडडी ने उन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयोजित किए जाने हेतु तीन–दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए एक पाठ्यक्रम सूची भी तैयार की, जहां जी–20 बैठकों का आयोजन किया जाना था। इसके अतिरिक्त, शेर–ए–कश्मीर पुलिस अकादमी, उधमपुर में "जी–20 सुरक्षा से जुड़े मुद्दों" पर एक दो–दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के 198 पुलिस और सिविल अधिकारियों ने भाग लिया।

(शेर–ए–कश्मीर पुलिस अकादमी, उधमपुर में "जी–20 सुरक्षा से जुड़े मुद्दों" पर पाठ्यक्रम का आयोजन)

8.12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस उपाधीक्षकों/उप निरीक्षक/सिपाहियों के बुनियादी प्रशिक्षण हेतु एक आदर्श पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।

8.13 **सीबीसी द्वारा सीडीटीआई का प्रमाणनः** भारत के क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) ने केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमाणन की अपनी स्कीम के तहत सीडीटीआई, हैदराबाद और सीडीटीआई, चंडीगढ़ को 'उत्तम', सीडीटीआई, जयपुर को 'अतिउत्तम' और सीएपीटी, भोपाल को 'उत्कृष्ट' प्रशिक्षण संस्थान के रूप में प्रमाणित किया।

(सीडीटीआई–हैदराबाद सीबीसी की राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगोष्ठी 2023 के दौरान दिनांक 11.06.2023 को प्रधानमंत्री कार्यालय के माननीय राज्य मंत्री श्री जितेन्द्र सिंह से सीबीसी का राष्ट्रीय मानदंड प्रमाणन सर्टिफिकेट प्राप्त करते हुए)

8.14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य की देखभाल करने वाले जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाने और कौशल विकास के लिए फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण, प्रबंधन और परिवहन हेतु दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध एवं न्यायालयिक विज्ञान संस्थान के सहयोग से पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा 227 पाठ्यक्रम आयोजित/प्रायोजित किए गए, जिनमें 6,044 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और फॉरेंसिक विषय में 10 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 253 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 3,000 यौन हमला साक्ष्य संग्रहण (एसएईसी) किट प्रदान किए गए, ताकि यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के प्रभावी संग्रहण, प्रबंधन और भंडारण को सुगम बनाया जा सके।

8.15 ब्यूरो की सभी बाह्य इकाइयों में सूचना प्रणाली के प्रशिक्षण प्रबंधन (टीएमआईएस) को प्रचालनात्मक बनाया गया है, जो संसाधनों और प्रशिक्षण की प्रभावकारी निगरानी को सक्षम बनाती है। बीपीआरएंडडी के ई–लर्निंग पोर्टल, ई–उस्ताद को आईजीओटी कर्मयोगी के साथ जोड़ दिया गया है और

आईजीओटी कर्मयोगी में पुलिस हेतु सॉफ्ट स्किल, वार्ता कौशल और पॉक्सो अधिनियम नामक विषयों पर तीन ई—लर्निंग पाठ्यक्रम प्रकाशित किए गए हैं।

सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाएं

8.16 वर्ष के दौरान कई सम्मेलन, वेबिनार, कार्यशालाएं आदि आयोजित की गईंः

क. 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस (एआईपीएससी) (07—08 अक्टूबर, 2023, देहरादून, उत्तराखंड)।

(स्रोतः बीपीआरएंडडी)

ख. राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के कारागार प्रमुखों का 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन (11—12 सितम्बर, 2023, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश)।

(स्रोतः बीपीआरएंडडी)

गृह मंत्रालय

ग. सजा आयोजना और दंड प्रक्रिया (शनाख्त) अधिनियम, 2022 के विषय में एक वेबिनार (दिनांक 30.06.2023, बीपीआरएंडडी मुख्यालय, नई दिल्ली)।

घ. राष्ट्रीय पुलिस मिशन द्वारा दिनांक 03.04.2023 को निम्नलिखित विषयों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गईः–

i. कौन से गैर–प्रमुख पुलिस कार्यों को आउटसोर्स किया जाना चाहिए?

ii. दंगे और उनका प्रभाव

ङ. दिनांक 28.04.2023 को बीपीआरएंडडी मुख्यालय में राष्ट्रीय पुलिस मिशन का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में राज्य पुलिस, सीएपीएफ और सीपीओ के 108 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री निशिथ प्रामाणिक ने उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस की भूमिका पर प्रकाश डाला और पुलिस कार्यों के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य और केंद्रीय पुलिस के साथ समन्वय में बीपीआरएंडडी की भूमिका की प्रशंसा की।

च. दिनांक 12.05.2023 को बीपीआरएंडडी मुख्यालय, महिपालपुर, नई दिल्ली में "ई–बीट/बीट मोबाइल ऐप सिस्टम" पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की गई। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सिपाही से निरीक्षक रैंक तक के कुल 59 प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

छ बीपीआरएंडडी ने दिनांक 28.02.2023 को "वृद्धावस्था देखभाल और पुलिस बल" पर एक वेबिनार आयोजित किया, जिसमें बीपीआरएंडडी की बाह्य इकाइयों, राज्य पुलिस और सीएपीएफ के 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एम्स, नई दिल्ली के डॉक्टर प्रमोद और गेरी केयर के डॉक्टर जी.एस. शांति ने अपनी प्रस्तुतियां दी।

ज. बीपीआरएंडडी ने दिनांक 10.03.2023 को बीपीआरएंडडी मुख्यालय में "तटीय पुलिस व्यवस्था के समक्ष उभरती हुई चुनौतियां और आगे का रास्ता" विषय पर एक तटीय सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया।

झ. बीपीआरएंडडी ने दिनांक 27.04.2023 को "भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए कम घातक हथियारों और संबद्ध प्रौद्योगिकियों में प्रगति" विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया।

ञ. बीपीआरएंडडी ने दिनांक 30.05.2023 को "ड्रोन फॉरेंसिक और ड्रोन रेगुलेशन" विषय पर एक–दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की, जिसमें राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, सीपीओ और एलईए के 80 से अधिक प्रतिनिधियों ने भौतिक रूप से और लगभग 100 अधिकारियों ने वर्जुअल मोड के माध्यम से भाग लिया।

ट. दिनांक 22.06.2023 को बीपीआरएंडडी मुख्यालय में "तटीय पुलिस अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और पहलें–एक साझा विजन" विषय पर एक–दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। तटीय पुलिस की अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं और समुद्री पुलिस व्यवस्था की मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाने वाली अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

ठ. जी20 सम्मेलन के दौरान बीपीआरएंडडी ने दिनांक 13.07.2023 को एनएफटी, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा विषय पर 6 संस्थानों के 20 उपकरणों को प्रदर्शित करने वाली एक स्टॉल स्थापित की।

ड. दिनांक 18.07.2023 को बीपीआरएंडडी मुख्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की समीक्षा और प्रभावकारी अभियोजन के लिए इसके विवेकपूर्ण अनुप्रयोग पर वर्चुअल रूप में एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, डिजिटल साक्ष्य के संग्रहण/संरक्षण और मूल्यांकन– मामलागत कानून और निर्णय, आईटी अधिनियम के तहत अपराध और उनकी जांच और इसकी कमियों पर चर्चा की गई।

ढ. दिनांक 25.07.2023 को बीपीआरएंडडी मुख्यालय में "श्री अन्न (मिलेट) पर अखिल भारतीय पुलिस सेमिनार–2023" का आयोजन किया गया, जिसकी "मिलेट मैन ऑफ इंडिया" के रूप में विख्यात पद्मश्री डॉ. खादर वल्ली ने शोभा बढ़ाई।

ण. दिनांक 31.07.2023 को बीपीआरएंडडी ने विधि

प्रवर्तन एजेंसियों को चुनौती प्रदान करने वाले मुद्दों पर संगठित प्रयासों के लिए एनएफएसयू और आरआरयू गांधीनगर के साथ बीपीआरएंडडी मुख्यालय में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

त. महानिदेशक, बीपीआरएंडडी, श्री बालाजी श्रीवास्तव ने दिनांक 08.08.2023 को बीपीआरएंडडी मुख्यालय में साइबर सुरक्षा हैकथॉन कवच के ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया। यह हैकथॉन बीपीआरएंडडी और आई4सी द्वारा 05 नोडल केंद्रों अर्थात् ग्रेटर नोएडा, भोपाल, भुवनेश्वर, नवी मुम्बई, बेंगलुरु में अभिनिर्धारित 20 समस्याओं पर आयोजित की गई। सीडीटीआई और सीएपीटी ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल मोड के माध्यम से भाग लिया।

थ. दिनांक 26.09.2023 को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए बीपीआरएंडडी और आईआईटी बाम्बे के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

द. महानिदेशक, बीपीआरएंडडी ने दिनांक 25.10.2023 को पुलिस हेतु 5जी प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विमर्श–2023, राष्ट्रीय हैकथॉन के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की।

ध. भारतीय मोबाइल कांग्रेस के दौरान बीपीआरएंडडी ने प्रगति मैदान में 5जी प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने वाली एक स्टॉल स्थापित की, जिसका उद्घाटन दिनांक 27.10.2023 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया।

न. "पुलिस बलों मे मानसिक स्वास्थ्य और अवसाद", "पुलिस बलों में इंटरनेट और मोबाइल की लत", "भारत की भू–सीमाओं की सुरक्षा के प्रति चुनौतियां" और "सड़क सुरक्षा में उभरती हुई प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम पद्धतियां" जैसे विषयों पर वेबिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

8.17 बीपीआरएंडडी ने अन्य भागीदार देशों के साथ भारत की क्षमता निर्माण पहलों को आगे बढ़ाया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क. पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए भारत द्वारा 163 देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी)

ख. सीएपीटी, भोपाल, संयुक्त राज्य अमरीका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिप्लोमैटिक सिक्योरिटी सर्विस के सहयोग से "आतंकवाद–रोधी सहायता (एटीए)" पर विषयगत प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है

ग. श्रीलंका के 03 शिष्टमंडलों की यात्रा का समन्वय

घ. 14 नेपाल पुलिस बलों के अध्ययन संबंधी दौरे के दौरान सीएपीएफ के साथ समन्वय

ङ. बीपीआरएंडडी ने दक्षिण अफ्रिका में आतंकवाद के विरुद्ध ब्रिक्स कार्यकारी समूह की 8वीं बैठक में भाग लिया गया

च. मार्च, 2024 के दौरान श्रीलंकाई पुलिस हेतु 02 आईटीईसी पाठ्यक्रम

छ सीएपीटी, भोपाल में 07 एटीए पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 116 भारतीय पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रकाशन

8.18 वर्ष 2023–24 में बीपीआरएंडडी ने कई प्रकाशन निकाले, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

क. राष्ट्र–व्यापी पुलिस प्रशिक्षण संसाधनों को चित्रित करते हुए भारतीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईपीटीआई) की निर्देशिका प्रकाशित की गई।

ख. "सजग भारत" और "विजिलेंट इंडिया" पत्रिका

ग. बीपीआरएंडडी का तिमाही बुलेटिन

घ. भारतीय पुलिस पत्रिका

ङ. हिंदी पत्रिका पुलिस विज्ञान

च. दिनांक 01.01.2022 की स्थिति के अनुसार पुलिस संगठनों के आंकड़े (वार्षिक)

53वां स्थापना दिवस समारोह

8.19 बीपीआरएंडडी का 53वां स्थापना दिवस समारोह दिनांक 05.09.2023 को बीपीआरएंडडी मुख्यालय, नई दिल्ली में मनाया गया। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला मुख्य अतिथि थे।

(स्रोतः बीपीआरएंडडी)

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय

8.20 राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) दिनांक 01.10.2020 से एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई) के रूप में कार्य कर रहा है। यह विश्वविद्यालय देश में राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस शिक्षा हेतु एक शैक्षणिक–अनुसंधान–प्रशिक्षण ईको–सिस्टम के रूप में कार्य करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य शोधकर्ताओं, पुलिस कार्मिकों, राष्ट्रीय सुरक्षा पेशेवरों और सशस्त्र बलों के कार्मिकों हेतु एक शैक्षणिक–अनुसंधान–प्रशिक्षण ईको–सिस्टम प्रदान करना है। इसमें समकालीन और उभरती हुई सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर बहु–विद्यात्मक नजरिये से विशेष ध्यान दिया जाता है।

विश्वविद्यालय के परिसर

8.21 आरआरयू ने लवाद (गांधीनगर, गुजरात) में अपने मुख्य परिसर के अतिरिक्त चार नए परिसरों की स्थापना करके देश में अपना विस्तार किया है। ये नए परिसर पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), शिवमोग्गा (कर्नाटक) और पुदुचेरी में स्थापित किए गए हैं।

स्कूलः

8.22 आरआरयू ने निम्नलिखित दस स्कूलों की स्थापना की हैः

1) आंतरिक सुरक्षा एवं पुलिस प्रशासन स्कूल (सिसपा)

2) सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सुरक्षा स्कूल (एसआईटी एआईसीएस)

3) एकीकृत तटीय समुद्री सुरक्षा अध्ययन स्कूल (एसआईसीएमएसएस)

4) आंतरिक सुरक्षा और रक्षा सामरिक अध्ययन स्कूल (एसआईएसडीएसएस)

5) फॉरेंसिक, जोखिम प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा स्कूल (एसएफआरएमएनएस)

6) अंतरराष्ट्रीय सहयोग, सुरक्षा और सामरिक भाषा स्कूल (एसआईसीएसएसएल)

7) अपराध विज्ञान और व्यवहार विज्ञान स्कूल (एससीबीएस)

8) राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून स्कूल (एसएनएसएल)

9) निजी औद्योगिक और कॉर्पोरेट सुरक्षा प्रबंधन स्कूल (एसपीआईसीएसएम)

10) शारीरिक शिक्षा और खेल स्कूल (एसपीईएस)

ये स्कूल राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के समग्र रणनीतिक विजन में योगदान देने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को सुगम बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

8.23 **अध्यापन, अनुसंधान और शिक्षा विस्तार**

(क) आरआरयू का फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करने, शिक्षा प्रदान करने और प्रशिक्षण देने पर रहता है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य नवाचार और सहयोग की एक ऐसी परिपाटी विकसित करना है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और राय प्रभावित करने वालों में तालमेल बना सके।

(ख) वर्तमान में, यह विश्वविद्यालय पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों में अवर स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और पीएचडी स्तरीय 35 कार्यक्रम संचालित कर रहा है। वर्ष 2023 में विश्वविद्यालय में 1,919 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है।

(ग) आरआरयू ने पुलिस बल में भर्ती होने के इच्छुक लोगों के लिए प्रायोगिक आधार पर एक विशेष सर्टिफिकेट कार्यक्रम भी आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले 75 विद्यार्थियों में से 62 विद्यार्थी राज्य पुलिस में भर्ती हो चुके हैं।

(घ) विश्वविद्यालय ने 365 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 18,117 कार्मिकों ने भाग लिया है।

8.24 **सहयोग और संबद्धता**

(क) आरआरयू ने सुरक्षा के क्षेत्र में शामिल विभिन्न संस्थानों/संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो विश्वविद्यालय को सामूहिक विशेषज्ञता और संसाधनों से परिपूर्ण करेगा ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जटिल मुद्दों का निराकरण किया जा सके और फलस्वरूप ज्ञान और नवाचार में प्रगति होगी।

(ख) आरआरयू ने राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी), दिल्ली पुलिस (डीपी), आर्मी वार कॉलेज (महू) (एडब्ल्यूसी) और राष्ट्रीय तटीय पुलिस व्यवस्था अकादमी (ओखा) (एनएसीपी) के लिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्रमशः विशेष अनुकूलित पाठ्यक्रम विकसित किए हैं। विश्वविद्यालय ने सेवारत कार्मिकों को सफलतापूर्वक 10,328 डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रदान किए हैं।

(ग) आरआरयू ने 9–20 अक्टूबर, 2023 के दौरान नई दिल्ली में भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास (एनसीएक्स) 2023 का आयोजन करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) के साथ सहभागिता की। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम ने सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक संगठनों और निजी क्षेत्र के एक विविध स्पेक्ट्रम का प्रतिनिधित्व करने वाले 300 से अधिक प्रतिभागियों के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान किया है, जिसमें सभी ने महत्वपूर्ण सूचना संबंधी अवसंरचना की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की।

(स्रोतः आरआरयू)

8.25 **इंटर्नशिप और नियोजन**

यह विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों के हित में प्रशिक्षण और नियोजन हेतु विभिन्न ऑन कैंपस और वर्चुअल अभियान चलाता रहा है। इन नियोजन अभियानों से 735 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय

8.26 गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) अधिनियम, 2020 के तहत एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य अध्ययन एवं अनुसंधान को सुगम बनाना और इसे बढ़ावा देना था तथा एप्लाइड बिहेवियर साइंस स्टडीज, विधि, अपराध विज्ञान और अन्य संबद्ध क्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकी और अन्य संबंधित क्षेत्रों के साथ–साथ फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना था। एनएफएसयू एक शिक्षण, अनुसंधान और संबद्धता प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय है तथा यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महाविद्यालयों और अन्य संस्थानों को संबद्धता प्रदान कर सकता है। एनएफएसयू फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित करेगा और इन क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा।

8.27 गांधीनगर (गुजरात), दिल्ली, गोवा, अगरतला (त्रिपुरा), भोपाल (मध्य प्रदेश), पुणे (महाराष्ट्र), इंफाल (मणिपुर) में एनएफएसयू के ऑफ–कैंपसों एवं अकादमियों के अलावा, धारवाड़ (कर्नाटक) और गुवाहाटी (असम) में एनएफएसयू के दो अतिरिक्त ऑफ–कैंपस स्थापित किए गए हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 28.01.2023 को धारवाड़ (कर्नाटक) में और दिनांक 25.05.2023 गुवाहाटी (असम) में ऑफ–कैंपस की नींव रखी गई थी। इसके अतिरिक्त, माननीय विदेश मंत्री द्वारा दिनांक 12.04.2023 को जिन्जा, युगांडा में एनएफएसयू के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया गया।

धारवाड़ परिसर का उद्‌घाटन

गुवाहाटी परिसर का उद्‌घाटन

युगांडा परिसर का उद्‌घाटन

फोटो स्रोतः एनएफएसयू

8.28 राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय पूरे देश में 7 परिसरों और 2 अकादमियों में 72 से अधिक विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से पूर्वस्नातक, स्नातकोत्तर, इन्टिग्रेटिड, एमफिल और पीएचडी कार्यक्रमों में अध्ययनरत 4,600 से अधिक विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान कर रहा है।

8.29 एनएफएसयू ने एनडीपीएस, साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक एवं अन्वेषणात्मक मनोविज्ञान, डिजिटल फोरेंसिक और डीएनए फॉरेंसिक तथा खिलाड़ियों के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट टेस्टिंग में 6 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं और वित्तीय अपराध जांच, होमलैंड सुरक्षा विस्फोटक फोरेंसिक, फोरेंसिक नैनोटेक्नोलॉजी और बैलिस्टिक में 5 और अन्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा है।

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में दिनांक 23.01.2024 को राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), गांधीनगर में "डिजिटल फोरेंसिक में उत्कृष्टता केंद्र" और व्यवहार फोरेंसिक पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय और 44वें राष्ट्रीय अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन का उद्‌घाटन किया।

दिनांक 23.01.2024 को सीओई डिजिटल फोरेंसिक का उद्घाटन

फोटो स्रोतः एनएफएसयू

माननीय केंद्रीय युवा मामले एवं खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, भारत सरकार, श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिनांक 09.02.2024 को वर्चुअल मोड में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), गांधीनगर, गुजरात में स्थापित खिलाड़ियों के लिए पोषण पूरक परीक्षण में दुनिया के पहले उत्कृष्टता केंद्र (सीओई–एनएसटीएस) का उद्घाटन किया।

दिनांक 09.02.2024 को खिलाड़ियों के लिए सीओई पोषण पूरक परीक्षण का उद्घाटन

फोटो स्रोतः एनएफएसयू

8.30 इसके अतिरिक्त, एनएफएसयू ने एक मोबाइल फॉरेंसिक वैन की संकल्पना की, इसका डिजाइन तैयार किया और इसे विकसित किया है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 16.02.2023 को दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस पर एनएफएसयू द्वारा विकसित मोबाइल फॉरेंसिक वैन सेवा की शुरूआत की गई।

76वें स्थापना दिवस पर दिल्ली पुलिस को मोबाइल फॉरेंसिक वैन सौंपना

फोटो स्रोतः एनएफएसयू

8.31 एनएफएसयू फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान और नवाचार में भी शामिल हैं। एनएफएसयू ने निम्नलिखित स्वदेशी किट विकसित किए हैं:

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) पहचान किट

जब्त किए गए सैंपलों में स्वापक–मनःप्रभावी–एनपीएस औषधियों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति की पहचान करने कि लिए एनडीपीएस औषधि परीक्षण किट फील्ड–एप्लीकेशन आधारित एक स्वदेशी उपकरण है। यह किट उपयोगकर्ताओं को शीघ्र पहचान करने और सुगमतापूर्वक पहुंच में सहायता प्रदान करेगा तथा इसका स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के साथ संयुक्त रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है।

आहार परीक्षण और स्वापक मादक पदार्थ परीक्षण किट

एनएफएसयू के आहार प्रौद्योगिकी और फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र ने वीवीआईपी सुरक्षा और सामान्य नागरिकों के लिए आहार परीक्षण किट विकसित किए हैं और इनके उपयोग की शुरूआत की है। एक वीवीआईपी वर्जन सहित दो वर्जन किट सितम्बर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाली एसपीजी टीम को पहले ही प्रदान कर दिए गए हैं और एसपीजी में एनएफएसयू से अतिरिक्त किट खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। एनएफएसयू की टीम उर्वरक परीक्षण किट और बीज परीक्षण किट भी तैयार कर रही है और ये विकास के अंतिम चरण में हैं।

साइबर कियोस्क मशीन

एनएफएसयू ने डिवाइस में संस्थापित मेलिसियस एप्लीकेशनों का पता लगाने के लिए साइबर कियोस्क मशीन विकसित की है। यह मशीन मेलिसियस एप्लीकेशनों के ब्यौरों की जांच करने, भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित एप्लीकेशनों और अनधिकृत स्रोतों का पता लगाने तथा उसके बाद मोबाइल डिवाइस से उन

एप्लीकेशनों को मैनुअल रूप से हटाने में सक्षम है।

8.32 फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में स्वदेशी समाधान विकसित करने के अलावा, एनएफएसयू के स्कूल ऑफ लॉ एंड फॉरेंसिक जस्टिस और पॉलिसी स्टडीज ने एक पुस्तक संकलित की है, जिसमें वैज्ञानिक अन्वेषण को प्रदर्शित करने वाले सफल निर्णयों का अध्ययन शामिल है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 25.05.2023 को एनएफएसयू के गुवाहाटी परिसर की आधारशिला रखते समय उपर्युक्त पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके अतिरिक्त, 225 से अधिक अनुसंधानकर्ता विधि प्रवर्तन एजेंसियों के समस्या संबंधी विवरणों के समाधानों का पता लगाने के लिए अनुसंधान कर रहे हैं।

8.33 आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहायता के लिए, विश्वविद्यालय अनेक पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों, फॉरेंसिक विशेषज्ञों, सुरक्षा विशेषज्ञों, सतर्कता अधिकारियों और अन्य पेशेवरों को जांच और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण के साथ–साथ एनएफएसयू विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों को परामर्श भी प्रदान करता है तथा साइबर सुरक्षा ऑडिट, संवेदनशीलता आकलन और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, फॉरेंसिक ऑडिट और परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परामर्श आदि सेवाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 293 के तहत, एनएफएसयू के विभिन्न पदों को सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों के रूप में घोषित किया गया है और वे विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों से प्राप्त मामलों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

8.34 एनएफएसयू ने न्यायिक अधिकारियों और आईपीएस अधिकारियों जैसे अनेक सरकारी अधिकारियों, राज्य कर विभाग, पुलिस विभाग मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सरकार, कर्नाटक एफएसएल, लोक अभियोजकों, सेबी के अधिकारियों, असम पुलिस, सीआरपीएफ के अधिकारियों, आईटीईसी–तंजानिया के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण, विदेश मंत्रालय के आईएफएस अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, तंजानिया आप्रवासन विभाग, आरबीआई, सीवीओ और वीओ, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (नेपाल), आईआरएस (आईटी) अधिकारियों, पीएसयू/राष्ट्रीयकृत बैंक, एफएसएल (पंजाब), त्रिपुरा राज्य पुलिस, डीजीजीआई, बिहार (एफएसएल), केरल पुलिस (2,847 प्रशिक्षु) को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस)

8.35 वर्ष 2002 में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तहत न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस) की स्थापना एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी, ताकि देश में फॉरेंसिक विज्ञान को बढ़ावा दिया जा सके और देश में विधि प्रवर्तन एजेंसियों की फॉरेंसिक सेवाओं संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रों में अनेक गतिविधियों की गुंजाइश एवं विस्तार को बढ़ावा देकर, डीएफएसएस वर्तमान में विभिन्न सरकारी संगठनों, अकादमियों, अनुसंधान एवं विकास और उद्योग के साथ फॉरेंसिक विज्ञान क्षेत्र को जोड़ रहा है।

8.36 इन सीएफएसएल के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत 07 केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के अपने नेटवर्क के माध्यम से डीएफएसएस की अखिल भारत में मौजूदगी है। ये केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाएं नई फॉरेंसिक तकनीकें विकसित करने, फॉरेंसिक विश्लेषण हेतु मूलभूत विज्ञान में नवीनतम विकास को अपनाने और इस प्रकार की सूचना को अन्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य के साथ जटिल अपराध के रेफरल मामलों की जांच और अनुसंधान एवं विकास कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, सीएफएसएल को निम्नलिखित प्रतिष्ठानों द्वारा भेजे गए अपराध के सबूतों का फॉरेंसिक विश्लेषण करने का भी अधिदेश दिया गया है:

(क) केंद्र सरकार के सभी प्रतिष्ठान ।

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जहां कोई फॉरेंसिक प्रतिष्ठान उपलब्ध नहीं है ।

(ग) विधिक न्यायालयों द्वारा भेजे गए मामले ।

(घ) राज्य की प्रयोगशालाओं द्वारा भेजे गए

अत्यधिक जटिल मामले, जिनके लिए उस राज्य में विशेषज्ञता मौजूद नहीं है।

(ङ) पड़ोसी देशों द्वारा भेजे गये मामले।

8.37 डीएफएसएस देश में फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय प्रगति के संबंध में परामर्श प्रदान करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डीएफएसएस अपने अनुसंधान, सुदृढ़ मूलभूत विज्ञान, क्षमता निर्माण और नीति निर्माण के माध्यम से राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रौद्योगिकीय पहलों के माध्यम से, डीएफएसएस ने फॉरेंसिक उद्योग के लिए समाधान और नवाचार प्रदान किए हैं तथा फॉरेंसिक रिपोर्टों की गुणवत्ता में सुधार करने में भी सहायक सिद्ध हुआ है। फॉरेंसिक मशीनरी और उपकरण के स्वदेशी विकास के मुद्दे का निराकरण करने के लिए, डीएफएसएस ने एक प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से महत्वपूर्ण संस्थानों में वैज्ञानिकों के लिए देश में अपनी बाह्य अनुसंधान एवं विकास संबंधी सहायता शुरू की। रणनीतिक ढंग से इस महत्वपूर्ण कार्य का फॉरेंसिक विज्ञान के उपेक्षित क्षेत्रों को बढ़ावा देने और देश के समग्र फॉरेंसिक विज्ञान तथा नवाचार परिदृश्य का स्वरूप बदलने में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा।

8.38 निदेशालय ने भविष्य के व्यवधानों के लिए अच्छी तरह से तैयार एक सुरक्षित और बेहतर समाज के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली में फॉरेंसिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने में अग्रणी भूमिका निभाते हुए फॉरेंसिक विज्ञान को मजबूत करने के अपने प्रयासों को जारी रखा है। वर्ष 2023–24 के दौरान कुछ प्रमुख सफलताएं हैं: जिनमें नए सीएफएसएल की स्थापना; सीएफएसएल के पारंपरिक और मौजूदा प्रभागों का स्तरोन्नयन और स्थापना; नई केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला; साम्बा (जम्मू) की आधारशिला रखना और फॉरेंसिक विज्ञान के उपेक्षित क्षेत्रों के निराकरण के लिए बाह्य अनुसंधान कार्यक्रम का आयोजन करना तथा मामलों की जांच के लिए स्वदेशी उपकरणों और तकनीकों का विकास किया जाना आदि शामिल है।

8.39 डीएफएसएस की ड्यूटी का संक्षिप्त चार्टर निम्नानुसार है:

(क) आपराधिक न्याय प्रदायगी प्रणाली हेतु उच्च गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध फॉरेंसिक विज्ञान सेवाएं प्रदान करना

(ख) आपराधिक न्याय प्रणाली में सहायता करने के लिए नई प्रौद्योगिकियां विकसित करना और नया वैज्ञानिक ज्ञान विकसित करना

(ग) अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना

(घ) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक, तकनीकी और फॉरेंसिक विज्ञान संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों के साथ संबंध स्थापित करना

(ङ) फॉरेंसिक विज्ञान संबंधी परीक्षण में गुणवत्ता संबंधी आश्वासन एवं गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा देना

(च) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार एवं संवर्धन करना

(छ) फॉरेंसिक विज्ञान में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना और नीतियां तैयार करना

(ज) विभिन्न फॉरेंसिक विज्ञान सूचकांकों से संबंधित राष्ट्रीय डाटाबेस विकसित करना

(झ) पुरस्कार एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करके फॉरेंसिक विज्ञान और अनुसंधान एवं विकास में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना

(ञ) फॉरेंसिक विज्ञान के सभी मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों को सहायता और परामर्श प्रदान करना।

8.40 फॉरेंसिक जांच में गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस) ने निम्नलिखित प्रकाशन/दिशानिर्देश जारी किए हैं:

(क) मोबाइल फॉरेंसिक वैनों हेतु विनिर्देशन

(ख) आईसीजेएस फॉरेंसिक पोर्टल हेतु यूजर मैनुअल

(ग) आईसीजेएस पोर्टल पर मामला शुरू करने, उसकी रिपोर्टिंग और उसे अपलोड करने से

संबंधित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)

(घ) एनएबीएल मानकों (आईएसओ/आईईसीआई17025:2017) के अनुसार प्रयोगशालाओं के प्रमाणन के लिए गुणवत्ता मैनुअल और

(ङ) फॉरेंसिक विज्ञान के नौ विषयों अर्थात: जैविक विज्ञान (जीव विज्ञान और डीएनए), रासायनिक विज्ञान (रसायन विज्ञान, स्वापक मादक पदार्थ, विष विज्ञान और विस्फोटक); साइबर फॉरेंसिक (कंप्यूटर फोरेंसिक्स एवं स्पीकर आइडेंटिफिकेशन) में कार्य पद्धति मैनुअल ।

(च) यौन उत्पीड़न के मामलों में जांच अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण, संरक्षण और परिवहन हेतु दिशानिर्देश ।

(छ) फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना/स्तरोन्नयन के लिए उपकरणों की मानक सूची।

(ज) अपराध स्थल की जांच संबंधी मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)

(झ) फॉरेंसिक उपकरण के परीक्षण और मापन के अंशशोधन की प्रक्रिया।

केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल)

8.41 डीएफएसएस के अंतर्गत सात सीएफएसएल को 13 प्रभागों अर्थात जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, विस्फोटक पदार्थ, विष विज्ञान, दस्तावेज, बेलिस्टिक, डिजिटल फॉरेंसिक विज्ञान (फॉरेंसिक इलैक्टॉनिक्स), फॉरेंसिक डिऑक्सीराइ बोन्यूक्लिक एसिड (डीएनए), फॉरेंसिक इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक नार्कोटिक्स, फॉरेंसिक आसूचना और फॉरेंसिक मनोविज्ञान के अनुसार बांटा गया है। वर्तमान में, सभी सीएफएसएल में 11 प्रभाग प्रचालन में हैं। सभी सीएफएसएल में फॉरेंसिक इंजीनियरिंग और फॉरेंसिक आसूचना प्रभाग स्थापित करने का कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त, डीएनए विश्लेषण, कंप्यूटर फॉरेंसिक, ऑडियो–वीडियो अनुप्रमाणन, वक्ता की पहचान, स्केनिंग इलेक्ट्रोन–माईक्रोस्कोपी एंड एनर्जी डिस्पर्सिव एक्स–रे एनालिसिस (एसईएम–ईडीएक्सए) का प्रयोग करके शूटर की पहचान, स्वचालित आग्नेयास्त्र/गोलाबारूद पहचान प्रणाली, चेहरे की पहचान/सीसीटीवी फुटेज विश्लेषण, बुलेटप्रूफ सामग्री परीक्षण और कपाल अध्यारोपन के क्षेत्र में सीएफएसएल में नई प्रौद्योगिकियां हासिल की गई हैं।

8.42 **सीएफएसएल का क्षेत्राधिकार:** दिनांक 26.07.2013 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, इन 7 सीएफएसएल को निम्नलिखित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवंटित किये गये हैं:

सीएफएसएल भोपाल:– मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़।

सीएफएसएल पुणे:– महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमण एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली।

सीएफएसएल गुवाहाटी:– असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा।

सीएफएसएल कोलकाता:– ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह।

सीएफएसएल हैदराबाद:– आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, पुदुचेरी।

सीएफएसएल चंडीगढ़:– जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा (लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र द्वारा भेजे गए मामलों का निपटान भी सीएफएसएल, चंडीगढ़ द्वारा किया गया है)।

सीएफएसएल दिल्ली: सीबीआई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनआईए तथा रेफर किए गए मामले।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सात केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल) उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से मामले स्वीकार कर सकती हैं।

सीएफएसएल पुणे के रसायन प्रभाग में विशेषज्ञ आयन क्रोमेटोग्राफी– मेट्रोम पर कार्य करते हुए
फोटो स्रोतः (सीएफएसएल, पुणे)

8.43 **अनुसंधान कार्यः** सात केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशालाओं ने न्यायालयिक विज्ञान के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं से निपटने के लिए अनुसंधान कार्य शुरू किए हैं। इस अवधि के दौरान, सात सीएफएसएल के विशेषज्ञों ने फॉरेंसिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े राष्ट्रीय समाचार पत्रों में 36 अनुसंधान दस्तावेज और अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्रों में 54 अनुसंधान दस्तावेज प्रकाशित/प्रस्तुत किए हैं।

8.44 **सीएफएसएल चंडीगढ़ को निम्नलिखित पेटेंट हासिल हुएः–**

– 'जटिल बायोलॉजिकल मैट्रिक्स से मादक पदार्थ पृथक करने संबंधी एक उपकरण' नामक एक खोज के लिए दिनांक 05.07.2023 को पेटेंट संख्या 512608 प्राप्त हुआ। इसे सीएफएसएल और पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

– खराब, टूटे हुए और जले हुए मोबाइल उपकरणों से चिप ऑफ एनालाइसिस का उपयोग करके डाटा प्राप्त करने की फॉरेंसिक प्रक्रिया के लिए दिनांक 12.10.2023 को पेटेंट संख्या एल–134675/2023 प्राप्त हुआ।

❖ **मामले की जांच संबंधी कार्यः** दिनांक 01.04.2023 से 31.01.2024 तक, डीएफएसएस, गृह मंत्रालय के अंतर्गत सात सीएफएसएल ने अपराध के मामलों की जांच निम्नानुसार की हैः–

सीएफएसएल	**जांच किए गए मामले**	**प्रदर्श की संख्या**
चंडीगढ़	3,637	1,15,184
कोलकाता	4,054	71,149
हैदराबाद	843	23,988
दिल्ली	3,822	9,50,162
भोपाल	1,197	1,03,560
असम	744	21,256
पुणे	450	94,676
कुल योग	**13,432**	**13,38,621**

ये प्रयोगशालाएं तुलनात्मक दृष्टि से अधिक जटिलता वाले, उन मामलों की जांच करती हैं, जिनमें विशेषज्ञ की पेशेवर राय और उच्च दक्षता की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियों से सीएफएसएल को प्राप्त एनडीपीएस, पॉक्सो, यौन हमले, डीएनए के मामलों की रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से की जाती है। इसी तरह, सीएफएसएल के विशेषज्ञों द्वारा मानव तस्करी, आतंकवाद–रोधी, पॉक्सो, एनसीबी, एनआईए और अन्य अदालती निगरानी वाले मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाता है।

* **न्यायालयी साक्ष्य:** दिनांक 01.04.2023 से 31.01.2024 की अवधि के दौरान, सभी सीएफएसएल के विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों ने विभिन्न विधिक न्यायालयों में 2,003 न्यायालयी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

* **अपराध स्थल:** दिनांक 01.04.2023 से 31.01.2024 की अवधि के दौरान, सीएफएसएल के विशेषज्ञों/ वैज्ञानिकों ने 300 महत्वपूर्ण अपराध दृश्यों की जांच की।

* **प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें प्रतिभागिता की गई और जिनका आयोजन किया गया:** दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 की अवधि के दौरान, सात सीएफएसएल के वैज्ञानिकों ने अपने प्रौद्योगिकीय ज्ञान और कौशल का स्तरोन्नयन करने के लिए एनएफएसयू, बीपीआरएंडडी, सीएफएसएल, आईएसटीएम और विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आयोजित 89 ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उपकरण प्रशिक्षण में भाग लिया। उपर्युक्त के अलावा, केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों ने 723 प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में प्रशिक्षण दिया/ व्याख्यान दिए, जिसमें विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया।

* **सीएफएसएल कोलकता द्वारा एचआरएससी के नए फॉरेंसिक पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करना**

फोटो स्रोत– (डीएफएसएस मुख्यालय, नई दिल्ली)

* **एक्स्ट्रा म्युरल अनुसंधान (ईएमआर) योजना:** गृह मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, डीएफएसएस प्रथम चरण में आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के 11 अनुमोदित परियोजना अन्वेषकों के लिए 25% वित्तपोषण (परियोजनाओं की कुल लागत का) प्रदान करता है। इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सीएफएसएल चंडीगढ़ में जुलाई, 2023 माह में पीएसआरजी बैठक आयोजित की गई। ईएमआर परियोजनाओं का

मुख्य उद्देश्य अछूते क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास करना है तथा साथ ही फॉरेंसिक उपकरणों और किटों और फॉरेंसिक जांच के लिए उपयोग आने वाले रसायनों का स्वदेशी विकास करना है। इससे लागत में कटौती करने, तकनीकी उन्नयन करने और मामले की जांच के काम में तेजी लाने आदि में मदद मिलेगी।

* **सीएफएसएल का आधुनिकीकरणः** गृह मंत्रालय द्वारा भोपाल, गुवाहाटी, कोलकाता और पुणे स्थित केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण को अनुमोदन प्रदान किया गया है। भोपाल, असम (कामरूप) और पुणे में नव निर्मित सीएफएसएल का उद्घाटन किया गया है और इन प्रयोगशालाओं ने नए परिसरों से कार्य करना शुरू कर दिया है। राजरहाट में सीएफएसएल कोलकाता के आधुनिक प्रयोगशाला भवन परिसर का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है।

8.45 नए प्रभागों की स्थापना के साथ–साथ मौजूदा प्रभागों के सुदृढ़ीकरण के लिए, सीएफएसएल द्वारा इस अवधि के दौरान निम्नलिखित उपकरण खरीदे गए हैंः जीईएल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, हार्डवेयर राइट ब्लॉकर किट, पास वेयर, आयन क्रोमेटोग्राफी, मल्टी स्पीच एनालाइसिस सॉफ्टवेयर, हाई एंड वर्कस्टेशन आदि। कुछ उपकरणों की खरीद पर विभिन्न स्तरों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और इस वित्त वर्ष के अंत तक खरीद प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है।

8.46 उपर्युक्त के अलावा, इस अवधि के दौरान सीएफएसएल द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं सृजित की गईंः–

- सीएफएसएल चंडीगढ़ ने जम्पर पिन प्वाइंट पद्धति का उपयोग करके लॉक मोबाइल फोन से डाटा प्राप्त करने की सुविधा विकसित की।
- सीएफएसएल चंडीगढ़ ने सांप के जहर का परीक्षण करने की सुविधा शुरू की।
- सीएफएसएल चंडीगढ़ ने एनआईए द्वारा भेजे गए ड्रोन मामलों की जांच करके सूचना दी।
- सीएफएसएल असम ने पेट्रोलियम उत्पादों के विश्लेषण के लिए सुविधा शुरू की।
- सीएफएसएल पुणे फॉरेंसिक जीएआईटी विश्लेषण सुविधा शुरू कर रही है।
- सीएफएसएल पुणे ने तंबाकू के मामलों की रासायनिक जांच शुरू की है और मिट्टी की जांच की सुविधा विकसित की है।
- सीएफएसएल पुणे ने धोखे की पहचान तकनीक से पूर्ण सुसज्जित फॉरेंसिक मनोविज्ञान प्रभाग स्थापित किया।
- सीएफएसएल कोलकाताः विस्फोटक पदार्थ प्रभाग ने एफटी–आईटी का उपयोग करके नई तकनीक शुरू की, जिसमें गैर–विस्फोटक तकनीक से नमूनों की बिना अतिरिक्त प्रसंस्करण के ठोस और तरल अवस्था में सीधे तौर पर जांच करने में सहायता प्राप्त होती है।
- एनसीएफएल हैदराबाद ने एलएएन के माध्यम से सभी वर्कस्टेशनों के साथ और इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूएएन के माध्यम से अन्य सीएफएसएल के साथ स्मार्ट सर्वर को जोड़ा। अब, प्रयोगशाला में सभी फॉरेंसिक उपकरणों का उपयोग केंद्रीय रूप में स्थित सर्वर के माध्यम से किया जा रहा है।

सीएफएसएल, चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए प्रयोगशाला

8.47 भारत में डीएनए विश्लेषण का प्रयोग अपने उभरते हुए स्तर पर है। डीएनए विश्लेषण वह तकनीक है, जिसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान मॉलीक्यूलर स्तर पर की जा सकती है। फॉरेंसिक डीएनए विश्लेषण एक बहुत संवेदनशील और पुनरुत्पादनीय तकनीक है और यह तकनीक पीड़ित और संदिग्ध की पहचान, बड़ी आपदाओं में मानव की पहचान, पितृत्व और मातृत्व संबंधी विवादों, बलात्कार और हत्या के मामले, अस्पतालों में बच्चा बदलने, किसी मृतक की पहचान, अंग प्रत्यारोपण और आप्रवासन जैसे मामलों में आधुनिक आपराधिक जांच के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अत्याधिक महत्वपूर्ण साधन बन गई है। आपराधिक

मामलों में न्यायालय द्वारा डीएनए विश्लेषण की बढ़ती हुई मांग के साथ ही, देश में न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का क्षमता निर्माण करने की आवश्यकता भी बढ़ रही है। क्षमता निर्माण कार्यक्रम के भाग के रूप में, गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ की केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) में एक अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण सुविधा शुरू की है। अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण सुविधा का उद्घाटन कर इसका प्रचालन दिनांक 23.12.2019 को शुरू किया गया था।

8.48 बड़े प्रौद्योगिकीय स्तरोन्नयन के अंतर्गत डिजिटल ओटोक्लेव, बायो–इंक्यूबेटर्स, टीशू लाइजर्स, आटो–एक्सट्रेक्शन उपकरण, जीईएल डाक्टूमेंटेशन सिस्टम, रियल–टाइम पोलीमराइज्ड चेन रिएक्शन, थर्मल साइक्लर्स, डीएनए सीक्वेंसर्स तथा सांख्यिकी विश्लेषण और डाटा प्रबंधन के लिए एनजीएस के साथ–साथ एक सुदृढ़ सॉफ्टवेयर की स्थापना को शामिल किया गया है। इस संकाय ने विभिन्न शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और पोक्सो, यौन उत्पीड़न एवं डीएनए विश्लेषण से संबंधित 1783 अपराध सबूतों के साथ 296 मामलों की जांच की है।

राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (ई), हैदराबाद

8.49 एनसीएफएल (ई) हैदराबाद की चार विशिष्ट इकाइयों अर्थात्: डिजिटल स्टोरेज मीडिया एग्जामिनेशन यूनिट, मोबाइल फोन और एमबेडेड सिस्टम एग्जामिनेशन यूनिट, एडवांस डिजिटल फॉरेंसिक यूनिट (क्षतिग्रस्त मीडिया विश्लेषण) और अपराध दृश्य यूनिट ने साइबर/डिजिटल अपराध के मामलों की जांच करना शुरू कर दिया। दिनांक 01.04.2023 से 31.10.2023 की अवधि के दौरान, उपर्युक्त प्रयोगशाला द्वारा जांच किए गए कुल मामले 955 प्रदर्शों सहित 227 हैं। एनसीएफएल की स्थापना से साइबर फॉरेंसिक मामलों को दूसरे राज्य और सीएफएसएल से इस प्रयोगशाला में परिवर्तित करने में मदद मिलेगी और इससे दूसरे सीएफएसएल को न केवल लंबित मामलों को कम करने में सहायता मिलेगी अपितु वे अनुसंधान एवं विकास कार्य, जिनकी अत्यधिक आवश्यकता है, पर भी ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

वैज्ञानिक एनसीएफएल की डिजिटल स्टोरेज मीडिया यूनिट में काम करते हुए

फोटो स्रोतः (एनसीएफएल (ई), हैदराबाद)

राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण

8.50 डीएफएसएस अपनी ड्यूटियों के चार्टर के अनुसार, विभिन्न नए और मौजूदा प्रभागों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण करने, प्रमाणन प्राप्त करने, मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) उपलब्ध कराने, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने आदि में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एसएफएसएल) को लगातार तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। डीएफएसएस ने साइबर, स्वापक मादक पदार्थ और डीएनए प्रभागों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए 'निर्भया कोष' के अंतर्गत एसएफएसएल द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का मूल्यांकन और इनके संबंध में सिफारिशें की हैं। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने 277.62 करोड़ रुपये की निधि अनुमोदित की है और निर्भया कोष स्कीम के अंतर्गत 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए 180.34 करोड़ रुपये की निधि आंबटित की है। डीएफएसएस इन परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इनकी भौतिक और वित्तीय प्रगति हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के साथ गहन समन्वय कर रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण स्कीम (एसएमएफसी) के तहत, डीएफएसएस ने फॉरेंसिक क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण के संबंध में 13 राज्यों के प्रस्तावों की गृह मंत्रालय से सिफारिश की।

8.51 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

सीएफएसएल चंडीगढ़ के अधिकारियों ने गुरुग्राम में जी20 सम्मेलन में भाग लिया और नई सुविधाओं तथा सीएफएसएल विशेषज्ञों द्वारा जांच किए गए चुनौतीपूर्ण मामलों का प्रदर्शन किया।

सीएफएसएल के विशेषज्ञ माननीय गृह मंत्री को मामलों की जांच की तकनीक के बारे में जानकारी देते हुए

फोटो स्रोतः (सीएफएसएल चंडीगढ़)

विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में निदेशक–सह–मुख्य फॉरेंसिक वैज्ञानिक, डीएफएसएस मुख्यालय ने एससीओ सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की 10वीं बैठक की तैयारी के संबंध में 8 और 9 जून 2023 को (वीसी) फॉरेंसिक विशेषज्ञों की गतिविधियों पर शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (एससीओ) के विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लिया।

8 और 9 जून, 2023 को फॉरेंसिक विशेषज्ञों की गतिविधियों पर
शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (एससीओ) के विशेषज्ञ समूह की बैठक

(फोटो स्रोतः विधि मंत्रालय)

दिनांक 26–27 अप्रैल, 2023 को मिन्स्क, बेलारूस में बेलारूस की राज्य फॉरेंसिक जांच समिति और निदेशक–सह–मुख्य फॉरेंसिक वैज्ञानिक के प्रतिनिधित्व में भारतीय पक्ष ने अंतरराष्ट्रीय फॉरेंसिक सम्मेलन में भाग लिया।

(फोटो स्रोतः डीएफएसएस मुख्यालय, नई दिल्ली)

(क) डॉ. एस. के. जैन, निदेशक–सह–सीएफएस, डीएफएसएस ने 20–21 फरवरी, 2024 को एससीओ सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की 11वीं बैठक की तैयारी के लिए पहली एक्सपर्ट प्रिपेरेटरी बैठक में भाग लिया।

(ख) उक्त अवधि के दौरान सीएफएसएल कोलकता के दो विशेषज्ञों ने एनबीडीसी, एनएसजी मानेसर में अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया।

(ग) यूएनओडीसी वियना द्वारा ऑनलाइन मोड में आयोजित आईसीई कार्यक्रम में सीएफएसएल हैदराबाद के विशेषज्ञों की सहभागिता।

(घ) सीएफएसएल हैदराबाद ने एक महत्वपूर्ण आपराधिक मामले की जांच में केन्या के शिष्टमंडल को सहायता और सहयोग प्रदान किया।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

8.52 गृह मंत्रालय के दिनांक 11.03.1986 के संकल्प के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई थी। एनसीआरबी की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई थी:

(क) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर सक्रिय अपराधियों सहित अपराध और अपराधियों के सूचना प्रदाता केंद्र के रूप में कार्य करना, ताकि अपराधों को अपराधियों के साथ लिंक करने में जांचकर्ताओं और अन्य की सहायता की जा सके।

(ख) पुलिस स्टेशन के रिकॉर्डों का संदर्भ लिए बिना भारत के संबंधित राज्यों, राष्ट्रीय जांचकर्ता एजेंसियों, न्यायालयों और अभियोजन संस्थाओं के लिए अंतर–राज्यीय तथा अंतर–राष्ट्रीय अपराधियों के बारे में सूचना को दोतरफा संग्रहित, समन्वित और प्रसारित करना।

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक आंकड़े संग्रहित करना और उनको प्रोसेस करना।

(घ) अपराधियों के पुनर्वास, उनकी रिमांड, पैरोल, समयपूर्व रिहाई आदि से संबंधित दांडिक और सुधारात्मक एजेंसियों के कार्यों हेतु उनसे आंकड़े प्राप्त करना और उनको आंकड़े प्रदान करना।

(ङ) राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के कार्य में समन्वय, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।

(च) अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के कार्मिकों को प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं प्रदान करना; और

(छ) अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों का मूल्यांकन, विकास और आधुनिकीकरण करना।

8.53 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) का मुख्यालय महिपालपुर, नई दिल्ली में है और इसे गृह मंत्रालय का एक 'संबद्ध' कार्यालय माना जाता है। एनसीआरबी का कोलकाता में एक शाखा कार्यालय (मूल सेंट्रल फिंगर प्रिंट ब्यूरो (सीएफपीबी) मुख्यालय) है। कई वर्षों से, भारतीय पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जोड़कर उसे एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने और सशक्त बनाने की एनसीआरबी की जिम्मेदारी भी इसका मुख्य एजेंडा बन गई है। एनसीआरबी ने देश में उपयुक्त आईटी प्लेटफार्म विकसित कर उनकी तैनाती करके, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपराध रिकॉर्डों के कंप्यूटरीकृत प्रोसेस के कार्य में सहायता करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

8.54 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से प्राप्त आंकड़े संकलित करता है और अन्य बातों के साथ–साथ अपने तीन महत्वपूर्ण वार्षिक प्रकाशनों यथा 'क्राइम इन इंडिया', 'भारत में दुर्घटनावश मौतें और आत्महत्याएं' तथा 'प्रिजन स्टेटिक्स इंडिया' में इन्हें प्रकाशित करता है। उक्त रिपोर्टों में निहित आंकड़े का व्यापक प्रयोग सांसदों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और एक विस्तृत अनुसंधानकर्ता समुदाय द्वारा प्रभावकारी नीति निर्माण तथा अनुसंधान के लिए किया जाता है। ब्यूरो ने वर्ष 2022 की सभी तीनों रिपोर्टें अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी हैं।

8.55 एनसीआरबी को अपराध प्रवृत्तियों और आपराधिक न्याय प्रणालियों के संचालन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सर्वेक्षण (यूएन–सीटीएस) के लिए राष्ट्रीय केंद्र बिंदु के रूप में नामित किया गया है। एनसीआरबी 'सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए अपराध के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (आईसीसीएस)' के तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) का भी एक सदस्य है।

8.56 **अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस) और अंतर–प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस):** अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एंव प्रणाली (सीसीटीएनएस) जिसे एनसीआरबी द्वारा वर्ष 2009 में शुरू और कार्यान्वित किया गया था, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की गई थी और यह भारत में पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण ताकत बन गई है। सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर अब देश के सभी 16,994 (100%) पुलिस थानों में उपलब्ध है।

8.57 सीसीटीएनएस परियोजना के क्रम में, अंतर–प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) वह परियोजना है, जो आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों जैसे कि ई–न्यायालय, ई–कारागार, अभियोजन, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) आदि को एक अम्ब्रेला स्कीम से जोड़ती है। आईसीजेएस प्लेटफॉर्म आईसीजेएस के विभिन्न स्तंभों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से आंकड़ों का आदान–प्रदान किए जाने को सुविधाजनक बनाता है और इसका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली की कार्यकुशलता को बढ़ाना है। आईसीजेएस से अब तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 3,518 न्यायालय परिसरों, 16,994 पुलिस स्टेशनों, 1,369 कारागारों, 840 अभियोजन कार्यालयों और 105 फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को जोड़ा गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, एलईए, आरपीएफ, सीबीआई, एनआईए, एनसीबी और आईवीएफआरटी द्वारा वांछित व्यक्तियों की तलाश के लिए आईसीजेएस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। आईसीजेएस प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ, सीबीआई, एनआईए, एनसीबी और आईवीएफआरटी का डेटा भी खोज (सर्च) हेतु उपलब्ध है। आईसीजेएस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत पुलिस, कारागारों, न्यायालयों, फॉरेंसिक और अभियोजन सहित सभी स्तंभों के लिए खोज (सर्च) की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

8.58 **नए दांडिक कानून:** एनसीआरबी ने प्रस्तावित नए दांडिक कानूनों नामतः भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा निदेशक, एनसीआरबी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें पुलिस, कारागार, फॉरेंसिक, अभियोजन और सीएलईए के स्टेकहोल्डर शामिल हैं। इस समिति ने दांडिक कानूनों की तुलना में प्रस्तावित बदलावों का अध्ययन किया और नए सीसीटीएनएस/आईसीजेएस एप्लीकेशनों में परिवर्तन के संबंध में विस्तृत विचार–विमर्श किया।

एनसीआरबी ने "नए दांडिक कानूनों का एनसीआरबी संकलन" नामक एक वेब पोर्टल और मोबाइल एप शुरू

किया है, जो एक विस्तृत गाइड के रूप में है, जिसमें पुराने और नए विधिक प्रावधानों के बीच विस्तृत तुलना प्रदान की गई है। यह इन नए कानूनों द्वारा किए गए परिवर्तनों के बारे में देश के नागरिकों और विधि प्रवर्तन अधिकारियों को शिक्षित करने के प्रति एनसीआरबी की प्रतिबद्धता का एक विधान है।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एनसीआरबी के प्रयासों को प्राथमिक रूप से चार प्रमुख ब्लॉकों में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक प्रौद्योगिकी के एक अलग पहलू को प्रदर्शित करता है अर्थात् क्लाउड, एआई/एमएल, ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा, अवसंरचना का उन्नयन, नेटवर्क क्नेक्टिविटी में सुधार और मोबाइल ऐप।

8.59 गुमशुदा व्यक्ति, वाहन सूचना प्रणाली, आर्म्ड लाइसेंस सूचना प्रणाली और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी आईसीजेएस के अंतर्गत स्टैंडअलोन सिस्टम के रूप में आईसीजेएस से जोड़ दिया गया है।

8.60 ऐसे 43,000 से अधिक अधिकृत उपयोगकर्ता हैं, जो सर्च के लिए आईसीजेएस का उपयोग कर रहे हैं और आईसीजेएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अब तक लगभग 54.08 करोड़ सर्च की जा चुकी हैं।

8.61 एनसीआरबी ने बेहतर और त्वरित समन्वय के लिए पुलिस इकाइयों के बीच डिजिटल संचार को बेहतर बनाने के उद्देश्य से क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (क्राई–मैक) एप्लिकेशन विकसित की है। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (क्राई–मैक) एप्लिकेशन का उपयोग करके पुलिस स्टेशनों, उच्च कार्यालयों, कारागारों और आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य स्तंभों द्वारा विभिन्न अपराध श्रेणियों के अंतर्गत चेतावनियां दी जा सकती हैं।

8.62 **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी):** गृह मंत्रालय द्वारा एनसीआरबी को ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के तकनीकी और परिचालन कार्यों तथा साथ ही महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना से जुड़े कार्यों का प्रबंधन करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। नागरिकों को साइबर अपराधों की सूचना देने में मदद करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1930 लागू किया गया है।

8.63 **राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र (एनसीटीसी)** : गृह मंत्रालय की आई4सी स्कीम के तहत, एनसीटीसी की स्थापना की गई थी जिसमें सभी विधि प्रवर्तन एजेंसियों, अभियोजकों, न्यायाधीशों और अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए पेशेवर गुणवत्तापूर्ण ई–लर्निंग संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक ऑपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) प्लेटफॉर्म साइट्रेन (https;//cytrain.ncrb.gov.in) स्थापित किया गया है। इस सुविधा की प्रमुख विशेषता, प्रशिक्षण के उद्देश्य से एक अनुकुल वातावरण तैयार करना है। प्रशिक्षुओं के लिए लगभग 2,000 वीडियो/मूल व्याख्यान और 109 केस अध्ययन अपलोड किए गए हैं। प्रशिक्षुओं के लिए वर्चुअल हैंड्स–ऑन सुविधा के साथ एक ई–साइबर लैब भी स्थापित की गई है।

वर्तमान में, साइट्रेन पोर्टल 17 पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है (छह ट्रैक के अंतर्गत बेसिक स्तर, इंटरमीडिएट स्तर के पाठ्यक्रम तथा रिस्पॉन्डर, फॉरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस और मैनेजमेंट ट्रैक के अंतर्गत एडवांस स्तर के पाठ्यक्रम)।

8.64 **दंड प्रक्रिया (शनाख्त) अधिनियम, 2022:** संसद ने दंड प्रक्रिया (शनाख्त) अधिनियम, 2022 पारित किया है, जो पुलिस और कारागार अधिकारियों को आपराधिक मामलों में शनाख्त और जांच के उद्देश्य से दोषसिद्ध व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों का माप–तौल करने तथा उसके साथ एकत्रित एवं उसके आनुषंगिक रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए अधिकृत करता है। एनसीआरबी को इस अधिनियम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दंड प्रक्रिया (शिनाख्त) नियम, 2022 को भारत सरकार द्वारा दिनांक 19.09.2022 को अधिसूचित किया गया था, जिसने ब्यूरो को माप–तौल करने के संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने का अधिदेश दिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ किए जाने वाले माप–तौल की विशिष्टताएं और डिजिटल अथवा फिजिकल

प्रारूप शामिल हैं। ब्यूरो ने एसओपी जारी की और इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी पुलिस महानिदेशकों तथा केंद्रीय विधि प्रवर्तन एजेंसियों को परिचालित कर दिया। ब्यूरो कार्यान्वयन हेतु फील्ड परीक्षण शुरू करने की प्रक्रिया में है।

8.65 **एनसीआरबी का 38वां स्थापना दिवस:** एनसीआरबी ने दिनांक 13.03.2023 को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा के साथ विशेष अतिथि के रूप में श्रीमती एस. सुन्दरी नंदा, आईपीएस, विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। गृह मंत्रालय के गणमान्य व्यक्ति, सीपीओ/सीएपीएफ और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और सीसीटीएनएस के नोडल अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। माननीय मंत्री महोदय ने चौथा सीसीटीएनएस हैकथॉन एवं साइबर चैलेंज 2023 लॉन्च किया। माननीय मंत्री महोदय ने एनसीआरबी द्वारा 38 वर्षों की अपनी सतत यात्रा के दौरान हासिल उल्लेखनीय उपलब्धियों की भी सराहना की और संस्थान को इसके भावी प्रयासों के लिए प्रेरित किया।

दिनांक 13.03.2023 को एनसीआरबी का 38वां स्थापना दिवस
(फोटो स्रोतः एनसीआरबी)

8.66 **राष्ट्रीय स्वचालित फिंगर प्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस):** माननीय गृह मंत्री द्वारा उद्घाटन के बाद, महत्वपूर्ण एनएएफआईएस परियोजना के उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। विधि प्रवर्तन एजेंसियां 93,62,407 फिंगरप्रिंट (एफपी) आंकड़ों की उपलब्धता के साथ राष्ट्रीय स्तर की खोज (सर्च) के माध्यम से 4,560 चांस प्रिंट मामलों को हल करने में सक्षम रही हैं। एनसीआरबी परिचालन संबंधी मुद्दों को हल करने और एनएएफआईएस एप्लिकेशन पर विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार समन्वय कर रहा है। एनसीआरबी के अधीन केंद्रीय फिंगर प्रिंट ब्यूरो (सीएफपीबी) एनसीआरबी मुख्यालय और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न भूमिका–आधारित प्रशिक्षण भी आयोजित कर रहा है, ताकि देश भर के फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ इस अत्याधुनिक फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली की अधिकतम

क्षमता का लाभ ले सकें।

8.67 **दस्तावेज संबंधी मामला:** 574 विवादित दस्तावेजों पर विभिन्न संगठनों से प्राप्त राय दिनांक 31.12.2023 तक, संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत कर दी गई थी।

8.68 **फिंगर प्रिंट विशेषज्ञों हेतु अखिल भारतीय बोर्ड परीक्षा (एआईबीई–2023):** एनसीआरबी मुख्यालय में फिंगर प्रिंट विशेषज्ञों के प्रमाणन हेतु दिनांक 19.08.2023 से 22.08.2023 तक आयोजित अखिल भारतीय बोर्ड परीक्षा–2023 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 103 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 94 अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की। तेलंगाना के अभ्यर्थियों ने पहला और तीसरा स्थान प्राप्त किया और तमिलनाडु के एक अभ्यर्थी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।

8.69 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) का एक अधिदेश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी)/सीपीओ के पुलिस/कारागार/ न्यायपालिका कार्मिकों को सूचना प्रौद्योगिकी और फिंगर प्रिंट विज्ञान में प्रशिक्षण प्रदान करना है। ब्यूरो की प्रशिक्षण शाखा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रत्येक वर्ष यह शाखा भारतीय पुलिस/कारागार/ न्यायपालिका अधिकारियों के लिए औसतन 50–55 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। "साइबर अपराध एवं डिजिटल फॉरेंसिक", "अपराध और अपराधी ट्रैकिंग एवं नेटवर्क प्रणाली", "एआईबीई 2023 के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम", "एनएएफआईएस और दंड प्रक्रिया (शनाख्त) अधिनियम के संबंध में एनरोलमेंट यूजर ट्रेनिंग", "एनएएफआईएस में विशेषज्ञ प्रशिक्षण", "अंगुलछाप विज्ञान के संबंध में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण" "क्राइम इन इंडिया" और "भारत में दुर्घटनावश मौतें और आत्महत्याएं", "प्रिजन स्टेटिक्स इंडिया", "मानव दुर्व्यापार–रोधी" आदि जैसे विभिन्न विषयों पर नियमित रूप से प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। एनसीआरबी रिसोर्स पर्सन की क्षमता का निर्माण करने के लिए उन्हें प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) भी प्रदान करता है, ताकि वे क्षेत्रीय अधिकारियों को आगे प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। एनसीआरबी द्वारा आयोजित इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केंद्रीय पुलिस संगठनों/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के साथ–साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के वरिष्ठ पुलिस/कारागार/ न्यायपालिका अधिकारियों सहित सभी रैंकों के अधिकारी भाग लेते हैं।

8.70 **एनसीआरबी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम**

दिनांक 29.02.2024 तक एनसीआरबी और क्षेत्रीय पुलिस कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र (आरपीसीटीसी) द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षित किए गए अधिकारियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

एनसीआरबी (मुख्यालय)		**सीएफपीबी, कोलकाता**		**आरपीसीटीसी (हैदराबाद, कोलकाता, गांधीनगर, लखनऊ)**		**कुल**	
आयोजित पाठ्यक्रमों की संख्या	**प्रशिक्षित किए गए अधिकारियों की संख्या**	**आयोजित पाठ्यक्रमों की संख्या**	**प्रशिक्षित किए गए अधिकारियों की संख्या**	**आयोजित पाठ्यक्रमों की संख्या**	**प्रशिक्षित किए गए अधिकारियों की संख्या**	**आयोजित पाठ्यक्रमों की संख्या**	**प्रशिक्षित किए गए अधिकारियों की संख्या**
943	19,311	24	276	1,539	37,921	2,506	57,508

8.71 **एनसीआरबी मुख्यालय में वेबिनार**

एनसीआरबी क्षेत्रीय अधिकारियों के समक्ष आने वाले नवीन मुद्दों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों के लिए मासिक वेबिनार भी आयोजित करता है, ताकि वे उन तरीकों/तकनीकों को जान सकें, जो अपराध की जांच में मदद कर सकती हैं। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रख्यात संकाय सदस्यों को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अप्रैल 2023 से दिनांक 29.02.2024 तक, एनसीआरबी ने

विभिन्न विषयों पर 11 वेबिनार आयोजित किए हैं, जिनमें कुल 2,569 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

8.72 **एनसीआरबी सम्मेलन**

फगरप्रिंट ब्यूरो के निदेशकों का 24वां अखिल भारतीय सम्मेलनः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के फिंगरप्रिंट ब्यूरो के निदेशकों के 24वें अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन 6 और 7 नवम्बर, 2023 को एनसीआरबी में किया गया। इस सम्मेलन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के फिंगरप्रिंट ब्यूरो, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के अनुसंधान शिक्षाविदों तथा केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो/एनसीआरबी के अधिकारियों समेत कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एनएएफआईएस से जुड़े विभिन्न मुद्दों, अखिल भारतीय परीक्षा बोर्ड (एआईबीई) और फिंगरप्रिंट विज्ञान से संबंधित सामान्य विषयों पर विचार–विमर्श किया गया। प्रतिभागियों को दंड प्रक्रिया (शनाख्त) अधिनियम–2022 की जानकारी भी प्रदान की गई। इस सम्मेलन के दौरान एआईबीई के टॉपरों और फिंगरप्रिंट का उपयोग करके निपटाएं गए सर्वोत्तम मामलों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।

राज्य के साइबर नोडल अधिकारियों का तीसरा सम्मेलनः साइबर अपराधों के मामलों का निपटान करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाई गई अच्छी पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने और उनका प्रचार–प्रसार करने के लिए, एनसीआरबी और आई4सी ने दिनांक 14.09.2023 को राज्य के साइबर नोडल अधिकारियों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और सीपीओ/सीएपीएफ से लगभग 200 अधिकारियों ने भाग लिया। एनसीआरबी को इस सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीपीओ से साइबर अपराध से जुड़े मामलों पर 33 मामलागत अध्ययन प्राप्त हुए। प्रारंभिक स्क्रीनिंग के बाद प्रस्तुतिकरण हेतु 20 मामलागत अध्ययनों की छटनी की गई। एनसीबी दिल्ली, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा तेलंगाना के मामलागत अध्ययनों को विजेता घोषित किया गया और उन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस सम्मेलन के दौरान, राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराध एमओ के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। साइबर अपराध संबंधित जांच करने वाले क्षेत्रीय अधिकारियों ने जांच के दौरान उनके सामने आने वाली समस्याओं का प्रदर्शन किया और संभावित समाधानों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उक्त सम्मेलन के दौरान चौथे सीसीटीएनएस हैकथोन और साइबर चैलेंज–2023 के विजेताओं को भी पुरस्कार प्रदान किया गया। इस सम्मेलन के दौरान साइबर अपराध संबंधी जागरूकता, जांच और उनकी रोकथाम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को भी अंतिम रूप प्रदान किया गया है जो सभी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए लाभदायक हो सकती हैं।

"सीसीटीएनएस एवं आईसीजेएस में अच्छे अभ्यास" पर 5वां सम्मेलन 21–22 दिसम्बर, 2023 को एनसीआरबी मुख्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिभागियों की कुल संख्या 150 थी। दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, एनआईसी और एनसीआरबी के 24 प्रस्तुतिकर्ताओं द्वारा 7 सत्रों में कुल 21 प्रस्तुतीकरण आयोजित किए गए। 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आईसीजेएस परियोजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए आईसीजेएस पुरस्कार प्रदान किए गए और 4 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीसीटीएनएस परियोजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए सीसीटीएनएस पुरस्कार प्रदान किए गए। 61 अधिकारियों को आईसीजेएस और सीसीटीएनएस परियोजना में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (डीसीपीडब्ल्यू)

8.73 एक नोडल सलाहकारी निकाय होने के नाते, "समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (डीसीपीडब्ल्यू)" देश में पुलिस संचार की विभिन्न सेवाओं का समन्वय करने के अतिरिक्त, पुलिस संचार संबंधी सभी मामलों में गृह मंत्रालय और राज्य/केंद्रीय पुलिस संगठनों के लिए एक तकनीकी सलाहकार के रूप में विभिन्न गतिविधियां संपादित करता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, डीसीपीडब्ल्यू राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीएपीएफ/सीपीओ और गृह मंत्रालय के कार्यालयों के बीच संदेशों के आदान–प्रदान के लिए, नई दिल्ली स्थित अपने

मुख्यालय और देश भर में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में फैले "अंतर राज्य पुलिस वायरलेस (आईएसपीडब्ल्यू) स्टेशनों" के माध्यम से संचार सुविधाएं भी प्रदान करता है। यह निदेशालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस रेडियो संगठनों द्वारा उपयोग में लाये जा रहे क्रिप्टोग्राफिक दस्तावेजों और उपकरणों के लिए केंद्रीय वितरण प्राधिकरण (सीडीए) की जिम्मेदारी भी निभाता है। जीईएम के माध्यम से खरीदे जाने वाले उच्च तकनीकी संचार उपकरण के क्षेत्रीय परीक्षण/जांच के लिए डीसीपीडब्ल्यू को एक जांच एजेंसी के रूप में भी नामोदिष्ट किया गया है।

अनुरक्षण एवं संचार विंग

8.74 यह निदेशालय कानून और व्यवस्था, वीवीआईपी/वीआईपी आवागमन आदि से संबंधित संदेशों के आदान–प्रदान के लिए अंतर राज्य पुलिस वायरलेस (आईएसपीडब्ल्यू) ग्रिड का रखरखाव करता है, जो कि देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजधानियों में फैले हुए हैं। वर्तमान में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में 31 आईएसपीडब्ल्यू स्टेशन स्थित हैं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी में भी आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों को क्रियाशील बनाया जा रहा है। वर्ष 2023–2024 में, 93,44,63,744 समूहों सहित कुल लगभग 11,58,550 लाख संदशों को क्लीयर किया गया है। सभी आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों के नेटवर्क की संचार सुविधाओं का प्रभावकारी ढंग में उपयोग प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान आपातकालीन संदेशों को भेजने के लिए भी किया जा रहा है।

सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क

8.75 डीसीपीडब्ल्यू राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की राजधानी में स्थित आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों, जिला स्तर तक राज्य पुलिस संगठनों और सीएपीएफ के स्थानों के बीच संचार के लिए एक अखिल भारतीय कैपटीव सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क (पोलनेट) का प्रचालन करता है।

8.76 सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क (पोलनेट) के अंतर्गत सुदूर स्थलों पर "अति लघु अपरचर टर्मिनल (वीसैट)" और नई दिल्ली स्थित हब शामिल हैं। यह नेटवर्क वर्ष 2004 से कार्य कर रहा है और यह नेटवर्क स्वदेशी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट (जीसैट) सीरीज के सैटेलाइट पर संचालित किया जा रहा है। स्पेक्ट्रम की बेहतर क्षमता, बेहतर प्रवाह और इष्टतम उपयोग के लिए डिजिटल वीडियो ब्राडकास्टिंग–सेटेलाइट वर्जन–2 (डीवीबी–एस2) प्रौद्योगिकी को शामिल करके पोलनेट 2.0 के रूप में इस नेटवर्क को अपग्रेड किया गया है। स्टेकहोल्डरों की 1,700 वीसैट की आवश्कता को पूरा करने और इसे 3,000 वीसैट तक बढ़ाए जाने का प्रावधान करने के लिए इस नेटवर्क को अपग्रेड किया गया है। यह नेटवर्क लद्दाख, पूर्वोत्तर क्षेत्रों और अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह के दूरस्थ भागों सहित अखिल भारतीय स्तर पर हाईस्पीड डाटा, वॉयस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी वृद्धित सेवाएं प्रदान करता है।

8.77 आपातकाल अथवा आकस्मिकता से जुड़ी किसी अन्य आपदा के कारण उत्पन्न किसी भी प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए, पोलनेट 2.0 पोर्टेबल और सुगमतापूर्वक लाने–ले–जाने योग्य फ्लाईअवे वीसैट के माध्यम से सभी स्टेकहोल्डरों को सहायता भी प्रदान करता है। ये फ्लाईअवे वीसैट पोलनेट के माध्यम से सुगमतापूर्वक तैनात किए जाने और तत्काल संचार हेतु उपयोगी हैं। वर्तमान में, 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस एवं 4 सीएपीएफ में डीसीपीडब्ल्यू के 801 वीसैट लगाए गए हैं और कुल 801 वीसैट में से 50 फ्लाईअवे वीसैट हैं।

8.78 नेटवर्क का तत्काल संचालन संभालने के लिए बेंगलुरु में भौगोलिक रूप से कम महत्वपूर्ण स्थान पर पोलनेट 2.0 का आपदा रिकवरी हब स्थापित करने के लिए सीपीपी पोर्टल पर निविदा जारी की गई है।

समन्वय विंग

8.79 यह निदेशालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के रेडियो संचार नेटवर्कों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की आवश्यकताओं से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए संचार मंत्रालय के "वायरलेस

नियोजन एवं समन्वय (डब्ल्यूपीसी)" विंग के साथ समन्वय कर रहा है और नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान को तैयार/संशोधित करने में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है।

8.80 डीसीपीडब्ल्यू ने इस वर्ष 05 सीएपीएफ और 01 संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उपयोग किये जा रहे/खरीदे गए 60 संचार और तकनीकी उपकरणों के लिए गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं (क्यूआर) एवं परीक्षण निर्देशों (टीडी) को तैयार करने के दौरान एक महत्वपूर्ण सलाहकारी भूमिका निभाई है। 07 राज्यों और 01 संघ राज्य क्षेत्र, 02 सीएपीएफ और 02 सीपीओ के तकनीकी प्रस्तावों की भी जांच की गई थी और उपयुक्त सिफारिशें की गईं।

8.81 तीसरी पीढ़ी की सार्वजनिक भागीदारी (3जीपीपी) सार्वजननिक सुरक्षा दीर्घावधिक विकास (पीएस–एलटीई) प्रौद्योगिकी पर आधारित अखिल भारतीय ब्रॉड बैंड पब्लिक प्रोटेक्शन और आपदा (बीबी–पीपीडीआर) राहत नेटवर्क के कार्यान्वयन के लिए आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय; सीएपीएफ; सीपीओ, एसडीएमए और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस के सदस्यों के साथ–साथ अपर सचिव (पीएम एंड सीआईएस) की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) गठित की गई है। अखिल भारतीय बीबी–पीपीडीआर के कार्यान्वयन के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि डीसीपीडब्ल्यू, गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) तैयार किया जाए।

8.82 जीसैट–32एन जो विभिन्न महत्वपूर्ण संचार के लिए जीसैट–06 का पूरक सैटेलाइट है, को वर्ष 2025 में लांच किए जाने की संभावना है। अंतरिक्ष सेक्टर में सुधारों के अनुसरण में, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के माध्यम से मांग आधारित पहल के आधार पर नए सैटेलाइटों को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस और सीएपीएफ से उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को प्राप्त किया जा रहा है, ताकि इनको एनएसआईएल को आगे भेजा जा सके। नेटवर्क के लिए हब की संस्थापना का कार्य डीसीपीडब्ल्यू में विचाराधीन है।

साइफर विंग

8.83 डीसीपीडब्ल्यू का साइफर विंग वर्गीकृत संदेशों की निकासी करता है और अन्तर–राज्यीय सुरक्षित संचार को बनाए रखता है। केन्द्रीय वितरण प्राधिकरण (सीडीए) की भूमिका साइफर दस्तावेज/डिवाइसों को प्राप्त करना है और क्रिप्टो सिस्टम का प्रयोग करके इन्हें सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के पुलिस रेडियो संगठनों तथा आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों को वितरित करना है। उक्त अवधि के दौरान क्रिप्टो सिस्टम का प्रयोग करके सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पुलिस रेडियो संगठनों और आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों को कुल 24,421 क्रिप्टो दस्तावेज/उपकरण वितरित किए गए हैं। इस अवधि के दौरान, सीपीआरटीआई (साइफर विंग) में 19 क्रिप्टोग्राफिक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीएपीएफ के 365 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। डीसीपीडब्ल्यू से परीक्षक नियुक्त करके डीसीपीडब्ल्यू के पर्यवेक्षण में 02 राज्य स्तरीय ट्रेड टेस्ट बोर्ड (हरियाणा राज्य और महाराष्ट्र राज्य) आयोजित किए गए हैं। आधुनिक आईपी आधारित क्रिप्टो संचार उपकरण अर्थात् एसवीआईपीटी के साथ उन्नत सुरक्षित संचार सुविधा को खरीदने की प्रक्रिया चल रही है।

प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

8.84 केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान (सीपीआरटीआई), नई दिल्ली को पुलिस संचार के क्षेत्र में देश के पुलिस समुदाय को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 1971 में स्थापित किया गया था, जो गृह मंत्रालय के अधीन डीसीपीडब्ल्यू का एक प्रमुख संस्थान है। सीपीआरटीआई पुलिस संचार के क्षेत्र में वरिष्ठ और मध्य स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए नियमित पाठ्यक्रम आयोजित करता है, ताकि अधिकारियों को आधुनिक पुलिस संचार प्रणालियों और तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। कर्मचारियों की कार्यक्षमता और कौशल को बढ़ाने के लिए प्रवीणता स्तर और कौशल विकास के पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की पुलिस,

सीएपीएफ और सीपीओ के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और विशेष पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं, ताकि वे अपने कर्मचारियों को अपने संबंधित स्थानों/संस्थानों में प्रशिक्षित कर सकें। इसके अतिरिक्त, डीसीपीडब्ल्यू के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सीपीआरटीआई भारतीय पुलिस संगठनों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के पुलिस संगठनों के लिए, जब कभी विदेश मंत्रालय/गृह मंत्रालय/ बीपीआरएंडडी द्वारा अपेक्षित हो, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

8.85 वर्तमान में, नई दिल्ली में सीपीआरटीआई और चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु एवं गांधीनगर में 04 क्षेत्रीय पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान (आरपीडब्ल्यूटीआई) कार्यात्मक हैं। आरपीडब्ल्यूटीआई नजदीकी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीएपीएफ क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस संचार कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

8.86 सीपीआरटीआई नई दिल्ली और आरपीडब्ल्यूटीआई ने दिनांक 31.03.2024 तक 69 पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस, सीएपीएफ तथा सीपीओ के 1205 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

अंतर–राज्य पुलिस वायरलेस (आईएसपीडब्ल्यू)/ आरपीडब्ल्यूटीआई के लिए कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण

8.87 आईएसपीडब्ल्यू स्टेशन रायपुर के लिए कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण हेतु क्रमशः 1,446. 94 वर्ग मी. और 3,000 वर्ग मी. भूमि अधिग्रहित की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 15.06.2023 को अम्ब्रैला स्कीम "पुलिस अवसंरचना": सीएपीएफ/सीपीओ और दिल्ली पुलिस की भवन परियोजना के तहत सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से आईएसपीडब्ल्यू स्टेशन रायपुर के लिए 7.44 करोड़ रुपये के एक अनुमानित व्यय पर कार्यालय भवन और 3.64 करोड़ रुपये के एक अनुमानित व्यय पर आवासीय क्वार्टरों के निर्माण संबंधी मामले को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वर्तमान में, कार्यालय भवन का निर्माण प्लिंथ स्तर तक पूरा हो गया है और आवासीय परिसरों में चाहरदीवारी के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

8.88 आईएसपीडब्ल्यू स्टेशन, देहरादून के कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता का प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट उत्तराखंड और राज्य सरकार को भेजा गया था। बीएसएनएल द्वारा देहरादून में एक भूखंड/भवन की पेशकश की गई है और इसे खरीदने के लिए उन्हें एक औपचारिक स्वीकृति पत्र भेज दिया गया है।

8.89 सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से 6.54 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय से क्षेत्रीय पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान (आरपीडब्ल्यूटीआई), कोलकाता के लिए नए प्रशिक्षण ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है।

8.90 सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से क्षेत्रीय पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान (आरपीडब्ल्यूटीआई), बेंगलुरु के लिए पुरुष छात्रवास, गेस्ट हाउस, गार्ड रूम और कैंटीन सहित नए भवनों के निर्माण के मामले को गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके लिए संविदा की प्रक्रिया चल रही है।

कार्यशाला और तकनीकी मूल्यांकन

8.91 गृह मंत्रालय ने गवर्मेंट ई–मार्केट के माध्यम से खरीदे जाने वाले उच्च तकनीकी संचार उपकरण के क्षेत्रीय परीक्षण/जांच के लिए डीसीपीडब्ल्यू को एक निरीक्षण एजेंसी के रूप में नामोदिष्ट किया है। डीसीपीडब्ल्यू ने दिल्ली में अपनी सेंट्रल वर्कशॉप को सुदृढ़ किया है और डिजिटल रेडियो संचार के उपकरण की जांच के लिए डिजिटल जांच बैंच बनाई है। विभिन्न जांच/माप–तौल उपकरण यथा रेडियो संचार परीक्षण सेट (एनालॉग/डिजिटल), सिग्नल एनालाइजर, सिग्नल जेनरेटर, डिजिटल स्टोरेज ओसिलोस्कोप, डिजिटल मल्टीमीटर, फ्रिक्वेंसी काउंटर, स्पेक्ट्रम एंड वेक्टर नेटवर्क एनालाइजर, बैटरी एनालाइजर और रियल टाइम सिग्नल/स्पेक्ट्रम एनालाइजर जांच/माप–तौल उपकरण खरीदे गए हैं। ऐंटेना टेस्टिंग, बैटरी टेस्टिंग, डिजिटल वीएचएफ डिजिटल वीएचएफ/यूएचएफ डीएमआर (स्तर–।।)

ट्रांससीवर सेट (5/25 डब्ल्यू), एचएफ ट्रांससीवर सेट स्टेटिक/मैन पैक (25/100 डब्ल्यू), एनालॉग/डीएमआर–डिजिटल वीएचएफ/यूएचएफ रिपीटर सेट (50 डब्ल्यू) के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार कर ली गई हैं। एचएफ स्टेटिक/मैन पैक रेडियो सेट के लिए क्षेत्रीय परीक्षण, वीएचएफ/ यूएचएफ/स्टेटिक/ मोबाइल/हैंडहेल्ड रेडियो सेट हेतु क्षेत्रीय परीक्षण, आईसी के विजुअल सत्यापन हेतु माइक्रोस्कोप के क्यूआर, बैटरी एनालाइजर के अंशशोधन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) और एचआर ट्रांससीवर सेट (स्टेटिक/मैन पैक) के मूल्यांकन हेतु एसओपी तैयार कर ली गई हैं।

8.92 कार्यशाला में निदेशालय के विभिन्न अनुभागों से 02 बैटरी 141 माइक्रोफोन जीएम 3,38,325 व्हिप ऐंटेना और सभी सामग्रियों सहित 01 पीसी जैसे 471 से अधिक उपकरणों के लिए प्राप्त बीईआर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

8.93 सीएपीएफ और राज्य पुलिस हेतु डीसीपीडब्ल्यू, केंद्रीय कार्यशाला में तकनीकी मूल्यांकन एवं क्षेत्रीय परीक्षण आयोजित किया गया। आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनडीआरएफ, एसएसबी, झारखंड पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, एनपीए, ओडिशा पुलिस, बीईएल जैसे विभिन्न संगठनों और साथ ही डीसीपीडब्ल्यू के लिए तकनीकी मूल्यांकन एवं क्षेत्रीय परीक्षण आयोजित किया गया।

8.94 जनवरी 2023 – मार्च 2024 के दौरान, निदेशालय की केंद्रीय कार्यशाला में कुल लगभग 12,022 वस्तुओं को मिलाकर वायरलेस और अन्य उपकरण एवं सहायक कलपुर्जों के 124 परीक्षण/मरम्मत कार्य किए गए। कार्यशाला में तकनीकी प्रस्तावों, क्यूआर, टीडी तैयार करने और साथ ही डिस्पैच करने से पहले के निरीक्षण (पीडीआई) कार्यों आदि पर सीएपीएफ को उपयुक्त सलाहकारी सेवाएं भी प्रदान की गईं। उपर्युक्त संगठन की खरीद हेतु केंद्रीय कार्यशाला में कुल 233 चयनित वीएचएफ/यूएचएफ/एचएफ और रिपीटर सेट का परीक्षण किया गया। केंद्रीय कार्यशाला, डीसीपीडब्ल्यू ने सीएपीएफ तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस जैसे विभिन्न संगठनों से खरीदे जा रहे वीएचएफ/यूएचएफ/एचएफ और रिपीटर सेट का बैंच टेस्ट और क्षेत्रीय परीक्षण करने के लिए परीक्षण प्रभार के रूप में 1,30,000/– रुपये (केवल एक लाख तीस हजार रुपये) की राशि का राजस्व सृजित किया है।

वायरलेस उपकरणों और सहायक उपकरणों का आरक्षित भंडार

8.95 इस निदेशालय की एक जिम्मेदारी आपदाओं, आम चुनावों आदि जैसी ऑपरेशनल आवश्यकताओं के दौरान केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और केंद्रीय पुलिस संगठनों को उधार के आधार पर वायलेस उपकरण और सहायक उपकरण प्रदान करना है। निदेशालय ने विधान सभा चुनावों, एमसीडी और पंचायत चुनावों/विशेष प्रबंधन के दौरान 05 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और 04 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के लिए 11,650 आवश्यक रेडियो सेट और सहायक उपकरण जारी किए हैं।

आजादी का अमृत महोत्सव" के तहत आयोजित कार्यक्रम

8.96 आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर, डीसीपीडब्ल्यू ने देश के भीतर दूरस्थ/आपदा संभावित स्थानों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीएपीएफ के सहयोग से डब्ल्यूपीसी द्वारा अस्थायी तौर पर आवंटित फ्रीक्वेंसी स्पॉट–12 का उपयोग करके एचएफ पर दिनांक 06.07.2022 को एक आपातकालीन संचार अभ्यास आयोजित किया। दिनांक 08.12.2022 से 14.02.2023 तक आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ आदि के विभिन्न स्थानों पर एचएफ संचार के माध्यम से आपातकालीन संचार अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किए गए।

8.97 **अन्य कार्यक्रम**

(क) दिनांक 02 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 तक डीसीपीडब्ल्यू के सभी प्रतिष्ठानों में लंबित मामलों के निपटान के लिए सफलतापूर्वक विशेष अभियान चलाया गया।

(ख) दिनांक 01.10.2023 को डीसीपीडब्ल्यू के सभी

प्रतिष्ठानों में स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) 2023 सफाई अभियान आयोजित किया गया।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)

8.98 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की स्थापना, नशीली दवाइयों के दुरुपयोग तथा मादक पदार्थों एवं मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने और उससे निपटने के लिए "स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985" के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में की गई है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) विभिन्न मंत्रालयों, अन्य कार्यालयों और राज्य/केन्द्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध 1961, 1971 और वर्ष 1988 के विभिन्न संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों (जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं) के तहत अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के निर्वहन के लिए भी उत्तरदायी है।

8.99 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके सात क्षेत्रीय उप महानिदेशक के कार्यालय अर्थात उत्तरी क्षेत्र कार्यालय (दिल्ली), दक्षिण–पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय (मुम्बई), पूर्वी क्षेत्र कार्यालय (कोलकाता), उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय (अमृतसर), पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय (अहमदाबाद), दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय (चेन्नई) और उत्तर–पूर्वी क्षेत्र कार्यालय (गुवाहाटी) हैं तथा इसकी 30 जोनल यूनिटें दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, गुवाहाटी, इंदौर, बेंगलुरु, पटना, कोचीन, हैदराबाद, गोवा, भोपाल, अमृतसर, जयपुर, रांची, श्रीनगर, विशाखापटनम, इम्फाल, देहरादून, भुवनेश्वर, गोरखपुर, अगरतला, इटानगर, सिलीगुड़ी और रायपुर में स्थित हैं।

8.100 इस अवधि **(दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक)** के दौरान एनसीबी में संगठनों की प्रवर्तन क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित अवसंरचनाओं के प्रापण/निर्माण के संबंध में कार्रवाई शुरू की गई। जिन परियोजनाओं पर काम चल रहा है, वे हैं – गुवाहाटी, असम में कार्यालय–सह–आवासीय (ओसीआर) परिसर, अमृतसर, पंजाब में कार्यालय परिसर (ओसी) और दिल्ली में कार्यालय परिसर (ओसी)।

8.101 माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 18.04.2023 को इंदौर में नव–निर्मित कार्यालय परिसर और दिनांक 17.07.2023 को भुवनेश्वर में कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया।

प्रवर्तन संबंधी प्रयास

8.102 दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान देश में एजेंसियों और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा रिपोर्ट की गई विभिन्न मादक पदार्थों की जब्तियों का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:–

क्र.सं.	मादक पदार्थ का नाम	सभी मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए मादक पदार्थ	एनसीबी द्वारा जब्त किए गए मादक पदार्थ
1	हेरोइन	3,060 किग्रा.	140 किग्रा.
2	अफीम	8,785 किग्रा.	169 किग्रा.
3	मॉर्फिन	220 किग्रा.	1 किग्रा.
4	गांजा	6,72,806 किग्रा.	28,213 किग्रा.
5	हशीश	6,804 किग्रा.	3,288 किग्रा.
6	कोकेन	219 किग्रा.	21 किग्रा.
7	मेथाक्वालोन	26 किग्रा.	2 किग्रा.
8	एटीएस	3,649 किग्रा.	2,894 किग्रा.

9	पोस्त की भूसी	5,82,649 किग्रा.	5,664 किग्रा.
10	मनःप्रभावी पदार्थ	गोलियाँ (संख्या में)= 1,95,90,462 गोलियाँ (किग्रा. में) = 1,327	गोलियाँ (संख्या में)= 1,95,90,462 गोलियाँ (किग्रा. में) =1,327
		सीबीसीएस बोतलें = 22,35,058	सीबीसीएस बोतलें= 22,35,058
प्रीकर्सर रसायन			
11	एफेड्रिन/स्यूडोएफेड्रिन	1,032 किग्रा.	715 किग्रा.
12	एसिटिक एनहाईड्राइड	40 किग्रा.	0.07 किग्रा.

*(अनंतिम आंकड़े)

8.103 **पोस्त की अवैध खेती को नष्ट करनाः** वर्ष 2023–24 (अर्थात् दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक) के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ संबंधी विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से समन्वित प्रयास किए, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में 33,899 एकड़ से अधिक भूमि पर खड़ी और फलदार अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया गया। *(अनंतिम आंकडे)

8.104 **भांग की अवैध खेती को नष्ट करनाः** वर्ष 2023–24 (अर्थात् दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक) के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ संबंधी विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से समन्वित प्रयास किए, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में 26,186 एकड़ से अधिक भूमि पर खड़ी और फलदार भांग की अवैध खेती को नष्ट किया गया। *(अनंतिम आंकडे)

8.105 **मादक पदार्थों का निपटानः** दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान, विभिन्न एजेंसियों और एनसीबी द्वारा देश में अनेक विशेष अभियानों सहित निम्नलिखित मात्रा में जब्त किए गए मादक पदार्थों का निपटान किया गया। *(अनंतिम आंकडे)

क्र.सं.	**प्रमुख मादक पदार्थ/ प्रीकर्सर का नाम**	**सभी डीएलईए द्वारा नष्ट की गई मात्रा**	**एनसीबी द्वारा नष्ट की गई मात्रा**
1	एसिटिक एनहाईड्राइड	2.63 किग्रा.	2.63 किग्रा.
2	एमफेटामाइन	24.31 किग्रा.	23.96 किग्रा.
3	कोकेन	50.92 किग्रा.	29.59 किग्रा.
4	सीबीसीएस	(संख्या में) =16,72,463 (लीटर में) =268.13	(संख्या में) =98,540 (लीटर में) =138.3
5	एफेड्रिन	33.36 किग्रा.	30.26 किग्रा.
6	गांजा	5,21,588 किग्रा.	47,926.28 किग्रा.
7	हशीश	1,400 किग्रा.	456.52 किग्रा.
8	हशीश तेल	46.46 किग्रा.	3.63 किग्रा.
9	हेरोइन	1,210.78 किग्रा.	789.26 किग्रा.
10	मस्कालाइन	0.28 किग्रा.	0.28 किग्रा.

11	एमडीएमए	81.95 किग्रा.	1.24 किग्रा.
12	मेफेड्रोन	3,131.09 किग्रा.	62.97 किग्रा.
13	मैथामफेटामाइन	1,311.12 किग्रा.	1,196.4 किग्रा.
14	मेथाक्वालोन	14.07 किग्रा.	9.93 किग्रा.
15	मॉर्फिन	81.1 किग्रा.	65.56 किग्रा.
16	अफीम	1,218.61 किग्रा.	473.57 किग्रा.
17	अन्य मादक पदार्थ	5,367 किग्रा.	7.53 किग्रा.
18	पोस्त की भूसी/स्ट्रॉ	1,50,945.3 किग्रा.	8,828.2 किग्रा.
19	स्यूडोएफेड्रिन	100.29 किग्रा.	70.75 किग्रा.
20	इंजेक्शन	4,737 इंजेक्शन की शीशी	4,732
21	सभी प्रकार की गोलियाँ	(किग्रा. में) =245.78 (संख्या में) =53,03,496	(किग्रा. में) =239.86 (संख्या में) =24,35,420
22	कुल योग (लगभग किग्रा. में)	8,29,546 किग्रा.	68,854 किग्रा.

मादक पदार्थों का निपटान

8.106 उक्त अवधि (दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक) के दौरान, एनसीबी की विभिन्न जोनल इकाइयों द्वारा निम्नलिखित मात्रा में जब्त किए गए मादक पदार्थों का निपटान किया गया:—

क्र.सं.	क्षेत्र	मामलों की कुल संख्या	मादक पदार्थ	नष्ट की गई मात्रा	
				किग्रा. में	संख्या में
1	अहमदाबाद	14	हेरोइन	2.9	
			गांजा	78.39	
			पोस्त की भूसी	218.71	
			मेफेड्रोन	12.05	
			मेथामफेटामाइन	0.07	
			चरस	0.68	
			सीबीसीएस		1,585
			गोलियाँ		9,344
2	अजमेर	2	पोस्त की भूसी	226.76	
3	बैंगलोर	29	एमफेटामाइन	0.11	
			कोकेन	2.49	
			गांजा	90.23	
			हशीश	3.1	
			मेथाक्वालोन	4.99	
			एमडीएमए	0.04	
			मैथामफेटामाइन	4.96	
			अन्य मादक पदार्थ	5	
			स्यूडोएफेड्रिन	16.04	
			गोलियाँ	1	
4	भुवनेश्वर	15	गांजा	4,103.61	

5	चंडीगढ़	39	चरस	10.14	
			हेरोइन	51.89	
			गांजा	46.14	
			पोस्त की भूसी	209.04	
			गोलियाँ		5,880
			अन्य मादक पदार्थ	0.76	
6	चेन्नई	3	कोकेन	1.81	
			एफेड्रिन	25.84	
			हशीश	0.19	
			मैथामफेटामाइन	3.2	
			स्यूडोएफेड्रिन	10.02	
7	कोचीन	2	हेरोइन	339.1	
			हशीश का तेल	3.63	
8	दिल्ली	147	एमफैटामाइन	18.97	
			एसिटिक एनहाईड्राइड	2.62	
			सीबीसीएस		121
			कोकेन	21.35	
			गांजा	244.25	
			हेरोइन	159.96	
			हशीश	9.87	
			इंजेक्शन		1370
			अन्य मादक पदार्थ	1.42	
			एमडीएमए	1.2	
			मैथामफेटामाइन	3.22	
			मेफेड्रोन	0.03	
			स्यूडोएफेड्रिन	44.7	
			गोलियाँ	138.07	11,71,008
9	गुवाहाटी	19	गांजा	4,977.4	
			सीबीसीएस		60,250
			मैथामफेटामाइन	17.52	
			हेरोइन	16.29	
10	हैदराबाद	3	गांजा	6,084.35	
11	इम्फाल	25	गांजा	73.35	
			हेरोइन	5.81	
			मैथामफेटामाइन	10.24	
			मॉर्फिन	64.67	
			अफीम	169.37	
			गोलियाँ	80.4	4,850
12	इंदौर	34	चरस	16.91	
			गांजा	4,879	
			हेरोइन	24.32	
			मेफेड्रोन	0.21	
			अफीम	63.15	
			अन्य मादक पदार्श	0.35	

			पोस्त की भूसी	315.57	
			गोलियाँ	5.7	
13	जम्मू	16	चरस	279.7	
			सीबीसीएस		1,866
			हेरोइन	155.88	
			पोस्त की भूसी	244.67	
			गोलियाँ		28,728
14	जोधपुर	28	कोकीन	0.49	
			सीबीसीएस		2,255
			हेरोइन	22.56	
			मैथामफेटामाइन	0.03	
			अफीम	103.15	
			पोस्त की भूसी	6,009.14	
			गोलियाँ		12,15,610
15	कोलकाता	41	कोकीन	0.46	
			गांजा	1,633.18	
			हेरोइन	0.24	
			मैथामफेटामाइन	1,156.26	
			पोस्त की भूसी	487.52	
16	लखनऊ	59	चरस	88.6	
			कोकीन	2.98	
			गांजा	14,033.5	
			हेरोइन	3.53	
			इंजेक्शन		500
			मॉर्फिन	0.07	
			अफीम	132.63	
			पोस्त की भूसी	1,082.75	
			गोलियाँ	3.16	
17	मंदसौर	8	गांजा	432.67	
			अफीम	5.27	
			हेरोइन	1.46	
			पोस्त की भूसी	34.02	
18	मुंबई	39	एमफेटामाइन	4.9	
			सीबीसीएस	91.1	
			चरस	4.68	
			एफेड्रिन	4.41	
			गांजा	1,951.79	
			हेरोइन	4.48	
			मैथामफेटामाइन	0.87	
			मेफेड्रोन	50.68	
			मेथाक्वालोन	4.94	
			फेन्सिरेस्ट	47.2	
			गोलियाँ	11.46	
19	पटना	24	सीबीसीएस		32,463
			चरस	42.64	
			हशीश		
			गांजा	7,845.28	
			हेरोइन	0.8	
			अन्य मादक पदार्थ	1.42	
			मॉर्फिन	1.22	
			इंजेक्शन		2,862
20	रांची	4	गांजा	1,452.2	
कुल		**551**		**60,357**	**25,38,692**

* अनंतिम आंकड़े

8.107 दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान दोषसिद्धि के मामले

क्र. सं.	क्षेत्रीय इकाई	दोषसिद्धि का विवरण	
		दोषसिद्धि के मामलों की संख्या	दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या
01	अहमदाबाद	13	31
02	अमृतसर	9	15
03	बेंगलुरु	3	7
04	भुवनेश्वर	1	3
05	चंडीगढ़	4	9
06	चेन्नई	9	16
07	देहरादून	शून्य	शून्य
08	दिल्ली	शून्य	शून्य
09	गोवा	2	2
10	गोरखपुर	4	14
11	गुवाहाटी	2	2
12	हैदराबाद	शून्य	शून्य
13	इम्फाल	1	1
14	इंदौर	3	6
15	जयपुर	3	10
16	जम्मू	1	1
17	जोधपुर	3	6
18	कोच्चि	1	1
19	कोलकाता	7	9
20	लखनऊ	13	36
21	मंडी	2	4
22	मंदसौर	8	13
23	मुंबई	1	1
24	पटना	16	29
25	रांची	8	21
26	विशाखापटनम	3	10
	कुल	**117**	**247**

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

8.108 मादक पदार्थों के खतरे को समाप्त करने की दृष्टि से, भारत सरकार ने एनडीपीएस के अंतर्गत अवैध तस्करी से निपटने के लिए एक स्कीम– "स्वापक नियंत्रण हेतु राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता" शुरू की थी, ताकि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उनकी प्रवर्तन संबंधी क्षमताएं सुदृढ़ करने के प्रयास हेतु वित्तपोषण प्रदान किया जा सके।

8.109 यह योजना गृह मंत्रालय द्वारा 10 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट के साथ दिनांक 02.10.2004 को लागू की गई थी और यह 05 वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 31.03.2009 तक वैध थी। इस स्कीम को 15 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट के साथ आगे 05 वर्षों की अवधि के लिए वर्ष 2009–10 से वर्ष 2014–15 तक और पुनः 15 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट के साथ 03 वर्षों की अवधि के लिए वर्ष 2014–15 से वर्ष 2016–17 तक तथा 21 करोड़ रुपये के अनुमानित

बजट के साथ एक बार फिर वर्ष 2017—18 से वर्ष 2019—20 तक बढ़ा दिया गया था। इस स्कीम को पुलिस आधुनिकीकरण की केंद्र प्रायोजित अम्ब्रैला स्कीम के तहत सात स्कीमों में शामिल करके 50 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2021—22 से वर्ष 2025—26 तक पुनः आगे बढ़ा दिया गया है।

8.110 गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.01.2018 की फा. सं.I—12020/52/2017—एनसीबी—I के तहत इस स्कीम हेतु जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैः—

- ❖ निगरानी उपकरण
- ❖ प्रयोगशाला उपकरण
- ❖ मादक पदार्थों के परीक्षण के लिए उपकरण
- ❖ गश्त/निगरानी के लिए वाहन
- ❖ जांच के लिए उपकरण/सॉफ्टवेयर
- ❖ प्रवर्तन के लिए उपयोगी उपकरण

8.111 उप—स्कीम "स्वापक नियंत्रण हेतु राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता" को केंद्र प्रायोजित एक अम्ब्रैला स्कीम "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" से वर्ष 2021—22 से 2025—26 तक की अवधि के लिए "पुलिस अवसंरचनाः सीएपीएफ/सीपीओ और दिल्ली पुलिस की भवन परियोजनाएं", केंद्रीय सेक्टर की एक स्कीम में अंतरित करने के लिए वर्ष 2023 में सक्षम प्राधिकारियों का अनुमोदन प्रदान कर किया गया है।

8.112 योजना की अवधि पांच वर्षों (वर्ष 2021—22 से 2025—26) के लिए निधियों के वर्ष—वार परिव्यय का ब्यौराः—

वित्तीय वर्ष	**ईएफसी द्वारा अनुशंसित (करोड़ रुपए में)**
2021-22	05.00
2022-23	10.00
2023-24	10.00
2024-25	12.00
2025-26	13.00

वर्ष 2004 से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सहायता अनुदान का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष	**राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया अनुदान**
2004-05	99,99,490/-
2005-06	2,86,71,178/-
2007-08	1,47,86,400/-
2008-09	1,42,47,505/-
2009-10	1,42,50,000/-
2010-11	4,30,71,462/-
2011-12	2,91,42,824/-
2012-13	1,72,25,964/-
2013-14	92,81,280/-
2014-15	2,28,69,419/-
2015-16	1,49,88,617/-
2016-17	4,99,99,843/-
2017-18	4,99,99,917/-
2018-19	7,99,99,649/-
2019-20	4,77,31,729/-
2020-21	2,53,92,098/-
2021-22	**1,19,35,814/-**
2022-23	**2,36,22,232/-**
2023-24	**शून्य**

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

8.113 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन संबंधी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को सुगम बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों और मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय करता है। दिनांक 01.01.2023 से दिनांक 31.03.2024 के बीच, देशभर में ऐसे कुल 478 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। इन पाठ्यक्रमों में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और विभिन्न राज्य पुलिस, केंद्रीय/राज्य आबकारी विभागों, सीमा शुल्क, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), तटरक्षक और कुरियर एजेंसियों के लगभग 25,456 कार्मिकों का प्रशिक्षण शामिल था।

8.114 उपर्युक्त प्रयासों के अतिरिक्त, यह ब्यूरों मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले संगठनों (डीटीओ) द्वारा अपनाई जाने वाली नई रणनीतियों विशेष रूप से उनके आधुनिक साइबर प्रौद्योगिकी के कुशल प्रयोग की पहचान करता है। परिणामस्वरूप, ब्यूरो अपने अधिकारियों के साथ-साथ अन्य केंद्रीय/राज्य एजेंसियों के अधिकारियों की तकनीकी योग्यता और क्षमताओं को बढ़ाने में प्रयासरत रहा है। इसे प्राप्त करने के लिए, ब्यूरो ने डिजिटल फुटप्रिंट, साइबर और मोबाइल फॉरेंसिक, आसूचना के संग्रहण, सीसीटीवी फुटेज, ओपन सोर्स/सोशल मीडिया से साक्ष्य प्राप्त करने और डार्कनेट तथा क्रिप्टोकरेंसी की जांच जैसे क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पाठ्यक्रमों और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला प्रदान की है। दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान ऐसे 16 तकनीकी प्रशिक्षणों के माध्यम से कुल 1,169 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

8.115 माननीय केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में तीसरी शीर्ष स्तरीय एनसीओआरडी बैठक के अनुसरण में, एनसीबी ने राजस्व विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बीपीआरएंडडी, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नार्कोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन) और सीएपीटी के साथ समन्वय में केंद्रीय/राज्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों के विभिन्न रैंक के अधिकारियों के लिए एक प्रमुख मॉड्यूल और 05 प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए थे, ताकि डीएलईए को प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

8.116 इस कदम को आगे बढ़ाते हुए, एनसीबी ने अन्य एजेंसियों के समन्वय में इन मॉड्यूलों को संशोधित किया है और अधिकारियों को उभरते हुए खतरों के प्रति अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए डार्क-नेट एंड क्रिप्टो करेंसी पर नए सत्रों का समावेश किया है। बीपीआरएंडडी द्वारा भी इस उन्नयन का अनुमोदन किया गया है और एनसीबी द्वारा तदनुसार सभी हितधारक डीएलईएएस को संशोधित प्रशिक्षण मॉड्यूलों का प्रचार किया गया है।

एनसीबी द्वारा अन्य संगठनों के साथ समन्वय में एनसीबी के अधिकारियों के लिए आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं और सेमिनार

क्र. सं.	प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम/ कार्यशाला/सेमिनार का नाम	अवधि	के द्वारा आयोजित	कार्यक्रम का स्थान	प्रशिक्षुओं की सं.	प्रतिभागी
1.	"बीआईएसएजी (एन) के मोबाइल एप्लिकेशन और वेब पोर्टल का सर्वोत्तम उपयोग" पर प्रशिक्षण	(04 दिन) 31.01.2023 और 01.02.2023 से 03.02.2023	बीआईएसएजी (एन) के साथ समन्वय में एनसीबी	ऑनलाइन	678	राज्य पुलिस

2.	“क्लान लैब और केमिकल डायवर्जन प्रोग्राम” पर पाठ्यक्रम	(02 सप्ताह) 09.01.2023 से 20.01.2023	यूएस-डीईए के साथ समन्वय में एनसीबी	नई दिल्ली	30	एनसीबी अधिकारी
		(02 सप्ताह) 23.03.2023 से 03.02.2023			30	
3.	“हवाला और अन्य समान सेवा प्रदाता (एचओएसएसपी)” पर पाठ्यक्रम	(01 दिन) 05.04.2023	संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी), दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय कार्यालय (आरओएसए) के साथ समन्वय में एनसीबी	नई दिल्ली	44	एनसीबी अधिकारी
4.	“जांच तकनीक कार्यशाला” पर पाठ्यक्रम	(05 दिन) 24.04.2023 से 28.04.2023	संयुक्त राज्य होमलैंड सुरक्षा जांच (यूएस-एचएसआई) और एनसीबी	बैंगलुरु	24	एनसीबी अधिकारी
5.	“डिजिटल साक्ष्य और फॉरेंसिक” पर पाठ्यक्रम	(02 दिन) 03.05.2023 से 04.05.2023	राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन)	फरीदाबाद	01	एनसीबी अधिकारी
6.	"अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस)" पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम	(05 दिन) 15.05.2023 से 19.05.2023	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) मुख्यालय	नई दिल्ली	02	एनसीबी अधिकारी
7.	“क्लान लैब और केमिकल डायवर्जन प्रोग्राम” पर पाठ्यक्रम	(12 दिन) 12.06.2023 से 23.06.2023	संयुक्त राज्य मादक पदार्थ प्रवर्तन प्रशासन (यूएस-डीईए) के साथ समन्वय में एनसीबी	नई दिल्ली	26	राज्य पुलिस, एनडीआरएफ, और एनसीबी

8.	पदोन्नति-पूर्व प्रवेश पाठ्यक्रम (पहला बैच)	(03 सप्ताह) 31.07.2023 से 18.08.2023	एनसीबी मुख्यालय	नई दिल्ली	22	एनसीबी अधिकारी
9.	"क्रिप्टो-करेंसी और डार्कनेट जांच" पर पाठ्यक्रम	(05 दिन) 07.08.2023 से 11.08.2023	संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय)	नई दिल्ली	04	एनसीबी अधिकारी
10.	पदोन्नति-पूर्व प्रवेश पाठ्यक्रम (दूसरा बैच)	(03 सप्ताह) 18.09.2023 से 06.10.2023	एनसीबी मुख्यालय	नई दिल्ली	34	एनसीबी अधिकारी
11.	“एनसीओआरडी - एनडीपीएस के प्रभावशाली प्रवर्तन के लिए पुलिस की क्षमताओं को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण” पर पाठ्यक्रम	(06 दिन) 09.10.2023 से 14.10.2023	केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी	भोपाल	01	एनसीबी अधिकारी
12.	एनसीबी में नवनियुक्त सिपाहियों का प्रवेश पाठ्यक्रम	(06 सप्ताह) 23.10.2023 से 01.12.2023	दिल्ली पुलिस अकादमी, (डीपीए) वजीराबाद	नई दिल्ली	145	एनसीबी सिपाही
13.	एनसीबी में नवनियुक्त जेआईओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	(24 सप्ताह) 06.11.2023 से 29.03.2023	केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी), भोपाल के साथ समन्वय में एनसीबी	भोपाल, मध्य प्रदेश	98	एनसीबी जेआईओ
14.	जांच एजेंसियों के लिए प्रशिक्षकों का पहला आवासीय प्रशिक्षण (टीओटी) पाठ्यक्रम।	(05 दिन) 11.12.2023 से 15.12.2023	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)	एनएचआर सी, आईएनए दिल्ली	02	एनसीबी अधिकारी

15.	मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन के लिए तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन	(02 दिन) 01.02.2024 से 02.02.2024	सीएपीटी भोपाल	सीएपीटी भोपाल	02	एनसीबी अधिकारी
16.	"क्लान लैब और केमिकल डायवर्जन प्रोग्राम" पर पाठ्यक्रम	(01 सप्ताह) 12.02.2024 से 16.02.2024	संयुक्त राज्य मादक पदार्थ प्रवर्तन प्रशासन (यूएस-डीईए) के साथ समन्वय में एनसीबी	नई दिल्ली	26	राज्य पुलिस/ पुलिस बल/ एएनटीएफ

मांग में कमी

8.117 संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासभा ने दिसम्बर, 1987 में पारित एक संकल्प द्वारा प्रत्येक वर्ष 26 जून को "मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस" के रूप में घोषित किया था। इस घोषणा के अनुसरण में, यह दिन मादक पदार्थों के खतरे के प्रति जनता को जागरूक बनाने के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है। मादक पदार्थों के उपयोग की बुराई के बारे में जनता, विशेषकर छात्रों को जागरूक बनाने के लिए, एनसीबी मुख्यालय और इसकी जोनल इकाइयां विभिन्न राज्य स्वापक मादक पदार्थ–रोधी कार्यबलों, राज्य और केंद्रीय एजेंसियों, गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ मिलकर अनेक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

8.118 वर्ष 2023 में, दिनांक 12.06.2023 से 26.06.2023 तक "नशा मुक्त भारत" पखवाड़ा के रूप में एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें नशा विरोधी जागरूकता अभियान, ई–शपथ, नशा विरोधी जागरूकता प्रतियोगिता, हस्ताक्षर अभियान, संगोष्ठी/कार्यशाला/प्रशिक्षण, साइक्लेथॉन/ मैराथन/ बाइक रैली, नाटक/नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता और मादक पदार्थों का निपटान आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। 26 जून अर्थात 'नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस' के अवसर पर जन– जागरूकता पैदा करने के लिए इन उपर्युक्त कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। एनसीबी ने हमारे देश के युवाओं को प्रेरित करने और उन्हें नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए एनसीबी के आधिकारिक चैनल/हैंडल्स से यूट्यूब, ट्विटर आदि के माध्यम से एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया था। एनसीबी और इसकी फील्ड इकाइयों और इसके अधिकारियों ने आम जनता तक मादक पदार्थों के खिलाफ संदेश फैलाने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, एफएम रेडियो, टेलीविजन चैनलों का भी उपयोग किया।

8.119 माननीय प्रधानमंत्री के 'नशा मुक्त भारत' के विजन को पूरा करने के लिए रिपोर्ट की अवधि के दौरान, एनसीबी ने देश भर में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 500 जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, जिनमें कुल 8,27,319 प्रतिभागी शामिल हुए हैं।

8.120 एनसीबी ने राजनीति, नौकरशाही, खेल, फिल्म, संगीत आदि क्षेत्रों की प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा ऑडियो–वीडियो संदेशों को प्रसारित करके विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और साथ ही, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, एफएम रेडियो, टेलिविजन चैनलों आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान भी शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त, इस ऑनलाइन अभियान को एक व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री

और अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के ट्विटर हैंडल से मादक पदार्थ के दुरुपयोग–रोधी संदेश जारी किए गए। एनसीबी ने जन–जागरूकता फैलाने हेतु भारत के कॉर्पोरेट कार्यालयों से भी संपर्क साधा।

दिनांक 26.06.2023 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संदेश।

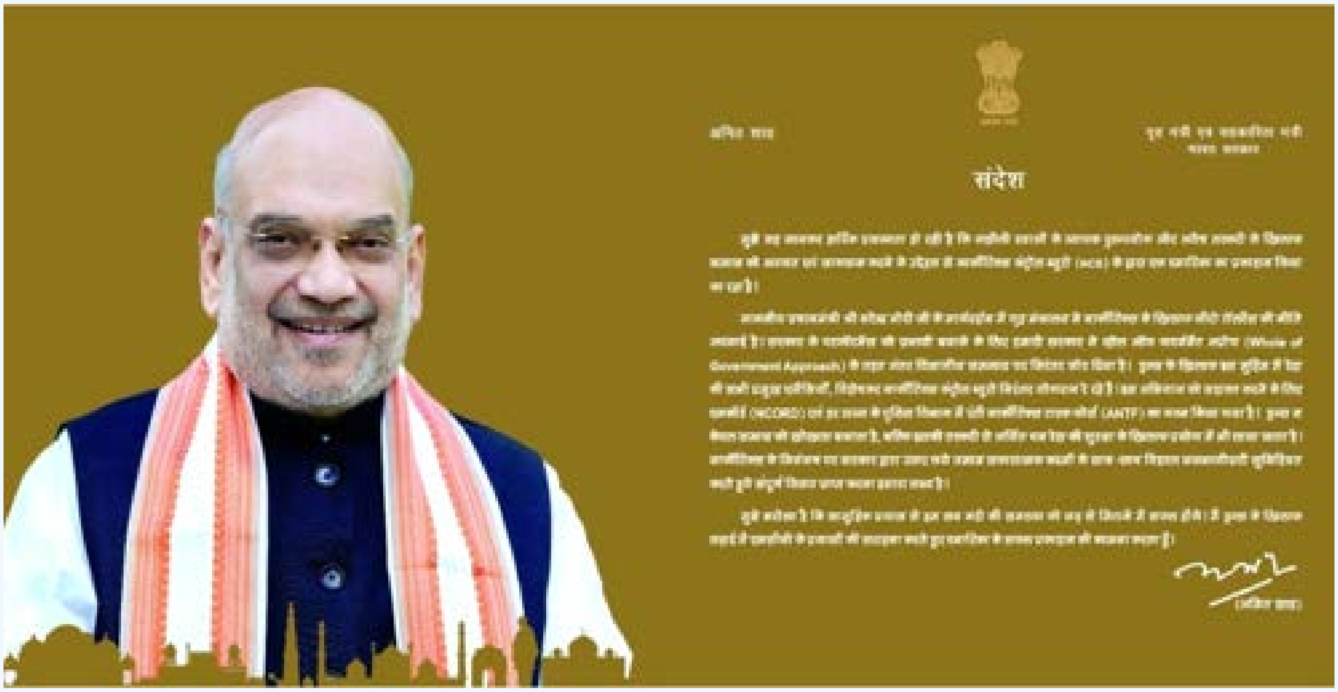

दिनांक 26.06.2023 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर माननीय गृह मंत्री द्वारा संदेश।

मादक पदार्थों के विरुद्ध ई–शपथ लेने से संबंधित पहल

8.121 मादक पदार्थ से संबंधित विधि प्रवर्तन की एक प्रमुख एजेंसी होने के अलावा, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को राज्य प्राधिकारियों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वय करके मादक पदार्थों के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से, वेबसाइट mygov.in पर "जिंदगी को हां और नशे को ना कहें" नामक एक ई–शपथ अपलोड की गई थी। इस शपथ का उद्देश्य, नागरिकों के बीच मादक पदार्थों के बुरे प्रभावों का संदेश फैलाना है ताकि वे भारत को नशामुक्त राष्ट्र बनाने और एक स्वस्थ जीवन जीने के अपने संकल्प का प्रदर्शन कर सकें। ई–शपथ का लिंक नीचे दिया गया है:–**https://pledge.mygov.in/fightagainstdrugabuse/"**

8.122 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय जैसे विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सीएपीएफ और पुलिस एवं अन्य संबद्ध एजेंसियों सहित राज्य प्राधिकरणों को इस ई–शपथ के बारे में जागरूक किया गया था और साथ ही उनसे यह सूचना शैक्षणिक संस्थानों सहित पूरे समाज में आगे फैलाने का अनुरोध किया गया ताकि मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक जन आंदोलन चलाया जा सके। अब तक, 43.20 लाख से अधिक लोगों ने मादक पदार्थों के विरुद्ध यह ई–शपथ ली है।

नार्को समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी)

8.123 गृह मंत्रालय ने दिनांक 29.07.2019 के आदेश और बाद में दिनांक 05.12.2019 एवं 25.06.2020 के संशोधनों द्वारा एनसीओआरडी तंत्र का पुनर्गठन किया है। इसके अलावा, नीतिगत मामलों में बेहतर समन्वय के साथ–साथ क्षेत्रीय स्तर के मुद्दों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय के दिनांक 25.03.2022 के आदेश और दिनांक 23.09.2022 के परिशिष्ट द्वारा वर्तमान एनसीओआरडी तंत्र में संशोधन किया गया है। गृह मंत्रालय ने अपने आदेशों के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों यथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसएंडडब्ल्यू), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (एमओसीएंडएफ), फार्मास्यूटिकल्स विभाग, सीबीआईटी, भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक, डीसीजीआई, एनसीआरबी, एनआईए, डीआरआई, एनएमएससी, एनएससीएस, एनटीआरओ, ईडी को शीर्ष, कार्यकारी, राज्य और जिला जैसे विभिन्न स्तरों पर एनसीओआरडी की समितियों में शामिल किया है।

एनसीओआरडी तंज

* 4– स्तरीय समन्वय तंत्र (वर्ष 2019 से लागू, बाद में गृह मंत्रालय के दिनांक 25.03.2022 के आदेश के तहत संशोधित)
* महानिदेशक, एनसीबी के अधीन एवं एनसीओआरडी

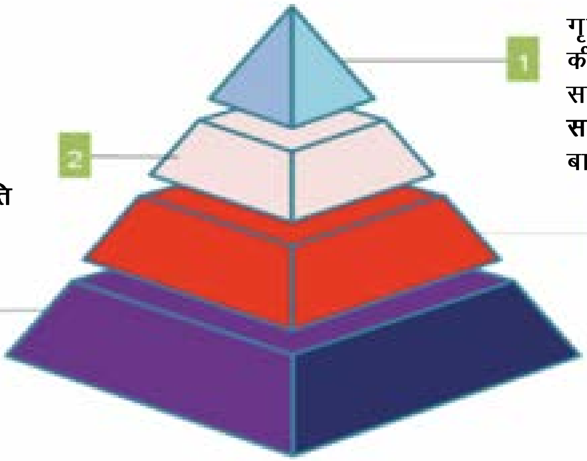

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, (1) दिनांक 09.10.2023 को नॉर्थ ब्लॉक, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में छठी शीर्ष स्तरीय एनसीओआरडी बैठक आयोजित की गई।

छठी शीर्ष स्तरीय एनसीओआरडी बैठक

8.124 रिपोर्ट की अवधि के दौरान, कार्यकारी समिति स्तर की बैठकें अर्थात् (1) विशेष सचिव, आंतरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 24.01.2023 को गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में एनसीओआरडी की कार्यकारी स्तर की चौथी बैठक और (2) विशेष सचिव, आंतरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में

दिनांक 22.08.2023 को गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में एनसीओआरडी की कार्यकारी स्तर की 5वीं बैठक आयोजित की गई

एनसीओआरडी की कार्यकारी स्तरीय समिति की 5वीं बैठक

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, एनसीओआरडी की मासिक बैठकें आयोजित की गईं, अर्थात 24वीं मासिक एनसीओआरडी बैठक दिनांक 14.02.2023 को, 25वीं मासिक एनसीओआरडी बैठक दिनांक 28.06.2023 को, 26वीं मासिक एनसीओआरडी बैठक दिनांक 15.09.2023 को और 27वीं मासिक एनसीओआरडी बैठक दिनांक 10.11.2023 को महानिदेशक, एनसीबी की अध्यक्षता में हुई।

24वीं मासिक एनसीओआरडी बैठक

27वीं मासिक एनसीओआरडी बैठक

उपर्युक्त के अलावा, रिपोर्ट की अवधि के दौरान, इक्यावन (51) राज्य स्तरीय एनसीओआरडी बैठकें और दो हजार आठ सौ दस (2,810) जिला स्तरीय एनसीओआरडी बैठकें भी आयोजित की गईं।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्वापक मादक पदार्थ–रोधी कार्यबल (एएनटीएफ) के प्रमुखों का 01 राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया– (1) दिनांक 19.04.2023 से 20.04.2023 तक नई दिल्ली में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के स्वापक मादक पदार्थ–रोधी कार्यबल (एएनटीएफ) के प्रमुखों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्वापक मादक पदार्थ–रोधी कार्यबल (एएनटीएफ) के प्रमुखों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन

8.125 रिपोर्ट की अवधि के दौरान, दक्षिणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और उत्तरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर 02 क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए – (1) दिनांक 24.03.2023 को दक्षिणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा नामक विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन (2) उत्तरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा नामक विषय पर दिनांक 17.07.2023 को नई दिल्ली में क्षेत्रीय सम्मेलन।

दिनांक 24.03.2023 को बेंगलुरु में दक्षिणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा नामक विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन

दिनांक 17.07.2023 को नई दिल्ली में उत्तरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा नामक विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन

राष्ट्रीय परिसंपत्ति के रूप में एक राष्ट्रीय नारकोटिक्स कैनाइन पूल (एनएआर—के9) का सृजन

8.126 एनसीबी ने आरम्भिक रूप से 03 एनसीबी स्थानों अर्थात् दिल्ली, चंडीगढ़ और इम्फाल में राष्ट्रीय परिसंपत्ति के रूप में राष्ट्रीय नारकोटिक्स कैनाइन पूल भी बनाया है, जिसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 30—31 जुलाई, 2022 को चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किया गया था।

8.127 पहले चरण में, बीएसएफ, एसएसबी और असम राइफल्स एनसीबी को क्रमशः 10, 08 और 02 नारकोटिक्स डिटेक्शन डॉग और अटैचमेंट/प्रतिनियुक्ति के आधार पर आनुपातिक संख्या में डॉग हैंडलर/सहायक डॉग हैंडलर प्रदान करने पर सहमत हुए। तदनुसार, बीएसएफ ने पहले ही एनसीबी की चंडीगढ़, बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई और चेन्नई इकाइयों में 10 श्वानों और 14 हैंडलरो के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। एसएसबी ने एनसीबी की दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी और जम्मू इकाइयों में 08 श्वानों और 12 हैंडलर के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। असम राइफल्स ने एनसीबी की इम्फाल इकाई के लिए 02 श्वानों और 03 हैंडलर के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है।

8.128 वर्तमान में एनसीबी के 10 स्थानों में विभिन्न सीएपीएफ से प्रत्येक स्थान पर 02 कैनाइन अटैचमेंट पर रखे गए हैं। संबंधित स्थान के क्षेत्रीय निदेशकों को उन अटैच कैनाइन के डे—ऑपरेशन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जब कभी कोई आवश्यकता और अपेक्षा होती है तो उन्हें उक्त स्थान के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक द्वारा क्षेत्रीय ड्यूटी पर भेजा जाता है।

मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र (मानस)—

8.129 दिनांक 27.12.2022 को आयोजित एनसीओआरडी की तीसरी शीर्ष समिति की बैठक के दौरान, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एक राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन स्थापित करने का निदेश दिया था, जो 24x7 समर्पित टोल—फ्री राष्ट्रीय नार्कोटिस्क कॉल सेंटर होगा। तदनुसार, मानस की एक एकीकृत प्रणाली के रूप में परिकल्पना की गई है, जिससे नागरिकों को मादक पदार्थों से संबंधित मुद्दें/समस्याएं कॉल, एसएमएस, चैट—बोट, ई—मेल और बेव—लिंक जैसे संचार के विभिन्न माध्यमों से लॉग, रजिस्टर, ट्रैक करने और उनका समाधान प्राप्त करने हेतु एक एकल मंच (सिंगल प्लेटफार्म) प्राप्त हुआ है।

8.130 **मानस — राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन** की फुलफार्म मादक—पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र है। **मानस** (राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, गृह मंत्रालय भारत सरकार की पहल है, जिसमें भारत के नागरिकों को एक मंच प्रदान किया गया है जहां पर एनडीपीएस अधिनियम और संबंधित अधिनियमों तथा नियमों के तहत मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों से संबंधित गोपनीय जानकारियां सूचनाकर्ता की पहचान प्रकट किए बिना सुरक्षित रूप में साझा की जा सकती हैं। इस प्लेटफार्म का उपयोग नागरिकों द्वारा मादक पदार्थों के दुरुपयोग के निवारण और मादक पदार्थों का उपयोग करने वालों के उपचार तथा पुनर्वास के संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है। नागरिकों से प्राप्त सूचना और शिकायतों का निराकरण संबंधित स्टेकहोल्डरों के माध्यम से किया जाएगा। यह एक एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसमें नागरिकों को अपनी शिकायतें लॉग, मॉनीटर और रजिस्टर करने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। नागरिक कॉल, एसएमएस, चैटबोट, ई—मेल और वेबसाइट के माध्यम से सूचना और शिकायत का निराकरण होने तक शेयर, रजिस्टर और ट्रैक कर सकते हैं।

8.131 एनसीबी से भारत के डिजिटल कॉर्पोरेशनल के माध्यम से एक राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन अर्थात्, मानस—राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन शुरू करने की

अपेक्षा है। 24x7 टोल फ्री राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन (डैशबोर्ड और मानस पोर्टल) का विकास कार्य अंतिम चरण में है। इसका उपयोग एनसीबी, एनडीपीएस अधिनियम, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ के दुरुपयोग और मादक पदार्थ पुनर्वास पद्धतियों, नशामुक्ति केंद्रों और परामर्श के संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में किया जा सकता है।

8.132 अंतरराष्ट्रीय दायित्व / समन्वय

- संदर्भ अवधि के दौरान, एनसीबी, भारत द्वारा वर्ष 2023 में एससीओ की भारतीय अध्यक्षता के अंतर्गत शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन (एससीओ) सदस्य राष्ट्रों की निम्नलिखित बैठकों की मेजबानी की गई:

क्र.सं.	बैठक का नाम	स्थान	तारीख
1.	प्रिकर्सर नियंत्रण पर एससीओ विशेषज्ञ कार्यसमूह	नई दिल्ली (वर्चुअल)	18.01.2023
2.	विधि प्रवर्तन और मादक पदार्थ संबंधी अपराध पर एससीओ विशेषज्ञ कार्यसमूह	नई दिल्ली (वर्चुअल)	15.02.2023
3.	मादक पदार्थ-रोधी एजेंसियों के एससीओ वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक	नई दिल्ली	11 और 12 अप्रैल, 2023
4.	एससीओ सदस्य राष्ट्रों के सक्षम प्राधिकरणों के प्रमुखों की बैठक	नई दिल्ली	13.04.2023

- इसके अतिरिक्त, एनसीबी, भारत ने 11 से 13 अक्टूबर, 2023 को नई दिल्ली में आईएनसीबी प्रिकर्सर कार्यबल की बैठक की मेजबानी भी की है, जिसमें 16 देशों और यूएनओडीसी, आईएनसीबी और यूरोपियन मिशन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया।

- मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन अधिकारियों और एजेंसियों की क्षमता निर्माण के लिए, एनसीबी, भारत अन्य देशों के मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन अधिकारियों हेतु कार्यशालाएं/ सेमिनार/ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। संदर्भ अवधि के दौरान, एनसीबी, भारत ने विदेशी मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन अधिकारियों के लिए निम्नलिखित 04 प्रशिक्षण/कार्यशाला/ सेमिनार आयोजित किए हैं:

क्र.सं.	बैठक का नाम	स्थान	तारीख
1.	बांग्लादेश के 25 मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन अधिकारियों के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनएसीआईएन, फरीदाबाद	9 से 13 जनवरी, 2023.
2.	कोलम्बो सुरक्षा संगोष्ठी (सीएससी) सदस्य देशों के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण	एनसीबी मुख्यालय	06 से 10 फरवरी, 2023
3.	एससीओ सदस्य राष्ट्रों के लिए "बी2बी प्लेटफार्म के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी और इसकी रोकथाम संबंधी उपायों" पर सेमिनार	नई दिल्ली	28 फरवरी, 2023
4.	पीडीआई, चिली के लिए मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्यशाला का आयोजन	नई दिल्ली	14-15 सितम्बर, 2023

इसके अतिरिक्त, संदर्भ अवधि के दौरान, एनसीबी अधिकारियों ने आईएनसीबी, यूएनओडीसी और आसियान जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा यूएसए, किर्गिस्तान आदि अन्य देशों द्वारा आयोजित की जा रही 60 अंतरराष्ट्रीय बैठकों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सम्मेलनों में भाग लिया, जिसका ब्यौरा **अनुलग्नक–X** के रूप में संलग्न है।

- मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए सहयोग प्राप्त करने और उसके आदान–प्रदान की दृष्टि से भारत के अन्य देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं और भारत ने मादक पदार्थों से संबंधित मामलों पर अन्य देशों के साथ 45 द्विपक्षीय समझौतों (बीए) और समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका ब्यौरा **अनुलग्नक–XI** के रूप में संलग्न है। संदर्भ अवधि के दौरान, स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और प्रिकर्सर रसायनों तथा संबंधित सामग्रियों की अवैध तस्करी की रोकथाम के संबंध में, दिनांक 14.06.2023 को एनसीबी, भारत और एनडीएलईए, नाइजीरिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए क्यूबा, चिली, तंजानिया, कतर, मालटा, किर्गिज गणराज्य आदि के साथ 15 एमओयू/बीए को अंतिम रूप प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है।

- इंडोनेशिया, ईरान, सिंगापुर, श्रीलंका, म्यांमार, यूएसए आदि के साथ एनसीबी, भारत नियमित रूप से महानिदेशक (बीजी) स्तरीय/द्विपक्षीय वार्ताओं का आयोजन भी कर रहा है। भारत ने नेपाल और थाईलैंड के साथ द्विपक्षीय वार्ता आयोजित करने के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। संदर्भ अवधि के दौरान, एनसीबी ने यूएसए, इंडोनेशिया और म्यांमार के साथ डीजी स्तर की द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया है।

*****

अध्याय–9
आपदा प्रबंधन

सिंहावलोकन

9.1 भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण–पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण–पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा होने के कारण, दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में इसकी छह देशों के साथ भू–सीमाएं और चार देशों के साथ समुद्री सीमाएं लगती हैं। अलग–अलग कृषिगत जलवायु और जलीय मौसम विज्ञानी जैव मंडल के साथ–साथ पर्वतों, समतल भूमि और तराई की विविधता होने के कारण, भारत प्राकृतिक आपदाओं और मानव जनित आपदाओं के प्रति प्राकृतिक रूप से सुभेद्य एवं संवेदनशील है। सामान्य रूप से होने वाली प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, बादल फटना, लू चलना, भू–स्खलन, मृदा–स्खलन, हिम–स्खलन, वन में आग, समुद्री तट कटाव और जल भराव, सुनामी, बिजली गिरना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, विश्व में किसी अन्य देश की तरह, भारत रासायनिक, जैविक, रेडियोएक्टिव और आणविक आपात स्थितियों जैसी नई और उभरती हुई आपदाओं के प्रति भी संवेदनशील है। मानव–जनित आपदाओं में आतंकवाद, रेलवे/सड़क/हवाई दुर्घटनाएं और भगदड़ भी नए आयाम हैं।

9.2 जनसांख्यिकीय परिवर्तन और सामाजिक–आर्थिक स्थितियों, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मानव बस्ती सहित तेजी से शहरीकरण, पर्यावरण क्षति, जलवायु परिवर्तन, मानव प्रवासन और पशु व्यापार के कारण उत्पन्न महामारी एवं वैश्विक महामारी इत्यादि के परिणामस्वरूप भारत में आपदा का जोखिम और अधिक बढ़ गया है। प्राकृतिक और मानव–जनित दोनों आपदाएं हमेशा भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी जनसंख्या और सतत् विकास के राष्ट्रीय प्रयासों पर प्रभाव डालती हैं।

केन्द्र और राज्य सरकारों की भूमिका

9.3 आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2009 के अनुसार, आपदा के समय बचाव, राहत और पुनर्वास उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के मामले में लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। लॉजिस्टिक सहायता में वायुयानों, नावों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), सशस्त्र बलों के विशेष दलों एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती करना; चिकित्सीय भंडारों सहित राहत सामग्री और जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था करना; ऊर्जा एवं संचार नेटवर्क सहित अत्यावश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की बहाली करना; तथा हालात से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा अपेक्षित अन्य सहायता प्रदान करना शामिल है।

9.4 सरकार ने आपदा प्रबंधन के प्रति अपने दृष्टिकोण में आदर्शवादी परिवर्तन लाकर राहत–केन्द्रित दृष्टिकोण के बजाय समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन के पूरे परिवेश, रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, कार्रवाई, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास आदि को सम्मिलित किया गया है। यह दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि विकास की निरंतरता तब तक नहीं रह सकती है, जब तक कि आपदा न्यूनीकरण को विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाए।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

9.5 भारत सरकार ने आपदाओं और उससे संबंधित अथवा उनके अनुषंगी विषयों के प्रभावी प्रबंधन हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (डीएम अधिनियम, 2005) को अधिनियमित किया था। इसमें आपदा प्रबंधन की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र बनाने एवं उसकी मॉनिटरिंग करने, आपदाओं के प्रभाव को रोकने और उन्हें कम करने के लिए सरकार के विभिन्न विंगों द्वारा उपाय सुनिश्चित करने तथा आपदा की किसी भी परिस्थिति में तत्काल कार्रवाई किये जाने हेतु प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम के कार्यान्वयन में अवरोधों/ अड़चनों के बारे में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, गृह मंत्रालय ने विद्यमान अधिनियमों और विश्व में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का अध्ययन करने के लिए एक कार्य बल का गठन किया था, ताकि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की समीक्षा की जा सके। मंत्रालय द्वारा कार्य बल की सिफारिशों पर कुछ प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। तथापि, यह निर्णय लिया गया कि प्राकृतिक आपदाओं के साथ–साथ कोविड–19 वैश्विक महामारी और मानव–जनित आपदाओं (जैसे कि मार्च, 2022 में एलजी पोलिमर्स इंडिया प्रा.लि., विशाखापट्नम, आंध्र प्रदेश में गैस रिसाव से उत्पन्न एक घटना) जैसी स्वास्थ्य संबंधी आपदाओं तथा आग संबंधी आपदाओं की रोकथाम, उपशमन, उनसे निपटने की तैयारी और कार्रवाई जैसे विभिन्न पहलुओं की जांच करके आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी। इसलिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की संपूर्ण समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो इस मंत्रालय में विचाराधीन है।

गृह मंत्रालय द्वारा बचाव और राहत अभियान का समन्वय

9.6 प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, शीतलहर, ओलावृष्टि और कीट हमला, जिसकी देखरेख कृषि मंत्रालय द्वारा की जाती है, को छोड़कर) के प्रबंधन के लिए भारत सरकार की ओर से गृह मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है।

9.7 प्रत्येक आपदा की स्थिति से कुशल एवं प्रभावशाली ढंग से निपटने हेतु प्रभावित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, गृह मंत्रालय का आपदा प्रबंधन प्रभाग भारत सरकार की ओर से समय पर सुविधा प्रदान करने हेतु लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करके देश में आपदा और आपदा जैसी स्थिति की गहन निगरानी करता है। इस उद्देश्य के लिए, एक ओर प्रभावित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ और दूसरी ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रक्षा, नागर विमानन, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, विद्युत, दूरसंचार जैसे संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ गहन संपर्क स्थापित किया जाता है।

9.8 भारत ने अपने सतत प्रयासों से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की अपनी तैयारी में अत्यधिक सुधार किया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में विकास आयोजना की प्रक्रिया में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) की योजनाओं को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय योजना में एक सुरक्षित और आपदा–रोधी भारत का निर्माण करने की कोशिश की गई है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों से आपदा प्रबंधन की पद्धतियों, आपदा से निपटने की तैयारी, रोकथाम और कार्रवाई तंत्र में काफी सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप देश में चक्रवातों और बाढ़ों सहित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान होने वाली मौतों में भारी कमी हुई है।

9.9 आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए किसी भी आपात स्थिति की दशा में समय पर कार्रवाई के महत्व को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय ने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफार्म के रूप में एक ग्रुप बनाया है। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों,

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, पूर्व–चेतावनी एजेंसियों, मोचक बलों के अधिकारी इस ग्रुप के सदस्य हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूर्व चेतावनी/सावधानियों को समय पर जारी करने और बचाव एवं राहत के प्रयासों का समन्वय करने में यह ग्रुप अधिक सहायक सिद्ध हुआ है।

9.10 दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान, गृह मंत्रालय ने अनेक बचाव एवं राहत अभियानों का समन्वय किया है। दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक देश के विभिन्न भागों में आई बड़ी आपदाओं और गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कार्रवाई तंत्रों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क. दक्षिण–पश्चिमी मानसून से निपटने की तैयारी

9.11 विशेष तौर पर दक्षिण–पश्चिम मानसून, 2023 के संदर्भ में की गई तैयारी की समीक्षा करने और देश में आपदा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभागों के राहत आयुक्तों/सचिवों का वार्षिक सम्मेलन दिनांक 09.05.2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बेहतर तैयारी करने की सलाह दी गई थी। इस सम्मेलन का उद्‌घाटन सचिव, सीमा प्रबंधन, गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था।

9.12 इस सम्मेलन में सशस्त्र बलों और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के साथ–साथ राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), रक्षा भू–सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (डीजीआरई), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो), जीएसआई और अन्य वैज्ञानिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

ख. वर्ष 2023 के दौरान बाढ़/मानसून की स्थिति

9.13 दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान, बाढ़ों/भू–स्खलनों/भारी वर्षा से प्रभावित देश के विभिन्न भागों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में पर्याप्त संख्या में एनडीआरएफ टीमें तैनात की गईं। एनडीआरएफ की टीमों ने 6,135 व्यक्तियों को बचाया, 39,464 व्यक्तियों और 2,650 मवेशियों को सुरक्षित बचाकर निकाला, 50 शव बरामद किए और 934 जरूरतमंद लोगों को चिकित्सकीय सहायता प्रदान की तथा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को राहत सामग्री का वितरण करने में मदद की।

9.14 बाढ़ की स्थिति की गृह मंत्रालय में उच्च स्तर पर चौबीसों घंटे (24x7) निगरानी की गई थी। गृह मंत्रालय ने बचाव और राहत प्रयासों के लिए तथा साथ ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की आवश्यकता के समय वहां बचाव और राहत ऑपरेशन चलाने के लिए एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना, नौसेना और भारतीय तटरक्षक के संसाधनों को वहां तैनात करने/मोबिलाइज करने के कार्य का समन्वय किया।

ग. चक्रवात

(i) अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान **'बिपरजॉय'** (05–15 जून, 2023)

9.15 एक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान "बिपरजॉय" ने 125–135 किमी. प्रति घंटे से 145 किमी. प्रति घंटे की लगातार तेज हवाओं के साथ दिनांक 15.06.2023 को जखाऊ बंदरगाह (गुजरात) के निकट मांडवी (गुजरात) तथा कराची (पाकिस्तान) के बीच सौराष्ट्र और कच्छ को पार किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा की गई

अग्रिम चेतावनियों के आधार पर, राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर गुजरात राज्य सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के लिए व्यापक तैयारी की गई। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी), केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) और स्वास्थ्य, विद्युत, पोत परिवहन जैसे संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा इस स्थिति की केंद्रीय स्तर पर गहन निगरानी की गई। माननीय प्रधानमंत्री ने 12.06.2023 को एक उच्च–स्तरीय बैठक बुलाई और "जीरो कैजुअलिटी" और न्यूनतम संभावित क्षति का लक्ष्य हासिल करने के लिए उच्चकोटि की तैयारी करने तथा प्रत्येक नागरिक, मवेशी और वन्य जीवन की सुरक्षा एवं देखभाल सुनिश्चित करने पर बल दिया।

9.16 "चक्रवात बिपरजॉय" जिसके फलस्वरूप दिनांक 15.06.2023 को गुजरात राज्य में भूस्खलन पैदा हुए, के दौरान सभी संबंधित स्टेक होल्डरों द्वारा सभी स्तरों पर कुशल समन्वय, सहयोग, सामंजस्यपूर्ण, संयुक्त आयोजना और प्रयासों के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए जाने से जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य हासिल हुआ। यह ओडिशा में वर्ष 1999 के सुपर साइक्लोन, जिसमें 10,000 से अधिक कीमती जानें गईं थीं, के बाद एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

(ii) मिचौंग

9.17 भीषण चक्रवाती तूफान "मिचौंग" ने 4–5 दिसम्बर, 2023 को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को प्रभावित किया। इसने इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सार्वजनिक और निजी अवसंरचना को अलग–अलग मात्रा में नुकसान और क्षति पहुंचाई। इन राज्यों के कई इलाके जलमग्न हो गए, जिससे मौजूदा खड़ी फसलें प्रभावित हुई। चक्रवाती तूफान मिचौंग के लिए आवश्यक राहत के प्रबंधन में राज्य सरकारों की सहायता करने की दृष्टि से, गृह मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के लिए 493.60 करोड़ रुपये और तमिलनाडु के लिए 450 करोड़ रुपये के रूप में एसडीआरएफ की दूसरी किस्त का केंद्रीय शेयर अग्रिम तौर पर जारी किया। केंद्र सरकार दोनों राज्यों को इसी राशि की पहली किस्त पहले ही जारी कर चुकी थी। प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में एनडीआरएफ की कुल 35 टीमें तैनात की गईं थी। गृह मंत्रालय ने केंद्र और राज्य के सभी स्टेकहोल्डरों के साथ गहन समन्वय से बचाव ऑपरेशन की निगरानी की।

9.18 श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों की एक टीम के साथ दिनांक 07.12.2023 को चेन्नई और उसके आस–पास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। तत्पश्चात, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री, तमिलनाडु, अन्य मंत्रियों और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक करके उक्त स्थिति तथा साथ ही राज्य प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किए गए राहत एवं बचाव संबंधी प्रयासों की समीक्षा की।

घ. लुधियाना, पंजाब में गैस रिसाव की घटना

9.19 दिनांक 30.04.2023 को सुबह लगभग 07:30 बजे लुधियाना शहर, जिला लुधियाना, पंजाब के पूर्वी भाग में सुआ रोड, ग्यासपुर के औद्योगिक क्षेत्र में गैस रिसाव की एक घटना हुई, जिसके परिणामस्वरूप निकटवर्ती निवासियों और पालतू जानवरों में घुटन से बैचेनी होने लगी। तत्काल एनडीआरएफ की सीबीआरएन टीम को तैनात किया गया और उन्होंने स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए विशेष कार्रवाई की। गृह मंत्रालय ने केंद्र और राज्य के सभी स्टेकहोल्डरों के साथ गहन समन्वय से बचाव ऑपरेशन की निगरानी की।

ङ. बालासोर में रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की दुर्घटना

9.20 दिनांक 02.06.2023 को तीन रेलगाड़ियों अर्थात् दो यात्री रेलगाड़ी और एक मालगाड़ी की एक भीषण दुर्घटना हुई। परिणामस्वरूप, कुल 17 डिब्बे पटरी से उतर गए। तलाशी और बचाव प्रयासों में राज्य प्रशासन की मदद करने के लिए सेना और वायु सेना

की टीमों के साथ–साथ एनडीआरएफ की कुल 09 टीमें तैनात की गईं। गृह मंत्रालय ने केंद्र और राज्य के सभी स्टेकहोल्डरों के साथ गहन समन्वय से बचाव ऑपरेशन की निगरानी की।

च. हिमाचल प्रदेश में भू–स्खलन और बादल फटना

9.21 राज्य में दक्षिण–पश्चिमी मानसून के दौरान अगस्त के महीने में भू–स्खलन की कुल 17 और बादल फटने की 06 घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई। हिमाचल प्रदेश राज्य में बचाव और राहत ऑपरेशनों के लिए एनडीआरएफ की 08 टीमें तैनात की गईं। एनडीआरएफ द्वारा 14 शव बरामद किए गए और 51 जाने बचाई गईं।

छ. सिक्किम में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) से आई तेज बाढ़

9.22 दिनांक 04.10.2023 को ढलान टूटने/ जीएलओएफ/तेज बाढ़ से तीस्ता नदी के पानी में अचानक तेज बहाव आने की वजह से सिक्किम के नामची, गंगटोक, मनगन और पाक्योंग जिले बुरी तरह प्रभावित हुए। गृह मंत्रालय ने केंद्र और राज्य के सभी स्टेकहोल्डरों के साथ गहन समन्वय से बचाव ऑपरेशन की निगरानी की। बचाव ऑपरेशन के दौरान सभी स्टेकहोल्डरों के द्वारा किए गए प्रयासों से कुल 2,563 लोगों को रेस्क्यू किया गया और 5,665 व्यक्तियों को आपदा से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस तबाही के बाद, केंद्रीय गृह सचिव ने एनडीएमए को "आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर)" के लिए एक समन्वित तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया। इसलिए, एनडीएमए ने भारत सरकार के आपदा से जुड़े सभी वैज्ञानिक संस्थानों के लिए "आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति (सीओडीआरआर)" नामक एक समन्वयकारी मंच शुरू किया। सीओडीआरआर का उद्देश्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आईएचआर) में उच्च–जोखिम वाली हिम झीलों का पता लगाना और ऐसी झीलों के जोखिम का शमन करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नेतृत्व वाले प्रयासों का समन्वय करना था। एक जीएलओएफ जोखिम शमन परियोजना भी उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विचाराधीन है, जहां हिम झीले स्थित हैं।

ज. उत्तराखंड में सिल्कयारा सुरंग ढहना

9.23 उत्तराखंड, भारत के उत्तरकाशी जिले में सिल्कयारा बैंड–बारकोट सुरंग, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग 134 से जोड़ने की योजना थी, का एक हिस्सा दिनांक 12.11.2023 को निर्माण के दौरान ढह गया। 41 मजदूर सुरंग के भीतर फंस गए। फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बचाने में विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की मदद करने के लिए सेना और वायु सेना की टीमों के साथ–साथ एनडीआरएफ की कुल 02 टीमें तैनात की गईं। फंसे हुए सभी 41 मजदूरों को सभी स्टेकहोल्डरों के प्रयासों से सुरंग के भीतर से सफलतापूर्वक बचा लिया गया।

इस वर्ष के दौरान आपदाओं से हुई क्षति

9.24 वर्ष 2023–24 (दिनांक 31.03.2024 तक) के दौरान, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने चक्रवाती तूफानों/अचानक तेज बाढ़/बाढ़ों/ भू–स्खलनों/ बादल फटने आदि से विभिन्न मात्रा में हुई क्षति की सूचना दी है। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं– आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और दादरा एवं नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र। वर्ष 2023–24 (दिनांक 31.03.2024 तक) के दौरान, देश में क्षति की मात्रा (अनंतिम) निम्नानुसार है:

मृत व्यक्तियों की सं.	2,616
प्रभावित हुए मवेशियों की सं.	1,01,253
क्षतिग्रस्त हुए घर (पूर्णतः और आंशिक)	1,16,159
प्रभावित हुए फसल वाले क्षेत्र (लाख हेक्टे. में)	8.07 लाख हेक्टे. (लगभग)

वित्तीय तंत्र

9.25 राहत संबंधी व्यय का वित्तपोषण क्रमिक वित्त आयोगों (एफसी) की सिफारिशों पर आधारित होता है। 14वें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से सहायता प्राप्त करने के लिए हिमस्खलन, चक्रवात, बादल फटने, सूखे, भूकंप, सुनामी, आगजनी, बाढ़, ओलावृष्टि, भू–स्खलन, कीट हमलों और शीतलहर/पाला पड़ने को प्राकृतिक आपदा माना जाए। 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इन 12 आपदाओं की सूची में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है। भारत सरकार ने दिनांक 12.01.2022 को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के गठन तथा प्रशासन के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश और मानदंड गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

9.26 15वें वित्त आयोग (एफसी) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और केन्द्र सरकार ने आपदा जोखिम प्रबंधन पर उनके द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। आयोग ने राज्य–वार आवंटनों के लिए एक नई पद्धति बनाई थी, जिसने व्यय आधारित पद्धति का स्थान ले लिया है। यह नई पद्धति क्षमता (व्यय के माध्यम से यथा प्रदर्शित), जोखिम का सामना (क्षेत्र और जनसंख्या), खतरे और संवेदनशीलता (जोखिम सूचकांक) का एक मिश्रण है।

9.27 पूर्ववर्ती वित्त आयोगों से हटकर, 15वें वित्त आयोग ने "राज्य आपदा जोखिम शमन निधि (एसडीआरएमएफ)" और "राष्ट्रीय आपदा जोखिम शमन निधि (एनडीआरएमएफ)" नामक दो निधियों की सिफारिश की थी। एसडीआरएमएफ में दो घटक अर्थात् एसडीआरएफ और राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) शामिल होंगे, जिसमें क्रमशः 80% और 20% के अनुपात में आवंटन होगा। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021–26 की अवार्ड अवधि के दौरान राज्यों को राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) के अंतर्गत कुल 1,60,153 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। इसमें से, केंद्र का अंश 1,22,601 करोड़ रुपये है और राज्य का अंश 37,552 करोड़ रुपये है।

9.28 1,60,153 करोड़ रुपये में से, एसडीआरएफ का अंश 80 प्रतिशत (अर्थात् 1,28,122 करोड़ रुपये) और एसडीएमएफ का अंश 20 प्रतिशत (अर्थात् 32,031 करोड़ रुपये) है। इसके अतिरिक्त, 80% के एसडीआरएफ आवंटन को तीन उप–आवंटनों अर्थात् (क) कार्रवाई और राहत (एसडीआरएमएफ का 40%), (ख) रिकवरी और पुनर्निर्माण (एसडीआरएमएफ का 30%) और (ग) आपदा से निपटने की तैयारी एवं क्षमता–निर्माण (एसडीआरएमएफ का 10%) में विभाजित किया गया है। यद्यपि एसडीआरएफ और एसडीएमएफ की फंडिंग विंडो को आपस में एक–दूसरे के लिए परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तथापि उस वित्त वर्ष में एसडीआरएफ की तीन उप–विंडो के अंतर्गत पुनः आबंटन किया जा सकता है।

9.29 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2015–16 से 2019–20 की अवधि के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा एसडीआरएफ हेतु 61,220 करोड़ रुपये के लिए की गई सिफारिश की तुलना में वर्ष 2021–22 से 2025–26 की अवधि के दौरान 1,28,122 करोड़ रुपये के आवंटन की सिफारिश की है।

9.30 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46(1) के अंतर्गत आपदा प्रबंधन की किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति अथवा आपदा से निपटने के लिए "राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ)" के गठन का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के गठन के लिए दिनांक 28.09.2010 को अधिसूचना जारी की थी। इसी प्रकार, गृह मंत्रालय ने दिनांक 05.02.2021 को राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) के गठन के लिए अधिसूचना जारी की है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, वर्ष 2021–22 से 2025–26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एनडीआरएमएफ) के अंतर्गत 68,463 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसमें दो घटक अर्थात् एनडीआरएफ एवं एनडीएमएफ भी शामिल हैं, जिनके

अंतर्गत 80% और 20% के अनुपात में आवंटन किया जाएगा, जो क्रमशः 54,770 करोड़ रुपये तथा 13,693 करोड़ रुपये की राशि बनती है।

9.31 गंभीर प्रकृति की आपदाओं के मद्देनजर, निधियां राज्य आपदा मोचन निधि के प्रावधानों के अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से भी प्रदान की जाती हैं। पूर्व की इस पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए, सरकार ने गंभीर प्रकृति की आपदा के तुरंत बाद प्रभावित राज्यों से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना, एक अंतर–मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) गठित करने का निर्णय लिया था, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आईएमसीटी टीम की रिपोर्ट की जांच केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप–समिति द्वारा की जाती है। उप–समिति की सिफारिशों को उच्च स्तरीय समिति के समक्ष उनके विचार हेतु और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से निधियों के अनुमोदन हेतु रखा जाता है।

9.32 एसडीएमएफ और एनडीएमएफ के संचालन के लिए क्रमशः दिनांक 14.01.2022 और 28.02.2022 को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और वे www.ndmindia.mha.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

9.33 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत ''आपदा से निपटने की तैयारी एवं क्षमता निर्माण वित्तपोषण विंडो'' के संस्थापन और प्रशासन संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 22.04.2022 को जारी किए गए हैं। ये दिशानिर्देश www.ndmindia.mha.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

9.34 वर्ष 2023–24 (दिनांक 31.03.2024 तक) के लिए, एसडीआरएफ में आवंटन 25,565.60 करोड़ रुपये है, जिसमें से 19,572.80 करोड़ रुपये भारत सरकार का केंद्रीय अंश है और 5,992.80 करोड़ रुपये राज्य सरकारों का अंश है। वर्ष 2023–24 (दिनांक 31.03.2024 तक) के दौरान, 28 राज्यों को राज्य आपदा मोचन निधि के केंद्रीय अंश के रूप में प्रथम किस्त की 11,558.80 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023–24 के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के केंद्रीय अंश की 7,860.80 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त भी 22 राज्यों को जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, 02 राज्यों को एनडीआरएफ से 869.14 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई है। वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य आपदा मोचन निधि/ राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला एक राज्य–वार विवरण **अनुलग्नक–XII** में दिया गया है।

संस्थागत तंत्र

(I) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)

9.35 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उद्देश्य हेतु स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री हैं। इसमें नौ सदस्यों तक का प्रावधान है, जिनमें से एक को उपाध्यक्ष के रूप में पदनामित किया जा सकता है। वर्तमान में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में चार सदस्य हैं–

(1) श्री कमल किशोर, सदस्य एवं विभागाध्यक्ष

(2) श्री कृष्ण स्वरूप वत्स, सदस्य

(3) श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य और

(4) ले. जनरल सईद अता हसनैन, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम और बार (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए।

9.36 राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमए, अनेक कार्य/ पहलें करता है, जिनमें आपदा प्रबंधन पर नीतियां निर्धारित करना और साथ ही भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनकी अपनी योजनाओं एवं परियोजनाओं में आपदा प्रबंधन को शामिल करने के लिए अनुपालनार्थ दिशानिर्देश जारी करना शामिल है। इसमें उन दिशानिर्देशों को भी निर्धारित किया गया है, जिनका अनुपालन राज्यों द्वारा अपनी राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने, आपदा से निपटने की तैयारी और आपदा के प्रभाव को कम करने के उपायों की योजना बनाने के साथ–साथ

क्षमता निर्माण की पहल करने के समय किया जाना होता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) 2009

9.37 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 22.10.2009 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति को अनुमोदन प्रदान किया था और दिनांक 18.01.2010 को इसे जारी कर दिया गया था। इस नीति में पूर्ववर्ती "कार्रवाई– केन्द्रित" दृष्टिकोण में बदलाव करते हुये आपदाओं के समग्र प्रबंधन की ओर ध्यान दिया गया है तथा आपदा की रोकथाम, उससे निपटने की तैयारी और उसके शमन पर बल दिया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी)

9.38 एनडीएमए ने वर्ष 2016 में पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार की थी। इसे नवंबर, 2019 में व्यापक परामर्शों के पश्चात संशोधित किया गया है। संशोधित योजना में नए जोखिम (मेघ गर्जन के साथ–तूफान, बिजली गिरना, झंझावात, धूल भरी आंधी और प्रचण्ड हवा/बादल फटना और ओलावृष्टि/हिम झील भरने से बाढ़ (जीएलओएफ)/लू/जैविक और जन स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल (बीपीएचई)/जंगल की आग), नए अध्याय (वर्ष–2015 के वैश्विक फ्रेमवर्क/सामाजिक समावेशन/डीआरआर को मुख्य धारा में लाने के बाद डीआरआर हेतु सामंजस्यता एवं परस्पर सुदृढ़ीकरण) शामिल हैं तथा जलवायु जोखिम की सूचना वाली डीआरआर के लिए नए विषयगत क्षेत्र के रूप में ''जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन'' भी शामिल है। इस एनडीएमपी में सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों और अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए समयबद्ध कार्रवाई की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, ताकि ये कार्रवाइयां डीआरआर के सेंडाई फ्रेमवर्क की समयसीमा के अनुरूप हो सकें। यह योजना केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ साझा की गई है, ताकि वे सेंडाई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एनडीएमपी 2019 की समयसीमा के अनुरूप अपनी योजनाएं और रणनीतियां तैयार कर सकें।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश

9.39 एनडीएमए ने अपनी स्थापना के बाद से आपदा प्रबंधन के विभिन्न क्रॉस कटिंग विषयों पर 33 दिशानिर्देश जारी किए हैं। जारी दिशानिर्देशों की सूची **अनुलग्नक–XIII** पर उपलब्ध है। ये दिशानिर्देश एनडीएमए की वेबसाइट (www.ndma.gov.in) पर "Governance=>NDMA Guidelines" लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना

9.40 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में से 33 के पास अपनी अनुमोदित राज्य आपदा प्रबंधन योजना है। एसडीएमपी को अनुमोदन प्रदान करने वाले पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को दो संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् (i) जम्मू और कश्मीर तथा (ii) लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एसडीएमपी को अनुमोदन प्रदान कर चुके दो पूर्ववर्ती संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् (i) दादरा और नगर हवेली तथा (ii) दमण और दीव को भी मिलाकर एक संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है। इन तीन (3) नव निर्मित संघ राज्य क्षेत्रों में अलग–अलग एसडीएमपी तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजना

9.41 भारत सरकार के **पचपन (55)** मंत्रालयों/विभागों ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर ली है। इन मंत्रालयों/विभागों की सूची **अनुलग्नक–XIV** में दी गई है। (इसमें, डीएमपी को अनुमोदन प्रदान करने वाले और साथ ही वे, जिन्होंने एक बार अपनी योजना प्रस्तुत कर दी थी परन्तु एनडीएमए से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद उन्हें अंतिम रूप प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है, दोनों शामिल है।)

एनडीएमए का 19वां स्थापना दिवस समारोह

9.42 एनडीएमए का 19वां स्थापना दिवस दिनांक 27.09.2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में मनाया

गया, जिसका विषय "आपदा प्रशमन के लिए एक विजन" था। श्री सुमन बेरी, उपाध्यक्ष, नीति आयोग मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर दो तकनीकी सत्र अर्थात् i) भू–स्खलन प्रशमन और राष्ट्रीय भू–स्खलन प्रशमन कार्यक्रम और ii) आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उभरती हुई प्रौद्योगिकियों की भूमिका, आयोजित किए गए।

(II) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)

9.43 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 30.10.2006 को गठित ''राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)'' को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की योजना बनाने और इसे प्रोत्साहन देने तथा आपदा प्रबंधन की नीतियों, रोकथाम तंत्र और आपदा के प्रभाव को कम करने के उपायों से संबंधित राष्ट्र स्तरीय सूचना बेस का प्रलेखन एवं विकास करने आदि की नोडल जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिनांक 16.10.2003 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के ''राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केन्द्र'' से अपग्रेड होकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) बनने के बाद, यह संस्थान सभी स्तरों पर आपदा की रोकथाम और उससे निपटने की तैयारी के तरीकों को विकसित और प्रोत्साहित करके भारत को आपदा झेलने में सामर्थ्यवान बनाने तथा एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उभरने के अपने मिशन को पूरा करने की ओर तेजी से अग्रसर है। केंद्रीय गृह मंत्री इस संस्थान के अध्यक्ष हैं तथा इसके शासी निकाय की अध्यक्षता राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के उपाध्यक्ष करते हैं।

9.44 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), रोहिणी परिसर की स्थापना 60.20 करोड़ रुपये की लागत से की गई है। एनआईडीएम अपने नए परिसर में शिफ्ट हो गया है, जो प्लॉट सं. 15, पॉकेट–3, ब्लॉक–बी, सेक्टर–29, रोहिणी, दिल्ली–110042 में स्थित है और इसने नए परिसर में दिनांक 01.04.2021 से काम करना शुरू कर दिया है।

9.45 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के दक्षिणी परिसर की स्थापना 46.85 करोड़ रुपये की लागत से कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में की गई है। एवी सिस्टम, सोलर सिस्टम, डीजी सेट आदि जैसे कुछ अतिरिक्त कार्यों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसके मार्च, 2024 तक पूरा होने की संभावना है।

आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम:

9.46 दिनांक **01.01.2023 से 31.03.2024** तक की अवधि के दौरान, एनआईडीएम, दिल्ली और एनआईडीएम, दक्षिणी परिसर ने निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं:

क्र सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला का नाम	आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
i.	फेस-टू-फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम	117	6,213
ii.	वेबिनार	55	7,110
iii.	तीन-दिवसीय (ऑनलाइन) प्रशिक्षण कार्यक्रम	9	1,859
iv.	ऑनलाइन पाठ्यक्रम (6 सप्ताह और 4 सप्ताह)	11	115
v.	कार्यशाला	39	2,815

9.47 अंतरराष्ट्रीय भू–स्खलन संघ (आईसीएल) ने 14–17 नवम्बर, 2023 को फ्लोरेंस, इटली में आयोजित छठे "विश्व भू–स्खलन मंच" पर एनआईडीएम को इस क्षेत्र में उसके महान प्रयासों और महत्वपूर्ण परिणामों के कारण "विश्व भू–स्खलन जोखिम न्यूनीकरण उत्कृष्टता केंद्र" के रूप में मान्यता प्रदान की है।

(III) राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ)

9.48 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में, गृह मंत्रालय ने आपदाओं अथवा आपदा जैसी स्थितियों में विशेष कार्रवाई करने के उद्देश्य से "राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ)" का गठन किया है। एनडीआरएफ को वर्ष 2006 में 08 बटालियनों के साथ गठित किया गया था। वर्ष 2010 में दो और बटालियनें बनाई गईं और बाद में, वर्ष 2015 में भी 02 अतिरिक्त बटालियनें बनाई गईं। अगस्त 2018 में, आपदा कार्रवाई को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 04 अतिरिक्त बटालियनों के गठन को अनुमोदन प्रदान किया था। ये 04 बटालियनें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में तैनात की गई हैं।

9.49 आज की स्थिति के अनुसार, एनडीआरएफ में 16 बटालियनें हैं, जिनमें से प्रत्येक में 1149 कार्मिक हैं, जो संवेदनशीलता परिदृश्य के आधार पर देश के विभिन्न भागों में तैनात हैं। यह बल सभी प्रकार की प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं जैसे कि रासायनिक, जैविक, रेडियो–धर्मी, आणविक (सीबीआरएन) आपदाओं से निपटने के लिए अपने आप में सक्षम, ओजस्वी, बहु–कौशलयुक्त, उच्च तकनीक से परिपूर्ण एक विशेष बल के रूप में उभरा है। ये 16 बटालियनें जम्मू एवं कश्मीर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), पटना (बिहार), गुवाहाटी (असम), वडोदरा (गुजरात), पुणे (महाराष्ट्र), अरक्कोणम (तमिलनाडु), विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), मुंडाली (ओडिशा), हरिनघाटा (पश्चिम बंगाल), वाराणसी (उत्तर प्रदेश), होलोंगी (अरुणाचल प्रदेश), लाढ़ोवाल (पंजाब), नूरपुर (हिमाचल प्रदेश), गदरपुर (उत्तराखंड) और द्वारका (नई दिल्ली) में तैनात हैं। इसके अतिरिक्त, एनडीआरएफ की टीमों को आपदाओं के मामले में कार्रवाई में लगने वाले समय को कम करने के लिए 28 भिन्न–भिन्न रणनीतिक स्थानों पर भी तैनात किया गया है।

एनडीआरएफ द्वारा तलाशी और बचाव अभियान

9.50 दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान, एनडीआरएफ की टीमों ने कई ऑपरेशन किए तथा 57,651 कीमती जिंदगियां बचाईं (6,812 लोगों को रेस्क्यू किया और 50,839 लोगों को आपदा से सुरक्षित बाहर निकाला), 2,754 पशुधन को बचाया और 779 शवों को निकाला। इस टीम ने 15,045 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता/अस्पताल पूर्व उपचार (पीएचटी) भी प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, एनडीआरएफ की टीमों ने आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासन को बाढ़ों के दौरान प्रभावित हुए लोगों को बचाने/सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की।

9.51 दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि की, एनडीआरएफ की ऑपरेशन संबंधी उपलब्धि का घटना–वार सार **अनुलग्नक–XV** में दिया गया है।

एनडीआरएफ द्वारा प्रशिक्षण एवं अन्य पहलें

9.52 आपदा कार्रवाई संबंधी प्रशिक्षण का लक्ष्य एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल) के कार्रवाई करने वालों (रेस्पांडर्स) का क्षमता निर्माण करना है, ताकि वे आपदाओं से पहले, उनके दौरान और बाद में सभी स्तरों पर अपनी तैयारी एवं कार्रवाई में सुधार कर सके। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के अंतर्गत सामान्य तौर पर रेस्पांडर के तकनीकी कौशलों में सुधार करने और साथ ही, कार्मिकों तथा टीम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य विभिन्न आपदाओं के प्रति कार्रवाई करने के बाद अर्जित सर्वोत्तम पद्धतियों और जानकारियों को साझा करना है। दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 के दौरान की गई प्रमुख प्रशिक्षण गतिविधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

प्रमुख प्रशिक्षण गतिविधियों का ब्यौरा		
क्र.सं.	प्रशिक्षण	कार्मिकों की सं.
एनडीआरएफ कार्मिकों के लिए इन-हाउस प्रशिक्षण		
1	एनडीआरएफ अकादमी, नागपुर में एनडीआरएफ कार्मिकों का प्रशिक्षण	1,253
2	यूनिट स्तर पर एनडीआरएफ कार्मिकों का प्रशिक्षण	11,960
बाहरी संस्थानों में एनडीआरएफ कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण		
1	एनडीआरएफ कार्मिकों का एडीपीसी पीयर प्रशिक्षण	0
2	जलीय आपदा कार्रवाई पाठ्यक्रम (एडीआरसी) और डीप डाइविंग में टीओटी का प्रशिक्षण	675
3	एनएसजी (राष्ट्रीय सुरक्षा गारद) के साथ हेली स्लाइदरिंग ट्रेनिंग	260
4	औद्योगिक रासायनिक आपातकाल प्रशिक्षण	60
5	जंगल की आग पर प्रशिक्षण	150
एनडीआरएफ द्वारा अन्य स्टेकहोल्डरों को प्रशिक्षण		
1	राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) प्रशिक्षण	2,257
2	सीएपीएफ कार्मिकों के लिए आपदा प्रबंधन (डीएम) प्रशिक्षण	245
3	जेएनवी का आपदा प्रबंधन (डीएम) प्रशिक्षण	19,517
कुल		36,377

9.53 अन्य पहलों में, एनडीआरएफ ने पूरे देश के संवेदनशीलता परिदृश्य के अनुसार विभिन्न सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम और स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की सं.	लाभार्थी लोगों की सं.
1	सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम	1,984	3,26,051
2	स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम	2,361	7,77,017
कुल		4,345	11,03,068

एनडीआरएफ द्वारा मॉक अभ्यास

9.54 एनडीआरएफ द्वारा आयोजित मॉक अभ्यासों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	मॉक अभ्यास	मॉक अभ्यासों की सं.	लाभार्थी कार्मिकों की सं.
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)/मेगा एक्सीडेंटल हजार्ड यूनिट (एमएएच) के साथ मॉक ड्रील	381	80,984
2.	भारतीय रेलवे के साथ मॉक ड्रील	63	15,852
3.	जिला स्तरीय मॉक अभ्यास	400	1,47,711
कुल		844	2,44,547

(IV) एनडीआरएफ अकादमी

9.55 भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियों में शामिल अन्य स्टेकहोल्डरों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज (एनसीडीसी) के विलय द्वारा सितम्बर, 2018 में नागपुर, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी (एनडीआरएफ अकादमी) नामक एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया। इस संस्थान की स्थापना 18.61 करोड़ रुपये की कीमत पर महाराष्ट्र सरकार से अधिगृहीत गांव–सूर्यादेवी, कामठी (नागपुर) में 153 एकड़ भूमि पर 125.01 करोड़ रुपये (85.16 करोड़ रुपये की इन्फ्रास्ट्रक्चर लागत सहित) की अनुमोदित लागत से की जा रही है। इस अकादमी की अध्यक्षता निदेशक द्वारा की जाएगी और वह महानिदेशक, एनडीआरएफ के परिचालन एवं प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा।

9.56 श्री अमित शाह, माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 02.01.2020 को एनडीआरएफ अकादमी की आधारशिला रखी। वर्तमान में, नए परिसर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। तब तक, यह पूर्ववर्ती एनसीडीसी के मौजूदा परिसर में कार्य कर रहा है।

9.57 वर्तमान में, यह अकादमी एनडीआरएफ/एसडीआरएफ/नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और अन्य संबंधित स्टेकहोल्डरों को प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा इसके अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित होने की परिकल्पना की गई है। यह आवश्यकता के अनुसार पड़ोसी एवं अन्य देशों के आपदा कार्रवाई कार्मिकों को विशिष्ट प्रशिक्षण भी प्रदान कर सकता है। यह अकादमी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं अन्य स्टेकहोल्डरों को आपदा कार्रवाई के संबंध में प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के स्तर में काफी वृद्धि करेगी। इसने दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक, 2,275 कार्मिकों (एनडीआरएफ–1,252, एसडीआरएफ–213 और नागरिक सुरक्षा–810) को प्रशिक्षण प्रदान किया।

(V) नागरिक सुरक्षा

9.58 नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) के अंतर्गत भारत या इसके किसी भू–भाग के किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, स्थान अथवा वस्तु पर हवाई, भूमि, समुद्री अथवा अन्य स्थानों से होने वाले किसी शत्रु के हमले, जो वास्तव में युद्ध नहीं हैं, से सुरक्षा प्रदान करने अथवा ऐसे किसी हमले को रोकने/उसके प्रभाव को कम करने के लिए किए जाने वाले उपाय शामिल हैं, भले ही ये उपाय ऐसे हमले के पूर्व, उसके दौरान अथवा उसके बाद किए जाएं। इसमें आपदा प्रबंधन हेतु किए गए उपाय भी शामिल हैं।

9.59 कुछ वेतन भोगी स्टाफ और संस्थापना के सिवाय, सिविल डिफेंस का गठन बुनियादी तौर पर स्वैच्छिक आधार पर किया जाता है, जिसमें आपातस्थिति के दौरान वृद्धि की जाती है। इस समय 14.11 लाख नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 5.38 लाख नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक पहले ही बनाए जा चुके हैं।

9.60 देश में नागरिक सुरक्षा नीति तैयार करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए, असम को छोड़कर, पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा उनकी नागरिक सुरक्षा सेवाओं की स्थापना, प्रशिक्षण तथा उपस्कर के लिए अधिकृत वस्तुओं पर उनकी राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय के 50% की प्रतिपूर्ति, और असम सहित अन्य राज्यों द्वारा किये गए व्यय के 25% की प्रतिपूर्ति निर्धारित दरों के अनुसार सहायता अनुदान के रूप में करती है।

9.61 राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर के क्रियाकलापों सहित नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड और अग्निशमन सेवाओं से संबंधित मामलों की सभी नीतियों और योजनाओं पर कार्रवाई के लिए नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय की स्थापना गृह मंत्रालय के अधीन वर्ष 1962 में की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा के पद को महानिदेशक (अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड) के रूप में पुनः पदनामित किया गया है।

9.62 द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने 'संकट प्रबंधन' नामक अपनी तृतीय रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि नागरिक सुरक्षा को उन सभी जिलों में गठित किया जाना चाहिए, जो न केवल शत्रु के हमलों, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील हैं। सैन्य खतरे और आपदा दृष्टिकोण के मद्देनजर, आज की स्थिति के अनुसार भारत सरकार ने कुल 295 नागरिक सुरक्षा जिले/नगर अधिसूचित किए हैं। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने राज्यों में नागरिक सुरक्षा घटक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राजस्थान, मेघालय, दिल्ली, दमण और दीव एवं दादरा और नगर हवेली तथा केरल आदि जैसे कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इस दिशा में काफी प्रगति कर ली है और अपने सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को 'नागरिक सुरक्षा (सीडी) जिलों' के रूप में अधिसूचित कर दिया है।

9.63 नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड संगठन पिछले कई दशकों से देश को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये संगठन भारत सरकार के 'समग्र राष्ट्र संबंधी दृष्टिकोण' के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड संगठनों का वार्षिक दिवस समारोह प्रतिवर्ष 06 दिसम्बर को मनाया जाता है।

(VI) होमगार्ड

9.64 'होमगार्ड' एक स्वैच्छिक बल है, जिसकी स्थापना भारत में दिसम्बर, 1946 में नागरिक अशांति एवं साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता करने के लिए की गई थी। बाद में, कई राज्यों ने स्वैच्छिक नागरिक बल की संकल्पना को अपना लिया। वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण के परिणामस्वरूप, केन्द्र ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपने मौजूदा स्वैच्छिक संगठनों का होमगार्ड नामक एक वर्दीधारी स्वैच्छिक बल में विलय करने का सुझाव दिया था। होमगार्डों की भूमिका में कानून एवं व्यवस्था और आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखने, किसी भी प्रकार की आपात स्थिति जैसे कि हवाई हमला, आग लगना, चक्रवात, भूकंप, महामारी आदि में समुदाय की सहायता करने, जरूरी सेवाएं बनाए रखने, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने तथा कमजोर वर्गों की सुरक्षा करने में प्रशासन की मदद करने, सामाजिक–आर्थिक एवं कल्याणकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने तथा नागरिक सुरक्षा कार्यों के निर्वहन में राज्य पुलिस के सहयोगी बल के रूप में कार्य करना शामिल है।

9.65 सीमावर्ती राज्यों में, ग्रामीण और शहरी होमगार्ड घटकों के अतिरिक्त, 18 सीमा विंग होमगार्डों (बीडब्ल्यूएचजी) की बटालियनें भी गठित की गईं हैं, जो सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सहायक के तौर पर कार्य करती हैं। यह संगठन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैला हुआ है।

9.66 होमगार्डों की स्थिति की समीक्षा करने और साथ ही राज्यों द्वारा उनके संबंधित अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत उपयुक्त कार्यान्वयन किए जाने हेतु पुनर्जीवित मॉडल होमगार्ड विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए एक नामित समिति गठित की गई है।

(VII) अग्निशमन सेवा

9.67 आग की रोकथाम और उससे निपटने से संबंधित सेवाओं का संचालन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय, आग से बचाव, आग पर नियंत्रण, अग्निशमन कानून एवं प्रशिक्षण के बारे में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों को तकनीकी परामर्श देता है।

9.68 देश में जान और माल की सुरक्षा करने के लिए अपने जीवन को न्योछावर करने वाले बहादुर अग्निशमन सेवा कार्मिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिनांक 14.04.2023 को पूरे देश में शहीद दिवस मनाया गया था। देशभर में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल, 2023 तक ''अग्निशमन सेवा सप्ताह'' मनाया गया। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभागों ने कॉलेजों और स्कूलों में अग्नि सुरक्षा अभ्यासों, जागरूकता शिविरों, भाषणों और प्रदर्शनों का आयोजन किया।

9.69 भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने मार्च, 2017 के दौरान भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, 2016 प्रकाशित की है। भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण

संहिता, भाग–IV "आग एवं जीवन सुरक्षा" सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित की गई है, और उनसे अपने अग्निशमन सेवा अधिनियम में इसे शामिल करने का अनुरोध किया गया है।

9.70 राज्यों के लिए अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के रखरखाव का प्रावधान करने के लिए वर्ष 2019 में एक संशोधित मॉडल विधेयक को गृह मंत्रालय ने सितंबर, 2019 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे इस विधेयक को अपने संबंधित राज्य अग्निशमन सेवा अधिनियमों/नियमों में अंगीकार करें। अब तक, 10 राज्यों ने अपने संबंधित अधिनियमों/नियमों में इस विधेयक को अंगीकार किया है।

9.71 राज्यों की अग्निशमन सेवाओं की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत सहायता–अनुदान के माध्यम से अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। एनडीआरएफ के अंतर्गत "तैयारी और क्षमता निर्माण" संबंधी वित्तपोषण के लिए निर्धारित आवंटन से राज्यों की अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 04.07.2023 को यह स्कीम शुरू की गई है।

राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर

9.72 अग्निशमन सेवा के अधिकारियों को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय (एनएफएससी), नागपुर में प्रशिक्षित किया जाता है। यह महाविद्यालय वर्ष 1956 में रामपुर, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था और इसे बाद में वर्तमान स्थान अर्थात् नागपुर में शिफ्ट कर दिया गया था। एनएफएससी कॉलेज भारत सरकार का एक प्रमुख संस्थान है, जिसे अग्निशमन अधिकारियों और कार्मिकों को अग्निशमन ग्राउंड अभियानों और आपदाओं के कुशल प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। यह महाविद्यालय आपदा प्रबंधन के लिए अग्निशमन ग्राउंड अभियानों, वास्तविक जीवन में पराचिकित्सीय स्थितियों इत्यादि पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। महाविद्यालय के अतिथि संकाय पैनल में आग की रोकथाम और आग से बचाव के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों, नगर निगमों, फायर ब्रिगेडों, पोर्ट ट्रस्टों, विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी शामिल हैं। यह महाविद्यालय फायर इंजीनियरिंग में चार वर्षीय बीई डिग्री कार्यक्रम भी संचालित करता है, जो एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध है। इस महाविद्यालय के फायर इंजीनियर अग्नि रोकथाम और बचाव कार्य हेतु भारत और विदेश में तैनात किए जाते हैं।

9.73 महाविद्यालय के उन्नयन की एक योजना को 2010 में स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और परामर्श के अलावा अग्निशमन विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, हताहतों की खोज और बचाव तथा आपदा मोचन में विशेष और पेशेवर प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षमता को बढ़ाना है। माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 02.01.2020 को एनएफएससी नागपुर का नया परिसर राष्ट्र को समर्पित किया गया था।

प्रशिक्षण गतिविधियां

9.74 वर्ष 2023 के दौरान, इस कॉलेज ने बी.टेक (फायर) में युवा उम्मीदवारों और केन्द्र/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों आदि के विभिन्न अग्निशमन सेवा अधिकारियों के लिए शैक्षणिक, प्रशिक्षण और अल्पावधि पाठ्यक्रम आयोजित किए। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

नियमित कार्यक्रम:

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	प्रतिभागियों की सं.
1	बैचलर फायर इंजीनियरिंग (4 वर्ष) का 6वां, 7वां, 8वां, और 9वां बैच	263

2	संभागीय अधिकारी पाठ्यक्रम का 76वां और 77वां बैच	76
3	स्टेशन अधिकारी एवं अनुदेशक पाठ्यक्रम का 86वां और 87वां बैच	119
4	आरटीसी में बाहय उप-अधिकारी पाठ्यक्रम का 49वां और 50वां बैच	630

अल्पावधि पाठ्यक्रम:

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	प्रतिभागियों की सं.
1	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी)	8
2	राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी)	26
3	आपदा प्रबंधन (डीएम)	14
4	श्वसन उपकरण (बीए) पाठ्यक्रम	30
5	अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण (समझौता ज्ञापन के अंतर्गत एलपीएआई नामित अग्निशमन कार्मिकों के लिए)	30

राष्ट्रीय अग्निशमन अभ्यास प्रतियोगिता

9.75 श्री ताज हसन, आईपीएस डीजी–एफएस, सीडी एंड एचजी की उपस्थिति में एनएफएससी द्वारा 06 और 07 नवम्बर, 2023 को राष्ट्रीय अग्निशमन अभ्यास प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अभ्यास प्रतियोगिता में 16 राज्यों ने भाग लिया, जिसमें महाराष्ट्र विजेता रहा और ओडिशा तथा तेलंगाना को क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा हेतु पदक

9.76 भारत सरकार अग्निशमन सेवाओं, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड कार्मिकों के उत्कृष्ट योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए, वर्ष में दो बार अर्थात् गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर शौर्य और सेवा पदक प्रदान करती है। वर्ष 2023 में, अग्निशमन सेवा, होमगार्डों और सिविल डिफेंस कार्मिकों को कुल 156 पदक प्रदान किए गए थे।

क्र. सं.	**पदक का प्रकार**	**अग्निशमन सेवा पदक प्राप्तकर्ताओं की संख्या**		**होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक प्राप्तकर्ताओं की संख्या**	
		गणतंत्र दिवस, 2023	**स्वतंत्रता दिवस, 2023**	**गणतंत्र दिवस, 2023**	**स्वतंत्रता दिवस, 2023**
I	शौर्य के लिए राष्ट्रपति पदक	-	03	-	-
II	शौर्य के लिए पदक	02	01	01	-

III	राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक	07	08	09	05
IV	उत्कृष्ट सेवा पदक	38	41	45	43
	कुल	47	53	55	48

(VIII) आपदा–रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई)

9.77 माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 23.09.2019 को न्यूयार्क शहर में आयोजित हुए "यूनाइटेड नेशन्स क्लाइमेट एक्शन सम्मिट" में सीडीआरआई की स्थापना की घोषणा की थी। भारत सरकार ने (दिनांक 28.08.2019 को) वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक 5 वर्षों की अवधि में एक निरंतर आधार पर तकनीकी सहायता और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अपेक्षित एक कोष निर्माण हेतु 480 करोड़ रुपये (लगभग 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के परिव्यय से "आपदा–रोधी अवसंरचना के लिए एक अंतरर्राष्ट्रीय गठबंधन (सीडीआरआई)" की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया है। तदनंतर, मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023–24 से वित्तीय वर्ष 2026–27 अर्थात् दिनांक 31.03.2027 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए भारत सरकार की सीडीआरआई हेतु 480 करोड़ रुपये अनुमोदित वित्तीय सहायता की अवधि को बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है, ताकि इसके कार्यक्रमों और गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित परिव्यय से शेष अनुदान अव्यपगत आधार पर जारी किया जा सके।

9.78 आपदा–रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) के माध्यम से आपदा–रोधी अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए भारत के आह्वान पर विश्व का ध्यान आकर्षित हो रहा है। आज तक, गठबंधन में 46 सदस्य शामिल हुए हैं, जिनमें उनतालीस (39) राष्ट्रीय सरकारें और सात (7) अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। सीडीआरआई का अब पूरी तरह सक्रिय सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है।

9.79 वर्ष 2023 में, सीडीआरआई ने महत्वपूर्ण ढांचागत क्षेत्रों में प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यक्रमों, विषयगत प्राथमिकताओं और परस्पर क्षेत्र संबंधी पहल के तहत विशिष्ट कार्यक्रम/परियोजनाएं शुरू की हैं। प्रमुख सामाजिक–आर्थिक प्रक्रियाओं और बड़े संसाधन निवेशों के साथ इन क्षेत्रों के फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज को ध्यान में रखते हुए बिजली, दूरसंचार और परिवहन क्षेत्रों पर अच्छी तरह से बल प्रदान किया गया है। सीडीआरआई के क्षेत्रीय कार्यक्रम के पोर्टफोलियो का विस्तार किया गया, ताकि स्वास्थ्य एवं शहरी बुनियादी ढांचे में प्रतिरोध क्षमता को बढ़ावा मिल सके। रोधकता और अनुकूलन के लिए वित्तपोषण करना भी सीडीआरआई के मुख्य कार्य का एक पोर्टफोलियो है।

9.80 अवसंरचना में रोधकता को इंटीग्रेट करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक सोच का निर्माण करने, आपदाओं और जलवायु संबंधी विकट परिस्थितियों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लोगों और समुदायों को आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने, उनकी प्रदायगी करने और निरंतरता सुनिश्चित करने आदि के लिए, सीडीआरआई ने अपने 05वें वार्षिक सम्मेलन "आपदा–रोधी अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीडीआरआई)" की मेजबानी की। वर्ष 2023 के सम्मेलन का विषय 'आपदारोधी और समावेशी अवसंरचना प्रदान करना: जोखिम की सूचना देने वाली प्रणालियों, प्रथाओं और निवेश के लिए मार्ग' था। आईसीडीआर 2023 ने बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जोखिम की सूचना प्रदान करने वाली प्रणाली, आपदा–रोधी अवसंरचनात्मक परिसम्पत्तियों, अभिनव वित्तपोषण आदि की प्रथाओं के

बारे में प्रदर्शन योग्य सोल्यूशनों का प्रदर्शन किया है। उपर्युक्त चर्चाओं का नेतृत्व 100 से अधिक वैश्विक विशेषज्ञों और विचारकों द्वारा किया गया, 158 देशों के 2,400 से अधिक प्रतिभागियों ने इस सम्मेलन के लिए वर्चुअल रूप में भाग लेने के लिए पंजीकरण किया और 350 से अधिक लोगों ने व्यक्तिगत रूप से इसमें भाग लिया।

9.81 **आपदा–रोधी अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीडीआरआई), अमेरिका**: सीडीआरआई ने संयुक्त राज्य अमरीका सरकार की सहभागिता से 30.10.2023 को राष्ट्रीय प्रेस क्लब, वाशिंगटन डीसी में "आपदा–रोधी अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीडीआरआई)", अमरीका पर अपना पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया। आईसीडीआरआई अमरीका ने राष्ट्रीय सरकारों, सरकारी एजेंसियों, विचारकों, शिक्षाविदों और अनुसंधानकर्ताओं, वित्तीय संस्थानों तथा निजी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 13 देशों के 100 से अधिक प्रतिभागियों को एक साथ एकत्र किया। 40 से अधिक विशेषज्ञों ने जलवायु और आपदा–रोधी अवसंरचना को मुख्यधारा में लाने के लिए जोखिम– सूचना, डाटा एवं टूल, प्रकृति आधारित सोल्यूशनों, जन–केंद्रित एवं प्रणालीगत दृष्टिकोणों, वित्त और क्षमता विकास आदि की भूमिका पर विस्तृत चर्चाएं कीं।

9.82 **इन प्रयासों के आधार पर, सीडीआरआई ने तीन रणनीतिक पहलें की हैं**– इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजीलिएंट आईलैंड स्टेट्स (आईआरआईएस), इन्फ्रास्ट्रक्चर रेजीलिएंस एक्सीलिरेटर फंड (आईआरएएफ) और ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर रेजीलिएंस पर द्विवार्षिक रिपोर्ट। आईआरआईएस को भारत, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों द्वारा सीओपी26 में वर्ल्ड लीडर्स समिट के दौरान शुरू किया गया। यह एक सीडीआरआई की एक समर्पित पहल है, जो एसआईडीएस में आपदा और अवसंरचना प्रणालियों की जलवायु संबंधी रोधकता को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करती है और जानकारी के आदान–प्रदान को सुगम बनाती है।

9.83 **वैश्विक अवसंरचना रोधकता (ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर रेजीलिएंस) पर सीडीआरआई की पहली द्विवार्षिक रिपोर्ट**: सीडीआरआई से रोधकता संबंधी लाभ प्राप्त होना अक्टूबर, 2023 में शुरू हुआ। इसने पहली बार एक ठोस आर्थिक, राजनीतिक और वित्तीय मामले की दृष्टि से अवसंरचना रोधकता में मौलिक रूप से उन्नत निवेश के लिए साक्ष्यों के एक विशिष्ट निकाय को एक साथ जोड़ा है। सीडीआरआई ने इस वैश्विक रिपोर्ट की एक द्विवार्षिक प्रकाशन के रूप में परिकल्पना की है, जिसे तकनीकी अध्ययनों, पृष्ठभूमि संबंधी दस्तावेजों, कार्यशालाओं और आंकड़ों के संग्रहण के माध्यम से विकसित किया गया है। इस रिपोर्ट को आगे सितम्बर, 2023 में न्यूयार्क, यूएसए में एसडीजी समिट; आईसीडीआरआई अमरीका 2023; और जी20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह में प्रसारित किया गया।

9.84 सीडीआरआई ने दिसम्बर, 2023 में सीओपी28 में ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क मॉडल एंड रेजीलिएंस इंडेक्स (गिरी) डाटा प्लेटफार्म शुरू किया, जो अब तक का पहला पूर्ण संभाव्य जोखिम आकलन है, जिसमें वैश्विक अवसंरचना के क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

9.85 मंत्रिमंडल ने सीडीआरआई को एक अंतरर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता प्रदान करने तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 की धारा–3 में निहित सीडीआरआई संबंधी छूट, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्रदान करने हेतु मुख्यालय समझौता (एचक्यूए) पर हस्ताक्षर करने के लिए दिनांक 29.06.2022 को अनुमोदन प्रदान किया है। मंत्रिमंडल के दिनांक 29.06.2022 के निर्णय के अनुपालन में दिनांक 22.08.2022 को भारत सरकार (विदेश मंत्रालय के माध्यम से) और सीडीआरआई के बीच इस मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तदनंतर, मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और सीडीआरआई के बीच हस्ताक्षरित किए गये एचक्यूए के अनुसमर्थन को दिनांक 28.06.2023 को अनुमोदन प्रदान किया। राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 09.08.2023 को अनुसमर्थन का लिखत (इंस्ट्रूमेंट) जारी किया गया। तत्पश्चात्, विदेश मंत्रालय

ने दिनांक 11.01.2024 की राजपत्र अधिसूचना जारी की है, जिसमें सीडीआरआई को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन (आईओ) के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और इसे संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (वर्ष 1947 का 46) के अनुसार आवश्यक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं।

आपदा प्रबंधन परियोजनाएं / कार्यकलाप

क. राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एनसीआरएमपी)

9.86 भारत सरकार ने चक्रवात के खतरे की आशंका वाले राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में चक्रवातों के प्रभावों को कम करने और वहां तटीय पारिस्थितिक–तंत्र के संरक्षण के अनुरूप लोगों और अवसंरचना को आपदा–रोधी बनाने के समग्र उद्देश्य से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एनसीआरएमपी) का अनुमोदन किया था। इस परियोजना के चार घटक हैं अर्थात् (i) घटक 'क': अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करते हुए पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली; (ii) घटक 'ख': चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण अवसंरचना जैसेकि बहु–प्रयोजनीय चक्रवात आश्रय स्थल, निकासी / पहुंच मार्ग / पुल, खारे (सलाइन) तटबंध तथा अंडरग्राउंड केबलिंग; (iii) घटक 'ग': बहु आयामी आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण और (iv) घटक 'घ': परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता। घटक क, ग और घ का केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त–पोषण किया जाता है और घटक "ख" का वित्त–पोषण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में किया जाता है। केंद्र सरकार के घटक का वित्त–पोषण विश्व बैंक सहायता (ऋण) के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। इस परियोजना का अनुमोदन निम्नलिखित दो चरणों में केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के रूप में किया गया था:–

(क) एनसीआरएमपी के प्रथम चरण का अनुमोदन जनवरी, 2011 में आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों के लिए किया गया था। यह परियोजना कुल 2,524.84 करोड़ रुपये के व्यय के साथ दिसम्बर, 2018 में पूरी हुई थी।

(ख) एनसीआरएमपी के दूसरे चरण को जुलाई, 2015 में गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए 2,361.35 करोड़ रुपये की लागत से अनुमोदित किया गया था और परियोजना के पूरा होने की तारीख 31.03.2020 थी। उक्त स्कीम के कार्य निष्पादन, रेटिंग, शुरू नहीं की गई गतिविधियों के निरस्तीकरण के साथ–साथ 80 मिलियन यूएस डॉलर की बचत को सरेंडर करने के आलोक में संशोधनों के बाद परियोजना के पूर्ण होने की तारीख को मार्च, 2023 रखते हुए इसके परिव्यय को अंतरिम रूप से संशोधित करके 1,864.38 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस परियोजना की वित्तीय समाप्ति के लिए रियायत अवधि अगस्त, 2023 तक थी। इस परियोजना का चरण–।। 1,806.84 करोड़ रुपये के कुल व्यय से पूर्ण हुआ।

9.87 आंध्र प्रदेश, ओडिशा और गोवा में "पूर्व चेतावनी और प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस)" स्थापित करके आरंभ कर दी गई है। कर्नाटक और केरल में ईडब्ल्यूडीएस गतिविधि से संबंधित भौतिक कार्य पूरा हो गया है और इसे शुरू करने के लिए परीक्षण किया जा रहा है। एनसीआरएमपी के तहत निर्मित भौतिक अवसंरचना का ब्यौरा निम्नानुसार है:

उप–घटक	कुल
बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय स्थल (सं.)	795
सड़कें (किमी.)	1291.52
पुल (सं.)	36
सलाइन एम्बैंकमेंट (किमी.)	118.18
अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबलिंग (किमी.)	1387.76

9.88 आपदा संबंधी जोखिमों को कम करने तथा विभिन्न सरकारी विभागों और समुदायों की क्षमता को बढ़ाने के एक भाग के रूप में, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण उक्त परियोजना के उप घटकों में से एक है। एनसीआरएमपी चरण । एवं ।। के अंतर्गत विभिन्न विषयों में 925 क्षमता निर्माण प्रशिक्षणों के माध्यम से 24,007 सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और साथ ही 3,421 आश्रय स्तरीय प्रशिक्षणों के माध्यम से 68,988 सामुदायिक प्रतिनिधियों ने भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

9.89 इसके अतिरिक्त, 8 परियोजना राज्यों में आश्रय संबंधी व्यवस्थाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए 795 चक्रवात आश्रय प्रबंधन एवं रखरखाव समितियां भी गठित की गई हैं। प्रत्येक समिति में कई सरकारी अधिकारी, सामुदायिक प्रतिनिधि, महिलाएं और कमजोर वर्ग आदि के प्रतिनिधि शामिल थे।

9.90 एनसीआरएमपी के अंतर्गत निर्मित चक्रवात आश्रयों का उपयोग कोविड–19 वैश्विक महामारी और हाल ही में आए चक्रवातों के दौरान राहत और पुनर्वास संबंधी विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया था/किया जाता है। एनसीआरएमपी के अंतर्गत निर्मित अन्य अवसंरचनाओं का उपयोग विभिन्न आपदाओं के दौरान किया गया था/किया जा रहा है।

9.91 इसके अतिरिक्त, एनसीआरएमपी के अंतर्गत एक वेब आधारित डायनिमिक कम्पोजिट रिस्क एटलस एंड डिसिजन स्पोर्ट सिस्टम (वेब डीसीआरए–डीएसएस) टूल विकसित किया गया है। यह टूल स्थान विशिष्ट चक्रवात में हवा की गति तथा साध ही तूफान की तीव्रता, चक्रवात के कारण हुई बारिश और नदी में बाढ़ के कारण जलभराव के स्तर के बारे में वास्तविक समय पर भविष्यवाणी करने वाली एक प्रणाली है। इस सूचना का उपयोग राज्यों द्वारा लोगों को बचाकर सुरक्षित निकालने की योजना बनाने और कार्रवाई करने के साथ–साथ उपशमन संबंधी योजना हेतु किया जा रहा है।

अन्य आपदा प्रबंधन कार्यक्रम (ओडीएमपी)

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन

9.92 कुल 20.10 करोड़ रुपये की लागत वाली इस स्कीम में 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एसडीएमए हेतु अन्य बातों के साथ–साथ एक लाख रुपये प्रतिमाह की दर पर एक आपदा प्रबंधन (डीएम) पेशेवर रखने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। यह आपदा प्रबंधन पेशेवर "आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी सेंडाई फ्रेमवर्क" के कार्यान्वयन हेतु उपाय करने के लिए राज्य प्रशासन को सुविधा/सहायता प्रदान करेगा। इस स्कीम को वर्ष 2018–19 से 2025–26 तक की अवधि में कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत 13.17 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

अभिज्ञात 115 पिछड़े जिलों में से जोखिम संभावित जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) का सुदृढ़ीकरण

9.93 कुल 28.98 करोड़ रुपये की लागत वाली इस स्कीम में 27 राज्यों और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के जोखिम संभावित प्रत्येक जिले में स्कीम की अवधि के दौरान 70,000/– रुपये प्रतिमाह की दर पर एक आपदा प्रबंधन पेशेवर रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह आपदा प्रबंधन पेशेवर "आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी सेंडाई फ्रेमवर्क" के कार्यन्वयन हेतु उपाय करने के लिए जिला प्रशासन को सुविधा/सहायता प्रदान करेगा। इस स्कीम को वर्ष 2018–19 से 2025–26 तक की अवधि में कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत 16.92 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

16 नगरों के लिए भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक (ईडीआरआई–II)

9.94 एनडीएमए द्वारा भूकंप आपदा जोखिम के अनुक्रमण के लिए, पूर्व में किए गए अध्ययन के क्रम में,

पहले से अनुक्रमित शहरों के अलावा 116 अतिरिक्त शहरों हेतु आपदा जोखिम सूचकांक का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना के अगले चरण की योजना पर कार्य चल रहा है। कार्य का चरण–II मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी), जयपुर को प्रदान किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के शहरों में भूकंप के खतरे का आकलन करना है, जिससे नकारात्मक परिणामों का उपशमन करने, अगली घटना के लिए तैयार रहने और कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। अध्ययन से प्राप्त जोखिम सूचकांक मुख्य रूप से शहर के खतरे, जोखिम और प्रभावन (एक्सपोजर) पर केंद्रित होगा। यह प्रत्येक शहर को उनके लिए संभावित जोखिम और इसके परिणामों की जानकारी प्रदान करेगा, किसी भूकंप के कारण सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को कम करने में मदद करेगा और शहरों के बीच जोखिम की पारस्परिक तुलना प्रदान करेगा तथा साथ ही शहर के अधिक संवेदनशील क्षेत्र में आपदा की तैयारी और कार्रवाई संबंधी उपायों के प्राथमिकता निर्धारण में सरकारी एजेंसियों का मार्गदर्शन करेगा। परियोजना निगरानी समिति के साथ परामर्श से भूकंप जोखिम आकलन की पद्धति को अंतिम रूप प्रदान किया गया है। निर्धारित शहरों के मौजूदा भवनों में संवेदनशीलता संबंधी आकलन के लिए क्षेत्रीय कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। तदनंतर, प्रत्येक शहर के लिए क्षेत्रीय आकलन से प्राप्त भूकंप जोखिम अनुमान वर्तमान में अनुमोदन के चरण में हैं।

9.95 यह परियोजना निर्धारित शहरों में मौजूदा भवनों की संवेदनशीलता के लिए व्याप्त भूकंप जोखिम का उपशमन करने पर केंद्रित है। जिला/शहर के अधिकारियों और नीति–निर्माताओं के लिए एक विशिष्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो मौजूदा भूकंप जोखिम से प्रभावकारी ढंग में निपटने हेतु सुविचारित निर्णय के लिए जानकारियां और सिफारिशें प्रदान करेगी।

तकनीकी शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग/वास्तुकला कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अध्यापन संसाधन सामग्री का विकास

9.96 पिछले भूकंप से यह स्पष्ट हो गया है कि यदि भवनों को उचित ढंग से डिजाइन नहीं किया गया है, तो उन्हें क्षति पहुंचती है। अधिकतर मामलों में यह पता चला है कि अनेक मौजूदा भवनों में बीआईएस कोड में विनिर्दिष्ट भूकंप–रोधी विशेषताएं नहीं हैं। इंजीनियरिंग/ वास्तुकला कॉलेजों में स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम में संसाधन सामग्री की अनुपलब्धता होना, भवन के खराब डिजाइन और निर्माण के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक है। इसलिए, सिविल इंजीनियरिंग/ वास्तुकला विषयों वाले स्नातक स्तर के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है।

9.97 यह परियोजना आईआईटी बाम्बे को सौंप दी गई है। इस परियोजना का लक्ष्य पांच निर्धारित विषयों अर्थात् संरचना की गतिशीलता (स्ट्रक्चर डायनमिक्स) और भूकंप इंजीनियरिंग (मुख्य विषय); भूकंप भू–तकनीकी इंजीनियरिंग (वैकल्पिक विषय); आरसी संरचना का भूकंप–रोधी डिजाइन; (वैकल्पिक विषय); इस्पात संरचना का भूकंप–रोधी डिजाइन (वैकल्पिक विषय); और डिजाइन स्टूडियो– भूकंप–रोधी संरचनात्मक विन्यास (मुख्य विषय) पर अध्यापन संबंधी संसाधन सामग्री विकसित करना है और उसके बाद प्राथमिक रूप से भूकंप जोन IV और V में स्थित इंजीनियरिंग और वास्तुकला कॉलेज में एक पूर्ण सेमेस्टर पाठ्यक्रम के माध्यम से इन पाठ्यक्रमों का प्रायोगिक परीक्षण करना है। एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर तुलनात्मक रूप से उच्च रैंकों वाले इंजीनियरिंग संस्थानों के संकाय सदस्यों को प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यशालाओं के माध्यम से निर्धारित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। भविष्य में, इन प्रशिक्षित संकाय सदस्यों द्वारा अन्य इंजीनियरिंग और वास्तुकला कॉलेजों के संकाय सदस्यों को आगे प्रशिक्षण प्रदान दिये जाने की अपेक्षा है। मार्गदर्शी सुझाव और टीओटी कार्यशाला से प्राप्त फीडबैक के आधार पर संसाधन सामग्री में संशोधन किया गया है।

आईआईटी मद्रास में आरसी संरचना (स्ट्रक्चर) के भूकंप–रोधी डिजाइन पर आयोजित टीओटी कार्यशाला

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारका, नई दिल्ली में वास्तुकला डिजाइन स्टूडियो पर आयोजित टीओटी कार्यशाला

ज्ञान के आदान–प्रदान और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भूकंप–रोधी निर्माण की परम्परागत पद्धतियों का सार–संग्रहः परम्परागत निर्माण पद्धतियों का बढ़ावा देना

9.98 पिछले कई भूकंपों के कारण हिमालयी क्षेत्र में सम्पत्ति और मानव जीवन की काफी हानि हुई है। परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने भूकंप सुरक्षा के मूलभूत आधार को समझ लिया, जिससे यह पता चलता है कि भूकंप जनित घटना में सम्पत्ति और मावन जीवन की हानि से बचने के लिए भवन की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। विशेष तौर पर हिमालयी क्षेत्र में परम्परागत निर्माण की पद्धतियां विशिष्ट होती है, क्योंकि वे प्राथमिक रूप से स्थानीय तौर पर उपलब्ध ऐसी सामग्री का उपयोग करते हैं, जो बहुत कम लागत वाली और ईको–फ्रेंडली होती है। इन परम्परागत प्रौद्योगिकियों की प्रभावकारिता हाल की भूकंप आपदाओं के दौरान स्पष्ट दिखाई दी है। स्थानीय परम्परागत निर्माण पद्धति में भूकंप–रोधी प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया था, जो अब इन क्षेत्रों में आधुनिक सामग्री और निर्माण तकनीकों के शामिल होने के कारण समाप्त होती जा रही हैं। इन आधुनिक सामर्गी और निर्माण तकनीकों से आधुनिक निर्माण कार्यों की भूकंप संबंधी सुरक्षा का समाधान नहीं होता है।

9.99 इस परियोजना का उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र में परम्परागत तरीके के भवन की पहचान कर उनका दस्तावेजीकरण करना है तथा उनकी संरचनात्मक प्रणाली संबंधी वर्गीकरण स्कीम विकसित करना है और साथ ही परम्परागत भवनों में भूकंप–रोधी और संवेदनशील विशिष्टताओं का पता लगाना तथा उनकी भूकंप संबंधी संवेदनशीलता को कम करने के लिए उपयुक्त सुरक्षोपायों के लिए सुझाव देना है। यह परियोजना आईआईटी रुड़की और एईसी गुवाहाटी की सहभागित से आईआईटी रोपड़ को सौंपी गई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 19वें स्थापना दिवस (दिनांक 27.09.2023) पर औपचारिक रूप से "ज्ञान के आदान–प्रदान और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भूकंप–रोधी निर्माण की परम्परागत पद्धतियों का सार–संग्रह" जारी किया गया।

एनडीएमए के 19वें स्थापना दिवस पर "परम्परागत भूकंप–रोधी निर्माण का सार–संग्रह" रिपोर्ट जारी करना

मैशनरी लाइफलाइन संरचनाओं और आगामी निर्माणों की भूकंप–रोधी क्षमता में सुधार हेतु पायलट परियोजना

9.100 पिछले विध्वंसकारी भूकंपों से मौजूदा भवनों की उच्च संवेदनशीलता का पता चला है, जो मुख्य रूप से "भारतीय मानक और भवन निर्माण संहिता" में विनिर्दिष्ट भूकंप–रोधी विशेषताओं का पालन नहीं करने, विनियामक तंत्र की गैर–मौजूदगी और भवन उप–नियमों के अनुपालन की उपयुक्त निगरानी के अभाव के कारण है। आम तौर पर, किसी भूकंप की घटना होने की दशा में अंतर्निहित क्षरण, तन्य क्षमता का अभाव और लचीलेपन के अभाव अर्थात् मजबूत चिनाई में इस्पात के सुदृढ़ीकरण से प्राप्त होने वाले गुणों की कमी के कारण कमजोर चिनाई वाले भवनों और इंजीनियरिंग रहित भवनों का प्रदर्शन खराब रहता है। 70% से अधिक भवन राजमिस्त्रियों द्वारा निर्मित हैं और एक छोटा सा भूकंप इन भवनों को धराशायी कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप मौतों का आंकड़ा बहुत बढ़ जाता है।

9.101 एनडीएमए ने त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्यों तथा एनडीएमसी दिल्ली के लाइफलाइन भवनों की भूकंप प्रतिरोधकता में सुधार करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है, जिसमें चिनाई वाले चयनित लाइफलाइन भवनों का पुनःसंयोजन (रेट्रोफिटिंग), टेक्नोलॉजी डेमोनस्ट्रेशन यूनिट (टीडीयू) का निर्माण तथा इंजीनियर, बार बेंडर्स एवं कारपेंटरों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण शामिल है।

भू–स्खलन जोखिम उपशमन स्कीम (एलआरएमएस)

9.102 एनडीएमए ने संवेदनशील राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आपदा संबंधी तैयारी करने में तथा भविष्य में इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भू–स्खलन उपशमन संबंधी अन्य परियोजनाएं शुरू करने में उनकी क्षमता निर्माण करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और उत्तराखंड, 4 राज्यों में भू–स्खलन जोखिम उपशमन स्कीम (एलआरएमएस) शुरू की है। एनडीएमए ने जुलाई, 2019 में एसडीएमए/डीडीएमए के बेहतर आपदा जोखिम प्रशासन के अंतर्गत एलआरएमएस की परिकल्पना की और इसे शुरू किया।

9.103 इस परियोजना की कुल लागत 43.92 करोड़ रुपये है। इस स्कीम के चार प्रमुख परिणाम भू–स्खलन

न्यूनीकरण, वास्तविक समय पर निगरानी, जागरूकता कार्यक्रम और क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण हैं। डीपीआर तैयार करने के लिए एनडीएमए द्वारा एक टेम्पलेट तैयार किया गया था और इसे सभी संवेदनशील राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया।

9.104 मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, तीनों राज्यों ने भू–स्खलन उपचार/उपशमन संबंधी कार्य पूरा कर लिया है, जबकि उत्तराखंड में इस परियोजना को पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में राज्य स्तरीय कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं।

सीडीएम, एलबीएसएनएए में आईएएस/केंद्रीय सिविल सेवा अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उनके क्षमता निर्माण की परियोजना

9.105 एनडीएमए, आपदा प्रबंधन केंद्र, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए) मसूरी के सहयोग से सीडीएम, एलबीएसएनएए, मसूरी में प्रतिवर्ष 950 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2021–22 (फरवरी, 22) से 2025–26 तक पांच वर्षों के दौरान कुल 3.75 करोड़ रुपये के परिव्यय से उक्त परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

9.106 इस परियोजना का उद्देश्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न कार्यपालक और नीति निर्माण के स्तरों पर आपदा प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था को सुदृढ़ करना; मामलागत अध्ययन करना; और आपदा प्रबंधन संबंधी ज्ञान कोष विकसित करना है। दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक 1,884 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अब तक, इस परियोजना के अंतर्गत 3,308 अधिकारियों (वित्तीय वर्ष 2021–22 – 488, वित्तीय वर्ष 2022–23 – 1,451 और वित्तीय वर्ष 2023–24 – 1,369) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

मोबाइल रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम (एमआरडीएस)

9.107 एनडीएमए ने एक पायलट परियोजना पूरी की थी, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियों से निपटने के लिए 56 शहरों में पुलिस विभागों को मोबाइल रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम (एमआरडीएस) से युक्त किया गया है। 930 पुलिस गश्त वाहनों को गो–नो–गो उपकरणों से सुसज्जित किया गया था तथा 339 पुलिस स्टेशनों को विकिरण मापने के उपकरण एवं सुरक्षा किट प्रदान किए गए हैं। इस परियोजना के तहत शहरों में लगभग 430 पुलिस कर्मियों/एनडीआरएफ कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। एनडीएमए ने मुम्बई के चार पुलिस स्टेशनों में सैंपल आधार पर इस उपकरण का उपयोग करने के लिए जमीनी स्तर पर इसके कार्यान्वयन का सत्यापन किया है। इस उपकरण के प्रयोग के बारे में पुलिस कर्मियों में जागरूकता की कमी होने; पुलिस वाहन पर उपकरण का न होना और खराब उपकरण होने जैसी खामियों वाले क्षेत्रों की पहचान की गई। मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीई) के लिए एक जांच सूची तैयार की गई थी और चयनित शहरों/पुलिस स्टेशन में जागरूकता सृजन–सह–मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीई) के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। एमआरडीएस उपकरणों के वार्षिक रखरखाव संबंधी अनुबंध को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए बीएआरसी के साथ दो बैठकें आयोजित की गईं। सैंपल मध्यावधि मूल्यांकन करने, एएमसी को अंतिम रूप प्रदान करने और प्रत्येक पुलिस स्टेशन अथवा एसडीएमए को एमआरडीएस से संबंधित सभी कार्य सौंपने की योजना बनाई गई है। दिल्ली पुलिस स्टेशन में दिनांक 19.06.2023 को मध्यावधि मूल्यांकन किया गया, जिसमें 46 एमआरडीएस वाहन अच्छी स्थिति में पाए गए और जी–20 से पहले उन्हें नए वाहन प्रदान किए गए। 4–6 अक्टूबर, 2023 के दौरान, वाराणसी शहर में एमआरडीएस उपकरण का निरीक्षण सह–प्रशिक्षण किया गया। 10 गो–नो–गो मॉनीटरों, 20 डोसीमीटरों और 4 सर्वे मीटरों की जांच की गई थी और उन्हें अच्छी स्थिति में पाया गया। 30 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

आपदा मित्र योजना के पैमाने को बढ़ाना (अपस्केलिंग)

9.108 पायलट योजना की सफलता के आधार पर तथा उसके साथ–साथ मूल्यांकन और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, एनडीएमए 1,00,000 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात और भूकंप के उच्च जोखिम संभावित 350 जिलों में कुल 369.40 करोड़ रुपये की लागत से आपदा मित्र योजना के पैमाने को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, सभी प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को एक आपातकालीन

रिस्पांडर किट (ईआरके) और मृत्यु/स्थायी अशक्तता/अस्पताल में भर्ती होने की दशा को कवर करने वाला बीमा प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक चयनित जिले में "आपातकालीन आवश्यक संसाधन भंडार (ईईआरआर)" प्रदान किया जाएगा। यह स्कीम मार्च, 2024 तक पूरी की जानी है।

9.109 उक्त स्कीम का वित्तपोषण राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) की "तैयारी एवं क्षमता निर्माण वित्तपोषण विंडो" से किया जा रहा है। दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, उक्त स्कीम के तहत तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 96,600 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुल प्रशिक्षित स्वयंसेवकों में से, 83,132 स्वयंसेवकों का बीमा किया गया है। 94,870 स्वयंसेवकों के आंकड़े भी आपदा मित्र एमआईएस पोर्टल पर दर्ज किए जा चुके हैं। 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ईआरके और 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ईईआरआर की खरीद की गई है। 369.41 करोड़ रुपये में से, 352.92 करोड़ रुपये की राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को या तो जारी की गई है अथवा एनडीएमए स्तर पर खर्च की गई है।

सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) आधारित एकीकृत चेतावनी प्रणाली (सचेत) चरण–I

9.110 सेंटर फॉर "डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स" (सी–डॉट) की सहायता से एनडीएमए द्वारा सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) नामक एक स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है, ताकि विभिन्न संचार माध्यमों जैसे एसएमएस, सैल ब्रॉडकास्ट (सीबी), टीवी/रेडियो प्रसारण, रेलवे, मोबाइल एप्लीकेशन, सोशल मीडिया, उपग्रह टर्मिनलों आदि पर स्थानीय भाषाओं में भौगोलिक दृष्टि से इधर–उधर फैली हुई आबादी के लिए आने वाले खतरों के बारे में चेतावनियों/अलर्ट के प्रसार की सुविधा प्रदान की जा सके। सीएपी स्कीम को 354.83 करोड़ रुपये के परिव्यय से मार्च, 2021 में शुरू किया गया है। इस स्कीम के तहत, प्राधिकृत एजेंसियों से सभी आपदाओं के लिए अधिकारिक चेतावनियां प्रदर्शित करने हेतु सचेत नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन और राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल विकसित किया गया है।

9.111 यह स्कीम नागरिकों के साथ–साथ रिस्पॉडर्स को समय पर चेतावनी प्रसारित करने की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे कार्रवाई और तैयारी के लिए अधिक समय मिल सकेगा। इसके परिणामस्वरूप, जान और माल की क्षति में कमी आएगी। यह स्कीम नवीनतम और 'मेक इन इंडिया' पहल है।

9.112 इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सीडीओटी को दिनांक 23.08.2021 को कार्यादेश जारी किया गया है। यह परियोजना 18 महीनों में फरवरी, 2023 तक पूरी की जानी थी, परन्तु कार्यादेश में निर्धारित सभी गतिविधियों/माईलस्टोन को पूरा करने के लिए इसे आगे बढ़ा दिया गया है।

9.113 उपर्युक्त परियोजना के अंतर्गत पूरी की गई गतिविधियां

(क) चेतावनी जारी करने वाली एजेंसियां। चेतावनी जारी करने वाली निम्नलिखित एजेंसियों को सीएपी प्लेटफार्म के साथ जोड़ा गया है:

- (i) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)।
- (ii) केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ।
- (iii) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस)।
- (iv) रक्षा भू–सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (डीजीआरई)।
- (v) भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई)।

(ख) चेतावनी को अनुमोदन प्रदान करने वाली एजेंसियां। सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को सीएपी प्लेटफार्म के साथ जोड़ा गया है।

(ग) चेतावनी प्रसारित करने वाली एजेंसियां। क्षेत्रीय भाषाओं में स्थान आधारित चेतावनियां प्रसारित करने के लिए चेतावनी प्रसारित करने वाली निम्नलिखित एजेंसियों के साथ एकीकरण किया गया है:–

❖ भारत में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मोबाइल फोन पर एसएमएस।

- इंटरनेट ब्राउजर नोटिफिकेशन, आरएसएस फीड।
- गगन और नाविक सैटेलाइट टर्मिनल।
- मोबाइल एप्लीकेशन और राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल (सचेत)

(घ) चेतावनियों के प्रसारण के निम्नलिखित माध्यमों हेतु "प्रूफ ऑफ कान्सेप्ट" का पता लगाया गया है:

- टीवी और रेडियो जैसे मीडिया प्रसारण।
- रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक प्रदर्शन और संबोधन प्रणाली।
- सैल प्रसारण की जांच।

9.114 निम्नलिखित गतिविधियां अभी पूरी की जानी हैं:

- तटीय सायरन और अन्य परम्परागत सामुदायिक चेतावनी प्रणालियों के साथ एकीकरण हेतु "प्रूफ ऑफ कान्सेप्ट"।
- गूगल चेतावनियों के साथ अभी एकीकरण किया जाना है।
- मोबाइल एप्लीकेशन का अनुकूलन।
- एसएमएस द्वारा चेतावनियों के प्रसारण का अनुकूलन।
- प्रायोरिटी कॉल राउटिंग (पीसीआर) का कार्यान्वयन आंशिक रूप से पूरा हो गया है।

आपदा की आपात स्थितियों के लिए आपात मोचन सहायता प्रणाली (112 डायल) का विस्तार

9.115 "देश भर में सभी आपात स्थितियों के लिए एकल संकट (डिस्ट्रेस) नंबर" वाले माननीय प्रधानमंत्री के विजन को कार्यान्वित करने के लिए, एनडीएमए ने आपदा की आपात स्थितियों के लिए आपात मोचन सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) के विस्तार की योजना शुरू की है। वर्तमान में आपात मोचन सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) (डायल 112) को वॉयस कॉल, एसएमएस, ईमेल, पैनिक एसओएस, ईआरएसएस वेब पोर्टल आदि के माध्यम से महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण, पुलिस, अग्नि और चिकित्सा सहायता के संबंध में नागरिकों से प्राप्त सभी आपात संकेतों पर कार्रवाई करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रस्तावित योजना से आपदा की आपात स्थितियों को शामिल करने के लिए ईआरएसएस के वर्तमान दायरे का विस्तार किया जा सकेगा। डायल 112 पर शुरू की गई आपदा संबंधी आपात कॉल को पुलिस नियंत्रण केंद्र/पीएसएपी (पब्लिक सेफ्टी आंसरिंग प्वाइंट) द्वारा राज्य आपातकालीन संचालन केंद्रों (एसईओसी) में भेजा जाएगा, जहां से कॉल को आगे उपयुक्त रिस्पांडर के पास भेजा जाएगा।

9.116 उक्त परियोजना के लिए दिनांक 02.08.2021 को सीडैक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और परियोजना का कार्य प्रगति पर है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस परियोजना के दिनांक 31.03.2024 तक पूरा होने की संभावना थी, परन्तु इन परियोजनाओं की कतिपय गतिविधियां अभी भी लंबित हैं। इसलिए, इस परियोजना को दिनांक 31.03.2025 तक बढ़ाए जाने की मांग की गई है।

हरिद्वार–बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तराखंड के तपोवन – व्यासी कोरिडोर के लिए मेसो लेवल 1:10,000 स्केल यूजर फ्रेंडली एलएचजेड मैप और भूस्खलन इंवेटरी तैयार करने संबंधी पायलट परियोजना

9.117 एनडीएमए ने मई, 2018 में "हरिद्वार–बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तराखंड के तपोवन–व्यासी कोरिडोर के लिए मेसो लेवल 1:10,000 स्केल यूजर फ्रेंडली एलएचजेड मैप और भूस्खलन इंवेटरी तैयार करने" संबंधी एक पायलट परियोजना को शुरू किया है। यह परियोजना रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (आरएसएसी), उत्तर प्रदेश के सहयोग से कार्यान्वित की गई है, जिसमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), आईआईटी – रुड़की और उत्तराखंड सरकार अपनी तकनीकी जानकारियां तथा लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान कर रही हैं। इस परियोजना के अंतर्गत हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा के माध्यम से 1:10,000 स्केल के भूस्खलन जोखिम क्षेत्रीयकरण (एलजेडएच) मैप और 142 भूस्खलनों की इंवेटरी तैयार करने का कार्य किया गया। यह परियोजना अक्टूबर, 2023 में सफलतापूर्वक पूरी हो गई।

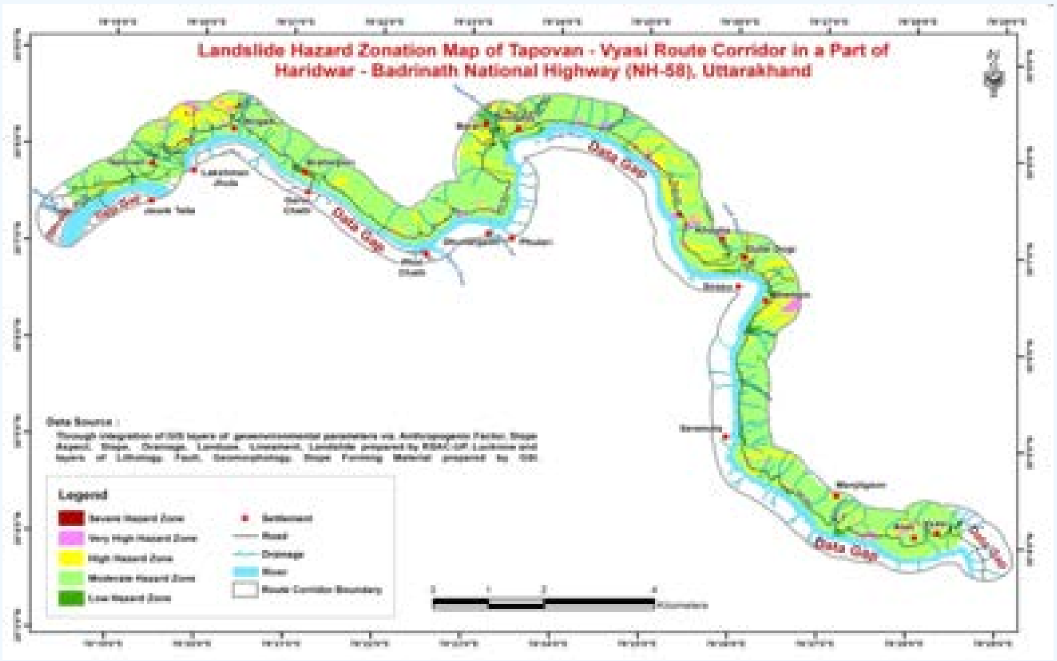

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार

9.118 केंद्र सरकार ने "सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार" वर्ष 2018–19 में आरंभ किया, जो पहली बार वर्ष 2019 में प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन जैसे कि रोकथाम, उपशमन, तैयारी, बचाव, कार्रवाई, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान/खोज अथवा पूर्व चेतावनी आदि के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष संबंधित 'व्यक्तियों/संस्थानों' को दिया जाता है।

9.119 इस पुरस्कार को प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर घोषित किया जाता है। वर्ष 2024 के पुरस्कार हेतु, संस्थानों की श्रेणी में 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल, उत्तर प्रदेश का चयन किया गया है।

9.120 पुरस्कार जीतने वाले संस्थान को एक प्रमाणपत्र और 51 लाख रुपये का नकद इनाम प्रदान किया जाता है। जबकि पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति को एक प्रमाणपत्र और 5 लाख रुपये का नकद इनाम प्रदान किया जाता है।

घ. सीबीआरएन (रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और नाभिकीय)

बंदरगाहों/हवाई अड्डों पर आपातकालीन संचालकों के लिए रासायनिक, जैविक,

रेडियोलॉजिकल और नाभिकीय (सीबीआरएन) आपातकालीन प्रबंधन पर प्रशिक्षण

9.121 सीबीआरएन आपात स्थिति के प्रति तैयारियों में सुधार करने के लिए, प्रमुख हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर क्षमता निर्माण कार्य एवं प्रशिक्षण का काम जारी है। घटना स्थल पर प्रशिक्षित रिस्पांडर्स के आने तक सीबीआरएन की किसी भी घटना को रोकने और कम करने के लिए, बंदरगाहों को तैयार रखने के लक्ष्य के साथ सीबीआरएन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत बुनियादी खतरों, सुरक्षा कार्यों, व्यावहारिक (हैंड्स–ऑन) फील्ड अभ्यासों को शामिल किया गया है। चरण–। में, सीबीआरएन आपातकालीन प्रबंधन पर बुनियादी प्रशिक्षण के कुल 25 बैच पूरे हो चुके हैं और बंदरगाहों के संचालन के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों के लगभग 1400 स्टाफ सदस्यों को डोमेन विशेषज्ञों और एनडीआरएफ द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। चरण–।। में 38 बंदरगाहों पर बुनियादी प्रशिक्षण का कार्य पूरा हो गया है। वर्ष 2023–24 (दिनांक 31.03.2024 तक) के दौरान, एनडीएमए ने 29 हवाई अड्डों और 09 बंदरगाहों पर प्रशिक्षण संबंधी कार्य पूरा कर लिया है, जिनमें एमपीए (गोवा बंदरगाह), विशाखापटनम बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, एमआईएएल (मुंबई हवाई अड्डा), कोच्चि हवाई अड्डा, मुंबई बंदरगाह ट्रस्ट, पारादीप बंदरगाह, कोलकाता हवाई अड्डा, चेन्नई हवाई अड्डा, भोपाल हवाई अड्डा, नागपुर हवाई अड्डा, बेंगलोर हवाई अड्डा, वाराणसी हवाई अड्डा, हैदराबाद हवाई अड्डा और दिल्ली हवाई अड्डा शामिल हैं। वर्ष 2023–24 की अंतिम तिमाही में, अमृतसर हवाई अड्डे, मदुरै हवाई अड्डे, कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण, मुंद्रा बंदरगाह और कृष्णापटनम बंदरगाह पर बुनियादी सीबीआरएन आपातकालीन प्रबंधन प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (एनपीपी) के लिए ऑफ–साइट और साइट आपातकालीन अभ्यास

9.122 न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने एनपीपी हेतु ऑफ–साइट आपातकालीन अभ्यास (ओएसईई) आयोजित करने के लिए नई पद्धतियां जैसे कि टेबल–टॉप, "एकीकृत कमांड, नियंत्रण और कार्रवाई (आईसीसीआर)" तथा आम जनता को शामिल करते हुए पूर्ण अभ्यास आदि तैयार की हैं। एनडीएमए की टीम ने साइट आपातकालीन अभ्यासों और ऑफ–साइट आपातकालीन अभ्यासों में क्रमशः 02 सितम्बर और 11 अक्टूबर, 2022 को भाग लिया और उनका पर्यवेक्षण किया। एनडीएमए ने जनवरी, 2024 में सदस्य, एनडीएमए के साथ ऑन–साइट और ऑफ–साइट आपातकालीन तैयारी के लिए राजस्थान की साइट का दौरा किया।

ङ. भारत में आपदा जोखिम शासन ढांचे को सुदृढ़ बनाने पर अध्ययनः विश्व की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं से सीखना

9.123 माननीय गृह मंत्री के निदेशानुसार वर्ष 2024 से पहले आपदा प्रबंधन में विश्व में अग्रणी बनने के लिए, एनडीएमए ने राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना के एक भाग के रूप में भारत–जापान लैबोरेटरी, कीयो विश्वविद्यालय, जापान; इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड एन्वायरमेंटल ट्रांजिशन–इंटरनेशनल (आईएसईटी), संयुक्त राज्य अमेरिका; और रेजिलिएंस इनोवेशन नॉलेज एकेडमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से "भारत में आपदा जोखिम शासन ढांचे को सुदृढ़ बनानाः विश्व की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं से सीखना" विषय पर एक अध्ययन कराया है, ताकि आठ देशों यथा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, तुर्की और संयुक्त राज्य अमरीका में उपलब्ध उन डीआरएम शासन संरचनाओं (और इसी तरह की अच्छी प्रक्रियाओं) को समझा जा सके, जिन्हें भारतीय संदर्भ में अपनाया जा सकता है।

9.124 रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार, एनडीएमए भारत में आपदा जोखिम शासन ढांचे को और अधिक मजबूत करने के लिए एक रोड मैप तैयार कर रहा है।

च. भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन)

9.125 "भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन)" उपकरणों, कुशल मानव संसाधनों और महत्वपूर्ण आपूर्तियों की सूची के प्रबंधन के लिए एक वेब आधारित प्लेटफार्म है, जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए निर्णयकर्ताओं को अपेक्षित

उपकरण और मानव संसाधनों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। आईडीआरएन एनआईसी पर होस्ट किया जाता है और इसका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा प्रबंधन किया जाता है।

9.126 भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क डाटाबेस में सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाओं के पास उपलब्ध डीएम उपकरणों और संबंधित मदों की जिला–वार सूची रखी जाती है।

9.127 एनडीएमए ने उद्योगों से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ–साथ कई उद्योग संघों के साथ श्रृंखलाबद्ध बैठकों में भाग लिया है और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निजी क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का अनुरोध किया है, ताकि आपदा की स्थितियों/आपातकालों के दौरान दोहरे उपयोग अर्थात् उन स्थानों पर अपने स्वयं के उपयोग के साथ–साथ जिला प्रशासन द्वारा उपयोग किए जाने हेतु भी विशेष मशीनों/उपकरणों की खरीद की जा सके और आईडीआरएन पोर्टल पर संसाधनों की सूची को अपडेट करने के लिए ऐसी मदों/मशीनों/उपकरणों की सूची जिला– प्राधिकारियों के साथ साझा की जा सके। निजी फर्मों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जिला प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके सीएसआर निधियों से नई मशीनें/उपकरण खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

9.128 एनडीएमए ने सभी राज्यों और स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श से भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क के संसाधनों के उपयोग पर दिशानिर्देश तैयार किए हैं और इन्हें फरवरी 2021 में जारी कर दिया है। ये दिशानिर्देश सार्वजनिक तौर पर एनडीएमए की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

9.129 कुशल मानव संसाधन सूची के अंतर्गत पूर्व सैनिकों और पूर्व–सीएपीएफ कार्मिकों तथा आपदा मित्रों का ब्यौरा दर्शाने के लिए आईडीआरएन पोर्टल में एक प्रावधान किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा आंकड़े अपडेट किए जा रहे हैं।

9.130 जिला प्राधिकारियों द्वारा आईडीआरएन सूची को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। एनआईडीएम, जो आईडीआरएन डाटाबेस तैयार करता है, मासिक आधार पर आईडीआरएन सूची को अपडेट करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

*****

अध्याय–10
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

10.1 प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार ने पारदेशीय एवं वैश्विक रूप ले लिया है जिसका देश की शांति, सुरक्षा एवं स्थायित्व पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इन उभरते हुए खतरों की मात्रा और जटिलता पारस्परिक भागीदारी को और अधिक महत्वपूर्ण बना देती है। इस संबंध में, गृह मंत्रालय द्वारा अनेक लिखतों के माध्यम से सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में विविध बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहल आरंभ करने और इन पर आगे कार्रवाई करने के लिए सतत रूप से विभिन्न देशों को शामिल करने हेतु अनेक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय, आपदा प्रबंधन के संबंध में एक नोडल मंत्रालय होने के नाते प्राकृतिक आपदाओं का प्रशमन एवं प्रबंधन करने के संबंध में एक बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल करने में भी सक्रिय रूप से शामिल है।

द्विपक्षीय सहयोग

10.2 पारदेशीय अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के कानूनी/द्विपक्षीय ढांचे के अंतर्गत आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संधियां (एमएलएटी), सुरक्षा संबंधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन/करार, स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और रासायनिक उत्प्रेरकों के अवैध व्यापार और मानव तस्करी से संबंधित अपराधों को रोकने और इनका मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग संबंधी लिखत तथा सज़ा प्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण संबंधी करार शामिल हैं, जो भारत और अन्य देशों के बीच किए गए हैं। ऐसी संधियों/करारों पर हस्ताक्षर इस बात को ध्यान में रख कर किए जाते हैं कि आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, मानव तस्करी, धनशोधन, भारतीय मुद्रा नोटों की जालसाज़ी आदि को रोकने में भारत को समर्थ बनाने हेतु सहयोग और सहायता प्राप्त की जा सके।

आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संधियां/करार

10.3 "आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संधि/करार", आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच और अभियोजन के द्वारा देशों की प्रभावकारिता में सुधार लाने और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जिसके अंतर्गत आपराधिक मामलों में विधिक सहायता प्रदान/प्राप्त करने के लिए आवश्यक विधिक फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है।

10.4 दिनांक 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार, भारत ने 45 देशों नामतः ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बेल्जियम, ब्राजील, बुल्गारिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, कनाडा, कम्बोडिया, मिस्र, फ्रांस, चीन जनवादी गणराज्य का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, इजराइल, कजाकिस्तान, किरगिज गणराज्य, कुवैत, मालदीव, मॉरीशस, मलेशिया, मेक्सिको, मोरक्को, म्यांमार, मंगोलिया, ओमान, पोलेंड, रूस, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्विटजरलैण्ड, ताजिकिस्तान, थाईलैण्ड, तुर्की, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), यूनाइटेड किंग्डम (यूके), संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए), उज्बेकिस्तान और वियतनाम के साथ "आपराधिक मामलों में परस्पर

विधिक सहायता संबंधी संधियों/करारों" पर हस्ताक्षर किए हैं तथा एक बहुपक्षीय बिम्सटेक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। "परस्पर विधिक सहायता संधि/करार" के तहत प्रदान की गई सहायता से विधि प्रवर्तन एजेंसियां अनेक करारकर्ता राष्ट्रों के अनुरोधों पर कार्रवाई करती रही हैं। इसी प्रकार, एमएलएटी/करार के उपबंधों के तहत ऐसी सहायता के लिए करारकर्ता पक्षकारों के अनुरोधों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

10.5 आपराधिक मामलों संबंधी परस्पर विधिक सहायता संधि पर विचार–विमर्श करने के लिए नेपाल, केन्या और इटली के साथ क्रमशः दिनांक 13.04.2023, 10.11.2023 और 20.11.2023 को वर्चुअल वार्ता बैठकें आयोजित की गईं।

सुरक्षा सहयोग तथा स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और रासायनिक उत्प्रेरकों के अवैध व्यापार और इनसे संबंधित अपराधों को रोकने और इनका मुकाबला करने पर द्विपक्षीय करार/समझौता ज्ञापन

10.6 भारत ने सुरक्षा सहयोग, स्वापक औषधियों तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बहरीन, भूटान, बुल्गारिया, कंबोडिया, चीन, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी संघ गणराज्य, इंडोनेशिया, ईरान, इजराइल, इटली, कोरिया गणराज्य, कुवैत, लाओस जनतांत्रिक गणराज्य, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, नेपाल, नाईजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, पोलैंड, कतर, रोमानिया, रूस, सिंगापुर, सऊदी अरब, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), यूनाईटेड किंगडम (यूके), संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए), उज्बेकिस्तान और जांबिया के साथ 44 द्विपक्षीय करारों/समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

10.7 ये करार/समझौता ज्ञापन, पारदेशीय संगठित अपराध से निपटने, स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के विनियमन और मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने में विभिन्न देशों के बीच परस्पर सहयोग को बढ़ाने में प्रचालनात्मक रूप से काफी उपयोगी हैं। इन द्विपक्षीय समझौतों से दोनों देशों में अपराधों की रोकथाम, जांच, अभियोजन तथा अपराधों का शमन करने में प्रभावकारिता बढ़ती है और भागीदार देशों की आसूचना एवं विधि–प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग बना रहता है। इसके अलावा, ऐसे करार/समझौता ज्ञापन उन नोडल अधिकारियों के संपर्क ब्यौरों के बारे में भागीदार देशों को अवगत कराने में भी उपयोगी हैं जिनसे अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी रियल टाइम आसूचना को साझा करने के लिए संपर्क किया जा सकता है और ये प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण में सहयोग तथा दोनों देशों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के प्रमुखों के बीच एजेंसी स्तर की बातचीत को भी सुविधाजनक बनाते हैं।

नाईजीरिया संघ गणराज्य की नेशनल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत गणराज्य के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक ने दिनांक 14.06.2023 को स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और रासायनिक उत्प्रेरकों के अवैध व्यापार को रोकने और इनसे संबंधित मामलों पर भारत गणराज्य के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और नाईजीरिया संघ गणराज्य की नेशनल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

सजा प्राप्त व्यक्तियों के स्थानांतरण पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तंत्र

10.8 भारत में दोषसिद्ध विदेशी कैदियों और विदेशों में दोषसिद्ध भारतीय कैदियों को अपनी सजा का बाकी हिस्सा अपने ही देश में काटने के लिए उन्हें उनके मूल देश में स्थानान्तरित किए जाने हेतु "कैदी प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003" अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम दिनांक 01.01.2004

को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम को जेल में बंद कैदियों से संबंधित इस मानवीय पहलू का ध्यान रखने के लिए अधिनियमित किया गया है कि दोषसिद्ध व्यक्ति अपने मूल देशों में अपने परिवारों के निकट रह सकें तथा उन्हें सामाजिक पुनर्वास का बेहतर अवसर मिल सके।

10.9 इस अधिनियम के तहत, सजा प्राप्त व्यक्तियों के स्थानान्तरण के लिए इच्छुक देशों के साथ द्विपक्षीय करार हस्ताक्षरित किए जाते हैं। भारत सरकार ने 31 देशों, नामतः ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बोस्निया और हर्जेगोविना, ब्राजील, बुल्गारिया, कंबोडिया, मिस्र, इस्टोनिया, फ्रांस, हांगकांग, ईरान, इजराइल, इटली, कजाकिस्तान, कोरिया, कुवैत, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, कतर, रूस, सऊदी अरब, सोमालिया, स्पेन, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), युनाइटेड किंगडम और वियतनाम के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

10.10 भारत ने सजा प्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण के लिए दो बहुपक्षीय समझौतों नामतः "विदेशों में आपराधिक सजा काटने के संबंध में अंतर–अमरीका समझौते" तथा "सजा प्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण पर यूरोप समझौता परिषद" पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसके आधार पर सदस्य राष्ट्रों तथा इन समझौतों पर सहमति देने वाले अन्य देशों का कोई सजा प्राप्त व्यक्ति अपनी बाकी सजा काटने के लिए अपने देश में स्थानांतरण के लिए अनुरोध कर सकता है।

भारत–बांग्लादेश संबंध

10.11 सुरक्षा और सीमा प्रबंधन संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1994 में एक त्रि–स्तरीय द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई थी। वार्ता का पहला स्तर महानिदेशक (डीजी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और महानिदेशक (डीजी), बार्डर गार्ड्स बांग्लादेश (बीजीबी) है, दूसरा– दोनों देशों के संयुक्त सचिवों के स्तर पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) है और तीसरा गृह सचिव स्तर पर है। दोनों देशों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए त्रि–स्तरीय तंत्र के अलावा, भारत और बांग्लादेश के बीच गृह मंत्री स्तर की वार्ता (एचएमएलटी) भी आयोजित की जाती है।

भारत–म्यांमार संबंध

10.12 भारत सरकार और म्यांमार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन–चैन बनाए रखने के लिए जनवरी, 1994 में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, भारत और म्यांमार में बारी–बारी से दोनों देशों के बीच संयुक्त सचिव और गृह सचिव स्तर की वार्ताएं आयोजित की जाती हैं।

भारत और अमरीका (यूएस) के बीच होमलैंड सुरक्षा वार्ता

10.13 केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल और सुश्री क्रिस्टी कैनेगैलो, कार्यवाहक उप सचिव, होमलैंड सुरक्षा विभाग, संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) के नेतृत्व में अमरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक दिनांक 28.02.2024 को सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें आतंकवाद और संगठित अपराध, लंबित एमएलएटी अनुरोधों, धार्मिक उग्रवाद, आप्रवासन संबंधी मुद्दों, प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, मादक पदार्थों की तस्करी आदि जैसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई।

भारतीय पक्ष की ओर से श्री अमित गर्ग, निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) और अमरिकी पक्ष की ओर से श्री कैजाद जे. मुंशी, उप निदेशक, संघीय विधि प्रवर्तन प्रशिक्षण केंद्र (एफएलईटीसी) द्वारा दिनांक 28.02.2024 को संघीय विधि प्रवर्तन प्रशिक्षण केंद्र, संयुक्त राज्य अमरीका और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, भारत सरकार के बीच विधि प्रवर्तन प्रशिक्षण संबंधी सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

उच्च स्तरीय द्विपक्षीय दौरे और बैठकें

10.14 **भारत और युनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच गृह मामलों की वार्ताः** 5वीं भारत–यूके गृह मामलों की वार्ता (एचएडी) दिनांक 12.04.2023 को आयोजित की गई। भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह सचिव और यूके के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह कार्यालय के स्थायी सचिव, सर मैथ्यू रायक्रॉफ्ट द्वारा किया गया। बैठक के दौरान, होमलैंड सुरक्षा, प्रवासन, आपराधिक न्याय सहयोग और साइबर सुरक्षा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

10.15 भारत में संयुक्त राज्य अमरीका के राजदूत, श्री एरिक एम. गारसेत्ती और माननीय गृह मंत्री के बीच बैठक दिनांक 11.07.2023 को आयोजित की गई। दोनों देशों के आपसी मुद्दों पर चर्चा की गई।

10.16 माननीय राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय और वियतनाम के माननीय सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री के बीच बैठक दिनांक 10.04.2023 को आयोजित की गई। बैठक के दौरान सुरक्षा, साइबर आदि पर द्विपक्षीय मुद्दों और आसियान तथा जी20 जैसे क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय के संबंध में चर्चा की गई।

10.17 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने 11 से 13 अक्टूबर, 2023 तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड (आईएनसीबी) प्रीकर्सर्स टास्क फोर्स बैठक की भी मेज़बानी की, जिसमें लगभग 16 देशों और यूएनओडीसी, आईएनसीबी और यूरोपीय आयोग जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी देखी गई।

10.18 एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी)/भूमि बंदरगाहों और भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों की अवसंरचना पर भारत–बांग्लादेश उप–समूह की 5वीं बैठक दिनांक 4–5 नवंबर, 2023 को ढाका में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) के अध्यक्ष ने किया। प्रतिनिधिमंडल में सचिव, एलपीएआई, निदेशक (समन्वय/बीएम–II) गृह मंत्रालय, निदेशक (ऑपरेशंस), एलपीएआई, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, वाणिज्य विभाग और कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल थे। बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री ज़िल्लुर रहमान चौधरी, अध्यक्ष, बांग्लादेश भूमि पत्तन

प्राधिकरण, शिपिंग मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार ने किया। उक्त बैठक में दोनों तरफ व्यापार संबंधी अवसंरचना के विकास, भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों को आईसीपी में स्तरोन्नत करने, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के भीतर विकास कार्यों, कार्गो की निर्बाध आवाजाही, व्यापार की प्रगति और यात्रियों की आवाजाही में द्विपक्षीय सहयोग आदि जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई।

10.19 गृह सचिव और विंबलडन के लॉर्ड तारिक अहमद, राज्य मंत्री, एफसीडीओ, यूनाईटेड किंगडम के बीच बैठक दिनांक 29.05.2023 और 22.02.2024 को आयोजित की गई। बैठक के दौरान भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा, प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, आपराधिक रिकॉर्ड साझा करने, राजनयिक वीजा समझौते, भारत विरोधी खालिस्तानी तत्वों, क्राउन डिपेंडेंसीज के लिए ई–वीजा, गोवा में विधि प्रवर्तन सहयोग पर चर्चा की गई।

10.20 गृह सचिव ने इज़राइल के राजदूत, भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत, भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त और श्रीलंका के उच्चायुक्त से मुलाकात की। द्विपक्षीय सुरक्षा मुद्दों से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई।

10.21 अपर सचिव (पी–I), संयुक्त सचिव (सीआईसी) और बर्नार्ड बॉबिम, निदेशक, फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ऑफ द फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर (आईएचईएमआई) के बीच दिनांक 31.10.2023 को बैठक आयोजित की गई।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) – 2023

10.22 वर्ष 2023 में भारत द्वारा शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की अध्यक्षता के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए :–

- आपातकालीन स्थितियों की रोकथाम और उन्मूलन के लिए जिम्मेदार एससीओ सदस्य देशों के विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक दिनांक 19.04.2023 को नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई।
- आपातकालीन स्थितियों की रोकथाम और उन्मूलन के लिए जिम्मेदार एससीओ सदस्य देशों के विभाग प्रमुखों की बैठक, भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में, दिनांक 20.04.2023 को नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई।
- भूकंप और बाढ़ की रोकथाम पर ज्ञान साझा करने के लिए क्रमशः दिनांक 23.02.2023 और 24.02.2023 को वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

भारत गणराज्य के गृह मंत्रालय और उज्बेकिस्तान गणराज्य के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय के बीच आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू)

10.23 एससीओ सदस्य देशों के विभाग प्रमुखों की बैठक के मौके पर, भारत गणराज्य के गृह मंत्रालय और उज्बेकिस्तान गणराज्य के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय के बीच आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर दिनांक 20.04.2023 को हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली स्थापित करना है, जिसके तहत भारत और उज्बेकिस्तान दोनों बड़ी आपदा के समय आपसी सहयोग, आपातकालीन स्थिति के बारे में सूचनाओं के आदान–प्रदान और अनुभवों को साझा करने, प्रभावी आपदा प्रशमन के लिए वैज्ञानिक तकनीकी सूचनाओं के आदान–प्रदान, अधिकारियों के प्रशिक्षण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन (डीआरआरएम) के क्षेत्र में सेमिनारों के आयोजन और संयुक्त आपदा प्रबंधन अभ्यासों से लाभान्वित होंगे।

10.24 भारत के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने वर्ष 2023 में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की भारत की अध्यक्षता में दिनांक 11.04.2023 और 13.04.2023 को क्रमशः मादक पदार्थ–रोधी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेज़बानी की। इसके अलावा, उत्प्रेरक नियंत्रण और विधि प्रवर्तन तथा मादक पदार्थ अपराध पर विशेषज्ञ कार्य समूहों की बैठकें भी क्रमशः दिनांक 18.01.2023 और 15.02.2023 को वर्चुअल रूप में आयोजित की गईं।

10.25 अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा (आईआईएस) पर एससीओ विशेषज्ञ समूह

अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा (आईआईएस) पर एससीओ विशेषज्ञ समूह की बैठक दिनांक 15.11.2023 से 17.11.2023 तक हाइब्रिड स्वरूप में आयोजित की गई। भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सुश्री मुआनपुई सैयावी, संयुक्त सचिव (साइबर कूटनीति) ने किया। बैठक के दौरान निम्नलिखित एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई :–

(i) वर्ष 2022–2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा सहयोग योजना के कार्यान्वयन और वर्ष 2024–2025 के लिए इसके अद्यतनीकरण में प्रगति;

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे अपराधों से मुकाबला करने में एससीओ के सदस्य देशों की सरकारों के बीच सहयोग और उज्बेकिस्तान के सुझावों पर तैयार की जा रही एससीओ के सदस्य देशों की अन्य पहलों पर मसोदा दस्तावेज़ चर्चा;

(iii) आईआईएस पर वार्ता प्रक्रिया, संयुक्त राष्ट्र में सूचना संबंधी अपराध का मुकाबला करने, इंटरनेट के सुरक्षित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के विषयों पर विचारों का आदान–प्रदान;

वैश्विक शांति परिरक्षण

10.26 संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में वैश्विक शांति को बनाए रखने के प्रयासों में गृह मंत्रालय सक्रिय रूप से भाग लेता है। विभिन्न रैंक के अधिकारियों को अनुरोध पर सेकेंडमेंट पर भेजा जाता है तथा जब भी आवश्यकता होती है, तो "संगठित पुलिस टुकड़ियों" की तैनाती की जाती है। दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 के दौरान, विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी), केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के योग्यता प्राप्त कुल 42 सिविल पुलिस (सिवपोल) अधिकारियों ने दक्षिण सूडान और एबेई में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक मिशनों में अपनी सेवाएं दीं।

इसके अलावा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब कैडर के तीन भारतीय पुलिस अधिकारियों ने पुलिस डिवीजन, यूएन मुख्यालय (एचक्यू), न्यूयॉर्क में पी–IV लेवल पर, ब्रिंडिसि, इटली में लॉजिस्टिक बेस पर स्थायी पुलिस क्षमता में और यूएनएमआईएसएस में डी–1/डी–2 स्तरों पर सेकेंडमेंट में अपनी सेवाएं दीं।

इसके अलावा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स द्वारा भी संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक मिशनों में योगदान दिया गया, जो कि निम्नानुसार हैः

क. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से एक संगठित पुलिस यूनिट को डीआर कांगो (एमओएनयूएससीओ) में तैनात किया गया।

ख. असम राइफल्स की 75 महिला कर्मिकों को सेना/रक्षा मंत्रालय के साथ डीआर कांगो, दक्षिण सूडान और एबेई में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक मिशनों में महिला एंगेजमेंट टीमों के रूप में तैनात किया गया।

साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में गतिविधियां

10.27 दूसरा भारत–नीदरलैंड द्विपक्षीय साइबर संवादः

दूसरा भारत–नीदरलैंड द्विपक्षीय साइबर संवाद दिनांक 03.02.2023 को नई दिल्ली में भौतिक रूप से आयोजित किया गया। भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सुश्री मुआनपुई सैयावी, संयुक्त सचिव (साइबर कूटनीति) ने किया और नीदरलैंड के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सुश्री नथाली जार्समा, एम्बैसडर एट–लार्ज फॉर सिक्योरिटी पुलिस एंड साइबर ने किया। बैठक में दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान, साइबर सुरक्षा की राष्ट्रीय नीतियों और रणनीतियों, संयुक्त राष्ट्र में साइबरस्पेस और प्रौद्योगिकी तथा विनियमों में नवीनतम घटनाक्रमों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

10.28 **"एनएफटी, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा" पर जी20 सम्मेलनः**

"एनएफटी, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा" पर जी20 सम्मेलन दिनांक 13–14 जुलाई, 2023 को गुरुग्राम, हरियाणा में आयोजित किया गया, जिसमें जी20 और यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों (चीन को छोड़कर) और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह सचिव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की। प्रतिभागी देशों के प्रतिनिधियों ने पूर्ण सत्र और अन्य तकनीकी सत्रों में भाग लिया। दुनिया भर के प्रतिष्ठित वक्ताओं ने इंटरनेट गवर्नेंस, अभूतपूर्व पैमाने पर डिजिटलीकरण के बीच डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को सुरक्षित करने, एक्सटेंडेड रिएलिटी, मेटावर्स और डिजिटल स्वामित्व के भविष्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी और डार्क नेट की चुनौतियों तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के आपराधिक इस्तेमाल जैसे विषयों पर आयोजित सत्रों के दौरान अपने विचार प्रस्तुत किए।

10.29 **पहली ब्रिक्स घटना प्रबंधन कार्यशालाः**

पहली ब्रिक्स घटना प्रबंधन कार्यशाला दिनांक 06.09.2023 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। सदस्य देशों के अधिकारियों ने घटना प्रबंधन–केस स्टडीज और नवीनतम रुझानों, घटना की रोकथाम, उसका पता लगाने और कार्रवाई में सर्वोत्तम प्रथाओं पर व्यावहारिक अनुभव, ज्ञान और चुनौतियों को साझा करने पर प्रस्तुतियां दीं।

10.30 **पांचवां भारत–जापान साइबर संवादः**

पांचवां भारत–जापान साइबर संवाद दिनांक 14.09.2023 को टोक्यो में आयोजित किया गया। भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सुश्री मुआनपुई सैयावी, संयुक्त सचिव (साइबर कूटनीति) ने किया और जापान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर नीति के प्रभारी राजदूत श्री हिदेओ इशिजुकी ने किया। बैठक के दौरान, राष्ट्रीय नीति में संशोधन और खतरों के बारे में जागरूकता, द्विपक्षीय सहयोग और बहुपक्षीय मंचों में सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

10.31 **आपराधिक उद्देश्यों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का मुकाबला करने पर एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति**

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने "आपराधिक उद्देश्यों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग को रोकना" शीर्षक से दिनांक 27.12.2019 के अपने संकल्प 74/247 के माध्यम से आपराधिक उद्देश्यों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग को रोकने के संबंध में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय लिखतों और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों और इसमें विशेष रूप से, साइबर अपराध पर एक व्यापक अध्ययन करने के लिए गठित ओपन–एंडेड अंतर–सरकारी विशेषज्ञ समूह के कार्य और निष्कर्षों को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए आपराधिक उद्देश्यों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग को रोकने के संबंध में एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की एक ओपन–एंडेड तदर्थ अंतर–सरकारी विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया।

तदर्थ समिति के चौथे, पांचवें और छठे सत्र क्रमशः दिनांक 09.01.2023 से 20.01.2023, 11.04.2023 से 21.04.2023 और 21.08.2023 से 01.09.2023 तक वियना में आयोजित किए गए, जिसमें एमईआईटीवाई, सीबीआई, डीआरडीओ (रक्षा मंत्रालय), एनएससीएस, सीईआरटी–इन, दूरसंचार विभाग, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया। मसौदा समझौते के विभिन्न अध्यायों पर चर्चा की गई और सदस्य देशों द्वारा संशोधनों के लिए सुझाव दिए गए।

10.32 मिलिपोल इंडिया प्रदर्शनी 2023

फ्रांसीसी दूतावास के अनुरोध पर भारत की अपेक्षाओं और विशिष्टता के अनुरूप प्रदर्शनियां तैयार करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने एक 'रणनीतिक सलाहकार बोर्ड' (एसएबी) का गठन किया है। विदेश मंत्रालय और फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधियों के साथ एसएबी की दो बैठकें दिनांक 07.09.2022 और 26.05.2023 को आयोजित की गईं। 'रणनीतिक सलाहकार बोर्ड' (एसएबी) ने प्रदर्शनी की सफलता के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना संभव बनाया। मिलिपोल इंडिया प्रदर्शनी 2023 का दिनांक 26.10.2023 से 28.10.2023 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

क्षमता निर्माण

10.33 गृह मंत्रालय केवल अपने पुलिस बलों के लिए ही नहीं, बल्कि विदेशी पुलिस कार्मिकों के लिए भी क्षमता निर्माण के कार्यक्रम संचालित करता है। दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान, विभिन्न देशों अर्थात मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, बेलीज, बोत्सवाना, कोटे डी'आईवर, चिली, क्रोएशिया, अल–साल्वाडोर, फिजी, मॉरीशस, नाइजीरिया, कतर, फिलीपींस, सूडान, दक्षिण सूडान, सूरीनाम, सेशेल्स, सीरिया, ताजिकिस्तान, तंजानिया, गुयाना, ग्वाटेमाला, घाना, होंडुरास, इराक, टोगो, जमैका, किंगडम ऑफ इस्वातिनी, कजाकिस्तान, केन्या, किरिबाती, चीन, निकारागुआ, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, रूस, मिस्र, इथियोपिया, कुवैत, अजरबैजान, मलावी, मंगोलिया, मोरक्को, लेसोथो, ओमान, सिएरा लियोन, कंबोडिया, वियतनाम, तुवालु, त्रिनिदाद और टोबेगो, उज्बेकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), जिम्बावे आदि के 795 विदेशी पुलिस कार्मिकों ने द्विपक्षीय सहयोग के तहत भारत में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।

10.34 मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन अधिकारियों और एजेंसियों की क्षमता निर्माण के लिए, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने जनवरी, 2023 में बांग्लादेश मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन अधिकारियों के लिए; फरवरी, 2023 में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के सदस्य देशों के लिए; दिनांक 28.02.2023 को एससीओ के सदस्य देशों के लिए और सितंबर, 2023 में पोलिसिया डी इन्वेस्टिगेशियन्स (पीडीआई) चिली के लिए नई दिल्ली में कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा, एनसीबी अधिकारियों ने आईएनसीबी, यूएनओडीसी, आसियान जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और यूएसए, किर्गिस्तान आदि जैसे अन्य देशों द्वारा आयोजित 45 अंतर्राष्ट्रीय बैठकों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सम्मेलनों में भी भाग लिया।

*****

अध्याय–11

प्रमुख पहलें और स्कीमें

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) की अंब्रेला स्कीम

11.1 केंद्र प्रायोजित स्कीमों को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गठित मुख्यमंत्रियों के उप–समूह ने वर्ष 2015 में अनुशंसा की थी कि "कानून और व्यवस्था" तथा "न्याय प्रदायगी प्रणाली" की स्कीमों को कोर राष्ट्रीय विकास एजेंडा के भाग के रूप में माना जाना चाहिए। इस अनुशंसा के अनुसरण में, भारत सरकार (नीति आयोग) ने अपने दिनांक 17.08.2016 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से, 66 मौजूदा केंद्र प्रायोजित स्कीमों को युक्तिसंगत बनाकर 6 'कोर ऑफ द कोर' स्कीमों, 20 'कोर' स्कीमों तथा 2 'वैकल्पिक' स्कीमों को अंतिम रूप देते हुए "पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ)" की अंब्रेला स्कीम को एक 'कोर' स्कीम के रूप में शामिल किया है।

11.2 गृह मंत्रालय ने इन स्कीमों के पारस्परिक संबंधों तथा पूरकताओं का उपयोग करके कार्यक्रम संबंधी परिणामों को हासिल करने के लिए, पुलिस को लैस करने से संबंधित स्कीमों और परियोजनाओं को एक अंब्रेला स्कीम के अंतर्गत समेकित किया है। इसका उद्देश्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में सहयोग तथा उनके कार्यकरण में सुधार करने वाली सभी संगत स्कीमों को केंद्रीय बजट में एक जगह पर लाना है।

11.3 सरकार द्वारा कुल 25,061 करोड़ रुपये के परिव्यय से, वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान कार्यान्वयन के लिए पहली बार दिनांक 27.09.2017 को "पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ)" की अंब्रेला स्कीम को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस कुल परिव्यय में से, अनुमोदित केंद्रीय परिव्यय 18,636 करोड़ रुपये है तथा राज्यों का हिस्सा 6,425 करोड़ रुपये है। इस 'कोर' स्कीम के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा 8 पूर्वोत्तर राज्य यथा अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा 90% केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं और 10% निधि राज्यों द्वारा स्वयं उपलब्ध कराई जानी होती है। शेष राज्यों के मामले में, केंद्रीय हिस्सा 60% है तथा राज्यों को 40% हिस्से का योगदान करना होता है। "पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ)" की अंब्रेला स्कीम के तहत कुछ उप–स्कीमों को छोड़कर बाकी उप–स्कीमों की समयावधि को दिनांक 31.03.2021 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया था।

11.4 मंत्रिमंडल ने दिनांक 19.01.2022 को "पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ)" की अंब्रेला स्कीम को वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी। कुल 26,275 करोड़ रुपये के केंद्रीय वित्तीय परिव्यय के साथ इस स्कीम में ऐसी सभी प्रासंगिक उप–स्कीमें शामिल हैं, जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और उनके कार्यकरण में सुधार में योगदान करती हैं।

11.5 मोटे तौर पर, इस अंब्रेला स्कीम में दो स्कीमें शामिल हैं, नामतः "राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम" तथा "जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) की स्कीम"।

मंत्रिमंडल के अनुमोदन के समय इन दो मुख्य शीर्षों (वर्टिकल) के तहत 15 उप–स्कीमें थीं, जिनका गठन निम्नानुसार हैः

(क) मुख्य शीर्ष (वर्टिकल) I : राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ)

- **केंद्र प्रायोजित तीन उप–स्कीमें**

i. पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

ii. आंध्र प्रदेश में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना/स्तरोन्नयन के लिए सहायता

iii. इंडिया रिजर्व बटालियनें/स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियनें (आईआर बटालियनें/एसआईआरबी बटालियनें) गठित करना

- **केंद्रीय क्षेत्र की दो उप–स्कीमें**

i. फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण हेतु स्कीम

ii. स्वापक नियंत्रण हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

(ख) मुख्य शीर्ष (वर्टिकल) II: जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके), पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई)

केंद्र प्रायोजित तीन उप–स्कीमें

i. सुरक्षा संबंधी व्यय (एनई)

ii. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस)

iii. सुरक्षा संबंधी व्यय (एलडब्ल्यूई)

केंद्रीय क्षेत्र की सात उप–स्कीमें

i. वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के प्रबंधन हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता की स्कीम (एसीएएलडब्ल्यूईएमएस)

ii. वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों और चिंताजनक स्थिति वाले जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए)

iii. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सिविक कार्य योजना (सीएपी)

iv. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मीडिया योजना (विज्ञापन एवं प्रचार)

v. एसआरई (जम्मू एवं कश्मीर)– राहत तथा पुनर्वास (आरएंडआर)

vi. एसआरई (जम्मू एवं कश्मीर)– सुरक्षा वातावरण

vii. एसआरई (जम्मू एवं कश्मीर)– पुलिस

11.6 इस अंब्रेला स्कीम के कार्यान्वयन से विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि में सामने आने वाली चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने और वहां विकासपरक पहल करने के लिए सरकार की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे इन क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी और साथ ही इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सहायता हो सकेगी।

"पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" की स्कीम ("राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण" की पूर्ववर्ती स्कीम)

उद्देश्य

11.7 यद्यपि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, तथापि, चूंकि वित्तीय कठिनाइयों के कारण राज्य अपने पुलिस बलों को वांछित स्तर तक आधुनिकीकृत तथा लैस नहीं कर पाए हैं, इसलिए गृह मंत्रालय वर्ष 1969–70 से 'राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण' की स्कीम को कार्यान्वित करके राज्यों के प्रयासों तथा संसाधनों में सहयोग प्रदान करता रहा है। इस स्कीम को वर्ष 2017–18 से 2020–21 की

अवधि के बीच 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता' के नए नाम के साथ जारी रखा गया था। चूंकि संघ राज्य क्षेत्रों को भी इस स्कीम के तहत शामिल किया गया है, इसलिए स्कीम का नाम बदलकर 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता' कर दिया गया है। केंद्र प्रायोजित इस उप–स्कीम का उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस को आधुनिक प्रौद्योगिकी, उन्नत हथियार, संचार के लिए नवीनतम उपकरण, फोरेंसिक, सुरक्षा, प्रशिक्षण, साइबर अपराध, ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था आदि जैसे अपेक्षित संसाधनों से लैस करके उनकी पुलिस अवसंरचना को मजबूत करना है।

11.8 सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए वित्तपोषण पैटर्न 90:10 (केंद्रः राज्य) है, शेष राज्यों के लिए यह 60:40 है तथा संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए यह 100% (केन्द्रीय हिस्सा) है। पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान है।

11.9 मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित संशोधनों के साथ वर्तमान उप–स्कीम को जारी रखा है, जिसे राज्यों के साथ समुचित परामर्श करके और उनके सुझावों के बाद अंतिम रूप दिया गया थाः

क) जमीनी स्तर पर स्कीम को प्रभावी बनाने के लिए, पुलिस स्टेशनों के निर्माण को इस स्कीम में शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास नवीनतम प्रौद्योगिकी आदि से संबंधित विशेषज्ञ एजेंसियों की सलाह और मूल्यांकन का अभाव है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को तकनीकी/आईटी सिस्टम की अनुमोदित लागत के 3% की अधिकतम सीमा के साथ किसी पीएमसी (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी) की सेवाएं ले सकने की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

ग) संघ राज्य क्षेत्र भी इस स्कीम में शामिल हैं।

स्कीम के अंतर्गत जारी निधियां

11.10 वित्तपोषण के उद्देश्य से राज्यों को दो श्रेणियों नामतः श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' में वर्गीकृत किया गया है। 'क' श्रेणी के राज्य नामतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा 8 पूर्वोत्तर राज्य यथा अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा 90% केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं तथा शेष 10% निधि राज्यों द्वारा स्वयं उपलब्ध कराई जानी होती है। वर्ष 2018–19 से 'राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण' की स्कीम के अंतर्गत 'क' श्रेणी के राज्यों को जारी की गई निधियों का राज्य–वार विवरण **अनुलग्नक–XVI** में दिया गया है। शेष राज्य 'ख' श्रेणी में हैं और इन राज्यों को 60% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है तथा 40% निधियां राज्यों द्वारा स्वयं उपलब्ध कराई जानी होती हैं। वर्ष 2018–19 से 'ख' श्रेणी के राज्यों को जारी की गई निधियों का राज्य–वार विवरण **अनुलग्नक–XVII** में दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित और जारी की गई निधियां अनुलग्नक–**XVIII** में दी गई हैं।

अनुमोदन प्रणाली

11.11 इस स्कीम हेतु केन्द्रीय बजट में किए गए आवंटन को अंतर–राज्यीय/संघ राज्य क्षेत्रीय वितरण के पूर्व–निर्धारित अनुपात के आधार पर, केंद्रीय हिस्से के रूप में, आगे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वितरित/आवंटित किया जाता है। प्रत्येक राज्य सरकार को आनुपातिक राज्य अंश (40% अथवा 10%) देना होता है तथा राज्यों को अपनी कार्यनीति संबंधी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर अपनी कार्य योजनाएं तैयार करनी होती हैं। इन कार्य योजनाओं का अनुमोदन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर "राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी/यूटीएलईसी)" द्वारा तथा केन्द्र

सरकार के स्तर पर स्कीम को देख रहे संयुक्त सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) द्वारा किया जाता है। कार्य योजनाओं के अनुमोदन चक्र को पूर्व तिथि के लिए निर्धारित (प्रीपोन) किया गया है तथा संशोधित अनुमोदन चक्र के अनुसार, कार्य योजनाओं को फरवरी तक, अर्थात वित्तीय वर्ष के शुरू होने से एक माह पहले अनुमोदित किया जाना होता है और राज्य 01 अप्रैल से जारी की जाने वाली निधियों का लाभ उठा सकते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय से निधियां जारी करने की सुविधा के लिए ऐसा किया गया है।

स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा

11.12 स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा केंद्रीय गृह सचिव तथा केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नियमित रूप से की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में राज्यों के विभिन्न मुद्दों और सुझावों पर विधिवत विचार किया जाता है तथा अलग–अलग राज्यों को जारी की गई निधियों के उपयोग की प्रगति की मॉनीटरिंग की जाती है।

निधियों का उपयोग

11.13 नकदी के अधिक कारगर प्रबंधन तथा सार्वजनिक व्यय के प्रबंधन में और अधिक दक्षता लाने के लिए, केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के तहत निधियां जारी करने और जारी की गई निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.07.2021 से एक नई प्रक्रिया शुरू की गई है। इस स्कीम के प्रयोजन के लिए, सभी राज्यों को एक "एकल नोडल एजेंसी (एसएनए)" नामित करनी होगी और किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर एक एकल नोडल खाता खोलना होगा। नई प्रक्रिया के अनुसार, स्कीम की शेष निधियों (केंद्रीय और राज्य के हिस्से) के आधार पर ही राज्यों को धनराशि जारी की जानी होती है। एसएनए के बैंक खाते में उपलब्ध धनराशि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को जारी की जाने वाली संभावित पहली किस्त के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, एक किस्त में जारी की जाने वाली राशि, वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हेतु निर्धारित राशि के 25% से अधिक नहीं होगी। खर्च न की गई शेष राशि की सख्त निगरानी हेतु इन दिशानिर्देशों के चलते, वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 और 2023–24 के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई वास्तविक राशि अपेक्षाकृत कम रही है।

सुधारात्मक प्रशासन संस्थान

11.14 कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 1989 में केन्द्र से पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ चंडीगढ़ में सुधारात्मक प्रशासन संस्थान (आईसीए) की स्थापना की थी। सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़, पड़ोसी राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र आदि के कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह संस्थान कारागारों तथा कारागार के कैदियों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर विभिन्न राज्यों के लिए आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इस संस्थान ने पड़ोसी राज्यों के कारागार कार्मिकों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा राज्य सरकारों के अनुरोध के अनुसार अन्य विषयों और मॉड्यूलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस संस्थान ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के सहयोग से राज्य सरकारों द्वारा संचालित कार्यक्रमों में भी भाग लिया है।

एशियाई और प्रशांत सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन

11.15 एशियाई और प्रशांत सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन (एपीसीसीए) 26 देशों यथा, आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई दारूस्सालाम, कम्बोडिया, कनाडा, चीन, फिजी, हांगकांग(चीन), भारत, इंडोनेशिया, जापान, किरिबाती, कोरिया, मकाऊ, मलेशिया, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपीन्स, सिंगापुर, सोलोमन द्वीपसमूह, श्रीलंका, थाईलैंड, टोंगा,

वानुआतु और वियतनाम का संगठन है। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है। वर्ष 2008 से, भारत इस संगठन के शासी बोर्ड का सदस्य है। प्रत्येक वर्ष सदस्य देशों द्वारा एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें सदस्य देशों के सुधारात्मक प्रशासक, एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में कारागार सुधारों से संबंधित नवीनतम और श्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में विचारों का आदान–प्रदान करते हैं। यह सम्मेलन सुधारात्मक अधिकारियों को अपनी जानकारी को साझा करने और विभिन्न देशों में अपनाई जा रही श्रेष्ठ पद्धतियों का आदान–प्रदान करने का अवसर देता है। वर्ष 2013 में, इस सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी। वर्ष 2022 का सम्मेलन दिनांक 19.09.2022 से 23.09.2022 तक वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था। वर्ष 2023 के सम्मेलन का आयोजन 12–16 नवंबर, 2023 के दौरान हनोई, वियतनाम में किया गया था।

सुधारात्मक सेवा पदक

11.16 कारागार प्रशासन में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर निम्नलिखित सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाते हैं: (क) विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक, (ख) सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक, (ग) शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक और (घ) शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक।

11.17 ये पदक सुधारात्मक सेवा, विशेष कठिनाई में प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने और दक्षता से अनुकरणीय सेवा प्रदान करने आदि के संबंध में विशिष्ट सेवा रिकॉर्ड के लिए प्रदान किए जाते हैं। शौर्य के लिए पदक कैदियों को पकड़ने अथवा उन्हें फरार होने से रोकने आदि के लिए प्रदर्शित असाधारण शौर्य के लिए प्रदान किया जाता है।

11.18 सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करने संबंधी राष्ट्रपति की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 05.04.1999 को जारी की गई थी। पहली बार इन पुरस्कारों की घोषणा वर्ष 2000 के गणतंत्र दिवस पर की गई थी। पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को एक मेडल और एक स्क्रोल प्रदान किया जाता है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इस पुरस्कार का अलंकरण राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

11.19 किसी वर्ष में दिए जा सकने वाले विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदकों और सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदकों की संख्या क्रमशः 25 और 75 है। शौर्य के लिए प्रदान किए जाने वाले पदकों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

11.20 स्वतंत्रता दिवस, 2023 पर कारागार कार्मिकों के लिए कुल 7 'विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदक' और 70 'सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक' अनुमोदित किए गए थे।

गवाह सुरक्षा योजना, 2018

11.21 गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके "गवाह सुरक्षा योजना, 2018" तैयार की थी। इस योजना में खतरे के आकलन के आधार पर गवाहों की सुरक्षा का प्रावधान है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 की रिट याचिका (आपराधिक) सं 156 में दिनांक 05.12.2018 के अपने निर्णय में इस योजना का समर्थन किया है। इस योजना को कार्यान्वयन के लिए दिनांक 14.01.2019 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया था। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार, गवाहों को इस योजना के तहत सुरक्षा मिलनी आरंभ हो गई है।

"एक भारत श्रेष्ठ भारत" – राज्य पुलिस बलों के बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान

11.22 भारत सरकार ने एक कार्यक्रम "एक भारत, श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी)" शुरू किया है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 31.10.2015 को अर्थात, सरदार

वल्लभभाई पटेल की जयंती पर लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की विविधता का उत्सव मनाना है, ताकि विविधता में एकता का प्रदर्शन किया जा सके। गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पुलिस कार्मिकों के आदान–प्रदान का भी एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस तरह के आदान–प्रदान से एक राज्य के पुलिस बल को अलग संस्कृति और भाषा वाले दूसरे राज्य के पुलिस बल के बारे में जानकारी हो सकेगी। इससे न केवल एक–दूसरे की संस्कृति की बेहतर समझ और जानकारी हो सकेगी, बल्कि उन्हें एक–दूसरे के राज्य की पुलिस व्यवस्था की भी जानकारी प्राप्त होगी।

11.23 इसके अलावा, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाने और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राजभवन/राजनिवास बड़े उत्साह और उल्लास के साथ विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्थापना दिवस का आयोजन कर रहे हैं। यह उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के इतिहास, कला और संस्कृति को साझा करने की भी एक पहल है, जिनका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यह देश के अतीत के गौरव और समन्वित संस्कृति का उत्सव भी है। इन समारोहों के भाग के रूप में, सभी राजभवन/राजनिवास विभिन्न राज्यों के लोगों को एक साथ लाकर सांस्कृतिक आदान–प्रदान, पारस्परिक समझ और सराहना को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पहल ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकता के धागे को मजबूत किया है। इस पहल ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों को एक–दूसरे के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संस्कृति और परंपरा को जानने में भी मदद की है और इस प्रकार, राष्ट्रीय एकता और एकीकरण की भावना को बढ़ावा दिया है।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

11.24 आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके तेलंगाना राज्य के गठन के लिए वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (एपीआर) अधिनियम, 2014 अधिनियमित किया गया था। उत्तरवर्ती राज्यों के बीच आंध्र प्रदेश संयुक्त राज्य की कम्पनियों/निगमों आदि की परिसम्पत्तियों और देनदारियों के विभाजन का कार्य चल रहा है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधिकांश प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा चुका है। एपीआर अधिनियम के शेष प्रावधान कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अवसंरचना परियोजनाओं और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से संबंधित कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन की अवधि लम्बी है, जिनके लिए अधिनियम में दस वर्षों की समयावधि निर्धारित की गई है।

11.25 गृह मंत्रालय समय–समय पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों और साथ ही दोनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करता है। अब तक, ऐसी 34 समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं।

राज्यपालों की नियुक्ति

11.26 वर्ष 2023–24 के दौरान, ओडिशा, त्रिपुरा और तेलंगाना राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। श्री रघुबर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया, श्री इंद्र सेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया और श्री सी पी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

राज्यपालों का सम्मेलन

11.27 दिनांक 11.11.2021 को 51वां राज्यपाल सम्मेलन राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। 51वें राज्यपाल सम्मेलन की कार्रवाई–योग्य सिफारिशों पर "की गई कार्रवाई की रिपोर्ट" माननीय राष्ट्रपति के अवलोकन के लिए सितंबर, 2023 में राष्ट्रपति सचिवालय को अग्रेषित कर दी गई है।

गांवों, कस्बों, रेलवे स्टेशनों आदि के नाम में परिवर्तन

11.28 गृह मंत्रालय गांवों, शहरों, रेलवे स्टेशनों आदि के नाम में परिवर्तन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 'अनापत्ति' प्रदान करता है। वर्ष 2023–24 (दिनांक 31.03.2024 तक) के दौरान, गांवों,

कस्बों, रेलवे स्टेशनों आदि के नाम में परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त 43 प्रस्तावों को 'अनापत्ति' प्रदान की गई है।

पुलिस सुधारों हेतु प्रोत्साहन

11.29 जब सितंबर, 2017 में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला स्कीम अनुमोदित की गई थी, तब 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता' नामक स्कीम के कार्यान्वयन की संरचना में 'पुलिस सुधारों हेतु प्रोत्साहन' के एक घटक को शामिल किया गया था। पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु प्रत्येक वर्ष एक निश्चित राशि रखने का निर्णय लिया गया था। विभिन्न समितियों द्वारा यथा अनुशंसित पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देने हेतु, मूल रूप से, इस स्कीम के लिए कुल वार्षिक आवंटन के 10% तक की राशि रखने का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2018–19 के दौरान, दस राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पात्र माना गया था और 76.90 करोड़ रुपये के कुल प्रोत्साहन में से इन राज्यों में से प्रत्येक को 7.69 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया। वर्ष 2019–20 से इस प्रोत्साहन निधि को बढ़ाकर '20 प्रतिशत तक' कर दिया गया है। वर्ष 2019–20 के लिए, छह राज्य सरकारों को पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन के रूप में 158.26 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2020–21, 2021–22 और 2022–23 के दौरान कोई भी राज्य पात्र नहीं पाया गया। वर्ष 2023–24 के लिए पुलिस सुधार के लिए प्रोत्साहन हेतु निर्धारित निधि को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए नियमित आवंटन के साथ मिला दिया गया है।

स्मार्ट पुलिस व्यवस्था

11.30 दिनांक 30.11.2014 को 49वें डीजी/आईजी वार्षिक सम्मेलन के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री ने स्मार्ट (एस.एम.ए.आर.टी.) पुलिस की संकल्पना से परिचित कराया था। इसका अर्थ है: एस–संवेदनशील और सख्त; एम–आधुनिक और सचल; ए–सतर्क और जवाबदेह; आर–विश्वसनीय और उत्तरदायी तथा टी–प्रशिक्षित और प्रौद्योगिकी–सक्षम। इस संबंध में अप्रैल–मई, 2015 के दौरान बेंगलुरू, भोपाल, गुवाहाटी और चंडीगढ़ में स्मार्ट पुलिस व्यवस्था के बारे में चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई थीं। इन कार्यशालाओं के दौरान, विभिन्न राज्य सरकारों/पुलिस द्वारा अपनाए गए कई नवीन विचार और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां प्रस्तुत की गईं और उनका विश्लेषण किया गया। 'स्मार्ट' पुलिस व्यवस्था के दस गुणों के हिसाब से सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का चयन कर लिया गया है। भुज, गुजरात में दिनांक 19.12.2015 से 20.12.2015 तक की अवधि के दौरान आयोजित महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में बीपीआरएंडडी द्वारा सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और स्मार्ट पुलिस व्यवस्था संबंधी पहलों का एक संकलन जारी किया गया था।

11.31 इस संबंध में, गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से पुलिस स्टेशन स्तर अथवा जिला स्तर या इससे निचले स्तर पर किसी अन्य पुलिस कार्यालय के सकारात्मक वृत्तांतों/उनके द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्य की पहचान करने और उसे जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस आयुक्त के कार्यालय की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से प्राप्त सूचना और वेबसाइटों से एकत्र की गई सूचना के अनुसार, पूरे देश में जिलों एवं पुलिस जिलों की अपनी अलग वेबसाइटें हैं। कुछ राज्यों ने जिला–वार सकारात्मक वृत्तांत अपलोड किए हैं और कुछ ने इन्हें अपनी राज्य पुलिस की वेबसाइटों पर अपलोड किया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, अब तक वेबसाइटों पर 43,927 सकारात्मक वृत्तांत अपलोड किए गए हैं।

छात्र पुलिस कैडेट (एसपीसी) कार्यक्रम

11.32 राष्ट्रीय स्तर पर छात्र पुलिस कैडेट (एसपीसी) कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 21.07.2018 को श्री राजनाथ सिंह, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा श्री

प्रकाश जावडेकर, माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और श्री मनोहर लाल खट्टर, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा की मौजूदगी में ताऊ देवी लाल स्टेडियम, गुरुग्राम में किया गया था। समारोह में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लगभग 6000 कैडेटों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में कक्षाओं के माध्यम से तथा स्कूलों के बाहर स्कूल के विद्यार्थियों के मन में मूल्यों और नैतिकता की भावना पैदा करके उनके माध्यम से पुलिस और वृहत समुदाय के बीच दूरी को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। यह कार्यक्रम कक्षा 8 और 9 के विद्यार्थियों पर केंद्रित है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा गया है कि इससे विद्यार्थियों के कार्य का बोझ न बढ़े। इस कार्यक्रम में मोटे तौर पर दो प्रकार के विषयों को कवर किया गया है:

(i) अपराध की रोकथाम और नियंत्रण

(ii) मूल्य और नैतिकता। पहले भाग के अंतर्गत ये विषय शामिल हैंदृ सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तथा आपदा प्रबंधन। दूसरे भाग के अंतर्गत ये विषय शामिल हैं – मूल्य एवं नैतिकता, बड़ों के प्रति सम्मान, परानुभूति एवं सहानुभूति, सहनशीलता, धैर्य, प्रवृत्ति, टीम भावना और अनुशासन। बीपीआरएंडडी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31.03.2024 तक 12,734 से अधिक स्कूल और 8,02,192 विद्यार्थी एसपीसी कैडेट के रूप में नामांकित हैं।

राज्य विधायन

11.33 गृह मंत्रालय भारत के राष्ट्रपति की सहमति/पूर्व अनुदेश/पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त विधायन संबंधी प्रस्तावों (संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत) पर कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है। संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ तथा सहमति हेतु विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 304 (ख) के परंतुक के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी हेतु विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–1 के परंतुक के अंतर्गत राष्ट्रपति के अनुदेशों हेतु अध्यादेश और साथ ही संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 4(3) के साथ पठित अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों का विनियमन इस श्रेणी में आते हैं।

11.34 भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके शीघ्र अनुमोदन के लिए विधायन संबंधी प्रस्तावों की जांच की जाती है। परस्पर विचार–विमर्श के द्वारा मुद्दों का समाधान करके विधेयकों के शीघ्र अनुमोदन/सहमति को सुकर बनाने के लिए, अन्य मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य सरकारों के साथ बैठकों के माध्यम से समय–समय पर इस संबंध में स्थिति की समीक्षा की जाती है।

11.35 पहले से लंबित राज्यों के विधायन संबंधी प्रस्तावों के अलावा, गृह मंत्रालय को दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान राज्यों से 91 नए विधायन संबंधी प्रस्ताव अर्थात् सहमति के लिए 89 विधेयक और पूर्व अनुदेशों हेतु 2 अध्यादेश प्राप्त हुए। इस अवधि के दौरान अंतिम रूप प्रदान किए गए प्रस्तावों की संख्या निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	विवरण	संख्या
I.	संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ और उनकी सहमति वाले विधेयक	
	(i) राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान किए गए विधेयक	29
	(ii) राष्ट्रपति के संदेश के साथ राज्य सरकार को वापस किए गए विधेयक	00

	(iii) विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति रोक लेना	12
	(iv) संबंधित राज्य सरकार द्वारा वापस लिए गए विधेयक	12
	(v) संबंधित राज्य सरकार को लौटाए गए विधेयक	00
II.	संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेशों हेतु अध्यादेश	
	(i) अध्यादेश के प्रख्यापन हेतु राष्ट्रपति के अनुदेशों की सूचना देना	02
	(ii) संबंधित राज्य सरकार द्वारा वापस लिए गए अध्यादेश	03
III.	संविधान के अनुच्छेद 304(ख) के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति हेतु विधेयक	
	(i) राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की जानकारी राज्य सरकार को दी गई	01
	(ii) संबंधित राज्य सरकार द्वारा वापस लिया गया विधेयक	01
IV.	संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 4(3) के साथ पठित अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विनियम	00
	कुल	60

11.36 गृह मंत्रालय का सरोकार आपराधिक कानूनों के विधायी पहलुओं से भी है। भारत सरकार ने मौजूदा आपराधिक कानूनों अर्थात, भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की समीक्षा करना लाभप्रद और आवश्यक समझा, जिसका उद्देश्य कानून और व्यवस्था को मजबूत करना और कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि आम आदमी के लिए जीवन को आसान बनाया जा सके।

विभिन्न स्टेकहोल्डरों से प्राप्त सुझावों पर व्यापक परामर्श और विचार–विमर्श के बाद, तीन कानून अर्थात भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए, भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किए गए और 25 दिसंबर, 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2024 को उस तारीख के रूप में निर्धारित किया गया है, जिस दिन इन तीन कानूनों के प्रावधान लागू होंगे।

इन तीन नए कानूनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

i. भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) अपराधों और दंड से संबंधित प्रावधानों को सुव्यवस्थित करने का प्रावधान करती है। पहली बार छोटे अपराधों के लिए दंडों में से एक दंड के रूप में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध, हत्या और राज्य के प्रति अपराधों को वरीयता दी गई है। संगठित अपराधों और आतंकवादी गतिविधियों की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, निवारक दंड के साथ आतंकवादी कृत्यों और संगठित अपराध संबंधी नए अपराधों को बीएनएस में जोड़ा गया है। अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों अथवा भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता

को खतरे में डालने वाले कृत्यों पर एक नया अपराध भी जोड़ा गया है। विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने और सजा को भी समुचित रूप से बढ़ा दिया गया है।

ii. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) अपराध की जांच में प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक के उपयोग और इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से सूचना को प्रस्तुत और दर्ज करने, समन जारी करने आदि का प्रावधान करती है। समयबद्ध तरीके से जांच, विचारण और निर्णय देने के लिए विशिष्ट समय–सीमा निर्धारित की गई है। नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसका उद्देश्य पीड़ितों को प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्रदान करना और उन्हें जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना है, जिसमें डिजिटल माध्यम शामिल हैं। जिन मामलों में सजा सात साल या उससे अधिक है, उनमें सरकार द्वारा मामला वापस लेने से पहले पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। छोटे और कम गंभीर मामलों के लिए संक्षिप्त विचारण अनिवार्य कर दिया गया है। आरोपी व्यक्तियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पूछताछ की जा सकती है। संक्षिप्त विचारण किए जाने और अनुपस्थिति में विचारण किए जाने की अवधारणा भी शुरू की गई है। मजिस्ट्रेट प्रणाली को भी सुव्यवस्थित किया गया है।

iii. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में प्रावधान है कि 'साक्ष्य' में उस इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई कोई भी सूचना शामिल की जा सकती है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाह, अभियुक्त, विशेषज्ञ और पीड़ितों को पेश होने की अनुमति देती है। इसमें साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता का प्रावधान है और इसका कानूनी प्रभाव, वैधता और प्रवर्तनीयता कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगी। इसमें द्वितीयक साक्ष्य के दायरे का विस्तार करने का प्रयास किया गया है, जिसमें यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल प्रति से बनाई गई प्रतियां, मूल प्रति से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां, उन पक्षकारों के विरुद्ध, जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है, दस्तावेजों के प्रतिलेख तथा किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा, जिसने स्वयं उसे देखा है, दिया हुआ मौखित वृत्तांत शामिल है और मूल रिकॉर्ड का मिलान करने वाली हैश ü वैल्यू द्वितीयक साक्ष्य के रूप में साक्ष्य के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होगी। इसमें न्यायालयों में स्वीकार्य तथ्यों और उनके प्रमाणन की सीमा निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। यह विधेयक साक्ष्य के माध्यम से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने में न्यायालयों की प्रथाओं के अधिक सटीक और समान नियम प्रस्तुत करता है।

दया याचिकाएं

11.37 गृह मंत्रालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई माफी संबंधी दया याचिकाओं आदि को भी देखता है। इस अवधि के दौरान एक दया याचिका पर कार्रवाई की गई।

निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल

11.38 इस सेक्टर की उन्नति के लिए, गृह मंत्रालय ने दिनांक 24.09.2019 को पीएसएआर अधिनियम के तहत निजी सुरक्षा एजेंसियों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से नए लाइसेंस जारी करने/लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए "निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल" लॉन्च किया था। यह पोर्टल अपराधियों के पूर्ववृत्त की अखिल भारत आधार पर ऑनलाइन सर्च की सुविधा वाले "अंतर–प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस)" डेटाबेस के माध्यम से आवेदकों/गार्डों/पर्यवेक्षकों आदि के चरित्र और पूर्ववृत्त के तुरंत सत्यापन किए जाने की सुविधा प्रदान करता है। यह ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रणाली, नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस संबंधी आवेदनों के शीघ्र निपटान और कारगर निगरानी की जरूरतों को पूरा करती है। इसके साथ ही, यह आवेदकों को आसानी से ट्रैकिंग करने की सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ उद्योगों की लागत में बचत करने की सुविधा भी प्रदान

करता है। वर्तमान में, यह पोर्टल पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील है जहां यह प्रणाली ऑफलाइन मोड में है।

निजी सुरक्षा एजेंसी केंद्रीय मॉडल नियम, 2020 की अधिसूचना

11.39 इस सेक्टर में "व्यवसाय करने में आसानी" को बढ़ावा देने के लिए, गृह मंत्रालय ने मंत्रालय द्वारा प्रशासित निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित किए गए "निजी सुरक्षा एजेंसी केन्द्रीय मॉडल नियम, 2006" की समीक्षा की है। नए मॉडल नियम अर्थात् "निजी सुरक्षा एजेंसी केन्द्रीय मॉडल नियम, 2020" को दिनांक 15.12.2020 को अधिसूचित कर दिया गया है और ये नियम, विगत के वर्ष 2006 के नियमों का अधिक्रमण करेंगे। अभी तक 30 राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों ने अपने नियमों को अधिसूचित करके नए नियमों को अपनाया है और शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नए नियमों को अपनाने की प्रक्रिया चल रही है। "निजी सुरक्षा एजेंसी केन्द्रीय मॉडल नियम, 2020" के अंतर्गत प्रौद्योगिकीय परिदृश्य में प्रगति, पूर्ववृत्त का डिजिटल सत्यापन, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ अनुरूपता और लाइसेंस शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आदि को शामिल किया गया है। मॉडल नियमों को प्रमुख अधिनियम का अधिक कारगर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है और ये निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल के पूरक हैं।

राष्ट्रीय मानदंड तैयार करना

11.40 'पुलिस' राज्य का विषय होने के नाते, राज्य पुलिस बल अपनी संबंधित राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। तथापि, गृह मंत्रालय इन बलों को सहायता प्रदान करने के अलावा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों/उपकरणों के संबंध में उनका मार्गदर्शन करता है और इन बलों की आधुनिकीकरण संबंधी विभिन्न साझा आवश्यकताओं के संबंध में राज्य पुलिस बलों को सहायता भी प्रदान करता है। राज्य पुलिस बलों द्वारा सीएपीएफ की गुणात्मक आवश्यकताओं और परीक्षण निर्देशों को अपनाना अथवा पुलिस के क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में एसओपी परिचालित करना ऐसे ज्ञान के आदान–प्रदान के कुछ उदाहरण हैं। इससे पुलिस बलों, विशेष रूप से छोटे राज्यों के पुलिस बलों के लिए मार्गदर्शन के अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध होते हैं। यह प्रयासों के दोहराव को भी दूर करता है और इस तथ्य से उत्पन्न होने वाली बाधाओं को भी आंशिक रूप से दूर करता है कि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। इस दिशा में, गृह मंत्रालय ने रेडियो संचार के क्षेत्र में राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण/न्यूनतम निर्धारित अवसंरचना तथा फॉरेंसिक के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानक परिचालित किए हैं।

पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग

11.41 वर्ष 2015 में, माननीय प्रधानमंत्री ने कच्छ, गुजरात में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान, पुलिस स्टेशनों के प्रदर्शन तथा साथ ही साथ नागरिकों के फीडबैक के आधार पर उनकी ग्रेडिंग के लिए पैरामीटर निर्धारित करने का निदेश दिया था। तद्नुसार, देश में दस सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशनों और किसी विशिष्ट राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशन की पहचान करने तथा उन्हें सम्मानित करने के लिए सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशन के वार्षिक मूल्यांकन की स्कीम शुरू की गई थी। पूरे देश में लगभग 17,535 पुलिस स्टेशनों में से, चयन (शॉर्ट लिस्ट) करने का कार्य सीसीटीएनएस पर अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित तरीके से किया गया था:

क. 750 से अधिक पुलिस स्टेशनों वाले राज्यों से 3

ख. अन्य सभी राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 2

ग. प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र से 1

11.42 पुलिस स्टेशनों का मूल्यांकन महिलाओं और अनुसूचित जातियों (एससी)/अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रति अपराधों, संपत्ति संबंधी अपराधों, लापता व्यक्तियों और पाए गए किन्तु पहचाने न जा सके व्यक्तियों/शवों के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। देश में सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशन को चुनने का मानदंड प्रारंभ में अपराध को रोकने, जांच तथा मामलों के निपटान, अपराध का पता लगाने, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था तथा

कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के मामले में उनके प्रदर्शन पर आधारित था। इस प्रयोजन के लिए पुलिस स्टेशनों की अवसंरचना और नागरिकों से प्राप्त फीडबैक को भी ध्यान में रखा जाता है।

11.43 वर्ष 2023 के लिए, देश के सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशन का चयन करने और उसे रैंक प्रदान करने के लिए पुलिस स्टेशनों के आकलन एवं मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसकी रिपोर्ट जनवरी, 2024 में जयपुर में आयोजित डीजीपी/आईजीपी सम्मेलन में जारी की जा चुकी है।

11.44 वर्ष 2023 के लिए शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला	पुलिस स्टेशन	रैंक
1.	तेलंगाना	साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय	राजेंद्र नगर	1
2.	जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर	शेरगारी	2
3.	पश्चिम बंगाल	चंदननगर पुलिस आयुक्तालय	सेरामपुर	3
4.	मिजोरम	चम्फाई	चम्फाई	4
5.	कर्नाटक	चामराजनगर	कुडेरू	5
6.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	सेक्टर 26	6
7.	झारखण्ड	साहिबगंज	मिर्जाचौकी	7
8.	पंजाब	रूपनगर	कीरतपुर साहिब	8
9.	केरल	मलप्पुरम	कुट्टीपुरम	9
10.	मध्य प्रदेश	देवास	सिविल लाइन	10

नए मॉडल पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करना

11.45 मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की तुलना में उसके बाद राज्यों द्वारा बनाए गए और अधिनियमित किए गए पुलिस अधिनियमों की जांच करने, पुलिस सुधारों पर समीक्षा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की जांच करने और लोक व्यवस्था पर द्वितीय एआरसी रिपोर्ट, 2007 की भी जांच करने के लिए, नए मॉडल पुलिस अधिनियम की आवश्यकता थी। तदनुसार, एक नया मॉडल पुलिस अधिनियम तैयार करने के लिए बीपीआरएंडडी में एक समिति का गठन किया गया।

11.46 बीपीआरएंडडी द्वारा तैयार किए गए नए मॉडल पुलिस अधिनियम का मसौदा अत्यंत संक्षिप्त रूप में मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006 में दिए गए कार्यढांचे पर आधारित है। जबकि मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006 में 16 अध्यायों में 221 धाराएँ थीं, नए मॉडल पुलिस अधिनियम में 10 अध्यायों में 97 धाराएँ हैं। मसौदे में एक राज्य के लिए एक एकल पुलिस सेवा, विभिन्न शाखाओं (जैसे कि जांच और ग्रामीण पुलिस व्यवस्था) की संरचना और आसूचना तथा अन्य विशेष यूनिटों के गठन का प्रावधान किया गया है। पुलिस की जवाबदेही पर एक पृथक और विस्तृत अध्याय निहित है, जिसमें प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखा गया है, जिसमें राज्य सुरक्षा आयोग का गठन, डीजीपी की भर्ती प्रक्रिया और न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल, ऑपरेशनल ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के लिए न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल, पुलिस की जांच तथा कानून–व्यवस्था संबंधी कार्यों का पृथक्करण, पुलिस स्थापना बोर्ड (पीईबी) का गठन और पुलिस शिकायत प्राधिकरण (पीसीए) का गठन शामिल है।

11.47 नए मॉडल पुलिस अधिनियम के मसौदे को सभी स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद, इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया जाएगा।

ब्रॉड बैंड – सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत (बीबी–पीपीडीआर) संचार नेटवर्क

11.48 सरकार तीसरी पीढ़ी की भागीदारी परियोजना (3जीपीपी), जो कि सार्वजनिक सुरक्षा–दीर्घावधिक विकास (पीएस–एलटीई) प्रौद्योगिकी है, पर आधारित अखिल भारतीय सेलुलर संचार नेटवर्क के लिए ब्रॉड बैंड – सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत (बीबी–पीपीडीआर) पर विचार कर रही है। इस नेटवर्क की परिकल्पना पीपीडीआर एजेंसियों जैसे कि अग्निशमन और बचाव सेवाओं, आपातकालीन चिकित्सा पेशेवरों, पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के साथ–साथ अन्य आपदा राहत सहायता एजेंसियों को वॉयस, वीडियो और डेटा जैसी मिशन–महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए आवश्यक उच्च गति की डेटा क्षमताएं (वर्तमान में मौजूद नहीं) प्रदान करने के लिए की गई है।

11.49 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय के संबंधित प्रभागों, दूरसंचार विभाग, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, दिल्ली पुलिस, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आदि के सदस्यों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) का गठन किया गया है। दिनांक 04.01.2024 को आयोजित तीसरी एचपीसी बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि गृह मंत्रालय और दूरसंचार विभाग द्वारा संयुक्त रूप से बीबी–पीपीडीआर पर एक एक–दिवसीय सम्मेलन/ कार्यशाला आयोजित की जाएगी। तद्नुसार, दिनांक 13.02.2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में बीबी–पीपीडीआर नेटवर्क पर अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का आदान–प्रदान करने वाले एक सम्मेलन का आयोजन किया गया।

11.50 सम्मेलन का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत नेटवर्क में शामिल स्टेकहोल्डरों को क्षमता निर्माण की सुविधा देना है। इससे भारतीय परिदृश्य में बीबी–पीपीडीआर नेटवर्क के कार्यान्वयन के लिए दुनिया भर में उपलब्ध विभिन्न समाधानों की जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों, दूरसंचार विभाग, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, एनडीआरएफ, एनडीएमए, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के गृह/पुलिस विभागों, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य पुलिस संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

11.51 सम्मेलन चार सत्रों में विभाजित था:

i. उद्घाटन सत्र

ii. सार्वजनिक सुरक्षा नेटवर्क में वैश्विक परिदृश्य

iii. भारत में प्रौद्योगिकी वातावरण और वर्तमान नेटवर्क

iv. भारत में बीबी–पीपीडीआर नेटवर्क के लिए कार्यान्वयन पद्धति उद्घाटन सत्र। सम्मेलन से प्राप्त ज्ञान सभी स्टेकहोल्डरों को शुरुआत से ही इसमें शामिल होने के लिए और नेटवर्क के एक बार कार्यान्वित होने के बाद इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सक्षम बनाएगा।

*****

अध्याय–12

विदेशी राष्ट्रिक, स्वतंत्रता सेनानी, पेंशन और पुनर्वास

विदेशी राष्ट्रिक और नागरिकता

12.1 गृह मंत्रालय (एमएचए) आप्रवासन, वीजा, विदेशी अभिदाय तथा नागरिकता संबंधी मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। भारत में विदेशी राष्ट्रिकों के प्रवेश करने, यहां ठहरने, उनकी आवाजाही और उनके भारत से प्रस्थान करने आदि का विनियमन कार्य आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पुलिस प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

विदेशी राष्ट्रिकों का प्रवेश और आवाजाही

12.2 भारत में विदेशी राष्ट्रिकों का प्रवेश, यहां ठहरना और यहां से प्रस्थान विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939, विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 द्वारा शासित होता है। जहां सभी विदेशी राष्ट्रिकों को सभी श्रेणियों का भारतीय वीजा, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा भौतिक अथवा स्टिकर स्वरूप में दिया जा सकता है, वहीं वर्तमान में, आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) 167 देशों के विदेशी राष्ट्रिकों को, सात श्रेणियों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वीजा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, 03 देशों के राष्ट्रिकों को 06 नामित विमानपत्तनों पर आप्रवासन प्राधिकारियों द्वारा "आगमन पर वीजा" प्रदान किया जाता है। भारत में विदेशी राष्ट्रिकों के ठहरने तथा उनकी आवाजाही और यहां से उनके प्रस्थान का विनियमन आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

विदेशी राष्ट्रिक और वीजा

12.3 दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान कुल 98,40,321 विदेशी राष्ट्रिकों ने भारत की यात्रा की। इस अवधि के दौरान, भारत की यात्रा करने वाले सबसे अधिक विदेशी राष्ट्रिक बांग्लादेश (21,08,734) से थे, जिसके बाद, संयुक्त राज्य अमरीका (17,37,549), यूनाइटेड किंगडम (9,86,954), आस्ट्रेलिया (4,72,913), कनाडा (4,00,417), श्रीलंका (2,85,664), मलेशिया (2,80,578), जर्मनी (2,39,271), नेपाल (2,02,197) और सिंगापुर (2,00,708) का स्थान था। दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान, विदेशी राष्ट्रिकों के कुल आगमन में से 70.27% हिस्सा इन 10 देशों का था, जबकि विदेशी राष्ट्रिकों के कुल आगमन में से शेष देशों का हिस्सा 29.73% था।

12.4 कोविड–19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर इसके फैलाव को नियंत्रित करने के लिए, गृह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों (विदेशी और भारतीय दोनों) के आगमन/प्रस्थान को कम करने के लिए फरवरी, 2020 से सुनियोजित तरीके से कई कदम उठाए थे। तथापि, भारत में अनलॉकिंग शुरू होने के साथ, केंद्र सरकार मई, 2020 से चरणबद्ध तरीके से वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में ढील प्रदान करती रही है। इस दिशा में, गृह मंत्रालय ने "वंदे भारत मिशन" अथवा "एयर बबल' (द्विपक्षीय हवाई यात्रा व्यवस्था) स्कीम के अंतर्गत अथवा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई अनुमति के अनुसार किसी गैर–अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ान से आने वाले यात्रियों सहित जलमार्ग अथवा फ्लाइट द्वारा भारत में प्रवेश करने के लिए निम्नलिखित श्रेणी के विदेशी राष्ट्रिकों को अनुमति प्रदान करने हेतु दिनांक 21.10.2020 को आदेश जारी किए हैं:

(क) सभी प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई)

कार्डधारक तथा किसी भी देश का पासपोर्ट रखने वाले पीआईओ (भारतीय मूल के व्यक्ति) कार्डधारक।

(ख) पर्यटन वीजा पर आने वालों को छोड़कर, किसी भी उद्देश्य से भारत आने के इच्छुक सभी विदेशी राष्ट्रिक (उपयुक्त श्रेणी के आश्रित वीजा पर उनके आश्रितों सहित)।

(ग) नियमित पर्यटक वीजा दिनांक 15.03.2022 को बहाल कर दिया गया था और 156 देशों के नागरिकों के लिए ई–पर्यटक वीजा भी दिनांक 15.03.2022 को बहाल कर दिया गया था।

(घ) वर्तमान में, 167 देशों के नागरिक सभी सात उप–श्रेणियों अर्थात ई–टूरिस्ट वीजा, ई–बिजनेस वीजा, ई–कॉन्फ्रेंस वीजा, ई–मेडिकल वीजा, ई–मेडिकल अटेंडेंट वीजा, ई–आयुष वीजा और ई–आयुष अटेंडेंट वीजा हेतु ई–वीजा के लिए पात्र हैं।

(ङ) इसके अलावा, भारत–बांग्लादेश (16), भारत–भूटान (01), भारत–नेपाल (2) तथा भारत–पाकिस्तान (01) सीमाओं पर 20 भूमि आईसीपी (आप्रवासन जांच चौकियां) भी खोली गई हैं। इसके अलावा, 03 रेल आईसीपी भी खोली गई हैं।

12.5 देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 के दौरान विदेशी राष्ट्रिकों को 92,922 ई–टूरिस्ट वीजा निःशुल्क प्रदान किए गए।

12.6 अफगानिस्तान में मौजूदा राजनीतिक स्थिति की वजह से उत्पन्न असाधारण स्थिति के कारण अफगानी नागरिकों के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में, ई–आपातकालीन X–विविध वीजा (ई–वीजा) आरंभ किया गया था।

विदेशी राष्ट्रिकों का निर्वासन

12.7 दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक, विदेशी राष्ट्रिक क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों (एफआरआरओ) द्वारा कुल 2,331 विदेशी राष्ट्रिकों को निर्वासित किया गया। निर्वासित किए गए विदेशी राष्ट्रिकों में से सर्वाधिक संख्या नाइजीरिया (1,470) से थी, जिसके बाद बांग्लादेश (411) और युगांडा (78) का स्थान था।

ई–वीजा

12.8 वर्तमान में, 167 देशों के नागरिकों को भारत में 31 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों और 05 प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से प्रवेश करने के लिए सात उप–श्रेणियों अर्थात ई–टूरिस्ट वीजा, ई–बिजनेस वीजा, ई–कॉन्फ्रेंस वीजा, ई–मेडिकल वीजा, ई–मेडिकल अटेंडेंट वीजा, ई–आयुष वीजा और ई–आयुष अटेंडेंट वीजा के तहत ई–वीजा की सुविधा प्रदान की गई है। इन 167 देशों के नागरिक ई–वीजा के लिए विश्व में कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और वीजा शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन कर सकते हैं। वर्तमान में ई–वीजा निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

i ई–टूरिस्ट वीजा तीन विकल्पों के तहत दिया जाता है अर्थात कई बार प्रवेश के साथ 05 वर्ष के लिए (श्रीलंकाई नागरिकों को छोड़कर), कई बार प्रवेश के साथ एक वर्ष के लिए और दो बार प्रवेश के साथ एक महीने के लिए।

ii ई–बिजनेस वीजा कई बार प्रवेश के साथ एक वर्ष के लिए दिया जाता है।

iii ई–मेडिकल वीजा, ई–मेडिकल अटेंडेंट वीजा और ई–आयुष अटेंडेंट वीजा तीन बार प्रवेश के साथ 60 दिन तक की अवधि के लिए दिया जाता है।

iv ई–कॉन्फ्रेंस वीजा एक बार प्रवेश के साथ 30 दिन की अवधि के लिए दिया जाता है।

12.9 इसके अलावा, एफआरआरओ/एफआरओ द्वारा भारत में ई–मेडिकल वीजा, ई–मेडिकल अटेंडेंट वीजा, ई–आयुष वीजा, ई–आयुष अटेंडेंट वीजा और ई–कॉन्फ्रेंस वीजा की अवधि बढ़ायी जा सकती है।

वीजा ऑन अराईवल (वीओए) स्कीम

12.10 ई–वीजा की सुविधा के अलावा, भारत सरकार

ने जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नागरिकों के लिए दो बार प्रवेश के साथ अधिकतम 60 दिनों की अवधि के लिए "वीजा ऑन अराईवल" स्कीम क्रमशः दिनांक 01.03.2016, 01.10.2018 और 07.11.2019 से लागू की है, जिसके तहत व्यापार, पर्यटन, सम्मेलन और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए भारत में 06 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों अर्थात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद के जरिये प्रवेश किया जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नागरिकों के मामले में, यह सुविधा उन यूएई नागरिकों को उपलब्ध होगी, जिन्होंने पहले भारत के लिए ई–वीजा अथवा सामान्य पेपर वीजा प्राप्त किया हो, चाहे उस व्यक्ति ने भारत की यात्रा की हो अथवा न की हो।

पाकिस्तानी नागरिकों के लिए दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी)

12.11 दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक, गृह मंत्रालय द्वारा पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए दीर्घावधि वीजा (एलटीवी) के कुल 1,112 मामले मंजूर किए गए हैं।

पाकिस्तानी कैदियों और मछुआरों का प्रत्यावर्तन

12.12 दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक, अपनी सजा पूरी कर चुके 34 पाकिस्तानी सिविल कैदियों तथा 15 पाकिस्तानी मछुआरों को पाकिस्तान प्रत्यावर्तित किया गया।

पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए भारतीय कैदियों और भारतीय मछुआरों को वापस लाना

12.13 दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक, 4 भारतीय सिविल कैदियों, 3 नागरिकों तथा 478 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान द्वारा भारत प्रत्यावर्तित किया गया।

आप्रवासन, वीजा और विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण एवं ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी) के संबंध में मिशन मोड परियोजना (एमएमपी)

12.14 गृह मंत्रालय ''आप्रवासन, वीजा और विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण एवं ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी)'' नामक एक मिशन मोड परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा सुरक्षित और एकीकृत सेवा प्रदायगी ढांचा विकसित एवं कार्यान्वित करना है, जो सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ–साथ वैध यात्रियों को सुविधाएं प्रदान कर सके। इस परियोजना का कार्यान्वयन स्थानों की अवसंरचना/कनेक्टिविटी की तैयारी के अनुरूप योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिसमें प्रभावी संचार, प्रशिक्षण और संस्थागत क्षमता सहायक हैं।

12.15 यह परियोजना मई, 2010 में शुरू की गई थी और इसे दो बार विस्तारित किया जा चुका है। वर्तमान विस्तार दिनांक 31.03.2026 तक है।

12.16 इस परियोजना में वैश्विक पहुँच निहित है, क्योंकि परियोजना के दायरे में विदेश में स्थित 190 भारतीय मिशन, 112 आईसीपी (आप्रवासन जांच चौकियां), 12 एफआरआरओ (विदेशी राष्ट्रिक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय) और देश भर में जिला मुख्यालयों में 700 से अधिक एफआरओ (विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण कार्यालय) शामिल हैं। वर्तमान में, विदेशों में स्थित 188 भारतीय मिशनों, 12 एफआरआरओ, 700 से अधिक एफआरओ और 112 आप्रवासन जांच चौकियों (आईसीपी) में एकीकृत ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली लागू की गई है। वीजा आवेदकों के बायोमीट्रिक विवरणों को कैप्चर करने के लिए विदेशों में स्थित 184 भारतीय मिशनों में बायोमीट्रिक नामांकन सॉफ्टवेयर लागू किया गया है।

12.17 वर्ष 2023 के दौरान, भारत में स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं का लाभ उठाने वाले विदेशी राष्ट्रिकों के प्रमाणीकरण के लिए आईवीएफआरटी वीजा एप्लीकेशन को शिक्षा मंत्रालय (स्टडी इन इंडिया') तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के आईटी प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत किया गया; जिला पुलिस मॉड्यूल (डीपीएम) को देश भर के 750 से अधिक जिलों में लॉन्च तथा लागू किया गया; भारत में आयुष उपचार लेने वाले विदेशियों के लिए ई–आयुष वीजा आवेदन शुरू किया गया।

12.18 इसके अलावा, मिशन के अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के साथ–साथ भारतीय उच्चायोगों के आईटी अवसंरचना ढांचे को नया रूप दिया गया।

आईसीपी को अधिकृत आईसीपी घोषित करना

12.19 वर्ष 2023 के दौरान, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मोपा, गोवा; राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भोपाल, मध्य प्रदेश, कामराजर बंदरगाह, तमिलनाडु तथा धामरा बंदरगाह को अधिकृत आप्रवासन जांच चौकियां घोषित किया गया। इसके अलावा, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मोपा, गोवा और देवी अहिल्या बाई होल्कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ई–वीजा स्कीम कार्यान्वित की गई।

प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक योजना

12.20 प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक स्कीम दिनांक 02.12.2005 से शुरू की गई थी। इस कार्ड से, अन्य बातों के साथ–साथ, कृषि/बागान संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर जीवन–पर्यन्त वीजा, एफआरआरओ के पास पंजीकरण कराने से छूट तथा अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को आर्थिक, वित्तीय एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में उपलब्ध सभी सुविधाओं के समान सुविधा प्राप्त होती है। राजनीतिक तथा लोक रोजगार संबंधी अधिकारों के मामलों में उन्हें किसी समानता की अनुमति नहीं है।

12.21 दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान, कुल 3,92,967 विदेशी राष्ट्रिकों को ओसीआई कार्डधारकों के रूप में पंजीकृत किया गया है और पीआईओ कार्ड के बदले 10,287 ओसीआई कार्ड जारी किए गए हैं।

12.22 पहले जारी किए गए पीआईओ कार्डों को दिनांक 31.12.2024 तक भारतीय आईसीपी के माध्यम से प्रवेश/निकास के लिए वैध माना जाएगा। तथापि, यदि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (आईसीएओ) द्वारा कोई समय–सीमा अधिसूचित की जाती है, जिसके द्वारा हस्तलिखित यात्रा दस्तावेज अवैध हो जाते हैं, तो पीआईओ कार्डधारकों को भारत की यात्रा के लिए भारतीय मिशनों से उपयुक्त वीजा प्राप्त करना होगा।

12.23 केंद्र सरकार ने मूल भारतीय आप्रवासियों की छठी एवं सातवीं पीढ़ी तक के उन वंशजों, जो भारतीय भू–भाग से प्रवासी और अनुबंधित मजदूरों के रूप में सूरीनाम और मॉरिशस में पहुंचे थे, को प्रत्येक मामले के गुण–दोषों के आधार पर ओसीआई कार्डधारकों के रूप में पंजीकृत होने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर विचार करने हेतु सूरीनाम में भारतीय दूतावास के प्रमुख तथा मॉरीशस में भारतीय मिशन के प्रमुख को भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7क(3) के तहत निहित शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं।

नागरिकता विंग

12.24 नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) दिनांक 12.12.2019 को अधिसूचित किया गया था और दिनांक 10.01.2020 से प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी अथवा ईसाई समुदाय के ऐसे प्रवासियों, जो दिनांक 31.12.2014 को अथवा उससे पहले भारत में आए थे और जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उप–धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा या उसके तहत अथवा विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 के प्रावधानों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश को लागू किए जाने से छूट प्रदान की गई थी, को नागरिकता प्रदान करने के कार्य को सुगम बनाना है।

12.25 सीएए एक केंद्रित कानून है, जिसके तहत एक स्पष्ट निर्दिष्ट (कट–ऑफ) तारीख के साथ विनिर्दिष्ट देशों के पूर्वोक्त विशिष्ट समुदायों को छूट प्रदान की गई है। यह एक अनुकम्पा आधारित तथा सुधारात्मक कानून है।

12.26 सीएए भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है। इसलिए, यह किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों को किसी भी तरह से न तो छीनता है और न ही कम करता है। इसके अलावा, नागरिकता

अधिनियम, 1955 में किए गए प्रावधान के अनुसार किसी भी श्रेणी के किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की वर्तमान कानूनी प्रक्रिया प्रचालनात्मक (ऑपरेशनल) है और सीएए किसी भी तरह से इस कानूनी स्थिति में संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं करता है। अतः, किसी भी देश के किसी भी धर्म के वैध प्रवासी पंजीकरण अथवा देशीकरण के जरिए कानून में पहले से उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा करने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे।

12.27 भारत के संविधान में पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासी और स्थानीय लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छठी अनुसूची के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए गए हैं। सीएए के दायरे में संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के अंतर्गत इनर लाइन परमिट सिस्टम द्वारा कवर किए गए क्षेत्र शामिल नहीं हैं। इसलिए, सीएए पूर्वोत्तर राज्यों की स्थानीय जनसंख्या को संविधान द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता है।

12.28 **नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024**: गृह मंत्रालय ने दिनांक 11.03.2024 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 172(ई) के तहत नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के दायरे में आने वाले पात्र प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।

12.29 दिनांक 11.03.2024 के सांविधिक आदेश संख्या 1231(ई) के माध्यम से गृह मंत्रालय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के साथ पठित नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के अनुसरण में पात्र आवेदकों द्वारा प्रस्तुत नागरिकता आवेदन के संबंध में कार्रवाई करने/निर्णय लेने के लिए अपेक्षित प्राधिकारी (प्राधिकारियों) को निर्दिष्ट करने का आदेश जारी किया है।

12.30 नागरिकता संबंधी सभी आवेदनों पर की जाने वाली कार्रवाई को दिनांक 15.10.2019 से पेपरलेस कर दिया गया है। शुरू से आखिर तक कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा रही है। दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक, नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों (गृह मंत्रालय तथा 9 राज्यों और 31 जिलों में केंद्र सरकार की प्रत्यायोजित शक्तियों वाले प्राधिकारियों) द्वारा कुल 1,699 नागरिकता प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए हैं। इसमें से, 1,278 लोगों को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 के तहत पंजीकरण द्वारा और 421 लोगों को धारा 6 के तहत देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की गई।

एफसीआरए विंग

12.31 एफसीआरए, 2010 राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक गतिविधियों और इससे जुड़े मामलों के संबंध में भारत में व्यक्तियों/एसोसिएशनों द्वारा विदेशी अभिदाय को स्वीकार करने या उपयोग को रोकने के उद्देश्य से विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग को विनियमित करता है।

12.32 एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत, किसी निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम के लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति अथवा एसोसिएशन विदेशी अभिदाय प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके गृह मंत्रालय से या तो पंजीकरण अथवा पूर्वानुमति प्राप्त कर सकता है। केवल उन एसोसिएशनों का पंजीकरण किया जाता है, जिनका विगत तीन वर्षों के दौरान चयनित गतिविधि के क्षेत्र में कार्य करने का प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड होता है। एसोसिएशन तथा उसके पदाधिकारियों के क्रियाकलापों एवं पूर्ववृत्त की सुरक्षा संबंधी संपूर्ण जांच के पश्चात ही पंजीकरण किया जाता है अथवा पूर्वानुमति प्रदान की जाती है।

12.33 दिनांक 14.12.2015 से सभी एफसीआरए सेवाओं जैसे कि पंजीकरण, पूर्वानुमति, पंजीकरण के नवीनीकरण, गैर–सरकारी संगठनों के ब्यौरे में परिवर्तन तथा विदेशी आतिथ्य की मंजूरी को ऑनलाइन कर दिया गया था। पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है, ताकि इसे उपयोगकर्ता के लिए और अधिक अनुकूल तथा जानकारीपूर्ण बनाया जा सके।

12.34 दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक पंजीकरण, नवीनीकरण एवं पूर्वानुमति तथा विदेशी आतिथ्य से संबंधित एफसीआरए आवेदनों के निपटान की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	सेवा	स्वीकृत	अस्वीकृत	कुल निपटान
1	नवीनीकरण	6293	2013	8306
2	पंजीकरण	1209	945	2154
3	पूर्वानुमति	39	257	296
4	विदेशी आतिथ्य	3912	471	4383
5	समिति के सदस्यों में परिवर्तन	4185	4162	8347

12.35 विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 को संसद द्वारा सितम्बर, 2020 में पारित किया गया था और इसे दिनांक 28.09.2020 को अधिसूचित किया गया है। अधिनियम में किए गए संशोधनों का उद्देश्य विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उसके उपयोग की प्रभावी रूप से निगरानी करने में सहायता करना है।

12.36 अधिनियम के बेहतर अनुपालन के लिए तथा घोषित और विधिसम्मत उद्देश्यों का पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु, संशोधन अधिनियम, 2020 के तहत अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

I. एक संस्था/एसोसिएशन से दूसरी संस्था/एसोसिएशन में विदेशी अभिदाय का हस्तांतरण निषिद्ध है, ताकि इसके दुरुपयोग और विचलन को रोका जा सके तथा उपयोग की प्रभावी निगरानी की जा सके।

II. मुख्य कल्याणकारी गतिविधियों के लिए विदेशी अभिदाय के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त विदेशी अभिदाय के प्रशासनिक व्यय की सीमा 50% से घटाकर 20% की गई।

III. पदाधिकारियों के लिए पहचान–पत्र के रूप में आधार अनिवार्य किया गया।

IV. यह सुनिश्चित करने के लिए कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कार्य किया जा रहा है, पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए फील्ड जांच की अनिवार्यता।

V. विदेशी अभिदाय केवल "एसबीआई, नई दिल्ली मुख्य शाखा में एफसीआरए खाते" में ही भेजा जा सकता है।

12.37 विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 के लागू होने के परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2020 के माध्यम से विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 में संशोधन किया है और इसे दिनांक 10.11.2020 को अधिसूचित किया गया है।

12.38 संशोधित व्यवस्था को सहज रूप से अपनाने के कार्य को सुगम बनाने के लिए, एफसीआरए एसोसिएशनों को विभिन्न प्रकार की रियायतें दी गई थीं। इनमें पूर्ववर्ती एफसीआरए के मुख्य खाते के उपयोग की अवधि में विस्तार और एफसीआरए पंजीकरण की वैधता अवधि को आगे बढ़ाना शामिल है।

12.39 गैर–सरकारी संगठनों/व्यक्तियों पर अनुपालन के दबाव को कम करने के उद्देश्य से, दिनांक 01.07.2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित

अधिसूचना के माध्यम से विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 में संशोधन किया गया है।

12.40 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत कुछ अपराधों को दिनांक 01.07.2022 को प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से प्रशमनीय (कंपाउंडेबल) बनाया गया है। इस अधिसूचना को दिनांक 20.02.2023 की अधिसूचना के माध्यम से आगे संशोधित किया गया है।

12.41 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 32 के तहत संशोधन के लिए आवेदन प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया दिनांक 01.09.2022 से ऑनलाइन कर दी गई है।

12.42 एसोसिएशन/एनजीओ/व्यक्तियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से टिकट आधारित एफसीआरए हेल्पडेस्क प्रणाली विकसित की गई और इसे दिनांक 14.07.2023 को लॉन्च किया गया। कोई भी संस्था हेल्पडेस्क वेबसाइट या सहायता ईमेल या सहायता टेलीफोन नंबर के माध्यम से प्रश्न/समस्याएं भेज सकती है। टिकट प्रणाली के साथ एफसीआरए हेल्पडेस्क ने जुलाई, 2023 से कार्य करना शुरू कर दिया।

12.43 विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम 2011 को दिनांक 22.09.2023 की अधिसूचना के माध्यम से आगे संशोधित किया गया है, जिसका उद्देश्य एसोसिएशनों की विदेशी अभिदाय से सृजित अचल और चल संपत्तियों का डेटा एकत्र करना है।

स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन

12.44 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मानव इतिहास (देश) में एक अनोखी मिसाल है। इसमें सभी वर्गों के लोगों ने एकजुट होकर एक उद्देश्य के लिए कार्य किया। यह संघर्ष 1947 तक जारी रहा और इसमें लोगों की अनेक पीढ़ियों का संघर्ष और बलिदान शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप ही देश को आजादी प्राप्त हुई। इस स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लोगों ने भाग लिया।

पेंशन योजना

12.45 स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 1969 में 'पूर्व–अंडमान राजनीतिक कैदी पेंशन स्कीम' नामक एक स्कीम शुरू की थी। वर्ष 1972 में, भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर, स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए "स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम" नामक एक स्कीम शुरू की गई थी। दिनांक 01.08.1980 से इस स्कीम को उदार बनाकर इसका नाम बदलकर 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम' कर दिया गया। वर्ष 2017 में, इस स्कीम के नाम को बदलकर "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना" (एसएसएसवाई) कर दिया गया। एसएसएसवाई के तहत पेंशन की मंजूरी की पात्रता संबंधी शर्तों का ब्यौरा गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष रियायत

12.46 पेंशन की मंजूरी की पात्रता के मानदंड में कम से कम छह माह की अवधि तक जेल में रहने की यातना, जो स्वतंत्रता सेनानी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भोगी है, निर्धारित की गई है। तथापि, महिला स्वतंत्रता सेनानियों और अनुसूचित जाति (एससी) तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए विशेष रियायत के रूप में, न्यूनतम अवधि तीन माह रखी गई है।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अन्य सुविधाएं

12.47 पेंशन के अलावा, स्वतंत्रता सेनानियों को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं:

(क) स्वतंत्रता सेनानी/उनकी विधवा/विधुर के लिए एक सहयोगी के साथ उसी श्रेणी में आजीवन निःशुल्क रेलवे पास (दूरन्तो में 2/3 ए.सी., राजधानी/शताब्दी/जनशताब्दी सहित किसी भी गाड़ी में प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी ए.सी.);

(ख) स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत चिकित्सा सुविधाएं और लोक उद्यम विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा भी प्रदान की गई है;

(ग) यदि व्यवहार्य हो तो, संस्थापना प्रभार के बिना और केवल आधे किराए के भुगतान पर टेलीफोन का कनेक्शन;

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों आदि के आवंटन के लिए अपनाई गई सामान्य चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों (पीएच), बेहतरीन खिलाड़ियों (ओएसपी) और स्वतंत्रता सेनानियों (एफएफ) के लिए "संयुक्त श्रेणी" के अंतर्गत 4% आरक्षण का प्रावधान;

(ङ) स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली में सामान्य पूल का रिहाइशी आवास (समग्र 5% विवेकाधीन कोटे के भीतर)। स्वतंत्रता सेनानी के जीवनसाथी को स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के पश्चात उस आवास को छह माह की अवधि तक अपने पास रखने की अनुमति दी गई है;

(च) स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पुरानी आवास व्यवस्था (बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली स्थित स्वतंत्रता सेनानी गृह) को बंद कर दिया गया है और उन्हें दिल्ली स्थित संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य भवनों में बेहतर आवास सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं; और

(छ) उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त, पूर्व–अंडमान स्वतंत्रता सेनानियों/उनके जीवनसाथी को एक सहयोगी के साथ वर्ष में एक बार अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने की भी अनुमति दी गई है।

पेंशन की राशि

12.48 वर्ष 1972 में पेंशन की आरंभिक राशि 200/– रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी। तदनंतर, मूल पेंशन और महंगाई राहत को समय–समय पर संशोधित किया गया है। दिनांक 15.08.2016 से, पेंशन को संशोधित करके केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वर्ष में दो बार लागू महंगाई राहत प्रणाली की व्यवस्था के समान कर दिया गया है। दिनांक 01.01.2024 से मासिक पेंशन की दर निम्नानुसार है:

क्रम सं.	स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी	दिनांक 15.08.2016 से मूल पेंशन (रुपये प्रति माह)	दिनांक 01.01.2024 से 48% की दर से महंगाई राहत	पेंशन की कुल राशि (रुपये प्रति माह)
1.	पूर्व-अंडमान राजनीतिक कैदी/उनके जीवनसाथी	30,000/-	14,400/- रुपये	44,400/-
2.	स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने ब्रिटिश भारत के बाहर यातना भोगी/उनके जीवनसाथी	28,000/-	13,400/- रुपये	41,400/-
3.	आई एन ए सहित अन्य स्वतंत्रता सेनानी/उनके जीवनसाथी	26,000/-	12,480/- रुपये	38,480/-

4.	आश्रित माता-पिता/पात्र पुत्रियां (किसी भी समय अधिकतम 3 पुत्रियां)	स्वतंत्रता सेनानी को देय राशि के 50% की सीमा तक अर्थात् 13,000/- रुपये से 15,000/- रुपये तक	6,240/- रुपये से 7,200/- रुपये तक	स्वतंत्रता सेनानी को देय राशि के 50% की सीमा तक अर्थात 19,240/- रुपये से 22,200/- रुपये तक

12.49 मौजूदा नियमों में स्पष्टता लाने और योजना के दुरुपयोग की संभावना को समाप्त करने के लिए, दिनांक 06.08.2014 के पत्र संख्या 45.03.2014–एफएफ (पी) के माध्यम से केंद्रीय सम्मान पेंशन के वितरण के लिए संशोधित नीतिगत दिशानिर्देश, 2014 जारी किए गए थे।

12.50 दिनांक 27.06.2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत आधार अधिसूचना जारी की गई है। बैंकों को नवंबर, 2023 से आधार प्रमाणित जीवन प्रमाण के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सलाह दी गई है। इस सुविधा का उद्देश्य गलत वितरण को कम करना, बैंक शाखा में जाए बिना जीवन प्रमाण पत्र पेश करना और पेंशनभोगियों के समय को बचाना है।

स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण पर व्यय

12.51 वित्त वर्ष 2023–24 के लिए गृह मंत्रालय के स्वीकृत बजट में पेंशन के भुगतान के लिए 649.03 करोड़ रुपये, केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानियों को जारी किए गए निःशुल्क कार्ड पास के लिए रेल मंत्रालय को भुगतान हेतु 3.0341393 करोड़ रुपये तथा दिल्ली में राज्य भवनों में स्वतंत्रता सेनानियों के मुफ्त ठहरने और भोजन की प्रतिपूर्ति के लिए 36 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। दिनांक 31.10.2023 की स्थिति के अनुसार, पेंशन के भुगतान हेतु 333.01 करोड़ रुपये, स्वतंत्रता सेनानियों के एफएफ होम में ठहरने की प्रतिपूर्ति के लिए 15.40 लाख रुपये का व्यय किया गया है तथा केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानियों को जारी किए गए निःशुल्क कार्ड पास के लिए रेल मंत्रालय को भुगतान पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

केन्द्रीय सम्मान पेंशनरों की संख्या

12.52 योजना के अंतर्गत, दिनांक 31.03.2024 तक 1,71,657 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को सम्मान पेंशन स्वीकृत की गई है। उन स्वतंत्रता सेनानियों/उनके आश्रितों, जिन्हें सम्मान पेंशन स्वीकृत की गई है, का राज्य–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उन स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों की संख्या, जिन्हें पेंशन स्वीकृत की गई है (दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश और	15286
2	तेलंगाना	
3	असम	4442
4	बिहार और	24905
5	झारखंड	

6	गोवा	1508
7	गुजरात	3599
8	हरियाणा	1691
9	हिमाचल प्रदेश	633
10	जम्मू एवं कश्मीर	1807
11	कर्नाटक	10104
12	केरल	3425
13	मध्य प्रदेश और	3488
14	छत्तीसगढ़	
15	महाराष्ट्र	17966
16	मणिपुर	63
17	मेघालय	86
18	मिजोरम	4
19	नागालैंड	3
20	ओडिशा	4196
21	पंजाब	7041
22	राजस्थान	814
23	तमिलनाडु	4135
24	त्रिपुरा	888
25	उत्तर प्रदेश और	18000
26	उत्तराखंड	
27	पश्चिम बंगाल	22523
28	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	3
29	चंडीगढ़	91
30	दादरा और नगर हवेली	83
31	दमण और दीव	33
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2048
33	पुदुचेरी	320
34	आजाद हिन्द फौज (आईएनए)	22472
	कुल	**171657**

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार पेंशनरों/लाभार्थियों की कुल संख्या 171657 है।

स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान

12.53 परंपरा के अनुसार, इस वर्ष कोविड–19 महामारी के वर्तमान परिदृश्य में, स्वतंत्रता सेनानियों के खराब स्वास्थ्य, घटती रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा वृद्धावस्था संबंधी अन्य समस्याओं के चलते अधिक संक्रमण का खतरा होने के कारण, भारत छोड़ो

आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिनांक 09.08.2023 को सम्माननीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशनरों के सम्मान में "ऐट होम" समारोह आयोजित नहीं किया जा सका। भारत के माननीय राष्ट्रपति की ओर से, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के डीएम/एसडीएम स्तर के अधिकारियों ने अपने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के स्वतंत्रता सेनानी पेंशनरों के घर पर अथवा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा चिह्नित किए गए स्थान पर जाकर उन्हें "अंगवस्त्रम और शॉल" से सम्मानित किया।

अपने स्वतंत्रता सेनानी/उनके परिवार को जानें (केवाईएफएफ/एफ):

12.54 स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (एसएसएसवाई) सम्मान वितरित करने वाले बैंकों को सभी स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (एसएसएसवाई) लाभार्थियों के साथ "अपने स्वतंत्रता सेनानी/उनके परिवार को जानें" अभियान चलाने तथा केवाईएफएफ/एफ प्रपत्रों की स्कैन की गई प्रतियां इस मंत्रालय को भेजने की सलाह दी गई थी। अभी तक, 11,958 स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (एसएसएसवाई) लाभार्थियों के केवाईएफएफ/एफ प्रपत्रों की स्कैन प्रतियां प्राप्त हुई हैं।

12.55 स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत, ऐसे 40 स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हैं, जिन्हें केंद्रीय सम्मान पेंशन देने के उद्देश्य से मान्यता दी गई है। उपर्युक्त 40 आंदोलनों में से, दो नवीनतम आंदोलनों यथा हैदराबाद मुक्ति आंदोलन और गोवा मुक्ति आंदोलन का ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया।

हैदराबाद मुक्ति आंदोलन

12.56 वर्ष 1947–48 के दौरान, पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य के भारत संघ के साथ विलय हेतु हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को वर्ष 1985 में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत पेंशन की मंजूरी के लिए पात्र बनाया गया था। तद्नुसार, हैदराबाद मुक्ति आंदोलन के दौरान भूमिगत यातनाओं के दावों पर विचार करने के उद्देश्य से 98 सीमावर्ती कैम्पों को मान्यता दी गई थी। इसके पश्चात, गृह मंत्रालय ने दावों पर विचार करने के लिए, जुलाई, 2004 में 18 अतिरिक्त सीमावर्ती कैम्पों को मान्यता प्रदान की थी। गृह मंत्रालय ने वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों हेतु पेंशन की मंजूरी की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए दिनांक 10.09.2009 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।

गोवा मुक्ति आंदोलन

12.57 गोवा की मुक्ति के आंदोलन के दौरान, जो कई वर्षों तक चला, बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों को पुर्तगाली प्राधिकारियों के हाथों कड़ी सजा मिली थी। गोवा मुक्ति आंदोलन निम्नानुसार तीन चरणों में फैला था:

चरण–I	1946 से 1953 तक
चरण–II	1954 से 1955 तक
चरण–III	1956 से 1961 तक

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

12.58 दिनांक 04.07.2018 को, भारत सरकार ने 3182.91 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ "प्रवासियों और प्रत्यावर्तितों को राहत और पुनर्वास" की अम्ब्रेला स्कीम के तहत आठ स्कीमों को एक साथ मिलाकर उसे मार्च, 2020 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की थी। इन 08 स्कीमों में से, एफएफआर प्रभाग निम्नलिखित तीन स्कीमों को कार्यान्वित करता है:

(क) तमिलनाडु और ओडिशा के शिविरों में रह रहे श्रीलंकाई शरणार्थियों को राहत सहायता।

(ख) तिब्बती बस्तियों के प्रशासनिक और सामाजिक कल्याण संबंधी खर्च के लिए केंद्रीय तिब्बती राहत समिति (सीटीआरसी) को सहायता अनुदान।

(ग) भारत और बांग्लादेश के बीच एन्क्लेवों के आदान–प्रदान के बाद वापस आने वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास पैकेज तथा बांग्लादेशी एन्क्लेवों और कूच बिहार जिले की अवसंरचना का उन्नयन।

12.59 "प्रवासियों और प्रत्यावर्तितों को राहत और पुनर्वास" की अम्ब्रेला स्कीम वित्त मंत्रालय के दिनांक 10.01.2020 के का. ज्ञा. सं. 42(2)/पीएफ–II/2014 द्वारा दिनांक 31.03.2021 तक आगे बढ़ा दी गई थी। इसके बाद, मंत्रिमंडल ने दिनांक 19.01.2022 को 1452 करोड़ रुपये के परिव्यय से वर्ष 2021–22 से 2025–26 की अवधि के लिए सात उप–स्कीमों के साथ "प्रवासियों और प्रत्यावर्तियों को राहत और पुनर्वास" की अम्ब्रेला स्कीम को मंजूरी प्रदान की है।

श्रीलंकाई शरणार्थी

12.60 जुलाई, 1983 और अगस्त, 2012 के बीच विभिन्न चरणों में कुल 3,04,269 श्रीलंकाई शरणार्थी भारत आए। भारत सरकार का दृष्टिकोण उन्हें श्रीलंका प्रत्यावर्तित करने के अंतिम लक्ष्य के साथ मानवीय आधार पर राहत प्रदान करना है। उनका इस प्रकार प्रत्यावर्तन होने तक उन्हें राहत प्रदान की जाती है।

12.61 यद्यपि मार्च, 1995 तक 99,469 शरणार्थी श्रीलंका को प्रत्यावर्तित किए जा चुके हैं, लेकिन, मार्च, 1995 के पश्चात कोई संगठित प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है। तथापि, कुछ शरणार्थी श्रीलंका लौट गए हैं अथवा खुद ही दूसरे देशों में चले गए हैं। दिनांक 01.06.2024 की स्थिति के अनुसार, 57665 श्रीलंकाई शरणार्थी तमिलनाडु के 105 शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं और 19 शरणार्थी ओडिशा में रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.05.2024 तक तमिलनाडु में राज्य प्राधिकरणों के पास पंजीकृत लगभग 32,938 शरणार्थी शिविरों के बाहर रह रहे हैं।

12.62 प्रत्यावर्तन होने तक, उन्हें मानवता के आधार पर कुछ आवश्यक राहत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं में शिविरों में शरण, नकद सहायता, सस्ता राशन, वस्त्र, बर्तन, चिकित्सा–देखभाल और शिक्षा संबंधी सहायता शामिल हैं। सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है और बाद में भारत सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। जुलाई, 1983 से दिनांक 30.06.2024 तक की अवधि के दौरान इन शरणार्थियों को राहत और आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा 1375.83 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है।

तिब्बती शरणार्थी

12.63 वर्ष 1959 में धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा तिब्बत छोड़ने के बाद से तिब्बती शरणार्थियों का भारत में आना शुरु हो गया। भारत सरकार ने उन्हें शरण देने के साथ–साथ अस्थायी तौर पर बसाने के लिए सहायता देने का निर्णय लिया। उनकी पृथक जातीय और सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने का ध्यान रखा गया है।

12.64 केंद्रीय तिब्बती राहत समिति (सीटीआरसी) द्वारा करायी गई नवीनतम जनगणना 2022 के अनुसार, भारत में तिब्बती शरणार्थियों की जनसंख्या 63,167 थी। इनमें से अधिकांश शरणार्थी स्व–रोजगार के माध्यम से अथवा कृषि और हथकरघा योजनाओं के तहत सरकार की सहायता से देश के विभिन्न राज्यों में बस गए हैं। तिब्बती शरणार्थियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक (20,041), हिमाचल प्रदेश (13,333), अरुणाचल प्रदेश (4,933), उत्तराखंड (6,706), पश्चिम बंगाल (4,230) तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (6,292) में है। तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास लगभग पूरा हो गया है और केवल एक शेष आवास योजना उत्तराखंड राज्य में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

12.65 देश के विभिन्न भागों में बसे तिब्बती शरणार्थियों के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में एकरुपता लाने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने तिब्बती पुनर्वास नीति, 2014 जारी की है।

12.66 भारत सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में स्थित 36 तिब्बती आवासन कार्यालयों के प्रशासनिक एवं सामाजिक कल्याण की गतिविधियों से संबंधित खर्च को पूरा करने के लिए वर्ष 2015–16 से शुरू करके वर्ष 2019–20 तक पांच वर्ष की अवधि हेतु धर्मगुरू दलाई लामा की केन्द्रीय तिब्बती राहत समिति (सीटीआरसी) को 40 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान प्रदान करने की एक योजना मंजूर की है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2023–24 के दौरान, 56 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। 40 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ इस योजना को और पांच वर्ष अर्थात वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक बढ़ा दिया गया है।

पूर्व भारतीय एन्क्लेवों से वापस आने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास और भारत में पूर्व बांग्लादेशी एन्क्लेवों तथा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में अवसंरचना का सृजन तथा उन्नयन

12.67 भारत–बांग्लादेश भूमि सीमा करार, 1974 के कार्यान्वयन हेतु संविधान (संशोधन) विधेयक पर विचार करते समय, सोलहवीं लोक सभा की विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति (2014–15) ने, अन्य बातों के साथ–साथ, यह सिफारिश की थी कि सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ परामर्श करके पुनर्वास एवं मुआवजे के मुद्दे का निराकरण करते हुए भारत में बांग्लादेशी एन्क्लेवों के विकास एवं एकीकरण के लिए एक खाका तैयार करना चाहिए। भारत सरकार ने 1005.99 करोड़ रुपये की लागत से बांग्लादेश में पूर्व भारतीय एन्क्लेवों से वापस आने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास और भारत में पूर्व बांग्लादेशी एन्क्लेवों तथा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन की स्कीम अनुमोदित की थी। इसमें से, पश्चिम बंगाल सरकार को 1005.98 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

प्रत्यावासी सहकारी वित्त एवं विकास बैंक लिमिटेड (आरईपीसीओ), चेन्नई

12.68 श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम और अन्य देशों के प्रत्यावासियों के पुनर्वास में सहायता प्रदान करने और इसे बढ़ावा देने के लिए मद्रास सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (1961 की सं. 53) (अब बहु–राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 39)) के तहत वर्ष 1969 में रेपको (आरईपीसीओ) बैंक की स्थापना एक सोसाइटी के रूप में की गई थी। बैंक का प्रबंधन निदेशक मंडल करता है। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व एक निदेशक करते हैं। दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, बैंक की कुल प्राधिकृत शेयर पूंजी 500.25 करोड़ रुपये है और अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी 152.65 करोड़ रुपये है, जिसमें से 50.07% का अंशदान भारत सरकार करती है और लगभग 6.37% का अंशदान पांच दक्षिणी राज्यों नामतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल द्वारा किया जाता है। शेष प्रदत्त पूंजी का अंशदान स्वदेश लौटने वाले तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया है। इसके उप–नियमों के अनुसार, इस समय रेपको, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। बैंक ने वर्ष 2022–23 के लिए 20% की दर से लाभांश की घोषणा की है।

पुनर्वास बागान लिमिटेड (आरपीएल), पुनालूर, केरल

12.69 पुनर्वास बागान लिमिटेड (आरपीएल) भारत सरकार और केरल सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाला उपक्रम है, जिसका निगमन वर्ष 1976 में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत केरल में रबड़ के बागान लगाकर, प्रत्यावर्तित लोगों को श्रमिकों और कर्मचारियों के रूप में पुनः बसाने के लिए किया गया था। कम्पनी का प्रबंधन, निदेशक मंडल करता है, जिसमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व दो निदेशक करते हैं। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी (दिनांक 31.10.2023 की स्थिति के अनुसार) 339.27 लाख रुपये थी। कंपनी में केरल सरकार की इक्विटी 205.85 लाख रुपये और भारत सरकार की इक्विटी 133.42 लाख रुपये है। चूंकि बड़ी शेयरधारक राज्य सरकार है, इसलिए आरपीएल राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

12.70 **शत्रु संपत्ति**

(i) दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, कुल शत्रु संपत्तियां – 13285

(ii) दिनांक 31.03.2024 तक कुल ई–नीलामी – 7 (सात)

(iii) वर्ष 2023–24 में बेची गई कुल अचल संपत्तियां – 160

(iv) वर्ष 2023–24 में बेची गई कुल चल संपत्तियां – गैर–सूचीबद्ध कंपनियों के 1,43,403 शेयर

(v) वर्ष 2023–24 में बेची गई अचल संपत्तियों की बिक्री से अर्जित तथा सीएफआई में जमा किया गया कुल राजस्व – 27.70 करोड़ रुपये।

(vi) वर्ष 2023–24 में बेची गई चल संपत्तियों की बिक्री से अर्जित तथा सीएफआई में जमा किया गया कुल राजस्व – 31.69 करोड़ रुपये।

*****

अध्याय–13

साइबर और सूचना सुरक्षा

13.1 सीआईएस प्रभाग सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति और दिशा–निर्देशों (एनआईएसपीजी) के कार्यान्वयन; विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अवसंरचना की साइबर सुरक्षा और जोखिम मूल्यांकन; देश में साइबर अपराध से निपटने में समन्वय; महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना; भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) योजना; साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना; नियमित सूचना सुरक्षा ऑडिट; साइबर सुरक्षा और साइबर अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन; वैध अवरोधन; और राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (नैटग्रिड) से संबंधित मामलों/कार्यों को देखता है।

13.2 **सीसीपीडब्ल्यूसी (महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम):**

13.2.1 महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय (एमएचए) 223.198 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ "महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)" योजना को लागू कर रहा है। इन योजनाओं से ऐसे साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान की जाती हैं। महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

i. **ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल**– महिलाओं और बच्चों से संबंधित साइबर अपराध शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए ।

ii. **फोरेंसिक प्रयोगशाला**– साइबर अपराध की जांच विश्लेषण और रिपोर्टिंग करने में प्रभावी रूप से सहायता करने के लिए ।

iii. **क्षमता निर्माण**– राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों/लोक अभियोजकों/न्यायिक अधिकारियों हेतु ।

iv. **अनुसंधान और विकास**– शिक्षाविदों की भागीदारी के साथ साइबर अपराध से निपटने के लिए नई तकनीकों और फोरेंसिक उपकरणों को विकसित करने के लिए।

v. **जागरूकता**– महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले सामान्य और विशेष रूप से, साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए ।

13.2.2 महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम योजना (सीसीपीडब्ल्यूसी) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साइबर फोरेंसिक–सह–प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के प्रशिक्षण और जूनियर साइबर फोरेंसिक सलाहकार की भर्ती के लिए 132.82 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

13.2.3 **साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का शुभारंभ:** ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in) दिनांक 20.09.2018 को लॉन्च किया गया था, जो नागरिकों को बाल पोर्नोग्राफी (सीपी)/बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) अथवा

बलात्कार/सामूहिक बलात्कार (आरजीआर) सामग्री जैसी कामुकता प्रदर्शित करने वाली यौन सामग्री के बारे में ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल–फ्री नंबर 1930 आरंभ किया गया है।

13.2.4 **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना:** गृह मंत्रालय (एमएचए) ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध रोकथाम योजना (सीसीपीडब्ल्यूसी) के तहत साइबर फोरेंसिक– सह–प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के प्रशिक्षण और जूनियर साइबर फोरेंसिक सलाहकारों की भर्ती के लिए 132.82 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। कुल 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर फोरेंसिक– सह–प्रशिक्षण प्रयोगशालाएँ शुरू की गई हैं।

13.2.5 **क्षमता निर्माण:** गृह मंत्रालय (एमएचए) ने अन्य भागीदारों के परामर्श से विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए), सरकारी अभियोजकों और न्यायाधीशों के लिए पहले से चल रहे 3–दिवसीय और 5–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के लिए उन्नत साइबर अपराध जांच पर एक 10–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है। महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध रोकथाम स्कीम (सीसीपीडब्ल्यूसी) के तहत विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के 24,600 से अधिक कर्मियों, सरकारी अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को साइबर अपराध जागरूकता, जांच, फोरेंसिक आदि विषय पर प्रशिक्षण दिया गया है।

13.2.6 **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को नोडल एजेंसी के रूप में निर्धारित करना:** साइबरस्पेस से बाल पोर्नोग्राफी (सीपी), बलात्कार और सामूहिक बलात्कार (आरजीआर) से संबंधित सामग्री को हटाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(ख) के तहत मध्यस्थों को नोटिस जारी करने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को भारत सरकार की एक एजेंसी के रूप में दिनांक 13.08.2018 को अधिसूचित किया गया है।

13.2.7 **नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, यूएसए के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू):** नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी) से ऑनलाइन बाल पोर्नोग्राफी और बाल यौन शोषण सामग्री पर टिपलाइन रिपोर्ट प्राप्त करने के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), भारत और नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी), यूएसए के बीच दिनांक 26.04.2019 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 69,05,379 से अधिक साइबर टिपलाइन रिपोर्ट उचित कार्रवाई करने के लिए साझा की गई हैं और कुल 13,770 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

13.2.8 **राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (साक्ष्य):** साइबर अपराध से संबंधित साक्ष्य के मामलों में आवश्यक फोरेंसिक सहायता प्रदान करने, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप साक्ष्य को संरक्षित करने और उसके विश्लेषण के लिए साक्ष्य प्रयोजन हेतु हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (एनसीएफएल–ई) को ऑपरेशनल किया गया है। राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (एनसीएफएल–ई) ने साइबर अपराध के मामलों में रिपोर्टों से संबंधित कार्रवाई और गुणवत्ता की दर को बढ़ाया है तथा मामले के निपटान में लगने वाला समय लगभग 50% तक कम किया है।

13.2.9 **जागरूकता:** महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) स्कीम के तहत साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न पहल की गई हैं, जैसे कि:

- 'किशोरों/छात्रों के लिए एक साइबर सुरक्षा

पुस्तिका' जारी की गई है। यह पुस्तिका सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी वितरित की गई है।

- पुस्तिका की एक प्रति https://cybercrime.gov.in और https://www.mha.gov.in/documents/downloads पर उपलब्ध है।
- गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम विषय पर संदेश फैलाने के लिए रेडियो के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया।
- साइबर अपराध जागरूकता के लिए जनता को 100 करोड़ से अधिक एसएमएस भेजे गए।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया गया है।

अनुसंधान और विकासः

13.2.10 महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) स्कीम के तहत अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) परियोजनाओं के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध के क्षेत्र में छह अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) परियोजनाओं को निष्पादन के लिए सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है और कार्य प्रगति पर है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) और संबंधित संस्थान के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, चयनित संस्थानों को धनराशि भी जारी की गई है।

13.3 **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी):**

साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए 340.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) को क्रियान्वित किया जा रहा है, ताकि विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) की क्षमता को मजबूत किया जा सके तथा विभिन्न एजेंसियों और विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के बीच समन्वय में सुधार किया जा सके। इसके प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

(i) **राष्ट्रीय साइबर अपराध थ्रेट विश्लेषण इकाईः** नियमित अंतराल पर साइबर अपराधों से संबंधित खतरों की रिपोर्टिंग के लिए

(ii) **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टलः** अखिल भारतीय स्तर पर नागरिकों द्वारा विभिन्न साइबर अपराध शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए एक साझा मंच।

(iii) **राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्रः** विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों, राज्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) को प्रशिक्षण देने के लिए।

(iv) **राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्रः** साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए आवश्यक अनुसंधान कर उपकरणों के विकास करने के उद्देश्य हेतु ।

(v) **संयुक्त साइबर अपराध समन्वय टीमः** राज्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के बीच समन्वय, डेटा साझा करने के लिए मंच।

(vi) **राष्ट्रीय साइबर अपराध इको–सिस्टम मैनेजमेंट यूनिटः** साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए साइबर स्वच्छता (हाइजीन) में जन जागरूकता पैदा करने के लिए।

(vii) **राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक लेबोरेटरी (जांच) इको–सिस्टमः** साइबर फोरेंसिक जांच में विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) की मदद करने के लिए।

फोटोः माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिनांक 28.03.2023 को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के कामकाज के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

13.4 आई4सी स्कीम के तहत प्रमुख पहलः

13.4.1 साइबर अपराध खतरा विश्लेषण

आई4सी नियमित अंतराल पर विभिन्न साइबर खतरों का विश्लेषण करता है और नियमित अंतराल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्धसैनिक बलों, बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों तथा अन्य संबंधित स्टेकहोल्डरों के साथ साइबर अपराध की प्रवृत्तियों एवं कार्यप्रणाली पर एडवाइजरी जारी करता है। जनवरी, 2020 और मार्च, 2024 के बीच, 178 साइबर अपराध सूचना एडवाइजरी विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ साझा की गई हैं। इसके अलावा, साइबर अपराध से संबंधित 36 तकनीकी विश्लेषण रिपोर्टें बैंकों, वॉलेटों और भुगतान मध्यस्थों के साथ साझा की गई हैं। इसके अतिरिक्त, देश भर में साइबर अपराध के विभिन्न विकास कार्यों और घटनाओं की 350 से अधिक दैनिक डाइजेस्ट रिपोर्टें भी राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) और सार्वजनिक डोमेन पर साझा की जाती हैं। इन रिपोर्टों के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) और राज्य पुलिस बलों द्वारा जांच शुरू की गई है।

आई4सी, गृह मंत्रालय ने विभिन्न स्टेकहोल्डरों अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना सुरक्षा केंद्र (एनसीआईआईपीसी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट–इन) के साथ राष्ट्रीय काउंटर रैनसमवेयर टास्क फोर्स (एनसीआरटीएफ) का भी गठन किया है। इसके अतिरिक्त, इस टास्क फोर्स के तहत निम्नलिखित चार कार्य समूह कार्यरत हैं अर्थात रैनसमवेयर सहयोग और कूटनीति, रैनसमवेयर घटना प्रतिक्रिया, रैनसमवेयर सुरक्षा क्लस्टर और रैनसमवेयर जागरूकता और क्षमता निर्माण।

13.4.2 कार्रवाई और रणनीतियाँ

आई4सी ने साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में, नागरिकों को आसान रिपोर्टिंग की सुविधा और संबंधित स्टेकहोल्डरों द्वारा शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई को सक्षम करने के लिए विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म और मॉड्यूल विकसित किए हैं।

क) राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी)

दिनांक 30.08.2019 को एक नया राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया गया, ताकि नागरिक सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट कर सकें और महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं को शिकायतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधि प्रवर्तन एजेंसी को उन पर आगे की कार्रवाई, उन्हें एफआईआर में बदलने और उसके बाद की कार्रवाई के लिए स्वचालित रूप से भेजा जाता है। पोर्टल को ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी/अपराधों सहित सभी प्रकार के साइबर अपराध की रिपोर्टिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। पोर्टल की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(क) **नोडल अधिकारी संपर्क निर्देशिका:** पुलिस अधिकारियों के त्वरित संदर्भ के लिए बैंकों, दूरसंचार ऑपरेटरों, फिनटेक कंपनियों के नोडल अधिकारियों के लिए केंद्रीकृत निर्देशिका।

(ख) **डेली डाइजेस्ट:** साइबर अपराध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर नियमित रूप से प्रकाशित रिपोर्ट।

(ग) **संदिग्ध रिपॉजिटरी:** मोबाइल नंबर, ईमेल, बैंक खाता संख्या, सरकारी आईडी प्रमाण आदि जैसे संदिग्ध पहचानकर्ताओं का संग्रहण।

(घ) **शिकायत टैगिंग:** संदिग्ध रिपॉजिटरी में बार–बार साइबर अपराध के संदिग्ध पहचानकर्ताओं की स्वतः टैगिंग।

(ङ) **गुमशुदा और शोषित बच्चों के लिए राष्ट्रीय केंद्र:** आवश्यक कार्रवाई के लिए एनसीएमईसी शिकायतों का स्वतः एकीकरण।

(च) लेन–देन का पता लगाना (सीएफसीएफ आरएमएस): धोखाधड़ी के लिए स्वचालित लेन–देन का पता लगाना। बैंकों के सहयोग से 1930 हेल्पलाइन पर वित्तीय लेन–देन की रिपोर्ट की गई।

(छ) एडवाइजरी और अनुसंधान रिपोर्ट: आई4सी द्वारा प्रकाशित तकनीकी विश्लेषण रिपोर्टों का संग्रहण।

(ज) न्यायालय के निर्णय: विधि प्रवर्तन एजेंसियों में कानूनी क्षमता निर्माण के लिए साइबर अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय अपलोड किए जाते हैं।

(झ) साइबर अपराध की शिकायतों की रिपोर्टिंग करने वाली प्रणाली से सभी पुलिस स्टेशनों को जोड़ा गया है।

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का उपयोग करने वाले स्टेकहोल्डर			
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**जिला**	**पुलिस स्टेशन**	**कुल**
36	773	13,279	14,088

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर रिपोर्ट किए गए साइबर अपराध (अगस्त 2019 से 31 मार्च 2024 तक)

बाल पोर्नोग्राफी/ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार (सीपी/आरजीआर) (बेनामी)	**बाल पोर्नोग्राफी/बलात्कार और सामूहिक बलात्कार (सीपी/आरजीआर) (रिपोर्ट और ट्रैक)**	**अन्य साइबर अपराध**	**ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी**	**कुल**
1,65,953	23,183	8,27,757	28,42,078	38,58,971

- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर एक स्वचालित चैटबॉट, *"वाणी–साइबर दोस्त"* नागरिकों को शिकायत दर्ज करने में सहायता करने के लिए कार्यरत है।
- एक साइबर स्वयंसेवक ढांचा भी तैयार किया गया है, जो नागरिकों को गैरकानूनी सामग्री की रिपोर्टिंग, साइबर स्वच्छता के प्रसार और विधि प्रवर्तन में सहायता के लिए साइबर विशेषज्ञ के रूप में साइबर स्वयंसेवक बनने और कार्य करने में सक्षम बनाता है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामांकित साइबर स्वयंसेवकों की संख्या इस प्रकार है:

गैरकानूनी सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए साइबर स्वयंसेवक	**साइबर जागरूकता प्रवर्तक**	**साइबर विशेषज्ञ**	**कुल**
22,942	22,071	9,819	54,833

ख) राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930

गृह मंत्रालय ने देश भर में साइबर अपराध की तत्काल रिपोर्टिंग के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 शुरू किया है। यह हेल्पलाइन नंबर देश के सभी राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों में कार्यरत है और पुलिस अधिकारियों द्वारा संचालित है।

ग) **नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (सी एफ सी एफ आर एम एस)**

नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (सी एफ सी एफ आर एम एस) को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है। यह मॉड्यूल एक एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है, जहाँ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों, सभी प्रमुख बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान वॉलेटों, क्रिप्टो एक्सचेंजों और ई–कॉमर्स कंपनियों सहित सभी स्टेकहोल्डर मिलकर काम करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ित के खाते से साइबर धोखेबाज के खाते में पैसे के प्रवाह को रोकने के लिए त्वरित, निर्णायक और सिस्टम–आधारित प्रभावी कार्रवाई हो। इस प्रकार जब्त की गई धनराशि को उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद पीड़ित को वापस कर दिया जाता है। अप्रैल, 2021 में लॉन्च होने के बाद से, अब तक यह प्लेटफॉर्म 16 बिलियन रुपये से अधिक की राशि धोखेबाजों के हाथों में जाने से बचाने में सफल रहा है और जिसका 5,75,000 से अधिक पीड़ितों को लाभ हुआ है।

अप्रैल 2023	मई 2023	जून 2023	जुलाई 2023	अगस्त 2023	सितम्बर 2023	अक्टूबर 2023	नवम्बर 2023	दिसम्बर 2023	जनवरी 2024	फरवरी 2024	मार्च 2024
1,02,552	99,293	1,00,446	1,11,981	1,17,736	1,25,177	1,38,261	1,21,093	1,32,665	1,46,803	1,41,274	1,28,031

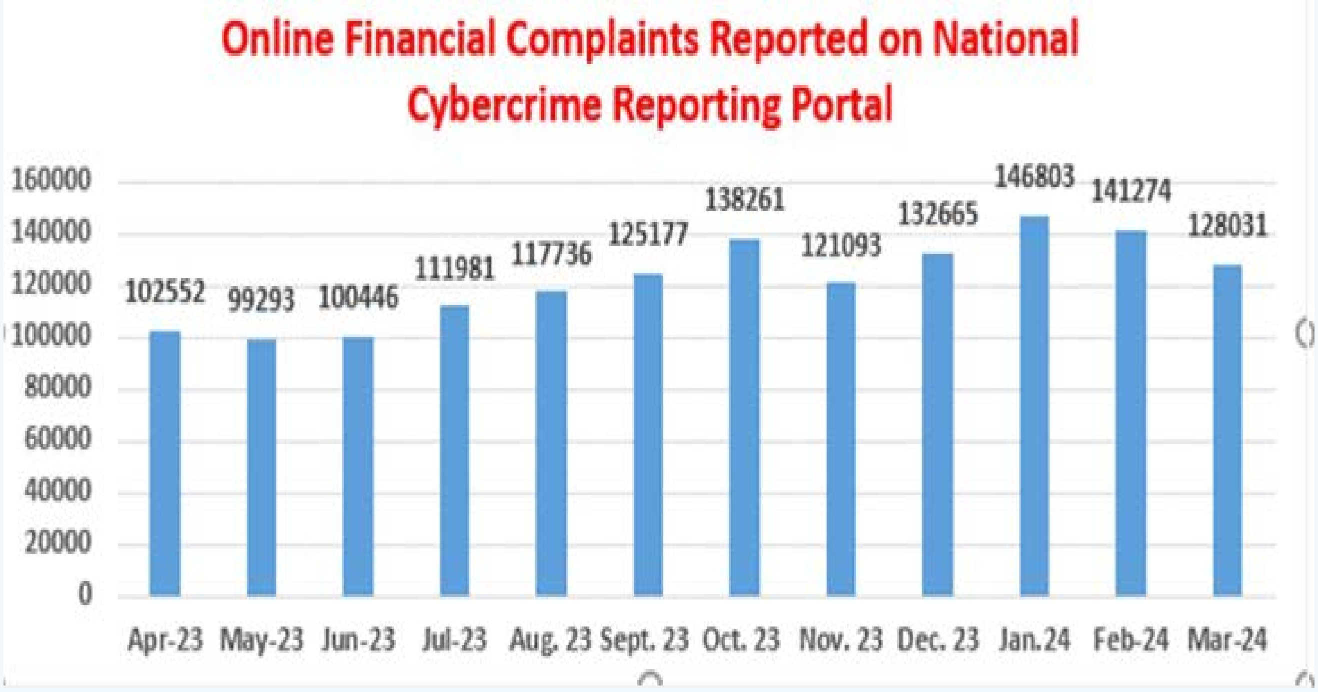

नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (सीएफसीएफआरएमएस) से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े नीचे दिए गए हैं। 306 से अधिक वित्तीय मध्यस्थ, "नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (सीएफसीएफ आरएमएस)" पोर्टल पर कार्यरत हैं ।

भाग लेने वाली संस्थाएं	प्रतिभागी
बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र, निजी, सहकारी)	245
फिनटेक/भुगतान एग्रीगेटर/गेटवे	29
बीमा कंपनियाँ	2
ई-कॉमर्स कंपनियां - व्यापारिक	24
क्रिप्टो एक्सचेंज	6

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के साथ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) का एकीकरण: लेनदेन ट्रेसिंग समय को कम करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के साथ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) का एकीकरण सफलतापूर्वक किया गया है। दिनांक 16.10.2023 की स्थिति के अनुसार, एपीआई के माध्यम से 87,260 से अधिक सफल प्रतिक्रियाएँ (रिस्पांस) प्राप्त की गई हैं, जिनमें से 32,602 शिकायतों में धोखाधड़ी की गई राशि बचाई गयी ।

नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली (सीएफसीएफआरएमएस) के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी से बचाई गई कुल राशि :–

अवधि (वर्ष में)	दर्ज की गई कुल शिकायतें	रिपोर्ट की गई राशि (लाख रुपये में)	बैंकों द्वारा रोकी गई (लियन) राशि (लाख रुपये में)	रोकी गई (लियन) राशि का % (लाख रुपये में)
2021	1,36,604	54,773	3,640	6.65
2022	5,13,334	2,29,590	16,904	7.36
2023	11,29,519	7,47,654	92,158	12.32
दिनांक 31.03.2024 तक	3,81,854	4,24,996	47,891	11.26

घ) सिम कार्ड और आईएमईआई को ब्लॉक करना

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर सिम कार्ड और मोबाइल डिवाइस (धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए जाने वाले) को ब्लॉक करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया गया है, जो साइबर अपराध में इस्तेमाल किए गए और इस पोर्टल पर विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के अधिकृत अधिकारी द्वारा रिपोर्ट किए गए सिम कार्ड और अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान को तुरंत ब्लॉक करने के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए), दूरसंचार विभाग (डीओटी) और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को आपस में जोड़ता है। अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 के बीच इस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके ब्लॉक किए गए सिम कार्ड और मोबाइल डिवाइस का ब्यौरा इस प्रकार है:

कुल मोबाइल नंबरों की संख्या, जिनके लिए अनुरोध किए गए	ब्लॉक किए गए कुल मोबाइल नंबर	ब्लॉक किए गए मोबाइल डिवाइस	पुनः सत्यापन हेतु लंबित कुल मोबाइल नंबर
4,47,405	4,29,152	69,921	12,086

(ङ) मोबाइल और अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आईएमईआई) नंबरों का अंतरराज्यीय संबंध

आई4सी का प्लेटफॉर्म जेएमआईएस (संयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली), राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) तथा नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (सीएफसीएफआरएमएस) पर रिपोर्ट किए गए मोबाइल नंबरों और अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आईएमईआई) नंबरों के अंतरराज्यीय संबंध स्थापित करने में मदद करता है, जो कि विभिन्न साइबर अपराध मामलों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस अधिकारियों द्वारा आपराधिक जांच के दौरान की गई जब्ती और सुरागों के बारे में प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली (जेएमआईएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिपोर्ट किए गए मोबाइल/आईएमईआई नंबरों के आधार पर 7,59,000 से अधिक अंतरराज्यीय अपराधिक संबंधों की पहचान की गई है, जहां लगभग 600 मामलों में साइबर अपराधियों को पकड़ा गया है।

आई4सी नियमित अंतराल पर संबंधित बैंकों और राज्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) को म्यूल अकाउंट का विवरण भी प्रदान करता है। अपराध संबंधी आय को नकदी निकासी के रूप में बेईमानी से निकालने के लिए एटीएम के किए जा रहे दुरुपयोग का ब्यौरा भी बैंकों के साथ साझा किया जा रहा है।

13.4.3 समन्वय तंत्र

साइबर अपराध हॉटस्पॉट/अधिक साइबर अपराध की रिपोर्ट करने वाले क्षेत्रों के आधार पर और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श से संयुक्त साइबर समन्वय दलों (जेसीसीटी) का गठन करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों का एक समन्वय तंत्र स्थापित किया गया है:

जेसीसीटी क्षेत्र	भाग लेने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
मेवात	दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान
जामताड़ा	झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश
अहमदाबाद	गुजरात, एमपी, राजस्थान, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र
हैदराबाद	तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, झारखण्ड, राजस्थान
चंडीगढ़	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, झारखंड, पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र
गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम

साइबर अपराध के विरूद्ध बहु–क्षेत्राधिकार संबंधी कार्रवाई की संयुक्त पहचान, प्राथमिकता, तैयारी और जांच आरंभ करने, साइबर अपराध जांच से संबंधित इन मामलों का मिलान करने और उचित एजेंसियों की मदद से उन्हें हल करने, अंतरराज्यीय संबंधों की पहचान करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए साइबर अपराध के मामलों में की गई गिरफ्तारियों से संबंधित जानकारी साझा करने और साइबर अपराध, उभरती प्रौद्योगिकियों और साइबर फोरेंसिक पर आई4सी, गृह मंत्रालय के साथ सर्वोत्तम पद्धतियों का

आदान–प्रदान करने के लिए संयुक्त साइबर समन्वय दलों (जेसीसीटी) का गठन किया गया है।

प्रभावी केंद्र–राज्य सहयोग के लिए क्षेत्रीय संपर्क

भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रभावी समन्वय के लिए दिनांक 31.03.2023 तक पांच पूर्ण–दिवसीय संयुक्त साइबर समन्वय दल (जेसीसीटी) कार्यशालाएं गुवाहाटी, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली और देहरादून में आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023 में हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, विशाखापत्तनम, लखनऊ और चंडीगढ़ में छह पूर्ण दिवसीय संयुक्त साइबर समन्वय दल (जेसीसीटी) कार्यशालाएं आयोजित की गईं। दिनांक 08.11.2023 को, रांची में एक और संयुक्त साइबर समन्वय दल (जेसीसीटी) कार्यशाला आयोजित की गई।

फोटोः दिनांक 12.10.2023 को विशाखापत्तनम में जेसीसीटी का चौथा क्षेत्रीय सम्मेलन

13.4.4 निवारक उपाय

आई4सी की "राष्ट्रीय साइबर अपराध थ्रेट विश्लेषण इकाई (एनसीटीएयू)" पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का विश्लेषण करती है और साइबर अपराध के नवीनतम तरीकों और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के दुरुपयोग पर विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करती है। इन रिपोर्टों को सभी संबंधित स्टेकहोल्डरों अर्थात बैंकों, वॉलेटों, व्यापारियों, भुगतान एग्रीगेटरों, भुगतान गेटवे, ईकॉमर्स और अन्य विभागों के साथ निवारक उपाय करने और उनके प्लेटफार्मों/सेवाओं के दुरुपयोग को कम करने के लिए साझा किया जाता है।

क) साइबर सक्षम अपराधों से निपटने के लिए बड़ी टेक कंपनियों के साथ साझेदारी

बड़ी टेक कंपनियाँ साइबर अपराधियों की सक्रिय पहचान और उन पर कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आई4सी ने एहतियात के तौर पर सक्रिय कार्रवाई के लिए खुफिया जानकारी और सिग्नलों को साझा करने के लिए गूगल और फेसबुक के साथ साझेदारी की है। बड़ी टेक कंपनियों के प्लेटफार्मों का दुरुपयोग करने पर की गई साइबर अपराधों की शिकायतें निम्नलिखित हैंः

प्लेटफॉर्म	जनवरी-2024	फरवरी-2024	मार्च-2024
व्हाट्सऐप	15,355	13,696	14,746
टेलीग्राम	8,462	6,567	7,651
इंस्टाग्राम	6,708	5,940	7,152
फेसबुक	6,525	7,190	7,051
यूट्यूब	1,591	1,156	1,135

ख) संगठित इंवेस्टमेंट अपराधों के लिए गूगल प्लेटफ़ॉर्म का दुरुपयोग

साइबर धोखेबाज़ इन अपराधों को करने के लिए गूगल सेवा प्लेटफ़ॉर्मों का प्रयोग करते हैं। गूगल विज्ञापन प्लेटफ़ॉर्म सीमा पार से लक्षित विज्ञापन के लिए एक सुविधाजनक अवसर प्रदान करता है।

"पिग बुचरिंग स्कैम" अथवा "इंवेस्टमेंट स्कैम" के रूप में जाना जाने वाला यह स्कैम एक वैश्विक घटना है और इसमें बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और यहाँ तक कि साइबर स्लेवरी भी शामिल है। इसमें बेरोजगार युवाओं, गृहणियों, छात्रों और ज़रूरतमंद लोगों को निशाना बनाया जाता है, जो रोजाना अपनी बड़ी रकम (यहाँ तक कि उधार लिया हुआ पैसा भी) गंवा रहे हैं।

आई4सी ने तत्काल कार्रवाई के लिए निम्नलिखित ख़तरे संबंधी खुफिया जानकारी समय–समय पर साझा करने के लिए गूगल के साथ भागीदारी की है:

(क) डिजिटल लेंडिंग ऐप और उसके सिग्नलों को चिन्हित (फ़्लैग) करना

(ख) साइबर धोखेबाज़ों द्वारा गूगल के फ़ायरबेस डोमेन (फ्री होस्टिंग) का दुरुपयोग।

(ग) एंड्रॉयड बैंकिंग मालवेयर (हैश) द्वारा गूगल प्ले प्रोटेक्ट का उपयोग करके एंड्रॉयड प्लेटफ़ॉर्म को ब्लॉक करना।

(घ) फ़िशिंग विज्ञापनदाताओं की सूची।

(ङ) धन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए "नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (सीएफसीएफआरएमएस)" पर गूगल पे।

ग) अवैध डिजिटल लेंडिंग ऐप (डीएलए) को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक विज्ञापनों का दुरुपयोग

संगठित साइबर अपराधियों द्वारा भारत में अवैध लेंडिंग ऐप लॉन्च करने के लिए प्रायोजित फेसबुक विज्ञापनों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ऐसे लिंकों की सक्रिय रूप से पहचान की जाती है और इन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए फेसबुक पेजों के साथ फेसबुक पर साझा किया जाता है।

13.4.5 **क्षमता निर्माण और जागरूकता**

आई4सी देश भर के संस्थानों में साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध की जांच और डिजिटल फोरेंसिक में प्रशिक्षण देने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों अर्थात विधि प्रवर्तन एजेंसियों, फोरेंसिक अन्वेषकों, अभियोजकों और न्यायाधीशों के क्षमता निर्माण के लिए प्रयास कर रहा है। इनमें सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली; सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी–डैक), नोएडा, सी–डैक बेंगलुरु, उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी (एनईपीए), मेघालय, तेलंगाना राज्य पुलिस अकादमी, हैदराबाद, स्वामी विवेकानंद राज्य पुलिस अकादमी (एसवीएसपीए) पश्चिम बंगाल, शेर–ए–कश्मीर पुलिस अकादमी, उधमपुर और राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक लैब (एनसीएफएल), द्वारका, नई दिल्ली जैसे प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं। एनसीएफएल, द्वारका और

अन्य संगठनों द्वारा विभिन्न फोरेंसिक उपकरणों पर गहन प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाते हैं। आई4सी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए इन संस्थानों द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण के अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस अकादमियों द्वारा भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

आई4सी की एक शाखा, राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र ने विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए साइट्रेन पोर्टल (https://cytrain.ncrb.gov.in) नामक विशाल ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमआओसी) प्लेटफॉर्म विकसित किया है। दिनांक 31.03.2024 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीपीओ के 91,500 से अधिक पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत किया गया है और पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित ट्रैक में 65,900 से अधिक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं:–

क. रिस्पॉन्डर्स ट्रैक (प्रथम रिस्पॉन्डर अधिकारी और ड्यूटी अधिकारी के लिए)

ख. फोरेंसिक ट्रैक (डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ के लिए)

ग. अन्वेषण ट्रैक (सामान्य अन्वेषक और साइबर अपराध अन्वेषक के लिए)

घ. खुफिया ट्रैक (साइबर अपराध खुफिया अधिकारियों/विश्लेषकों के लिए)

ङ प्रबंधन ट्रैक (साइबर अपराध/डिजिटल फोरेंसिक इकाई के प्रमुख और पुलिस बलों के प्रमुखों के लिए)

च. न्यायपालिका/अभियोजन ट्रैक (न्यायाधीशों/अभियोजकों के लिए)

इस संबंध में की गई अन्य पहल इस प्रकार हैं:–

क) सहकर्मी शिक्षण सत्र – वास्तविक समय जांच प्रशिक्षण

देश भर के साइबर सेल के कार्मिक अपने साथियों से सीखने के लिए हर शुक्रवार शाम 4:00 बजे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर साप्ताहिक सहकर्मी शिक्षण सत्र में शामिल होते हैं। आई4सी, गृह मंत्रालय द्वारा पिछले 50 सप्ताहों में 50 ऐसे पीयर लर्निंग सत्र आयोजित किए गए हैं, जिनमें 700 से अधिक स्थानों के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया है।

ख) क्रिप्टोकरेंसी अपराध जांच – विशेष प्रशिक्षण

भारत के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रिप्टोकरेंसी अपराधों से निपटने हेतु उनकी क्षमता निर्माण के लिए, आई4सी ने विभिन्न राज्यों में जांच, जब्ती और साक्ष्यों की विवेचना से संबंधित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस के लिए इस अपराध की शब्दावली और कार्यप्रणाली को समझने के लिए व्यावहारिक सत्र भी आयोजित किए।

ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) कैडेट, संगठन और मंत्रालय

उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अलावा, आई4सी, गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के 100 से अधिक मंत्रालयों/विभागों को साइबर स्वच्छता (हाइजीन) प्रशिक्षण भी दिया है, जिसमें देश भर में 5,600 से अधिक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, अर्धसैनिक बलों के अधिकारी/कर्मचारी और 25,000 से अधिक एनसीसी कैडेट शामिल हैं।

घ) जागरूकता और आउटरीचः साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के लिए साइबर स्वच्छता (हाइजीन) उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए साइबर अपराध की रोकथाम के संदेश को सुदृढ़ करने के लिए एक सुनियोजित जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। देश भर में 50 हवाई अड्डों और 131 रेलवे स्टेशनों और दिल्ली मेट्रो में विज्ञापन अभियान चलाए गए हैं। 11.5 लाख से अधिक फॉलोअरों वाले नौ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से नियमित अंतराल पर ग्राफिक्स, लघु वीडियो के रूप में साइबर सुरक्षा के उपायों को भी प्रसारित किया जाता है।

(ङ) साइबर जागरूकता दिवसः भारत सरकार के मंत्रालय और सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र साइबर स्वच्छता (हाइजीन) और साइबर अपराध की रोकथाम पर हर महीने के पहले बुधवार को सुबह 11 बजे "साइबर जागरूकता दिवस" मनाते हैं।

फोटो: कुतुब मीनार पर दिनांक 15.10.2023 से 22.10.2023 तक प्रदर्शित एक रंगबिरंगा नजारा, जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह में #साइबर जागरूकता फैलाने का एक प्रयास है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक नागरिक ऑनलाइन अधिक सुरक्षित रहे। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए #1930 डायल करें और किसी भी #साइबर अपराध की शिकायत http://cybercrime.gov.in पर दर्ज करें।

च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा की गई पहल

यूजीसी ने आई4सी, गृह मंत्रालय के साथ समन्वय से देश भर के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर के लिए साइबर सुरक्षा कोर्स का पाठ्यक्रम शुरू किया है। (https://www.ugc.ac.in/e-book/Cyber_Security/mobile/index.html)।

छ) "नॉन–फंजिबल टोकन (एनएफटी), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा" विषय पर जी20 सम्मेलन

दिसंबर, 2022 से नवंबर, 2023 तक भारत की जी20 अध्यक्षता के अंतर्गत, नॉन–फंजिबल टोकन (एनएफटी), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मेटावर्स के युग में "साइबर अपराध और सुरक्षा" की चुनौतियों पर विचार–विमर्श करने के लिए 13 से 14 जुलाई, 2023 को गुरुग्राम में एक जी20 सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने किया। आमंत्रितों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मल्टी–स्टेकहोल्डर प्रतिभागियों के लिए निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई:

- इंटरनेट गवर्नेंस – नेशनल रिस्पोंसिबिलिटी एंड ग्लोबल कॉमन्स।
- सिक्योरिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) – डिजिटाइजेशन अमिड एन अनप्रिसिडेंटेड स्केलः डिजाइन, आर्किटैक्चर, पोलिसीज एंड प्रिपरेशन।
- एक्सटेंडेंट रियलिटी, मेटावर्स एंड दि फ्यूचर ऑफ डिजिटल ऑनरशिप – लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस – चैलेंजेज, आपोर्चुनिटीज एंड राइट यूज़। क्रिप्टोकरेंसी एंड चैलेंजेज ऑफ द डार्क नेट।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आदि के आपराधिक उपयोग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु एक फ्रेमवर्क तैयार करना।

फोटोः माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने एनएफटी, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर जी20 सम्मेलन का उद्घाटन किया।

ज) आई4सी की वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस

आई4सी की वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिनांक 03.01.2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस के दौरान, साइबर अपराध के विरूद्ध लड़ाई में आई4सी, गृह मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामों की संक्षिप्त जानकारी दी गई।

झ) आई4सी, गृह मंत्रालय को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करनाः भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) को दिनांक 13.03.2024 के भारत के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्रालय की नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, ताकि विधिविरूद्ध कार्य करने के लिए मध्यस्थ द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर संसाधन में मौजूद अथवा उससे जुड़ी सूचना, डेटा अथवा संचार लिंक की घटनाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) के तहत मध्यस्थों को नोटिस जारी किया जा सके।

13.4.6 राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला (एनसीएफएल)

दिल्ली में एक राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला कार्यरत है, जिसमें साइबर अपराध की जांच में विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) की सहायता के लिए मॉडल फोरेंसिक उपकरण और विशिष्ट पेशेवर मौजूद हैं। उक्त प्रयोगशाला नियमित अंतराल पर साइबर फोरेंसिक की डिजिटल जांच में गहन व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसके द्वारा भारत सरकार के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) को 9,700 सेवाएँ भी प्रदान की हैं।

13.4.7 **सूचना सुरक्षाः** गृह मंत्रालय ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना में सूचना सुरक्षा उल्लंघनों/साइबर घुसपैठ को रोकने के लिए राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति और दिशानिर्देश (एनआईएसपीजी) तैयार किए हैं तथा इस सूचना सुरक्षा

की स्थिति को मजबूत करने और सूचना सुरक्षा उल्लंघनों को रोकने के उद्देश्य से सूचना सुरक्षा प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु उचित कदम उठाने के लिए ये दिशानिर्देश केंद्रीय मंत्रालयों के साथ–साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए हैं।

राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (नैटग्रिड):

13.4.8 नैटग्रिड को एक ऐसे फ्रेमवर्क में कल्पित किया गया है, जो देश की आतंकवाद निरोधक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अनुमोदित उपयोगकर्ता एजेंसियों (सुरक्षा/विधि प्रवर्तन) को नामित डेटा प्रदाताओं के साथ जोड़ने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करेगा। नैटग्रिड सोल्यूशन 11 केंद्रीय उपयोगकर्ता एजेंसियों को 10 प्रदाता संगठनों से जोड़ता है।

*****

अध्याय–14

महिला सुरक्षा

14.1 गृह मंत्रालय ने दिनांक 28.05.2018 को एक महिला सुरक्षा प्रभाग स्थापित किया है, ताकि देश में महिलाओं की सुरक्षा के उपायों को सुदृढ़ बनाया जा सके और साथ ही पूर्ण रूप से न्याय का शीघ्र और प्रभावशाली क्रियान्वयन करके एवं महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करके उनमें अपनी सुरक्षा के प्रति विश्वास पैदा किया जा सके। यह प्रभाग उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता आदि के लिए नीति निर्माण करने, आयोजना करने, समन्वय करने, परियोजनाओं/स्कीमों को तैयार करने और उनका क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी है, जिनमें क्षमता संवर्धन और फॉरेंसिक विज्ञान के आधुनिकीकरण; महिलाओं और बच्चों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, वृद्ध व्यक्तियों और ट्रांसजेंडरों के प्रति अपराधों की रोकथाम से संबंधित मामलों; मानव तस्करी और प्रवासियों की तस्करी; कारागार सुधारों, सुधारात्मक प्रशासन, कारागार/कैदियों के विधान; विष अधिनियम, 1919; और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से संबंधित मामलों सहित कथित उद्देश्य को प्राप्त करना शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें

(क) "112 सिंगल आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली" सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही है।

(ख) गृह मंत्रालय द्वारा 8 शहरों में परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सुरक्षित शहर परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता के भाग के रूप में, अब तक 1,577.76 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। राज्य उपर्युक्त परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए "सुरक्षित शहर कार्यान्वयन मॉनीटरिंग पोर्टल (एससीआईएम)" का उपयोग कर रहे हैं। इन परियोजनाओं की गृह मंत्रालय द्वारा नियमित तौर पर समीक्षा भी की जाती है।

(ग) समय पर और प्रभावी जांच के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने हेतु, 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में डीएनए विश्लेषण सुविधा स्थापित की गई है। अनुमोदित वित्तीय परिव्यय 250.59 करोड़ रुपये है।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने देश के सभी जिलों में मानव तस्करी–रोधी इकाइयां (एएचटीयू) गठित करने/सुदृढ़ बनाने की परियोजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। देश में कुल 827 एएचटीयू कार्यशील हैं। अनुमोदित वित्तीय परिव्यय 113.76 करोड़ रुपये है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) स्थापित कर रहे हैं। अब तक, देश में 13,557 डब्ल्यूएचडी स्थापित किए जा चुके हैं। इसके लिए अनुमोदित वित्तीय परिव्यय 164.02 करोड़ रुपये है।

(ङ) फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण, रख–रखाव और परिवहन के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए थे, ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यौन उत्पीड़न के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य का रखरखाव कर रहे जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों तथा चिकित्सा अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाया जा सके और

उनमें कौशल विकास किया जा सके। यौन उत्पीड़न के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण, रखरखाव और परिवहन विषय पर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और फॉरेंसिक विज्ञान द्वारा 31,399 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(च) "पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो" ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रहण (एसएईसी) की 18,020 किटें वितरित की हैं। ये एसएईसी किटें यौन उत्पीड़न के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के प्रभावकारी संग्रहण, रखरखाव और भंडारण को सुविधाजनक बनाएंगी।

(छ) सीसीटीएनएस का प्रयोग करते हुए, एनसीआरबी ने एक 'घोषित अपराधी' मॉड्यूल शुरू किया है, जो नागरिकों को घोषित अपराधियों के बारे में ऑनलाइन सूचना प्रदान करता है।

(ज) फॉरेंसिक जांच में गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, गृह मंत्रालय ने फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस) के माध्यम से अपराध स्थल से बायोलॉजिकल सैंपल्स के संग्रहण, भंडारण और परिवहन के लिए दिशानिर्देश; एनएबीएल मानदंडों (आईएसओ/आईईसी17025: 2017) के अनुसार प्रयोगशालाओं के अधिप्रमाणन के लिए गुणवत्ता मैनुअल; फॉरेंसिक विज्ञान के छः विषयों में वर्किंग प्रोसीजर मैनुअल; और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए उपकरणों की मानक सूची जारी की है।

देश में महिला सुरक्षा प्रभाग द्वारा शुरू की जा रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं निम्नवत हैं:

अंतर–प्रचलित आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस)

14.2 आपराधिक न्याय के मुख्य स्तंभों, अर्थात पुलिस (सीसीटीएनएस), न्यायालय (ई–न्यायालय), जेल (ई–कारावास), फोरेंसिक लैब (ई–फोरेंसिक) और अभियोजन (ई–अभियोजन) को एकीकृत करके न्याय वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अंतर–प्रचलित आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) की स्थापना की गई है। इस प्रक्रिया के लिए सिस्टम में केवल एक बार डेटा फीड करना होगा (एक डेटा की एक बार प्रविष्टि) और उपलब्ध विभिन्न डेटाबेस का उपयोग संयुक्त रूप से आपराधिक जांच के लिए किया जा सकता है।

14.3 आईसीजेएस परियोजना, दंड प्रक्रिया (शनाख्त) अधिनियम, 2022 और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) या परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान लागू अधिनियमों में किए गए किन्हीं अन्य संशोधनों को लागू करने के लिए आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली में आवश्यक समझी गई प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं में बदलाव भी करेगी। एनसीआरबी, प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में एनआईसी के सहयोग से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक उत्तरदायी नोडल एजेंसी है। आईसीजेएस में इंटरलिंक्ड डेटा फ्लो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई–कमेटी द्वारा अनुमोदित "डेटा शेयरिंग मैट्रिक्स" पर आधारित है।

14.4 आईसीजेएस के माध्यम से निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार होता है:

- साइलो में उपलब्ध, पुलिस, जेल, फोरेंसिक, अभियोजन और न्यायालयों के विभिन्न डेटा सेटों के बीच निर्बाध इंटीग्रेशन की सुविधा प्रदान करना।
- डेटा प्रविष्टि में त्रुटियों को कम करके डेटा की गुणवत्ता में वृद्धि करना।
- विभिन्न प्रणालियों के बीच डेटा की आसान पहुँच होने के कारण जाँच और परिणामतः ट्रायल में प्रभावशीलता और समयबद्धता को बढ़ाना।
- जांच में उपलब्ध डेटा एनालिटिक्स और एआई/एमएल उपकरणों का सक्षम प्रभावी उपयोग।

- निर्णय लेने में कागजी रिकॉर्ड पर निर्भरता कम करना।
- "स्मार्ट पुलिसिंग" की ओर शिफ्ट करना।

परिणाम

14.5 प्रमुख स्टेकहोल्डरों से प्राप्त परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क्र.सं.	स्टेकहोल्डर	परिणाम
1	गृह मंत्रालय एवं राज्य गृह विभाग	- आईटी निवेश को समग्र और अनुकूलित करना - स्मार्ट पुलिसिंग को सक्षम बनाना - समय पर किए गए विश्लेषण के माध्यम से सूचित नीतिगत निर्णय लेना
2	नागरिक, शिकायतकर्ताओं सहित	- 24x7 ऑनलाइन सेवाओं के लिए अनुरोध करना - शिकायत करने और उसकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए आसान और पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करना - शिकायत के समाधान में तेजी लाने और/अथवा उसके लिए अनुरोध करने का अवसर देना - मुआवज़ा, गवाह सुरक्षा आदि का अनुरोध करने की आसान प्रक्रिया
3	जांच एजेंसियां (विभिन्न भूमिकाओं में पुलिस अधिकारी)	- डेटा और सूचना का कागजरहित त्वरित आदान-प्रदान - ऑन-फील्ड संचालन (गतिशीलता) के लिए सहायता - एआई/एमएल, ब्लॉकचेन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग (एनएलपी), चेहरे की पहचान आदि जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से बेहतर और समय पर जांच। - जांच अधिकारियों को मार्गदर्शन - स्मार्ट पुलिसिंग को सक्षम बनाना
4	फॉरेंसिक वैज्ञानिक	- डेटा और सूचना का कागजरहित त्वरित आदान-प्रदान - दोषसिद्धि सुनिश्चित करने में भागीदारी और योगदान में वृद्धि - बेहतर जवाबदेही और परिचालनात्मक पारदर्शिता
5	अभियोजन पक्ष	- डेटा और सूचना का कागजरहित त्वरित आदान-प्रदान - त्वरित और समयबद्ध कानूनी अनुसंधान के माध्यम से मामलों का सुदृढ़ीकरण - दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए भागीदारी और योगदान में वृद्धि
6	जेल	- डेटा और सूचना का सुरक्षित और कागज़रहित आदान-प्रदान - बेहतर जवाबदेही और परिचालनात्मक पारदर्शिता - समय पर अतिरिक्त इनपुट के साथ जांच में सहायता करने की क्षमता - उत्तरवर्ती उपायों और सेवाओं तक पहुँच के माध्यम से गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित करना

कार्यान्वयन की प्रगति

14.6 आईसीजेएस के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार बताई गई है:

14.6.1 **अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (सीसीटीएनएस)**

"अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम

(सीसीटीएनएस) परियोजना", 2000 करोड़ रुपये के कुल स्वीकृत परिव्यय के साथ वर्ष 2009 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य जांच, डेटा विश्लेषण, अनुसंधान, नीति निर्माण और नागरिक सेवाएं जैसे कि शिकायतों की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग, पुलिस द्वारा पूर्ववत सत्यापन कराये जाने के लिए अनुरोध करना आदि प्रदान करने के उद्देश्य से सभी पुलिस स्टेशनों को एक सामान्य एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर के तहत आपस में जोड़ना है। परियोजना को राज्यों और संघ सरकार के बीच घनिष्ठ सहयोग के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। सीसीटीएनएस ने देश के सभी पुलिस स्टेशनों में पहुंच, कनेक्टिविटी और उपयोग में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। कई तरह की सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों को एक राज्य नागरिक पोर्टल (एससीपी) बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। इस परियोजना के उपयोग में हुई प्रगति नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत की गई है:

क्र.सं.	गतिविधि/प्रचालन का क्षेत्र	स्थिति (दिनांक 01.01.2022 के अनुसार)	उपलब्धियां
1.	कुल पुलिस स्टेशन	16,347	17,048
2.	सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीएनएस शुरू करना	16'347	17'048
3.	सभी पुलिस स्टेशनों में कनेक्टिविटी	15,859	17,000
4.	उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की संख्या, जहां एनडीसी के साथ एसडीसी जोड़ी गई	36	36
5.	सीएएस स्टेट एप्लीकेशन में एफआईआर (100%) दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या	16,162	17,041
6.	सीसीटीएनएस में दर्ज एफआईआर की संख्या	7.32 करोड़	8.65 करोड़
7.	उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की संख्या, जहां सभी 9 नागरिक सेवाएं शुरू कर दी गई हैं	36	36
8.	उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की संख्या, जिन्होंने राज्य नागरिक पोर्टल शुरू किया है	36	36
9.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नागरिक पोर्टलों से प्राप्त अनुरोधों की संख्या	8 करोड़ से अधिक	19.12 करोड़

14.6.2 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने सीसीटीएनएस प्लेटफार्म पर पुलिस से संबद्ध विशिष्ट राष्ट्र स्तरीय नागरिक केंद्रित सेवाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ www.digitalpolicecitizenservices.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। इन सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:–

- **लापता व्यक्ति की तलाश:** इस सेवा के अंतर्गत नागरिक, बरामद हुए अज्ञात व्यक्ति/अज्ञात शवों के राष्ट्रीय डाटाबेस से अपने लापता परिजनों की ऑनलाइन तलाश कर सकते हैं।
- **वाहनों का अनापत्ति प्रमाण–पत्र बनाना:** इस सेवा के अंतर्गत, नागरिक किसी वाहन की सेकंड–हैंड खरीद करने से पूर्व उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं, जैसे कि डाटाबेस में पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यह संदिग्ध है अथवा साफ है। उक्त तलाश, वाहन के ब्यौरे के आधार पर राष्ट्रीय डाटाबेस से की जा सकती है; कोई भी व्यक्ति स्वामित्व के हस्तांतरण से पूर्व आरटीओ द्वारा अपेक्षित संबंधित अनापत्ति प्रमाण–पत्र बना सकता है और डाउनलोड कर सकता है। वर्तमान में यह सर्विस ऑनलाइन प्रदान की जा रही है।

- **घोषित अपराधी:** नागरिक, न्यायालय द्वारा घोषित किए गए अपराधियों के आंकड़े देखने और प्रिंट करने के लिए "घोषित अपराधी तलाश सेवा" का उपयोग कर सकते हैं। नागरिकों को इस मापदंड में तलाश करने के लिए विशिष्ट ब्यौरे जैसे कि नाम, राज्य, जिला, तारीख की रेंज, एफआईआर संख्या डालने की आवश्यकता होती है।

14.6.3 राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस)

राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस) में, देश भर के पुलिस जिलों में कुल 1,377 एनएएफआईएस कार्यस्थल शुरू किए गए हैं। वर्तमान फिंगरप्रिंट डेटाबेस में 94,39,472 (दिनांक 28.02.2024 की स्थिति के अनुसार) डेटा रिकॉर्ड हैं। औसतन, 9,458 चांस प्रिंट खोजे जा रहे हैं और हर महीने लगभग 226 सफल मिलान पाए जाते हैं।

एनएएफआईएस को दिनांक 25.08.2023 को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीओएआरपीजी) द्वारा "डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना (रि–इंजीनियरिंग) के लिए ई–गवर्नेंस 2023 (गोल्ड)" हेतु प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

एनएएफआईएस की सफलता की कहानियाँ

- अक्टूबर 2023 में, दिल्ली में पश्चिमी जिले की मोबाइल क्राइम टीम को हत्या होने की एक कॉल आई। एक महिला का शव काले रंग की पॉलीथीन से ढका हुआ मिला और उसके दोनों हाथ एवं पैर दो अलग–अलग जंजीरों से बंधे हुए थे। घटनास्थल की जांच की गई और पॉलीथीन, चेन का लॉक और भूरे रंग के पैकिंग टेप जैसी विभिन्न वस्तुओं पर 06 चांस प्रिंट विकसित किए गए। 06 में से तीन चांस प्रिंट आरोपी के चांस प्रिंट के समान पाए गए और 01 प्रिंट मृतक के चांस प्रिंट के समान पाया गया, जिसे बाद में स्विस मूल का पाया गया। बाद में, शव को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन की भी जांच की गई और काले पाउडर से 04 चांस प्रिंट विकसित किए गए। इनमें से दो चांस प्रिंट आरोपी के बाएं अंगूठे और बाईं तर्जनी के चांस प्रिंट के समान पाए गए।

- दिनांक 01.08.2023 को, केरल में दर्ज एक पांच वर्षीय बच्चे के साथ छेड़छाड़ और हत्या का मामला एनएएफआईएस का उपयोग करके सुलझाया गया। आरोपी पर दिल्ली पुलिस द्वारा पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया था और उसके बायोमेट्रिक्स एनएएफआईएस में प्राप्त किए गए।

- मदुरै जिला पुलिस के फिंगरप्रिंट ब्यूरो ने फरवरी, 2023 में एनएएफआईएस की मदद से 11 साल पुराने चोरी के मामले को सुलझाया। वर्ष 2012 में, मलाईसामी द्वारा चोरी की शिकायत करने के बाद सिलैमन पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था। इसे सुलझाया नहीं जा सका, क्योंकि साइट पर एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट किसी भी आदतन अपराधी के फिंगर प्रिंट से मेल नहीं खाते थे। वर्ष 2012 में एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट का मिलान करते समय, सिलैमन पुलिस स्टेशन में दर्ज फिंगरप्रिंट रामनाथपुरम जिले के टी सेवुगराज के फिंगरप्रिंट से मेल खा गए। मुदुकुलथुर उप–जेल में न्यायिक हिरासत में रह रहे सेवुगराज को सिलैमन पुलिस ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया।

- जून 2023 में हुई एक अन्य घटना में, हरियाणा के राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) ने अज्ञात शवों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस) का सफलतापूर्वक उपयोग किया। पिछले एक साल में, इस पहल से 11 शवों की पहचान हुई है, जिनमें से सात ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज है। बाकी चार शव अलग–अलग राज्यों के व्यक्तियों के थे।

अक्टूबर 2023 में, तिलक नगर में मोबाइल क्राइम टीम को एमसीडी स्कूल के पास एक स्विस महिला का शव मिला था। जांच के आधार पर, अपराध स्थल पर 6 चांस प्रिंट पाए गए, जिनमें से आधे आरोपी के चांस प्रिंट से मेल खाते थे। शव को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन की जांच में 4 चांस प्रिंट मिले, जो फिर से आरोपी के फिंगरप्रिंट से मेल खाते थे।

14.6.4 **आईसीजेएस के अंतर्गत विकसित नई विशेषताएं**

- **स्थगन चेतावनी मॉड्यूल:** आईसीजेएस के अंतर्गत, आपराधिक मामलों के निपटान में समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करने के एक कदम के रूप में, एक "स्थगन चेतावनी मॉड्यूल" तैयार किया गया है। जब कभी किसी आपराधिक मामले में कोई सरकारी अभियोजक दो से अधिक बार स्थगन की मांग करता है, तो इसके लिए उक्त प्रणाली में वरिष्ठ अधिकारियों को एक अलर्ट भेजने का प्रावधान किया गया है।

- **क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (क्राई–मैक):** जघन्य अपराधों और अंतर–राज्य अपराधों के मामलों में समन्वय से संबंधित अन्य मुद्दों की सूचना साझा करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों और उच्चतर कार्यालयों के लिए क्राई–मैक (क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर) की सुविधा शुरू की गई है। इसका प्रयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से अपराधों तथा अंतर–राज्यीय अपराधियों के बारे में अलर्ट/सूचना भेजने के लिए किया जा सकता है।

- **गिरफ्तार नार्को–अपराधियों के संबंध में राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (एनआईडीएएन):** गृह मंत्रालय ने गिरफ्तार नार्को–अपराधियों पर एक राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (एनआईडीएएन) पोर्टल विकसित किया है, जो मादक पदार्थों से संबंधित अपराधियों अर्थात स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत अपराधों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल अपराधियों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करता है। यह ऑनलाइन सुविधा विशेष रूप से अंतर प्रचलित आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) से जुड़ी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के उपयोग के लिए है। यह प्रणाली एनआईसी द्वारा विकसित की गई है और इसमें 7.28 लाख से अधिक आपराधिक आंकड़े उपलब्ध हैं।

निदान (एनआईडीएएन) की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

I. विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए ऑनलाइन केंद्रीयकृत डेटाबेस

II. यह विधि प्रवर्तन एजेंसियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है–

क. अन्य बातों के साथ–साथ मादक पदार्थों के बार–बार और आदतन अपराध करने वालों का पता लगाने के लिए डेटाबेस पर खोज (सर्च) करना।

ख. मादक पदार्थों से संबंधित अपराध के बारे में अलर्ट भेजना और प्राप्त करना।

14.6.5 **कार्य प्रणाली**

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने पुलिस और कारागार आंकड़ों का प्रयोग करके एक कार्य प्रणाली (एमओ) शुरू की है। जांच अधिकारियों द्वारा इसका पूरे देश में ऑनलाइन उपयोग किया जा सकता है। यह फीचर पुलिस अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण जांच सहायता है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने अनुसंधान करने के लिए एक कार्य प्रणाली ब्यूरो (एमओबी) स्थापित किया है। एनसीआरबी द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए इस कार्य प्रणाली मॉड्यूल पर प्रशिक्षण भी प्रदान किए गए हैं।

14.6.6 **यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटाबेस**

आईसीजेएस प्लेटफार्म को अधिक सक्षम बनाने के लिए, सितम्बर, 2018 में यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीएसओ) की शुरूआत की गई थी, जिसका उद्देश्य ज्ञात और आदतन यौन अपराधियों की पहचान करके

महिलाओं के प्रति अपराध और हिंसा को रोकना है और उनमें कमी लाना है। एनडीएसओ सभी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए चौबीसों घंटे (24x7) उपलब्ध है तथा यह यौन अपराधों के मामले में व्यक्तियों के पूर्ववृत सत्यापन और शीघ्र पहचान को सक्षम बनाता है। एनडीएसओ के पास पूरे देश के 18.52 लाख से अधिक यौन अपराधियों का आंकड़ा है, जिनसे जांच अधिकारी यौन अपराधियों के विरूद्ध निवारणात्मक उपाय करने के अतिरिक्त आदतन यौन अपराधियों का पता लगा सकते हैं।

14.6.7 यौन अपराधों संबंधी जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ)

यौन हमलों के मामलों में, जहां दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम 2018 के अंतर्गत प्राथमिक रिपोर्ट की तारीख से 2 माह के भीतर जांच पूरी किए जाने को अनिवार्य बनाया गया है, वहीं गृह मंत्रालय ने यौन अपराधों की पहचान और उनके समाधान की प्रगति का पता लगाने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीसीटीएनएस डाटा पर आधारित एक "यौन अपराध संबंधी जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ)" पोर्टल बनाया है। यह एक क्लाउड आधारित विश्लेषणात्मक पोर्टल है, जो विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर एफआईआर स्तर तक ड्रिल–डाउन सुविधा के साथ उपलब्ध है। इसका प्रयोग पुराने मामलों के संबंध में रिपोर्टें और डैशबोर्ड तैयार करने के लिए किया जा सकता है तथा इसमें मामलों के शीघ्र समाधान के लिए जिला और पुलिस स्टेशन स्तर पर विलम्ब को समाप्त करने की क्षमता विद्यमान है। आईटीएसएसओ से अनुपालन दर में वृद्धि का पता चलता है, जो वर्ष 2018 में 43% से बढ़कर चालू वर्ष 2023 में 61.5% हो गई है। (अनुपालन दर = दो महीने के भीतर प्रस्तुत की गई अंतिम रिपोर्टें/एफआईआर, जिनके दो महीने पूरे हो चुके हैं)।

14.6.8 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड चेक (एनसीआरसी)

यह पोर्टल भौगोलिक बाधाओं को तोड़ने और उस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर किए गए अपराध में शामिल लोगों की पहचान करने, जहां वे रहते हैं, की दिशा में एक कदम है। यह पोर्टल जनवरी 2023 में शुरू किया गया था। यह पोर्टल पूर्ववर्ती सत्यापन के लिए एक वेब–आधारित एप्लिकेशन है, जो केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को लॉगिन करने और आवेदक के नाम, आयु/आयु सीमा, राज्य आदि जैसे पूर्ववर्ती विवरणों को साझा करने की अनुमति देता है ताकि सभी पुलिस स्टेशनों के डेटाबेस अर्थात सीसीटीएनएस और आईसीजेएस का उपयोग किया जा सके और त्वरित एवं समय पर सत्यापन रिपोर्ट प्रदान की जा सके।

जनवरी 2024 तक, 20,550 पूर्ववर्ती सत्यापन अनुरोध प्राप्त हुए और उन पर कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप 100% की निपटान दर रही। 15 सरकारी विभाग पोर्टल पर आ चुके हैं और इसका उपयोग कर रहे हैं, जबकि अन्य विभागों के लिए पंजीकरण चल रहा है।

आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) परियोजना

14.7 विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपात कार्रवाई सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में प्रौद्योगिकी का सक्रिय उपयोग करने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने निर्भया कोष के अंतर्गत 385.69 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से "आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)" नामक एक परियोजना कार्यान्वित की है। भारत सरकार (दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय) ने 112 को देश के लिए एक आपात नंबर के रूप में अधिसूचित किया है। पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस आदि जैसी विभिन्न आपातकालीन स्थितियों के लिए ईआरएसएस एक अखिल भारतीय, एकल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नंबर 112 आधारित आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली है, जिसके अंतर्गत कॉल, एसएमएस, ई–मेल, पैनिक बटन, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की वेबसाइट और 112 इंडिया मोबाइल एप के माध्यम से उपलब्ध क्षेत्रीय संसाधनों को कंप्यूटर की सहायता से मदद के लिए भेजा जा सकता है। ईआरएसएस 1.0 का अधिदेश एक ऐसा ऑपरेशनल प्लेटफार्म प्रदान करना है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न आपातकालीन सेवा प्रदाताओं को

आपातकालीन नम्बर 112 से जोड़ने में सहायता करेगा। इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- डायल 100, 108, 139 (रेलवे), 1077 आपदा आदि जैसे सभी मौजूदा नंबरों के साथ एकीकृत करके एक सुविधाजनक और मानकीकृत 'एकल आपातकालीन कार्रवाई नंबर – 112' प्रदान करना।
- वॉयस कॉल, एसएमएस, ईमेल, फोन, सार्वजनिक परिवहन और अन्य स्थानों में पैनिक बटन, आदि सहित विभिन्न स्रोतों से इनपुट प्राप्त करने के लिए 24x7 क्षमता प्रदान करना।
- निम्नलिखित के माध्यम से घटना के स्थान पर क्षेत्रीय संसाधनों (पुलिस, एम्बुलेंस आदि) को भेजने के लिए 24x7 प्रणाली प्रदान करना:
    - संकटग्रस्त व्यक्ति के स्थान की पहचान।
    - संकट को कम करने या बढ़ने से रोकने के लिए निकटतम क्षेत्रीय संसाधनों (एक या अधिक जीपीएस सक्षम आपातकालीन कार्रवाई वाहनों) को कंप्यूटर से सहायता प्राप्त करके समय पर भेजना।
    - अखिल भारतीय आधार पर मोबाइल ऐप आदि जैसे मानकीकृत, उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रौद्योगिकी वाले उत्पाद प्रदान करना।
    - अन्य आपातकालीन प्रणालियों के साथ एकीकृत करना।

14.8 ईआरएसएस परियोजना के तहत, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 112 को चालू करने अथवा मौजूदा प्रणालियों को 112 के साथ एकीकृत करने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 112 आधारित आपातकालीन संचालन शुरू करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और जीपीएस सक्षम मोबाइल डिवाइस टर्मिनल (एमडीटी) से सुसज्जित आपातकालीन कार्रवाई (ईआर) वाहनों की खरीद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

14.9 चरण–1 परियोजना कार्यान्वयन में कमी का विश्लेषण करने के बाद ईआरएसएस के आधुनिकीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आपातकालीन सहायता सेवाओं की निरंतरता, आपातकालीन कार्रवाई केंद्र (ईआरसी) में डेटा सेंटर (डीसी) को अपग्रेड करने के प्रावधान, सभी जिलों में कवरेज सुनिश्चित करना, कॉल वॉल्यूम में हुई वृद्धि पर कार्रवाई करना, आपातकालीन वाहन ट्रैकिंग और संचार, 100% भौगोलिक कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ आपदा रिकवरी और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए प्रावधान, एकल बिंदु विफलता से बचने के लिए अतिरेकता की पेशकश, केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ मशीन से मशीन को जोड़ना और 112 मोबाइल एप्लिकेशन में स्मार्ट फीचरों को शामिल करना आदि जैसी चिंताओं को दूर करने के लिए विकसित (नेक्स्टजेन) ईआरएसएस को लागू किया गया है।

ईआरएसएस–112 में सेवाओं का एकीकरण करना

14.10 विभिन्न अन्य सेवाओं के साथ ईआरएसएस के एकीकरण की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:

सेवा का नाम	निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकीकृत	निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकीकृत (संख्या)
रेलवे	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	36
बाल हेल्पलाइन (सीएचएल)	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	36
आपदा	तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	35

महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल)	दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31
एमओआरटीएच/वीएलटीडी/वीटीएमएस	दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, केरल, पुदुचेरी, पंजाब, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, ओडिशा	12
सीसीटीएनएस	दिल्ली, हरियाणा	2

14.11 ईआरएसएस इको–सिस्टम तंत्र के परिचालन (ऑपरेशन) की अवधि के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां/नवाचार नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुछ नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाएँ

चंडीगढ़

चंडीगढ़ पुलिस ने ई–बीट सिस्टम को एकीकृत किया है, जिसमें केस रिकॉर्ड मैनेजमेंट (सीआरएम) एजेंटों द्वारा दर्ज घटनाएं कंप्यूटर एडेड डिस्पैच (सीएडी) एजेंट के साथ संबंधित बीट अधिकारी तक पहुंचाई जाती हैं। यह देखा गया है कि ई–बीट सिस्टम को ईआरएसएस के साथ एकीकृत करने के कारण, कार्रवाई के लिए बीट अधिकारी के मौके पर पहुंचने का समय काफी कम हो गया है और कई बार बीट अधिकारी इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट (ईआरयू) से पहले ही मौके पर पहुंच रहे हैं।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश का ईआरएसएस सिस्टम, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल (ईआरवी) के ऑटो डिस्पैच के रूप में बदल गया है। साथ ही, नियमित गश्त करते समय अगर किसी पुलिसकर्मी को पता चलता है कि उसके आसपास कोई घटना हुई है, तो पुलिस रिस्पांस व्हीकल (पीआरवी) के जवान तुरंत मोबाइल डेटा टर्मिनल (एमडीटी) के माध्यम से फील्ड इवेंट बना सकते हैं और पीड़ित की मदद कर सकते हैं तथा "की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर)" को फाइल कर सकते हैं।

दिल्ली

दिल्ली के ईआरएसएस/डायल–112 सिस्टम को सीएमएपीएस (क्राइम मैपिंग एनालिटिक्स एंड प्रेडिक्टिव सिस्टम) और ई–बीट बुक मोबाइल रिसोर्सेज के साथ एकीकृत किया गया है, ताकि कार्रवाई में लगने वाले समय में कमी लाने के लिए इसका प्रभावी उपयोग किया जा सके। साथ ही, पुलिस कर्मियों के व्यवहार में सुधार लाने की दृष्टि से विपत्ति में पड़े कॉलर द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक फीडबैक की जांच करने हेतु समर्पित फीडबैक एजेंट चौबीसों घंटे मौजूद रहते हैं।

112 पर प्राप्त हुई कुछ सफलताएं, निम्नलिखित घटनाओं में वर्णित हैं:

दिल्ली – एक भरे हुए ट्रक के केबिन में आग

दिनांक 14.05.2023 को ईआरएसएस–112 पर "मुनीरका के पास एलपीजी सिलेंडर से भरे एक ट्रक के केबिन में आग लगने" के बारे में एक कॉल प्राप्त हुई। उपरोक्त पीसीआर कॉल को आवश्यक कार्रवाई के लिए निकटतम मोबाइल पेट्रोल वाहन (एमपीवी) को भेजा गया।

कॉल की गंभीरता को समझते हुए, एमपीवी में तैनात पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आए और वे 03 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुँच गए तथा उन्होंने पाया कि भारत गैस लिमिटेड के एलपीजी गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक खड़ा था एवं ट्रक के ड्राइवर केबिन में आग लगी हुई है। इसके अलावा, पुलिस कर्मियों ने देखा कि आग की लपटें ट्रक के चैंबर के करीब भी पहुँच रही है और पूरे ट्रक को आग लगने वाली है। इसके बाद, कर्मचारियों ने पेशेवरता के साथ–साथ सूझबूझ का

परिचय देते हुए, आग पर काबू पाने के लिए पीसीआर वैन से अग्निशामक सिलेंडर तुरंत निकाला। इसके अलावा, कर्मचारियों ने पास की बिल्डिंग से अग्निशमन पानी की पाइप का प्रबंध किया और आग पर काबू पाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। कर्मचारियों द्वारा की गई उचित और त्वरित कार्रवाई के कारण, दमकल के मौके पर पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया।

पुदुचेरी – महिलाओं के साथ छेड़छाड़ से बचाव

दिनांक 20.03.2023 को, एक 17 वर्षीय लड़की ने पुदुचेरी में रोजगार कार्यालय के पास 4 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा छेड़छाड़ से स्वयं को बचाने के लिए आपातकालीन सहायता मांगी। तुरंत इस शिकायत को वीएचएफ वायरलेस (मास मीडिया कम्युनिकेशन) के माध्यम से बीट अधिकारियों को भेजा गया, ताकि उसे बचाने के लिए आपातकालीन सहायता मिल सके। ईआरएसएस में डायल 112 के डिस्पैचर ने लोकेशन बेस्ड सर्विस (एलबीएस) का उपयोग करके डी'नगर पीएस के बीट अधिकारी को लड़की के सटीक स्थान के बारे में सूचित किया। बीट अधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई के माध्यम से, छेड़छाड़ करने वालों को पकड़ा गया और लड़की को बचाया गया।

ओडिशा – ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना

दिनांक 02.06.2023 को, ओडिशा के बालासोर जिले में बहनागा रेलवे स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस, यशवंतपुर–हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी, तीन ट्रेनों के बीच ट्रेन दुर्घटना हुई।

शाम के करीब 7 बजे, कोरोमंडल एक्सप्रेस के एक यात्री ने आपातकालीन हेल्पलाइन 112 पर डायल किया और घटना की जानकारी दी। इस महत्वपूर्ण कॉल ने उत्प्रेरक का काम किया, जिससे पुलिस, अग्निशमन और एम्बुलेंस सेवाओं सहित 112 के समर्पित कर्मचारियों को इस संकट संबंधी कॉल पर तुरंत कार्रवाई करने और चुनौतीपूर्ण बचाव अभियान शुरू करने तथा बेहद ज़रूरतमंद लोगों तक सहायता पहुँचाने के लिए प्रेरित किया गया। घायलों को एम्बुलेंस में तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और उन्हें क्रमशः बालासोर, भद्रक, कटक और भुवनेश्वर के अस्पतालों में पहुँचाया गया।

बहनागा रेलवे स्टेशन के पास हुए इस बचाव अभियान ने अन्य आपातकालीन सेवाओं के साथ–साथ 112 के कर्मचारियों की क्षमता और फुर्ती को प्रदर्शित किया।

सुरक्षित शहर परियोजना

14.12 सरकार ने महिला केंद्रित विकास पर बल दिया है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि विशेष रूप से बड़े शहरों, जो जीविकोपार्जन का अवसर प्रदान करते है, में सार्वजनिक स्थानों और आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी के लिए उनमें सुरक्षा एवं संरक्षा की भावना पैदा हो। गृह मंत्रालय ने इस दृष्टि से 8 बड़े शहरों यथा अहमदाबाद, बेंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता और मुम्बई में सुरक्षित शहर परियोजनाएं मंजूर की हैं। राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के विरूद्ध अपराध के संवेदनशील स्थानों की पहचान किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर इन परियोजनाओं को तैयार किया गया है, ताकि इस दृष्टि से शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना सहित महत्वपूर्ण संपदा विकसित की जा सके, प्रौद्योगिकी का अंगीकरण हो और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय में क्षमता निर्माण हो। इन परियोजनाओं को केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में वित्तपोषित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के लिए निर्भया फंड और गृह मंत्रालय के बजट से कुल 3,080.16 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

14.13 सुरक्षित शहर परियोजनाएं तैयार करते समय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), संबंधित शहरों की नगरपालिका और पुलिस आयुक्तों तथा इस उद्देश्य से जुड़े हुए सिविल सोसायटी संगठनों से परामर्श किया है। इसमें शहर और वहां निवास करने वाले समुदायों के लिए एक मिश्रित समाधान शामिल हैं। अन्य बातों के साथ–साथ, सुरक्षित शहर परियोजनाओं की पहल के अंतर्गत

विकसित/समर्थित की जा रही कुछ संपदाओं में, निम्नलिखित शामिल हैं:

- शहर के बुनियादी ढांचे, जैसे कि अपराध वाले संवेदनशील स्थानों की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) से जुड़ी मैपिंग करने, स्थानों पर अंधेरा (डार्क स्पॉट) हटाने के लिए स्मार्ट एलईडी से सड़क प्रकाश व्यवस्था करने, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) वाले कैमरों की क्षमता से लैस आधुनिक सीसीटीवी कैमरों की स्थापना कर उन्हें कमांड/कंट्रोल सेंटर से जोड़ने, शौचालय बनाने सहित अपराध के अभिज्ञात स्थलों पर सुरक्षित जोन क्लस्टर का निर्माण करने, सार्वजनिक स्थानों और यातायात के साधनों में पैनिक बटन लगाने, अन्य के साथ–साथ महिलाओं और बच्चों के लिए ट्रांजिट शयनागार बनाने आदि के अंतर्गत चल और अचल संपदाओं सहित एकीकृत दृष्टिकोण। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में विद्यमान पारिस्थितिकी तंत्र में कमियों को दूर करने और योजनाओं के साथ समेकित करने के लिए भी कुछ संपदाओं को शामिल किया गया है।

- महत्वपूर्ण मानव संसाधन संपदा, जैसे कि एसएचई टीमों के समान "सर्व महिला गश्ती दल" तैयार कर उनकी तैनाती करना, अहमदाबाद में अभयम वैन के समान फर्स्ट रिस्पांडर व्हीकल के लिए टीमें, "सर्व महिला पुलिस स्टेशनों" का विकास और उन्हें संसाधन युक्त बनाना, अन्य स्टाफ के साथ अधिक सुलभता एवं सहानुभूति के लिए पुलिस स्टेशनों में महिला काउंसलर की तैनाती करना इत्यादि। हैदराबाद के सफल "भरोसा मॉडल" के आधार पर, अन्य शहरों में इस प्रकार के "वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर" की स्थापना को समर्थन दिया जा रहा है। कुछ शहरों में फॉरेंसिक एवं साइबर क्राइम सेल जैसे जांच के बेहतर जांच संसाधनों को भी शामिल किया गया है।

- कुछ शहरों में महत्वपूर्ण उपाय जैसे कि यौन संवेदीकरण जागरूकता अभियानों, विधिक साक्षरता अभियानों और क्षमता निर्माण तथा समुदाय और सिविल सोसाइटी संगठनों के सहयोग से अन्य सेवा प्रदाताओं को भी शामिल किया गया है।

14.14 गृह मंत्रालय ने सुरक्षित शहर परियोजनाओं के तहत सृजित की गई संपदाओं का मानचित्रण करने और उनकी तैनाती को ट्रैक करने के लिए, एक "सुरक्षित शहर कार्यान्वयन निगरानी पोर्टल" (एससीआईएम पोर्टल) चालू किया है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता वाली "सुरक्षित शहर परियोजनाओं पर गठित राष्ट्रीय निगरानी समिति" द्वारा इन सुरक्षित शहर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

पिंक बूथ, लखनऊ

सेफ्टी आइलैंड, बेंगलुरू

पेलिकन सिग्नल, हैदराबाद

फोटो स्रोतः राज्य पुलिस

राज्य फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में डीएनए की सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

14.15 डीएनए विश्लेषण, अपराध की जांच में प्रयुक्त होने वाली समय परीक्षित वैज्ञानिक फॉरेंसिक प्रौद्योगिकियों में से एक है तथा यह यौन अपराधों और अन्य जघन्य अपराधों के मामलों में अत्यधिक प्रासंगिक है। जांच कार्यों में अधिकाधिक कार्यकुशलता को सुविधाजनक बनाने और यौन अपराधों के मामलों में अधिकाधिक दोषसिद्धि हासिल करने की कार्यनीति के एक भाग के रूप में, सरकार ने न केवल अपनी केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण शुरू किया है, बल्कि सरकार एक मिशन मोड के रूप में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण की सुविधाओं के क्षमता निर्माण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान कर रही है।

14.16 निर्भया फंड योजना के एक भाग के रूप में, गृह मंत्रालय ने डीएनए विश्लेषण की उन सुविधाओं को सशक्त बनाने के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिन्हें 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू/उन्नत किया गया है तथा 30 अनुमोदित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर सुविधाएं शुरू/उन्नत की गई हैं, जिनका वित्तीय परिव्यय 250.59 करोड़ रुपये है। राज्यों को वहां लंबित मामलों और उनके द्वारा मांग के आकलन के आधार पर प्राथमिकता दी गई है। इस सहायता से राज्य नवीनतम विकसित वैज्ञानिक उपकरणों को प्राप्त कर सकेंगे और उनका इस्तेमाल कर सकेंगे तथा अपनी स्वयं की फॉरेंसिक सुविधाओं का विकास कर सकेंगे। अनुमोदित परियोजनाओं के तहत, जिन मदों को फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में जोड़ा जाना है, वे राज्यों द्वारा स्वयं कमी–विश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अभिज्ञात की गई हैं और इन मदों में, एकत्र नमूनों से डीएनए को अलग करने के लिए ऑटोक्लेव एवं ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर सिस्टम, डीएनए सीक्वेंसर, सेंट्रफ्यूज, रियल टाइम पीसीआर, जांच के दौरान नमूनों की पहचान को सुविधाजनक बनाने और एकत्रित साक्ष्य के साथ इसका मिलान करने के लिए जेनेटिक विश्लेषक उपकरण इत्यादि शामिल हैं। यौन उत्पीड़न के मामलों में जांच अधिकारियों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए अपराध के सबूतों के विश्लेषण हेतु इस परियोजना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विशेषज्ञ वैज्ञानिकों को नियुक्त किए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने और फोरेंसिक किट खरीदने हेतु जांच

अधिकारियों/अभियोजन अधिकारियों/चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण

14.17 यौन उत्पीड़न मामलों में फोरेंसिक साक्ष्यों का रखरखाव करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने और उनमें कौशल विकसित करने के लिए फोरेंसिक साक्ष्यों के संग्रहण, रखरखाव और परिवहन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। बीपीआरएंडडी और एलएनजेपी एनआईसीएंडएफएस में प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किए गए हैं। कुल 31,399 जांच अधिकारियों/अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। बीपीआरएंडडी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 18,020 यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रहण किटें वितरित की हैं।

कारागारों का आधुनिकीकरण

14.18 भारत सरकार ने 950 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ "कारागारों का आधुनिकीकरण" परियोजना को केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक के पाँच वित्तीय वर्षों की अवधि में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि प्रदान की जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप और अधिक सुरक्षा वाली अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से जेलों में सुरक्षित अवसंरचना और अन्य लॉजिस्टिक सुविधाओं को बढ़ाना है तथा कौशल विकास, पुनर्वास और व्यवहार परिवर्तन आदि विषय पर कार्यक्रमों/पहलों के माध्यम से सुधारात्मक प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करना है।

14.19 "कारागारों का आधुनिकीकरण" परियोजना के घटकों में जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बुनियादी ढांचे का उन्नयन, जेलों में बॉडी वॉर्न कैमरों का उपयोग, अपराध छोड़ने के उद्देश्य से कैदियों के लिए प्रेरक वीडियो तैयार करना, जैमिंग समाधान, सुरक्षा पोल और सुधारात्मक कार्यक्रम की व्यवस्था शामिल है तथा इसमें कैदियों के लिए परामर्श/थेरेपी – जेलों में कैदियों को सहायता प्रदान करने हेतु प्रशिक्षकों/शिक्षकों, व्यवहार विशेषज्ञों, सुधारात्मक प्रशासन विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों आदि की सेवाएं लेना आदि भी शामिल है।

14.20 'कारागारों का आधुनिकीकरण' परियोजना के प्रमुख घटकों में से एक घटक, कुछ राज्यों में हार्ड कोर अपराधियों को अलग रखने के लिए उच्च सुरक्षा जेलों की स्थापना करना है, ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके और वे जेलों में अन्य कैदियों को प्रभावित न कर सकें। उच्च सुरक्षा वाली जेलों की स्थापना के लिए पांच राज्यों अर्थात् असम, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की पहचान की गई है और उन्हें धनराशि की पहली किस्त जारी कर दी गई है।

गरीब कैदियों को सहायता के लिए योजना

14.21 इस योजना का उद्देश्य ऐसे गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिन्हें इस कारण से जेलों से रिहा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वे उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ हैं या वित्तीय बाधाओं के कारण जमानत प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। इस संबंध में होने वाला व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे गरीब कैदियों को राहत प्रदान करने के लिए इस योजना का पूरा लाभ उठाएं।

विशेष छूट

14.22 "आज़ादी का अमृत महोत्सव" मनाने के भाग के रूप में, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुछ श्रेणियों के कैदियों को विशेष छूट देने और उन्हें तीन चरणों अर्थात 15 अगस्त, 2022, 26 जनवरी, 2023 तथा 15 अगस्त, 2023 को रिहा करने की सलाह दी है। दिनांक 21.4.2022 के अ.शा. पत्र द्वारा गृह मंत्री के स्तर पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कैदियों की रिहाई के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। 15 अगस्त, 2022 को कैदियों को विशेष छूट के पहले चरण के दौरान, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया कि उन्होंने रिहाई के लिए 1,126 कैदियों के मामलों को अनुमोदन प्रदान किया है। दूसरे चरण अर्थात 26 जनवरी 2023 को 775 कैदियों को रिहा किया गया है। तीसरे चरण में 15 अगस्त 2023 को 612 कैदियों को रिहा किया गया है।

*****

अध्याय–15

जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख मामले विभाग

15.1 जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख मामले विभाग, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) से संबंधित सभी मामलों को देखता है तथा भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को विशेष रूप से आवंटित किए गए विषयों/मामलों को छोड़कर, इन संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य विषयों/मामलों के बारे में उनके साथ समन्वय करता है। यह विभाग, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में भारत सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और व्यक्तिगत लाभार्थी केन्द्रित योजनाओं तथा प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) सहित आर्थिक महत्व की प्रमुख परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करता है।

15.2 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य के उत्तर में तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के पश्चिम में स्थित है। इसकी पाकिस्तान के साथ 202.16 किमी. अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 1,20,355 वर्ग किमी. (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सहित) है, जिसके अनुसार यह देश के 3.66% भौगोलिक क्षेत्र के साथ भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र है।

15.3 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या की दृष्टि से जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का देश में 19वां स्थान है और इसकी कुल जनसंख्या 1,22,67,013 है।

15.4 जम्मू एवं कश्मीर में गंभीर आतंकवाद को देखते हुए, जम्मू एवं कश्मीर सरकार को शांति और अमन–चैन बनाए रखने के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है। इस प्रयोजन के लिए, जम्मू एवं कश्मीर में वर्ष 1989–90 में एक अलग सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना शुरू की गई थी। इसमें (क) पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवाद से निपटने के लिए जम्मू एवं कश्मीर के पुलिस बल की लॉजिस्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करने हेतु एसआरई (पुलिस) के अंतर्गत व्यय की 90% प्रतिपूर्ति और (ख) अन्य राहत और पुनर्वास उपायों के अलावा आतंकवाद काल के दौरान घाटी से विस्थापित हुए कश्मीरी प्रवासियों के राहत और पुनर्वास में सहायता करने के लिए एसआरई – राहत और पुनर्वास (आर एंड आर) योजना के अंतर्गत व्यय की 100% प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

15.5 वित्तीय वर्ष 2023–24 में जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था अनुमानित 7.4% की जीएसडीपी की वृद्धि के साथ सही ट्रैक पर रही है। वर्ष 2022–23 में मौजूदा कीमतों के अनुसार प्रथम संशोधित अनुमान (1 आरई) के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुमान 2,24,226 करोड़ रुपये है, जबकि इसकी तुलना में यह वर्ष 2020–21 के दौरान 1,67,793 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2021–22 में 1,93,352 करोड़ रुपये था। मौजूदा कीमतों पर वर्ष 2020–21, 2021–22 (2आरई) और 2022–23 के लिए जम्मू एवं कश्मीर का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुमानतः क्रमशः 1,25,546, 1,43,596 और 1,65,334 रुपये है।

15.6 **अधिनियम और नियम**

क) **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद**

370 को निरस्त करने के संबंध में सरकार के निर्णय का समर्थन किया। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित करने के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अनेक रिट याचिकाएं दायर की गईं थी। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पांच–सदस्यीय संवैधानिक बैंच द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने दिनांक 11.12.2023 को अपना निर्णय सुनाया तथा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित करने के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को उचित ठहराया।

ख) **जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023** संसद द्वारा पारित कर दिया गया है, जिसमें कश्मीरी आप्रवासी समुदाय के दो सदस्यों का जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में नामांकन करने का प्रावधान है, जिसके तहत एक सदस्य उपर्युक्त समुदाय की महिला होगी और दूसरा एक सदस्य पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों में से होगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद दिनांक 15.12.2023 को जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है, जो दिनांक 26.12.2023 से लागू हो गया है।

ग) **जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023** संसद द्वारा पारित कर दिया गया है, जिसमें जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में "कमजोर और पिछड़े वर्गों (सामाजिक जातियों) का नाम बदलकर अन्य पिछड़ा वर्ग" करने का प्रावधान है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद दिनांक 15.12.2023 को जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है, जो दिनांक 26.12.2023 से लागू हो गया है।

घ) **जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023** संसद द्वारा पारित कर दिया गया है, जिसमें जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी चयनित सीटों में एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद दिनांक 22.12.2023 को जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है।

ङ) **जम्मू एवं कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक, 2024** संसद द्वारा पारित कर दिया गया है, जिसमें जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की पंचायतों और नगरपालिकाओं में "अन्य पिछड़े वर्गों" के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ताकि जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989, जम्मू एवं कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 और जम्मू एवं कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 जैसे स्थानीय निकाय कानूनों को भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुरूप बनाया जा सके। इस विधेयक में संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के समान आधार और समान ढंग में राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने तथा साथ ही, नगरपालिका चुनाव करवाने के लिए जम्मू एवं कश्मीर नगरपालिका कानूनों के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्थान पर राज्य निर्वाचन आयुक्त को निर्वाचन प्राधिकारी के रूप में नामोदिष्ट करने की प्रक्रिया का भी प्रावधान किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) अधिनियम, 2024 को दिनांक 12.02.2024 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है और यह दिनांक 20.02.2024 से लागू हो गया है।

च) **संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024** संसद द्वारा पारित कर दिया गया है, जिसमें जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जातियों की सूची में "वाल्मिकी" शब्द शामिल करने का प्रावधान है। संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 को दिनांक 12.02.2024 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है।

छ) **संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024** संसद द्वारा पारित कर दिया गया है ताकि "गड्डा ब्राह्मण", "कोली", "पड्डारी जनजाति" और "पहाड़ी जातीय समूह" के समुदायों को जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जा सके। संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 को दिनांक 12.02.2024 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है।

(ज) **जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार की कार्य संचालन नियमावली, 2019** में दिनांक 28.02.2024 की सा.का.नि. 142 (अ) के द्वारा संशोधन किया गया है, जिसके तहत जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अपर मुख्य सचिव (गृह)/गृह सचिव की नियुक्ति करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप–राज्यपाल द्वारा केंद्र सरकार अर्थात् गृह मंत्रालय को पूर्व संदर्भ भेजे जाने का प्रावधान किया गया है।

जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति

15.7 जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) संघ राज्य क्षेत्र लगभग तीन दशकों से सीमा पार से प्रायोजित और समर्थित आतंकवादी तथा अलगाववादी हिंसा से प्रभावित रहा है। पिछले कुछ वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में आतंकवादी हिंसा से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	**आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले (टीआईआई)**	**मुठभेड़/ आतंकवाद-रोधी ऑपरेशन**	**मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक**	***मारे गए आम नागरिक**	**मारे गए आतंकवादी**
2018	228	189	91	55	257
2019	153	102	80	44	157
2020	126	118	63	38	221
2021	129	100	42	41	180
2022	125	117	32	31	187
2023	46	48	30	14	73
2024 (मार्च तक)	02	02	00	02	01

* [मारे गए आम नागरिकों की उपर्युक्त संख्या में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों में मारे गए आम नागरिक और मुठभेड़/आतंकवाद–रोधी ऑपरेशनों में मारे गए आम नागरिक शामिल हैं।]

15.8 जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) संघ राज्य क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति की निगरानी और समीक्षा जम्मू एवं कश्मीर, सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है। गृह मंत्रालय भी जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर सुरक्षा की स्थिति की गहन और सतत निगरानी करता है।

15.9 भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलकर सीमा–पार से घुसपैठ को रोकने के लिए एक बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सीमा अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, अंतरराष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा और घुसपैठ के सदैव बदलते रहने वाले मार्गों पर बहु–स्तरीय तैनाती, सीमा पर बाड़ का निर्माण/रखरखाव, नालों पर पुलियों/पुलों का निर्माण, सुरक्षा बलों के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण, आसूचना और प्रचालन संबंधी समन्वय में सुधार करना, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था और घुसपैठ रोकने के लिए आसूचना प्राप्त करने के कार्य में तालमेल बैठाना तथा जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के भीतर आंतकवादियों के विरुद्ध सक्रिय कार्रवाई करना आदि शामिल है। सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में शांति भंग करने के आतंकवादियों के प्रयासों और उनकी क्षमता को निष्प्रभावी करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। सरकार ने युवकों को आतंकवाद से दूर करने के लिए, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ–साथ मुख्य धारा में शामिल करने की नीतियों को भी प्रोत्साहित किया है।

15.10 सरकार का निम्नलिखित प्रयास रहा है:

i सीमा–पार के आतंकवाद से सीमाओं की रक्षा करने और आतंकवाद को रोकने के लिए सभी सुरक्षा बलों द्वारा सक्रिय रूप से उपयुक्त उपाय करना।

ii यह सुनिश्चित करना कि जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कायम रखी जाए और वहां पर लंबे समय से चले आ रहे आतंकवाद के प्रभाव के कारण लोगों द्वारा सामना की जा रही सामाजिक–आर्थिक समस्याओं से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए नागरिक प्रशासन की प्रमुखता बहाल की जाए, और

iii सतत शांति की प्रक्रिया सुनिश्चित करना और हिंसा का मार्ग छोड़ने वाले जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सभी वर्ग के लोगों को प्रभावी रूप से अपना दृष्टिकोण रखने का पर्याप्त अवसर देना तथा उनकी वास्तविक शिकायतों का निवारण करना।

iv आतंकी सहायता ढांचा, आतंकी वित्तपोषण और भारत–रोधी तत्वों को प्रभावी ढंग से समाप्त करके आतंकी ईको–सिस्टम का सफाया करना।

15.11 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। संगठित पत्थरबाजी और विरोध प्रदर्शन अतीत की बातें हो गई हैं। तदंतर, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सभी सेक्टरों में समग्र विकास हुआ है। वर्ष 2022 में जम्मू एवं कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है क्योंकि जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में 1.88 करोड़ से अधिक पर्यटक यात्रा हुईं हैं। वर्ष 2023–24 में, यह संख्या 2 करोड़ से अधिक थी। जी–20 के तृतीय पर्यटन कार्य समूह की बैठक 22 से 24 मई, 2023 तक श्रीनगर में आयोजित हुई। इस कार्यक्रम ने जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को वैश्विक पहचान प्रदान की है और यह संघ राज्य क्षेत्र की प्रगति एवं विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। अगस्त, 2023 में श्री अमरनाथ जी यात्रा, 2023 सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। वर्ष 2023 में 4.45 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा की यात्रा की, जो पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक है।

कश्मीर के लोगों ने 75 वर्षों में पहली बार, इस वर्ष कुपवाड़ा जिले के माता शारदा देवी मंदिर में दीये जलाकर दिवाली मनाई। पीओके में शारदा पीठ मंदिर की पवित्र और सदियों पुरानी तीर्थ यात्रा को पुनर्जीवित करने के लिए इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया।

15.12 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार की पहल में सहायता करने के लिए, जब कभी आवश्यक हो, केंद्र

सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध कराती रही है और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता प्रदान करती रही है। गृह मंत्रालय सुरक्षा संबंधी विभिन्न उपायों पर जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करता है। इनमें पुलिस बलों को लाने–ले–जाने, सामग्री की आपूर्ति, आवासीय किराए, विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय, नागरिक कार्रवाई कार्यक्रमों, एयरलिफ्ट प्रभारों, इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन की लागत, परिवहन, ठहरने और खाने–पीने, सुरक्षा बलों के लिए वैकल्पिक आवास आदि पर होने वाला व्यय शामिल है। जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को सुरक्षा संबंधी व्यय (पुलिस) (एसआरई(पी)) के तहत वर्ष 1989 से दिनांक 31.03.2024 तक प्रतिपूर्ति की गई कुल राशि 11,740.37 करोड़ रुपये है और सुरक्षा संबंधी व्यय (राहत और पुनर्वास) के तहत 6,478.58 करोड़ रुपये है। वर्ष 2023–24 के दौरान, दिनांक 31.03.2024 तक जम्मू एवं कश्मीर सरकार को एसआरई (पी) के तहत 710.00 करोड़ रुपये की धनराशि की प्रतिपूर्ति की गई है और एसआरई (आर एंड आर) के तहत जम्मू एवं कश्मीर सरकार को 608. 79 करोड़ रुपये की धनराशि की प्रतिपूर्ति की गई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, सुरक्षा संबंधी व्यय (सुरक्षा वातावरण) की योजना के तहत 29.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

15.13 सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के लिए 5 आईआर बटालियनों, 2 सीमा बटालियनों और 2 महिला बटालियनों के गठन हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। 5 आईआर बटालियनों के लिए भर्ती का कार्य पूरा हो गया है। 2 सीमा बटालियनों तथा 2 महिला बटालियनों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

15.14 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में, विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की नियुक्ति की व्यवस्था वर्ष 1995 से शुरू की गई थी। एसपीओ की नियुक्ति की मूल अवधारणा में आतंकवाद के खिलाफ अभियान में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को अनुषंगी सहायता प्रदान करना और स्थानीय आबादी को अपनी स्वयं की सुरक्षा में शामिल करना तथा साथ ही आतंकवाद के खतरे से निपटने में जम्मू एवं कश्मीर पुलिस और अर्ध–सैनिक बलों की सहायता करना निहित था। उन्हें सौंपे गए विभिन्न कार्यों में जम्मू एवं कश्मीर पुलिस द्वारा उनको नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के एसपीओ का पारिश्रमिक निम्नलिखित तरीके से बढ़ाकर 18,000/– रुपये प्रति माह तक कर दिया गया है:

(i) 3 वर्ष से कम अनुभव वाले विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) – 6,000/– रुपये प्रति माह

(ii) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम अनुभव वाले विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ)– 9,000/– रुपये प्रति माह

(iii) 5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम अनुभव वाले विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ)– 12,000/– रुपये प्रतिमाह

(iv) 10 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम अनुभव वाले विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ)– 15,000/– रुपये प्रति माह

(v) 15 वर्ष से अधिक अनुभव वाले विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) – 18,000/– रुपये प्रति माह।

जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, ग्राम रक्षा समूह योजना (वीडीजी) को वर्ष 1995 में अधिसूचित किया गया था, ताकि कमजोर गांवों, उनके आसपास के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और सीमा पार से होने वाली गतिविधियों को रोका जा सके। इस योजना को संशोधित किया गया एवं इसकी जगह दिनांक 14.08.2022 को एक नई योजना अधिसूचित की गई, जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों के लिए वी1 श्रेणी (जो वीडीजी की अगुवाई/ नेतृत्व/समन्वय करता है) और वी2 श्रेणी (वीडीजी सदस्य, जो स्वैच्छिक आधार पर हैं) बनाये जायेगें तथा उन्हें क्रमशः 4,500 रुपये प्रति माह और 4,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे।

15.15 **कश्मीरी प्रवासियों हेतु प्रमुख पहलें/ नीतिगत निर्णयः**

क) जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने अगस्त, 2021 में एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया था, जिसमें कश्मीरी आप्रवासी अतिक्रमण, नाम परिवर्तन

(चेंज ऑफ टाइटल), नामांतरण और संकट में बिक्री के संबंध में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब तक, 2,924 कनाल और 19.55 मरला भूमि प्राप्त की जा चुकी है।

ख) पंजीकरण और प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गई हैं। अब तक, 1,60,856 अधिवास प्रमाण–पत्र, 2,035 पिछड़ा क्षेत्र निवासी (आरबीए) प्रमाण–पत्र, 902 ईडब्ल्यूएस प्रमाण–पत्र और 31,672 आप्रवासी प्रमाण–पत्र जारी किए गए हैं।

ग) उन कश्मीरी आप्रवासी परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं।

घ) उन कश्मीरी आप्रवासी परिवारों को आयुष्मान सेहत कार्ड भी जारी किए गए हैं, जिनका अधिवास प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए पंजीकरण किया गया है।

ङ) कश्मीरी आप्रवासी परिवारों को सामाजिक सुरक्षा स्कीमों विशेष तौर पर लाडली बेटी, विवाह सहायता स्कीम और इसी प्रकार के लाभ प्रदान किए गए हैं।

च) देश के अन्य भागों में रह रहे कश्मीरी आप्रवासियों की सुविधा और सेवा प्रदायगी के लिए, पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर आउटरीच कार्यक्रम एवं शिकायत निवारण कैंप शुरू किए गए हैं।

छ) कश्मीरी आप्रवासी समुदाय से संबंधित 5,720 युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।

ज) भारत सरकार ने सरकारी नौकरियों में कार्यरत/कार्यरत होने वाले कश्मीरी आप्रवासियों के लिए पूर्णरूप से सुरक्षित 6,000 ट्रांजिट आवासों का अनुमोदन प्रदान किया है।

रियायती हेलीकॉप्टर सेवाएं

15.16 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में रियायती हेलीकॉप्टर सेवाओं की वर्तमान योजना दूरदराज के उन क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करती है, जहां सड़क मार्ग से जाना दुर्गम है अथवा सड़क मार्ग से जुड़े होने पर भी, वे भारी बारिश/सर्दियों के दौरान बर्फबारी के कारण कटे रहते हैं। इस योजना को मार्च, 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया है। इस योजना के अनुसार, भारत सरकार यात्रियों से प्राप्त राजस्व अथवा वास्तविक परिचालन लागत का 20%, इनमें से जो भी अधिक हो, की कटौती करने के बाद परिचालन लागत का 75% हिस्सा वहन करती है और शेष 25% संबंधित सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र

पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर (1947) और छम्ब नियाबत (1965 एवं 1971) से विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों को वित्तीय सहायता

15.17 प्रधानमंत्री विकास पैकेज–2015 (पीएमडीपी–2015) के अंतर्गत, पाक अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर (पीओजेके) और छम्ब से विस्थापित होकर जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में बसे 36,384 परिवारों को 5.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता संवितरित की जा रही है। भारत सरकार ने 5,300 परिवारों में से उन विस्थापित परिवारों (डीपी) को भी शामिल करने के लिए ऐसी ही वित्तीय सहायता अनुमोदित की थी, जिन्होंने आंरभ में पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य के बाहर जाने का विकल्प चुना था, किंतु बाद में वापस आ गए और जम्मू एवं कश्मीर में बस गए। वर्ष 2016 में इस योजना के शुरू होने से लेकर अब तक, 33,636 पात्र लाभार्थियों को कुल 1,452.34 करोड़ रुपये की धनराशि संवितरित की जा चुकी है।

पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों को वित्तीय सहायता

15.18 भारत सरकार द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान के

शरणार्थियों (डब्ल्यूपीआर) के उन 5,764 परिवारों को प्रति परिवार 5.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता संवितरित की जा रही है, जो विभाजन के उपरांत पश्चिमी पाकिस्तान के कई क्षेत्रों से प्रवास करके जम्मू क्षेत्र के विभिन्न भागों में बस गए थे। वर्ष 2018 में इस योजना की शुरुआत के बाद से अब तक, 3,237 लाभार्थियों को कुल 82.62 करोड़ रुपये की धनराशि संवितरित की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी), 2015

15.19 प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी), 2015 पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एक वृहत विकास और पुनर्निर्माण पैकेज है। जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के गठन के बाद, जम्मू एवं कश्मीर में 58,477 करोड़ रुपये के परिव्यय से 53 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन 53 परियोजनाओं में से, 35 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है/काफी हद तक पूरा कर लिया गया है और शेष परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

बजट आवंटन में वृद्धि

15.20 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट आवंटन में लगातार वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2019–20 में 80,423 करोड़ रुपये, वर्ष 2020–21 में 92,341 करोड़ रुपये, वर्ष 2021–22 में 1,08,621 करोड़ रुपये, वर्ष 2022–23 में 1,12,950 करोड़ रुपये, वर्ष 2023–24 में 1,18,500 करोड़ रुपये और वर्ष 2024–25 में बढ़कर 1,18,728 करोड़ रुपये हो गया है, ताकि जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

सुधार कार्यक्रम

15.21 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने समग्र विकास हासिल करने और लोगों में खुशहाली लाने के लिए एक अनुकूल वातावरण सृजित करने की दृष्टि से आईटी सक्षम उपकरणों, भविष्य की रणनीतियों, लोकतंत्र को मजबूत करने की नई पहलों, सुशासन, निवेश के अवसरों और सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से बड़े पैमाने पर सुधार कार्यक्रम शुरू किए हैं।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं की लक्ष्य प्राप्ति

15.22 जम्मू एवं कश्मीर अब केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में भारत के शीर्ष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से एक है। सौभाग्य, उज्ज्वला, उजाला, पेंशन योजना, विद्यार्थी छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, पोषण वाटिका, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण– I, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (चरण I-V), पीएम किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान), पोषण ट्रैकर, सभी ग्रामीण आंगनबाड़ियों और ग्रामीण स्कूलों में पाइपलाइन से जलापूर्ति आदि जैसी स्कीमों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

पारदर्शिता और जवाबदेही

15.23 पारदर्शिता और जवाबदेही के संदर्भ में सरकार के कामकाज में परिवर्तन हेतु पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना सभी सरकारी पहलों का केंद्र बिंदु रहा है पिछले चार वर्षों से विकास के अधिकांश मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई है। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया है और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की स्कीमों का लक्ष्य पूर्णरूप से हासिल कर लिया गया है। 63 लाख से अधिक लाभार्थियों को डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) आधारित 50 से अधिक कल्याण स्कीमों (दोनों नकद और वस्तु) के माध्यम से मार्च 2024 तक 3200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि संवितरित की गई है।

15.24 जीएफआर की 100% अनुपालना करते हुए किसी भी विभागीय कार्य एवं वस्तुओं की अधिप्राप्ति ई–टेंडरिंग के अलावा किसी अन्य माध्यम से नहीं होना सुनिचित किया गया है। सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए समस्त कार्यालयों में ई–ऑफिस और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (बीएएस) लागू की गई है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, भौतिक स्वरूप की

फाइल के स्थान पर ई–ऑफिस, ऑनलाइन सेवाओं, स्वतः अपील प्रणाली आदि जैसी विभिन्न पहलें कार्यान्वित की गई हैं।

वित्तीय प्रबंधन

15.25 बीईएएमएस (बजट अनुमान और निगरानी प्रणाली), पेसिस (भुगतान प्रणाली), 100% भौतिक सत्यापन, अनिवार्य प्रशासनिक अनुमोदन, तकनीकी स्वीकृति, ई–टेंडरिंग आदि के माध्यम से वित्तीय परिवर्तन ने परियोजनाओं को तेज गति से पूरा होने में सक्षम बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति हुई है।

क्र.सं.	वर्ष	पूंजीगत व्यय (करोड़ रु. में)	पूर्ण की गई परियोजनाओं/कार्यों की संख्या
1	2018-19	8,482	9,229
2	2019-20	9,998	12,637
3	2020-21	10,532	21,943
4	2021-22	10,224	50,627
5	2022-23	10,634	92,932

कृषि

15.26 कृषक परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अब तक कुल 14.83 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) संवितरित किए गए हैं। कुल 12.68 लाख पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,876 करोड़ रुपये की राशि सीधे तौर पर जमा की गई। लगभग 2.70 लाख मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए गए हैं, ताकि उत्पादकों के लिए बेहतर पारिश्रमिक सुनिश्चित किया जा सके।

15.27 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए, 5,012 करोड़ रुपये की लागत पर 29 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इकाइयां स्थापित करने के लिए, 50,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 14,000 आवेदन स्वीकार किए गए गए हैं, ताकि बीजों, सब्जियों, मशरूम, औषधीय और सुगंधित पौधों, फलों, डेयरी, भेड़ पालन और मुर्गी पालन की इकाइयां स्थापित की जा सकें। इस वर्ष सब्जी की खेती के अंतर्गत 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र का विस्तार हुआ है। पहली बार, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सभी 20 जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन शुरू हुआ। कुल 60,000 मीट्रिक टन की क्षमता के साथ 12 सीए (नियंत्रित वातावरण) स्टोरों का निर्माण कार्य पूरा करके उन्हें शुरू कर दिया गया है। भदरवा राजमा, सुलाई शहद और मुश्कबुदजी चावल को ज्योग्रोफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग प्रदान किए गए हैं।

स्वास्थ्य बीमा

15.28 स्वास्थ्य क्षेत्र–"एबी–पीएमजेएवाई–सेहत स्कीम" एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम है, जो जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सभी निवासियों को फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5.00 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। इस स्कीम के तहत, 84.75 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है और सभी परिवारों को लाभ प्रदान किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एम्बुलेंस सेवाओं, ई–संजीवनी, टेली–रेडियोलॉजी, टेलीमेडिसिन, टेली–ऐक्स–रे, टेली–सिटी स्कैन और शेयर, चैटबाक्स तथा टेली–मानस जैसी डिजिटल पहलें की गई हैं। पिछले वित्त वर्ष में जम्मू एवं कश्मीर एनसीडी स्क्रीनिंग में अग्रणी रहा है। जम्मू एवं कश्मीर ने वर्ष 2021, 2022 और 2023 में लगातार 3 वर्षों के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष रैंक प्राप्त किया। जम्मू एवं कश्मीर ने तपेदिक (टीबी) का सफाया करने में कांस्य श्रेणी प्राप्त की और 02 जिलों (अनंतनाग और पुलवामा) को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। वर्ष 2023 में नवजात शिशु

मृत्युदर (एनएमआर) सिंगल डिजिट में पहुंचकर 9.8 हो गई है। जम्मू में बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल शुरू किया गया है और श्रीनगर में बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल स्थापित किया जा रहा है। श्रीनगर में 500 बिस्तर वाला नया शिशु अस्पताल शुरू कर दिया गया है। विजयपुर, जम्मू में एम्स का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और दिनांक 20.02.2024 को इसका उद्घाटन कर दिया गया है।

सामाजिक समावेशन

15.29 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी): वर्ष 2023–24 के दौरान सीएसएस एवं यूटी प्रायोजित एकीकृत सामाजिक सुरक्षा स्कीम (आईएसएसएस) जैसी पेंशन स्कीमों के अंतर्गत 8.61 लाख लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2023–24 के दौरान, तीन अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति स्कीमों अर्थात् प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति स्कीमों के अंतर्गत 15,798 विद्यार्थियों को कवर किया गया है। वर्ष 2023–24 के दौरान, एससी प्री एंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत क्रमशः 3,856 और 5,812 विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। अनुपूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं सहित 7.56 लाख लाभार्थियों (06 माह से 72 माह के बच्चों) को कवर किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंर्तगत 68,759 लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर 8.25 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है। महिला विकास निगम स्कीमों के तहत आय सृजन की 1,728 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनके लिए 6,668 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है। एसी/एसटी और बीसी विकास निगम ने विभिन्न वित्तपोषण स्कीम/बैंक– टाइ–अप स्कीमों के अंतर्गत 966 रोजगार सृजन इकाइयां स्थापित की है और 2,415 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रहा है।

ग्रामीण विकास

15.30 वर्ष 2023–24 के दौरान, मनरेगा के तहत 2.82 लाख कार्य पूरे हुए। आवास प्लस पीएमएवाई–जी लाभार्थियों के अंतर्गत 477 भूमि रहित परिवारों को 5 मरला भूमि आवंटित की गई है। वार्षिक तौर पर निर्माण किए जा रहे घरों की संख्या वर्ष 2022–23 में चौगुनी होकर 51,290 हो गई है और मार्च 2024 के अंत तक 1.96 लाख के पार पहुंच गई है।

युवा और खेलकूद

15.31 वर्ष 2022–23 में स्लोगन– मेरा युवा मेरा गर्व, हर दिन खेल हर एक के लिए खेल, नशामुक्त भारत अभियान, आजादी का अमृत महोत्सव, जन अभियान, खेल संघ का कैलेंडर और "नियमित कोचिंग कार्यक्रमों" के अंतर्गत विभिन्न खेलकूद गतिविधियों में 62 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। 5 लाख से अधिक युवा मिशन यूथ से जुड़े हुए हैं। पूरे संघ राज्य क्षेत्र में 100 छोटे खेलो इंडिया केंद्रों की स्वीकृति प्रदान की गई है (प्रति जिला 5), जिनमें से 92 कार्यात्मक हैं, जो देश में सर्वाधिक है। प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक बहुउद्देशीय इंडोर स्पोर्ट्स सुविधा केंद्र स्थापित है। वर्ष 2022–23 के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर में 13 खेलकूद क्षेत्रों (शतरंज, नौकायन, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, पेनकक सिलाट, वुशू, वॉलीबाल, टेनिस बॉल क्रिकेट, रोलबाल, स्के, कर्लिंग, बैंडी, स्नोमिंटन और विंटर स्पोर्ट) में राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाएं तथा पेनकक सिलाट क्षेत्र में 01 अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई, जिसने जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान किया और विश्व के साथ–साथ देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए शांति संदेश भी दिया। जम्मू एवं कश्मीर में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने के संबंध में यह सर्वोच्च रिकॉर्ड है।

अमृत सरोवर

15.32 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2022 तक 300 अमृत सरोवरों और 15 अगस्त, 2023 तक 1,500 अमृत सरोवरों के निर्माण के लक्ष्य के साथ मिशन अमृत सरोवर को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दिनांक 24.04.2022 को ग्राम पंचायत पल्ली, सांबा, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में लॉन्च किया गया था। प्रत्येक

जिले में 75 अनिवार्य अमृत सरोवरों का निर्माण करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर का देश में तीसरा (03) रैंक है। जम्मू एवं कश्मीर में मार्च, 2024 तक लगभग 3,367 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इन सरोवरों ने कृषि एवं घरेलू उद्देश्य के लिए जल स्रोतों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त इन जलाशयों के आस–पास पर्यटन से संबंधित गतिविधियों को भी बल प्रदान किया है।

विद्युत क्षेत्र

15.33 विद्युत क्षेत्र अवसंरचना – 3,014 मेगावाट (पकल–दुल–1,000 मेगावाट, रेटल–850 मेगावाट, क्वार– 540 मेगावाट, किरू– 624 मेगावाट) की क्षमता के साथ 4 मेगा जल विद्युत परियोजना को गति प्रदान की गई है और इनके वर्ष 2026 तक पूरा होने की संभावना है। 1,818 मेगावाट की क्षमता के साथ 4 अन्य मेगा जल विद्युत परियोजनाएं (दुलहस्ती–II–258 मेगावाट, किरथाई–II– 930 मेगावाट, किरथाई–I– 390 मेगावाट, उड़ी–II –240 मेगावाट) शुरू हो रही हैं।

ट्रांसमिशन क्षेत्र के अंतर्गत, 08 ग्रिड स्टेशनों के निर्माण/विस्तार के माध्यम से 220 किलोवाट लेवल में 1,940 एमवीए क्षमता की वृद्धि की गई। कुल 30 ग्रिड स्टेशनों के निर्माण/विस्तार के माध्यम से 132 किलोवाट लेवल में 2,080 एमवीए क्षमता की वृद्धि की गई। कुल 467 किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई गईं। वितरण क्षेत्र के अंतर्गत 226 सब–स्टेशनों के निर्माण/विस्तार के माध्यम से 66–33 केवी लेवल में 1,753 एमवीए क्षमता की वृद्धि की गई। कुल 10,953 किलोमीटर नई एचटी और एलटी लाइनें बिछाई गईं। कुल 9,071 वितरण ट्रांसफार्मरो के निर्माण/विस्तार के माध्यम से 11 केवी लेवल में 1,255 एमवीए क्षमता की वृद्धि की गई।

कनेक्टिविटी

15.34 वर्ष 2022–23 और 2023–24 के दौरान, पीएमजीएसवाई–III के अंतर्गत 2,080.07 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कुल 1,605 किलोमीटर की लंबाई वाली 274 सड़क एवं पुल परियोजनाओं को उन्नयन की मंजूरी प्रदान की गई है। पिछले चार वर्षों से जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में प्रतिदिन औसतन 15 किमी. लम्बी सड़क का निर्माण हो रहा है। पिछले चार वर्षों में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत विभिन्न गांवों में कुल 7,000 किमी. से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण हुआ है। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, सभी ग्रामीण बस्तियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ दिया गया है और वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अंतर्गत आने वाले शेष गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने का कार्य चल रहा है।

शिक्षा

15.35 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से मेडिकल की शिक्षा में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। पिछले चार वर्षों के भीतर एमबीबीएस, स्नातकोत्तर और नर्सिंग शिक्षा में लगभग 6,114 सीटों की वृद्धि हुई है। सात नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं और वे कार्य कर रहे हैं। 39 बीएससी नर्सिंग कॉलेज (निजी कॉलेजों सहित) और 19 बीएससी पैरा–मेडिकल कॉलेज (निजी कॉलेजों सहित) जोड़े गए हैं।

15.36 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जम्मू का शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया गया है, जबकि एम्स, कश्मीर का निर्माण कार्य अत्यधिक तीव्र गति से किया जा रहा है। उच्चतर शिक्षा संबंधी अवसंरचना– भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), जम्मू/ भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), जम्मू संचालन कर रहे हैं। जम्मू देश का एकमात्र ऐसा शहर है, जहां आईआईटी, आईआईएम और एम्स हैं। 51 नए डिग्री कॉलेजों की भी स्थापना की जा चुकी है।

15.37 माननीय प्रधानमंत्री ने फरवरी और मार्च, 2024 में जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने दिनांक 20.02.2024 को कुल 32,247 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 220 परियोजनाओं का उद्घाटन किया/उनकी आधारशिला रखी। इसके अतिरिक्त कुल 21,201 करोड़ रुपये की लागत से एम्स, आईआईएम और आईआईटी जम्मू आदि जैसी 87 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है और 11,046

करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 133 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई।

15.38 माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 07.03.2024 को श्रीनगर के बक्शी स्टेडियम में "विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर" पहल संबंधी कार्यक्रम को संबोधित किया और कुल 6,400 करोड़ रुपये की लागत वाली 53 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया/उन्हें समर्पित किया, जिसमें "समग्र कृषि विकास कार्यक्रम" शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में "हजरतबल दरगाह के समेकित विकास" परियोजना सहित स्वदेश दर्शन और प्रशाद स्कीमों के अंतर्गत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। माननीय प्रधानमंत्री ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रवासियों को प्रेरित करने हेतु देश की अब तक की प्रथम पहल, "देखो अपना देश लोगों की पसंद 2024" का शुभारंभ किया और "चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान" को भी प्रारम्भ किया।

जल शक्ति

15.39 जल जीवन पेय जल मिशन के अंतर्गत, वर्तमान में कुल लगभग 13,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 3,269 जल आपूर्ति स्कीमों का निष्पादन किया जा रहा है, ताकि घरेलू परिसरों के भीतर कार्यशील घरेलू नल – कनेक्शन (एफएचटीसी) लगाकर सभी 18.70 लाख ग्रामीण घरों को कवर किया जा सके। 98% महत्वपूर्ण कार्यों का आवंटन किया जा चुका है।

शहरी विकास

15.40 ग्रीन अर्बन ट्रांसपोर्ट की ओर आगे बढ़ते हुए, सरकार परिचालन में दक्षता और मितव्ययता तथा साथ ही उपभोक्ता के बेहतर अनुभव के लक्ष्य से दो राजधानी शहरों में 200 इलेक्ट्रिक बसों (ई–बसों) का संचालन कर रही है। श्रीनगर शहर (श्रीनगर नगर निगम) ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण– 2023 (स्वच्छ वायु सर्वेक्षण) के तहत, पूरे देश में चौथा रैंक प्राप्त किया है। श्रीनगर ने, यह उपलब्धि 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में प्राप्त की है। स्मार्ट शहर मिशन के तहत, 262 परियोजनाओं में से कुल 4,596 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 223 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, 2,620 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत वाली 47 परियोजनाओं का कार्य चल रहा है।

15.41 अमृत–1.0 के तहत, वर्ष 2023–24 के दौरान 4 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ ही, शुरूआत से लेकर अब तक कुल 82 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, अमृत–2.0 के अंतर्गत, चालू वित्त वर्ष के दौरान जलाशयों के जीर्णोद्धार की 7 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान पीएमएवाई (शहरी) के अंतर्गत 2,519 आवास इकाइयों का निर्माण किया गया है और इसके साथ ही, शुरूआत से लेकर अब तक कुल 19,577 आवास इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

15.42 पीएमएसवीए निधि के तहत, 23,100 स्ट्रीट वेंडरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। एसबीएम (यू) के अंतर्गत, 46 स्थानों पर ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन केंद्रों (डब्ल्यूएमसी)/मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई है। जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में 23 (वर्ष 2023–24 के दौरान जम्मू संभाग में 14 और वर्ष 2022–23 के दौरान कश्मीर संभाग में 9) अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन केंद्र पहले से ही कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त, 23 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है।

पर्यटन

15.43 जी20 के तीसरे पर्यटन कार्यसमूह की बैठक 22 मई से 24 मई, 2023 तक श्रीनगर में आयोजित हुई। इस कार्यक्रम ने जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर स्थान प्रदान किया और यह जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पर्यटन की प्रगति और विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। पर्यटकों की संख्या में हो रही वृद्धि को समायोजित करने के लिए होम स्टे निर्धारित किए गए हैं और उनका पंजीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विभाग ने होम स्टे संबंधी दिशानिर्देश

जारी किए हैं। अब तक कुल 13,766 बिस्तरों की क्षमता वाले 1,886 होम स्टे का पंजीकरण किया गया है। हाल ही में, जम्मू एवं कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है और वर्ष 2022 में इसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, क्योंकि जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में, 1.88 करोड़ से अधिक पर्यटक यात्रा हुई हैं। यह सकारात्मक प्रवृत्ति चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान भी जारी रही है, क्योंकि दिसंबर, 23 तक 2.11 करोड़ पर्यटक यात्रा हो चुकी हैं। वर्ष 2023 में इस संघ राज्य क्षेत्र में लगभग 121 फिल्मों/वेब सीरिज की शूटिंग की गई है।

जनजातीय विकास

15.44 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार का फोकस जनजातीय आबादी के समावेशी विकास पर है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वनवासी अधिनियम के तहत, 2,306 वन अधिकार प्रमाण–पत्र जारी किए गए हैं।

15.45 जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य हेतु टीआरआईएफईडी के सहयोग से प्रधानमंत्री वन धन योजना, जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति, ट्रांसह्यूमन्स आदिवासी आबादी के लिए ट्रांजिट आवास की स्थापना, मिनी भेड़ फार्म का प्रावधान, डेयरी इकाइयां, स्वास्थ्य देखभाल और पशु चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच, स्मार्ट स्कूल, विद्यार्थी छात्रावास, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) आदि कार्यान्वयन के अधीन हैं।

15.46 जनजातीय कार्य विभाग ने जनजातियों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कला एवं संस्कृति, लाइफस्टाइल, साहित्य, अवसंरचना विकास, आजीविका आदि शामिल है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 8 नए छात्रावास भवन, 285 स्मार्ट स्कूल, कोचिंग की सुविधाएं, 6 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, 2,000 जनजातियों का कौशल विकास और 46,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां आदि का प्रावधान किया गया है।

उद्योग

15.47 औद्योगिक निवेश– भारत सरकार ने दिनांक 19.02.2021 को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक नई केंद्रीय क्षेत्र स्कीम अधिसूचित की है, ताकि औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इस संघ राज्य क्षेत्र को निवेशक के अनुकूल एक उपयोगी स्थान बनाने के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर औद्योगिक नीति 2021–30, जम्मू एवं कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021–30, जम्मू एवं कश्मीर निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति 2021–30, जम्मू एवं कश्मीर ऊन प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और हथकरघा नीति– 2020 आदि को अधिसूचित कर विभिन्न नीतिगत पहल की गई हैं।

15.48 वर्ष 2022–23 के दौरान, औद्योगिक क्षेत्र में 2,153.45 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त किया गया है, जो पिछले दशक में सर्वाधिक है। वर्ष 2023–24 में 3,389.37 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है। हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात वर्ष 2021–22 में 563 करोड़ रुपये से दोगुना बढ़कर वर्ष 2023–24 में 1,162. 29 करोड़ रुपये हो गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत, मार्च, 2024 के अंत तक 3,63,817 लाभार्थियों को 8,063.19 करोड़ रुपये के ऋण का संवितरण किया गया है।

15.49 यूनेस्को द्वारा श्रीनगर को 'शिल्प और लोक कला श्रेणी' के अंतर्गत सृजनात्मक शहरी नेटवर्क के एक भाग के रूप में 49 शहरों में चुना गया है। कश्मीरी कालीन के जीआई प्रमाणन के लिए दुनिया का पहला क्यूआर कोड आधारित तंत्र शुरू किया गया है। अब तक, कुल 20,126 पश्मीना शॉलों और 9,700 कालीनों के लिए जीआई लेबल जारी किए गए हैं। वर्ष 2023 में बसोहली चित्रकारी, बसोहली पश्मीना, राजौरी चिकनी लकड़ी और सुलाई शहद की जीआई टैगिंग की गई है।

15.50 एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) और जिला उधमशीलता हब (डीईएच) पहलों के अंतर्गत, 21

ओडीओपी उत्पादों और 50 से अधिक स्थापित डीईएच के साथ क्षेत्र के सभी 20 जिलों को कवर किया गया है। सरकार ने जिला निर्यात कार्ययोजनाएं भी शुरू की हैं। जेम (जीईएम) प्लेटफार्म पर 200 से अधिक वैंडरों को जोड़ा गया है।

महिला सशक्तिकरण

15.51 जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (मुम्बई) के सहयोग से "हिंसा मुक्त घर– एक महिला का अधिकार" परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया है, जिसका लक्ष्य पूर्णकालिक पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से पीड़ित महिलाओं के लिए पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत उनकी सहायता करना है।

जम्मू एवं कश्मीर के लिए 02 विशेष महिला बटालियनें गठित की गई हैं, जिनके लिए विभिन्न रैंकों में कुल 2014 नए पद सृजित किए गए हैं।

रोजगार के अवसर

15.52 जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न विभागों में उपलब्ध सभी रिक्तियों को भरने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। वर्ष 2019 के बाद से अब तक, भर्ती एजेंसियों द्वारा 38,384 चयनों (राजपत्रित और अराजपत्रित) को अंतिम रूप दिया गया है। एसआरओ–43 के तहत, अनुकम्पा नियुक्ति के 1,181 मामलों को मंजूरी दी गई। वर्ष 2021–22 से अब तक, कुल मिलाकर 7.66 लाख स्वरोजगार/आजीविका के अवसर पैदा किये गये/सुनिश्चित किए गये।

भारत दर्शन यात्रा/वतन–को–जानो कार्यक्रम

15.53 युवाओं को भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जानकारी देने और उन्हें देश के अन्य हिस्सों में हो रहे सांस्कृतिक तथा सामाजिक–आर्थिक विकास के बारे में अवगत कराने के लिए, सभी सीएपीएफ, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस तथा समाज कल्याण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार और नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) की मदद से "भारत दर्शन यात्रा/वतन को जानो यात्रा और कश्मीरी युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम" आयोजित किए जाते हैं। अब तक, इस परियोजना के तहत 20,000 से अधिक व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया गया हैं। वर्ष 2023–24 में, 5,168 बच्चों/युवाओं के लिए भारत दर्शन/वतन को जानो यात्रा को अनुमोदन प्रदान किया गया था, जिसके लिए 13.28 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

सिविक एक्शन प्रोग्राम (सीएपी) से संबंधित गतिविधियाँ

15.54 सीएपीएफ द्वारा स्थानीय लोगों के दिल और दिमाग को जीतने के उद्देश्य से, सिविक एक्शन प्रोग्राम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में चिकित्सा शिविरों, पशु चिकित्सा शिविरों, युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों, खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन आदि सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2023–24 में, इन गतिविधियों के संचालन के लिए 06.71 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

स्व–नियोजित महिला संघ (एसईडब्ल्यूए) के माध्यम से महिला सशक्तिकरण

15.55 भारत सरकार ने गांदरबल में 1.11 करोड़ रुपये की लागत से 2,500 महिलाओं (500 मास्टर प्रशिक्षकों सहित) के प्रशिक्षण के लिए और कारगिल में उप केंद्र के साथ लेह में 1.94 करोड़ रुपये की लागत से 90 मास्टर प्रशिक्षकों सहित 2,000 महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए स्वनियोजित महिला संघ (एसईडब्ल्यूए) के दो केंद्रों को मंजूरी प्रदान की है। अब तक, इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 4,473 प्रशिक्षुओं और 638 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वर्ष 2023–24 में, जम्मू एवं कश्मीर के बडगाम, बारामूला और बांदीपोरा जिलों तथा लद्दाख के 40 गांवों में बुनाई, वस्त्र निर्माण हस्तशिल्प, पश्मीना संबंधी कार्यों, विकर संबंधी कार्यों, कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि,

नवीकरणीय ऊर्जा आदि जैसी गतिविधियों के विस्तार हेतु 6.65 करोड़ रुपये की राशि के नए एसईडब्ल्यूए प्रस्ताव को तीन वर्ष के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है और पहली किस्त के रूप में 2.21 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं।

कश्मीर और लद्दाख में पर्यटन का विकास

15.56 वर्ष 2023 में, 16 ट्रैकिंग मार्गों को मंजूरी प्रदान की गई है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में हेन्ले गांव में विदेशी पर्यटकों को रात में ठहरने की अनुमति और 04 पर्यटक मार्गों की मंजूरी भी प्रदान की गई है।

लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र

15.57 लद्दाख दिनांक 31.10.2019 को एक संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल के बिना) बन गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र भारत के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित है और 2,300 से 5,000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित यह क्षेत्र देश का सबसे ठंडा, सबसे ऊंचा और विरल आबादी वाला क्षेत्र है। शीतकाल में यहां कड़ाके की ठंड होती है, जिसके कारण यह क्षेत्र दुर्गम हो जाता है, क्योंकि जोजिला और रोहतांग दर्रों के बंद होने के कारण श्रीनगर और हिमाचल प्रदेश से सड़क संपर्क टूट जाता है। द्रास टाउन विश्व का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है। वर्षा अत्यंत कम और नगण्य है, जो इस क्षेत्र को ठंडा रेगिस्तान बना देती है। इस क्षेत्र में 18,000 फीट से लेकर 26,000 फीट तक की ऊँची पर्वत चोटियां, काराकोरम और ज़ांस्कर पर्वतमाला के सामानांतर स्थित हैं। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में लेह और कारगिल नामक दो जिले शामिल हैं। लद्दाख 02 राजमार्गों लेह–मनाली राजमार्ग (एनएच 03) और लेह–श्रीनगर राजमार्ग (एनएच 1डी) के माध्यम से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, लद्दाख की कुल जनसंख्या 2,74,289 है। लद्दाख के लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं लद्दाखी/भोटी, बलती, पुरगी और दरदी/शीना हैं। लद्दाख की अधिकांश आबादी अनुसूचित जनजाति अर्थात बलती, बेडा, बॉट, ब्रोकपा, चांगपा, गर्रा, मोन और पुरीग्पा हैं।

बजट आवंटन

15.58 वर्ष 2020–21 से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को हर वर्ष 5,958.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि उसका समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।

प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी)

15.59 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में कुल 21,441 करोड़ रुपये की लागत से 9 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन 9 परियोजनाओं में से, 2 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, 1 परियोजना के बदले जाने की संभावना का पता लगाया जा रहा है और शेष 6 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एसआईडीसीओ)

15.60 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के अवसंरचनात्मक और औद्योगिक विकास के लिए, इस संघ राज्य क्षेत्र में 25 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी के साथ दिनांक 24.09.2021 को सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एसआईडीसीओ) की स्थापना की गई है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय

15.61 दिनांक 21.07.2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुपालन में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

15.62 कार्बन मुक्त पहल

क) स्थापित क्षमता को 177.50 किलोवाट पीक (केडब्यूजीपी) से 635 केडब्यूपी तक बढ़ाकर 06 मौजूदा सोलर फोटो वालटेक (एसपीवी) उर्जा संयंजों की क्षमता को अपग्रेड किया गया है।

ख) 5 केडब्ल्यूपी से 100 केडब्ल्यूपी की क्षमता वाले 11 नए सोलर फोटोवोलटेक (एसपीवी) ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है।

ग) ऑफ–ग्रिड ग्रामीण अवसंरचनाओं में मौजूदा

सोलर फोटोवोलटेक (एसपीवी) ऊर्जा संयंत्रों के (5 केडब्ल्यूपी से 115 केडब्ल्यूपी की क्षमता वाले) 88 स्थानों पर बैटरी बदलने का कार्य पूरा हो गया।

घ) भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई) द्वारा फ्यांग, लेह में 50 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का कार्य शुरू कर दिया गया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने पुगा, चांगथांग में जीओ थर्मल एनर्जी के उत्पादन के लिए एक पायलट परियोजना (1–मेगावाट) शुरू की है।

ङ) 220 केवी फ्यांग–नुब्रा और द्रास–जांस्कर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है और ट्रांसमिशन लाइन का कार्य पूरा होने के बाद नुब्रा और जांस्कर में सभी डीजल जेनेरेटर (डीजी) सेटों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा तथा इससे सभी सिविल और रक्षा प्रतिष्ठानों को लाभ होगा।

च) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) लद्दाख में 80 किलोग्राम/प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता के साथ ग्रीन हाइड्रोजन का एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है और 05 बसों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन शुरू किया जाएगा।

छ) पिछले 2 वर्षों में 14,945 सोलर वाटर हीटर वितरित किए गए हैं, जिनसे प्रतिवर्ष 18 किलो टन कार्बन को कम करने में मदद मिलेगी।

ज) सोलर लिफ्ट सिंचाई सुविधा पर मुख्य फोकस रखा गया है और अब तक 72 सोलर लिफ्ट सिंचाई सुविधा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है।

झ) 19 ई–बसों का परिचालन शुरू किया गया और सरकारी कार्यालयों में ई–कारें शुरू की गईं।

ञ) कुल 1.16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्विस प्रौद्योगिकी के साथ ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के माध्यम से पीएचसी थिकसे में जीओ थर्मल आधारित सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की स्थापना की एक प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

ट) लद्दाख में 'लद्दाख ग्रीन हाउस' के रूप में विख्यात 3,044 पोलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस (आकारः 60x24 फुट=508 और 32x18 फुट=2,536) की स्थापना की गई है और पोलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस शुरू होने से सर्दियों के दौरान सब्जियों के उत्पादन में मदद मिली है।

ठ) जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3,204 वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित की गई हैं।

जल जीवन मिशन (जेजेएम)

15.63 जेजेएम के तहत, 40,808 घरों के लक्ष्य की तुलना में, 37,700 (92.38%) घरों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए गए हैं और 149 गांवों को 100% कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन से कवर किया गया है तथा 28 गांवों को "हर घर जल विलेज" के रूप में प्रमाणित किया गया है।

इसके अलावा, इस स्कीम के अंतर्गत 891 स्कूलों में से, 876 (98.32%) स्कूलों में पेयजल की सुविधा प्रदान की जा चुकी है तथा 964 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से, 941 (97.61%) आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

पर्यटन

15.64 होम स्टे मदों हेतु 1.25 लाख रुपये, सर्दी में भी अनुकूल शौचालयों के निर्माण हेतु 1.25 लाख रुपये और मोबिलाइजेशन एवं कौशल विकास के लिए 0.50 लाख रुपये के प्रोत्साहन के साथ 'न्यू लद्दाख होम स्टे नीति 2023' अधिसूचित की गई है। पर्यटन विभाग होम स्टे इकाइयों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने और पर्यटकों के होम स्टे संबंधी अनुभव को बढ़ाने के लिए होम स्टे से संबंधित कौशल विकास, क्षमता निर्माण,

उत्पाद विकास और मार्केटिंग पर बल देता है।

15.65 एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 स्थानों (लेह, खालत्से, हेन्ले, दिस्कित, कारगिल, योकामा–खर्बू, द्रास और पदम) पर 8 दूरबीनें स्थापित की गई हैं। देश का अब तक का पहला डार्क स्काई रिजर्व जून, 2022 में हेन्ले में स्थापित किया गया है और 35 स्थानीय युवाओं को एस्ट्रो एम्बेसडर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, जिन्हें दूरबीन प्रदान किए गई हैं। कुल 13.40 करोड़ रुपये की लागत से 01 मिनी–प्लेनेटेरियम, 06 एस्ट्रो ग्लोब और 01 प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य चल रहा है।

15.66 लद्दाख के पर्यटन, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा लेह, कारगिल, द्रास और चिक्तान में 'नोमेडिक उत्सव', 'जांस्कर उत्सव', 'लद्दाख उत्सव', 'एप्रिकोट ब्लोसम उत्सव' आदि मनाए गए। इसके अतिरिक्त, सर्दियों के मौसम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'स्किइंग', 'आईस क्लाइंबिंग', 'चादार ट्रैक' जैसी गतिविधियां तथा जांस्कर स्पोर्ट्स उत्सव और लोसार उत्सव आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2023–24 के दौरान, 5,34,775 पर्यटकों में लद्दाख का भ्रमण किया, जिसमें 37,557 विदेशी पर्यटक और 4,97,218 घरेलू पर्यटक शामिल थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई–यू)

15.67 पीएमएवाई–यू के तहत, 884 घरों के स्वीकृत लक्ष्य की तुलना में, 654 (74%) घरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष घरों से संबंधित कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

15.68 ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के आजीविका आधार को बढ़ाने और उसका विस्तार करने के अलावा, मजदूरी पर रोजगार प्रदान करने, सतत विकास करने और टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण के उद्देश्य से मनरेगा, पीएमएवाई–जी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम), विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) और राज्य क्षेत्र (कैपेक्स बजट) जैसी कई केंद्र प्रायोजित और राज्य क्षेत्र की योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। एसडीपी, राज्य योजना और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विविध विकासात्मक कार्य किये जा रहे हैं।

15.69 ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे किये गए प्रमुख बुनियादी विकासात्मक कार्य निम्नानुसार हैं

(i) वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 16 सार्वजनिक पुस्तकालयों और 19 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य भौतिक रूप से पूरा कर लिया गया है।

(ii) चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, एसडीपी के अंतर्गत 32 जन सुविधा केंद्रों (सीएफसी), 9 ब्लॉक विकास परिषद/ब्लॉक विकास अधिकारी के कार्यालयों, 04 पंचायत घरों, 05 ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन इकाइयों और 02 पैदल पुलों का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न ग्रामीण सड़कों, सामुदायिक हालों, सीएफसी और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित कार्य भी पूरा होने के चरण में है।

(iii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा): 7,075.33 लाख रुपये का व्यय करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के तहत, 20.25 लाख श्रम दिवस सृजित किये गए हैं, जिसमें से 12.88 लाख श्रम दिवस महिला श्रम बल से हैं।

(iv) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) स्कीम के तहत, आवास प्लस के अन्तर्गत 3,041 घरों के आवंटित लक्ष्य की तुलना में, 3,041 (100%) घरों का कार्य पूरा कर लिया गया है।

स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं

15.70 सोनम नुर्बू मेमोरियल अस्पताल– लेह में दुर्घटना एवं आपातकालीन यूनिट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और इसे कार्यशील बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्रों में 1.68 करोड़ रुपये प्रति यूनिट की दर से 04 सेट के 87 स्टॉफ क्वार्टरों का कार्य और 32 स्वास्थ्य संस्थानों एवं आवासीय क्वार्टरों में सेन्ट्रल हीटिंग सिस्टम का कार्य प्रगति पर है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में दिनांक 01.01.2023 से 108 राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया गया है, जिसमें 22 एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस और 5 पेशंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल (पीटीवी) को भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, दूरस्थ/सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को डोर स्टेप स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) खरीदी गईं।

15.71 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत, दिनांक 01.04.2023 से 50,942 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (आभा) (यूनीक हेल्थ आईडी) बनाए गए हैं। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में 2.95 लाख आबादी के लक्ष्य की तुलना में 3.76 लाख आभा सृजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 2,22,119 स्वास्थ्य रिकॉर्ड को रोगियों के आभा से जोड़ा जा चुका हैं।

15.72 कुल 321 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एच एंड डब्ल्यूसी) के लक्ष्य की तुलना में सभी एच एंड डब्ल्यूसी कार्य कर रहे हैं। दिनांक 01.04.2023 से स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में 86,806 टेली – कंसल्टेशन किए गए हैं।

15.73 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)/सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के तहत, अप्रैल, 2023 से 5,201 लाभार्थियों ने लाभ प्राप्त किया है। पीएमजेएवाई के पैनल में पूरे भारत में शामिल अस्पतालों में कैशलैस चिकित्सा सुविधा प्रदान करके इस स्कीम के तहत 6.23 करोड़ रुपये का बीमा कवर प्रदान किया गया है।

शिक्षा

15.74 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए ऑनलाइन सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्कूल–इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ्टवेयर के प्रवेश/परीक्षा/एचआर मॉड्यूल सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए हैं, जिन्हें विद्या समीक्षा केंद्र (कमान सेंटर) के साथ एकीकृत किया जाएगा। न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 2023–24 के दौरान 98% प्रौढ़ साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

15.75 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के 49 विद्यार्थियों ने भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान उत्सव में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के नवाचार परियोजना से जुड़े पांच विद्यार्थियों ने इंस्पायर मानक अवार्ड के अंतर्गत 10वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता में भाग लिया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए 2 बसें खरीदी गई हैं और सीडब्ल्यूएसएन विद्यार्थियों हेतु खेलकूद प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई है।

15.76 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त एनसीईआरटी पाठ्य–पुस्तकें प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सर्दियों की स्कूल यूनिफार्म भी प्रदान की गई है।

उच्चतर शिक्षा

15.77 उच्चतर शिक्षा विभाग ने लद्दाख कौशल विकास मिशन, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के उच्चतर शिक्षा विभाग और लद्दाख विश्वविद्यालय के सहयोग से 24 से 26 अगस्त, 2023 तक लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के सभी कॉलेजों में द्वितीय लद्दाख शिक्षा मेले का आयोजन किया है, जिसमें लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा भी सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2023 के विषय का शीर्षक "शिक्षा और रोजगारः चुनौतियों को अवसरों मे बदलना"था और यह मेला

लद्दाख में रोजगार के अवसरों को दर्शाने वाला उच्चतर शिक्षा का एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है। प्रत्येक कॉलेज ने अपने परिसर में एक दो–दिवसीय शिक्षा मेला आयोजित किया। यह संगीत, भोजन, नृत्य आदि के साथ एक भव्य समारोह था, जिसने कॉलेज को दो दिन के लिए एक आकर्षक स्थान बना दिया था। इस समारोह में विद्वानों, उद्योग विशेषज्ञों द्वारा अनेक सत्र और चर्चाएं भी की गईं तथा कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों आदि का आयोजन किया गया। यह मेला न केवल कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए, अपितु शहर/नगर के विभिन्न स्कूलों और युवाओं के लिए भी खुला था।

कृषि

15.78 लद्दाख में जैविक खेती को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र को 2025 तक जैविक बनाने के लिए, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का कृषि विभाग "मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव (एमओडीआई)" को कार्यान्वित कर रहा है।

15.79 जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, 1,006 वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित की गई हैं। कृषि विभाग ने सर्दियों के दौरान बेमौसमी सब्जियों की खेती के लिए कृषक समुदाय के बीच लद्दाख ग्रीन हाउस के रूप में ज्ञात 1,485 पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस (आकारः 4.40 लाख रुपये/इकाई की दर से 60x24 फुट और 2.10 लाख/इकाई की दर से 32x18 फुट) वितरित किए हैं। वर्ष 2023–24 में क्षेत्र विस्तार के तहत, इस विभाग द्वारा 171 कनाल भूमि को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप/स्प्रिंकलर) के तहत लाया गया है।

बागवानी

15.80 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में बागवानी क्षेत्र किसानों की आय को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है, क्योंकि लद्दाख में खुबानी, सेब, अंगूर, अखरोट, बादाम आदि जैसे फल जाने के कारण बागवानी, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के किसानों की आय को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। विभाग द्वारा 402 कनाल भूमि फलदार पौधे उगाने हेतु बागवानी क्षेत्र विस्तार के तहत जोड़ी गई है। । इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान 52.05 मीट्रिक टन (एमटी) ताजा खुबानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात की गई/भेजी गई है। बागवानी क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, 226 वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित की गई हैं।

15.81 संरक्षित खेती के तहत, वर्ष 2023–24 में बेमौसमी फसलों/सब्जियों की खेती के लिए 50% सब्सिडी पर 331 ग्रीन हाउस स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, वर्ष 2023–24 के दौरान कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के लिए "एकीकृत पोस्ट–हार्वेस्ट प्रबंधन" के तहत 352 पैक हाउस और 179 संरक्षण इकाइयां प्रदान की गई हैं।

वन्य जीवन

15.82 विभाग द्वारा लद्दाख के राज्य पशु, राज्य पक्षी और राज्य वृक्ष के रूप में क्रमशः "स्नो लेपर्ड", "ब्लैक–नेक्ड क्रेन" और "जुनिपरस सेमीग्लोबोसा" (पेंसिल जुनिपरस) को नामित किया गया है।

काराकोरम और चांगथांग के वन्य जीव अभ्यारणों की सीमाओं के पुनर्गठन का कार्य भारतीय वन्यजीव संस्थान को सौंपा गया है।

पशु और भेड़ पालन

15.83 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, 3,060 मीट्रिक टन दूध, 241 टन ऊन, 47.56 टन पश्मीना और 20.21 लाख अंडों का उत्पादन हुआ है।

15.84 कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, कारगिल जिले में तरल नाइट्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है। स्थानीय लोगों एवं सेना की मांग को पूरा करने तथा साथ ही किसानों के लिए आय सृजित करने एवं आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए अगलिंग, लेह में 'ओमा' नामक मिल्क ब्रांड के अंतर्गत 4.62 करोड़ रुपये की लागत से 2,000 लीटर/घंटा की क्षमता वाला मिल्क पाश्चराइजेशन प्लांट शुरू किया गया है।

15.85 85 राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) (चरण–।।।) के तहत, 74,496 मवेशियों और याकों को खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी) से बचाव के लिए टीका लगाया गया और एनएडीसीपी के चरण–।। के तहत, 4–8 महीने की उम्र की 6,668 मादा बछड़ों को ब्रुसेलोसिस रोग से बचाने के लिए टीका लगाया गया।

विद्युत विकास

15.86 लद्दाख विद्युत विकास विभाग ने नुब्रा, चांगथांग और जांस्कर के ऑफ–ग्रिड क्षेत्रों को छोड़कर सभी डीजल जेनरेटर (डीजी) सेटों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया है।

15.87 बिजली के लिए डीजी सेट चला रहे ज़ांस्कर और नुब्रा को ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, फ्यांग से डिस्किट, नुब्रा तक और द्रास से पदम ज़ांस्कर तक एक 220 केवी क्षमता वाली ट्रांसमिशन लाइन को अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा आरईसी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। दो ट्रांसमिशन लाइनों का कार्य शुरू कर दिया गया है। फ्यांग–डिस्किट, नुब्रा लाइन में कुल 256 टावर में से 104 टावर की फाउंडेशन का कार्य पूरा हो गया है और 44 टावर खड़े किए जा चुके हैं तथा द्रास–पदम जांस्कर लाइन में 680 टावर में से 362 टावर की फाउंडेशन का कार्य पूरा हो गया है और 110 टावर खड़े किए जा चुके हैं। विभाग संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट लगा रहा है और वर्ष 2023–24 के दौरान 25,951 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

नागरिक विमानन

15.88 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के दूर–दराज के क्षेत्रों में हवाई संपर्क की सुविधाएं प्रदान करने के लिए, लेह और कारगिल दोनों जिलों में 40 हेलीपैड के निर्माण/उन्नयन तथा लेह और कारगिल में हेलीकॉप्टर खड़ा करने के लिए एक–एक हैंगर के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। 21 हेलीपैड और 01 हैंगर के निर्माण/उन्नयन का कार्य पूरा हो चुका है।

शहरी विकास

15.89 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के शहरी विकास विभाग ने प्रत्येक वार्ड में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत "रिड्यूस, रिसाइकल और रियूज (3 आर) तंत्र" स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, सफाई और स्वच्छता मानदंड के विस्तृत मूल्यांकन के लिए लेह और कारगिल जिले में स्वच्छ सर्वेक्षण हेतु क्षेत्रीय आकलन पूरा कर लिया गया है।

15.90 "पीएम–स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम–स्वनिधि) स्कीम" के तहत प्रथम चरण में 465 स्ट्रीट वेंडर्स, द्वितीय चरण में 242 स्ट्रीट वेंडर्स तथा तृतीय चरण में 96 स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण आवेदन स्वीकृत किये गये हैं।

आईटी विभाग

15.91 माननीय उप–राज्यपाल द्वारा दिनांक 21.09.2023 को लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित 'लद्दाख प्रतिनियुक्ति अनुरोध पोर्टल' शुरू किया गया, ताकि लद्दाख हेतु प्रतिनियुक्ति का विकल्प चुनने वाले जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया को सुचारू किया जा सके। यह पोर्टल जम्मू एवं कश्मीर सरकार को उन आत्म–प्रेरित और आत्म–प्रोत्साहित अधिकारियों का पता लगाने में मदद करेगा, जिन्होंने आवेदन करने के बाद लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति पर आने और कार्य करने के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त की है।

15.92 इसके अतिरिक्त, संगठनों की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, संचालन, अनुरक्षण, नवीनीकरण और निपटान संबंधी योजना बनाने और उनके नियंत्रण के लिए आईटी विभाग द्वारा "ई–सैम (परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली)/ई–इंवेंटरी" विकसित की गई है, इससे लद्दाख के विभिन्न विभागों में ऑनलाइन मोड में खरीदी गई सभी सामग्रियों और उनके वितरण, गारंटी/वारंटी और वार्षिक रख रखाव संबंधी अनुबंधों आदि के ब्यौरे रखने में सुविधा होगी।

15.93 आरटीआई आवेदनों के ऑनलाइन प्रबंधन को

सुविधाजनक बनाने और सूचना/अपील आदि के लिए "एकीकृत शिकायत निराकरण प्रबंधन प्रणाली (आईजीआरएमएस)"– लद्दाख का शिकायत पोर्टल शुरू किया गया है। एक केंद्रीयकृत पोर्टल नामतः "grievance.ladakh.gov.in" पोर्टल के माध्यम से शिकायतों का निराकरण और मॉनिटरिंग करने के लिए एक एकीकृत शिकायत निवारण एवं मॉनिटरिंग प्रणाली भी शुरू की गई है।

15.94 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में 4जी नेटवर्क प्रदान करने के लिए 4जी सेचुरेशन परियोजना के तहत 379 गांवों/बस्तियों को अनुमोदन प्रदान किया गया है और इन गांवों/बस्तियों को कवर करने के लिए 270 बेस ट्रांससीवर स्टेशन (बीटीएस) स्थापित किए जाएंगे। इन सभी स्थानों के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की गई है और 10 स्थानों पर टावर लगाने (सिविल कार्य) का काम पूरा कर लिया गया है। सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने, यात्रा के समय और लागत को कम करने तथा शासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विभिन्न पोर्टलों पर 106 प्रकार की सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है और 162 सेवाओं को जोड़ने का काम चल रहा है।

युवा सेवाएं और खेल–कूद

15.95 लद्दाख फुटबाल एसोसिएशन के सहयोग से ओपन स्टेडियम स्पाईतुक, लेह में "क्लाइमेट फुटबाल कप 2023" के बैनर के तले 'क्लाइमेट कप' फुटबाल प्रतियोगिता आयोजित की गई है। 'क्लाइमेट कप 2023' फुटबाल प्रतियोगिता भारत की पहली पॉलीथीन मुक्त, न्यूनतम अपशिष्ट पदार्थ उपयोग वाला आयोजन है, जिसमें लद्दाख के साथ–साथ अन्य राष्ट्रीय क्लबों की टीमों ने भाग लिया।

इसके अतिरिक्त, विभाग ने लेह और कारगिल में रीमो (RIMO) एक्सपीडिशंस के सहयोग से द्रास में दूसरा एलजी हॉर्स पोलो कप, 10वां लद्दाख मैराथन 2023 और लद्दाख फुटबाल एसोसिएशन के सहयोग से प्रथम एलजी कप फुटबाल लीग जैसे विभिन्न खेलकूद कार्यक्रम आयोजित किए।

खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले

15.96 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में विभाग द्वारा गेहूं की सफाई के लिए 3 मैक्रो–डोजर मशीनें खरीदी गई हैं और इन्हें तीन आटा मिलों में स्थापित किया गया है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग (एफसीएसएंडसीए) ने अगस्त, 2020 में "वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी)" को सफलतापूर्वक लागू किया है। एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रबंधन प्रणाली (आईएमपीडीएस) के तहत, अंतर–राज्य पोर्टेबिलिटी के मुद्दे के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए, एक राष्ट्रीय स्तर का टोल फ्री नंबर 14445 चालू किया गया है। वर्ष 2023–24 में 249 प्रवासी मजदूरों ने "वन नेशन वन राशन कार्ड" के तहत लाभ प्राप्त किया है।

सहकारिता

15.97 सहकारिता विभाग ने रासायनिक खाद की खरीद में काफी कमी की है और आगामी फसल मौसम के दौरान आपूर्ति के लिए 80% सब्सिडी पर 24,500 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट की खरीद की है। आवश्यक वस्तुओं की खरीद और भंडारण का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा आवश्यक वस्तुओं को बर्फीले क्षेत्रों में भंडारण के लिए ब्लॉक स्तरीय उपभोक्ता भंडारों में भेज दिया गया है।

डिस्किट नुब्रा में 1.10 करोड़ रुपये की लागत से सहकारी सुपर बाजार का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसके अतिरिक्त, 10 प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों का कम्प्यूटरीकरण संबंधी कार्य पूरा हो गया है।

उद्योग और वाणिज्य

15.98 उद्योग और वाणिज्य विभाग ने "लद्दाख सतत् औद्योगिक नीति 2022–27" अधिसूचित की है और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में 05 औद्योगिक सम्पदाएं विकसित की गई हैं। लद्दाखी पश्मीना और लकड़ी पर नक्काशी संबंधी कार्य के लिए जिओग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग प्राप्त हुआ है।

राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह 07 से 14 अगस्त, 2023 तक लेह में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 48 शिल्पकारों, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और उद्यमियों ने अपने हथकरघा, हस्तशिल्प और एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) संबंधी उत्पादों का प्रदर्शन करने और उनकी बिक्री करने के लिए भाग लिया।

15.99 विभाग ने 09 से 10 सितम्बर, 2023 तक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी–सह–सम्मेलन केंद्र (आईईसीसी), प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित 'जी20 लीडर्स समिट के साथ–साथ आयोजित भारतीय हस्तशिल्प बाजार' में भाग लिया है। इस प्रदर्शनी में जी20 समिट में भाग लेने वालों को 02 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शित की जा रही हस्तशिल्प सामग्री खरीदने की अनुमति थी। इस बाजार का फोकस सरकार की "एक जिला, एक उत्पाद स्कीम (ओडीओपी)" के अंतर्गत निर्धारित उत्पादों पर था, जिसका लक्ष्य प्रत्येक जिले की विशिष्ट सामग्रियों और जीआई टैग वाली वस्तुओं को प्रोत्साहन देना था।

ब्रिगेडियर (डॉ.) बी.डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त), उप–राज्यपाल, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दिनांक 16.10.2023 को कनॉट प्लेस के बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली में "ब्रांड लद्दाख एम्पोरियम" का उद्‌घाटन किया गया। इस शोरूम को लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के हथकरघा, हस्तशिल्प और संसाधित खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित करने और बिक्री के लिए कार्यात्मक बनाया गया है। यह मंच वैश्विक उपभोक्ताओं हेतु लद्दाख के विशिष्ट उत्पादों के विपणन और प्रचार–प्रसार करने में सहायता करेगा।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

15.100 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)" नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम शुरू की है और इस स्कीम के तहत सेवा उद्यमों की स्थापना करने के लिए 20.00 लाख रुपये तक का ऋण और विनिर्माण उद्यमों की स्थापना करने के लिए 50.00 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इस स्कीम के तहत, वर्ष 2023–24 के दौरान 280 मामलों के लक्ष्य की तुलना में, 113 मामले स्वीकृत किये गये हैं।

बुनकर मुद्रा स्कीम

15.101 बुनकर मुद्रा स्कीम के तहत, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंकों को भेजे गए 140 मामलों में से 30 मामलों को मंजूरी प्रदान की गई है।

पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम

15.102 इस स्कीम के तहत, लद्दाख को 63 मामलों का लक्ष्य मिला था, जिनमें से 26 मामलों को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा, छोटे उपकरणों और मशीनरी की खरीद के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के 273 सदस्यों को 82,35,000 रुपये की दर से बीज पूंजी (सीड कैपिटल) मंजूर की गई है। इस स्कीम के तहत, 46 उद्यमियों/एफपीओ/एसएचजी को "राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम)", सोनीपत तथा "हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएचबीटी)", पालमपुर के परिसरों में खाद्य प्रसंस्करण की नई और उन्नत प्रौद्योगिकी के बारे में प्रशिक्षित किया गया है।

समाज कल्याण

5.103 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के सामाजिक और जनजातीय कल्याण विभाग ने 22 सितम्बर को 'सुपोषित भारत सशक्त भारत' विषय पर राज्य स्तरीय पोषण मेला आयोजित किया। यह कार्यक्रम एक माह तक चलने वाले राष्ट्रीय पोषण माह 2023 के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था, ताकि मानव जीवन के महत्वपूर्ण स्तरों यथा गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था पर विस्तृत जागरूकता फैलाई जा सके।

15.104 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के यूटी कॉर्डिनेटर ने 07 से 14 सितम्बर, 2023 तक क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए "पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन" पर साप्ताहिक कार्यशाला का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, यूटी हब ने महिलाओं के

सशक्तिकरण के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), लेह और डीसी कार्यालय लेह के कर्मचारियों हेतु कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के संबंध में एक जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। इसी तर्ज पर, जेंडर एवं सेक्सुएलिटी विशेषज्ञ और प्रशिक्षक ने दिनांक 27.09.2023 को मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, मिशन पोषण के कर्मचारियों को "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" पर एक वर्चुअल प्रशिक्षण प्रदान किया, ताकि प्रतिभागियों को महिलाओं हेतु सुरक्षित और अधिक समावेशी वातावरण तैयार करने के लिए जानकारी और उपकरणों से सुसज्जित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, सामाजिक एवं जनजातीय कल्याण विभाग के सहयोग से एनआईपीसीआईडी (राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान), मोहाली द्वारा लेह और कारगिल जिलों के बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ), पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी वर्करों और मिशन वात्सल्य के कर्मचारियों के लिए एक तीन– दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें "किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015" और बाल संरक्षण स्कीमों तथा "सक्षम आंगनवाड़ी– पोषण भी पढ़ाई भी" संबंधी संशोधनों पर विशेष बल दिया गया। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से सामाजिक एवं जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा नशामुक्त भारत के अंतर्गत दो दिवसीय प्रधान स्वयंसेवक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

15.105 लद्दाख कौशल विकास निगम के सहयोग से सामाजिक एवं जनजातीय कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रायोगिक परियोजना "ऊषा सिलाई कार्यक्रम" के अंतर्गत लेह और कारगिल जिलों के आंगनबाड़ी वर्करों के लिए सिलाई, स्टीचिंग और सामान्य जीवन संबंधी कौशल में 9 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.10.2023 को "बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन हेतु नवाचार का शुभारंभ" के अवसर पर सुश्री स्टेनजीन चौसदन, आंगनबाड़ी वर्कर, जनकमान्य प्रथम को कुपोषण से निपटने में उनके असाधारण प्रयास के लिए सम्मानित किया गया।

कौशल विकास

15.106 विभिन्न सेक्टर कौशल परिसरों (एसएससी) और लद्दाख विश्वविद्यालय के सहयोग से लद्दाख कौशल विकास मिशन (एलएसडीएम) ने लद्दाख (जीडीसी कारगिल के कारगिल, लेह, जांस्कर, द्रास और संकू परिसर) के पांच सरकारी डिग्री कॉलेजों में कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इन कॉलेजों के कौशल केंद्रों की स्थापना तकनीकी भागीदारों के रूप में कार्य कर रहे एसएससी के साथ लद्दाख कौशल विकास मिशन द्वारा की गई है। शैक्षणिक वर्ष 2023–24 के दौरान, डिग्री कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल पाठ्यक्रमों को महत्व प्रदान करते हुए चार कॉलेजों में सोलह कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए गए। यह प्रयास वर्ष 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय कौशल मिशन में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के स्नातकों के कौशल संवर्धन के लिए, एलएसडीएम ने केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बुदनी (म.प्र.) की सहभागिता से लेह और कारगिल के 24 आईटीआई पास–आउट विद्यार्थियों को केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (सीएफएमटीएंडटीआई), बुदनी (म.प्र.) में "रिपेयर एंड मैंटेनेंस ऑफ ऑटो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड बैटरी रिकंडिशनिंग" तथा "रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग ऑफ स्टेशनरी इंजन्स एंड टैक्टर्स" पर प्रशिक्षण प्रदान किया।

15.107 एलएसडीएम ने सामाजिक एवं जनजातीय कल्याण (एसएंडटीडब्ल्यू) विभाग और ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड (यूआईएल) के सहयोग से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के 13 आंगनबाड़ी केंद्रों में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में "ऊषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम" शुरू किया। यह प्रायोगिक परियोजना लद्दाख की 13 एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस)

परियोजनाओं को जोड़ती है, इसमें सिलाई, स्टीचिंग और सामान्य जीवन संबंधी कौशल पर बल देते हुए 13 आंगनबाड़ी वर्करों के लिए एक नौ–दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल है। एलएसडीएम ने दिव्यांगजनों के लिए एक 10–दिवसीय "प्रोडक्ट डिजाइन" प्रशिक्षण का आयोजन किया, जिसमें 13 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह "प्रशिक्षण समावेशन और अधिकारों के लिए लोगों के कार्य समूह (पीएजीआईआर)" एक स्थानीय एनजीओ और एनआईजेआई डिजाइन स्टूडियो, चंडीगढ़ के सहयोग से आयोजित किया गया था, ताकि विशेष तौर पर बैग, डायरी कवर और लाइफ स्टाइल से जुड़ी अन्य वस्तुओं जैसे उत्पादों में गुणवत्ता सुधार करने के संबंध में उनके कौशल को बढ़ाया जा सके।

एलएसडीएम वाधवानी फाउंडेशन के सहयोग से सरकारी डिग्री कॉलेजों और पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों के लिए उद्यमशीलता सहित "21वीं सदी के प्रमुख रोजगार कौशल" पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है और वाधवानी फाउंडेशन द्वारा 15 अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें रोजगार हेतु आवश्यक सॉफ्ट स्किल को बढ़ाने पर बल दिया गया है।

15.108 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की 'स्किल एक्वीजीशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रोमोशन' (संकल्प) परियोजना के अंतर्गत, एलएसडीएम ने जुलाई, 2023 में "कौशल की कमी और आजीविका" पर एक विस्तृत अध्ययन शुरू किया। यह अध्ययन छह महीनों का है, जिसमें लद्दाख के दोनों जिलों के प्रत्येक ब्लॉक को कवर किया गया है। इस प्रयास का लक्ष्य आगामी पांच वर्षों के लिए युवाओं की अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने, उपलब्ध कौशलों का पता लगाने, उद्योग की मांगों को समझने और कौशल संबंधी आवश्यकताओं को प्रदर्शित करने में प्रशासन की सहायता करना है।

लोक निर्माण (आर एंड बी और मैकेनिकल)

15.109 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लोक निर्माण (आरएंडबी) विभाग ने वर्ष 2023–24 के दौरान एसडीपी, स्टेट कैपेक्स, केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) स्कीम के तहत 294.50 किमी. सड़कों का निर्माण किया है और 195.31 किमी. सड़कों को पक्का (ब्लैक टॉप) किया है। इसके अतिरिक्त, 08 मोटर योग्य पुलों और 92 भवनों का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है।

*****

अध्याय–16

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

16.1 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय (ओआरजी एण्ड सीसीआई) गृह मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। इसके क्षेत्रीय निदेशालय 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय का मुख्यालय 2ए, मान सिंह रोड, नई दिल्ली में जनगणना भवन नामक अपने नए कार्यालय भवन से कार्य कर रहा है, जिसका उद्घाटन दिनांक 22.05.2023 को माननीय गृह मंत्री द्वारा किया गया था।

16.2 **भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय मुख्यतः निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है:**

(i) मकानों तथा जनसंख्या की गणनाः भारत के जनगणना आयुक्त एक सांविधिक प्राधिकारी हैं जिन्हें जनगणना अधिनियम, 1948 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत भारत में मकानों एवं जनसंख्या की गणना करवाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। फील्ड संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाने, समन्वय और पर्यवेक्षण कराने; आंकड़ा संसाधन; जनगणना परिणामों के सारणीकरण, संकलन और प्रसार के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी है।

(ii) सिविल पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस): जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित), जिसमें जन्म और मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था है, के अंतर्गत भारत के जनगणना आयुक्त को भारत के महारजिस्ट्रार के रूप में भी नामोद्दिष्ट किया गया है। इस भूमिका में, वह देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सिविल रजिस्ट्रीकरण और जीवनांक प्रणाली के कार्य का समन्वय करता है ।

(iii) सैम्पल पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस): सैम्पल पंजीकरण प्रणाली के कार्यान्वयन का, जहां अर्द्धवार्षिक आधार पर जन्म एवं मृत्यु संबंधी घटनाओं का वृहद सैम्पल सर्वे किया जाता है, का उत्तरदायित्व भी भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय का है। एसआरएस देश में राज्य स्तर पर जन्म–दर, मृत्यु–दर, शिशु मृत्यु–दर तथा मातृ मृत्यु–दर जैसी जन्म एवं मृत्यु दरों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

(iv) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर): नागरिकता अधिनियम,1955 के तहत निरूपित नागरिकता नियमावली 2003, में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, देश में सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों से संबंधित सूचना एकत्रित करते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया जाता है।

(v) मातृभाषा सर्वेक्षणः परियोजना मातृभाषा का सर्वेक्षण करती है, जोकि दो और अधिक जनगणना दशकों में लगातार पायी जाती है। अनुसंधान कार्यक्रम चयनित मातृभाषाओं के भाषाई विशेषताओं का दस्तावेज़ बनाता है।

(vi) आंतरिक वित्त प्रभागः आंतरिक वित्त प्रभाग (आईएफयू) जिसे भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के "वित्त अनुभाग" के रूप में जाना जाता है, को भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और देश भर के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय (डीसीओ) के वित्तीय प्रस्तावों की जांच करने के लिए बनाया गया है। यह गृह

मंत्रालय के वित्त प्रभाग द्वारा नियुक्त आंतरिक वित्त प्रभाग (आईएफयू) के तहत गृह मंत्रालय में यथा निर्धारित नियमों और शर्तों के कड़े अनुपालन के अंतर्गत कार्य कर रहा है।

जनसंख्या की जनगणना

16.3 भारत में वर्ष 1872 से नियमित दशकीय जनगणनाओं की एक लंबी परम्परा रही है। पिछली जनगणना 2011 में करवाई गई थी। आगामी जनगणना 1872 से सतत क्रम में 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 8वीं जनगणना होगी। वर्ष 2021 के दौरान जनगणना कराने की मंशा को भारत के राजपत्र में मार्च, 2019 में अधिसूचित किया गया था।

16.4 जनसंख्या की गणना देश में सबसे बड़ी प्रशासनिक एवं सांख्यिकी कार्रवाई है। पिछली जनगणनाओं की तरह, जनगणना 2021 दो चरणों में की जानी थी, अर्थात (क) अप्रैल–सितम्बर, 2020 के दौरान मकानसूचीकरण और मकानों की गणना तथा (ख) 9 से 28 फरवरी, 2021 के दौरान जनसंख्या की गणना, के बाद 1 मार्च से 5 मार्च, 2021 तक पुनरीक्षण दौर। मकानसूचीकरण और मकानों की गणना एवं मकानसूचीकरण प्रश्नावली के संचालन की अवधि से संबंधित अधिसूचनाएँ भी अधिसूचित की गईं। हालांकि, कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण, जनगणना 2021 और अन्य प्रासंगिक फील्ड गतिविधियों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।

16.5 मकानसूचीकरण और मकानों की गणना, जनसंख्या गणना (द्वितीय चरण) के लिए स्पष्ट ढांचा उपलब्ध कराने के अलावा, मकानों की स्थिति, परिवारों के पास उपलब्ध सुविधाओं और उनके पास मौजूद परिसंपत्तियों पर बहुत उपयोगी आंकड़ें प्रदान करती है। दूसरे चरण में, व्यक्तियों के विभिन्न जनसांख्यिकीय, सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक मापदण्डों के साथ प्रवासन और प्रजनन विशेषताओं के आंकड़े एकत्र किए जाते है।

16.6 विभिन्न सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमों संबंधी योजना बनाने में उपयोग करने हेतु देश के संबंध में परिणाम तैयार करने वाली प्रत्येक जनगणना के दौरान एकत्र किए गए वृहत आंकड़ों का समय पर प्रसंस्करण करना हमेशा से ही सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। विगत में प्रत्येक जनगणना के दौरान जनगणना के आंकड़ों का शीघ्रता से प्रसंस्करण और संकलन करने के लिए उपलब्ध नवीनतम आई टी प्रणालियों/ प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना आवश्यक हो गया है। हालांकि जनगणनाओं के दौरान फील्ड से आंकड़ों का एकत्रण शत–प्रतिशत था लेकिन 1991 तक कुछ मानकों के संबंध में इसके कम्प्यूटरीकरण का स्तर 5% से 45% तक परिवर्तनशील रहा। ऑप्टिकल मार्क रीडर (ओएमआर)/ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर)/इन्टेलिजेन्ट कैरेक्टर रिकॉग्निशन (आईसीआर) इत्यादि जैसे अत्याधुनिक आईटी साधनों के आविष्कार के पश्चात, पिछली दो जनगणनाओं 2001 और 2011 में इन आईटी साधनों के माध्यम से लगभग 100% आंकड़े एकत्र किए गए। आगामी जनगणना हेतु, जनगणना आंकड़ो के त्वरित प्रसंस्करण और शीघ्र जारी करने के लिए कुछ नई पहल की गई हैं।

16.7 भारत में दशकीय जनगणना करना एक विशाल कार्य है। इसलिए, आगामी जनगणना के लिए विभिन्न प्रारंभिक कार्य पहले से ही किए जा रहे हैं। किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं:

(i) जनगणना 2011 के बाद हुए क्षेत्राधिकार परिवर्तनों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित विभागों के परामर्श के साथ संकलित किया जा चुका है और आगामी जनगणना के लिए 30.06.2023 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से संबंधित प्रशासनिक इकाईयों की सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है। हालांकि, कोविड–19 महामारी के प्रकोप और जनगणना गतिविधियों के स्थगन के कारण, सीमाओं को स्थिर करने की तारीख अब 30.06.2024 तक बढ़ा दी गई है;

(ii) पिछली जनगणनाओं की प्रश्नावली की समीक्षा और उसी को अगली जनगणना हेतु अंतिम रूप देने के लिए संबंधित मंत्रालयों और भारत सरकार के विभागों के साथ चर्चा की गई है;

(iii) जनगणना की स्थगित अवधि के दौरान स्मार्ट फोन के माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए विकसित किए गए आंतरिक मोबाइल ऐप का कड़ाई से परीक्षण किया गया है और आगे अपडेट तथा सुधार किए गए है;

(iv) जनगणना संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों के प्रबंधन एवं निगरानी हेतु विकसित जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) पोर्टल को और भी अतिरिक्त कार्यक्षमताओं के साथ उन्नत किया गया है;

(v) जनगणना प्रश्नों (i) मुखिया से संबंध (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, (iii) मातृ भाषा और अन्य ज्ञात भाषाएँ, (iv) व्यवसाय, (v) उद्योग, व्यापार या सेवा की प्रकृति और (vi) जन्म स्थान/अंतिम निवास स्थान, पर वर्णनात्मक उत्तरों से बचने के लिए, एक 'कोड निर्देशिका" बनाई गई है जिससे कि प्रगणक फील्ड में आंकड़ो को कोडीकृत कर सके, परिणामस्वरूप आंकड़े शीघ्र प्रसंस्कृत और जारी होंगे;

(vi) आगामी जनगणना से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सलाह देने के लिए भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त की अध्यक्षता में विषय के विशेषज्ञों, जनसांख्यिकों, संबंधित सरकारी विभागों के प्रतिनिधि आदि को शामिल करके एक तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) का गठन किया गया। "जनगणना प्रश्नावली का विकास" और 'अगली जनगणना में प्रौद्योगिकी का उपयोग' के लिए गठित टीएसी और उस की उप–समितियों ने प्रश्नावली और प्रौद्योगिकी को अंतिम रूप देने के लिए कई बार बैठक की;

(vii) आगामी जनगणना के लिए अपनाई जाने वाली कार्य पद्धति, प्रस्तावित प्रश्नावली और सारणीकरण से संबंधित गहन विचार–विमर्श संबंधी मुख्य कार्यसूची के साथ अप्रैल, 2019 में एक आंकड़ा प्रयोक्ता सम्मेलन (डेटा यूजर सम्मेलन) आयोजित किया गया।

(viii) आंतरिक विकसित मोबाइल ऐप, सीएमएमएस पोर्टल, कार्यपद्धति और आगामी जनगणना के लिए प्रस्तावित जनगणना प्रश्नावली की जांच के लिए अगस्त–सितंबर, 2019 में पूर्व–परीक्षण किया गया।

(ix) डेटा एकत्रीकरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यकता के अनुसार विभिन्न जनगणना दस्तावेजों/मोबाइल ऐप का जनगणना में प्रयुक्त सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया है।

(x) मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए प्रारूप सारणीकरण योजना तैयार कर ली गई है और जनसंख्या गणना के लिए तैयारी की जा रही है।

16.8 अगली जनगणना हेतु जनगणना आंकड़ो को शीघ्र जारी करने को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्न नए कदम अपनाए जा रहे हैं:

(i) डिजिटल आंकड़ों का एकत्रीकरण: आगामी जनगणना में डेटा संग्रह डिजिटल रूप से किया जाएगा। प्रगणक अपने स्मार्ट फोन का प्रयोग करते हुए, मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे आंकड़ों को एकत्रित और जमा कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, कनेक्टिविटी की समस्या होने पर कागज अनुसूची का भी प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त, जनगणना के दोनों चरणों अर्थात मकानसूचीकरण और मकानों की गणना तथा जनसंख्या गणना के दौरान स्व–गणना के लिए ऑनलाइन विकल्प रखने की भी योजना है।

(ii) आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए प्रगणकों को अपने स्वयं के स्मार्ट फोन का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना;

(iii) सीएमएमएस पोर्टल को जनगणना संबंधी विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए उपयोग किया जाएगा जैसे कि जनगणना कार्यकर्ताओं सहित प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और कार्य के आवंटन, जनगणना अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन, वास्तविक समय आधार पर प्रत्येक प्रगणक द्वारा फील्ड में कार्य की प्रगति, कुछ जनगणना रिकार्ड/सार का ऑटो–जेनेरेशन, जनगणना कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भत्ता/मानदेय के भुगतान हेतु प्रसंस्करण आदि;

(iv) फील्ड में वर्णनात्मक उत्तरों को कोडीकृत करने के लिए प्रगणकों द्वारा एक कोड निर्देशिका का प्रयोग किया जाएगा जोकि जनगणना आंकड़ों को जारी करने के लिए समय सीमा को कम करेगा;

(v) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से संबंधित जनगणना अधिकारियों के बैंक खातों में सभी प्रकार के भुगतान का ऑनलाइन हस्तांतरण होगा;

(vi) जनगणना – एक – सेवा के रूप में (सीएएस) आम जनता को प्रश्न–आधारित आंकड़ा पुनःप्राप्ति हेतु एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफ़ेस (एपीआई) और आसानी से वेबसाइट से डाउनलोड करने योग्य फारमेट में आंकड़े उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालयों की मांग पर साफसुथरा, मशीन पठनीय और कार्रवाई योग्य प्रारूप में आंकड़े उपलब्ध करेगी।

(vii) 1951 से 2011 तक की जनगणनाओं के लिए प्राथमिक जनगणना सारांश (पीसीए) का डिजिटलीकरण और 2011 के क्षेत्राधिकार के अनुसार पिछली जनगणना के आंकड़ों की फिर से रिकास्टिंग करना।

(viii) एलजीडी पोर्टल के माध्यम से देश में एकीकृत, त्रुटि रहित और अद्यतन क्षेत्राधिकार निर्देशिका बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय और रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय के बीच एक सहयोगात्मक कार्य पहल शुरू की गई है, जिसका उपयोग सभी हितधारकों द्वारा समान रूप से किया जा सकता है।

(ix). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम में फील्ड विजिट किए बिना, जनगणना 2011 गणना ब्लॉक (जनगणना कार्य में सबसे छोटी क्षेत्राधिकार इकाई) की जियो–रेफरेंसिंग का डेस्कटॉप मैपिंग कार्य शुरू किया गया।

16.9 केंद्र सरकार ने भारत की आगामी जनगणना के कार्य हेतु पहले ही 8754.23 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमोदन कर दिया है।

भू–स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अगली जनगणना के लिए मानचित्रण समाधानः

16.10 उन्नत भू–स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर जनगणना कार्यों को सुगम बनाने की दिशा में कई नई पहल की गई हैं। जनगणना से पहले शुरू किए जाने वाले मानचित्रण से संबंधित कार्यों में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, जिलों, उप–जिलों, गाँवों, नगरों और नगरों के अंदर वार्डों की प्रशासनिक इकाइयों को दर्शाने वाले मानचित्रों को तैयार करने और अपडेट करने का कार्य शामिल है ताकि देश के समग्र भौगोलिक क्षेत्र को उपयुक्त रूप से समाहित करना सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, वेब आधारित इंटरेक्टिव मानचित्रों के माध्यम से जनगणना परिणामों के प्रसार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में प्रारंभिक कार्य शुरू किया जा चुका है। इन पहलों में से कुछ इस प्रकार हैः

i. जनगणना मानचित्रण गतिविधियों को त्वरित और कुशल तरीके से पूरा करने के लिए मौजूदा डेस्कटॉप जी. आई. एस. सॉफ्टवेयर को नवीनतम संस्करणों में अपग्रेड किया गया है और सभी मानचित्रण कार्यबल को नवीनतम

सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

ii. 2011 की जनगणना के बाद 31.12.2023 तक देश में हुए क्षेत्राधिकार परिवर्तन को भू–संदर्भित डेटाबेस में अद्यतन किया गया है और आगे का अद्यतन किया जा रहा है क्योंकि फ्रीजिंग तिथि बढ़ा दी गई है।

iii. 6 लाख से अधिक मानचित्र (जिला/उप–जिला/ग्राम स्तर) तैयार किए गए हैं और जनगणना कार्यकर्ताओं के लिए सीएमएमएस पोर्टल में अपलोड किए जा रहे हैं और इन्हें 31.12.2023 तक क्षेत्राधिकार परिवर्तनों के अनुसार अद्यतन किया जाएगा और आगे अंतिम रूप दिया जाएगा।

iv. देश में आगामी जनगणना के सभी गणना खंडों के भू–संदर्भ के लिए पहली बार हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (एचएलबी) मोबाइल मैपिंग ऐप शुरू किया गया है और इस पर राष्ट्रीय और मास्टर प्रशिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन को बेहतर बनाने के लिए इसमें सुधार किए गए हैं।

v. शहरी स्थानीय निकायों की वार्ड सीमाओं पर भू–स्थानिक डेटा का संकलन किया गया है। 84,500 वार्डों में से लगभग 77,000 के लिए डेटा बनाया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों को शामिल करने वाले लगभग 14,400 वार्ड शामिल हैं, जिनका डेस्कटॉप वेब एप्लिकेशन का उपयोग करके सफलतापूर्वक डिजिटलीकरण किया गया।

vi. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और गोवा में एक डेस्कटॉप वेब एप्लिकेशन का उपयोग करते हुए प्रायोगिक आधार पर 2011 की जनगणना के गणना खंडों का भू–संदर्भ शुरू किया गया है और आगे और अधिक राज्यों (गुजरात, मध्य प्रदेश और सिक्किम) में इसका विस्तार किया गया है। इस प्रयास को अन्य सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 24 लाख गणना खंडों में भी किया जाएगा। इस अभ्यास से उत्पन्न डेटा गणना ब्लॉकों का आसानी से पता लगाने की सुविधा के लिए सभी क्षेत्र पदाधिकारियों, जैसे कि प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को भौगोलिक स्थान (जियोलोकेशन) की जानकारी प्रदान करेगा।

vii. नमूना पंजीकरण प्रणाली (एस. आर. एस.) के तहत किए गए सर्वेक्षणों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, सभी 8,841 इकाइयों के लिए एस. आर. एस. इकाई सीमाओं की जियोरेफरेंसिंग की गई है। परिणामस्वरूप भू–स्थानिक डेटा का उपयोग प्रत्येक इकाई के चारों ओर आभासी फेंस (जियो–फेंसिंग) बनाने के लिए किया गया है। इस जियो–फेंसिंग कार्यक्षमता को एस.आर.एस. मोबाइल ऐप में एकीकृत किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ऐप केवल निर्दिष्ट एस. आर. एस. इकाई क्षेत्रों के भीतर काम करेगा।

भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण (एमटीएसआई)

16.11 भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण (एमटीएसआई) परियोजना में, 559 मातृभाषाओं के लिए ऑडियो–विजुअल डेटा एकत्र किया गया है जिसे आगे लिपिबद्ध किया गया है और जिसके आधार पर समेकित रिपोर्ट तैयार की गई है। भाषा प्रभाग द्वारा लॉन्च किए गए नए वेब–पोर्टल पर 559 समेकित रिपोर्ट अपलोड की गई हैं। भाषा संबंधी रिपोर्टें शिक्षाविदों, भाषाविदों के लिए उपयोगी होंगी।

भारत का भाषाई सर्वेक्षण (एलएसआई)

16.12 भारतीय भाषाई सर्वेक्षण (एलएसआई) एक नियमित रूप से चलने वाली परियोजना है जहां अंतर–जनगणना अवधि के दौरान भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य–विशिष्ट भाषाओं का सर्वेक्षण किया जाता है। इस परियोजना के तहत पहले के प्रकाशनों के क्रम में, इस वर्ष के दौरान तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के लिए भारत का भाषाई सर्वेक्षण

(एलएसआई) खंड प्रकाशित किए गए हैं। महाराष्ट्र खंड के लिए डेटा संग्रह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। एलएसआई, मध्य प्रदेश खंड का कार्य लगभग पूरा होने वाला है।

भाषा एटलस

16.13 भारत के भाषा एटलस – 1991, 2001 और 2011 के प्रकाशन के क्रम में, पश्चिम बंगाल के भाषा एटलस, 2011 को पश्चिम बंगाल की रिकार्ड की गई और प्रकाशित की गई सभी भाषाओं का वर्णन करते हुए प्रकाशित किया गया था। यह भाषा की टाइपोलॉजी के साथ–साथ उसके भौगोलिक वितरण, द्विभाषावाद, त्रिभाषावाद, पुरुष/महिला और भाषाओं के ग्रामीण/शहरी वितरण का वर्णन करता है। इस एटलस को पश्चिम बंगाल राज्य में बोली जाने वाली 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 8 अनुसूचित भाषाओं और 12 गैर–अनुसूचित भाषाओं में उनके विश्लेषणात्मक नोट्स के साथ प्रस्तुत किया गया है। तमिलनाडु का भाषा एटलस भी पूरा हो चुका है, जिसमें तमिलनाडु के जिला और उप–जिला स्तर पर फैली 8 अनुसूचित और 2 गैर–अनुसूचित भाषाओं के वितरण को दर्शाया गया है, साथ ही लिंग और बस्तियों के विवरण के साथ द्विभाषी और त्रिभाषी विशेषताओं को भी दर्शाया गया है। यह खंड जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित विश्लेषणात्मक नोट्स से समृद्ध है।

रिपॉजिटरी और पुनर्प्राप्ति प्रणाली के साथ भाषा रिपोर्ट और भाषा जनगणना डेटा का डिजिटलीकरण

16.14 रिपॉजिटरी और रिट्रीवल सिस्टम के साथ भाषा रिपोर्ट और भाषा जनगणना डेटा का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है जिसका उद्देश्य भाषा प्रभाग के वेब–पोर्टल (https://language.census.gov.in) के माध्यम से भाषाई संसाधनों तक विश्वव्यापी पहुंच प्रदान करना है।

आंकड़ा प्रसार

16.15 गणना कार्य और आंकड़ा संसाधन के पूरा हो जाने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कार्य सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थानों, अध्येताओं, विद्यार्थियों और अन्य डाटा उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए इन परिणामों का प्रसार करना है। इसी प्रयोजन से, यह कार्यालय जनगणना से जनसंख्या, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, साक्षरों, कामगारों और गैर–कामगारों, मलिन बस्ती डाटा, आयु संबंधी डाटा और मकानों, परिवार संबंधी सुविधाओं और परिसम्पततियों संबंधी डाटा की उपयोगिता और जारी किए जाने वाले डाटा के बारे में आंकड़ा उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए एक विस्तृत आंकड़ा प्रसार योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

16.16 निःशुल्क डाउनलोड के लिए ये डाटासेट आधिकारिक वेबसाइट https://www.censusindia.gov.in पर जारी किए जाते हैं। ये काम्पैक्ट डिस्क (सीडी) में भी उपलब्ध करवाए जाते हैं।

16.17 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा शुरू किया गया एक और प्रमुख अभिनव कदम जनगणना से सैम्पल माइक्रो–आंकड़े लेकर उन पर अनुसंधान करने हेतु वर्कस्टेशनों की स्थापना करना है। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय की मंशा विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के अनुसंधानकर्ताओं को अनुसंधान के प्रयोजन से पिछली दो जनगणनाओं के सैम्पल माइक्रो–आंकड़ों तक पहुंच उपलब्ध करवाने की अनुमति देने की है। इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए, पूरे देश में 41 भिन्न–भिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में जनगणना वर्कस्टेशन स्थापित किए गए हैं।

16.18 ये वर्कस्टेशन जनगणना से प्राप्त सैम्पल माइक्रो आंकड़ों संबंधी अनुसंधान विषयक सभी सुविधाओं से लैस हैं। ये पूर्णतया वातानुकूलित हैं तथा आंकड़ों तक पहुंच के लिए इनमें कम्प्यूटर टर्मिनलों का नेटवर्क है। इन वर्कस्टेशन में 1991 से 2011 तक की जनगणना तक प्रकाशित सभी सारणी सॉफ्ट प्रति फ़ारमैट में, जनगणना 2011 हेतु जनसंख्या गणना(सीमित पैमाने) पर और जनगणना 2001 और 2011 से संबन्धित मकानसूचीकरण के सूक्ष्म सैम्पल आंकड़े (राष्ट्रीय स्तर पर 1% और

राज्य/संघ क्षेत्र/जिला स्तर पर 5%) उपलब्ध कराए गए हैं। विश्वविद्यालय/संस्थान का एक पदाधिकारी संबंधित वर्कस्टेशन पर तैनात किया जाता है जोकि अनुसंधानकर्ताओं को उनके अनुसंधान के लिए संचालन समूह से उसके अनुसंधान के लिए अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात उन्हें वर्कस्टेशन में उपलब्ध आंकड़ों तक पहुंच उपलब्ध करवाता है। अनुसंधानकर्ताओं को सारणीकरण के लिए उपलब्ध समाज विज्ञान संबंधी सांख्यिकीय पैकेज (एसपीएसएस) और सांख्यिकीय आंकड़ा विश्लेषण (एसटीएटीए) साफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है।

16.19 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने भावी पीढ़ियों के प्रयोग के लिए 1872 से प्रकाशित सभी पुरानी जनगणना रिपोर्टों को डिजिटाइज करने और अभिलेखबद्ध करने संबंधी एक अन्य प्रमुख पहल की है। इन पुरानी जनगणना रिपोर्टों के 26 लाख से अधिक पृष्ठों को स्केन तथा अपलोड किया गया है और निःशुल्क रूप से डाउनलोड करने के लिए इन्हें जनगणना की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है तथा इनको संपूर्ण भारत में जनगणना निदेशालयों और विश्वविद्यालयों/संस्थानों में वर्कस्टेशनों पर भी उपलब्ध करवाया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

16.20 भारत में वर्ष 1872 से दशकीय जनगणना कार्य नियमित रूप से किए जाते हैं। इतने विशाल और वैविध्ययुक्त देश में सफलतापूर्वक जनगणना करवाने में प्राप्त विशेषज्ञता से हमें अपने अनुभवों को अन्य देशों तथा अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों नामतः सिंफोनिका, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्रों के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) और संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ) तथा अन्य संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों इत्यादि के साथ साझा करने में सहायता मिली है। वर्ष 2023–24 के दौरान, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त और अन्य देशों/संयुक्त राष्ट्र संगठनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाने वाले कुछ महत्वपूर्ण आयोजनों का नीचे उल्लेख किया गया है:

क) इस कार्यालय से श्री संजीव कुमार, अपर महारजिस्ट्रार और श्री शिवम सिंह, अनुसंधान अधिकारी ने नागरिक पंजीकरण और महत्वपूर्ण सांख्यिकी (सीआरवीएस) के लिए दिनांक 10–12 मई, 2023 को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन केंद्र, बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित की गई क्षेत्रीय संचालन समूह की नौवीं बैठक में भाग लिया। श्री संजीव कुमार की भागीदारी को यूएनईएससीएपी द्वारा वित्त पोषित किया गया था और श्री शिवम सिंह की भागीदारी को भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

ख) इस कार्यालय से श्री लज़ार ए. अनुसंधान अधिकारी ने दिनांक 15–19 मई, 2023 को ज्योंजू, दक्षिण कोरिया में भू–स्थानिक सूचना पर आईएसओ/टीसी 211 की समग्र बैठक में भाग लिया। इस भागीदारी को भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

ग) दिनांक 6–8 जून, 2023 को ढाका, बांग्लादेश में दक्षिण एशिया के नागरिक पंजीकरण प्रोफेशनल्स (सीआर 8) के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में इस कार्यालय से सुश्री शीतल वर्मा (भा.प्र.से) निदेशक और श्री कौशिक साहा (भा.प्र.से) निदेशक ने भाग लिया। इस भागीदारी को यूनिसेफ द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

घ) दिनांक 28 अगस्त से 15 सितंबर, 2023 तक टोक्यो, जापान में सांख्यिकीय सूचना संस्थान परामर्श और विश्लेषण (सिनफ़ोनिका) के लिए आयोजित किए जा रहे सांख्यिकीय कार्य पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस कार्यालय के श्री चंद्र मोहन जोशी, तत्कालीन उप निदेशक ने भाग लिया। इस भागीदारी को सिनफ़ोनिका द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

ङ) दिनांक 11–15 सितंबर, 2023 को बैंकॉक, थाईलैंड में नागरिक पंजीकरण पूर्णता में असमानताओं का आकलन करने पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण में इस कार्यालय के श्री हरमीत सिंह

मद्व, उप निदेशक ने भाग लिया। इस भागीदारी को यूएनईएससीएपी द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

च) दिनांक 15–17 नवंबर, 2023 के दौरान बैंकॉक, थाईलैंड में 7वें एशियाई और प्रशांत जनसंख्या सम्मेलन में इस कार्यालय के श्री मंजुल मयंक पांडे, संयुक्त निदेशक ने भाग लिया। इस भागीदारी को भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

छ) 2030 की जनगणना के लिए जनसंख्या और आवास जनगणना के सिद्धांतों और सिफारिशों पर संयुक्त राष्ट्र मैनुअल का चौथा संशोधन चल रहा है। एक संदर्भ प्रकाशन के रूप में, यह राष्ट्रीय सांख्यिकीय अधिकारियों को जनसंख्या और आवास जनगणना की योजना बनाने, आयोजन करने, संचालन करने और उपयोग करने के लिए व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है। गृह मंत्रालय के आरजीआई कार्यालय से श्री संजय, अपर महारजिस्ट्रार और श्री विजय कुमार, उप महारजिस्ट्रार ने 13–15 दिसंबर, 2023 के दौरान न्यूयॉर्क में यूएनएसडी द्वारा आयोजित इस पर दूसरी संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समूह बैठक (ईजीएम) में भाग लिया। इस बैठक से पहले जनगणना, सीआरवीएस प्रणाली और प्रशासनिक अभिलेखों के बीच तालमेल पर पहली ईजीएम 11–12 दिसंबर, 2023 के दौरान आयोजित की गई थी – जनसंख्या और आवास जनगणना के लिए सिद्धांतों और सिफारिशों के संशोधन चार के लिए निहितार्थ, जिसे यूएनएसडी और यूएनएफपीए द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। भागीदारी को यूएनएफपीए द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

ज) जबरन विस्थापन, राज्यविहीनता और बच्चों के पलायन पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी सीआरवीएस सिस्टम पर मार्गदर्शन लागू करने पर एशिया प्रशांत क्षेत्रीय कार्यशाला 18–21 मार्च 2024 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित की गई थी, जिसमें इस कार्यालय के श्री पी.पी. भद्रा, उप निदेशक ने भाग लिया था। इस भागीदारी को संयुक्त राष्ट्र (ईएससीएपी/यूनिसेफ) द्वारा वित्तपोषित किया गया था।

आंतरिक प्रशिक्षण

16.21 अप्रैल, 2018 में भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय की प्रशिक्षण नीति (ओटीपी)प्रकाशित की गई। तदनुसार, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय का प्रशिक्षण प्रभाग, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय और विभिन्न जनगणना कार्य निदेशालयों में तैनात कार्मिकों को इनडक्शन/प्रौन्नति/सेवाकालीन/विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहा है।

16.22 इस कार्यालय की मंशा आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके कर्मचारियों की आंतरिक क्षमता को सुदृढ़ करना है। इस मंशा के साथ, इलेक्टॉनिक माध्यम से एक गहन प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (टीएनए) करवाया गया था। टीएनए के माध्यम से सौंपे गए कार्य और कार्यक्षेत्र के अनुसार प्रशासन एवं स्थापना और सांख्यिकीय/जनसांख्यिकीय उपकरण एवं तकनीक पर सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान की गई।

16.23 अप्रैल 2023 – मार्च 2024 के दौरान, लगभग 167 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रमोशनल/इन–सर्विस/विशिष्ट प्रशिक्षण दिया गया है।

16.24 भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय की संगोष्ठी व्याख्यान श्रृंखला के एक भाग के रूप में, अप्रैल 2023 – मार्च 2024 के दौरान भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय की गतिविधियों से संबंधित विषयों जैसे कि ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, डेटा प्रसार और अन्नोनिमिजेशन, तनाव से मुस्कुराहट और आत्म–सशक्तिकरण का रहस्य आदि विषयों पर इस कार्यालय के अधिकारियों के ज्ञान को समृद्ध व कल्याण हेतु विशिष्ट विशेषज्ञों/ प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा 4 संगोष्ठी व्याख्यान आयोजित किए गए।

16.25 माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने 22.05.2023 को

"1981 से भारतीय जनगणनाओं पर एक ग्रंथ" शीर्षक से भारत की जनगणना पर द्विभाषी संग्रह जारी किया। यह 'भारत में लोगों की गिनती की यात्रा का पुनर्लेखन और भी बहुत कुछ' है।

जीवनांक

सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस)

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 का कार्यान्वयन

16.26 देश में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण राज्य सरकारों द्वारा जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) के अंतर्गत नियुक्त किए गए कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। भारत के महारजिस्ट्रार पूरे देश में पंजीकरण संबंधी कार्यकलापों को समन्वित और एकीकृत करते हैं जबकि मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु इस अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए संबंधित राज्यों में मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आरबीडी अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसरण में भारत के महारजिस्ट्रार राज्यों को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के संबंध में सामान्य निदेश/दिशानिर्देश भी जारी करते हैं।

16.27 पिछले कुछ वर्षों से पंजीकृत जन्म और मृत्यु के अनुपात में नियमित वृद्धि देखी गई है। देश में जन्म पंजीकरण की संख्या 2011 में 2.18 करोड़ से बढ़कर 2020 में 2.42 करोड़ हो गई है। दूसरी ओर, मृत्यु पंजीकरण की संख्या 2011 में 56.4 लाख से बढ़कर 2020 में 81.2 लाख हो गई है।

निर्धारित समय–सीमा के भीतर जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण

16.28 पंजीकरण करने की अवधि के अनुसार पंजीकृत जन्म एवं मृत्यु को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रयोजनार्थ ली गई चार समयावधि निम्नानुसार हैं: i) निर्धारित समय–सीमा के भीतर (21 दिन तक), ii) 21 दिन के बाद पर 30 दिन के भीतर, iii) 30 दिन के बाद पर 1 वर्ष के भीतर और iv) 1 वर्ष के बाद। वर्ष 2020 के दौरान, जन्म एवं मृत्यु के 21 दिन की निर्धारित समय–सीमा के भीतर किए गए पंजीकरण संबंधी जन्म और मृत्यु के आंकड़े 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए हैं। महाराष्ट्र, सिक्किम और दिल्ली ने पंजीकरण के समय अंतराल पर आंशिक डेटा प्रदान किया है और इसलिए डेटा को समेकित करते समय इस पर विचार नहीं किया गया है।

16.29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2020 में निर्धारित समय–सीमा के भीतर कुल पंजीकरण में से प्राप्त पंजीकरण का प्रतिशत निम्नानुसार है:–

विवरण: निर्धारित समय-सीमा (21 दिन) के भीतर किया गया पंजीकरण

स्तर (प्रतिशत में)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	
	जन्म	मृत्यु
90 प्रतिशत से अधिक	गुजरात, पुदुचेरी, तमिलनाडु, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, मिजोरम, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, पंजाब, हरियाणा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, (15)	पंजाब, चंडीगढ़, मिजोरम, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात (11)

80 प्रतिशत से अधिक पर 90 प्रतिशत से कम या बराबर	छतीसगढ़ और मध्य प्रदेश (2)	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, ओडिशा, गोवा, लक्षद्वीप, मेघालय, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश (7)
50 प्रतिशत से अधिक पर 80 प्रतिशत से कम या बराबर	त्रिपुरा, राजस्थान, केरल, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, मेघालय, झारखंड, जम्मू और कश्मीर (9)	बिहार, त्रिपुरा, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, केरल, झारखंड (7)
50 प्रतिशत से कम या बराबर	उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, लद्दाख, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड (7)	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, लद्दाख, असम, अरुणाचल प्रदेश (8)

16.30 उपर्युक्त विवरण से पता चलता है कि 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 21 दिन की निर्धारित समय–सीमा के भीतर कुल जन्म का 90 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण किया है। इसके अतिरिक्त, 21 दिन की समय–सीमा में जन्म पंजीकरण पूरा करने के संबंध में 2 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र 80 प्रतिशत से अधिक पर 90 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी में हैं, 9 राज्य 50 प्रतिशत से अधिक पर 80 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी में हैं और शेष 7 राज्य 50 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी में हैं।

16.31 मृत्यु के पंजीकरण के मामले में, उपर्युक्त विवरण दर्शाता है कि 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 21 दिन की निर्धारित समय–सीमा के भीतर कुल मृत्यु का 90% से अधिक पंजीकरण किया है। 21 दिन की निर्धारित समय–सीमा में मृत्यु पंजीकरण करने के संबंध में 7 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 80 प्रतिशत से अधिक पर 90 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी में हैं, 7 राज्य 50 प्रतिशत से अधिक पर 80 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी में हैं और शेष 8 राज्य 50 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी में हैं।

भारत में सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस) को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम

16.32 सीआरएस ओआरजीआई पोर्टल में सुधारः हालांकि सीआरएस प्रणाली देश के विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में संतोषजनक ढंग से काम कर रही है, सूचना प्रौद्योगिकी में उन्नति का लाभ प्राप्तकर जनता को त्वरित सेवा प्रदान कराने के संबध में इसे और अधिक कुशल और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने मौजूदा CRSORGI पोर्टल को और अधिक नागरिक अनुकूल बनाने के लिए इसमें सुधार करने का निर्णय लिया है। संशोधित पोर्टल में कई अतिरिक्त विशेषताएं हैं जैसे ऑनलाइन शुल्क भुगतान, घटनाओं की देरी से रिपोर्टिंग, एसएमएस/ई–मेल से सूचनाएं, ई–साइन, प्रमाण पत्रों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी और डिजी–लॉकर के साथ एकीकरण की सुविधा आदि। संशोधित पोर्टल को 4 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों नामतः चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लॉन्च किया गया है। इसे शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न चरणों में लॉन्च किया जाएगा।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 में संशोधन

16.33 आरबीडी अधिनियम लगभग 50 वर्ष पुराना है और इस अवधि के दौरान अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया गया। हालांकि, विभिन्न राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा वर्ष 1970 में बनाए गए अधिनियम के कार्यान्वयन के नियमों को संशोधित किया गया है और वर्ष 2000 में भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा मॉडल नियमावली–1999 का एक सेट जारी किया गया।

वर्तमान में, परिवर्तन और पिछले पचास वर्षों के दौरान समाज में नए विकास को समायोजित करने के लिए अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन करने की आवश्यकता है। इसलिए, वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ किए गए परामर्श और आम जनता के सुझावों के आधार पर, आरबीडी अधिनियम, 1969 में संशोधन प्रस्तावों का मसौदा तैयार किया गया और मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया। मंत्रिमंडल ने 31 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करने को भी मंजूरी दे दी।

16.34 इसके बाद, अगस्त, 2023 में, मानसून सत्र 2023 के दौरान संसद के सदनों द्वारा आरबीडी (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित होने के बाद, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई है और जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 20) 11 अगस्त, 2023 को भारत के ई–गजट में प्रकाशित किया गया है। यह 01 अक्टूबर, 2023 (भारत का राजपत्र, क्रमांक 3896 दिनांक 13 सितंबर, 2023) से लागू हो गया है। आरबीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 अन्य बातों के साथ–साथ बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का डिजिटल पंजीकरण और इलेक्ट्रॉनिक वितरण, 01–10–2023 को या उसके बाद जन्मे व्यक्ति की जन्म तिथि और स्थान को प्रमाणित करने के लिए एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग, गोद लिए गए, अनाथ, परित्यक्त, छोड़े गए, सरोगेट बच्चे और एकल माता–पिता या अविवाहित मां के दिए गए बच्चे के पंजीकरण की सुविधा, सभी चिकित्सा संस्थानों द्वारा अनिवार्य रूप से मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र प्रदान करने का प्रावधान, आम जनता के लिए शिकायत निवारण तंत्र आदि प्रदान करता है। इसके अलावा, जन्म और मृत्यु के मॉडल पंजीकरण नियम, 1999 को जन्म और मृत्यु के मॉडल पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2024 के रूप में संशोधित किया गया है और आरबीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए अपने स्वयं के राज्य आरबीडी नियम तैयार करने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 09–02–2024 को भेजा गया है।

मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणन (एमसीसीडी)

16.35 जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत मृत्यु के कारण के चिकित्सीय प्रमाणन संबंधी योजना (एमसीसीडी) मृत्यु के कारणों संबंधी आंकड़े उपलब्ध करवाती है जोकि जनसंख्या की स्वास्थ्य से संबंधित प्रवृत्तियों के अनुवीक्षण के लिए एक अनिवार्य शर्त है। आवश्यक डेटा निर्धारित फार्मों में एकत्र किया जाता है (अस्पताल में होने वाली मृत्यु के लिए फॉर्म 4 और गैर–संस्थागत मृत्यु के लिए फॉर्म 4क)। असाध्य रोग के समय मृतक की देखभाल करने वाले चिकित्सकों द्वारा प्रपत्र भरे जाते हैं। तत्पश्चात् इन फार्मों को संबंधित जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार को सारणीकरण के लिए मुख्य रजिस्ट्रार कार्यालय को आगे की कार्यवाही के लिए भेजा जाता है। मृत्यु के चिकित्सकीय प्रमाणित कारणों पर आंकड़े राष्ट्रीय सूची (आईसीडी–10, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधित) के अनुसार सारणीबद्ध किए गए हैं।

एमसीसीडी 2020 रिपोर्ट आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित हो चुकी है और एमसीसीडी 2021 रिपोर्ट के लिए आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं।

16.36 वर्ष 2020 के लिए "मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणन" संबंधी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंजीकृत कुल 80,62,070 मृत्यु में से कुल 18,11,688 मृत्यु (11,60,119 पुरुष और 6,51,569 महिला) के चिकित्सीय रूप से प्रमाणित होने की सूचना दी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर (34 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों सहित) कुल पंजीकृत मृत्यु में से 22.5 प्रतिशत पंजीकृत मृत्यु चिकित्सीय रूप से प्रमाणित मृत्यु है। हालांकि, असाध्य रोग के समय मृतक को प्राप्त किसी भी प्रकार की चिकित्सा देखभाल को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु के कारण के चिकित्सा प्रमाणीकरण का प्रतिशत (32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों सहित) 54.6 प्रतिशत तक

पहुंच जाता है। कुल पंजीकृत मृत्यु की तुलना में चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित मृत्यु का राज्य–वार प्रतिशत निम्नानुसार दर्शाया गया है:

16.37 चिकित्सा प्रमाणन की दक्षता के विभिन्न स्तर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद हैं। हालांकि, मृत्यु के विभिन्न चिकित्सकीय प्रमाणित कारणों और उनके होने की गंभीरता से मृत्यु पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला जा सकता है। एमसीसीडी की प्रणाली को सुदृढ़ करने और एमसीसीडी के तहत सभी चिकित्सा संस्थानों को कवर करने के लिए भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।

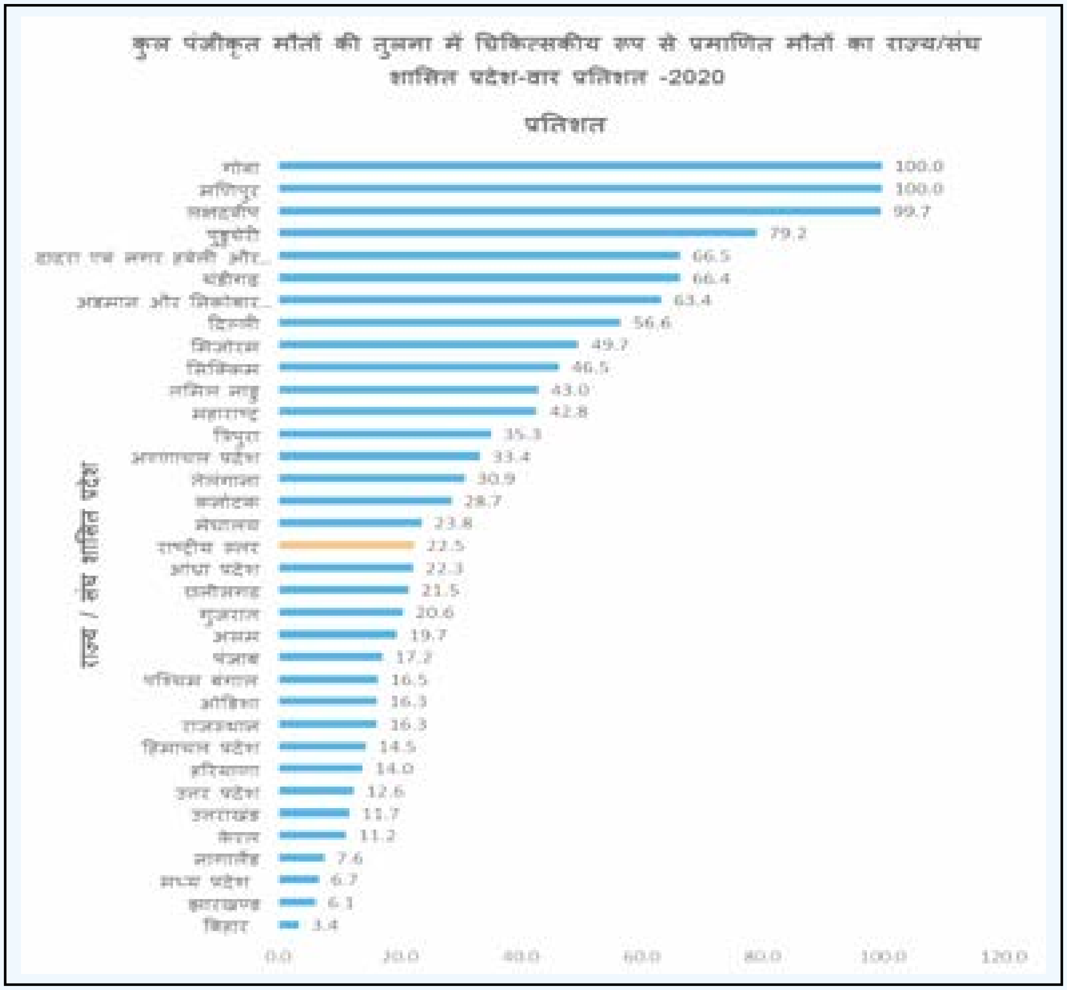

सैम्पल पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस)

16.38 राष्ट्रीय और उप–राष्ट्रीय स्तरों पर जन्म दर, मृत्यु दर तथा अन्य प्रजनन और मृत्यु दर संकेतकों का विश्वसनीय आंकलन प्रदान करने के संबंध में सैम्पल पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) एक बड़े पैमाने का जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है। एसआरएस एक दोहरे रिकार्ड वाली प्रणाली है जिसमें अंशकालिक निवासी प्रगणकों द्वारा जन्म और मृत्यु की सतत गणना और पर्यवेक्षकों द्वारा एक स्वतंत्र अर्धवार्षिक सर्वेक्षण किया जाना शामिल है। इन स्रोतों से मेल न खाते आंकड़ों को फील्ड में पुनः सत्यापित किया जाता है। यह सर्वेक्षण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा 1964–65 में कुछ चुनिंदा राज्यों में प्रायोगिक आधार पर आरंभ किया गया था, जो लगभग 3700 सैम्पल इकाइयों को कवर करते हुए वर्ष 1969–70 में पूरी तरह से क्रियाशील हो गया। जीवनांक दरों में परिवर्तनों की निगरानी करने के उद्देश्य से, एसआरएस सैम्पलिंग फ्रेम को इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करने और इस प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने संबंधी प्रयासों के अतिरिक्त हर दस वर्ष में संशोधित किया जाता है। सभी राज्यों/संघ शासित राज्यों में तात्कालिक एसआरएस सैंपल में

8841 इकाइयां (4958 ग्रामीण और 3883 शहरी) हैं। यह 2011 जनगणना पर आधारित है और 01.01.2014 से प्रभावी हैं। सर्वेक्षण में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर वार्षिक रूप से एसआरएस बुलेटिन, एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट और एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका निकाली जाती है।

16.39 वर्ष 2020 के संबंध में, जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर और नवजात मृत्यु दर के आकलनों वाली एसआरएस बुलेटिन–2020 सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से जारी कर दी गई है। अनुमान **अनुलग्नक–XIX** में दिए गए हैं। वर्ष, 2020 के लिए राष्ट्रीय स्तर की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:–

(i) अशोधित जन्म दर (सीबीआर) समस्त भारत के लिए प्रति 1000 जनसंख्या पर 19.5 है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 21.1 और शहरी क्षेत्रों के लिए 16.1 है। बड़े राज्यों में सीबीआर केरल में सबसे कम (13.2) और बिहार में उच्चतम (25.5) है।

(ii) अशोधित मृत्यु दर (सीडीआर) समस्त भारत के लिए प्रति 1000 जनसंख्या पर 6.0 है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 6.4 और शहरी क्षेत्रों के लिए 5.1 है। बड़े राज्यों में, दिल्ली ने सबसे कम (3.6) और छत्तीसगढ़ ने उच्चतम (7.9) दर्ज किया है।

(iii) नवजात (<एक वर्ष) मृत्यु दर (आईएमआर) समस्त भारत में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 28 है, ग्रामीण क्षेत्रों में 31 और शहरी क्षेत्रों में 19 है। बड़े राज्यों में, केरल ने सबसे कम (6) दर्ज किया है और मध्य प्रदेश ने उच्चतम (43) नवजात मृत्यु दर दर्ज किया है।

16.40 निम्नलिखित रेखाचित्र 1971 से 2020 तक भारत की अनुमानित जन्म दर, मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर को दर्शाता है।

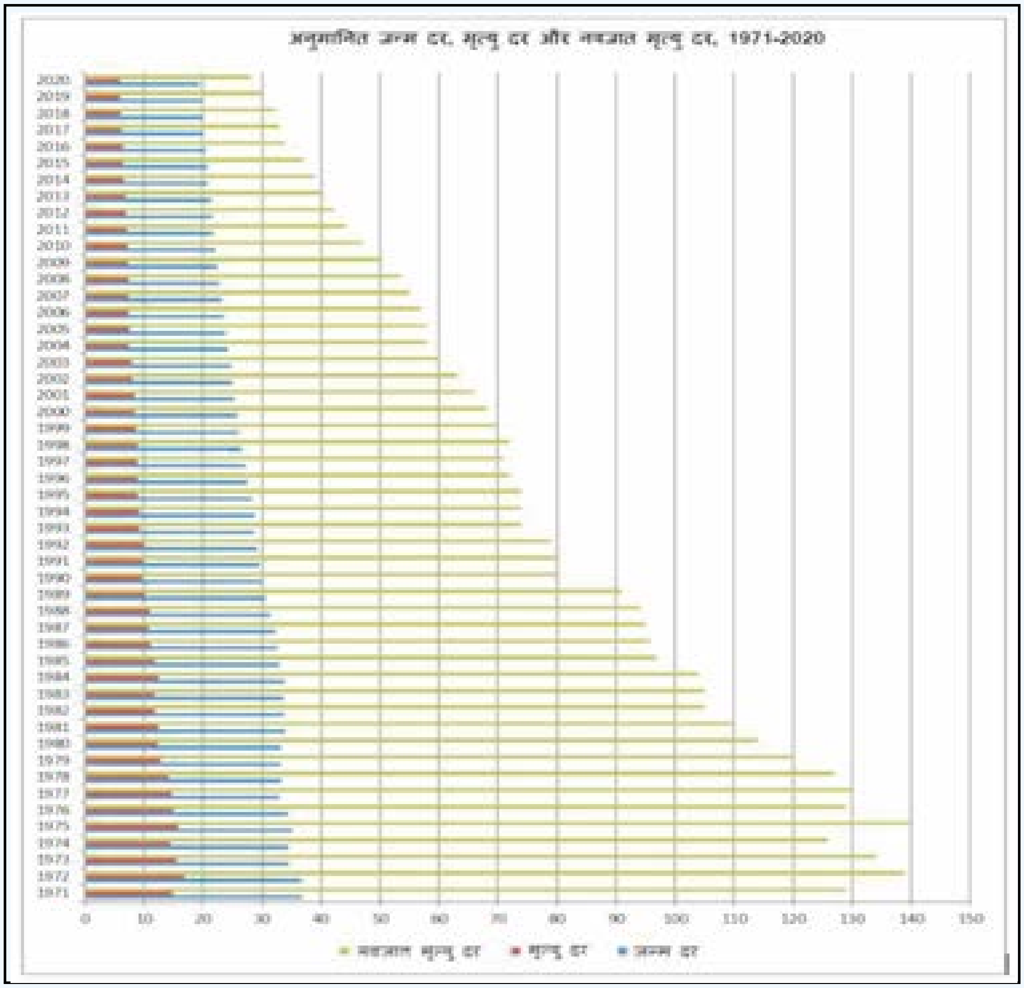

16.41 उपर्युक्त के अलावा, वर्ष 2020 के लिए एसआरएस सांखयिकीय रिपोर्ट – 2020 जारी कर दी गई है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ पांच वर्ष की आयु से कम मृत्यु दर (यू5एमआर), जन्म के समय लिंगानुपात, कुल प्रजननता दर (टीएफआर) दी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर पाई गई मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:–

- देश के लिए यू5एमआर ने 2019 की तुलना में 3 अंकों (2019 में 35 के मुकाबले 2020 में 32) की गिरावट दिखाई है।
- देश में जन्म के समय लिंगानुपात 2017–19 में 904 की तुलना में 2018–20 में 907 होने का अनुमान लगाया गया है।
- देश के लिए कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2019 में 2.1 से घटकर 2020 में 2.0 हो गई है। 2020 के दौरान, बिहार ने उच्चतम टीएफआर (3.0) जबकि दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने सबसे कम टीएफआर (1.4) की सूचना दी है। यह उल्लेखनीय है कि प्रतिस्थापन स्तर टी एफ आर, अर्थात 2.1, 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त किया गया है अर्थात दिल्ली (1.4), तमिलनाडु (1.4), पश्चिम बंगाल (1.4), आंध्र प्रदेश (1.5), हिमाचल प्रदेश (1.5), जम्मू और कश्मीर (1.5), केरल (1.5), महाराष्ट्र (1.5), पंजाब (1.5), तेलंगाना (1.5), कर्नाटक (1.6), ओडिशा (1.8), उत्तराखंड (1.8), गुजरात (2.0), हरियाणा (2.0) और असम (2.1)। औसतन, राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्रामीण महिला (2.2 की टीएफआर वाली) का टीएफआर एक शहरी महिला (1.6 की टीएफआर वाली) से अधिक है।

16.42 सैम्पल पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के तहत 2018–2020 के लिए भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन जारी की गई है। भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 2017–2019 में 103 से घटकर 2018–2020 में 97 हो गया है।

16.43 वर्ष 2016–20 के लिए एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन तालिकाएं भी जारी की गई हैं। इस अवधि के लिए भारत और बड़े राज्यों के लिए लिंग और निवास के आधार पर जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा अनुलग्नक–XX में दी गई है। पिछले चार दशकों के दौरान 20.3 वर्ष की वृद्धि के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 70.0 वर्ष है। जन्म के समय पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा 68.6 वर्ष है जबकि महिलाओं के लिए 71.4 वर्ष है। बड़े राज्यों में, जीवन प्रत्याशा दिल्ली में सबसे अधिक (75.8 वर्ष) और छत्तीसगढ़ में सबसे कम (65.1 वर्ष) है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 68.6 वर्ष है, जो पुरुषों के लिए 67.2 वर्ष और महिलाओं के लिए 70.1 वर्ष है। शहरी क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा 73.2 वर्ष है, पुरुषों के लिए 71.9 वर्ष और महिलाओं के लिए 74.5 वर्ष है।

16.44 भारत में मृत्यु के कारणों पर रिपोर्ट 2017–2019 जारी की गई है। कुल मिलाकर असंक्रामक रोग देश में मृत्यु का प्रमुख कारण हैं, जो सभी मृत्यु का 56.0 प्रतिशत अनुपात है। संचारी, मातृ, प्रसवकालीन और पोषण संबंधी स्थितियां जो इसके बाद मृत्यु का प्रमुख कारण है, मृत्यु के अन्य 21.5 प्रतिशत अनुपात का गठन करती हैं। संक्रामक रोगों और चोटों के लिए कुल मृत्यु में पुरुषों की मृत्यु का अनुपात अधिक है जबकि लक्षणों, संकेतों और खराब परिभाषित स्थितियों और संक्रामक, मातृ, प्रसवकालीन और पोषण संबंधी स्थितियों में महिला मृत्यु का अनुपात पुरुष मृत्यु की तुलना में अधिक है। ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए लिंग के आधार पर वर्ष 2017–2019 के लिए भारत में मृत्यु के शीर्ष 10 कारण **अनुलग्नक – XXI** में दिए गए हैं। कुल मिलाकर, मृत्यु का प्रमुख कारण हृदय रोग (28.9%) है, जिसके बाद श्वसन रोग (7.3%) हैं।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)

16.45 सरकार ने देश में 2010 में प्रत्येक नागरिक की विशिष्ट जानकारी एकत्रित करते हुए सभी "सामान्य निवासियों" का एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार किया है। एनपीआर नागरिकता

अधिनियम, 1955 के तहत निरूपित नागरिकता नियमावली, 2003 के विभिन्न प्रावधानों के तहत तैयार किया जाता है। वर्ष 2015 में, कुछ मदों जैसे कि नाम, लिंग, जन्म तिथि एवं स्थान, निवास स्थान और पिता के और माता के नाम को अपडेट किया गया था और आधार, मोबाइल और राशन कार्ड संख्या एकत्रित किए गए थे। जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण आए बदलावों को शामिल करने के लिए, इसे फिर से अपडेट करने की आवश्यकता है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने असम राज्य को छोड़कर पूरे देश में जनगणना 2021 के मकानसूचीकरण चरण के साथ अप्रैल से सितंबर, 2020 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की सुविधानुसार, एनपीआर डाटाबेस को अपडेट करने का निर्णय लिया। हालांकि, कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण, एनपीआर को अपडेट करने का कार्य और अन्य संबंधित फील्ड कार्यों को आगामी निर्णय होने तक स्थगित कर दिया गया है। एनपीआर डेटाबेस को अब डिजिटल रूप से अपडेट किया जाएगा। इसमें स्वयं अपडेट करना शामिल होगा जिसमें वेब पोर्टल पर कुछ प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद निवासियों को अपने स्वयं के डेटा फ़ील्ड को अपडेट करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। असम को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चयनित क्षेत्रों में जनगणना के पूर्व–परीक्षण के साथ एनपीआर अपडेट करने पर पूर्व–परीक्षण किया गया था। प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के जनसांख्यिकीय और अन्य विवरणों को एनपीआर के अपडेशन कार्य के दौरान एकत्रित/अपडेट किया जाना है। अपडेट करने के दौरान कोई दस्तावेज या बायोमेट्रिक एकत्रित नहीं किए जाएंगे।

असम में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) का अपडेट करना:

16.46 माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), असम के लिए शामिल किए गए और शामिल न किए गए व्यक्तियों की अनुपूरक सूची दिनांक 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित की गई है। अंतिम एनआरसी में शामिल होने के लिए कुल 3,11,21,004 व्यक्ति योग्य पाए गए और 19,06,657 व्यक्ति अयोग्य पाए गए।

*****

अध्याय–17

केंद्र–राज्य संबंध और अन्य विविध विषय

17.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, इसकी संवैधानिक इकाइयों के बीच नीतियों और उनके कार्यान्वयन में समन्वय के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना किए जाने की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, दिनांक 28.05.1990 के राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अन्य बातों के साथ–साथ खंड (ख) और (ग) को लागू करने के लिए वर्ष 1990 में अंतर–राज्य परिषद (आईएससी) का गठन किया गया था। तथापि, परिषद को संविधान के अनुच्छेद 263 के खंड (क) में परिकल्पित कर्तव्य अर्थात्, "राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना" नहीं सौंपा गया है।

17.2 अनुच्छेद 263 के तहत खंड (ख) और (ग) के अतिरिक्त, अंतर–राज्य परिषद (आईएससी) को ऐसे विषयों की जांच और उन पर विचार–विमर्श करने का कार्य सौंपा गया है, जिनमें कुछ अथवा सभी राज्यों अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के साझा हित शामिल हैं तथा उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के बीच बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है। यह राज्यों के सामान्य हित के ऐसे अन्य मामलों पर भी विचार–विमर्श करती है, जो परिषद के अध्यक्ष द्वारा उनके समक्ष लाए जाते हैं।

17.3 माननीय प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं। सभी राज्यों और विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल और परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित केन्द्रीय मंत्रिपरिषद से कैबिनेट रैंक के छह मंत्री इस परिषद के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने पर केंद्र सरकार में ऐसे अन्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है, जिनके प्रभार के तहत किसी विषय से संबंधित किसी मद पर चर्चा की जानी हो। आईएससी का पिछला पुनर्गठन दिनांक 19.05.2022 को किया गया था।

17.4 अंतर–राज्य परिषद का सचिवालय आईएससी द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और "की गई कार्रवाई" की रिपोर्ट स्थायी समिति/आईएससी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता है।

अंतर–राज्य परिषद की बैठकें

17.5 अब तक, अंतर–राज्य परिषद (आईएससी) की 11 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। अंतर–राज्य परिषद की 11वीं बैठक दिनांक 16.07.2016 को आयोजित की गई थी। परिषद की बैठकें बंद कमरे में आयोजित की जाती हैं और सभी मामलों, जो परिषद के समक्ष विचारार्थ लाए जाते हैं, पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है तथा सर्वसम्मति के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।

अंतर–राज्य परिषद की स्थायी समिति

17.6 अंतर–राज्य परिषद के विचारार्थ आने वाले मामलों पर सतत परामर्श और कार्रवाई करने के लिए वर्ष 1996 में इस परिषद (आईएससी) की स्थायी समिति का गठन किया गया था। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, जिसमें चार केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और आठ मुख्य मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं।

अंतर–राज्य परिषद (आईएससी) की स्थायी समिति की इसके गठन के समय से लेकर अब तक 13 बैठकें हो चुकी हैं। स्थायी समिति का पिछला पुनर्गठन दिनांक 19.05.2022 को किया गया था।

केंद्र–राज्य संबंधों पर आयोग

17.7 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में केंद्र–राज्य संबंधों पर गठित आयोग ने दिनांक 31.03.2010 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी।

17.8 दिनांक 16.07.2016 को आयोजित अंतर–राज्य परिषद (आईएससी) की 11वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, सभी खंडों में शामिल पुंछी आयोग की सिफारिशों पर स्थायी समिति ने दिनांक 09.04.2017, 25.11.2017 और 25.05.2018 को आयोजित अपनी तीनों बैठकों में विचार किया है। स्थायी समिति की ये सिफारिशें अब विचार के लिए आईएससी के समक्ष रखी जाएंगी।

क्षेत्रीय परिषद सचिवालय

क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका और कार्य

17.9 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पांच क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकायों के रूप में गठित हैं, जिनका गठन अंतर–राज्य एवं क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान करने, संतुलित सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने और सद्भावनापूर्ण केंद्र–राज्य संबंध बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक साझा प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। सदस्य राज्यों के मुख्य मंत्री और दो मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र से दो सदस्य होते हैं। केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी आवश्यकता के आधार पर बैठकों से जुड़े होते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के लिए क्षेत्रीय परिषद की पहली बैठक वर्ष 1957 में आयोजित की गई थी।

17.10 प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने एक स्थायी समिति का गठन किया है, जिसमें संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होते हैं। मुद्दों को निपटाने अथवा क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों के लिए आवश्यक आरंभिक कार्य करने हेतु स्थायी समितियों की बैठकें समय–समय पर आयोजित की जाती हैं। स्थायी समिति के स्तर पर अनसुलझी मदों पर क्षेत्रीय परिषद में विचार–विमर्श किया जाता है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के लिए स्थायी समिति की पहली बैठक वर्ष 1981 में आयोजित की गई थी।

क्षेत्रीय परिषदों और स्थायी समितियों की बैठकें

17.11 क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की बैठकें साल भर आयोजित की जाती हैं और इसके लिए उच्च स्तर पर गहन समन्वय की आवश्यकता होती है। मदों की पहचान करने, कार्यसूची में शामिल करने के लिए उनकी जांच करने, संबंधित राज्यों/केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियां प्राप्त करने, बैठकों के दौरान चर्चा–परिचर्चा और उसके बाद निर्णयों पर की गई कार्रवाई पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सचिवालय को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार संपर्क में रहना होता है। क्षेत्रीय परिषद और स्थायी समिति की प्रत्येक बैठक से पहले सचिवालय द्वारा हितधारक मंत्रालयों/विभागों के साथ कई तैयारी/अनुवर्ती बैठकें आयोजित की जाती हैं। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना के बाद से अब तक इसकी 137 बैठकें हो चुकी हैं। स्थायी समितियों की भी अब तक 74 बैठकें की जा चुकी हैं।

17.12 वर्ष 2023–24 के दौरान निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गई हैं:

(I) **पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक:** पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक दिनांक 28.08.2023 को गांधीनगर, गुजरात में

आयोजित की गई। बैठक में 18 मुद्दों पर चर्चा की गई।

(ii) **उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक:** उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 को अमृतसर, पंजाब में आयोजित की गई। बैठक में 29 मुद्दों पर चर्चा की गई।

(iii) **मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक:** मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक दिनांक 07.10.2023 को नरेंद्र नगर, उत्तराखंड में आयोजित की गई। बैठक में 17 मुद्दों पर चर्चा की गई।

(iv) **पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक:** पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक दिनांक 10.12.2023 को पटना, बिहार में आयोजित की गई। बैठक में 21 मुद्दों पर चर्चा की गई।

(v) **पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति:** पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 13वीं बैठक दिनांक 15.04.2023 को गांधीनगर में आयोजित की गई, जिसमें 39 मुद्दों पर चर्चा की गई।

(vi) **दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति:** दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 13वीं बैठक दिनांक 05.05.2023 को चेन्नई में आयोजित की गई, जिसमें 82 मुद्दों पर चर्चा की गई।

(vii) **पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति:** पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 13वीं बैठक दिनांक 17.06.2023 को पटना में आयोजित की गई, जिसमें 48 मुद्दों पर चर्चा की गई।

17.13 बैठकों के दौरान, क्षेत्र में राज्यों के साथ–साथ एक या एक से अधिक राज्यों और संघ के बीच समान हित के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इन मुद्दों में राष्ट्रीय और साथ ही क्षेत्रीय मुद्दों जैसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और प्रत्येक गांव के 5 किमी के भीतर बैंकों/भारतीय डाक बैंक शाखा का कवरेज, महिलाओं और बच्चों के प्रति यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जांच और शीघ्र निपटान, इस प्रकार के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, ऑनलाइन सखी डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर के साथ पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 सॉफ्टवेयर का एकीकरण, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित मुद्दे, समुद्री मछुआरों के लिए क्यूआर–सक्षम पीवीसी आधार कार्ड जारी करने सहित तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन और मछुआरों से संबंधित मुद्दे, साइबर अपराध की चुनौतियां, हवाई अड्डों, रेलवे, सड़क परियोजनाओं आदि के लिए भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी सहित बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दे, अंतर–राज्यीय नदी जल का बंटवारा, खाद्यान्न के भंडारण और सीएमआर रिकवरी से संबंधित मामले, सामान्य गाद प्रबंधन नीति तैयार करने, राज्यों के बीच सीमा विवाद, देश में दो लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) का गठन आदि से संबंधित मुद्दे शामिल थे। इस वर्ष से, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के निर्देश पर, तीन राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले विषयों अर्थात् आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई), पोषण अभियान के माध्यम से बालिकाओं में कुपोषण को दूर करना और स्कूली बच्चों की ड्रॉप आउट दर आदि पर भी क्षेत्रीय परिषद की बैठकों और उनकी स्थायी समिति की बैठकों में चर्चा की गई है।

17.14 उपरोक्त के अतिरिक्त, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के सुझाव पर, इस वर्ष से, स्थायी समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में शुरू की गई तीन अच्छी पहलों पर प्रस्तुति भी प्रस्तुत की जाती है तथा प्रत्येक सदस्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से चुनी गई एक सर्वश्रेष्ठ पहल को क्षेत्रीय परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

17.15 क्षेत्रीय परिषदों में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में विचार–विमर्श किया जाता है और सहमति बनाने का

प्रयास किया जाता है, जिससे केंद्र–राज्य संबंधों में सौहार्द को बढ़ावा मिलता है, सहकारी संघवाद की भावना पनपती है तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यों के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलती है।

भाग II: अन्य विविध मुद्दे

पुरस्कार एवं अलंकरण

भारत रत्न पुरस्कार

17.16 वर्ष 1954 में शुरू किया गया, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में की गई असाधारण सेवा/सर्वोत्कृष्ट स्तर के निष्पादन के लिए सम्मान स्वरूप दिया जाता है। अब तक, 53 विभूतियों को यह अलंकरण प्रदान किया गया है।

भारत सरकार द्वारा भारत रत्न अलंकरण की घोषणा दिनांक 23.01.2024, 03.02.2024 और 09.02.2024 को की गई थी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 30.03.2024 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक अलंकरण समारोह में श्री कर्पूरी ठाकूर (मरणोपरांत), श्री चौधरी चरण सिंह (मरणोपरांत), श्री पी.वी. नरसिम्हा राव (मरणोपरांत), डॉ. माओंकोम्बु सांबशिवन स्वामीनाथन (मरणोपरांत) को प्रदान किए गए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न अलंकरण श्री लाल किशिनचंद आडवाणी को उनके आवास पर दिनांक 31.03.2024 को प्रदान किया गया।

पद्म पुरस्कार

17.17 पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों, नामतः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न विधाओं/कार्यक्षेत्रों यथा कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा और अन्य कार्यों के लिए दिए जाते हैं। पद्म विभूषण अलंकरण किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है; पद्म भूषण उच्च श्रेणी की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री किसी भी कार्यक्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है।

17.18 वर्ष 2016 से पहले, पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन ऑफलाइन माध्यम अर्थात हार्ड कॉपी द्वारा प्राप्त किए जाते थे। आम नागरिक के लिए नामांकन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से, वर्ष 2016 से पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया के कारण प्राप्त नामांकनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2015 में प्राप्त 2,311 नामांकनों के मुकाबले, वर्ष 2023 में पदम पुरस्कार–2024 के लिए 62,865 नामांकन प्राप्त हुए हैं।

17.19 सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, उत्कृष्ट संस्थानों और भारत रत्न/पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों से भी प्रतिवर्ष पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त, विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, गैर–सरकारी व्यक्तियों, संगठनों आदि से स्वयं उनकी ओर से भी अनेक सिफारिशें प्राप्त होती हैं।

17.20 इन सभी सिफारिशों को विचारार्थ पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती हैं और ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं।

17.21 भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 22.03.2023 और 05.04.2023 को आयोजित दो अलंकरण समारोहों में वर्ष 2023 के लिए 106 पुरस्कार प्रदान किए हैं, जिसमें 03 संयुक्त पुरस्कार (संयुक्त पुरस्कार को एक ही पुरस्कार के रूप में गिना जाता है) शामिल हैं। इस सूची

में 06 पद्म विभूषण, 09 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्ति शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं थीं और सूची में विदेशियों/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई की श्रेणी का 01 व्यक्ति और मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले 08 व्यक्ति भी शामिल थे। वर्ष 2024 के लिए, भारत के राष्ट्रपति ने 132 पुरस्कार देने को मंजूरी दी है, जिसमें 02 संयुक्त पुरस्कार (संयुक्त पुरस्कार को एक ही पुरस्कार के रूप में गिना जाता है) शामिल हैं। इस सूची में 05 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्म श्री पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्ति शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 30 महिलाएं हैं और सूची में विदेशियों/ एनआरआई/ पीआईओ/ ओसीआई की श्रेणी के 08 व्यक्ति और मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले 10 व्यक्ति भी शामिल हैं।

वीरता पुरस्कार

17.22 रक्षा मंत्रालय की देखरेख में अशोक चक्र श्रृंखला के वीरता पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दो बार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं। इस संबंध में सिविलियन नागरिकों से संबंधित सिफारिशों पर गृह मंत्रालय में कार्रवाई की जाती है।

17.23 स्वतंत्रता दिवस, 2022 (02 कीर्ति चक्र और 04 शौर्य चक्र) और गणतंत्र दिवस, 2023 (04 कीर्ति चक्र और 03 शौर्य चक्र) पर घोषित पुरस्कारों के अलंकरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 09.05.2023 को आयोजित एक रक्षा अलकंरण समारोह में प्रदान किए गए। इस समारोह में कुल 13 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए थे। भारत के राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस, 2023 के अवसर पर, सिविलियन नागरिकों के लिए 06 वीरता पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिनमें 04 कीर्ति चक्र और 02 शौर्य चक्र शामिल हैं तथा भारत के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस, 2024 के अवसर पर सिविलियन नागरिकों के लिए 05 शौर्य चक्र पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी है।

जीवन रक्षा पदक पुरस्कार

17.24 जीवन रक्षा पदक श्रेणी के पुरस्कार वर्ष 1961 में शुरू किए गए थे। जैसा कि पुरस्कार के नाम से ही प्रतीत होता है, यह पुरस्कार किसी व्यक्ति की जान बचाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है।

17.25 ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं, नामतः सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, जो जान बचाने वाले व्यक्ति को अपने जीवन को अत्यधिक गंभीर खतरा होने की परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए; उत्तम जीवन रक्षा पदक, जो जान बचाने वाले व्यक्ति को अपने जीवन को गंभीर खतरा होने की परिस्थितियों में साहस एवं तत्परता के लिए; और जीवन रक्षा पदक, जो जान बचाने वाले व्यक्ति को स्वयं गम्भीर रूप से घायल होने की परिस्थितियों में साहस और तत्परता के लिए, किसी व्यक्ति को डूबने, आग, दुर्घटना, बिजली का झटका लगने, भूस्खलन, पशु आक्रमण इत्यादि से जान बचाने के कृत्य या मानवीय प्रकृति के कृत्यों में दिया जाता है।

17.26 इन पुरस्कारों के लिए नामांकन समस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से प्रत्येक वर्ष आमंत्रित किए जाते हैं। इन पर एक पुरस्कार समिति द्वारा विचार किया जाता है। पुरस्कार समिति की सिफारिशों को प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। वर्ष 2022 से जीवन रक्षक पदकों के लिए नामांकन केंद्रीकृत पोर्टल अर्थात awards.gov.in के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड में मंगाए जा रहे हैं।

17.27 इन पुरस्कारों के विजेताओं को पदक और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र दिया जाता है। ये अलंकरण, विजेताओं से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा संबद्ध मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रदान किए जाते हैं। विजेताओं को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 2,00,000/–रुपये, उत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 1,50,000/– रुपये और जीवन रक्षा पदक के लिए 1,00,000/– रुपये की दर से एकमुश्त धनराशि भी दी जाती है।

17.28 वर्ष 2022 के लिए, कुल 43 पुरस्कार प्रदान किए गए थे, जिनमें 07 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 08 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 28 जीवन रक्षा पदक शामिल थे। भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2023 के लिए कुल 31 पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिनमें 03 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 07 उत्तम जीवन रक्षा पदक एवं 21 जीवन रक्षा पदक शामिल हैं।

सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार

17.29 भारत सरकार ने वर्ष 2019 में इसकी शुरूआत की है, जो भारत की एकता और अखंडता के लिए योगदान देने के क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने तथा एक मजबूत एवं एकजुट भारत के मूल्य को सशक्त करने के लिए भारत के नागरिकों/संस्थानों/संगठनों द्वारा किए गए उल्लेखनीय एवं प्रेरणादायक योगदान को सम्मान देना है।

सतर्कता तंत्र

17.30 गृह मंत्रालय (मुख्य) के सतर्कता तंत्र के प्रमुख संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी हैं, जो मंत्रालय के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में कार्य करते हैं। मंत्रालय (मुख्य) में मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यों में एक निदेशक/उप सचिव, एक अवर सचिव और दो अनुभाग अधिकारियों एवं सहायक कर्मचारियों वाले एक सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा उनकी सहायता की जाती है।

17.31 गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन प्रत्येक संगठन में अलग से सतर्कता प्रभाग है। इन सतर्कता प्रभागों के प्रमुख अपेक्षाकृत वरिष्ठ स्तर के अधिकारी होते हैं, जो संगठनों के संबंधित प्रमुखों को सहायता प्रदान करते हैं। मंत्रालय का मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), केंद्रीय सतर्कता आयोग का सहयोगी होने के नाते, केंद्रीय सतर्कता आयोग और मंत्रालय एवं इसके अधीन संगठनों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है।

17.32 गृह मंत्रालय में अनुशासनात्मक/सर्तकता गतिविधियों के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ, मुख्य रूप से जिम्मेदार है, जिसमें मंत्रालय में पदस्थापित अधिकारियों की वार्षिक प्रोपर्टी रिटर्न, वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट इत्यादि के रखरखाव से संबंधित मामले शामिल हैं। यह प्रकोष्ठ मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ संगठनों के साथ "सत्यनिष्ठा" से जुड़े मामलों समेत सतर्कता गतिविधियों का समन्वय भी करता है, ताकि मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों में अनुशासन, कार्यकुशलता और सत्यनिष्ठा बनाई रखी जा सके। सतर्कता तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, गृह मंत्रालय ने व्यापक रूप से निम्नलिखित उपाय किए हैं:–

(क) प्रभाग प्रमुखों के साथ निरंतर तालमेल बनाए रखा जाता है, ताकि इन प्रभागों में कार्यरत अधिकारियों की गतिविधियों पर गहन निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

(ख) सतर्कता तंत्र को मजबूत करने के लिए, जहां भी लागू हो, सीवीसी के साथ परामर्श से संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों में अंशकालिक सीवीओ नियमित रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

(ग) 'संवेदनशील' पदों पर पदस्थापित अधिकारियों को नियमित आधार पर रोटेट किया जाता है। मंत्रालय के अधीन संगठनों द्वारा भी ऐसे ही प्रयास किए जाते हैं।

(घ) संवेदनशील काम करने वाले अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों के संबंध में, आसूचना एजेंसियों के माध्यम से 'सकारात्मक जांच (पोजिटिव वैटिंग)' कराई जाती है।

(ङ) 'संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों' की सूचियां और 'सहमति सूची' रखी जाती है। संबंधित संगठनों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ विचार–विमर्श कर उनकी आवधिक समीक्षा की जाती है।

(च) मंत्रालय के अधीन संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों के सतर्कता अधिकारियों

के साथ नियमित बैठकों के माध्यम से 'सत्यनिष्ठा' से संबंधित मामलों पर निगरानी रखी जाती है। इस संबंध में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को एक मासिक रिपोर्ट भी भेजी जाती है।

(छ) मंत्रालय में शिकायतों, रिपोर्टों, आंतरिक जांच इत्यादि के तहत सृजित होने वाले सतर्कता/अनुशासनात्मक मामलों को उपयुक्त प्राथमिकता प्रदान की जाती है और जहां भी आवश्यक होता है, दोषी अधिकारियों के खिलाफ मामले उनके संवर्ग प्राधिकारियों को संबंधित सेवा नियमों के तहत कार्रवाई किए जाने हेतु भेजे जाते हैं। इसी प्रकार, जिन मामलों में मंत्रालय कार्रवाई करने के लिए स्वयं सक्षम है, उनमें सरकार द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त ध्यान दिया जाता है।

17.33 दिनांक 30.10.2023 से 05.11.2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के अनुसार, गृह मंत्रालय के कर्मचारियों को दिनांक 30.10.2023 को "सत्यनिष्ठा की शपथ" दिलाई गई और मंत्रालय में दिनांक 01.11.2023 को भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। भ्रष्टाचार–रोधी नारों को दर्शाते हुए, विभिन्न स्थानों पर बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे। मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी सतर्कता जागरूक सप्ताह मनाया गया। इसके अलावा, "अनुशासनात्मक कार्रवाई" किए जाने से संबंधित विभिन्न मामलों पर एक "पैनल चर्चा" सीवीसी में दिनांक 02.11.2023 को आयोजित की गई, जिसमें गृह मंत्रालय में अपर सचिव (पुलिस–II) और संयुक्त सचिव (सीआईसी) एवं गृह मंत्रालय के सीवीओ ने भाग लिया तथा अपर सचिव (पुलिस–II) ने "सीवीसी अधिनियम, 2023 के सामंजस्यपूर्ण निर्माण और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कार्मिकों को शासित करने वाले अधिनियमों/नियमों के साथ आयोग के दिशानिर्देश" विषय पर एक प्रस्तुति दी।

17.34 वर्ष 2023–24 के दौरान गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों में निपटाए गए सर्तकता और अनुशासन संबंधी मामले तालिकाबद्ध रूप से **अनुलग्नक–XXII** में संलग्न हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

17.35 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत, सूचना का अधिकार (आरटीआई) से संबंधित कार्य का समन्वय करने के लिए गृह मंत्रालय में एक नोडल आरटीआई अनुभाग स्थापित किया गया था। यह अनुभाग आवेदनों का संग्रहण और वितरण करता है तथा आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने से संबंधित इन आवेदनों को विषय से संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकारियों को भेजता है। साथ ही आरटीआई अनुभाग केन्द्रीय सूचना आयोग को आरटीआई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति और निपटान संबंधी तिमाही विवरणियां प्रस्तुत करता है।

(क) मंत्रालय के पदाधिकारियों और उनके कार्यों आदि के ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.gov.in) के आरटीआई पोर्टल पर डाले गए हैं, जैसा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1) के तहत अपेक्षित है।

(ख) इस अधिनियम की धारा 5(1) के तहत अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक स्तर के सभी अधिकारियों को उनके द्वारा निपटाए जा रहे विषयों के संबंध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में पदनामित किया गया है।

(ग) इस अधिनियम की धारा 19 (1) के अनुसार संयुक्त/अपर सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया है।

(घ) आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनों की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए, मंत्रालय के सभी चार भवनों नामतः नॉर्थ ब्लॉक,

एनडीसीसी–II भवन, एमडीसी नेशनल स्टेडियम और जैसलमेर हाउस के स्वागत कक्ष में आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। आरटीआई अनुभाग द्वारा इस प्रकार प्राप्त आवेदनों को आगे संबंधित सीपीआईओ/लोक प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

(ङ) वर्ष 2023–24 के दौरान अर्थात दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक, 11,809 आरटीआई आवेदन और 1,102 प्रथम अपीलें ऑनलाइन प्राप्त हुईं; तथा 3,387 आरटीआई आवेदन और 278 प्रथम अपीलें मैन्यूअली/ऑफलाइन मोड में प्राप्त हुईं। इनका तत्परता से निपटान किया गया और आवेदकों को सूचना देने के लिए इन्हें संबंधित सीपीआईओ/लोक प्राधिकारियों को हस्तांतरित/अग्रेषित किया गया।

(च) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.04.2013 के का.ज्ञा. सं. 1/5/2011–आईआर के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के पैरा 1.4.1 के अनुसार, यह मंत्रालय आरटीआई के सभी आवेदनों, अपीलों तथा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारियों के उत्तरों आदि को नियमित रूप से अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है।

सचिवालय सुरक्षा संगठन

17.36 गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के अन्तर्गत आने वाले सरकारी भवनों की सुरक्षा करने के लिए सचिवालय सुरक्षा संगठन (एसएसओ) नोडल एजेंसी है। इस समय गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर में आने वाले ऐसे 73 भवन हैं, जिनमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कार्यालय कार्य कर रहे हैं। ये भवन दिल्ली में लगभग 16 किमी. की परिधि में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं।

17.37 गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के तहत आने वाले सरकारी भवनों तक पहुंच का नियंत्रण कार्य, स्वागत संगठन के माध्यम से एसएसओ द्वारा किया जाता है। स्वागत संगठन में 166 कर्मचारी हैं, जो 52 सरकारी भवनों में स्थित 69 स्वागत कार्यालयों में कार्यरत हैं। इन भवनों में आगंतुकों के प्रवेश को विभिन्न स्वागत कार्यालयों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, जहां इन कार्यालयों से आगंतुक पास जारी किए जाते हैं और उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। आगंतुक पास पूर्व–निर्धारित स्तर के अधिकारियों से यह पुष्टि करने के बाद ही जारी किए जाते हैं, कि आगंतुक को प्रवेश की अनुमति दी जानी है या नहीं।

17.38 सचिवालय सुरक्षा संगठन (एसएसओ) का दायित्व गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर वाले भवनों की सुरक्षा और उनमें प्रवेश नियंत्रण से संबंधित नीतियां बनाना है और उनका कार्यान्वयन करना है। वर्तमान में, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) के सुरक्षा कार्मिक सरकारी भवन की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं। सरकारी भवनों के वर्गीकरण के आधार पर सीआईएसएफ अथवा एसएसएफ के सुरक्षा कार्मिकों को इन भवनों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है।

17.39 विशेष रूप से, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक प्रभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी भवनों की सशस्त्र सुरक्षा हेतु सीआईएसएफ में "सरकारी भवन सुरक्षा" (जीबीएस) यूनिट नामक एक समर्पित यूनिट बनाई गई है। सीआईएसएफ की यह जीबीएस श्रेणी 'ए' (अति संवदेनशील) और 'बी' (संवेदनशील) श्रेणी के सरकारी भवनों की सुरक्षा की देखभाल करती है और उसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गये हैंः–

क) **प्रवेश नियंत्रण** – यह सुनिश्चित करना कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति, वाहन या सामग्री को सरकारी भवनों और उनके परिसरों में प्रवेश की अनुमति न दी जाए। केवल गृह मंत्रालय द्वारा जारी वैध पहचान–पत्र धारक प्रामाणिक व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, वैध अस्थायी/दैनिक आगन्तुक पास धारकों को प्रवेश की अनुमति उनके

बैगों/ब्रीफकेसों आदि की जांच सहित उनकी जांच–पड़ताल/तलाशी के बाद ही दी जाती है।

ख) **आतंकवाद–रोधी उपाय** – ये बल मुख्य रूप से भवनों में आतंकवाद–रोधी उपाय करने के लिए उत्तरदायी हैं।

ग) **बलपूर्वक प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण** – इन भवनों में किसी भी बलपूर्वक प्रवेश/ सशस्त्र आक्रमण के प्रयास को रोकना/उनका सामना करना और ऐसे बलपूर्वक प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण के खिलाफ प्रथम कार्रवाईकर्त्ता के रूप में प्रभावी कार्रवाई करना।

घ) **बिना आज्ञा प्रवेश** – भवन में किसी भी प्रकार के बिना आज्ञा के प्रवेश को रोकना, उसका पता लगाना और उसे निष्प्रभावी करना।

ङ) **निकास नियंत्रण**– भवन से सरकारी सम्पत्ति की चोरी रोकना।

17.40 सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) गृह मंत्रालय का 1,654 कार्मिकों की स्वीकृत संख्या वाला असैनिक निःशस्त्र बल है, जिसका गठन विशेष रूप से सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए किया गया है। वर्तमान में, एसएसएफ गृह मंत्रालय की सुरक्षा कवर वाले 'सी' श्रेणी (कम संवेदनशील) के सरकारी भवनों की सुरक्षा कर रहा है।

राजभाषा

गृह मंत्रालय में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

17.41 गृह मंत्रालय का राजभाषा अनुभाग, राजभाषा अधिनियम 1963 (वर्ष 1967 में यथा संशोधित), राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (वर्ष 1987 में यथा संशोधित) के प्रावधानों और समय–समय पर इस विषय पर जारी अन्य प्रशासनिक अनुदेशों को कार्यान्वित करने में सहायता प्रदान करता है तथा इस मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करता है और साथ ही गृह मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों एवं अनुभागों से प्राप्त सामग्री/दस्तावेजों का अनुवाद उपलब्ध कराता है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

17.42 संयुक्त सचिव (सीआईसी) की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है और सभी उप सचिव/निदेशक इस समिति के सदस्य हैं। सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की इन बैठकों में समीक्षा की जाती है और कमियों, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए उपाय सुझाए जाते हैं। समिति की बैठक हर तिमाही में आयोजित की जाती है।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन

17.43 राजभाषा अधिनियम, 1963 (वर्ष 1967 में यथा संशोधित) की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाता है और इस धारा के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाते हैं। हिन्दी में प्राप्त अथवा हस्ताक्षरित सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिये जाते हैं। 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कार्यालयों तथा आम जनता के साथ हिन्दी में पत्राचार को बढ़ाने के सतत प्रयास किए जाते हैं।

राजभाषा निरीक्षण

17.44 वर्ष (2023–2024) के दौरान हिंदी के प्रयोग की स्थिति का आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय के हिंदी अनुभाग के सलाहकार (सेवानिवृत्त निदेशक), सहायक निदेशकों और अनुवाद अधिकारियों ने गृह मंत्रालय के अधीन कुल 581 कार्यालयों में से 69 अधीनस्थ कार्यालयों का हिंदी भाषायी निरीक्षण किया है। राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान 25% कार्यालयों का निरीक्षण निर्धारित किया गया है।

हिन्दी पखवाड़ा –2022

17.45 मंत्रालय में दिनांक 16.09.2023 से 30.09.2023 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान, 09 हिंदी प्रतियोगिताओं और 02 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें मंत्रालय के हिंदी–भाषी एवं हिंदीतर भाषा–भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में कुल 62 प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार मिले।

हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण

17.46 गृह मंत्रालय में कनिष्ठ सचिवालय सहायकों के कुल 39 स्वीकृत पदों में से वर्तमान में 35 कनिष्ठ सचिवालय सहायक तैनात हैं और वर्तमान में उनमें से 20 हिंदी टंकण में प्रशिक्षित हैं। साथ ही, वरिष्ठ सचिवालय सहायक के कुल 98 स्वीकृत पदों में से, वर्तमान में 56 वरिष्ठ सचिवालय सहायक तैनात हैं और वर्तमान में उनमें से 03 हिंदी टंकण में प्रशिक्षित हैं। इनके अलावा, सहायक अनुभाग अधिकारियों के स्वीकृत 359 पदों में से वर्तमान में 316 सहायक अनुभाग अधिकारी तैनात हैं और उनमें से 15 हिंदी टाइपिंग में प्रशिक्षित हैं। इसी प्रकार, आशुलिपिक/निजी सहायक/निजी सचिव के कुल 152 स्वीकृत पदों में से वर्तमान में 141 आशुलिपिक/निजी सहायक/निजी सचिव तैनात हैं और उनमें से 38 हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित हैं।

हिंदी कार्यशाला

17.47 मंत्रालय के अधिकारियों को अपना सरकारी काम हिन्दी में करने के लिए प्रेरित करने तथा मूल रूप से हिन्दी में टिप्पणी लिखने और प्रारूप तैयार करने का प्रयास करने के लिए 26 और 27 सितम्बर, 2023 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में मंत्रालय के 31 अधिकारियों और 27 कर्मचारियों ने भाग लिया।

दिनांक 26 एवं 27 सितम्बर, 2023 को कंठस्थ–2.0 तथा हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

हिन्दी सलाहकार समिति

17.48 हिंदी सलाहकार समिति की पिछली बैठक दिनांक 20.10.2021 को आयोजित की गई थी।

हिंदी टिप्पण और प्रारूप लेखन के लिए नकद पुरस्कार प्रोत्साहन योजना

17.49 गृह मंत्रालय में कर्मचारियों को अपना सरकारी कार्य मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु "हिंदी टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रोत्साहन योजना" वर्ष 2023–24 के दौरान लागू की गई थी, जिसमें 10 कर्मचारियों की प्रविष्टियां प्राप्त हुईं थी। मूल्यांकन के बाद, 02 कर्मचारियों को पाँच–पाँच हजार रुपये का प्रथम पुरस्कार, 03 कर्मचारियों को तीन–तीन हजार रुपये का द्वितीय पुरस्कार और 05 कर्मचारियों को दो–दो हजार रुपये का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

हिंदी टिप्पण/प्रारूपण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

17.50 जनवरी–मार्च, 2023 के दौरान गृह मंत्रालय में कुल 116 अनुभाग अधिकारियों और 154 सहायक अनुभाग अधिकारियों को हिंदी में टिप्पण/प्रारूपण का प्रशिक्षण देने के लिए 9 प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

विभागीय लेखा संगठन (डीएओ)

17.51 गृह मंत्रालय के विभागीय लेखा संगठन का प्रमुख प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्रिंसिपल सीसीए) होता है और मुख्य लेखा नियंत्रक, लेखा नियंत्रक, उप–लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक/सहायक निदेशक (ए/सी), वरिष्ठ लेखा अधिकारी उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्रिंसिपल सीसीए) मंत्रालय के मुख्य लेखा प्राधिकारी (सचिव) के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रिंसिपल सीसीए, अपर सचिव (एफए) और सचिव के माध्यम से गृह मंत्रालय के बजट (11 अनुदानों) को तैयार करने और

प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी होता है। डीएओ के अंतर्गत प्रधान लेखा कार्यालय तथा आयुष्मान भारत के तहत सीएपीएफ के चिकित्सा बिलों के कैशलेस, पेपरलेस भुगतान के लिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत हाल ही में गठित पीएओ (आयुष्मान) समेत 52 वेतन एवं लेखा कार्यालय निहित हैं। इसके अलावा, देश में विभिन्न स्थानों पर 26 आंतरिक लेखापरीक्षा दल तैनात हैं।

17.52 डीएओ, गृह मंत्रालय के अधीन सीएपीएफ और अन्य संगठनों के 10.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के वेतन एवं व्यक्तिगत दावों सहित सभी बिलों के भुगतान, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के निपटान, लगभग 4.5 लाख कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों के रखरखाव तथा लगभग 6,50,000 खाताधारकों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। डीएओ, मासिक और वार्षिक खातों जैसे कि मंत्रालय के विनियोजन और वित्त खातों को तैयार करने एवं समेकन करने और इन्हें महालेखा नियंत्रक को प्रस्तुत के लिए भी उत्तरदायी होता है। डीएओ अपने अधिकतर कार्य पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) नामक एक वेब आधारित प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए एक कंप्यूटरीकृत परिवेश में कार्य करता है।

17.53 इसके अतिरिक्त, डीएओ मंत्रालय की विभिन्न व्यय इकाइयों/डीडीओ (लगभग 2,400) और स्कीमों/ कार्यक्रमों की आंतरिक लेखा–परीक्षा करता है। डीएओ के आंतरिक लेखा–परीक्षा स्कंध (आईएडब्ल्यू) को इस मंत्रालय और इसके सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों का आंतरिक ऑडिट करने और गृह मंत्रालय को महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। आंतरिक लेखा–परीक्षा स्कंध ने गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित होने वाली विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों जैसे कि, पुलिस बल का आधुनिकीकरण (एमओपीएफ), सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई), सीमा क्षेत्र विकास परियोजना (बीएडीपी), राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी) इत्यादि की योजनागत लेखा–परीक्षा करना शुरू किया है। अनुपालन लेखा–परीक्षा गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों को कवर करता है। जहां तक अनुपालन लेखा–परीक्षा का संबंध है, आंतरिक लेखा–परीक्षा स्कंध सीएपीएफ, सीपीओ और गृह मंत्रालय के संगठनों के 1,800 से अधिक यूनिटों की लेखा–परीक्षा के लिए उत्तरादायी है।

17.54 दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान, आंतरिक लेखा–परीक्षा स्कंध द्वारा निम्नलिखित लेखा–परीक्षाएं की गईं:

(i) **सिविक एक्शन प्रोग्राम (सीएपी)**– वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में 04 सीएपीएफ (अर्थात् बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी) से संबंधित कुल 04 लेखा–परीक्षा की गई है।

(ii) **सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई)**– सुरक्षा संबंधी व्यय की लेखा–परीक्षा अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है, कुल 33 एसआरई लेखा–परीक्षा की गई हैं।

(iii) **पुलिस बल के आधुनिकीकरण (एमओपीएफ) स्कीम के तहत पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता (एएसयूएमपी)**– वार्षिक/अर्धवार्षिक आधार पर 26 लेखा–परीक्षा की गई हैं।

(iv) **आतंकवाद/सांप्रदायिकता/वामपंथी उग्रवाद और सीमा–पार से गोलीबारी तथा भारतीय क्षेत्र में सुरंग/आईईडी विस्फोट से सिविलियन पीड़ितों/पीड़ितों के परिवारों की सहायता**– वर्ष के दौरान इस स्कीम के तहत कोई भी लेखा परीक्षा नहीं की गई है, क्योंकि गृह मंत्रालय के संबंधित प्रभाग से लेखा परीक्षा करने के लिए कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ।

(v) **विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस)** – एसआईएस स्कीम के तहत 20 लेखा–परीक्षा की गई हैं।

17.55 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) संसद में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट के माध्यम से लेखापरीक्षा पैराग्राफ तैयार करता है जिसके लिए मंत्रालय द्वारा "की गई कार्रवाई नोट" तैयार किए जाने की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा पैराग्राफों को समय पर निपटाने के लिए, मंत्रालय की स्थायी लेखापरीक्षा समिति द्वारा इनकी लम्बित होने की स्थिति पर नजर रखी जाती है। लेखापरीक्षा पैराग्राफों की प्राप्ति और निपटान एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। दिनांक 01.01.2023 की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय में 18 लेखापरीक्षा पैराग्राफ लंबित थे। दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान, 02 नए पैराग्राफ प्राप्त हुए, जिससे कुल संख्या बढ़कर 20 हो गई। इस अवधि के दौरान, 20 में से 17 पैराग्राफों का निपटारा किया गया, जिससे दिनांक 31.03.2024 की स्थितिनुसार 03 पैराग्राफ शेष रह गए हैं।

17.56 दिनांक 31.12.2022 की स्थितिनुसार, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी संगठनों के संबंध में बकाया निरीक्षण पैराग्राफों की संख्या 7,115 थी। दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान प्राप्त और निपटाए गए निरीक्षण पैराग्राफों की कुल संख्या क्रमशः 3,288 और 2,081 थी। इस प्रकार, दिनांक 31.03.2024 के अनुसार बकाया निरीक्षण पैराग्राफों की संख्या 8,322 है। प्रत्येक संगठन के संबंध में स्थिति **अनुलग्नक–XXIII** में दी गई है।

17.57 गृह मंत्रालय की पिछली वार्षिक रिपोर्टों में शामिल महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर "की गई कार्रवाई नोट" (एटीएन) की स्थिति अनुलग्नक दृग्प्ट में दर्शाई गई है।

17.58 **आईटी पहलें**

- दिल्ली पुलिस में कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।
- बिलों और व्यक्तिगत दावों के भुगतान, पेंशन मामलों के निपटान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों और खातों के समेकन के लिए पीएफएमएस का कार्यान्वयन।
- बिल पास करते समय सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने के लिए ई–बिल प्रणाली और फिडो (एफआईडीओ) उपकरणों का कार्यान्वयन।
- मंत्रालय के गैर–सीएपीएफ कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए पीएफएमएस के "कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस)" मॉड्यूल का कार्यान्वयन।
- कार्यालय प्रमुखों से पेंशन मामलों की ऑनलाइन प्राप्ति के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के भविष्य पोर्टल का कार्यान्वयन।
- डिजिटल मोड में जीपीएफ ब्रॉडशीट के रखरखाव के लिए सीजीए कार्यालय के कॉम्पैक्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग।
- व्यय और लेखा की निगरानी के लिए लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के ऑनलाइन ई–लेखा प्लेटफार्म का उपयोग।
- मंत्रालय की गैर–कर रिसीटों की ऑनलाइन प्राप्तियों के लिए "नॉन टैक्स रिसीट पोर्टल (एनटीआरपी)" का कार्यान्वयन।
- कार्यान्वयन एजेंसियों के निधि प्रवाह (फंड फ्लो) की दक्षता बढ़ाने और सरकार के नकदी प्रबंधन में सुधार करने की दृष्टि से केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधियों को जारी करने के लिए केंद्रीय नोडल खाता (सीएनए) मॉड्यूल का कार्यान्वयन।
- राज्यों को जारी की गई निधियों की उपलब्धता और उपयोग की बेहतर निगरानी करने और फ्लोट को कम करने की दृष्टि से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत निधियों को जारी करने के लिए एकल नोडल खाता (एसएनए) मॉड्यूल का कार्यान्वयन।

- "जस्ट–इन–टाइम" तरीके से सरकारी अनुदानों को किए जाने और पीएसयू के पास अप्रयुक्त अनुदानों को जमा होने से बचाने के उद्देश्य से स्वायत्त निकायों के लिए "ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए)" प्रणाली का कार्यान्वयन।

- आयुष्मान भारत के तहत सीएपीएफ के चिकित्सा बिलों के कैशलेस, पेपरलेस, फेसलेस भुगतान के लिए आयुष्मान भारत के कार्यान्वयन ने पेपरलेस बिल के नवीनतम नवाचार का लाभ उठाने में सुविधा प्रदान की है। बिलों पर कार्रवाई करने का समय अंतराल काफी हद तक कम हो गया है और इसने भुगतान किए जाने तक सभी स्तरों पर निधियों की आसान ट्रैकिंग को बढ़ावा भी दिया है।

बजट

17.59 वर्ष 2023–24 के लिए संशोधित अनुमान (आरई) और वर्ष 2024–25 के लिए बजट अनुमान (बीई) के प्रावधान के संदर्भ में वास्तविक बजट उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपये में)

अनुदान संख्या	संशोधित अनुमान वर्ष 2023-24	वास्तविक	संशोधित अनुमान के संबंध में %	बजट अनुमान वर्ष 2024-25
49-गृह मंत्रालय	5,120.78	5,046.85	98.55	5,733.51
50-कैबिनेट	1,803.01	1,067.25	59.19	1,248.91
51-पुलिस	1,27,751.70	1,25,914.95	98.56	1,33,387.76

महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण

17.60 गृह मंत्रालय की पीड़ित महिला कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली शिकायतों का निवारण करने के लिए एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। इस समिति में छह सदस्य हैं, जिसमें समिति के अध्यक्ष और स्वतंत्र सदस्य के रूप में यंग वूमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन (वाईडब्ल्यूसीए) की एक सदस्य और गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस समिति का गठन दिनांक 03.10.2023 को किया गया था। वर्ष 2023–24 के दौरान अब तक, पुनर्गठित शिकायत निवारण समिति को किसी भी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

17.61 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों और पूर्व सैनिकों से संबंधित सेवा संबंधी मामलों के लिए, निदेशक स्तर के एक अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। साथ ही, अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित मामलों के संबंध में संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए निदेशक स्तर के एक पृथक अधिकारी को नामित किया गया है।

17.62 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में, मंत्रालय में कार्यरत अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के लिए कार्यस्थल पर एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति बनाई गई है।

दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ

(क) केन्द्र सरकार ने बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती में 4% आरक्षण निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 17.08.2022 और 28.12.2023 के का. ज्ञा. सं. 36012/1/2020–स्था. (आरईएस–II) के अनुसार दिनांक 17.08.2022 से पदोन्नति में 4% आरक्षण का प्रावधान किया है और इस लाभ को, अन्य शर्तें पूरी होने पर, –'ए' श्रेणी के पदों के सबसे निचले रैंक तक दिनांक 30.06.2016 से 16.05.2022 तक कल्पित (नोशनल) आधार पर दिया गया है।

(ख) दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय (मुख्य) में 16 नेत्रहीन, 05 बधिर और 16 शारीरिक रूप से दिव्यांग और 02 सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति कार्यरत हैं।

(ग) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 07.07.2017 के का.ज्ञा.सं 21/05/2017–ई.II(बी) के अनुसार, दिव्यांग कर्मचारियों को परिवहन भत्ते का सामान्य दर से दोगुना भुगतान किया जाता है।

जेंडर बजटिंग

17.63 गृह मंत्रालय में महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए की गई पहल का ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में स्पष्ट किया गया हैः

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)

17.64 वर्तमान में, सीआईएसएफ की विभिन्न रिजर्व बटालियनों में 07 परिवार कल्याण केंद्र उपलब्ध हैं। इनका विवरण निम्नानुसार हैंः

- द्वितीय रिज़र्व बटालियन, रांची
- तृतीय रिज़र्व बटालियन, भिलाई
- चतुर्थ रिज़र्व बटालियन, शिवगंगाई
- पंचम रिज़र्व बटालियन, गाजियाबाद
- षष्टम रिज़र्व बटालियन, गोवा (निर्माणाधीन)
- अष्टम रिज़र्व बटालियन, जयपुर
- दशम रिज़र्व बटालियन, बेंगलुरु

17.65 इसके अलावा, एनआईएसए/एफएसटीआई सहित सीआईएसएफ के प्रशिक्षण केंद्रों (07) में भी परिवार कल्याण केंद्र हैं।

17.66 आरटीसी अरक्कोणम में 96 महिलाओं की क्षमता वाला एक उप–अधिकारी महिला हॉस्टल तथा डीएमआरसी दिल्ली में 304 महिलाओं की क्षमता वाले दो बैरक उपलब्ध हैं।

17.67 उपर्युक्त के अलावा, सीआईएसएफ के सभी प्रशिक्षण केंद्रों/रिज़र्व बटालियनों/ स्थापनाओं में विशेष रूप से महिला कार्मिकों के उपयोग के लिए अलग मेस/बैरकों का प्रावधान है।

भावी प्रस्ताव

17.68 सीआईएसएफ ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में महिला कार्मिकों की तैनाती को ध्यान में रखते हुए सीआईएसएफ की आगामी परियोजनाओं में कतिपय प्रावधानों जैसे कि सामान्य महिला कक्ष, पृथक प्रसाधन, अस्पताल में अलग वार्ड इत्यादि को शामिल किया है। इन्हें 05 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26) के लिए पुलिस अवसंरचना की केंद्रीय क्षेत्र योजना में शामिल किया गया है। इनका विवरण निम्नानुसार हैंः

निम्नलिखित स्थानों पर 03 परिवार कल्याण केंद्र स्थापित किए जाने हैं :

- 9वीं रिज़र्व बटालियन, गुवाहाटी
- 11वीं रिज़र्व बटालियन, नासिक
- 12वीं रिज़र्व बटालियन, सीहोर

17.69 विभिन्न स्थलों पर बनाए जाने वाले बैरेक/सुरक्षा बल (एसओ) हॉस्टल के विभिन्न प्रस्ताव निम्नानुसार हैंः

1	सीआईएसएफ मैदान गढ़ी	8	11वीं रिज़र्व बटालियन नासिक
2	डीएमआरसी दिल्ली	9	12वीं रिज़र्व बटालियन सीहोर
3	आरटीसी भिलाई	10	एसएसजी ग्रेटर नोएडा
4	आरटीसी बहरोड़	11	सीएस मुख्यालय, भिलाई
5	एनआईएसए हैदराबाद	12	एपीएस-II मुख्यालय, बेंगलुरु

6	चौथी रिज़र्व बटालियन शिवगंगाई	13	एनज़ेड-II मुख्यालय, जम्मू
7	9वीं रिज़र्व बटालियन गुवाहाटी		

नोटः बैरकों का उपयोग सीआईएसएफ कर्मियों द्वारा किया जाएगा और तैनात नफरी के अनुसार महिला कर्मचारियों को समायोजित करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

17.70 महिला बैरकों (निर्माणाधीन) की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	स्थान	कार्य	स्थिति/टिप्पणी
1	डीएमआरसी दिल्ली	जसोला विहार में 100 महिला कर्मियों के लिए बैरेक का निर्माण	i) सीआईएसएफ यूनिट डीएमआरसी दिल्ली से प्राप्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, लोकेशन से सूचना मिली है कि "जहां महिला बैरेक का निर्माण प्रस्तावित था, उस भूमि के एक बड़े हिस्से पर अतिक्रमण के कारण उल्लिखित स्थान पर महिला बैरक का निर्माण नहीं किया जा सका।" वैकल्पिक स्थल की तलाश की जा रही है।
		द्वारका मेट्रो स्टेशन पर 86 महिला कार्मिकों के लिए बैरेक का निर्माण	ii) द्वारका मेट्रो स्टेशन पर 86 महिला कार्मिकों के लिए 1.80 करोड़ रुपये की लागत से बैरक का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और 40% कार्य पूरा हो चुका है।

17.71 विभिन्न समूहों में काम करने वाली महिलाओं की कुल संख्या इस प्रकार हैः

समूह 'क'	समूह 'ख'	समूह 'ग'	कुल
91	1,486	8,979	10,556

17.72 सीआईएसएफ के संबंध में वर्ष 2023–24 और 2024–25 के दौरान विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं और उनके लिए किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैंः

(करोड़ रुपये में)

स्कीम का विवरण	बजट अनुमान वर्ष 2023-24	दिनांक 31.03.2024 तक व्यय	संशोधित अनुमान वर्ष 2023-24 (प्रस्तावित)	बजट अनुमान वर्ष 2024-25 (प्रस्तावित)
क्रेच सुविधा (ओआरई)	0.30	0.30	0.30	0.30

आज की स्थिति के अनुसार, सीआईएसएफ में 16 क्रेच चल रहे हैं।

17.73 महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए सीआईएसएफ में दो स्तरों पर शिकायत समिति का गठन किया गया है अर्थात निदेशालय में केंद्रीय समिति और कार्यस्थल पर सेक्टर स्तर की समिति।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)

17.74 भारत सरकार ने वर्ष 1985 में, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की पहली महिला बटालियन को अनुमोदन प्रदान किया था। आज की तिथि के अनुसार, सरकार द्वारा ऐसी छह बटालियनों (88वीं बटालियन, 135वीं बटालियन, 213वीं बटालियन, 232वीं बटालियन, 233वीं बटालियन और 240वीं बटालियन) को अनुमोदन प्रदान किया गया है। ऑपरेशनल महिला बटालियनें क्रमशः दिल्ली, गांधीनगर (गुजरात), नागपुर (महाराष्ट्र), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और बेंगलुरू

(कनार्टक) में तैनात हैं। इसके अतिरिक्त, महिला कर्मचारियों को ग्रुप सेंटरों, त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) और 241वीं बटालियन (बस्त्रिया बटालियन) में तैनात किया जाता है और वे अन्य लिपिकीय तथा प्रशासनिक कार्यों के साथ–साथ पुलिस व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में अपने पुरुष सहकर्मियों की सक्रिय रूप से सहायता कर रही हैं। ये महिला बटालियनें देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के सीआरपीएफ के प्रयास में प्रभावी रूप से योगदान कर रही हैं।

17.75 दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नानुसार हैः–

समूह-क	**समूह-ख**	**समूह-ग**	**कुल**
509	1,098	8,199	9,806

17.76 महिला कर्मचारियों का अनुमानित वार्षिक वेतन लगभग 1,060.78 करोड़ रुपये है, जो बजट अनुमान के कुल आबंटन का 3.26% है।

क. जीबीएस के भाग 'क' में महिला–विशिष्ट योजनाएं/कार्यक्रम (सीआरपीएफ–केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के डे केयर सेंटर, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, स्वास्थ्य और पोषण देखभाल केंद्र आदि जैसी योजनाएं) :–

(i) महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू सभी विशेषाधिकार और मौजूदा सुविधाएं सीआरपीएफ में तैनात महिलाओं को भी दी जा रही हैं। उपरोक्त के अलावा, सीआरपीएफ के 47 स्थायी स्थानों पर "क्रेच" सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और संबंधित कार्यालयों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। बल की सीआरपीएफ महिला कर्मचारियों के बच्चों को बेहतर देखभाल प्रदान करने के लिए, "क्रेच" के रखरखाव के लिए सीआरपीएफ को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 48 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

(ii) महिला बटालियनों को उनके कल्याण/अन्य गतिविधियों के लिए एनडब्ल्यूजी और एसडब्ल्यूजी से निम्नलिखित धनराशि प्रदान की गई है।

यूनिट	**एनडब्ल्यूजी (वर्ष 2020-21)**	**एसडब्ल्यूजी (वर्ष2022-23)**
88 बटालियन	40,000 रुपये	2,18,000 रुपये
135 बटालियन	40,000 रुपये	2,18,000 रुपये
213 बटालियन	40,000 रुपये	2,18,000 रुपये
232 बटालियन	40,000 रुपये	2,18,000 रुपये
233 बटालियन	40,000 रुपये	2,18,000 रुपये
240 बटालियन	40,000 रुपये	2,18,000 रुपये

(iii) सीआरपीएफ में महिला कर्मियों हेतु वित्त वर्ष 2024–25 के लिए निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाएं चलाने की योजना प्रस्तावित हैः–

क) महिलाओं की तैनाती वाले शेष स्थानों पर और अधिक क्रेच सेंटर खोलना।

ख) कुल 20 से अधिक महिलाओं की तैनाती वाले स्थानों अर्थात सभी 06 महिला बटालियनों और 15 त्वरित कार्रवाई बल बटालियनों में डे केयर सेंटर खोलना।

(iv) वित्त वर्ष 2024–25 के बजट में, 1 करोड़ रुपये की राशि की मांग की गई है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, कामकाजी महिलाओं के कल्याण के लिए खोले जाने वाले मौजूदा क्रेच और डे केयर सेंटरों के सुचारू संचालन के लिए इस धनराशि का उपयोग किया जाएगाः–

क्र.सं.	विवरण
1.	मौजूदा क्रेच के लिए
2.	आरएएफ/महिला बटालियन में 17 नए क्रेच खोलने के लिए
3.	15 आरएएफ बटालियनों में डे केयर सेंटरों के लिए

(v) भारत सरकार/गृह मंत्रालय ने दिनांक 05.01.2016 के अपने आईडी सं. 45015/16/2015–पर्स. I के माध्यम से कांस्टेबल स्तर पर 33% तक आरक्षण प्रदान करके सीएपीएफ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु दिशा–निर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, दिनांक 30.12.2020 को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार, सीआरपीएफ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वर्ष 2027 तक 3.17% से बढ़ाकर 6.72% करने के लिए, कांस्टेबल (जीडी) की कुल रिक्तियों पर महिला कर्मियों की भर्ती करने की एक कार्य योजना दिनांक 08.08.2021 को गृह मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है। हालांकि, निर्णय का इंतजार है। महिलाओं के लिए कांस्टेबल स्तर पर 33% पदों का आरक्षण प्राप्त होने पर महिला कर्मियों के लिए वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान विशिष्ट भर्ती अभियान की योजना तुरंत तैयार की जाएगी।

17.77 महिला कार्यबल द्वारा सहज रूप से अपनी ड्यूटी के निर्वहन के लिए, सीआरपीएफ ने विश्राम कक्ष, मनोरंजन कक्ष, सचल प्रसाधन कक्ष, चेंजिंग कक्ष, क्रेच सुविधा आदि जैसी अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। फील्ड में तैनाती के दौरान भी, महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए यूनिट वाहनों में पृथक प्रसाधन कक्ष बनाए जा रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पैंट, शर्ट और बेल्ट आदि पहनने से छूट प्रदान की गई है।

17.78 सभी स्तरों पर महिला कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्य भी नियमित अंतराल पर किया जा रहा है। नियमित विचार–विमर्श और सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। फील्ड अधिकारी अपनी कमान के तहत, महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके स्वास्थ्य की गहन निगरानी कर रहे हैं।

17.79 जम्मू और कश्मीर और उत्तर–पूर्व में क्रमशः दिनांक 03.10.2023 और 05.10.2023 को महिला बाइक रैली का आयोजन किया गया। इसके अलावा, सीआरपीएफ महिला पाइप बैंड ने कावरिया (गुजरात) में दिनांक 31.10.2023 को आयोजित एकता दिवस की पूर्व संध्या में भाग लिया है।

ख. योजनाएं/कार्यक्रम (केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण योजना IV) :–

महिला कर्मचारियों के अलावा, बल अपने कर्मियों के परिवारों के कल्याण के लिए भी प्रयास कर रहा है। सीआरपीएफ ने विशेष रूप से परिवार की महिला सदस्यों के लिए सिलाई, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थों के उत्पादन आदि जैसी गतिविधियों के माध्यम से नए कौशल सीखने और उनकी पारिवारिक आय में वृद्धि के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परिवार कल्याण केंद्र का निर्माण किया है और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों की निगरानी के लिए पहले ही सेक्टर लेवल पर समितियों का गठन किया है, जिसका कार्यान्वयन समस्त बल स्तर पर किया गया है। महिला कर्मचारियों और बल कार्मिकों के परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए निम्नलिखित विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं:–

i) महिला छात्रावास।

ii) विशेष रूप से महिलाओं हेतु शारीरिक गतिविधियां।

iii) महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्यूजिक

सिस्टम और टीवी आदि का प्रावधान।

iv) व्यायामशाला एवं अन्य सुविधाएं आदि।

v) सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आया की सुविधा सहित डे केयर सेंटर/क्रेच।

vi) विशेष रूप से महिलाओं को अतिरिक्त कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें कढ़ाई मशीनें मुहैया कराना।

vii) वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रशासनिक ब्लॉक, बाउंड्री वॉल, क्वार्टर गार्ड, 213 (एम) बटालियन की 180 पुरुषों की क्षमता वाली 02 बैरकों और जीओ मेस के निर्माण के लिए 5 साल की एमटीईएफ अर्थात वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक कुल 60.63 करोड़ रुपये की लागत से योजना बनाई गई है।

17.80 सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2023–24 के लिए क्रेच सुविधाओं के संचालन हेतु 48.00 लाख रुपये प्रदान किए हैं और इसका उपयोग निम्नानुसार किया गया है:–

(लाख रुपये में)

मदों/स्कीमों/गतिविधियों के नाम (स्कीम का विवरण)	**बजट अनुमान वर्ष 2023-24**	**वास्तविक व्यय दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक**	**वर्ष 2023-24 के दौरान कुल व्यय**
क्रेच सुविधाएं	48.00	48.00	48.00

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)

17.81 सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में विभिन्न समूहों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:

समूह-क	**समूह-ख**	**समूह-ग**	**कुल**
61	127	3,860	4,048

17.82 क्रेच सुविधाओं के संचालन के लिए वास्तविक आवंटन का आंकड़ा और दिनांक 31.03.2024 तक हुए व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

मद/स्कीम/गतिविधि का नाम	**वास्तविक दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक**
वस्तु शीर्ष 49 के अंतर्गत बाल बजट/जेंडर बजट - अन्य राजस्व व्यय (क्रेच) सुविधा	26.00

17.83 वर्तमान में, एसएसबी के विभिन्न स्थानों पर सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आया की व्यवस्था सहित 29 क्रेच सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

17.84 एसएसबी की महिला कर्मियों के साथ–साथ सेवारत अधिकारियों/कर्मियों की पत्नियों के कल्याण के लिए प्रत्येक यूनिट में "संदीक्षा" नाम से कल्याण केंद्र भी चल रहा है।

17.85 महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

17.86 बटालियन और बीओपी में, जहां महिला

कर्मचारी तैनात हैं, वहां बैरक जैसी अलग आवास, शौचालय सह स्नानघर की व्यवस्था की गई है।

17.87 महिला कर्मियों को सैनिटरी वेंडिंग मशीन के साथ–साथ सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल मशीन भी प्रदान की गई है।

17.88 चीन के हांगझोउ में दिनांक 23.09.2023 से 08.10.2023 तक आयोजित एशियाई खेल–2023 में 35 किलोमीटर वॉक रेस और सेपक टाकरॉ (रेगु टीम इवेंट) में पदक जीतने वाली एसएसबी की 04 (चार) महिला कांस्टेबलों (जीडी) को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएण्डटी) के दिनांक 26.07.2012 के कार्यालय ज्ञापन एफ संख्या 14034/1/2012–स्था.(डी) में प्रसारित दिशा– निर्देशों के अनुसार हेड कांस्टेबल (जीडी) के पद पर बिना बारी से (आउट ऑफ टर्न) पदोन्नति प्रदान की गई है।

भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी)

17.89 आईटीबीपी, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत "हिमवीर वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (एचडब्ल्यूडब्ल्यूए)" नामक एक पंजीकृत वेलफेयर सोसायटी चला रहा है। आईटीबीपी में संचालित हिमवीर वाइव्स वेलफेयर एसोसियेशन का मुख्यालय दिल्ली में है और विभिन्न बटालियनों तथा प्रशिक्षण केंद्रों में इसके उप–कार्यालय हैं, जहाँ आईटीबीपी कर्मियों के परिवारों की सक्रिय भागीदारी के साथ विविध कल्याणकारी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इन केंद्रों में ये परिवार आईटीबीपी जवानों के लिए ऊनी वस्त्रों की बुनाई, होजरी के सामान, जैम/जूस तैयार करने और वर्दी के सामान बनाने का काम करते हैं। ये गतिविधियां न केवल आईटीबीपी कर्मियों के परिवारों की आय को बढ़ाने में मदद करती हैं, बल्कि सभी रैंकों पर बल के सदस्यों और उनके परिवारों के बीच सामंजस्य भी विकसित करती हैं। एचडब्ल्यूडब्ल्यूए की आय के स्रोत स्वैच्छिक दान, अनुदान और संगठनों एवं व्यक्तियों के योगदान और एचडब्ल्यूडब्ल्यूए द्वारा आयोजित प्रदर्शनी (मेला), बिक्री आउटलेट्स आदि से प्राप्त बिक्री आय आदि हैं। एचडब्ल्यूडब्ल्यूए की सभी आय का उपयोग केवल परिवारों के कल्याण के लिए और आईटीबीपीएफ कर्मियों के बच्चों के लिए उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।

17.90 भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की महिला कर्मचारियों के विशेष लाभ के लिए निम्नलिखित स्कीमें चलाई जा रही हैं:–

(i) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की सभी सेवारत महिलाओं को 02 कमांड मुख्यालयों, 05 फ्रंटियर मुख्यालयों, 01 प्रशिक्षण जोन, 15 सेक्टर मुख्यालयों, 60 यूनिटों (बटालियन मुख्यालयों), 05 अस्पतालों, 04 एनडीआरएफ यूनिटों, 01 सीआरओ, 01 एफएचक्यूआर, 17 प्रशिक्षण केंद्रों और एलएंडसी एसएचक्यू के 04 विशिष्ट बटालियनों में रहने के लिए प्रसाधन, रसोई घर एवं डाइनिंग हाल युक्त पृथक महिला बैरक उपलब्ध कराई गई है।

(ii) प्रतियोगिता दर्पण, स्पोर्ट स्टार, फेमिना, रीडर डाइजेस्ट, गृह शोभा, इंडिया टुडे, आउटलुक, मेरी सहेली, फ्रंट लाइन, नेशनल जियोग्राफी, फोर्स, ओपन सोर्स और द इकोनॉमिस्ट जैसी महिला केंद्रित पत्रिकाएं और जर्नल पुस्तकालय तथा सामान्य स्टाफ रूम में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(iii) महिलाओं को शारीरिक व्यायाम आदि के लिए जिम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(iv) महिला बैरकों और डाइनिंग हालों में महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम, टी वी और डीवीडी आदि का प्रावधान किया जा रहा है।

(v) सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आया सहित डे केयर सेंटर/क्रेच उपलब्ध हैं। सेवारत महिला कर्मचारियों की सहायता के लिए निम्नलिखित स्थानों पर कुल 12 क्रेच/डे केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं।

बल का नाम	स्थान		क्रेच/डे केयर केंद्रों की संख्या
आईटीबीपी	1	एसएचक्यू (डीडीएन), पोस्ट-सीमाद्वार, जिला देहरादून (उत्तराखंड)	आईटीबीपी में कुल 12 क्रेच/डे केयर केंद्र उपलब्ध हैं
	2	आईटीबीपी अकादमी, पोस्ट-मसूरी, जिला देहरादून (उत्तराखंड)	
	3	एम एंड एसआई औली, पोस्ट- जोशीमठ, जिला चमोली (उत्तराखंड)	
	4	टीपीटी बटालियन-पोस्ट- एयरपोर्ट, चंडीगढ़ (यूटी)	
	5	11वीं बटालियन, पेगोंग (सिक्किम), 56 एपीओ	
	6	12वीं बटालियन, पोस्ट-मतली, जिला- उत्तरकाशी (उत्तराखंड)	
	7	50वीं बटालियन- रामगढ़, जिला- पंचकुला (हरियाणा)	
	8	एसएचक्यू (बरेली), अब तीसरी बटालियन, पोस्ट- बुखारा कैंप, जिला बरेली (यूपी) पिन कोड 243001	
	9	35वीं बटालियन, पोस्ट- महिदंडा, जिला- उत्तरकाशी (उत्तराखंड) पिन कोड 249195	
	10	55वीं बटालियन, रंगामती, तेजपुर (असम)	
	11	28वीं बटालियन, रेवाड़ी, हरियाणा	
	12	36वीं बटालियन, लोहाघाट, उत्तराखंड	

(vi) विशेष रूप से महिलाओं को कढ़ाई एवं सिलाई मशीनें प्रदान की गई हैं, ताकि वे अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें।

17.91 महिलाओं को पृथक विश्राम कक्ष और सचल प्रसाधन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तैनाती के दौरान, महिलाओं को यूनिट वाहनों में भी पृथक प्रसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भावस्था के दौरान पैंट, शर्ट और वेब बेल्ट पहनने से छूट प्रदान की गई है। महिला कार्मिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त स्तर पर समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्य भी किया जा रहा है और महिलाओं को उनके महिला अधिकारों के बारे में अवगत कराया जाता है। साक्षात्कार, रोल कॉल और सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से नियमित विचार–विमर्श करने के अतिरिक्त, फील्ड अधिकारी अपने कमान के अधीन महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नजर रखते हैं। महिला अधिकारियों और जवानों के यौन–उत्पीड़न के मामलों के निपटान के लिए एक समिति गठित की गई है।

17.92 प्रत्येक समूह क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:–

समूह - क	समूह - ख	समूह - ग	समूह - घ	कुल
134	271	3,090	शून्य	3,495

17.93 वर्ष 2023–24 के दौरान, आईटीबीपी के संबंध में विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों के नाम और उनमें से प्रत्येक के लिए किया गया बजट प्रावधान निम्नानुसार हैः–

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	मद/स्कीम/गतिविधि का नाम	बजट अनुमान वर्ष 2023-24	संशोधित अनुमान वर्ष 2023-24	दिनांक 31.03.2024 तक व्यय	वर्ष 2023-24 के दौरान कुल व्यय
1.	क्रेच सुविधाएं (अन्य राजस्व व्यय)	0.07	0.05	0.05	0.05

17.94 **सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)**

(i) जेंडर बजटिंग" पर सूचना प्रस्तुत करने का प्रारूप महिलाओं के लिए 100% प्रावधान

(करोड़ रुपये में)

स्कीम का विवरण	बजट अनुमान वर्ष 2023-24	संशोधित अनुमान वर्ष 2023-24	बजट अनुमान वर्ष 2024-25
भारत-पाक सीमा और भारत-बांग्लादेश सीमा पर 356 कंपनी स्तरीय सीमा चौकियों पर 08 बिस्तरों वाली महिला बैरकों का निर्माण।	20.00	20.00	128.00
भारत-पाक सीमा और भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा चौकियों (बीओपी) और ओपी प्वाइंटों पर "महिला प्रहरियों" के लिए अलग स्नानघर और शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना।	10.00	10.00	27.65
कुल	**30.00**	**30.00**	**155.65**

नोटः महिला प्रहरियों के लिए 40 बिस्तरों वाले बैरक को 1,688.25 करोड़ रुपये की लागत से "विभिन्न बीएसएफ परिसरों में गैर–आवासीय भवन के निर्माण" की उप–योजना में शामिल किया गया है और इसे सीसीएस द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(ii) बीएसएफ में विभिन्न समूहों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार हैः–

समूह - क	समूह - ख	समूह - ग	कुल
163	522	10,406	11,091

(iii) वर्ष 2023–24 के दौरान, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के संबंध में, विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्कीम और उनके लिए किये गये प्रावधान निम्नानुसार हैंः–

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	स्कीम का विवरण	बजट अनुमान वर्ष 2023-24	वास्तविक व्यय दिनांक 01.04.23 से 31.03.2024 तक	बजट अनुमान वर्ष 2024-25
1	क्रेच सुविधाएं	1.00	0.96	1.00

17.95 सभी स्तरों पर महिला कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्य भी नियमित अंतराल पर किया जा रहा है। नियमित विचार–विमर्श और सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है। फील्ड अधिकारी अपनी कमान के तहत महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके स्वास्थ्य की गहन निगरानी कर रहे हैं। महिला कर्मचारियों के अलावा, यह बल अपने कर्मियों के परिवारों के कल्याण के लिए भी प्रयास कर रहा है। बल ने विशेष रूप से परिवार के महिला सदस्यों के लिए परिवार कल्याण केंद्र का निर्माण किया है ताकि उन्हें नए कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके तथा सिलाई, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थों के उत्पादन आदि गतिविधियों के माध्यम से उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाया जा सके तथा महिलाओं के यौन उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों की निगरानी के लिए सेक्टर स्तर पर भी समितियां बनाई गई है, जिन्हें सभी स्तर पर लागू किया जाता है।

असम राइफल्स

17.96 बल में रायफलवुमेन को वर्ष 2015–16 में शामिल किया गया था। तब से बल ने राइफलवुमेन के लिए समान अवसर और जेंडर विशिष्ट अपेक्षित सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सचेत रूप से प्रयास किए हैं।

17.97 बल में स्वीकृत 2,430 पदों की तुलना में राइफलवुमेन (सामान्य ड्यूटी) की वर्तमान संख्या 1,544 है। 600 राइफलवुमेन की भर्ती प्रक्रियाधीन है। बल द्वारा 20 अतिरिक्त सहायक ट्रेडों में भी राइफलवुमेन की भर्ती की जा रही है।

17.98 दूरस्थ स्थानों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिक सहकर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बल की राइफलवुमेन के लिए राइफलवुमेन की तैनाती यूनिटों/मुख्यालय में बल्क पोस्टिंग के रूप में की जाती हैं। पोस्टिंग के आदेश रायफलवुमेन की उम्र के प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं। राइफलवुमेन की घरेलू आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जीवनसाथी की पोस्टिंग, अनुकंपा आधार पोस्टिंग और अंतिम पोस्टिंग के लिए एसओपी बनाए गए हैं।

17.99 एनडीआरएफ जैसे अन्य बलों में तैनाती, संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनाती और यहां तक कि जम्मू–कश्मीर में तैनाती के दौरान असम राइफल्स इकाइयों में तैनाती देकर योग्य राइफलवुमेन को पर्याप्त एक्सपोजर देते हुए उनके लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

17.100 वर्ष 2019 में गणतंत्र दिवस परेड में राइफलवुमेन ने केवल महिलाओं की एक टुकड़ी के रूप में भाग लेकर हमें गौरवान्वित किया है। आगामी गणतंत्र दिवस परेड में, राइफलवुमेन और राइफलमैन किस प्रकार सामंजस्यपूर्ण समान अवसरों और जिम्मेदारियों के साथ मिलकर काम करते हैं, असम राइफल्स यह दर्शाने वाली राइफलवुमेन और राइफलमैन की एक संयुक्त टुकड़ी को यह मौका देगी।

17.101 राइफलवुमेन को खेल कोटा सहित नामांकन और पदोन्नति में समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीईई) के माध्यम से ग्रुप "ए" पदों के लिए प्रशिक्षण एवं कोचिंग भी सुनिश्चित की जाती है। अनुकंपा आधार पर होने वाली भर्ती रैली के माध्यम से बहादुर–जवानों की पत्नियों की भर्ती का भी प्रावधान किया गया है।

17.102 बल ने रायफलवुमेन को अलग शौचालय, आवास, क्रेच की व्यवस्था और महिला डॉक्टरों की व्यवस्था जैसी जेंडर विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करके उनके कार्य करने की दशाओं में सुधार किया है। स्कूल जाने वाले बच्चों/छोटे बच्चों, वृद्ध माता–पिता आदि की दृष्टि से रायफलवुमेन की स्थिति पर विचार करते हुए उनकी ड्यूटी का समय निर्धारित किया गया है, जिससे वे घरेलू तनाव से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। सिंगल राइफलवुमेन के लिए अत्यंत निजता सुनिश्चित करते हुए, उनके लिए सभी सुविधाओं के साथ अलग आवास की योजना बनाई गई

है। ये आवास मनोरंजन और खेल सुविधाओं से सुसज्जित होते हैं। हर बैरक में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसीनरेटर लगाए गए हैं।

17.103 विशाखा दिशा–निर्देशों के आधार पर, प्रत्येक मुख्यालय में रायफलवुमेन की शिकायत निवारण के लिए समितियों का गठन किया गया है।

17.104 बल की रायफलवुमेन को पृथक आवास प्रदान करने हेतु निधि व्यय/योजना का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	**मदों/स्कीमों/गतिविधियों, जैसा भी मामला हो, का नाम**	**वास्तविक व्यय दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 तक**	**प्रस्तावित व्यय दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक के दौरान**	**कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24**	**टिप्पणी**
(i)	अंब्रेला स्कीम	6.24	0.00	6.24	काम पूरा हो गया है
(ii)	असम राइफल्स के विभिन्न स्थानों पर राइफलवुमेन के लिए नई अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण	0.00	69.91	69.91	i. प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया गया। ii. परामर्शदाता द्वारा आरेख (ड्राइंग) तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
(iii)	कमांड यूनिटों के अंतर्गत समेत कोहिमा मुख्यालय आईजीएआर (एन) के अंतर्गत काशीरबस्ती - मुख्यालय 6 सेक्टर, चिसवेमा - 5 सेक्टर, तुएनसांग - 7 सेक्टर, जोरहाट, - 25 सेक्टर में आवासीय भवनों की नई अवसंरचना का निर्माण।	0.00	41.50	41.50	गृह मंत्रालय के मूल्यांकन की प्रतीक्षा है।
(iv)	कमांड यूनिटों के अंतर्गत समेत मंत्रिपुखरी - मुख्यालय आईजीएआर (एस) के अंतर्गत कीथेलमनबी - मुख्यालय 9 सेक्टर, सोमसाई - मुख्यालय 10 सेक्टर, पल्लेल - मुख्यालय 26 सेक्टर, सीसी पुर - मुख्यालय 27 सेक्टर, काकचिंग- मुख्यालय 27 सेक्टर, काकचिंग- मुख्यालय 28 सेक्टर में आवासीय भवनों की नई अवसंरचना का निर्माण।	0.00	20.46	20.46	प्रशासनिक अनुमोदन जारी करने का कार्य प्रगति पर है।

*****

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I
[संदर्भ पैरा 1.2]

गृह मंत्रालय

वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक) के दौरान गृह मंत्रालय में पदों पर रहे/पदस्थ मंत्री, सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव	
श्री अमित शाह	गृह मंत्री
श्री नित्यानंद राय श्री अजय कुमार मिश्रा श्री निशिथ प्रामाणिक	राज्य मंत्री
श्री अजय कुमार भल्ला	गृह सचिव
श्री अटल डुल्लु (दिनांक 29.11.2023 तक) श्री राज कुमार गोयल (दिनांक 12.02.2024 से)	सचिव (सीमा प्रबंधन)
सुश्री शिवगामी सुन्दरी नंदा	विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा)
श्री श्रीराम तरणिकांति (दिनांक 12.09.2023 तक)	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
श्री प्रवीण वशिष्ठ श्री चंद्राकर भारती (दिनांक 19.02.2024 तक) श्री श्यामल मिश्र श्री राकेश कुमार सिंह श्री हितेश कुमार एस मकवाना (दिनांक 13.11.2023 तक) श्री संजीव कुमार जिंदल (दिनांक 09.01.2024 से)	अपर सचिव
श्रीमती सहेली घोष रॉय श्री श्रीप्रकाश श्री आशुतोष अग्निहोत्री श्री आशीष कुमार श्री बी.सी. जोशी श्री ए.के. सरण श्री अनिल सुब्रमण्यम श्री जी. पार्थसारथी श्री लोखंडे प्रशांत सीताराम सुश्री पौसुमी बसु (दिनांक 19.07.2023 से) श्री संजीव सहगल (दिनांक 22.11.2023 तक) श्री सी.जी. रजनीकांतन (दिनांक 08.11.2023 तक) श्री सुमंत सिंह (दिनांक 14.09.2023 तक) श्री सुनील कुमार वर्णवाल (दिनांक 19.06.2023 तक)	संयुक्त सचिव
सुश्री टी.सी.ए. कल्याणी	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक
श्री अरविंद कुमार	मुख्य लेखा नियंत्रक

अनुलग्नक -II
[संदर्भ पैरा 1.2]

गृह मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट (दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार)

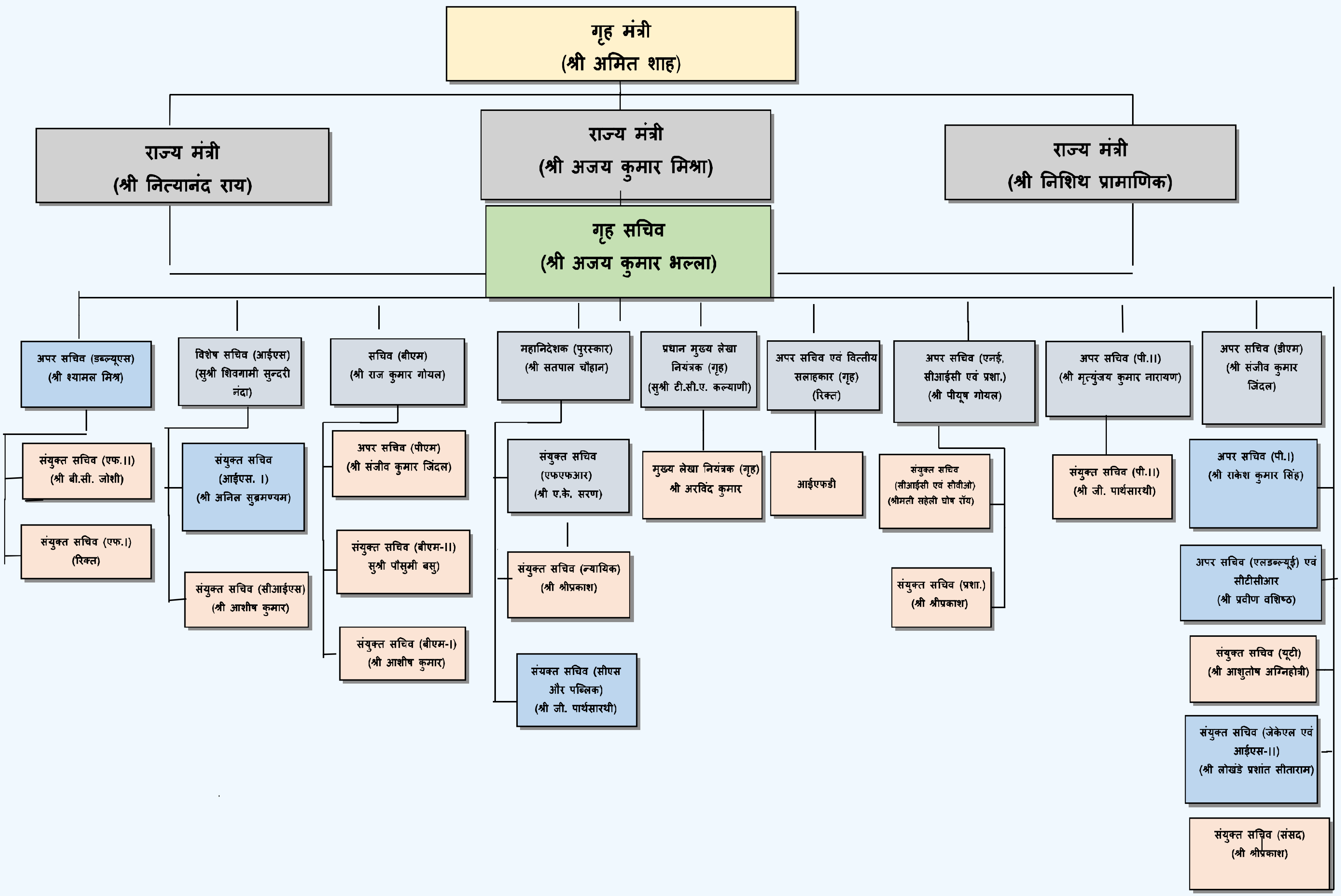

अनुलग्नक - III
[संदर्भ पैरा 2.38]

विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत "विधिविरूद्ध संगम" और/अथवा "आतंकवादी संगठनों" के रूप में घोषित पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवादी/विद्रोही संगठनों की सूची

समूह का नाम		**के रूप में सूचीबद्ध/घोषित**
असम		
(i)	यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)	आतंकवादी संगठन और विधिविरूद्ध एसोसिएशन
(ii)	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी)	-तदैव-
(iii)	कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (केएलओ)	आतंकवादी संगठन
मणिपुर		
(i)	पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और इसका राजनैतिक दल रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आरपीएफ)	आतंकवादी संगठन और विधिविरूद्ध एसोसिएशन (इन चार समूहों के संबद्ध दल यथा आरपीएफ, एमपीए, रेड आर्मी यूएपीए की प्रथम अनुसूची में आतंकवादी संगठन के रूप में सूचिबद्ध नहीं हैं)
(ii)	यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसका सशस्त्र दल मणिपुर पीपल्स आर्मी (एमपीए)	
(iii)	पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लीपाक (पीआरईपीएके) और इसका सशस्त्र दल रेड आर्मी	
(iv)	कांग्लीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और इसका सशस्त्र दल, जिसे रेड आर्मी भी कहा जाता है	
(v)	कांग्ली याओल कनबा लुप (केवाईकेएल)	आतंकवादी संगठन और विधिविरूद्ध एसोसिएशन
(vi)	कोऑर्डिनेशन कमेटी (कोर-कॉम)	विधिविरूद्ध एसोसिएशन
(vii)	अलाएंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांग्लीपाक (एएसयूके)	- तदैव-
(viii)	मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एमपीएलएफ)	आतंकवादी संगठन
मेघालय		
(i)	हयनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी)	विधिविरूद्ध एसोसिएशन
(ii)	गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जीएनएलए)	आतंकवादी संगठन
त्रिपुरा		
(i)	ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ)	आतंकवादी संगठन और विधिविरूद्ध एसोसिएशन
(ii)	नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी)	- तदैव-
नागालैंड		
(i)	नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन/के]	आतंकवादी संगठन और विधिविरूद्ध एसोसिएशन

[संदर्भ पैरा 2.41]

वर्ष 2015-16 से 2023-24 तक सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

जारी की गई निधियां	असम	नागालैंड	मणिपुर	त्रिपुरा	मेघालय	अरूणाचल प्रदेश	कुल
2015-16	140.07	67.61	45.78	12.98	12.63	0.93	**280.00**
2016-17	148.70	61.48	31.86	36.62	9.19	12.15	**300.00**
2017-18	287.74	13.16	34.02	21.82	16.19	32.07	**405.00**
2018-19	137.05	42.34	32.35	9.05	11.74	17.48	**250.00**
2019-20	210.86	12.82	34.26	39.22	9.69	13.15	**320.00**
2020-21	65.43	41.82	39.50	8.70	4.88	24.92	**185.25**
2021-22	251.07	58.79	74.66	32.20	14.40	12.60	**443.72**
2022-23	109.16	22.82	23.65	18.85	6.45	100.57	**281.50**
2023-24	266.16	39.76	121.20	38.87	15.94	18.07	**500.00**

अनुलग्नक- V
[संदर्भ पैरा 2.43]

वर्ष 2015-16 से 2023-24 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात सीएपीएफ/सेना को सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत आवंटित/जारी की गई निधि का विवरण

(लाख रुपये में)

संगठन	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
बीएसएफ	150.00	150.00	150.00	300.00	400.00	350.00	395.00	300.00	451.07
सीआरपीएफ	150.00	150.00	150.00	250.00	270.00	300.00	345.00	250.00	361.67
आईटीबीपी	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	80.00	50.00	71.99
एसएसबी	70.00	70.00	70.00	140.00	150.00	150.00	185.00	155.00	100.11
असम राइफल्स	350.00	350.00	550.00	330.00	350.00	350.00	445.00	445.00	211.19
सेना	180.00	180.00	180.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
कुल	**1000.00**	**1000.00**	**1200.00**	**1200.00**	**1300.00**	**1300.00**	**1500.00**	**1250.00**	1246.03

*आंकड़ों का मिलान किया जा रहा है।

अनुलग्नक- VI
[संदर्भ पैरा 2.44]

वर्ष 2015-16 से 2023-24 तक पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाओं पर हुए व्यय/जारी की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	व्यय/जारी की गई निधि
2015-16	76.45
2016-17	86.00
2017-18	86.00
2018-19	90.00
2019-20	100.00
2020-21	72.50
2021-22	100.00
2022-23	100.00
2023-24	88.00

अनुलग्नक-VII
[संदर्भ पैरा 2.48]

वर्ष 2014 से 2024 (दिनांक 31.03.2024 तक) की राज्य-वार सुरक्षा स्थिति

अरुणाचल प्रदेश

वर्ष	घटनाएं	मारे गए विद्रोही	गिरफ्तार किए गए विद्रोही	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोही	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	33	9	86	-	2	7	-	46	49
2015	36	5	55	3	1	3	1	17	33
2016	50	7	59	2	-	4	2	49	25
2017	61	9	44	-	3	3	1	43	27
2018	37	12	69	2	1	2	-	60	17
2019	36	2	106	2	12	2	-	44	34
2020	21	7	72	2	-	15	9	37	21
2021	26	7	70	1	-	69	15	44	17
2022	24	1	40	-	2	52	7	10	31
2023	13	2	25	1	2	42	26	18	17
2024 (दिनांक 31.03.2024 तक)	1	-	12	-	-	1	-	6	3

असम

वर्ष	घटनाएं	मारे गए विद्रोही	गिरफ्तार किए गए विद्रोही	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोही	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	246	102	319	4	168	102	43	265	94
2015	81	49	645	-	9	30	17	413	27
2016	75	51	366	4	29	15	5	298	14
2017	33	16	204	3	6	13	2	120	5
2018	28	5	133	1	7	13	3	92	6
2019	17	-	131	-	-	49	22	85	10
2020	15	5	79	-	2	2668	432	234	2
2021	21	13	70	-	14	1353	437	86	8
2022	7	2	35	-	-	1887	354	117	-
2023	8	4	21	-	-	1445	397	11	-
2024 (दिनांक 31.03.2024 तक)	-	-	2	-	-	2	-	1	-

मणिपुर

वर्ष	घटनाएं	मारे गए विद्रोही	गिरफ्तार किए गए विद्रोही	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोही	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	278	23	1052	8	16	80	73	515	29
2015	229	41	805	24	15	4	2	252	26
2016	233	9	518	11	11	-	-	116	25
2017	167	22	558	8	23	74	10	127	40
2018	127	10	404	7	8	-	-	99	30
2019	126	9	476	-	7	-	-	92	15
2020	97	7	259	3	-	2	-	92	9
2021	112	18	242	5	9	20	15	113	15
2022	137	2	315	1	5	57	29	76	36
2023	187	33	184	7	35	80	31	49	33
2024 (दिनांक 31.03.2024 तक)	61	2	73	-	9	-	-	21	36

मेघालय

वर्ष	घटनाएं	मारे गए विद्रोही	गिरफ्तार किए गए विद्रोही	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोही	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	179	35	173	6	24	806	147	97	110
2015	123	25	121	7	12	78	45	53	87
2016	68	15	59	-	8	205	78	57	52
2017	28	6	13	-	2	37	14	12	18
2018	15	3	17	1	4	19	10	103	1
2019	2	-	6	-	1	1	-	4	-
2020	5	-	-	-	-	1	-	12	-
2021	2	-	11	-	-	2	-	2	-
2022	1	-	4	-	-	-	-	3	-
2023	-	-	11	-	-	-	-	-	-
2024 (दिनांक 31.03.2024 तक)	1	-	4	-	-	-	-	-	-

मिजोरम

वर्ष	घटनाएं	मारे गए विद्रोही	गिरफ्तार किए गए विद्रोही	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोही	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	3	-	-	-	-	3	-	31	14
2015	2	-	4	3	-	-	-	19	13
2016	-	-	2	-	-	-	-	5	1
2017	-	-	5	-	-	-	-	16	-
2018	3	-	-	-	-	114	44	2	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	13	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	5	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	18	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	3	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024 (दिनांक 31.03.2024 तक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

नागालैंड

वर्ष	घटनाएं	मारे गए विद्रोही	गिरफ्तार किए गए विद्रोही	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोही	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	77	12	296	-	1	-	-	150	65
2015	102	29	268	9	9	13	1	74	78
2016	58	5	198	-	-	16	3	80	51
2017	19	4	171	1	3	2	-	87	12
2018	42	4	181	3	3	-	-	64	63
2019	42	1	217	2	1	16	1	74	49
2020	23	2	222	-	-	4	-	84	33
2021	47	1	277	-	-	8	-	103	54
2022	31	1	167	-	-	2	-	70	36
2023	35	1	161	-	1	13	5	68	49
2024 (दिनांक 31.03.2024 तक)	14	2	34	-	-	6	1	23	14

त्रिपुरा

वर्ष	घटनाएं	मारे गए विद्रोही	गिरफ्तार किए गए विद्रोही	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोही	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	8	-	8	2	1	40	15	-	8
2015	1	-	2	-	-	15	3	-	3
2016	-	-	-	-	-	27	5	-	-
2017	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	13	1	-	-
2019	-	-	-	-	-	90	44	-	-
2020	2	-	14	-	1	6	4	2	4
2021	1	1	16	2	-	21	4	2	-
2022	1	-	2	1	-	25	4	-	-
2023	-	-	5	-	-	15	-	1	-
2024 (दिनांक 31.03.2024 तक)	-	-	-	-	-	16	6	-	-

अनुलग्नक-VIII
(संदर्भ पैरा 7.3)

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) संवर्ग के अधिकारियों की अधिकृत संख्या (दिनांक 01.01.2023 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	कैडर	वरिष्ठ ड्यूटी पद (एसडीपी)					कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद	केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व	प्रशिक्षार्थी रिजर्व	कनिष्ठ पद रिजर्व एवं छुट्टी रिजर्व	पदोन्नति वाले पद	सीधी भर्ती कोटा	कुल अधिकृत संख्या	डीओपीटी की अधिसूचना संख्या एवं तारीख के तहत अधिसूचित संवर्ग अनुसूची	तैनात अधिकारियों की संख्या		
		डीजी	एडीजी	आईजी	डीआईजी	एसपी	(एसडीपी)	(सीडीआर) एसडीपी के 40% की दर से)	(एसडीआर) एसडीपी के 25% की दर से)	(टीआर) एसडीपी के 3.5% की दर से	(जेआरपी और एलआर) एसडीपी के 16.5% की दर से	(पीक्यू) (एसडीपी +सीडीआर +एसडीआर+टीआर का 331/3%)	(डीआरक्यू)			सीधी भर्ती	पदोन्नत अधिकारी	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	आंध्र प्रदेश	2	7	17	13	40	79	31	19	2	13	43	101	144	सं.11052/01/2014-एआईएस-II-ए दिनांक 18.07.2014	98	28	126
2	अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र	6	17	39	55	131	248	99	62	8	40	139	318	457	सं. 14015/40/2021-एआईएस-I (7) दिनांक 09.03.2022	295	100	395
3	असम-मेघालय	3	8	20	21	55	107	42	26	3	17	59	136	195	सं.11052/06/2017-एआईएस-II-ए दिनांक 28.02.2018	128	36	164
4	बिहार	3	10	23	22	74	132	52	33	4	21	73	169	242	सं.11052/09/2017-एआईएस-II-ए दिनांक 21.12.2017	167	63	230
5	छत्तीसगढ़	2	7	11	12	46	78	31	19	2	12	43	99	142	सं.11052/10/2015-एआईएस-II-ए दिनांक 19.05.2017	94	34	128
6	गुजरात	3	10	21	21	59	114	45	28	3	18	63	145	208	सं.11052/02/2016-एआईएस-II-ए दिनांक 01.02.2017	134	55	189
7	हरियाणा	2	6	16	15	40	79	31	19	2	13	43	101	144	सं.11052/03/2016-एआईएस-II-ए दिनांक 01.02.2017	97	30	127

8	हिमाचल प्रदेश	1	4	11	8	28	52	20	13	1	8	28	66	94	सं.11052/09/2015-एआईएस-II-ए दिनांक 18.03.2016	61	23	84
9	झारखंड	2	6	14	15	49	86	34	21	3	14	48	110	158	सं.11052/01/2022-एआईएस-II-ए दिनांक 13.06.2022	108	19	127
10	कर्नाटक	3	10	24	17	68	122	48	30	4	20	68	156	224	सं.11052/01/2021-एआईएस-II-ए दिनांक 29.09.2022	131	63	194
11	केरल	2	10	16	9	57	94	37	23	3	15	52	120	172	सं.11052/02/2022-एआईएस-II-ए दिनांक 18.08.2022	107	31	138
12	मध्य प्रदेश	5	16	31	26	95	173	69	43	6	28	97	222	319	सं.11052/02/2021-एआईएस-II-ए दिनांक 24.06.2022	182	81	263
13	महाराष्ट्र	4	16	29	32	91	172	68	43	6	28	96	221	317	सं.11052/04/2017-एआईएस-II-ए दिनांक 16.10.2018	207	91	298
14	मणिपुर	1	4	10	10	25	50	20	12	1	8	27	64	91	सं.11052/01/2018-एआईएस-II-ए दिनांक 21.12.2020	48	12	60
15	नागालैंड	1	2	9	11	19	42	16	10	1	6	23	52	75	सं.11052/08/2017-एआईएस-II-ए दिनांक 29.12.2017	40	19	59
16	ओडिशा	2	9	21	20	55	107	42	26	3	17	59	136	195	सं.11052/10/2017-एआईएस-II-ए दिनांक 18.10.2018	129	-	129
17	पंजाब	2	7	19	20	46	94	37	23	3	15	52	120	172	सं.11052/11/2010-एआईएस-II-ए दिनांक 30.03.2010	116	28	144
18	राजस्थान	2	9	23	18	68	120	48	30	4	19	67	154	221	सं.11052/02/2020-एआईएस-II-ए दिनांक 21.01.2022	143	58	201
19	सिक्किम	1	2	4	3	8	18	7	4	1	2	10	22	32	सं.11052/03/2017-एआईएस-II-ए दिनांक 27.06.2017	20	9	29
20	तमिलनाडु	3	13	26	27	81	150	60	37	5	24	84	192	276	सं.11052/02/2018-एआईएस-II-ए दिनांक 26.11.2018	179	56	235
21	तेलंगाना	2	6	16	14	38	76	30	19	2	12	42	97	139	सं.11052/11/2015-एआईएस-II-ए दिनांक 29.04.2016	91	37	128

22	त्रिपुरा	2	2	7	8	19	38	15	9	1	6	21	48	69	सं.11052/02/2017-एआईएस-II-ए दिनांक 06.07.2017	43	10	53
23	उत्तर प्रदेश	7	21	51	52	162	293	117	73	10	48	164	377	541	सं.11052/02/2019-एआईएस-II-ए दिनांक 24.01.2022	341	136	477
24	उत्तराखंड	1	2	6	10	21	40	16	10	1	6	22	51	73	सं.11052/05/2017-एआईएस-II-ए दिनांक 08.08.2017	49	19	68
25	पश्चिम बंगाल	5	14	36	39	94	188	75	47	6	31	105	242	347	सं.11052/07/2015-एआईएस-II-ए दिनांक 19.01.2016	219	79	298
	कुल	67	218	500	498	1469	2752	1090	679	85	441	1528	3519	5047		322 7	1117	434 4

अनुलग्नक- IX
[संदर्भ पैरा 7.71]

वर्ष 2018-2019 से 2023-24 की अवधि के दौरान सीएपीएफ पर वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	एआर	बीएसएफ	सीआईएसएफ	सीआरपीएफ	आईटीबीपी	एनएसजी	एसएसबी	कुल
2018-19	5899.67	19469.77	9220.91	23126.24	1190.72	1115.72	6050.39	66073.42
2019.20	5877.79	21092.49	10272.58	25950.63	7168.50	1198.02	6960.08	78520.09
2020-21	5706.43	19827.75	10838.40	24769.25	6390.46	965.27	6240.94	74738.50
2021-22	6258.78	22021.70	11491.67	27368.54	7530.79	1095.42	7258.60	83025.50
2022-23	6813.38	23668.82	12834.39	29701.10	8277.31	1166.93	7872.86	90334.79
2023-24*	7480.60	24839.75	13778.68	30559.68	8865.82	1219.07	8681.25	95424.85

***दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार व्यय**

अनुलग्नक-X
संदर्भ पैरा-8.132

आयोजित/भाग ली गई अंतरराष्ट्रीय बैठकें: दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024				
क्र.सं.	**बैठक का नाम**	**स्थान**	**तारीख**	**मनोनीत अधिकारी/टिप्पणी**
1.	भारत-अमरीका सीएनडब्ल्यूजी बहुपक्षीय और नियामक मामलों के संचालन समूह की बैठक	वर्चुअल	12.01.2023	डीडीजी (ऑप्स) और एडी (प्रवर्तन)
2.	आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराध से निपटने पर बिम्सटेक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी-सीटीटीसी) की 10वीं बैठक	नई दिल्ली	12-13 जनवरी, 2023	श्री रितेश रंजन, उप निदेशक (समन्वय), एनसीबी मुख्यालय
3.	प्रीकर्सर नियंत्रण पर एससीओ विशेषज्ञ कार्य समूह	नई दिल्ली (वर्चुअल)	18.01.2023	डीजी, एनसीबी, डीडीजी (ऑप्स), एनसीबी और अन्य अधिकारी
4.	भारत-कनाडा जेडब्ल्यूजी-सीटी की 17वीं बैठक	नई दिल्ली	03.02.2023	श्री पंकज कुमार द्विवेदी, एडी (ऑप्स)
5.	कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) के सदस्य देशों के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण	एनसीबी, मुख्यालय	06 से 10 फरवरी, 2023	डीजी, एनसीबी; डीडीजी (ऑप्स): उद्घाटन/समापन के लिए
6.	विधि प्रवर्तन और मादक पदार्थ संबंधी अपराध पर एससीओ विशेषज्ञ कार्य समूह	नई दिल्ली (वर्चुअल)	15.02.2023	डीजी, एनसीबी, डीडीजी (ऑप्स), एनसीबी और अन्य अधिकारी
7.	तीसरा भारत-मिस्र जेडब्ल्यूजी-सीटी	नई दिल्ली	16.02.2023	श्री रितेश रंजन, उप निदेशक (समन्वय)
8.	खतरनाक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए सरकारों और माल अग्रेषण सेवाओं के बीच स्वैच्छिक सहयोग पर आईएनसीबी के स्टेकहोल्डर का परामर्श	वर्चुअल	21-23 फरवरी, 2023	जोनल निदेशक (जेडडी), मुम्बई
9.	मादक पदार्थ संबंधी अपराध से निपटने के लिए कानूनी ढांचे पर एससीओ विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक	नई दिल्ली	22.02.2023 (डीओआर राजस्व विभाग द्वारा संप्रेषित)	श्री पीयूष कुमार सिंह, एडी (प्रवर्तन)

10.	एससीओ सदस्य देशों के लिए "बी2बी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी और इसकी रोकथाम के उपाय" पर सेमिनार	नई दिल्ली	28.02.2023	डीजी, एनसीबी, डीडीजी (ऑप्स), एनसीबी और अन्य अधिकारी: उद्घाटन के लिए
11.	भारत-अमरीका सीएनडब्ल्यूजी ड्रग डिमांड रिडक्शन स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक	वर्चुअल	03.03.2023	श्री पीयूष कुमार सिंह, एडी (प्रवर्तन)
12.	नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग (सीएनडी) का 66वां सत्र	वियना (ऑस्ट्रिया)	13 से 17 मार्च 2023	महानिदेशक, एनसीबी
13.	एनपीएस और प्रीकर्सर पर आईएनसीबी कार्यबल की बैठकें	वियना	15.03.2023	श्री सचिन जैन, डीडीजी (पीएंडए)
14.	स्वापक विधि प्रवर्तन अधिकारियों के लिए प्रीकर्सर केमिकल कंट्रोल पर बिम्सटेक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	थाईलैंड	26 मार्च - 04 अप्रैल, 2023	(i) ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, जेडडी, डीजेडयू (ii) श्री शांतनु आइच, अधीक्षक, एनसीबी
15.	एनसीए, यूके द्वारा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्मेलन और कार्यशाला	नई दिल्ली	28-30 मार्च, 2023	1. श्री पंकज कुमार द्विवेदी, एडी (ऑप्स) 2. श्री मोहिंदर जीत सिंह बोपाराय, एडी, एनसीबी 3. श्री अरविंद एम. आर., अधीक्षक, एनसीबी 4. श्री विवेक कुमार पांडे, आईओ, एनसीबी 5. श्री ई. शंकरा सुब्रमण्यम, आईओ, एनसीबी 6. श्री राहुल कुमार पूर्बे, आईओ, एनसीबी
16.	ड्रग डिमांड रिडक्शन पर एससीओ विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक	वर्चुअल	07.04.2023	श्री पीयूष कुमार सिंह, एडी (प्रवर्तन)
17.	मादक पदार्थ-रोधी एजेंसियों के एससीओ के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक	नई दिल्ली	11-12 अप्रैल, 2023	महानिदेशक, एनसीबी, डीडीजी (ऑप्स), एनसीबी और एससीओ सदस्य देशों सहित अन्य अधिकारी
18.	एससीओ सदस्य देशों के सक्षम प्राधिकरणों के प्रमुखों की बैठक	नई दिल्ली	13.04.2023	महानिदेशक, एनसीबी, डीडीजी (ऑप्स), एनसीबी और एससीओ सदस्य देशों सहित अन्य अधिकारी

19.	आपराधिक नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी को समझने और रोकथाम करने पर यूएनओडीसी ईजीएम	नई दिल्ली	10-11 मई, 2023	श्री शांतनु आइच, अधीक्षक
20.	यूएसडीओजे/आईसीआईटीएपी सशक्त महिलाओं के नेतृत्व पर सम्मेलन 2023	डेनपासर, इंडोनेशिया	22-23 मई, 2023	(i) श्रीमती मोनिका ए. बत्रा, डीडीजी, एनसीबी (ii) श्रीमती चंदा, अधीक्षक, एनसीबी मंदसौर सब-जोन
21.	सीटीटीसी पर 19वीं आसियान क्षेत्रीय फोरम की अंतर-सत्रीय बैठक	वर्चुअल	24.05.2023	श्री रितेश रंजन, डीडी (समन्वय)
22.	प्रिकर्सर रसायनों से संबंधित संदिग्ध इंटरनेट पोस्टिंग (सरफेस वेब) की जांच संबंधी प्रशिक्षण	वियना	29 मई - 02 जून, 2023	श्री अरविंदन पी., जेडडी, चेन्नई
23.	दक्षिणी मार्ग भागीदारी की मादक पदार्थ और समुद्री विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक	एंटानानारिवो, मेडागास्कर	30-31 मई, 2023	श्री कुमार मनीष, जेडडी, पटना
24.	प्रीकर्सर पर पेरिस पैक्ट ईडब्ल्यूजी की बैठक (स्तंभ III)	वर्चुअल	13-14 जून, 2023	श्री अमित घावटे, जेडडी, मुंबई
25.	10वां एसओएमटीसी + भारतीय परामर्श	योग्याकार्टा, इंडोनेशिया	23.06.2023	श्री प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, जेडडी, लखनऊ
26.	छठा एएसओडी + भारतीय परामर्श	वर्चुअल	07.07.2023	श्री सुधांशु कुमार सिंह, जेडी, गुवाहाटी
27.	चौथा भारत-यूएसए सीएनडब्ल्यूजी	वाशिंगटन डीसी	19-20 जुलाई, 2023	(i) श्री एस. एन. प्रधान, महानिदेशक (ii) श्री एस. के. सिंह, डीडीजी (ओईसी)
28.	यूएनओडीसी वैश्विक स्मार्ट कार्यक्रम की क्षेत्रीय कार्यशाला	मनीला, फिलीपींस	29-31 अगस्त, 2023	श्री अमित घावटे, जेडडी, मुंबई
29.	डाक, एक्सप्रेस कूरियर और एयर कार्गो सेवाओं के माध्यम से सिंथेटिक नशीले पदार्थों, खतरनाक पदार्थों एवं रसायनों की तस्करी से निपटने के लिए आईएनसीबी परिचालन की छठी बैठक	वियना, ऑस्ट्रिया	11-15 सितम्बर, 2023	(i) श्री सचिन जैन, डीडीजी (पीएंडए) (ii) श्री राकेश कुमार पाण्डेय, निदेशक, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख प्रभाग, गृह मंत्रालय
30.	पीडीआई, चिली के लिए आयोजित नशीली दवाओं की तस्करी पर कार्यशाला	नई दिल्ली	14-15 सितम्बर, 2023	डीजी, एनसीबी; डीडीजी (पीएंडए), डीडीजी (ओईसी), डीडी (प्रशासन), डीडी (ऑप्स)
31.	अज्ञात वैध उपयोग वाले खतरनाक	वियना,	18-22 सितम्बर,	(i) श्री ज्ञानेश्वर सिंह,

	पदार्थों के संबंध में आईएनसीबी की सूची का विस्तार करने और नकली या अवैध तरीके से निर्मित फार्मास्यूटिकल्स के रूप में उनकी पहचान करने के लिए नए दृष्टिकोण पर तीसरी अंतरराष्ट्रीय ईजीएम	ऑस्ट्रिया	2023	डीडीजी, एनआर **(ii)** श्री अनिल सुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव (आईएस-I), गृह मंत्रालय
32.	चौथी भारत-इटली जेडब्ल्यूजी-सीटी	नई दिल्ली	06.10.2023	श्री एस. डी. जाम्बोटकर, डीडी (ऑप्स)
33.	आईएनसीबी प्रीकर्सर कार्य बल की बैठक	नई दिल्ली	11 से 13 अक्टूबर, 2023	**(i)** श्री ज्ञानेश्वर सिंह, डीडीजी (ओईसी) **(ii)** श्री अमनजीत सिंह, जेडडी, चंडीगढ़
34.	आईएनसीबी एनपीएस कार्य बल की बैठक	मैड्रिड, स्पेन	18-19 अक्टूबर, 2023	**(i)** श्री रितेश रंजन, जेडडी, इंदौर
35.	सिंथेटिक मादक पदार्थों से निपटने के लिए वैश्विक गठबंधन: उप कार्य समूह- 1.1,1.2,2.1,2.2 की बैठकें	वर्चुअल	25.10.2023	श्री पीयूष कुमार सिंह, एडी (पीएंडए)
36.	अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए मादक पदार्थ-रोधी संपर्क अधिकारियों की 30वीं बैठक (एडीएलओएमआईसीओ)	बुसान, कोरिया गणराज्य	07-08 नवम्बर, 2023	श्री शैलेन्द्र कुमार मिश्रा, जेडडी, बेंगलुरु
37.	कोलंबो प्लान ड्रग एडवाइजरी प्रोग्राम (सीपीडीएपी) संबंधी राष्ट्रीय सचिवालय की बैठक	मनीला, फिलीपींस	14-16 नवम्बर, 2023	**(i)** श्रीमती मोनिका ए. बत्रा, डीडीजी, एनसीबी **(ii)** श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, जेडडी, दिल्ली
38.	सिंथेटिक मादक पदार्थ गठबंधन के उप-कार्य समूह की बैठक	वर्चुअल	21.11.2023	**(i)** श्रीमती मोनिका ए. बत्रा, डीडीजी (पीएंडए) **(ii)** श्री ज्ञानेश्वर सिंह, डीडीजी (ओईसी)
39.	डॉ. राहुल गुप्ता, निदेशक, यू.एस. ओएनडीसीपी के साथ बैठक	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली	21.11.2023	डीजी, एनसीबी, डीडीजी (पीएंडए), डीडीजी (ओईसी), विदेश मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा अन्य अधिकारी
40.	बांग्लादेश पुलिस के साथ दोहरा (ट्विनिंग) कार्यक्रम	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली	28-30 नवम्बर, 2023	**(i)** श्री अरविंद एम. आर. अधीक्षक, एनसीबी मुख्यालय

				(ii) श्री हरकेश, आईओ, एनसीबी मुख्यालय (i) श्रीमती पूर्णिमा जी.एन., आईओ, डीजेडयू
41.	मालदीव सीमा शुल्क के साथ दोहरा (ट्विनिंग) कार्यक्रम	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली	04-06 दिसंबर, 2023	(i) श्री अरविंद एम.आर., अधीक्षक, एनसीबी मुख्यालय (ii) श्री हरकेश, आईओ, एनसीबी मुख्यालय (iii) श्रीमती पूर्णिमा जी.एन., आईओ, डीजेडयू
42.	स्वापक मादक पदार्थ आयोग की दूसरी अंतर-सत्रीय बैठक (2019 मंत्रिस्तरीय घोषणा पर विषयगत चर्चा) और सीएनडी का 66वां पुनः आयोजित सत्र और सीसीपीसीजे का 32वां पुनः आयोजित सत्र	वर्चुअल	04-08 दिसंबर, 2023	श्री एस.डी. जाम्बोटकर, डीडी (ऑप्स)
43.	इंडोनेशिया के साथ छठी महानिदेशक स्तरीय संयुक्त कार्य समूह बैठक	वर्चुअल (इंडोनेशिया)	07.12.2023	(i) श्री सत्य नारायण प्रधान, डीजी, एनसीबी (ii) श्रीमती मोनिका ए. बत्रा, डीडीजी (पीएंडए) (iii) श्री ज्ञानेश्वर सिंह, डीडीजी (ओईसी)
44.	आईएनसीबी ग्रिड्स कार्यक्रम के माध्यम से अगली पीढ़ी के महिला कानून और नियामक अधिकारियों को सशक्त बनाना	वर्चुअल	08.12.2023	(i) श्रीमती मोनिका ए. बत्रा, डीडीजी (पीएंडए), एनसीबी (ii) श्रीमती चंदा, अधीक्षक, एनसीबी मंदसौर
45.	श्रीलंका सीमा शुल्क के साथ दोहरा (ट्विनिंग) कार्यक्रम	एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली	12-14 दिसंबर, 2023	(i) श्री अरविंद एम. आर., अधीक्षक, एनसीबी मुख्यालय (ii) श्री हरकेश, आईओ, एनसीबी मुख्यालय (iii) श्रीमती पूर्णिमा जी.एन., आईओ, डीजेडयू

46.	सिंथेटिक ड्रग ग्लोबल गठबंधन-उप-कार्य समूह की बैठक	वर्चुअल	13.12.2023	**(i)** श्रीमती मोनिका ए. बत्रा, डीडीजी (पीएंडए) **(ii)** श्री ज्ञानेश्वर सिंह, डीडीजी (ओईसी)
47.	"स्वापक मादक पदार्थों और एनपीएस की तस्करी से निपटने में सहयोग बढ़ाने" पर एससीओ सदस्य देशों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन	वर्चुअल (किर्गिज गणराज्य)	15.12.2023	श्री ज्ञानेश्वर सिंह, डीडीजी (ओईसी)
48.	भारत-ईरान जेसीसीएम/कांसुलर वार्ता का 13वां दौर	नई दिल्ली	20.12.2023	श्री पीयूष कुमार सिंह, एडी (आईसीसी)
49	सिंथेटिक मादक पदार्थों पर वैश्विक गठबंधन की एसडब्ल्यूजी की बैठक	वर्चुअल	17.01.2024	डीडीजी (पीएंडए), डीडीजी (ओईसी)
50.	म्यांमार के साथ 7वां डीजीएलटी	वर्चुअल	24.01.2024	डीजी, एनसीबी डीडीजी (पीएंडए और एनईआर), डीडीजी (ओईसी)
51.	26वां एशिया प्रशांत परिचालन मादक पदार्थ प्रवर्तन सम्मेलन (एडीईसी-26)	टोक्यो, जापान	30-31 जनवरी, 2024	श्री एस. एन. प्रधान, डीजी, एनसीबी
52.	वैश्विक सिंथेटिक मादक पदार्थों की समस्या के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग और घरेलू प्रयासों को बढ़ाने और मजबूत करने पर यूएनओडीसी ओपन-एंडेड विशेषज्ञ समूह की बैठक	वियना, ऑस्ट्रिया	30-31 जनवरी, 2024	श्री सुधांशु सिंह, जेडडी, गुवाहाटी
53.	एएसओडी के फोकस बिन्दुओं हेतु आसियान सहयोग परियोजनाओं के विकास पर कार्यशाला	वर्चुअल	01.02.2024	श्री एस. डी. जाम्बोटकर, डीडी (ऑप्स)
54.	दक्षिण एशिया से यूरोप में आने वाले सिंथेटिक मादक पदार्थों और प्रीकर्सर के पारगमन को रोकने के लिए यूएनओडीसी की बैठक	वियना, ऑस्ट्रिया	01-02 फरवरी, 2024	श्री आर. सी. शुक्ला, जेडडी, कोलकाता
55.	ऑपरेशनल अधिकारियों और एक्सप्रेस कूरियर तथा फ्रेट फ़ॉरवर्डिंग उद्योग के भागीदारों के लिए अग्रिम लक्ष्य निर्धारण पर आईएनसीबी की वैश्विक कार्यशाला	वियना, ऑस्ट्रिया	13-16 फरवरी, 2024	श्रीमती मोनिका ए. बत्रा, डीडीजी (पीएंडए) श्री पीयूष कुमार सिंह, एडी (पीएंडए)
56.	दुशांबे में एससीओ मादक पदार्थ-रोधी केंद्र की स्थापना के बारे में एससीओ	बीजिंग, चीन	26.02.2024	श्री पीयूष कुमार सिंह, एडी (पीएंडए)

	सदस्य देशों का दूसरा अंतर-विभागीय परामर्श			श्री अरविंद एम.आर., अधीक्षक (ओईसी)
57.	स्टाफ़ सदस्य कार्ट वेइलैंड के नेतृत्व में यूएसए कांग्रेस स्टाफ़ प्रतिनिधिमंडल	एनसीबी मुख्यालय	26.02.2024	श्रीमती मोनिका ए बत्रा, डीडीजी (आईसी) श्री ज्ञानेश्वर सिंह, डीडीजी (ओईसी),
58.	तस्करी के विरुद्ध आईएनसीबी टेक: ऑनलाइन सेवाओं के क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म दोहन से निपटने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण	वियना, ऑस्ट्रिया	05-08 मार्च, 2024	श्री विजयेन्द्र सिंह, डीडी (प्रशा.) श्री विकास कुमार, एडी (एएंडसी)
59.	सिंथेटिक मादक पदार्थ कार्य समूह पर वैश्विक गठबंधन की बैठक	वर्चुअल	07.03.2024	श्रीमती मोनिका ए बत्रा, डीडीजी (आईसी) श्री ज्ञानेश्वर सिंह, डीडीजी (ओईसी)
60.	67वीं सीएनडी	वियना, ऑस्ट्रिया	18-22 मार्च, 2024	श्री एस. एन. प्रधान, डीजी, एनसीबी श्री एस. डी. जाम्बोटकर, डीडी (ऑप्स)

मादक पदार्थों से संबंधित मामलों पर द्विपक्षीय समझौते (बीए) और समझौता ज्ञापन (एमओयू):

क्र.सं.	बीए/एमओयू की तारीख	देश का नाम	बीए/एमओयू का विषय
द्विपक्षीय समझौते			
1.	24-01-1990	मॉरीशस	मादक पदार्थों की तस्करी और उससे संबंधी मामले।
2.	29-03-1990	यू.एस.ए.	मादक पदार्थों के अवैध प्रयोग और तस्करी पर रोकथाम लगाकर मांग में कमी करने और अफीम आदि के अवैध व्यापार से संबंधित मामले।
3.	29-08-1990	अफगानिस्तान	एनडीपीएस की मांग में कमी और इसके अवैध प्रयोग एवं तस्करी की रोकथाम तथा संबंधित मामले
4.	30-03-1993	म्यांमार	एनडीपीएस की मांग में कमी एवं अवैध तस्करी की रोकथाम तथा संबंधित मामले
5.	05-10-1993	जाम्बिया	स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी तथा धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) से निपटना
6.	06-01-1994	यूएई	स्वापक मादक पदार्थ और मनःप्रभावी पदार्थों की तस्करी
7.	26-05-1994	बुल्गारिया	संगठित अपराध, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और एनडीपीएस की अवैध तस्करी से निपटना
8.	02-06-1994	रोमानिया	संगठित अपराध, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, एनडीपीएस की अवैध तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों से निपटना
9.	20-04-1995	मिस्र	एनडीपीएस की अवैध तस्करी और संगठित अपराध से निपटने के लिए सहयोग
10.	29-11-1996	चीन	एनडीपीएस की अवैध तस्करी और अन्य अपराधों से निपटने के लिए सहयोग
11.	06-01-1998	इटली	आतंकवाद, संगठित अपराध और एनडीपीएस की अवैध तस्करी से निपटने के लिए सहयोग
12.	17-09-1998	तुर्की	एनडीपीएस की अवैध तस्करी से निपटने के लिए सहयोग
13.	04-05-2001	क्रोएशिया	एनडीपीएस की अंतरराष्ट्रीय अवैध तस्करी और संगठित अपराध से निपटना
14.	10-05-2001	ताजिकिस्तान	मादक पदार्थों की मांग में कमी और एनडीपीएस की अवैध तस्करी की रोकथाम तथा संबंधित मामले
15.	06-11-2002	लाओ, पीडीआर	मादक पदार्थों की मांग में कमी और एनडीपीएस की अवैध तस्करी की रोकथाम तथा संबंधित मामले

16.	17-02-2003	पोलैंड	संगठित अपराध और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने में सहयोग
17.	09-09-2003	इजराइल	एनडीपीएस की अवैध तस्करी से निपटने में सहयोग
18.	16-12-2005	कंबोडिया	अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटना
19.	21-03-2006	बांग्लादेश	एनडीपीएस की अवैध तस्करी की रोकथाम और संबंधित मामले
20.	15-06-2006	कुवैत	मादक पदार्थों की मांग में कमी और एनडीपीएस की अवैध तस्करी की रोकथाम तथा संबंधित मामले
21.	25-05-2007	साइप्रस	अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटना
22.	12-11-2007	रूस	एनडीपीएस की अवैध तस्करी से निपटने में सहयोग
23.	09-11-2008	कतर	सुरक्षा और विधि प्रवर्तन संबंधी मामले में सहयोग पर समझौता
24.	22-01-2013	श्रीलंका	अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने के संबंध में समझौता
25.	10.03.2018	फ्रांस	स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और रासायनिक प्रिकर्सरों के अवैध उपभोग की रोकथाम और इनकी अवैध तस्करी में कमी लाने तथा संबंधित अपराधों के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच समझौता
26.	01.10.2018	उज्बेकिस्तान	स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और प्रिकर्सरों की अवैध तस्करी से निपटने में पारस्परिक सहयोग पर भारत सरकार और उज्बेकिस्तान सरकार के बीच समझौता
27.	29.10.2019	सऊदी अरब	भारत गणराज्य की सरकार और किंगडम ऑफ सऊदी अरब की सरकार के बीच सुरक्षा सहयोग पर समझौता
समझौता ज्ञापन			
28.	18-04-1994	यू.एस.ए.	अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन, वितरण और उपयोग से निपटने से संबंधित प्रयासों के लिए जागरूकता बढ़ाने और इसमें सहायता हेतु सहयोगी उपायों पर समझौता ज्ञापन
29.	18-04-1995	ईरान	एनडीपीएस की अवैध तस्करी की रोकथाम और संबंधित मामलों पर समझौता ज्ञापन
30.	05-10-1996	ओमान	अपराध से निपटने के लिए संयुक्त सहयोग पर समझौता ज्ञापन
31.	24-03-2008	वियतनाम	भारत और वियतनाम के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन
32.	22-12-2009	भूटान	मादक पदार्थों की मांग में कमी करने और एनडीपीएस एवं प्रीकर्सर रसायनों की अवैध तस्करी की रोकथाम करने तथा संबंधित मामलों पर समझौता ज्ञापन
33.	13.09.2011	पाकिस्तान	मादक पदार्थों की मांग में कमी करने तथा स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और प्रीकर्सर रसायनों की अवैध तस्करी की रोकथाम तथा संबंधित मामलों पर समझौता ज्ञापन

34.	12.11.2011	मालदीव	अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने तथा क्षमता निर्माण, आपदा प्रबंधन और तटीय सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर समझौता ज्ञापन
35.	18.11.2014	ऑस्ट्रेलिया	स्वापक औषधियों की तस्करी से निपटने तथा भारत और आस्ट्रेलिया के बीच पुलिस सहयोग को बढ़ाने पर समझौता ज्ञापन
36.	08.05.2014	म्यांमार	सीमा सहयोग पर भारत और म्यांमार के बीच समझौता ज्ञापन
37.	05.10.2015	जर्मनी	सुरक्षा सहयोग का भारत गणराज्य के गृह मंत्रालय और फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन
38.	17.07.2016	मोजाम्बिक	मादक पदार्थों की मांग में कमी तथा स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और प्रीकर्सर रसायनों की अवैध तस्करी की रोकथाम तथा संबंधित मामलों पर समझौता ज्ञापन
39.	30.06.2017	थाईलैंड	स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, उनके प्रिकर्सरों एवं रसायनों तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर नियंत्रण करने में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और किंगडम ऑफ थाईलैंड की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन
40.	24.08.2017	नेपाल	मादक पदार्थों की मांग में कमी तथा स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और प्रीकर्सर रसायनों की अवैध तस्करी की रोकथाम तथा संबंधित मामलों पर समझौता ज्ञापन
41.	01.06.2018	सिंगापुर	स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और उनके प्रिकर्सरों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए सहयोग पर एनसीबी, भारत और सीएनबी, सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन
42.	22.02.2019	दक्षिण कोरिया	राष्ट्र-पारीय अपराध और पुलिस सहयोग बढ़ाने पर भारत गणराज्य के गृह मंत्रालय और कोरिया गणराज्य की कोरियन नेशनल पुलिस एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन
43.	29.10.2019	सऊदी अरब	स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और रसायनिक प्रीकर्सर के दुर्व्यापार और तस्करी से निपटने के क्षेत्र में भारत गणराज्य की सरकार और किंगडम ऑफ सऊदी अरब की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन
44.	17.06.2022	इंडोनेशिया	स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और इसके प्रिकर्सरों की अवैध तस्करी से निपटने पर भारत गणराज्य के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और इंडोनेशिया गणराज्य के नेशनल नार्कोटिक्स बोर्ड के बीच समझौता ज्ञापन
45.	14.06.2023	नाइजीरिया	स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और प्रीकर्सर रसायनों की अवैध तस्करी की रोकथाम और संबंधित मामलों पर एनसीबी, भारत और नेशनल ड्रग लॉ इंफोर्समेंट एजेंसी (एनडीएलईए), नाइजीरिया के बीच समझौता ज्ञापन

अनुलग्नक-XII
(संदर्भ पैरा 9.34)

वर्ष 2023 के दौरान दिनांक 31.03.2024 तक एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से आवंटित और जारी की गई निधियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राष्ट्र का नाम	एसडीआरएफ का आवंटन			एसडीआरएफ से जारी निधियां		एनडीआरएफ से जारी निधियां
		केंद्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	पहली किस्त	दूसरी किस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	987.20	328.00	1315.20	493.60	493.60	--
2.	अरुणाचल प्रदेश	220.80	24.80	245.60	110.40	110.40	--
3.	असम	680.80	76.00	756.80	340.40	340.40	--
4.	बिहार	1248.80	416.00	1664.80	624.40	624.40	--
5.	छत्तीसगढ़	380.80	127.20	508.00	181.60 #	--	--
6.	गोवा	9.60	3.20	12.80	4.80	4.80	--
7.	गुजरात	1168.00	388.80	1556.80	1140.00 #	--	--
8.	हरियाणा	433.60	144.00	577.60	216.80	216.80	--
9.	हिमाचल प्रदेश	360.80	40.00	400.80	180.40	180.40	787.25
10.	झारखंड	500.80	166.40	667.20	476.80	--	--
11.	कर्नाटक	697.60	232.00	929.60	348.80	348.80	--
12.	केरल	277.60	92.00	369.60	138.80	138.80	--
13.	मध्य प्रदेश	1605.60	535.20	2140.80	802.80	802.80	--
14.	महाराष्ट्र	2841.60	947.20	3788.80	1420.80	1420.80	--
15.	मणिपुर	37.60	4.00	41.60	18.80	--	--

16.	मेघालय	58.40	6.40	64.80	27.20 #	--	--
17.	मिजोरम	41.60	4.80	46.40	20.80	20.80	--
18.	नागालैंड	36.80	4.00	40.80	18.40	18.40	--
19.	ओडिशा	1415.20	471.20	1886.40	707.60	707.60	--
20.	पंजाब	436.80	145.60	582.40	218.40	218.40	--
21.	राजस्थान	1307.20	435.20	1742.40	653.60	653.60	--
22.	सिक्किम	44.80	4.80	49.60	22.40	22.40	81.89
23.	तमिलनाडु	900.00	300.00	1200.00	450.00	450.00	--
24.	तेलंगाना	396.00	132.00	528.00	386.80 #	198.00	--
25.	त्रिपुरा	60.80	6.40	67.20	30.40	30.40	--
26.	उत्तर प्रदेश	1705.60	568.00	2273.60	1664.80 #	--	--
27.	उत्तराखंड	826.40	92.00	918.40	413.20	413.20	--
28.	पश्चिम बंगाल	892.00	297.60	1189.60	446.00	446.00	--
	कुल:-	**19,572.80**	**5,992.80**	**25,565.60**	**11,558.80**	**7,860.80**	**869.14**

= पिछले वर्ष के बकाया शामिल हैं।

अनुलग्नक-XIII
[संदर्भ पैरा 9.39]

एनडीएमए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की सूची

क्र.सं.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के विषय	तैयार/जारी करने का माह और वर्ष
1.	भूकंप प्रबंधन	अप्रैल 2007
2.	रासायनिक (औद्योगिक) आपदाओं का प्रबंधन	अप्रैल 2007
3.	राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करना	जुलाई 2007
4.	चिकित्सा तैयारी का प्रबंधन और बड़े पैमाने पर हताहतों संबंधी प्रबंधन	अक्टूबर 2007
5.	बाढ़ प्रबंधन	जनवरी 2008
6.	चक्रवातों का प्रबंधन	अप्रैल 2008
7.	जैविक आपदाओं का प्रबंधन	जुलाई 2008
8.	परमाणु और रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियों का प्रबंधन	फरवरी 2009
9.	भूस्खलन और हिमस्खलन का प्रबंधन	जून 2009
10.	रासायनिक (आतंकवाद) आपदा का प्रबंधन	जून 2009
11.	आपदाओं में मनो-सामाजिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं	दिसम्बर 2009
12.	घटना संबंधी कार्रवाई प्रणाली	जुलाई 2010
13.	सुनामी का प्रबंधन	अगस्त 2010
14.	आपदाओं के बाद मृतकों का प्रबंधन	अगस्त 2010
15.	शहरी बाढ़ का प्रबंधन	सितम्बर 2010
16.	सूखे का प्रबंधन	सितम्बर 2010
17.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना और संचार प्रणाली	फरवरी 2012
18.	स्केलिंग, उपकरण का प्रकार और अग्निशमन सेवाओं का प्रशिक्षण	अप्रैल 2012
19.	कमजोर इमारतों और संरचनाओं की भूकंपीय रेट्रोफिटिंग	जून 2014
20.	स्कूल सुरक्षा नीति	फरवरी 2016
21.	अस्पताल सुरक्षा	फरवरी 2016
22.	राहत के न्यूनतम मानक	फरवरी 2016
23.	संग्रहालय	मई 2017

24.	सांस्कृतिक विरासत स्थल और परिसर	सितम्बर 2017
25.	नाव सुरक्षा	सितम्बर 2017
26.	कार्य योजना तैयार करना - गरज के साथ तूफान और बिजली गिरना/तूफान/धूल/ओलावृष्टि और तेज हवा की रोकथाम और प्रबंधन	मार्च 2019
27.	आपदा-प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आश्रय	सितम्बर 2019
28.	विकलांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण	सितम्बर 2019
29.	भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति	सितम्बर 2019
30.	कार्य योजना तैयार करना - हीट वेव की रोकथाम और प्रबंधन (संशोधित दिशानिर्देश)	अक्टूबर 2019
31.	ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) के प्रबंधन पर दिशानिर्देश	अक्टूबर 2020
32.	भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2016 से भवन की भूकंप सुरक्षा के लिए सरलीकृत दिशानिर्देश	मई 2021
33.	कार्य योजना तैयार करना - शीत लहर और पाले की रोकथाम और प्रबंधन 2021	अक्टूबर 2021

भारत सरकार के उन मंत्रालयों/विभागों की सूची, जिन्होंने अपनी आपदा प्रबंधन योजना तैयार की है	
क्र.सं.	**मंत्रालय/विभाग का नाम**
1.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
2.	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग
3.	पशुपालन और डेयरी विभाग
4.	परमाणु ऊर्जा विभाग
5.	कोयला मंत्रालय
6.	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
7.	मत्स्य-पालन विभाग
8.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
9.	न्याय विभाग
10.	श्रम और रोजगार मंत्रालय
11.	पंचायती राज मंत्रालय
12.	विद्युत मंत्रालय
13.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
14.	इस्पात मंत्रालय
15.	आयुष मंत्रालय
16.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग
17.	सीमा प्रबंधन विभाग
18.	नागर विमानन मंत्रालय
19.	वाणिज्य विभाग
20.	उपभोक्ता मामले विभाग
21.	संस्कृति मंत्रालय
22.	रक्षा उत्पादन विभाग
23.	पेयजल और स्वच्छता विभाग
24.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
25.	आर्थिक कार्य विभाग
26.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
27.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
28.	विदेश मंत्रालय

29.	उर्वरक मंत्रालय
30.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
31.	भारी उद्योग मंत्रालय
32.	गृह विभाग
33.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
34.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
35.	आंतरिक सुरक्षा विभाग
36.	जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख कार्य विभाग
37.	भूमि संसाधन विभाग
38.	खान मंत्रालय
39.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
40.	राजभाषा विभाग
41.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
42.	औषध विभाग
43.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
44.	लोक उद्यम विभाग
45.	रेल मंत्रालय
46.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
47.	ग्रामीण विकास विभाग
48.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
49.	अंतरिक्ष विभाग
50.	राज्य विभाग
51.	दूरसंचार विभाग
52.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
53.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
54.	युवा कार्यक्रम विभाग
55.	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग

अनुलग्नक-XV
(संदर्भ पैरा-9.51)

एनडीआरएफ की ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियों का घटना-वार सार
दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024

क्र.सं.	घटनाओं का प्रकार	बचाए गए	सुरक्षित निकाले गए	शव	मवेशी	पीएचटी
1	बाढ़/मानसून/पीपी	6135	39464	50	2650	934
2	डूबने के मामले	9	0	270	1	0
3	भू-स्खलन	1	0	55	0	0
4	रेल दुर्घटनाएं	44	0	128	0	0
5	सीएसएसआर/भवन ढहना	59	0	102	0	0
6	नाव पलटना	12	0	10	0	0
7	बोरवेल की घटनाएं	5	0	7	0	0
8	मेला/उत्सव	299	3077	4	8	14041
9	आग संबंधी घटनाएं	0	0	13	0	0
10	वाहन संबंधी घटनाएं	8	4	40	0	9
11	सीबीआरएन घटनाएं	7	0	11	1	0
12	चक्रवात	153	8265	7	68	0
13	भूकंप	2	0	85	0	39
14	राष्ट्रीय/खेल/वीवीआईपी दौरा/संसद ड्यूटी	37	2	0	0	3
15	कोई भी अन्य घटना	41	27	17	26	19
	कुल	**6812**	**50839**	**799**	**2754**	**15045**

अनुलग्नक- XVI
[संदर्भ पैरा 11.10]

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (नया नाम 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता') की स्कीम के तहत 'क' श्रेणी के राज्यों को जारी निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार)
1.	अरुणाचल प्रदेश	1.03	0.00	0.00	0.00	0.3345	0
2.	असम	5.67	0.00	0.00	9.36	3.8565	0
3.	मणिपुर	5.99	10.75	0.00	0.00	0.9845	0
4.	मेघालय	3.66	6.63	0.00	0.00	2.1145	2.943
5.	मिजोरम	8.38	34.63	1.14	0.00	3.2531	0
6.	नागालैंड	18.89	17.29	0.00	17.03	0.3345	3.307
7.	सिक्किम	0.36	0.00	0.00	1.37	0.3345	2.21
8.	त्रिपुरा	7.08	4.97	5.72	6.75	0.3345	0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	32.69	40.20	एनए	एनए	0	0
10.	हिमाचल प्रदेश	3.35	27.49	0.83	0.00	0.3345	0.775
11.	उत्तराखंड	13.60	5.43	0.00	5.84	0.4430	1.82
	कुल	**100.70**	**147.39**	**7.69**	**40.35**	**12.3241**	11.055

एनए - इन वर्षों के दौरान यह स्कीम जम्मू एवं कश्मीर के लिए लागू नहीं थी।

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (नया नाम 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता') की स्कीम के तहत 'ख' श्रेणी के राज्यों को जारी निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

राज्य	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार)**
आंध्र प्रदेश	50.81	75.36	5.83	0.00	0.4400	0
बिहार	13.18	9.42	19.12	0.00	0.4430	0
छत्तीसगढ़	8.56	8.35	7.16	5.44	0.4430	0
गोवा	0.21	0.00	0.22	0.26	1.0245	0
गुजरात	52.62	41.19	0.00	0.00	0.5440	6.865
हरियाणा	12.95	18.48	0.00	10.35	0.5440	0
झारखंड	9.91	7.08	0.00	0.00	1.8830	0
कर्नाटक	11.39	14.61	9.14	32.54	4.7975	7.635
केरल	17.78	54.01	0.00	4.48	0.4430	0
मध्य प्रदेश	37.97	14.45	0.00	6.78	0.4430	3.2525
महाराष्ट्र	9.58	65.98	0.00	0.00	0.5440	0
ओडिशा	35.10	42.45	0.00	3.90	0.4430	10.476
पंजाब	36.52	31.33	4.15	0.00	0.4430	0
राजस्थान	62.59	27.28	13.53	13.53	0.5440	0
तमिलनाडु	68.87	56.62	0.00	0.00	0.5440	0
तेलंगाना	64.17	57.58	4.16	8.74	4.124	5.895
उत्तर प्रदेश	118.67	62.75	32.02	32.02	0.5440	0
पश्चिम बंगाल	46.93	46.53	0.00	0.00	0.5440	0
कुल	**657.81**	**633.47**	**95.33**	**118.04**	**18.735**	**34.1235**

अनुलग्नक- XVIII
[संदर्भ पैरा 11.10]

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता' की स्कीम के तहत संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**संघ राज्य क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार)**
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	0.43	0.6345
2.	चंडीगढ़	0.50	3.5775
3.	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	0.33	0.6245
4.	दिल्ली	2.6725	0.5440
5.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.3345
6.	लद्दाख	0.33	0.6245
7.	लक्षद्वीप	0.29	0.6045
8.	पुदुचेरी	0.8945	0
	उप-जोड़	**5.4470**	6.944

अनुलग्नक - XIX
(संदर्भ पैरा 16.39)

सारणी :1 अनुमानित जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर और नवजात मृत्यु दर, 2020

भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जन्म दर			मृत्यु दर			प्राकृतिक वृद्धि दर			नवजात मृत्यु दर		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारत	**19.5**	**21.1**	**16.1**	**6.0**	**6.4**	**5.1**	**13.5**	**14.7**	**11.0**	**28**	**31**	**19**
बड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र												
1. आंध्र प्रदेश	15.7	16.0	15.0	6.3	7.0	4.9	9.4	9.0	10.1	24	26	18
2. असम	20.8	21.9	14.3	6.2	6.4	5.4	14.6	15.5	8.9	36	39	17
3. बिहार	25.5	26.2	21.0	5.4	5.5	5.2	20.1	20.7	15.8	27	27	25
4. छतीसगढ़	22.0	23.4	17.3	7.9	8.4	6.3	14.1	15.0	11.0	38	40	31
5. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	14.2	15.5	14.1	3.6	4.1	3.5	10.6	11.4	10.6	12	20	12
6. गुजरात	19.3	21.1	17.1	5.6	6.0	5.0	13.7	15.1	12.0	23	27	17
7. हरियाणा	19.9	21.2	17.7	6.1	6.5	5.5	13.8	14.7	12.2	28	31	23
8. जम्मू एवं कश्मीर	14.6	16.1	11.1	4.6	4.9	4.1	10.0	11.2	7.0	17	18	13
9. झारखंड	22.0	23.4	17.6	5.2	5.5	4.5	16.8	17.9	13.1	25	26	21
10. कर्नाटक	16.5	17.5	15.0	6.2	7.1	4.8	10.3	10.4	10.2	19	21	16
11. केरल	13.2	13.1	13.3	7.0	7.0	7.1	6.2	6.1	6.2	6	4	9
12. मध्य प्रदेश	24.1	26.0	18.8	6.5	6.8	5.6	17.6	19.2	13.2	43	47	30
13. महाराष्ट्र	15.0	15.3	14.6	5.5	6.2	4.6	9.5	9.1	10.0	16	20	11
14. ओडिशा	17.7	18.7	13.1	7.3	7.5	6.5	10.4	11.2	6.6	36	37	28
15. पंजाब	14.3	14.9	13.6	7.2	8.3	5.7	7.1	6.6	7.9	18	19	17
16. राजस्थान	23.5	24.4	20.8	5.6	5.8	5.1	17.9	18.6	15.7	32	35	23
17. तमिलनाडू	13.8	14.0	13.6	6.1	7.2	5.1	7.7	6.8	8.5	13	15	10
18. तेलंगाना	16.4	16.8	15.9	6.0	7.2	4.2	10.4	9.6	11.7	21	24	17
19. उत्तर प्रदेश	25.1	26.1	22.1	6.5	6.8	5.4	18.6	19.3	16.7	38	40	28
20. उत्तराखंड	16.6	17.0	15.6	6.3	6.7	5.1	10.3	10.3	10.5	24	25	24
21. पश्चिम बंगाल	14.6	16.1	11.2	5.5	5.3	5.8	9.1	10.8	5.4	19	19	17
छोटे राज्य												
1. अरुणाचल प्रदेश	17.3	17.8	15.0	5.7	5.9	4.4	11.9	11.8	10.6	21	22	13
2. गोवा	12.1	11.7	12.4	5.9	6.3	5.5	6.2	5.4	6.9	5	7	3
3. हिमाचल प्रदेश	15.3	15.7	10.0	6.8	7.0	4.4	8.5	8.7	5.6	17	18	15
4. मणिपुर	13.3	13.5	12.8	4.3	4.0	4.8	9.0	9.5	8.0	6	6	5
5. मेघालय	22.9	25.1	12.9	5.3	5.5	4.4	17.6	19.6	8.5	29	30	16
6. मिज़ोरम	14.4	16.8	11.7	4.2	3.8	4.6	10.2	13.0	7.1	3	3	3
7. नागालैंड	12.5	12.9	11.8	3.7	3.9	3.5	8.8	9.0	8.3	4	7	NA*
8. सिक्किम	15.6	14.0	18.2	4.1	4.3	3.7	11.5	9.7	14.5	5	8	1

9. त्रिपुरा	12.6	13.4	10.7	5.7	5.4	6.5	6.9	8.0	4.2	18	18	17
संघ राज्य क्षेत्र												
1. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10.8	11.5	9.9	5.8	6.8	4.5	5.0	4.7	5.5	7	7	6
2. चंडीगढ़	12.9	18.1	12.8	3.9	4.0	3.8	9.0	14.1	9.0	8	9	8
3. दादर एवं नगर हवेली दमन एवं दीव	20.3	18.0	21.4	3.7	4.7	3.3	16.6	13.3	18.1	16	15	11
4. लद्दाख	14.3	15.2	10.8	5.0	5.2	4.4	9.3	10.0	6.5	16	17	12
5. लक्षद्वीप	14.6	20.1	13.1	6.5	7.5	6.1	8.0	12.4	7.0	9	19	5
6. पुदुचेरी	13.1	13.1	13.1	5.4	7.2	5.0	7.7	5.9	8.1	6	8	5

नोट: छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नवजात मृत्यु दर तीन वर्ष की अवधि 2018-20 पर आधारित है।

*** उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वर्ष 2020 के लिए संबंधित सैंपल इकाइयों में कोई नवजात मृत्यु दर्ज नहीं की गई थी।**

अनुलग्नक -XX
(संदर्भ पैरा 16.43)

लिंग और आवास के आधार पर जन्म के समय अनुमानित जीवनकाल, भारत और बड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, 2016-20

भारत और बड़े राज्य	कुल			ग्रामीण			शहरी		
	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री
भारत*	**70.0**	**68.6**	**71.4**	**68.6**	**67.2**	**70.1**	**73.2**	**71.9**	**74.5**
आंध्र प्रदेश	70.6	69.1	72.2	69.7	68.0	71.6	72.7	71.6	73.8
असम	67.9	67.3	68.6	66.7	66.2	67.4	74.1	73.3	75.0
बिहार	69.5	69.7	69.2	69.1	69.3	68.9	71.9	72.3	71.3
छत्तीसगढ	65.1	63.5	66.8	64.3	62.6	66.0	68.0	66.7	69.4
दिल्ली	75.8	74.1	77.7	74.0	N.A.	76.6	75.8	74.1	77.8
गुजरात	70.5	68.1	73.2	69.2	65.9	73.1	72.2	70.9	73.6
हरियाणा	69.9	67.3	73.0	68.7	66.1	71.9	72.0	69.5	75.1
हिमाचल प्रदेश	73.5	70.3	77.5	73.2	69.9	77.2	77.1	74.7	81.0
जम्मू और कश्मीर	74.3	72.6	76.3	72.7	71.1	74.6	78.1	76.0	80.5
झारखंड	69.6	70.5	68.9	68.8	70.0	67.9	72.2	71.9	72.4
कर्नाटक	69.8	67.9	71.9	68.2	66.0	70.6	73.3	71.9	74.8
केरल	75.0	71.9	78.0	75.2	72.3	78.1	74.7	71.5	78.0
मध्य प्रदेश	67.4	65.5	69.5	66.4	64.3	68.7	70.8	69.3	72.4
महाराष्ट्र	72.9	71.6	74.3	71.6	70.2	73.0	74.6	73.4	76.1
ओडिशा	70.3	69.1	71.4	69.8	68.7	71.0	72.2	70.9	73.2
पंजाब	72.5	70.8	74.5	70.9	69.2	72.9	75.5	73.3	78.1
राजस्थान	69.4	67.1	71.7	68.4	65.8	71.2	72.6	71.5	73.6
तमिलनाडु	73.2	71.0	75.5	70.5	68.3	72.9	75.8	73.7	78.2
तेलंगाना	70.0	68.7	71.4	68.4	66.5	70.5	72.2	72.0	72.4
उत्तर प्रदेश	66.0	65.3	66.7	65.0	64.2	65.9	69.2	69.1	69.3
उत्तराखंड	70.6	67.5	73.9	70.3	67.0	73.9	71.0	68.8	73.7
पश्चिम बंगाल	72.3	71.1	73.6	71.1	69.6	72.7	74.5	73.8	75.3

* : भारत में सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं

अनुलग्नक - XXI
(संदर्भ पैरा 16.44)

भारत में मृत्यु के शीर्ष 10 कारण: 2017 - 2019

रैंक	मृत्यु का कारण	मृत्यु का अनुपात		
		पुरुष	महिला	व्यक्ति
1	हृदय रोग	30.8	26.2	28.9
2	श्वसन संबंधी रोग	7.0	7.7	7.3
3	असाध्य और अन्य नियोप्लाज्म	6.4	7.3	6.8
4	पाचन संबंधी रोग	6.3	3.4	5.0
5	अज्ञात ज्वर	4.2	6.0	5.0
6	अनजाने में लगने वाली चोटें: मोटर वाहन दुर्घटनाओं के अलावा	4.1	3.8	4.0
7	प्रसवकालीन स्थितियां	3.4	4.0	3.7
8	श्वसन संक्रमण	3.2	4.2	3.6
9	अनजाने में लगने वाली चोटें: मोटर वाहन दुर्घटनाएं	5.2	1.4	3.6
10	बीमार परिभाषित/ अन्य सभी लक्षण, संकेत और असामान्य क्लिनिकी और प्रयोगशाला निष्कर्ष	9.7	15.5	12.2
	अन्य सभी शेष कारण	19.6	20.5	20.0

वर्ष 2023-24 के लिए गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता/अनुशासनिक मामलों का ब्यौरा

क्र. सं.	मद	राजपत्रित		अराजपत्रित	
		मामले	अधिकारी	मामले	अधिकारी
1.	वर्ष 2023-24 में सतर्कता/अनुशासनिक मामलों की संख्या	230	247	1,198	1,249
2.	वर्ष 2023-24 में शुरू किए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामले	89	102	6,559	6,601
3.	वर्ष 2023-24 में निपटाए गए सतर्कता/ अनुशासनिक मामले	88	96	6,655	6,677
4.	वर्ष 2023-24 में सतर्कता/अनुशासनिक मामले (1+2-3)	231	253	1,102	1,173
5.	निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई (क्रम सं. 3 के ब्यौरे के संदर्भ में)	88	96	6,655	6,677
	(क) बर्खास्तगी	2	2	224	224
	(ख) निष्कासन	2	2	365	365
	(ग) अनिवार्य सेवानिवृत्ति	5	5	129	130
	(घ) रैंक/वेतन आदि में घटौती	22	22	754	749
	(ङ.) वेतन वृद्धि रोकना	5	5	780	786
	(च) पदोन्नति रोकना	1	1	2	2
	(छ) वेतन से वसूली के आदेश			1,836	1,828
	(ज) निंदा	11	11	1,560	1,559
	(झ) चेतावनी	3	3	340	340
	(ञ) असंतोष	2	3	48	30
	(ट) दोषमुक्ति	21	28	275	317
	(ठ) मामलों का स्थानांतरण	4	4	26	29
	(ड) कार्यवाही रोकी गई	5	5	34	34
	(ढ) पेंशन में कटौती	2	2	0	0
	(ण) त्यागपत्र स्वीकृत			11	11
	(त) यूनिट में बंद			46	46
	(थ) क्वार्टर गार्ड में बंद			154	156
	(द) अन्यत्र स्थानांतरण			4	4
	(ध) स्थगन	2	2	43	43
	(न) इंस्टी. एरिया से निष्कासन	0	0	13	13
	(प) न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाही रोकी गई	1	1	11	11
	कुल (क से प)	**88**	**96**	**6,655**	**6,677**

अनुलग्नक-XXIII

[संदर्भ पैरा 17.56]

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय के संगठनों के संबंध में बकाया निरीक्षण पैरा का ब्यौरा

क्र. सं.	संगठन का नाम	दिनांक 01.01.2023 की स्थिति के अनुसार लंबित निरीक्षण पैरा की संख्या	दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 के दौरान प्राप्त निरीक्षण पैरा की संख्या	दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 के दौरान निपटाए गए निरीक्षण पैरा की संख्या	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार लंबित निरीक्षण पैरा की संख्या
1	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	1,413	928	395	1,946
2	असम राइफल्स	158	45	48	155
3	बीपीआरएंडडी	06	13	06	13
4	बीएसएफ	498	188	163	523
5	सीआईएसएफ	552	203	223	532
6	सीआरपीएफ	342	11	00	353
7	चंडीगढ़	2,282	510	464	2,328
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	847	678	355	1,170
9	राजभाषा विभाग	41	15	14	42
10	आसूचना ब्यूरो	129	76	80	125
11	आईटीबीपी	158	199	86	271
12	लक्षद्वीप	203	255	127	331
13	गृह मंत्रालय (पी)	07	00	06	01
14	एनसीआरबी	10	00	00	10
15	एनआईसीएफएस	14	10	13	11
16	एसवीपीएनपीए	32	00	00	32
17	एनएसजी	82	27	22	87
18	आरजीआई	341	130	79	392
कुल		**7,115**	**3,288**	**2,081**	**8,322**

अनुलग्नक- XXIV
[संदर्भ पैरा 17.57]

पूर्व वार्षिक रिपोर्टों में शामिल लेखा-परीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर "की गई कार्रवाई संबंधी नोट" की स्थिति

क्र. सं.	वार्षिक रिपोर्ट का वर्ष	उन पैरा/पीएसी रिपोर्टों की संख्या, जिनके संबंध में "की गई कार्रवाई संबंधी नोट (एटीएन)" लेखा-परीक्षा द्वारा पुनरीक्षण किए जाने के बाद पीएसी को प्रस्तुत किये गये	उन पैरा/पीएसी रिपोर्टों का ब्यौरा, जिनके संबंध में एटीएन लंबित हैं		
			उन एटीएन की संख्या, जिन्हें मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजा गया	उन एटीएन की संख्या जिन्हें भेजा गया था, किन्तु उन्हें टिप्पणियों सहित वापस भेजा गया और जो मंत्रालय द्वारा लेखा-परीक्षा को पुनः प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रतीक्षारत है	उन एटीएन की संख्या, जिनका लेखा-परीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर दिया गया है, किंतु उन्हें मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1.	2016-17	17	0	0	0
2.	2017-18	18	0	0	0
3.	2018-19	18	0	0	0
4	2019-20	0	0	0	0
5	2020-21	03	0	0	04
6	2021-22	0	0	0	0
7	2022-23*	5	-	2	1

*1 संशोधित 'की गई कार्रवाई संबंधी नोट (एटीएन)' लेखापरीक्षा के लिए लंबित है।

** एटीएन - 'की गई कार्रवाई संबंधी नोट'

****

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक

नई दिल्ली–110001

पर भी उपलब्ध :https://mha.gov.in/